

वार्षिक रिपोर्ट

2007-2008



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली - 110002

वार्षिक रिपोर्ट

2007—2008



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली – 110 002 (भारत)

(वेबसाइट : www.ugc.ac.in)

2007—08 के दौरान आयोग के सदस्यों की सूची

अध्यक्ष	प्रोफेसर सुखदेव थोरात
उपाध्यक्ष	प्रोफेसर मूल चंद शर्मा
सदस्य	1. श्री आर. पी. अग्रवाल 2. डा. संजीव मिश्रा 3. प्रोफेसर सुरंजन दास* 4. डा. शिवाजीराव श्रीपतराव कदम 5. प्रोफेसर के. राममूर्ति नाइडू 6. डा. (श्रीमती) शशी राय 7. डा. एस. जेवियर अल्फोन्से, एस. जे. 8. प्रोफेसर जलीस अहमद खान तरीन 9. डा. विद्या येरावडेकर 10. प्रोफेसर डी. सिंह चौहान 11. प्रोफेसर अच्युतानंद सामन्ता**
सचिव	डा. तिलक आर. केम ⁺ डा. आर. के. चौहान ⁺⁺ डा. राजू शर्मा ⁺⁺⁺

* 10-02-2008 तक

** 11-02-2008 से

+ 30-11-2007 तक

++ 01-12-2007 से 18-02-2008 तक और 18-04-2008 से अब तक

+++ 19-02-2008 से 17-04-2008 तक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान सदस्य

अध्यक्ष

प्रोफेसर सुखदेव थोरात

उपाध्यक्ष

प्रोफेसर वेद प्रकाश

सदस्य

- श्री आर. पी. अग्रवाल सचिव, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
- श्रीमती विलासिनी रामचन्द्रन अतिरिक्त सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
- डा. शिवाजी राव श्रीपतराव कदम कुलपति, भारती विद्यापीठ, पुणे
- प्रोफेसर के. राममूर्ति नाइडू पूर्व सचिव, आ.प्र. राज्य उच्च शिक्षा परिषद् तथा पूर्व सदस्य सचिव, आ.प्र. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद्, हैदराबाद
- डा. एस जेवियर अल्फोन्से एस.जे. निदेशक, इंडियन सेंटर फार रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्प्युनिटी एजुकेशन, चेन्नई
- प्रोफेसर जलीस अहमद खान तरीन कुलपति, पांडिचेरी विश्वविद्यालय पूर्व कुलपति, कश्मीर विश्वविद्यालय तथा सीईओ दक्षिण एशिया प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
- डा.(श्रीमती) विद्या येरावडेकर प्रधान निदेशक, सिम्बायोसिस, पुणे
- प्रोफेसर डी. सिंह चौहान कुलपति, जे. पी. सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश
- प्रोफेसर अच्युतानंद सामन्ता प्रोफेसर रसायन, कलिंग औद्योगिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर

सचिव

डा. आर. के. चौहान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान वरिष्ठ अधिकारी

1. डा. आर. के. चौहान	सचिव
2. डा. (श्रीमती) नीलोफर ए. काजमी	अपर सचिव
3. डा. के. गुनासेकरन	निदेशक (प्रशासन)
4. डा. (श्रीमती) पंकज मित्तल	संयुक्त सचिव (प्रतिनियुक्ति पर)
5. डा. पी. प्रकाश	संयुक्त सचिव
6. श्री ए. के. डोगरा	संयुक्त सचिव
7. डा. एम. वी. कृष्णा स्वामी	संयुक्त सचिव
8. डा. सी. एस. मीणा	संयुक्त सचिव
9. डा. राजेश आनन्द	संयुक्त सचिव
10. डा. (श्रीमती) रेणू बत्रा	संयुक्त सचिव
11. डा. के. सी. पाठक	संयुक्त सचिव
12. डा. (श्रीमती) आशा किरण	संयुक्त सचिव (अध्ययन छुट्टी पर)
13. डा. देव स्वरूप	संयुक्त सचिव
14. डा. रत्नाबाली बनर्जी	संयुक्त सचिव (क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकत्ता)
15. डा. के. पी. सिंह	संयुक्त सचिव
16. श्री शरनजीत सिंह	संयुक्त सचिव
17. डा. (श्रीमती) उर्मिला देवी	संयुक्त सचिव
18. डा. एस. जेलानी	संयुक्त सचिव (प्रतिनियुक्ति पर)
19. डा. (श्रीमती) एच. के. चौहान	संयुक्त निदेशक

विषय सूची

अध्यक्ष के कक्ष से

पृष्ठ सं.

कार्यकारी सारांश

1

1 प्रस्तावना

1.1	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका तथा संगठन.....	16
1.2	11वीं योजना के बारे में.....	17
1.3	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कार्यरत विशेष सेल.....	17
	(क) अनाचार सेल.....	17
	(ख) सतर्कता सेल.....	19
	(ग) कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न सेल.....	20
	(घ) विधिक सेल.....	20
	(ङ) डेस्क : संसद मामले.....	22
	(च) सूचना का अधिकार (आरटीए) सेल.....	23
	(छ) आंतरिक लेखा परीक्षा सेल.....	23
	(ज) वेतनमान सेल.....	24
	(झ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग सेल.....	25
1.4	प्रकाशन.....	25
1.5	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त.....	26
1.6	केन्द्रीय तथा मानित होने वाले विश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त कैडर समीक्षा समिति (जेसीआरसी).....	28
1.7	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नई पहलें.....	28
1.8	वर्ष की मुख्य घटनाएँ.....	29

2 उच्च शिक्षा प्रणाली की वृद्धि : कुछ आँकड़े

2.1	संस्थाएं	37
2.2	छात्र नामांकन.....	43
2.3	संकाय संख्या.....	44
2.4	अनुसंधान डिग्रियां.....	44
2.5	उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि.....	44
2.6	राज्य तथा संकाय द्वारा महिलाओं के नामांकन का वितरण.....	45
2.7	महिला कॉलेज.....	46

3 विश्वविद्यालयों को विकास (योजनागत) तथा अनुरक्षण (योजनेतर) सहायता

3.1	विश्वविद्यालयों को सहायता.....	57
	(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय.....	59
	(ख) राज्य विश्वविद्यालय.....	62
	(ग) समविश्वविद्यालय.....	69
3.2	समविश्वविद्यालयों की मुख्य विशेषताएं : 2007–2008.....	73

4 कॉलेजों को विकास (योजनागत) तथा अनुरक्षण (योजनेत्तर) अनुदान

4.1	11वीं योजना के दौरान कॉलेज विकास की प्रगति का बल	93
4.2	वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त कॉलेज	94
4.3	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कॉलेजों को अनुदान.....	94
4.4	यू0जी0सी0 के क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा जारी किए गए अनुदानों की योजनावार स्थिति.....	96
4.5	राज्य कॉलेजों को योजनागत अनुदान	108
4.6	दिल्ली के कॉलेजों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के घटक कॉलेजों को अनुरक्षण अनुदान	109

5 गुणवत्ता और उत्कृष्टता

5.1	स्वायत्त कॉलेज	111
5.2	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यू.पी.ई.).....	112
5.3	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले कॉलेज (सी.ए.ई.).....	114
5.4	विशेष सहायता कार्यक्रम (एस.डा.पी.).....	115
5.5	विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आधार-संरचना को सुदृढ़ करने के लिए (असिस्त) तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए सहायता (ए.एस.आई.एच.एस.एस.).....	121
5.6	राजभाषा (हिन्दी) का संवर्धन.....	123
5.7	यात्रा अनुदान.....	125
5.8	द्विपक्षीय तथा शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम.....	125
5.9	अकादमिक स्टॉफ कॉलेज (ए.एस.सी.).....	128
5.10	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आई.यू.सी.).....	130
5.11	उभरते क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों सहित नवाचारी कार्यक्रम.....	168
5.12	राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र.....	169
5.13	विशेषीकृत क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र.....	184
5.14	नये केन्द्र/संस्थानों की स्थापना.....	186
5.15	कैरियर उन्नति योजना (सी.ए.एस.) के अंतर्गत रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए यू.जी.सी. पर्यप्रेक्षक की नियुक्ति.....	186
5.16	बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आई.पी.आर.) की जागरूकता को बढ़ावा देना तथा पेटेंटों को सुगम बनाना.....	186
5.17	विदेश में भारतीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा (पी.आई.एच.ई.ए.डी.).....	187
5.18	नियंत्रिकरण अनुरक्षण सुविधा (आई.एम.एफ.).....	188
5.19	अनुसंधान तथा शिक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा.....	188
5.20	यू.जी.सी. स्वामी प्रणवानंद सरस्वती अवार्ड और यू.जी.सी. हरिओम आश्रम न्यास अवार्ड तथा यू.जी.सी. राष्ट्रीय वेदव्यास संस्कृत अवार्ड.....	195

6 अनुसंधान संवर्धन

6.1	अध्यापकों के लिए अनुसंधान परियोजनाएं : बृहत तथा लघु.....	197
6.2	अध्यापकों के लिए अनुसंधान अवार्ड.....	199

6.3	इमेरिटस अध्येतावृत्तियाँ.....	199
6.4	अनुसंधान कार्यशालाएँ, संगोष्ठियों और सम्मेलन.....	200
6.5	विदेशी राष्ट्रकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ (जे.आर.एफ.) तथा अनुसंधान एसोशिएटशिप (आर.ए.एफ.).....	201
6.6	भारतीय राष्ट्रकों के लिए अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ.....	202
	(क) विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में जे.आर.एफ.....	202
	(ख) अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में जे.आर.एफ.....	202
6.7	अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ.....	203
6.8	अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ.....	203
6.9	व्यावसायिक अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रावृत्तियाँ.....	204
6.10	अनुसंधान वैज्ञानिक (पूर्व संशोधित).....	204
6.11	महिला उम्मीदवारों के लिए पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ.....	204
6.12	गेट योग्यता प्राप्त एम.ई./एम.टैक./एम.फार्मा. छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ.....	205
6.13	एकल बालिका हेतु स्नातकोत्तर इंदिरा गाँधी छात्रवृत्ति तथा अंडर ग्रेजुएट स्तर पर विश्वविद्यालय रैंक प्राप्त कर्त्ताओं के लिए स्नातकोत्तर मैरिट छात्रवृत्ति.....	205
6.14	सराहनीय छात्रों हेतु विज्ञान में अनुसंधान छात्रवृत्ति	207
6.15	वर्ष 2007-08 के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु सशक्त समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति.....	209
6.16	डॉ. डी.एस. कोठारी पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान अध्येतावृत्ति.....	211

7 लिंग तथा सामाजिक समानता

7.1	विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति सेलों की स्थापना.....	213
7.2	अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/ अल्पसंख्यकों के लिए अनुशिक्षण योजनाएँ.....	213
7.3	योजनाओं के अनुवीक्षण तथा स्थायी समिति की उपसमिति की क्षेत्रीय स्तर की बैठकें आयोजित करने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति स्थायी समिति.....	216
7.4	समान अवसर सेलों की स्थापना (ई.ओ.सी.).....	216
7.5	विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर वर्गों के लिए अनुशिक्षण कक्षाएँ.....	216
7.6	अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु स्थायी समिति एवं समीक्षा समिति की बैठकें/कार्यशालाएँ.....	218
7.7	विशेष शिक्षा में शिक्षकों की तैयारी (टी.ई.पी.एस.ई.) तथा विशेष जरूरतमंद व्यक्तियों (निशक्त व्यक्तियों) के लिए उच्च शिक्षा (एच.ई.पी.एस.एन.).....	218
7.8	महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना.....	219
7.9	कॉलेजों के लिए महिला छात्रावास.....	219

8 महत्व तथा मूल्य आधारित शिक्षा

8.1	शिक्षा की कैरियर उन्मुखता.....	221
8.2	क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम.....	221
8.3	समाजिक बहिष्करण एवं सम्मिलित करने की योजना के अध्ययन हेतु विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना.....	223
8.4	भारतीय युग प्रवर्तक समाज चिंतको पर विशेष अध्ययन.....	225
8.5	प्रौढ़, अनुवर्ती शिक्षा तथा विस्तार एवं क्षेत्र प्रसार (ए.सी.ई.ई. तथा एफ.ओ.).....	226
8.6	जनसंख्या तथा विकास शिक्षा पर यू.जी.सी. यू.एन.एफ.पी.ए. परियोजना.....	226
8.7	मानव अधिकार तथा मूल्य शिक्षा (एच.आर.वी.ई.).....	227

9 सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का समेकन

9.1	विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना/उन्नयन.....	228
9.2	यू.जी.सी. – इन्फोनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी	228
9.3	यू.जी.सी. – इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कन्सोर्टिअम (ई-पत्रिका योजना).....	229

10 प्रशासन तथा कार्यकुशलता सुधार

10.1	संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहन.....	231
10.2	उच्च शिक्षा तथा यू.जी.सी. कार्यालय का ई-प्रशासन.....	232
10.3	विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के शिक्षा प्रशासकों तथा यू.जी.सी. के अधिकारियों का प्रशिक्षण.....	232

परिशिष्टों की सूची.....	233

अध्यक्ष के कक्ष से.....



1953 में वि.अ.आ. की स्थापना के साथ ही वि.अ.आ. की वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन अनवरत रूप से किया जा रहा है।

वर्ष 2007-08 की वार्षिक रिपोर्ट देश में उच्च शिक्षा स्तर को बनाए रखने तथा समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल एजेंसी/एपेक्स संस्था के रूप में वि.अ.आ. द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों की एक बृहत रूपरेखा दर्शाती है। यह रिपोर्ट विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के सामान्य विकास को उन्नत करने, पहुँच और समता में वृद्धिकरण, संबंधित शिक्षा को उन्नत करने, अनुसंधान की गुणवत्ता और उत्कृष्टता को सबल बनाने में वि.अ.आ. की गतिविधियों को मुख्य रूप से परिलक्षित करती है।

11वीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कई नई पहलों पर विचार करते हुए वि.अ.आ. की कई योजनाओं को संशोधित करके समेकित किया गया। मुझे आशा है कि इस वार्षिक रिपोर्ट में दी गई समस्त सूचनाएं शिक्षकों, छात्रों, शोधकर्ताओं, उच्च शिक्षा प्रशासकों तथा उच्च शिक्षा में भागीदारों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

वार्षिक रिपोर्ट में दिये गये विषयों पर आपके बहुमूल्य सुझावों का स्वागत किया जायेगा।

अंत में मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि रिपोर्ट को संकलित करने और छपवाने में मेरे सहयोगियों द्वारा जो अथक प्रयास किए गए हैं उसके लिए मैं सर्वदा आभारी रहूँगा।

नई दिल्ली

प्रो. सुखदेव थोराट

कार्यकारी सारांश : 2007–2008

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2007–08 का कार्यकारी सारांश न केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनिवार्य उद्देश्यों को पूरा करने के कार्यकलापों को समाहित करता है बल्कि इसकी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों तथा उन पर हुए व्यय के साथ-साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुई सांख्यिकीय वृद्धि के भौतिक लक्ष्यों को भी समाहित करता है।

1 प्रस्तावना

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 28 दिसम्बर, 1953 को अस्तित्व में आया और 1956 में संसद अधिनियम के अधीन संवैधानिक संगठन के रूप में इसकी स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय, निर्धारण तथा मानकों के अनुरक्षण के लिए की गई थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा-18 के अनुसार, आयोग पिछले वर्ष के दौरान किए गए अपने कार्यकलापों का एक सत्य और पूरा ब्यौरा देते हुए प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी प्रतियाँ केन्द्र सरकार को भेजी जाएंगी तथा सरकार उसे संसद के दोनों सदनों में पेश करेगी।
- आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 10 सदस्य (सचिव-शिक्षा, सचिव-व्यय, 8 अन्य सदस्य) हैं जिनको भारत सरकार नियुक्त/नामांकित करती है। आयोग के सचिवालय का प्रमुख सचिव जिसमें 563 कार्यकारी स्टाफ है जिसमें से 71 ग्रुप 'ए' अधिकारी एवं 118 ग्रुप 'बी' अधिकारी हैं। अभी कुल कार्यकारी स्टाफ में से 30.73 प्रतिशत महिलाएं, 24.69 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 6.57 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में 1994 के बाद चरणबद्ध ढंग से देश में सात क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलकर अपने कार्यों का विकेन्द्रीकरण कर दिया ताकि कॉलेज क्षेत्रक से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के सरल पहुंच हो सके तथा अनुदानों को तुरन्त जारी करने और कार्यान्वयन करने में सुविधा हो सके।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 11वीं योजना (2007–2012) का मुख्य उद्देश्य अच्छी, समावेशित तथा शैक्षिक सुधारों से संबंधित उच्च शिक्षा में नामांकन को बढ़ाना है। 11वीं योजना के लिए सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) का लक्ष्य 15 प्रतिशत है और इसे शैक्षिक संस्थानों की संख्या बढ़ाने और विद्यमान संस्थानों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाने को दोहरी नीति अपनाकर पूरा किया जाना है।
- जाली विश्वविद्यालयों तथा डिग्रियों की बढ़ती संख्या और खतरे से निपटने के लिए उत्तरदायी अनाचार सेल ने कुल 20 जाली संस्थानों की पहचान करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ठोस कार्यवाही के आधार पर कतिपय संस्थानों के नामों के जुड़ने/घटने से संस्थानों की संख्या में अंतर होता रहता है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सर्तकता सेल को रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय सर्तकता आयोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों से 18 शिकायतें प्राप्त हुई और कुछ मामलों में जाँच समिति की रिपोर्ट केन्द्रीय सर्तकता आयोग/मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दी गई है। संस्थानों से प्राप्त शिकायतों को आवश्यक कार्यवाही हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबद्ध ब्यूरो को भेज दिया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी महिला कर्मचारी से महिला उत्पीड़न सेल को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2007–2008 के दौरान भारत के विभिन्न न्यायालयों में 414 मामले दर्ज किए और पिछले वर्ष 34.02 लाख रुपये की तुलना में वकीलों के बिलों पर 34.50 लाख रुपये का व्यय किया गया। तमिलनाडू राज्य में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए जिसके बाद महाराष्ट्र, दिल्ली आदि आते हैं।
- डेस्क-संसद को वर्ष 2007–08 के दौरान 455 संसदीय प्रश्न प्राप्त हुए। जिनमें से 8 प्रश्नों पर आश्वासन दिया गया तथा शेष का निपटान कर दिया गया है।

- वर्ष 2007-08 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आर.आई.ए. सेल को 2360 आवेदन/अपील प्राप्त हुए। जिनमें से 31-3-2008 तक 90 प्रतिशत आवेदन/अपीलों का उत्तर दे दिया गया है और शेष का उत्तर अगले वित्तीय वर्ष में दे दिया जाएगा। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी.) से अपीलों पर 28 निर्णय प्राप्त हुए और जिन्हें संबद्ध आवेदकों को सूचित कर दिया गया है।
- आंतरिक लेखा-परीक्षा सेल एक उपनिदेशक की अध्यक्षता में वि.अ.आ. के लेखा-जोखा की देखभाल प्रत्येक वर्ष उत्तम पारदर्शिता से करता है।
- वेतनमान सेल जिसे विश्वविद्यालयों और कॉलेज के शिक्षकों के वेतनमान एवं सेवा शर्तों से संबंधित मामलों का समाधान करने तथा अध्यापकों के लिए गठित वेतन समीक्षा समिति के कार्यों का समन्वय करने के लिए गठित किया गया है, ने शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 65 वर्ष करने, अगले तीन वर्षों में सेवानिवृत्त हो रहे अध्यापकों को रीफ्रेशर कोर्स से छूट देने, विश्वविद्यालय/कॉलेजों में लेक्चरर के पद पर नियुक्ति हेतु नैट से छूट, सेवानिवृत्ति की आयु के शिक्षकों को पुनः काम पर रखने हेतु मॉडल दिशा निर्देश, असिस्टेंट लाईब्रेरियन/असिस्टेंट डायरेक्टर/फिजिकल ऐजुकेशन की पदोन्नति हेतु 2 रीफ्रेशर कोर्स करने की अनिवार्य अहर्ता तथा कॉलेज लाईब्रेरी/प्रलेखन अधिकारी की नियुक्ति हेतु एम.फिल./पी.एच.डी. डिग्री धारकों को नैट से छूट देने के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय/ वि.अ.आ. के निर्णयों को परिचालित कर दिया है।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान वि.अ.आ. के प्रकाशन अनुभाग ने 21 प्रकाशन/जिसमें वि.अ.आ. की वार्षिक रिपोर्ट भी शामिल है का प्रकाशन/मुद्रण किया और जिस पर 8.52 लाख रुपये का व्यय किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए बजट और सहायता अनुदान की प्राप्ति निम्न प्रकार है:-

वर्ष 2007-08 के लिए बजट और प्राप्त अनुदान

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	बजट शीर्ष	योजनागत नियतन		योजनेतर नियतन	
		ब.अनु.	सं. अनु.	ब.अनु.	सं. अनु.
1.	सामान्य	2374.00	1805.10	1638.75	1948.87
	जोड़	2374.00	1805.10	1638.75	1948.87

- वर्ष 2007-08 के दौरान जारी योजनेतर कुल अनुदान (रु.1896.74 करोड़) में से 69.17 प्रतिशत केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 20.37 प्रतिशत दिल्ली और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कॉलेजों को 4.46 प्रतिशत समविश्वविद्यालयों को अनुदान जारी किया गया। आयोग की स्थापना पर हुआ व्यय रु.19.67 करोड़ था जो कुल योजनेतर अनुदान का 1.04 प्रतिशत है।
- वर्ष 2007-08 के दौरान जारी योजनागत अनुदान (रु.1884.95 करोड़) में से 33.10 प्रतिशत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 2.96 प्रतिशत समविश्वविद्यालयों और 30.35 प्रतिशत राज्यों के विश्वविद्यालयों एवं 25.67 प्रतिशत राज्यों के विश्वविद्यालय कॉलेजों को दी गई है।
- आयोग ने संयुक्त काडर समीक्षा समिति का गठन उन शिक्षणोत्तर स्टाफ पदों (केवल केन्द्रीय और वि.अ.आ. अनुरक्षित समविश्वविद्यालयों) के लिए एक समान काडर संरचना का निर्माण करने और वेतनमानों, कार्यों, अहर्ताओं का युक्तीकरण करने के लिए किया जो शिक्षण स्टाफ की वेतन समीक्षा समिति के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं, उनके 16 काडरों को अंतिम रूप दे दिया गया है।
- वि.अ.आ. ने निम्न नई पहलें की हैं।
- विश्वविद्यालयों में शोध एवं शिक्षण संसाधन के संवर्धन में वि.अ.आ. की पहल।

- उद्यमवृत्ति और उद्यम आधारित ज्ञान का संवर्धन।
- आयोग की वर्ष की मुख्य घटनाएं एवं निर्णय, अनुमोदन तथा संकल्प अध्याय 1 में दिए गए हैं।

2. उच्च शिक्षा प्रणाली की वृद्धि : कुछ आँकड़े

- आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(एच) के अंतर्गत भारत तथा अन्य देशों में विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित ऐसे सभी मामलों पर जानकारी एकत्र करने का अधिकार है जिसे यह उचित समझता है।
- भारत की स्वतंत्रता के समय देश में केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 कॉलेज थे। यह संख्या विश्वविद्यालयों के मामले में 20 गुणा तथा कॉलेजों के मामले में 44 गुणा हो गई है और उच्च शिक्षा की औपचारिक प्रणाली में छात्र नामांकन बढ़कर 45 गुणा हो गया है।

31-03-2008 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों की संख्या 408 हो गई है जिसमें 25 केन्द्रीय, 242 राज्य तथा 103 समविश्वविद्यालय शामिल हैं, राज्य विधान के अंतर्गत स्थापित 5 संस्थान, राष्ट्र महत्व के 33 संस्थान हैं और उच्च शिक्षा क्षेत्र में 22,064 कॉलेज हैं। 242 राज्य विश्वविद्यालयों में से 75 राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्य विधान के माध्यम से स्थापित 5 संस्थानों में से 2 संस्थानों को समय-समय पर संशोधित वि.अ.आ. अधिनियम 1956 की धारा 12(बी) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित नहीं किया गया है।

- वर्ष 2007-08 के दौरान वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2 एफ के अंतर्गत 13 नये राज्य विश्वविद्यालयों को मान्यता दी गई है और 5 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को मान्यता दी गई है और 5 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा 11 समविश्वविद्यालयों को अधिसूचित किया गया है। राज्य विद्यालयों के नाम भी बदले गए हैं।
- वर्ष 2007-08 के दौरान विभिन्न राज्यों में 1304 नए कॉलेज स्थापित किए गए हैं।
- वित्तीय वर्ष 2007-08 के अंत तक वि.अ.आ. अधिनियम 1956 की धारा 2 एफ के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कॉलेजों की कुल संख्या 6773 थी। इनमें से 954 कॉलेज वि.अ.आ. अधिनियम 1956 की धारा 12(बी) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। धारा 2(एफ) के अंतर्गत अधिकतम कॉलेज महाराष्ट्र (893) थे जिसके बाद उत्तर प्रदेश (877), कर्नाटक (579) तथा आंध्र प्रदेश (442) से शामिल किये गये हैं। राज्यों में स्थापित विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या के संबंध में महाराष्ट्र सूची में सबसे ऊपर है जिसके बाद तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश हैं (तालिका 2.2)।
- शैक्षिक सत्र वर्ष 2007-08 के दौरान नियमित विश्व शाखाओं के समस्त पाठ्यक्रमों और स्तरों पर कुल नामांकन 123.77 लाख था जिसमें 50.25 लाख महिला छात्र थी जोकि कुल नामांकन का 40.60 प्रतिशत है। महिला छात्रों का अधिकतम नामांकन महाराष्ट्र राज्य में था।

- विभिन्न स्तरों पर छात्र नामांकन प्रतिशत निम्न प्रकार था :

स्तर	पूर्व-स्नातक	स्नातकोत्तर	डिप्लोमा / प्रमाण-पत्र	अनुसंधान
कुल नामांकन की प्रतिशतता	89.15	9.26	0.93	0.66

- महाराष्ट्र राज्य 16.91 लाख छात्र नामांकनों के साथ सबसे ऊपर था और उसके बाद उत्तर प्रदेश का जहां नामांकन 16.08 लाख था। सबसे कम नामांकन 5543 सिक्किम में था। कुल नामांकन की तुलना में प्रतिशतता की रूप में नामांकन 61.16 प्रतिशत सबसे अधिक केरल में था, उसके बाद 56.33 प्रतिशत गोवा में और पंजाब में 51.93 प्रतिशत था और सबसे कम महिला नामांकन 24.58 प्रतिशत बिहार राज्य में था।

- सभी पूर्व-स्नातक छात्रों के लगभग 90.34 प्रतिशत तथा समस्त स्नातकोत्तर छात्रों के 66.84 प्रतिशत छात्र संबंध कॉलेजों में थे और शेष विश्वविद्यालय विभागों और संघटक कॉलेजों में थे। कुल अनुसंधान छात्रों में 86.89 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में थे।
- छात्रों के कुल नामांकन (123.77 लाख) में से 44.51 प्रतिशत कला संकाय में, उसके बाद 20.55 प्रतिशत विज्ञान में तथा 18.13 प्रतिशत वाणिज्य में है। इस प्रकार 83.19 प्रतिशत नामांकन केवल तीन संकायों में है। शेष 16.81 प्रतिशत नामांकन व्यवसायिक संकायों में है। इस प्रकार का अनियमित वितरण नीति परिवर्तन को इंगित करना है।
- विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में शिक्षण संकायों की संख्या 5.22 लाख हो गई थी जबकि पिछले वर्ष यह 5.05 लाख थी जो पंजीयन की 3.77 प्रतिशत बढ़ोतरी है।
- वर्ष 2006–07 के दौरान प्रदान की गई अनुसंधान डिग्रियों (पी.एचडी.) की संख्या वर्ष 2005–07 में 18,730 की तुलना में यह संख्या 20,131 थी। इनमें से, सबसे अधिक 8257 डिग्रियां कला संकाय में, उसके बाद 5839 डिग्रियां विज्ञान संकाय में थी। विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दोनों संकायों में प्रदान की गई कुल अनुसंधान डिग्रियां 70 प्रतिशत थी।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान समस्त स्तरों पर नामांकित प्रति सौ पुरुष छात्रों के पीछे महिला नामांकन 68 था।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्रतिशत के मददेनजर राज्य द्वारा नामांकित महिलाओं व वितरण कुल नामांकन की तुलना में लगभग स्थिर रहा है। केरल राज्य में 61.16 सबसे अधिक प्रतिशत तथा बिहार में सबसे कम 24.58 प्रतिशत था। संपूर्ण संख्या में महाराष्ट्र में छात्राओं की सर्वाधिक संख्या (7.04 लाख) थी। जिसके बाद उत्तर प्रदेश (5.95 लाख) आदि हैं।
- महिला नामांकन सर्वाधिक कला संकाय (50.99 प्रतिशत) में, उसके पश्चात् विज्ञान (20.18 प्रतिशत) में और वाणिज्य (16.47 प्रतिशत) में था। इस प्रकार तीनों संकायों में यह 87.64 प्रतिशत था। शेष 12.36 प्रतिशत व्यवसायिक संकायों में था।

3. विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण (योजनेत्तर) एवं विकास (योजनागत) अनुदान

- 25 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 22 अनुरक्षण के साथ-साथ विकास अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। शेष दो यथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय सीधे ही क्रमशः मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से निधियां प्राप्त करते हैं। अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान अगले वित्त वर्ष से दिये जा सकते हैं।
- वर्ष 2007–08 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण व्यय को पूरा करने के लिए रु.1304.52 करोड़ का योजनेतर अनुदान और रु.630.35 करोड़ योजनागत अनुदान प्राप्त किया गया है।
- 31 मार्च, 2008 तक विभिन्न राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अधिनियमित कानूनों के तहत 242 राज्य विश्वविद्यालयों को स्थापित किया गया है। लेकिन वि.अ.आ. इनमें से कृषि तथा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालयों को छोड़कर केवल 123 राज्य विश्वविद्यालयों को योजनागत (विकास) अनुदानों का बजटीय आबंटन कर रहा है। वर्ष 2007–08 के दौरान पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को रु.572.20 करोड़ का विकास अनुदान राज्य विश्वविद्यालयों को 136 राज्य विश्वविद्यालयों को प्रदान किया गया जिसमें 13 विश्वविद्यालयों के लिए विशिष्ट अनुदान भी शामिल है।
- 31.03.2008 तक 103 समविश्वविद्यालय थे जिसमें रिपोर्टाधीन वर्ष में वह सात संस्थाएँ शामिल हैं जिन्हें समविश्वविद्यालय अधिसूचित किया गया है।

- वि.अ.आ. 23 समविश्वविद्यालयों को विकास अनुदान और 10 समविश्वविद्यालयों को अनुरक्षण एवं विकास अनुदान प्रदान करता है। वर्ष 2007–08 के दौरान 27 समविश्वविद्यालयों को रु.87.20 करोड़ की राशि योजनेत्तर अनुदान के रूप में और 45 समविश्वविद्यालयों को 55.74 करोड़ की राशि योजनागत अनुदान के रूप में प्रदान की गई है। उपर्युक्त राशि में वि.अ.आ. की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत प्रदान की गई अनुदान राशि शामिल है।

- समविश्वविद्यालयों की मुख्य विशेषताएँ और निष्पादन अध्याय 3 में 302 के अंतर्गत दर्शाए गए हैं।

4. कॉलेजों के विकास (योजनागत) तथा अनुरक्षण (योजनेत्तर) अनुदान

- विकास सहायता का केन्द्र आधारभूत अवसंरचना के उन्नत बनाकर अध्यापन-शिक्षण प्रक्रिया को सहायता देना होगा। विद्यमान संस्थानों में सुविधाओं के विस्तार तथा उन्हें मजबूत करने, आधुनिकीकरण के माध्यम से स्तरों में सुधार, विशेष रूप से अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों को कैरियर के अफसरों से जोड़ने के लिए उन्हें औचित्यपूर्ण तथा विविध बनाने पर जोर दिया जायेगा। ऐसे शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों, जहां पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं नये कॉलेजों की स्थापना करना आयोग की एक प्राथमिकता है।
- 31 मार्च, 2008 को देश में 22,064 कॉलेज थे। इनमें से वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अधीन 6773 कॉलेज मान्यता प्राप्त हैं और केवल 5819 वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12(ख) के अधीन अनुदान प्रदान करने के लिए पात्र हैं। कॉलेज क्षेत्रक के लिए वि.अ.आ. योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली और बंगलौर में स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से होता है।
- वर्ष 2007–08 के दौरान कॉलेज विकास योजना के अंतर्गत 5610 पात्र कॉलेजों को 84.75 करोड़ रुपये तक की सहायता दी गई थी।
- वर्ष 2007–08 के दौरान यूजीसी क्षेत्रीय कार्यकलापों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा अध्याय 4 के 4.4 शीर्षक में दिया गया है।
- वर्ष 2007–08 के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अधीन राज्य कॉलेजों को 483.85 करोड़ की राशि योजनागत अनुदान के रूप में प्रदान की है।
- वर्ष 2007–08 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों को रु. 380.34 करोड़ की राशि अनुरक्षण अनुदान के रूप में दी गई है। रु.5.89 करोड़ की राशि बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के घटक कॉलेजों को योजनेत्तर अनुदान के रूप में प्रदान की गई है।
- वर्ष 2007–08 के लिए आबंटन के विरुद्ध कॉलेजों को सामान्य विकास सहायता योजना के अधीन दिल्ली के कॉलेजों को रु.7.18 करोड़ प्रदान किए गए हैं।
- कॉलेजों के लिए विकास अनुदान योजना के साथ विलय की गई योजना के तहत विभिन्न कॉलेजों को कुल 2.74 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया था।

5. गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता

- आयोग सम्भाव्यता वाले कॉलेजों को शैक्षिक स्वतंत्रता प्रदान करने की धारा 2(च) और 12(ख) के अधीन मान्यता प्राप्त कॉलेजों को स्वायत्ता दर्जा प्रदान कर रहा है। 31.3.2008 को 281 स्वायत्त कॉलेज थे जो 14 राज्यों के 55 विश्वविद्यालयों और एक संघीय क्षेत्र में फैले हुए हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 16 कॉलेजों को तथा 35 स्वायत्त कॉलेजों को स्वायत्ता प्रदान की गई और अवधि बढ़ाई गई है। वर्ष 2007–08 के दौरान वि.अ.आ. क्षेत्रीय कार्यालयों ने इन स्वायत्त कॉलेजों को 17.21 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया।
- शिक्षक और अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए वि.अ.आ. अभिज्ञात विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए सहायता देता है। प्रथम चरण में पांच विश्वविद्यालयों

को अभिज्ञात करके उपर्युक्त दर्जा प्रदान किया गया था। दूसरे चरण में, 12 विश्वविद्यालयों को पहचान किए गए विशेष क्षेत्रों में 'उत्कृष्टता केन्द्र' स्थापित करने के लिए अभिज्ञात किया गया था। 10वीं योजना के दौरान चार और विश्वविद्यालयों यथा कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुम्बई विश्वविद्यालय, नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय तथा मदुरै कामराज विश्वविद्यालय का उत्कृष्ट दर्जा प्रदान करने के लिए अभिज्ञात किया है ताकि पांच विश्वविद्यालयों का लक्ष्य पूरा किया जा सके। चारों विश्वविद्यालयों को आबंटित 30–30 करोड़ रुपये की राशि में से प्रत्येक को रु.10.00 करोड़ की राशि मूल अनुदान के रूप में जारी कर दी गई है। वर्ष 2006–07 के दौरान रु. 10.00 करोड़ की कुल अनुदान राशि जादवपुर विश्वविद्यालय को प्रदान की गई है।

- कॉलेजों में मुख्य रूप से शिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करने और अनुसंधान संस्कृति की पहल करने के लिए वि. अ.आ. ने एक नई योजना उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले कालेज में शुरू की। आयोग देशभर से 100 कॉलेजों की पहचान करके उन्हें उनकी शैक्षिक आचार-संरचना में सुधार करने, शिक्षण प्रणालियों, मूल्यांकन आदि में नवाचार अपनाने के लिए सहायता प्रदान करना चाहता है। कॉलेजों को अपने नाम के साथ संयुक्त डिग्री प्रदान करने वाला दर्जा भी प्रदान किया जाएगा। अनुदान प्रत्येक मामले में उसके गुणों के आधार पर रु.35.00 लाख से 100 लाख के बीच तक होगी। सारे देश कॉलेजों से प्रस्ताव आमंत्रित करके उनका मूल्यांकन कार्यदल समिति द्वारा किया गया था और कार्यदल की सिफारिशों को स्थाई समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। पहले चरण के दौरान 47 कॉलेजों को पहले ही चुना जा चुका है। 2004–05 के दौरान प्रत्येक कॉलेज को आबंटित राशि की 50 प्रतिशत राशि प्रदान कर दी गई थी। दूसरे चरण में 65 विश्वविद्यालयों द्वारा अनुमोदित 333 प्रस्तावों में से स्थाई समिति ने 50 अतिरिक्त कॉलेजों को संशोधित स्कोरिंग स्केल के आधार पर चयनित किया। वर्ष 2007–08 के दौरान चयनित कॉलेजों को रु.8.70 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई। तृतीय चरण में रिक्त स्लॉट की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे जोकि उन राज्यों में स्थित होंगे जिनका सी. पी.ई. का निर्धारित कोटा प्रथम और द्वितीय चरण में समाप्त न हो सका था।
- जैव-विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञानों के विश्वविद्यालय विभागों को 10वीं योजना के दौरान विशेष सहायता कार्यक्रम (सेप) योजना के अधीन सहायता प्रदान की जा रही है ताकि विभागों में अनुसंधान में श्रेष्ठता प्राप्त की जा सके और स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम में सुधार हो सके। 31.3.2007 को सेप सहायता प्राप्त विभाग 596 थे जिनमें 129 नये सम्मिलित विभाग भी थे। 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार पिछले वर्ष में 596 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2007–08 के अंत में ए.एस.पी. सहायता प्राप्त विभाग 577 थे (मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान – 235, विज्ञान – 171, जैव विज्ञान और इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी – 171)। वर्ष 2007–08 में विभागों की समीक्षा के पश्चात् सहायता रोकने के लिए 19 विभागों की सिफारिश की गई। वर्ष 2007–08 के दौरान इन विभागों को 43.00 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- 'असिस्ट' या 'अशिस' कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य सभी विषयों में चयनित विश्वविद्यालय विभागों को उन आवश्यक उपस्करों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है जो एस.ए.पी. या विश्वविद्यालय विकास के अंतर्गत उपलब्ध नहीं होते, जिससे कि विभागों में स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान में सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण उत्कृष्टता प्राप्त करने में बाधा उपस्थित न हो। सामान्यतः चयनित विभाग के लिए 'असिस्ट' के अधीन रु.100.00 लाख और 'अशिस' के अधीन रु.60.00 लाख वित्तीय सीमा पांच वर्ष की अवधि के लिए (एक टर्म केवल) है। वर्ष 2007–08 के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत 51 विभागों को रु.1.82 करोड़ प्रदान किए गए हैं।
- हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने की ओर वि.अ.आ. के राजभाषा सेल ने वि.अ.आ. के 10 अधिकारियों/कर्मचारियों को गहन हिन्दी प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए भेजा, दो बार राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें और सरकारी कार्य में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए दो कार्यशालाएं आयोजित की। सेल ने 13 सितम्बर, 2007 को हिन्दी दिवस और वि.अ.आ. के कर्मचारियों के लाभ हेतु निबंध, वाद विवाद, डिक्टेशन प्रतियोगिताओं का आयोजन करके हिन्दी पखवाड़ा (1–14 सितम्बर, 2007 को) मनाया। गैर हिन्दी राज्यों के सोलह विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक को

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान हिन्दी पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की खरीद और हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन करने के लिए 1.00 लाख रु का अनुदान दिया गया।

- यात्रा अनुदान योजना के लिए कॉलेज अध्यापकों, कुलपतियों तथा वि.अ.आ. के सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने शोध पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने हेतु वित्तीय सहायता दी गई है। वर्ष 2007–08 के दौरान 263 कॉलेज अध्यापकों तथा 12 कुलपतियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लाभार्थियों को 95.62 लाख रुपयों की धनराशि का भुगतान किया गया।
- उच्च शिक्षा से संबंधित द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम 44 देशों के साथ संचालित किए जा रहे हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान वि.अ.आ. ने विभिन्न देशों से 115 विदेशी स्कॉलरों/शिष्टमंडल की मेजबानी की और 72 भारतीय स्कॉलरों को विदेशों में प्रतिनियुक्त किया।
- वर्ष 2007–08 के दौरान भूटान, नीदरलैंड, तनजानिया, स्पैन, फिनलैंड, जर्मनी, बुल्गारिया, थाईलैंड, श्रीलंका, ओमान तथा पाकिस्तान से 14 विदेशी शिष्टमंडल उच्च शिक्षा के भूमंडलीकरण की चुनौतियों पर चर्चा करने, भारत में उच्च शिक्षा की जानकारी लेने शैक्षिक संयोजन स्थापित करने और भारतीय प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए भारत आए।
- **इंडो-मारिशस करार** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा तृतीय शिक्षा आयोग, मारिशस के बीच चतुर्थ कॉन्सार्टियम करार (वर्ष 2007–10) पर 18 अप्रैल, 2007 को हस्ताक्षर किए गए थे। कार्यक्रमों में अन्य बातों के अलावा स्कॉलरों का आदान-प्रदान का प्रावधान है।
- वर्ष 2007–08 के दौरान सहयोगात्मक कार्यक्रमों के अंतर्गत नियुक्त विदेशी भाषा के 28 अध्यापक भारत के विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे हैं।
- अध्यक्ष, डाड तथा अध्यक्ष, वि.अ.आ. के बीच 30 अक्टूबर 2007 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान कार्यक्रम तथा व्यक्तिगत आदान-प्रदान कार्यक्रम 2008 में शुरू होंगे। वर्ष 2007–08 के लिए वि.अ.आ. द्वारा 4 स्कॉलरों को नामित किया गया और इनमें से 2 का साउथ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ जर्मनी द्वारा चयन किया गया।
- वर्ष 2007–08 के लिए आयोग द्वारा फ्रांस का दौरा करने के लिए 12 भारतीय स्कॉलरों को नामित किया गया है। इसके बदले में वर्ष 2007 के लिए सामाजिक वैज्ञानिक आदान-प्रदान के अंतर्गत 7 नये स्कॉलरों ने भारत का दौरा किया।
- श्रीलंका सरकार ने सार्क पीठ श्रीलंका के लिए आमंत्रित किया है। सूचना, प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, रसायन, भौतिक, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं अंग्रेजी जैसे विषयों में सार्क पीठें हैं। वि.अ.आ. ने 4 भारतीय अध्यापकों को नामित किया परन्तु श्रीलंका पक्ष ने एक चेयर के लिए केवल एक भारतीय स्कॉलर को स्वीकार किया। वि.अ.आ. ने नेपाल के निमंत्रण के अनुसार ग्रामीण विकास और औषधि में सार्क छात्रवृत्ति हेतु 2 उम्मीदवारों को नामित किया परन्तु चयन की सूचना अभी दी जानी है।
- प्रत्येक वर्ष कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ, यू.के. 80 कॉमनवेल्थ अकादमिक स्टाफ फेलोशिप अवार्ड भारत के विश्वविद्यालय और कॉलेजों के प्रतिभावान संकाय सदस्यों को यू.के. में विश्वविद्यालय/संस्थानों में शोध कार्य करने के लिए दी जाती है। वर्ष 2007–08 के लिए वि.अ.आ. ने अध्ययेतावृत्ति के लिए 81 अध्यापकों की सिफारिश की। इसमें से कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ ने कॉमनवेल्थ स्टाफ फेलोशिप अवार्ड 2007 के अंतर्गत अध्ययेतावृत्तियों के लिए 26 स्कॉलरों का चयन किया।
- वर्ष 2007 के दौरान कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ, यू.के. ने भारत में डॉक्टरल डिग्री कर रहे तथा यू.के. में एक वर्ष पूर्णकालिक अध्ययन का लाभ उठाने के इच्छुक छात्रों अथवा कनिष्ठ संकाय सदस्य के लिए 14 कॉमनवेल्थ

स्प्लिट साईट डॉक्टोरल छात्रवृत्तियां देने की पेशकश की। वि.अ.आ. ने 14 स्कॉलरों को नामांकित किया और कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ, यू.के. ने कॉमनवेल्थ स्प्लिट साईट छात्रवृत्ति अवार्ड 2007–08 के अंतर्गत 8 स्कॉलरों को चयन किया।

- वर्ष 2007–08 के दौरान यात्रा अनुदान योजना के अंतर्गत अध्यापकों को उनकी शोध सामग्री एकत्रित करने के लिए विदेशों का दौरा करने हेतु 7 अध्यापकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।
- भारत–फिनिश सरकार छात्रवृत्ति के अंतर्गत दौरा करने के लिए उनके संबंध सरकारी प्राधिकारियों द्वारा 3 भारतीय स्कॉलर तथा 2 फिनिश स्कॉलरों को नामांकित किया गया।
- भारत–हंगरी ई.ई.पी. के अंतर्गत वर्ष 2007–08 के लिए संबंध सरकारी प्राधिकारियों द्वारा 14 भारतीय स्कॉलरों तथा हंगरी से 7 स्कॉलरों को नामांकित किया गया।
- शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के बृहत् कार्यक्रम का संचालन विभिन्न विद्यशाखाओं में 57 अकादमी स्टाफ कॉलेजों तथा 24 विश्वविद्यालयों एवं विशेषीकृत संस्थाओं के माध्यम से किया गया है। रिपोर्टाधीन वर्ष में अकादमिक स्टाफ कॉलेजों और अन्य प्रत्यायित संस्थाओं द्वारा 194 अभिविन्याएं पाठ्यक्रमों, 43 कार्यशालाएं, 637 पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के संचालन का अनुमोदन किया गया था। करीब 20,000 शिक्षकों को इस कार्यक्रमों द्वारा लाभ पहुंचा। इन अकादमिक स्टाफ कॉलेजों/संस्थाओं को रु.42.84 करोड़ का अनुदान भी जारी किया गया।
- वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12(गगग) के अंतर्गत विश्वविद्यालयों में स्वायत्त केन्द्रों के रूप में स्थापित किए गए 6 अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र भारत में सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत केन्द्रों के रूप में काम कर रहे हैं। ये केन्द्र विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं आदि को सामान्य सुविधाएं, सेवाएं तथा कार्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं और इसके लिए वे प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञ और अधुनातन उपस्कर का प्रयोग एवं पुस्तकालय की श्रेष्ठ सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोग ने उच्च शिक्षा नीति में अनुसंधान हेतु एक और अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र की मंजूरी दी। इसके अलावा, वि.अ.आ. ने चुनिंदा विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र भी स्थापित किए हैं और वे उनको नियमित रूप से सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। इसने औसतन 300 से 500 उच्च शैक्षिक फिल्मों/कार्यक्रमों को भी निर्मित किया है जिनका प्रसारण दूरदर्शन, ज्ञान दर्शन तथा शिक्षा चैनलों पर कक्षाओं से दूर उच्च शिक्षा का प्रसार करने के लिए किया जाएगा। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, वि.अ.आ. ने योजनागत रु. 32.69 करोड़ की राशि और योजनेतर रु. 39.21 करोड़ की राशि 6 अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों को प्रदान की है। साथ ही रु.2.49 करोड़ की योजनागत सहायता चार राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों को प्रदान की गई है।
- अतः शस्त्रीय तथा उदायीमान क्षेत्रों में नए विचारों और नवाचारों को समर्थन देने और विशेषीकृत पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए वि.अ.आ. विश्वविद्यालयों के अनुमोदित विभागों को शत-प्रतिशत विकास सहायता प्रदान कर रहा है। 31.03.2008 तक 315 विभागों की पहचान करके उन्हें सहायता देने के लिए अनुमोदित किया गया है। विश्वविद्यालयों को रु.26.30 करोड़ की कुल धनराशि प्रदान की गई है।

वि.अ.आ. राज्यों/राज्यों के समूहों को राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) के संचालन के लिए प्रत्यायन की अनुमति भी देता है। जिन उम्मीदवारों ने 1 जून, 2002 से पूर्व राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) लेक्चररशिप के लिए पास कर ली है, वे 'नेट' परीक्षा में बैठने के लिए छूट के पात्र हैं। जून, 2002 में अथवा उसके बाद होने वाली सेट परीक्षाओं के लिए योग्य उम्मीदवार राज्य के केवल उन विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में लेक्चरर के पद के लिए आवेदन करने हेतु योग्य होगा जहां उसने सेट परीक्षा पास की है। वर्ष 2007–08 में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गोआ और पूर्वोत्तर राज्यों ने सेट परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। सेट करवाने का व्यय वहन संबद्ध राज्यों द्वारा किया जाता है।

नेट समीक्षा समिति की अंतिम रिपोर्ट जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा गया था, आयोग के समक्ष सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

- नई उभरती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वि.अ.आ. ने 2001 में विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर विज्ञान तथा मानविकी के विभिन्न अंतःशास्त्रीय क्षेत्रों में अध्ययन और अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र स्थापित करने के लिए 12 विश्वविद्यालयों की पहचान की। उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में अभिज्ञात 12 विश्वविद्यालयों में से 9 विश्वविद्यालयों को रु. 5.00 करोड़ प्रदान किए गए और वर्ष 2004–05 के दौरान तीन विश्वविद्यालयों को रु.3.00 करोड़ जारी किए गए थे। प्रत्येक केन्द्र के कार्य का परिवीक्षण सम्यक् रूप से गठित सलाहकार समिति द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2007–08 के दौरान सरदार पटेल विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ अप्लाइड पोलिमर्स तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ पोलिमर कैमिस्ट्री की समीक्षा की गई है तथा 11वीं योजना के दौरान केन्द्रों को जारी रखने के लिए प्रत्येक केन्द्र को रु.5.00 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि की मंजूरी दी गई थी।
- 11वीं योजना के दौरान स्थापित नए केन्द्रों की समीक्षा समितियों की मदद से समीक्षा की जा रही है ताकि 11वीं योजना के दौरान उन्हें जारी रखने अथवा अन्यथा निर्णय लिया जा सके। वर्ष 2007–08 के दौरान पंजाब विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ ह्यूमन जिनोम स्टडीज एण्ड रिसर्च की समीक्षा की गई है। इस केन्द्र को 30.11.2007 तक आगे बढ़ाया गया था और बाद में इसे 11वीं योजना के दौरान जारी रखने के लिए रु.3.15 करोड़ के अतिरिक्त आबंटन की मंजूरी दी गई।
- विश्वविद्यालय प्रणाली में गुणवत्ता निवेश सुनिश्चित करने के लिए वि.अ.आ. समस्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में 'केस' क अधीन रीडर से प्रोफेसर पद पर पदोन्नति की चयन प्रक्रिया का परिवीक्षण यूजीसी पर्यवेक्षक नियुक्त करके कर रहा है। वर्ष 2007–08 के दौरान वि.अ.आ. ने चयन प्रक्रिया की देख-रेख करने के लिए 310 वि.अ. आ. पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे।
- आयोग ने विश्वविद्यालय क्षेत्र के लिए दो गुणवत्ता कार्यक्रम नामतः आइपीआर जागरुकता तथा अभिभावकों के लिए सुगमीकरण और पीआईएचईएडी शुरू किए।
- विश्वविद्यालयों/स्वायत्त तथा स्नातकोत्तर कॉलेजों में सभी स्तरों पर विज्ञान शिक्षा में सुधार करने के प्रयत्नों को समर्थन देने के लिए वि.अ.आ. ने यंत्र अनुरक्षण केन्द्रों को अनिवार्य औजारों/उपस्करों की खरीद, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की मरम्मत तथा अनुरक्षण के साथ-साथ अहर्ता प्राप्त स्टाफ के लिए सहायता प्रदान करता है जो कि संस्थान में यंत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर जैसे पूल के आकार द्वारा निर्धारित कार्यभार पर आधारित होती है। वर्तमान में 217 संस्थानों (51 विश्वविद्यालय तथा 166 कॉलेज) को वि.अ.आ. से सहायता मिल रही है। यंत्र अनुरक्षण सुविधा केन्द्रों को चलाने के लिए रु.1.12 करोड़ का अनुदान जारी किया गया है।
- वि.अ.आ. प्रवेश पाने वालों में अध्यापन और अनुसंधान न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने के लिए लेक्चरारशिप पात्रता तथा कनिष्ठ अनुसंधान अध्ययेतावृत्तियों के लिए एक वर्ष में दो बार एक राष्ट्र स्तर की परीक्षा संचालन करता है। इसमें भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारों (0.67 लाख) में से 0.66 प्रतिशत उम्मीदवार कनिष्ठ अनुसंधान अध्ययेतावृत्तियों के योग्य थे तथा दिसम्बर, 2007 के दौरान वि.अ.आ. द्वारा संचालित लेक्चरारशिप पात्रता (जेआरएफ सहित) परीक्षा में कुल उम्मीदवारों (1.0 लाख) में से 5.66 प्रतिशत ने भाग लिया। नेट परीक्षा पूरे देश में 66 केन्द्रों पर 79 विषयों में संचालित की जा रही है। वि.अ.आ. की ओर से सीएसआईआर विज्ञान के 5 विषयों में नेट परीक्षा संचालित कर रही है। दिसम्बर, 2007 में संचालित नेट परीक्षा में 1218 उम्मीदवारों ने लेक्चरारशिप योग्यता प्राप्त की तथा 1307 सीएसआईआर-जेआरएफ के लिए योग्य पाए गए। वर्ष 2007–08 के दौरान इन परीक्षाओं को संचालित करने के लिए रु.4.62 करोड़ का व्यय किया गया था।
- वि.अ.आ. ने "वि.अ.आ. राष्ट्रीय स्वामी प्रवणानंद सरस्वती" "वि.अ.आ. ने वेद व्यास राष्ट्रीय संस्कृत" एवं "वि.अ. आ. ने राष्ट्रीय हरिओम आश्रम ट्रस्ट एवार्ड उन भारतीय राष्ट्रकों के लिए शुरू किया है जो विश्वविद्यालय प्रणाली में कार्यरत हैं या जो उन विश्वविद्यालयों या संस्थाओं से जुड़े हैं जो उच्च अध्ययन अनुसंधान कार्य करने के लिए स्वीकृत हैं। ये 1985 के बाद से प्रत्येक वर्ष उन लोगों को प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने अद्वितीय शैक्षिक/वैज्ञानिक

कार्य में योगदान किया है। वर्ष 2007–08 के दौरान इन एवार्डों के लिए उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया था।

6 अनुसंधान को बढ़ावा देना

- “अध्यापकों के लिए अनुसंधान परियोजनाएँ” योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय, कॉलेज के अध्यापकों के शोध कार्यक्रमों को सहायता देकर उच्च शिक्षा में अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। ऐसे क्षेत्रों पर बल दिया जाता है जो स्वास्थ्य, ज़िरोटोलॉजी पर्यावरण, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, तनाव प्रबंधन, डब्ल्यूटीओ और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव आदि जैसे विषयों से जुड़े होते हैं और अन्य क्षेत्र जिनकी विषय के विशेषज्ञों द्वारा पहचान की जाएगी। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 800 नई बड़ी तथा 3215 छोटी शोध परियोजनाओं को वित्तीय सहायता हेतु मंजूरी दी गई है और मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों दोनों द्वारा 61.93 करोड़ रुपये की कुल धनराशि जारी की गई थी। अंतर्विश्वविद्यालय तथा अंतर्संस्थात्मक सहयोगात्मक शोध को प्राथमिकता दी जा रही है।
- शोध पुरस्कार योजना विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के स्थाई अध्यापकों को अध्यापन दायित्व वाले विशेषज्ञता के उनके संबंध क्षेत्र में तीन वर्षों का पूर्णकालिक स्वतंत्र अनुसंधान करने के लिए बनाई गई है। सभी विषयों के लिए पुरस्कार का चयन हर दूसरे वर्ष में 100 स्लॉटों के लिए किया जा रहा है। इसमें पुरस्कार पाने वालों को भुगतान करने हेतु विश्वविद्यालयों को 5.61 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी।
- इमेरिटस फेलोशिप योजना सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों का विशेषज्ञता के उनके संबंध क्षेत्र में सक्रिय शोध करने का अवसर प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत उपलब्ध स्लॉटों की संख्या विज्ञान के लिए 100 और मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए 100 हर दूसरे वर्ष है। अध्ययता के लिए 50,000 प्रतिवर्ष की आकस्मिक धनराशि के साथ दो वर्षों के लिए 20,000 रुपये प्रतिमाह का मानेदय है। वर्ष 2007–08 के दौरान 2.75 करोड़ रुपये व्यय किया गया था।
- वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान देश तथा विदेश के विभिन्न भागों से शिक्षाविदों को ज्ञान तथा विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक साथ लाने हेतु विभिन्न सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएँ आदि आयोजित करने हेतु विश्वविद्यालयों/कॉलेजों तथा गैर विश्वविद्यालयों जैसे भारतीय विज्ञान कांग्रेस आदि को वि.अ.आ. मुख्यालय द्वारा 1.09 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया था। वि.अ.आ. क्षेत्रीय कार्यालयों ने वर्ष 2007–08 के दौरान 1906 प्रस्तावों को अनुमोदन दिया और 8.77 करोड़ रुपये जारी किए।
- विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्ययतावृत्ति (जे.आर.एफ.) रिसर्च एसोसिएटशिप योजना के अंतर्गत वि.अ.आ. ने वर्ष 2007–08 के दौरान विदेशी छात्रों के लिए 20 जे.आर.एफ., 7 रिसर्च एसोसिएटशिप का अनुमोदन किया था। जे.आर.एफ. उन इंडिकेंट उम्मीदवारों को भी प्रदान की गई जो वि.अ.आ. अथवा सीएसआईआर द्वारा संचालित वि.अ.आ. नेट पास करते हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष में विदेशी तथा भारतीय नागरिकों के लिए जे.आर.एफ./आर.ए. योजनाओं के अंतर्गत 38.41 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।
- इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी में जे.आर.एफ. योजना के अंतर्गत वर्ष 2007–08 के दौरान 50 उम्मीदवारों का चयन किया गया और अध्ययताओं को भुगतान हेतु विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को 13.39 करोड़ रुपये जारी किए गए।
- उच्च शिक्षा में सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए वि.अ.आ. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों (अ.जा. के लिए 1333 तथा अ.ज.जा. के लिए 667) एम.फिल./पी.एचडी. डिग्रियों तक पहुंचाने वाले उन्नत अध्ययतावृत्तियां प्रदान करता है। जे.आर.एफ. के लिए अध्ययतावृत्ति का रुझान समान है। वर्ष 2007–08 के दौरान वर्ष 2006–07 और 2007–08 के लिए अ.जा. श्रेणी के 2666 उम्मीदवारों और अ.ज.जा. श्रेणी के 762 उम्मीदवारों का चयन किया गया। अ.ज.जा. अध्यापकों के लिए 63.17 करोड़ रुपये तथा अ.ज.जा. अध्ययताओं के लिए 26.37 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

- पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप की एक नई योजना अ.जा./अ.ज.जा. के उन उम्मीदवारों के लिए कार्यान्वित की गई है जिन्होंने डॉक्टोरल डिग्री प्राप्त कर ली है। जिनके अपने अनुसंधान कार्य प्रकाशित हो गए हैं और जिन्होंने स्वतंत्र रूप से अनुसंधान कार्य का साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है। फेलोशिप की अवधि चार वर्ष है तथा इसके लिए राशि रु.12,000 प्रतिमाह और रु.30,000 प्रतिवर्ष आकस्मिकता राशि प्रदान की जाती है। रु.3.98 लाख अ.जा./अ.ज.जा. पोस्ट-डॉक्टोरल फेलो को भुगतान किया गया जिनका चयनित स्लॉट 100 था।
- एक और नई योजना यथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियों को कार्यान्वित इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि समाज के वंचित वर्गों के उम्मीदवारों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उन्हें स्नातकोत्तर स्तर अध्ययनों को शुरू करने का अवसर प्रदान किया जाए। छात्रवृत्ति रु.15,000 प्रतिवर्ष की आकस्मिक राशि के साथ 5000 प्रतिमाह एम.टैक. के लिए तथा रु.10,000 प्रतिवर्ष की आकस्मिक राशि के साथ रु.3000 प्रतिमाह एम.फार्मसी/एम.मैनेजमेंट के लिए प्रदान की जाती है। वर्ष 2007–08 के दौरान अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों को भुगतान देकर कुल व्यय 3.25 लाख रुपये हुआ।
- शोध वैज्ञानिक योजना के अंतर्गत अभी तक 74 शोध वैज्ञानिकों को लाभान्वित किया है ताकि भारतीय मूल के सराहनीय वैज्ञानिकों जो विदेशों में भले ही कार्यरत हों, ध्यानकर्षक हों सकें और शोध में उच्चगुणवत्ता विकसित हो सकें। यह योजना शोध वैज्ञानिकों द्वारा 1983 में शुरू तथा कार्यान्वित की गई थी। वर्ष 2007–08 के दौरान वैज्ञानिकों के वेतन एवं आकस्मिक व्यय पर कुल रु. 3.74 करोड़ खर्च हुए।
- बेरोजगार महिलाओं के लिए जिनके पास पी.एचडी. की डिग्री हो और जो अंशकालिक आधार पर पोस्ट-डॉक्टोरल करने की इच्छुका हैं, वि.अ.आ. नए पी.एचडी. धारकों के लिए रु. 6000 प्रतिमाह की अध्येयतावृत्ति राशि के साथ 100 स्लॉट प्रदान करता है और 5 वर्ष के शोध अनुभव वाले उम्मीदवारों के लिए यह धनराशि रु. 10,000 प्रतिवर्ष है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान महिला अध्येयताओं को भुगतान करने हेतु 64.86 लाख रुपये का व्यय किया गया।
- स्नातक छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययन करने हेतु वि.अ.आ. रु. 5000 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति धनराशि तथा रु.5000 प्रतिवर्ष की आकस्मिक राशि के साथ एम.ई./एम.टैक./एम.फार्मा के 'गेट' परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। वर्ष 2007–08 के दौरान छात्रों को किए गए भुगतान पर 7.08 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।
- स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन इस उद्देश्य से किया गया कि जिस परिवार में केवल एक मात्र बालिका है उनके अभिभावकों को छोटे परिवार मापदंड के आधार पर उन बालिकाओं को छात्रवृत्तियां दी जाएगी जिन बालिकाओं ने स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा पात्र पी.जी. कॉलेज में प्रवेश लिया है। उन्हें 20 महीने के लिए रु.2000/- प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। छात्रवृत्तियों की संख्या प्रतिवर्ष 1200 है। वर्ष 2007–08 के दौरान छात्रवृत्ति लेने वालों को भुगतान हेतु 1.48 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।
- प्रतिभाशालियों को बेसिक विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन करने के उद्देश्य से उनको लुभाने के लिए वि.अ.आ. ने एक पी.जी.मेरिट छात्रवृत्ति की योजना 2005–06 के बाद से प्रारंभ की जिसमें सराहनीय छात्रों को विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उनको छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति पाने वाला देश में किसी भी उच्च शिक्षा के संस्थानों से किसी विशिष्ट क्षेत्र में पी.जी. कार्यक्रम में अध्ययन कर सकता है (इसमें व्यावसायिक कोर्स शामिल नहीं हैं)। सामान्य पाठ्यक्रमों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी में आने वाले छात्र ही इस छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। छात्रवृत्ति की अवधि 2 वर्षों एवं छात्रवृत्ति राशि रु.2000 प्रतिमाह 20 माह तक के लिए है। छात्रवृत्तियों की संख्या 2375 है (1800 सामान्य पाठ्यक्रमों एवं 575 ऑनर्स पाठ्यक्रमों के लिए)। वर्ष 2007–08 के दौरान छात्रवृत्ति लेने वालों को भुगतान हेतु 3.11 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

- मेधावी छात्रों को विज्ञान में पी.एचडी. डिग्री करने का सुअवसर देने के लिए उत्तर अध्ययन एवं शोध शुरू करने हेतु “मेधावी छात्रों के लिए विज्ञान में शोध अध्ययतावृत्ति योजना कार्यान्वित की गई है। ऐसे उम्मीदवार जो उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय/उत्कृष्टता की संभावना वाले केन्द्रों/उत्तर अध्ययन केन्द्रों तथा वि.अ.आ. द्वारा पहचान किए गए विशेष सहायता विभागों में विज्ञान के विषय में पी.एचडी. में पंजीकृत है इसके पात्र हैं। इस अध्ययतावृत्ति का कार्यकाल आरंभ में दो वर्ष है और जिसे अध्ययता द्वारा किए गए कार्य मूल्यांकन के आधार पर तीन और वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। वित्तीय सहायता अध्ययतावृत्ति राशि के रूप में रु. 8,000 प्रतिमाह और आकस्मिक धनराशि के रूप में रु. 6000 प्रतिवर्ष है। वर्ष 2007–08 प्रत्येक विज्ञान विभाग (सी.ए. एस./डी.एस.ए.ऑफ एस.ए.पी.) को 397 कनिष्ठ अनुसंधान अध्ययतावृत्तियां आबंटित की गई है और चयनित विभागों में कार्यरत अध्ययताओं को 4.50 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया है।
- वर्ष 2007–08 में भारतीय विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु सशक्त समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति अध्याय 6 के 6.15 पर देखी जा सकती है।
- डी.एस. कोठारी के नाम से एक नई पोस्ट-डॉक्टरल अध्ययतावृत्ति योजना बनाई गई है और कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है। पूरी आवेदन प्रक्रिया की आउट सोर्सिंग (ए.पी.ओ.) की निगरानी हेतु एक वरिष्ठ शिक्षाविद् की पहचान की जाएगी।

7 लिंग एवं सामाजिक समानता

- आयोग अ.जा./अ.ज.जा. सैल स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है ताकि विश्वविद्यालयों में दाखिले, शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर पदों आदि पर भर्ती में आरक्षण नीति का सफल कार्यान्वयन हो सके। 31 मार्च, 2008 तक आयोग ने 122 विश्वविद्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा. सैलों की स्थापना का अनुमोदन किया है। वर्ष 2007–08 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत अ.जा./अ.ज.जा. सैलों को रु. 6.50 लाख की सहायता दी गई है।
- समाज के सुविधा वंचित वर्गों के लिए सामाजिक समता और सामाजिक आर्थिक गतिशीलता के लिए वि.अ.आ. उपचारात्मक अनुशिक्षण की योजना स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरों पर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों के लिए कार्यान्वित कर रहा है तथा नेट/सेट के लिए अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक के उम्मीदवारों हेतु प्रशिक्षण योजना कार्यान्वित करता है। पर्याप्त अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र वाले संस्थानों को वित्तीय सहायता देने पर विचार किया जाता है। आर्थिक रूप से गरीब सामान्य उम्मीदवारों को ऐसी प्रशिक्षण कक्षाओं के लिए अनुमति भी दी जा सकती है। वित्तीय सहायता निम्नानुसार है :-

(क) **नॉन-रेकरिंग** : प्रत्येक योजना के अंतर्गत 5.00 लाख रुपये (एक मुश्त) तक

(ख) **रेकरिंग** : प्रत्येक योजना के अंतर्गत कॉलेजों के लिए 5.00 लाख तथा विश्वविद्यालयों के लिए 7.00 लाख रुपये। विश्वविद्यालय द्वारा गठित परामर्श समिति योजनाओं की प्रगति का अनुवीक्षण अथवा समीक्षा करने के लिए वर्ष में दो बार बैठक करेगी।

- वि.अ.आ. द्वारा समय-समय पर गठित स्थाई समिति विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा शेष बची रिक्तियों की स्थिति का अनुवीक्षण नियमित रूप से करती है।
- वर्ष 2007–08 में अ.जा./अ.ज.जा. के लाभ हेतु चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन आयोजित करने के लिए पुणे विश्वविद्यालय में एक क्षेत्रीय स्तर की समीक्षा बैठक की गई थी।

- कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को लाभवंचित सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं और बाध्यताओं के प्रति क्रियाशील बनाने के लिए वि.अ.आ. ने इन समूहों के लिए नीति और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करने और शैक्षिक, वित्तीय तथा अन्य मामलों में मार्गदर्शन तथा परामर्श प्रदान करने के लिए कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में समान अवसर सैल (ई.ओ.सी.) की स्थापना करने की योजना बनाई है। समान अवसर सैल का कार्यालय स्थापित करने के लिए 2.00 लाख रु का एक बारगी अनुदान दिया जाएगा।
- अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए प्रशिक्षण योजनाओं नामतः अंडरग्रेजुएट स्नातकोत्तर स्तर पर रेमेडियल कोचिंग, सेवाओं में प्रवेश हेतु प्रशिक्षण योजना तथा नेट/सेट हेतु छात्रों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण योजना का 11वीं योजना से कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य विकास अनुदान योजना के साथ विलय कर दिया गया है। 10वीं योजना के लिए वि.अ.आ. की वचनबद्धता के अनुसार वर्ष 2007–08 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों के लिए अंडरग्रेजुएट स्नातकोत्तर स्तर पर रेमेडियल कोचिंग के अंतर्गत 20.94 लाख रुपये की धनराशि और सेवाओं में प्रवेश हेतु प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 4.40 लाख रुपये जारी किए गए थे।
- अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी स्थाई समिति अल्पसंख्यकों के लिए जारी योजना का नियमित रूप से अनुवीक्षण और समीक्षा कर रही है। अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी उपसमिति की प्रो. जे.के.ए. तरीन, आयोग सदस्य की अध्यक्षता में 10.9.2007 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। समिति ने 11वीं योजना के दिशानिर्देशों में उपघटक शामिल करने की सिफारिश की।
- उच्च शिक्षा प्रणाली में अशक्त व्यक्तियों की उपेक्षा न करने तथा विशेष शिक्षण और उपबोधकों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने के उद्देश्य से तथा भिन्न रूप से योग्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2007–08 के दौरान टी.ई.पी.एस.ई. तथा एच.ई.पी.एस.एन. योजनाओं के अंतर्गत 27.64 लाख रुपये के कुल अनुदान की पुनर्अदायगी की गई थी।
- “महिला अध्ययन को बढ़ावा” योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को महिला अध्ययन केन्द्र तथा सैल स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है। इन केन्द्रों के लिए अनुसंधान करना, पाठ्यचर्चा का विकास करना और प्रशिक्षण आयोजित करना, स्त्री-पुरुष समानता के क्षेत्रों में विस्तार कार्य करना, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, लड़कियों की शिक्षा, सामाजिक और जनसंख्या मुद्दों आदि के संबंध में कार्य करना आवश्यक है। अब तक 67 महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की गई है। वर्ष 2007–08 के दौरान इन केन्द्रों को रु.5.12 करोड़ की कुल अनुदान सहायता प्रदान की गई है।
- महिलाओं के स्तर को बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आयोग कॉलेजों में महिलाओं के लिए छात्रावासों तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण हेतु शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। यह सहायता महिला पंजीकरण की संख्या तथा महानगर अथवा गैर महानगर में कॉलेज के स्थान के आधार पर 60.00 लाख रुपये से 200.00 करोड़ रुपये हो सकती है। वर्ष 2007–08 के दौरान वि.अ.आ. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 990 कॉलेजों को 187.05 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी गई।

8 महत्व और मूल्य आधारित शिक्षा

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो स्नातक व्यवसायोन्मुख पाठ्यक्रमों को पूरा करके निकलते हैं उनके पास अर्जक को रोजगार के लिए कौशल और रुझान है ताकि मास्टर डिग्री के लिए उच्च शिक्षा की संस्थाओं पर दबाव कम हो। वि.अ.आ. संस्थाओं को पुस्तकों और जर्नलों, प्रयोगशाला तथा अन्य उपस्करों की खरीद तथा अतिथि संकाय आदि को पारिश्रमिक देने के लिए मानविकी एवं वाणिज्य के लिए रु.5.00 लाख और विज्ञान विषयों के लिए रु.7.00 लाख की सहायता पांच वर्षों के लिए एकबारगी मूल राशि के रूप में प्रदान कर रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान शैक्षिक वर्ष 2008–09 से 691 कॉलेज 4 समविश्वविद्यालय और 10 राज्य विश्वविद्यालयों को व्यवसायोन्मुख पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए चुना गया है। इसके लिए वर्ष 2007–08 के दौरान रु.36.99 करोड़ की अनुदान राशि विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को जारी की गई है।

- एक दिए गए क्षेत्र की समस्याओं तथा संस्कृति से संबंधित अध्ययन करने तथा अंतरविषयात्मक शोध और अध्यापन का विकास करने हेतु वि.अ.आ. समय-समय पर क्षेत्र अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों की पहचान करता है। वर्ष 2008 तक 45 क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की गई है। ऐसे देशों तथा क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया है जिनका भारत के साथ निकट और सीधा संपर्क रहा है। वर्ष 2007–08 के दौरान केन्द्रों को उनके कार्यकलापों हेतु 1.88 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई थी।
- ऐसे सामाजिक बहिष्कार के मुद्दे पर अनुसंधान को बल देने, जोकि सिद्धांतिक रूप से तथा नीतिगत रूप से महत्वपूर्ण है, के लिए वि.अ.आ. ने विश्वविद्यालयों में सामाजिक बहिष्कार तथा समावेशन नीति के अध्ययन हेतु केन्द्र नामक अध्यापन-अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन केन्द्रों की आवश्यकताओं तथा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 75 विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया और वर्ष 2007–08 के दौरान 22 को अनुमोदन देने की सिफारिश की और जिसे वि.अ.आ. द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। वर्तमान में वर्ष 2006–07 में अनुमोदित 13 केन्द्रों सहित 35 केन्द्र कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2007–08 के दौरान 75 विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे केन्द्रों के लिए 8.80 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी।
- अध्यापकों और छात्रों को भारत के सामाजिक विचारकों के विचारों की जानकारी देने के लिए वर्ष 2007–08 के दौरान 48 विश्वविद्यालय/कॉलेजों में स्थापित नए केन्द्रों सहित नई हस्तियों पर अब तक 191 अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु विश्वविद्यालयों की पहचान की गई है। वर्ष 2007–08 के दौरान उनके कार्यकलाप करने के लिए 10वीं योजना में स्थापित जारी केन्द्रों तथा वर्ष 2007–08 के दौरान स्थापित केन्द्र के लिए 4.30 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया था।
- प्रौढ़ अनुवर्ती शिक्षा विस्तार (ए.सी.ई.ई.) तथा क्षेत्र प्रसार (एफ.ओ.) के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों को साक्षरता, पश्चसाक्षरता, अनुवर्ती शिक्षा, विधिक साक्षरता, पर्यावरण शिक्षा आदि जैसे कार्यक्रम को आयोजित करने में संबंध किया गया है। जिसमें छात्र और शिक्षक भी संबंध है। वर्तमान में 86 केन्द्र इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहे हैं। वर्ष 2007–08 के दौरान प्रौढ़ एवं अनुवर्ती शिक्षा के केन्द्रों/विश्वविद्यालयों को 36.06 लाख रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया था।
- वि.अ.आ. — यू.एन.पी.ई.ए. परियोजना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय प्रणाली के युवकों तथा उनके माध्यम से समुदाय को इस योग्य बनाना है ताकि वे जीवन की गुणवत्ता, लिंग समानता, प्रजनन स्वास्थ्य, एड्स समाज तथा राष्ट्र पर जनसंख्या का प्रभाव आदि से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट रूप से समझ सके। चूंकि यू.एन.पी.ई.ए. ने अनुदान को रोक दिया है अतः वि.अ.आ. अपनी ओर से परियोजना को प्रौढ़, अनुवर्ती शिक्षा तथा विस्तार और क्षेत्र प्रसार केन्द्रों के जरिए जनसंख्या शिक्षा से संबंधित विस्तार गतिविधियों को चला रहा है। विश्वविद्यालयों में स्थापित जनसंख्या शिक्षा केन्द्रों को रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान रु.74.18 लाख की धनराशि जारी की गई।
- मानव अधिकारों और कर्तव्य शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शुरू करने तथा संगोष्ठियां, परिसंवाद तथा कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए वि.अ.आ. विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष 2007–08 के दौरान योग्य विश्वविद्यालयों/कॉलेजों से 45 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 30 प्रस्ताव (विश्वविद्यालय से 7 और कॉलेज से 23) विशेषज्ञ समिति को सिफारिशों पर आयोग द्वारा मंजूरी दे दी गई है। रिपोर्टधीन वर्ष के लिए रु. 1.00 करोड़ बजट आबंटन के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 98.20 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई थी।

9 सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को समेकित करना

- वि.अ.आ. विश्वविद्यालयों को अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में प्रयोग हेतु कंप्यूटर केन्द्रों की स्थापना करने, कंप्यूटरों का हर क्षेत्र, विषय में प्रयोग करने तथा परीक्षा/प्रशासन से संबंधित कार्य में प्रयोग करने के लिए नियमित रूप से सहायता देता है। वर्ष 2007–08 के दौरान 73.77 लाख रुपये का भुगतान विश्वविद्यालयों को जारी किया गया है।

- यू.जी.सी. — इंफोनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 149 विश्वविद्यालयों को 256 के.बी.पी.एस. से लेकर 2 एम.बी.पी.एस. तक की इंटरनेट बैंडविड्थ प्रदान की गई है। पूरे नेटवर्क की स्थापना तथा रखरखाव का कार्य ई.आर.एन.ई.टी. इंडिया द्वारा टर्न-की आधार पर किया जा रहा है। वर्ष 2007–08 के दौरान कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाले इंपिलबनेट को 16.13 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया था।
- पत्रिकाओं की कीमत में बढ़ोत्तरी, पत्रिकाओं की संख्या में वृद्धि तथा विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के पुस्तकालयों में धनराशि की कमी के कारण वि.अ.आ. यूजीसी-इंफोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता देता रहा है। यह कार्य वि.अ.आ. की ओर से इंपिलबनेट अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कंसोर्टियम विभिन्न विषयों में 23 प्रकाशकों तथा एग्रीगेटरों से 5,000 से अधिक कोर एवं गहन समीक्षा पत्रिकाओं तक वर्तमान तथा अभिलेखित पहुंच प्रदान करता है। वर्ष 2004 में शुरु हुए प्रथम चरण में यूजीसी-इंफोनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी कार्यक्रम के अंतर्गत इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले 50 विश्वविद्यालयों को ई-संसाधन प्रदान किए गए थे। दूसरे चरण में वर्ष 2005 में इस कार्यक्रम में 50 और विश्वविद्यालयों को जोड़ा गया था। अब तक वि.अ.आ. के क्षेत्राधिकार में आने वाले 171 विश्वविद्यालयों में से 120 को सब्सक्राइब्ड ई-संसाधन तक डिफ्रेन्शियल पहुंच प्रदान की गई है। ई-संसाधन लेने का लाभ कॉलेजों, शुरु में उत्कृष्टता की संभावना वाले कॉलेजों तथा स्वायत्त कॉलेजों को दिया जा रहा है। वर्ष 2007–08 के दौरान इंपिलबनेट के माध्यम से विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को 30.00 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया था।

10 प्रशासन तथा प्रभावशीलता सुधार

- विश्वविद्यालयों को उनके विकास हेतु समाज की भागीदारी/योगदान द्वारा संसाधन जुटाने के लिए प्रेरित करने के लिए वि.अ.आ. विश्वविद्यालयों द्वारा सृजित अथवा जुटाए गए संसाधनों का 25 प्रतिशत प्रदान करता रहा है जो कि 50 लाख रुपये प्रतिवर्ष की अधिकतम राशि पर निर्भर करता है। वर्ष 2007–08 के दौरान वि.अ.आ. के हिस्से के रूप में पात्र विश्वविद्यालयों को 75.04 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई थी।
- वि.अ.आ. ने सूचना एवं सेवा आपूर्ति में सुधार लाने, प्रबंधन को जिम्मेदार, पारदर्शी, कम भ्रष्ट तथा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा तथा वि.अ.आ. के कार्यालयों में ई-प्रशासन शुरु किया है।
- शैक्षिक प्रशासन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के व्यापक लक्ष्य से वि.अ.आ. विश्वविद्यालय/कॉलेजों के शैक्षिक प्रशासकों तथा वि.अ.आ. के अधिकारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण देता रहा है। वर्ष 2007–08 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर 2.25 लाख रुपये का व्यय किया गया था।

1 प्रस्तावना

1.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) की स्थापना 28 दिसम्बर, 1953 में हुई थी और 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा यह एक सांविधिक संगठन बन गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 में यह व्यवस्था की गई है कि आयोग संबंधित विश्वविद्यालयों के परामर्श से विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्धन और समन्वय के लिए तथा शिक्षण, परीक्षा एवं अनुसंधान के स्तरों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले सभी कदम उठाएगा। आयोग द्वारा लिए गए नीति निर्णय के अनुसार शिक्षण और अनुसंधान में शिक्षा के तीसरे आयाम के रूप में विस्तार को सम्मिलित किया गया। अपने कार्य निष्पादन से विश्वविद्यालय निम्नलिखित प्रयोजन पूरे कर सकता है।

- आयोग की निधि से अनुरक्षण एवं विकास के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान आबंटित और संवितरित करना।
- विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों पर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और उच्च शिक्षा संस्थाओं को सलाह देना।
- वि.अ.आ. अधिनियम के संगत नियम और विनियम बनाना, आदि।

वि.अ.आ. अधिनियम 1956 की धारा 18 के अनुसार आयोग प्रत्येक वर्ष निर्दिष्ट किए गए तरीके तथा रूप में पिछले वर्ष के दौरान किए गए अपने कार्यकलापों का सत्य और पूरा ब्यौरा देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा इसकी प्रतियां केन्द्र सरकार को भेजेगा और सरकार इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

संगठनात्मक ढाँचा

आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष तथा दस सदस्य (सचिव-शिक्षा, सचिव-व्यय तथा अन्य आठ सदस्य) हैं जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। इनमें से अध्यक्ष उसे चुना जाता है जो केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार का अधिकारी नहीं होता है। अन्य दस सदस्यों में दो का चयन केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से किया जाता है कम से कम चार सदस्यों का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाता है जो चयन के समय विश्वविद्यालयों के शिक्षक होंगे। शेष सदस्यों का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाता है जिन्हें (1) कृषि, वाणिज्य, वानिकी या उद्योग का ज्ञान अथवा अनुभव प्राप्त है या (2) इंजीनियरी विधिक, चिकित्सा अथवा किसी अन्य विद्वत् व्यवसाय के सदस्य हैं या (3) विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं या जो विश्वविद्यालयों के शिक्षक न होते हुए भी केन्द्रीय सरकार की राय में विख्यात शिक्षाविद् माने जाते हैं या जो उच्च अकादमिक विशेष योग्यता प्राप्त हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अधिशासी प्रमुख सचिव होता है वह आयोग के सचिवालय का प्रधान होता है जिसके कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2007-08 के दौरान इस प्रकार है :-

	स्वीकृत संख्या	कार्यकारी (स्वीकृत संख्या का प्रतिशत)	कुल कार्यकारी संख्या में से		
			महिलाएं (प्रतिशत)	अ.जा. (प्रतिशत)	अ.ज.जा. (प्रतिशत)
वर्ग "क"	114	71 (62.28)	19 (26.76)	13 (18.32)	04 (5.63)
वर्ग "ख"	142	118 (83.09)	44 (37.39)	17 (14.41)	04 (3.39)
वर्ग "ग"	476	292 (61.34)	99 (33.90)	71 (24.31)	22 (7.53)
वर्ग "घ"	93	66 (70.97)	9 (13.64)	36 (54.54)	7 (10.61)
कैटीन	19	16 (84.21)	02 (12.50)	02 (12.50)	कुछ नहीं
कुल	844	563 (66.71)	173 (30.73)	139 (24.69)	37 (6.57)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 844 में से 563 तथा 66.71 प्रतिशत कर्मचारी काम कर रहे हैं। काम कर रहे 563 कर्मचारियों में से 173 (30.73 प्रतिशत) महिलाएँ, 139 (24.69 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 37 (6.57 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी हैं।

कार्यक्रमों के निर्माण मूल्यांकन एवं प्रत्यायन में वि.अ.आ. विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं एवं अन्य संस्थाओं के विषय विशेषज्ञों से सहायता लेता है।

क्षेत्रीय कार्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कॉलेज क्षेत्रक से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा सुगम पहुंच के लिए हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलताता, गुवाहाटी और बंगलौर में अपने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हुए हैं। उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय जो कि मूल रूप से गाजियाबाद में स्थापित किया गया था, वि.अ.आ. कार्यालय 35, फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली से उत्तर क्षेत्रीय कॉलेज ब्यूरो (एन.आर.सी.बी.) के रूप में चलाया जा रहा है।

1.2 11वीं योजना के बारे में

उच्च शिक्षा लोगों को आगे बढ़ाने और देश की उन्नति सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा एक मुख्य साधन है। उच्च शिक्षा प्रणाली को योजना सहायता द्वारा सहायता दी जा रही है। 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता, शैक्षिक सुधारों को समाहित करने तथा इसके महत्व वाली उच्च शिक्षा में पंजीकरण को बढ़ावा देना है। अतः बढ़ी हुई संस्थागत समता, उच्च शिक्षा तक कम पहुंच वाले समूहों तक समान पहुंच के माध्यम के संपूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने, अच्छी शिक्षा को बढ़ावा देने संबंध शिक्षा को बढ़ावा देने, शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुधार करने आदि के माध्यम से उच्च शिक्षा तक पहुंच के विस्तार पर अधिक बल दिया जाएगा।

11वीं योजना में सकल पंजीकरण अनुपात (जी.ई.आर.) के लक्ष्य को 2006 में 10 प्रतिशत से 2012 में 15 प्रतिशत तक निर्धारित किया गया है। 5 प्रतिशत की कुल बढ़ोत्तरी को दोहरी रणनीति के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इस दोहरी रणनीति में शैक्षिक संस्थानों की संख्या बढ़ाना तथा विद्यमान संस्थानों की प्रवेश क्षमता को बढ़ाना शामिल है। 11वीं योजना नीतियों तथा रणनीतियों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञ समितियों द्वारा कार्य योजनाओं को मंजूरी दी गई है। वि.अ.आ. ने इसके द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की 11वीं योजना में आवश्यकताओं को आंकलन तथा 10वीं योजना में निष्पादन की समीक्षा करने के लिए वि.अ.आ. 11वीं योजना विश्वविद्यालय का दौरा करने संबंधी समितियों का भी गठन किया है। विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के मार्ग निर्देशों को जारी तथा नई योजना/कार्यक्रमों दोनों के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है।

1.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कार्यरत विशेष सैल

(क) अनाचार सैल

देश में जाली विश्वविद्यालयों की बढ़ती हुई संख्या और खतरे से निपटने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 30 मई, 1996 को जाली विश्वविद्यालय सैल की स्थापना की थी जिसका बाद में नाम बदलकर अनाचार सैल कर दिया गया। इस सैल के निम्नलिखित कार्य हैं :-

- प्रिंट मीडिया तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से सूचना एकत्र करना और जाली विश्वविद्यालयों के सभी मामलों/घटनाओं की जानकारी आयोग को देना।
- भारत सरकार/राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित करना तथा ऐसे उपाय करना जो जाली विश्वविद्यालयों की बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिए आवश्यक हों।
- विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को वि.अ.आ. द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों के दुरुपयोग के संबंध में की गई शिकायतों पर विचार करना।

आयोग प्रत्येक शैक्षिक सत्र के शुरु में राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति भी जारी करता है जिसमें प्रत्याशी छात्रों, अभिभावकों तथा सर्वसाधारण को यह सलाह दी जाती है कि वे ऐसे स्वयंभू विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम ग्रहण न करें जो देश के विभिन्न भागों में अप्राधिकृत रूप से काम कर रहे हैं/रही है।

इसके अतिरिक्त, वि.अ.आ. सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों और सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को लिखता रहा है कि वे अपने-अपने राज्यों में जाली विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के बारे में व्यापक प्रचार करें ताकि ऐसे स्वयंभू विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा छात्रों को धोखा न दिया जा सके क्योंकि ऐसे विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा दिए जा रही डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र शैक्षिक तथा रोजगार के प्रयोजनों हेतु वैध नहीं हैं। साथ ही वि.अ.आ. वेबसाइट www.ugc.ac.in के माध्यम से प्रचार कर रहा है। आयोग ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर रहा है।

संसदीय स्थाई समिति की सिफारिशों पर वि.अ.आ. ने वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 में संशोधन का प्रस्ताव किया है जिसमें जुर्माने की राशि एक हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये से लेकर 1,000 से 1.00 लाख रुपये से लेकर 10.00 लाख रुपये तक करने और 6 महीने से लेकर तीन वर्ष तक के कारावास की व्यवस्था है। यह प्रस्ताव भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली के विचाराधीन है।

31 मार्च, 2008 को जाली विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की सूची नीचे दी गई है :-

बिहार

- 1 मैथिली यूनिवर्सिटी/विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार

दिल्ली

- 2 वारणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.), जगतपुरी, दिल्ली
- 3 कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज, नई दिल्ली
- 4 यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, दिल्ली
- 5 वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली
- 6 एडीआ-सेंट्रिक जूरीडिकल यूनिवर्सिटी, एडीआर हाउस, 8 जे, गोपाल टावर, 25 राजेन्द्र पैलेस, नई दिल्ली-110008
- 7 भारतीय विज्ञान और इंजीनियरी संस्थान, नई दिल्ली

कर्नाटक

- 8 बदगानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसायटी, गोकक, बेलगाम (कर्नाटक)

केरल

- 9 सेंट जॉस यूनिवर्सिटी, शिनांट्टम, केरल

मध्य प्रदेश

- 10 केसवानी विद्यापीठ, जबलपुर (म.प्र.)

महाराष्ट्र

11. राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर

तमिलनाडु

12. डी.डी.बी. संस्कृत विश्वविद्यालय, पुतूर, त्रिची

उत्तर प्रदेश

13. महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय (महिला विश्वविद्यालय) प्रयाग, इलाहाबाद

14. इंडियन एजुकेशन काउंसिल ऑफ यू.पी., लखनऊ

15. गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद

16. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो काम्पलैक्स होमियोपैथी, कानपुर

17. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी) अचलताल, अलीगढ़

18. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसी कलां, मथुरा

19. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़

20. इन्द्रप्रस्थ शिक्षा परिषद् इंस्टिट्यूशनल एरिया, खोडा, मखनपुर, नोएडा फेस-१। (उ.प्र.)

नोट : भारतीय शिक्षा परिषद्, लखनऊ द्वारा बी.एड/एम.एड आदि जैसी डिग्रियों को मान्यता देने तथा परिषद् की मान्यता से संबंधित मामला अभी भी न्यायाधीन है।

वि.अ.आ. ने गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश का वि.अ.आ. की जाली विश्वविद्यालय की सूची से नाम हटाने संबंधी अनुरोध पर विचार किया और उस पर अपनी सहमति दी बशर्ते उसे 6 महीने के अंदर उप-पंजीयक, कॉर्पोरेटिव सोसायटी, चिट-फंड, विकासदीप, तृतीय तल, स्टेशन रोड़, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड में शामिल नाम परिवर्तन की एक प्रति उसे भेजी जाए।

(ख) सतर्कता सैल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भ्रष्टाचार की रोकथाम प्रभावी ढंग से करने के लिए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार एक सतर्कता सैल स्थापित किया है सतर्कता सैल की प्रमुख यूजीसी के अपने सचिव के ओहदे का एक अधिकारी होता है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने डॉ. गुणाशेखरन, संयुक्त सचिव, वि.अ.आ. जोकि इस समय यूजीसी के निदेशक (प्रशा.) हैं को मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में नियुक्त किया है। मुख्य सतर्कता अधिकारी की मुख्य जिम्मेदारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में भ्रष्टाचार की रोकथाम करना तथा भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाना है। इसके अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी निम्नलिखित कार्य भी सुनिश्चित करता है :-

- संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों पर उचित निगरानी रखना।
- निम्नलिखित से संबंधित निष्ठा विषयक आचरण नियमों का तुरंत पालन (i) परिसंपत्तियों और अर्जनों का विवरण (ii) उपहार, (iii) प्राइवेट फर्मों में नौकरी कर रहे या प्राइवेट व्यवसाय कर रहे संबंधी लोग, (iv) बेनामी संव्यवहार।
- संवेदनशील स्थानों का पता लगाना, ऐसे स्थानों का नियमित एवं सहसा निरीक्षण और संवेदनशील पदों पर नियुक्त किए गए कार्मिकों की उचित छानबीन करना।

- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान आबंटन तथा संवितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता लाने के लिए रोकथाम-संबंधी उपाय शुरू करना।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशानुसार वि.अ.आ. ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 12.11.2007 से 16.11.2007 तक सतर्कता जानकारी सप्ताह मनाया जिसमें शपथ ली गई और बैनर और इशतहार लगाए तथा पत्र-पत्रिकाएँ आदि वितरित की गई।

वर्ष 2007-08 के दौरान सतर्कता सैल को सी.वी.सी., मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विभिन्न विश्वविद्यालयों/कॉलेजों से 18 शिकायतें प्राप्त हुई। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशानुसार कुछ मामलों में जांच समिति गठित की गई है और समिति की रिपोर्ट को सी.वी.सी./मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी भेजी गई है। विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों से प्राप्त शिकायतों को आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु वि.अ.आ. के संबंध ब्यूरो को भेजा दिया गया है।

(ग) कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न सैल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने के लिए “कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न” नाम से सैल की स्थापना वर्ष 2000 में की है जिसकी प्रमुख एक महिला संयुक्त सचिव डॉ. (श्रीमती) रेणु बत्रा है।

वर्ष 2007-08 के दौरान वि.अ.आ. की किसी भी महिला कर्मचारी से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) विधिक सैल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने न्यायालयों में मुकदमों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वर्ष 1989 में एक विधिक सैल की स्थापना की। विधिक सैल का मुख्य कार्य मुकदमा दायर करने अथवा उसमें बचाव करने हेतु कार्यरत वकीलों तथा संबद्ध ब्यूरो के बीच मुकदमों का समन्वय करना है। अनुरोध किए जाने पर विधिक सैल विधिक सलाहकार को कार्य सौंप कर विभिन्न नीतिगत मामलों पर विधिक मत प्रदान भी करता है।

विधिक सैल निचली अदालतों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, उच्च न्यायालयों तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर मुकदमों पर ध्यान देता है। कोर्ट नोटिस मिलने पर वि.अ.आ. विधिक परामर्शदाता के विधिक परामर्श लेकर संबद्ध अनुभाग से पैरा-कर टिप्पणी लेता है, फिर मामला (वि.अ.आ.) के पैनल के वकील को सौंपा जाता है, वकील द्वारा तैयार काउंटर ऐफीडेविट को प्रमाणित किया जाता है और संबंध ब्यूरो द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है और नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद न्यायालय में दायर किया जाता है। मुकदमों के निपटारे तक, वकील के साथ समस्त पत्र-व्यवहार विधिक सैल द्वारा किया जाता है। जब मुकदमा निपट जाता है तो निर्णय की प्रति संबंधित ब्यूरो को न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश, यदि कोई हो, पर कार्रवाई करने के लिए भेज दी जाती है।

अधिकांश मामले मुख्यतः विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों के शिक्षण और शिक्षणोत्तर स्टाफ के वेतनमानों, अहर्ताओं, सेवानिवृत्ति आयु, चयन, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिलों, सामान्य प्रवेश परीक्षा, विभिन्न संस्थानों/जाली विश्वविद्यालयों की स्थापना आदि से संबंधित होता है। कुछ मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्टाफ से संबंधित प्रशासनिक मामले होते हैं।

1999 से 2008 (31.3.2008) तक रिकॉर्डों के अनुसार मामलों की कुल संख्या 3093 है।

वर्षवार मामलों की संख्या और वकीलों पर व्यय की गई फीस का विवरण निम्न प्रकार है :-

मामलों की संख्या (वर्ष)	प्राप्त मामलों की संख्या	वकीलों के बिल पर किया गया व्यय (रु. लाख में)
1999	289	1.32
2000	369	7.34
2001	365	1.86
2002	337	4.86
2003	357	27.73
2004	247	15.67
2005	306	30.05
2006	409	34.02
2007 (31.3.2008 तक)	414	34.50

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान मुकद्दमों का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

● आंध्र प्रदेश	46
● असम	05
● बिहार	01
● छत्तीसगढ़	04
● दिल्ली	50
● गुजरात	18
● हिमाचल प्रदेश	03
● जम्मू और कश्मीर	04
● झारखण्ड	03
● केरल	37
● कर्नाटक	05
● महाराष्ट्र	67
● उड़ीसा	02
● पंजाब और हरियाणा	16
● राजस्थान	13
● मध्य प्रदेश	18
● तमिलनाडू	86
● त्रिपुरा	03
● उत्तर प्रदेश	21
● उत्तरांचल	01
● पश्चिम बंगाल	11
कुल	414

(ड.) डेस्क ; संसद मामले

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का डेस्क—संसद, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त हुए संसद प्रश्नों के उत्तरों को तैयार करने, परीक्षण करने और उनका समन्वय करने का कार्य करता है। लोक सभा तथा राज्या सभा के माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न सामान्यतः शिक्षा के निम्नलिखित मामलों से संबंधित होते हैं :

- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्च शिक्षा के विकास से संबंधित वि.अ.आ. के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन।
- शिक्षकों से जुड़े मुद्दे जैसे नियुक्ति की न्यूनतम योग्यताएँ उनकी सेवा-शर्तें, व्यवसाय संवर्धन आदि।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को दिए गए विकास/अनुरक्षण अनुदान और उनका उपयोग।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के लिए संस्थाओं/विश्वविद्यालयों और उनकी पात्रता शर्तें। एन.ए.ए.सी. द्वारा कॉलेजों और विश्वविद्यालय का प्रत्यायन। सभी प्रकार के विश्वविद्यालय और कॉलेजों का विनियमन।
- नेक द्वारा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का प्रत्यायन, प्रत्येक प्रकार के नियम विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के लिए।
- स्वायत्त कॉलेज एवं कॉलेज उत्कृष्ट क्षमता वाले।
- वि.अ.आ. अधिनियम के अंतर्गत सम विश्वविद्यालयों की स्थापना।
- जाली विश्वविद्यालय/संस्थान।
- निजीकरण एवं विदेशी विश्वविद्यालय का आगमन
- उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, भिन्न प्रकार से योग्य व्यक्तियों एवं अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण आदेशों कार्यान्वयन।
- अन्य पिछड़ी जातियों को सुविधाएं, विभिन्न सामाजिक समुदायों एवं अल्पसंख्यक तक पहुंच।
- विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त शिक्षा/विदेशी विश्वविद्यालयों/देशों के साथ सांस्कृतिक विनियमन कार्यक्रम/अकादमिक सहयोग।
- देश और विदेश में लेक्चररशिप/कनिष्ठ अनुसंधान अध्येयतावृत्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित की जा रही नेट परीक्षाएँ।
- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का नेटवर्किंग।
- शिक्षा में गुणवत्ता।
- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आधारभूत संरचना का विकास।
- नियमित एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित नये पाठ्यक्रमों को मान्यता देना, पाठ्यचर्या और पाठ्यचर्या विकास के कार्यक्रमों में संशोधन।
- छात्रों और शिक्षकों को अनुसंधान अध्येयतावृत्तियाँ, आदि।
- पी.एच.डी./एम.फिल. कार्यक्रम/नेट कार्यक्रम के साथ।
- उच्च शिक्षा आंकड़े आदि।

वर्ष 2003-04 से वर्ष 2007-08 (1.4.2007 से 31.3.2008 तक) की अवधि के दौरान प्राप्त दिए गए संसद प्रश्नों की संख्या नीचे दी जा रही है।

वर्ष	प्राप्त संसद प्रश्नों की कुल संख्या	कुल प्रश्नों में तारांकित	आश्वासनों की संख्या
2003-04	246	20	28
2004-05	295	23	28
2005-06	491	54	26
2006-07	430	44	12
2007-08	455	37	08

(च) सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ए.) सैल

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदकों को कार्यालय में आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर जानकारी देनी होती है। कई मामलों में जहाँ व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता का प्रश्न होता है यह जानकारी 48 घंटों में प्रदान करनी होती है। चूंकि वि.अ.आ. देश में उच्च शिक्षा से संबंधित मामलों की देखरेख करने वाला एक विधिक निकाय है। इसे बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं। पूर्व में पूरे कार्यालय के लिए केवल एक ही जनसूचना अधिकारी था जो विभिन्न ब्यूरो से संबंधित सभी योजनाओं से संबंध जानकारी/दस्तावेज प्रदान करने के लिए जिम्मेदार था और किसी ब्यूरो द्वारा किए गए विलंब के लिए जिम्मेदार होता था। चूंकि विभिन्न योजनाओं की जानकारी संबंध ब्यूरो के पास होती है यह निर्णय लिया गया था कि सभी ब्यूरो प्रमुखों/क्षेत्रीय कार्यालयों की अध्यक्षों को आवेदकों को उचित तथा समय पर उत्तर प्रदान करने के लिए जनसूचना अधिकारी बनाया जाए। तथापि एक ब्यूरो हैड को आवेदकों से आर.टी.आई. आवेदन प्राप्त करने तथा केन्द्रीय सूचना आयोग से नोटिस/निर्णय प्राप्त करने और सभी आवेदनों और उनके उत्तरों का रिकॉर्ड रखने के लिए केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) बनाया गया है। सचिव, वि.अ.आ. को आर.टी.आई. अपीलों के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी बनाया गया है।

वर्ष 2007-08 के दौरान वि.अ.आ. को 2360 आवेदन/अपील प्राप्त हुई और लगभग 90 प्रतिशत आवेदनों के उत्तर निर्धारित समय सीमा में दे दिए गए थे। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय सूचना आयोग से विलंब से/अपूर्ण उत्तर देने के लिए अपीलों पर 28 निर्णय प्राप्त हुए तथा केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्देशानुसार आवेदकों को अपेक्षित जानकारी दे दी गई थी।

(छ) आंतरिक लेखापरीक्षा सैल

वि.अ.आ. में आयोग के लेखाओं के बेहतर अनुरक्षण और पाददर्शित पर नजर रखने के लिए महानिदेशक, लेखापरीक्षा और राजस्व की सिफारिश पर मई, 1995 में आंतरिक लेखा-परीक्षा सैल की स्थापना की गई। तब से यह सैल उप-निदेशक के नेतृत्व में कार्य कर रहा है, यह सैल वि.अ.आ. के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और विश्वविद्यालय तंत्र के अंतर्गत वि.अ.आ. द्वारा स्थापित सभी समविश्वविद्यालय केन्द्रों की लेखा-परीक्षा करता है। इसके अलावा, विभिन्न वित्तीय मामलों और यूजीसी के विभिन्न प्रशासनिक मामलों के बारे में परामर्श भी आंतरिक लेखा-परीक्षा सैल से लिया जाता है। सैल को पेंशन अदायगी मामलों की पूर्वलेखा-परीक्षा का कार्य, सामान्य भविष्य निधि/संचयी भविष्य निधि की अंतिम अदायगी के मामले, वेतन निर्धारण, संविदा दस्तावेज और समय-समय पर सौंपे गए अन्य मामले और लेखों का लेखा-परीक्षा कार्य, सहायता

अनुदान रजिस्ट्रों और संस्वीकृतियों की परीक्षण-सांविधिक लेखा-परीक्षा में की गई आपत्तियों का संतुलन/समाधान और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के पैराओं के उत्तरों के बारे में विभिन्न संबंधित निकायों से समन्वय का कार्य सौंपा गया है। लेखाओं की जांच और विश्वविद्यालयों तथा अन्य लाभार्थी संस्थानों को जारी निधियों के उपयोग का सत्यापन कार्य भी इस सैल को सौंपा गया है।

(अ) वेतनमान सैल

वेतनमान सैल की स्थापना 1984 में की गई थी। इस सैल को समय-समय पर गठित की गई वेतन समीक्षा समितियों के कार्य का समन्वय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह सैल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों के वेतनमानों तथा सेवा शर्तों से संबंधित मामलों में शिक्षकों के राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ भी अन्योन्यक्रिया करता है। वर्ष 2007–08 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और उन्हें विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को सूचित कर दिया गया है।

1. सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाना

आयोग ने दिनांक 30 मार्च, 2007 की पत्र संख्या एफ.3-1/94(पी.एस.)(सं.-9) तथा 4.4.2007 के पत्र से उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा में केन्द्र द्वारा वित्तपोषित संस्थानों में शिक्षण पदों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को 62 से 65 वर्ष करने संबंधी निर्णय को अनुपालन हेतु सभी केन्द्रीय/समविश्वविद्यालय और सूचना हेतु राज्य विश्वविद्यालयों को परिचालित किया था।

2. अगले तीन वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों के लिए रिक्रेशर पाठ्यक्रम में भाग लेने से छूट

आयोग ने 30.11.2007 को हुई अपनी बैठक में अगले तीन वर्षों में से सेवानिवृत्त हो रहे अध्यापकों/असिस्टेंट/कॉलेज लाइब्रेरियन/शारीरिक शिक्षा के सहायक निदेशक/कैरियर पदोन्नति योजना के अंतर्गत नियुक्ति/पदोन्नति के लिए शारीरिक शिक्षा के कॉलेज निदेशकों को रिक्रेशर पाठ्यक्रम में भाग लेने के मुद्दे पर विचार किया और इस बात को मंजूरी दी की उन्हें रिक्रेशर पाठ्यक्रम में भाग लेने से छूट दी जा सकती है।

आयोग द्वारा उक्त निर्णय को दिनांक 9.1.2008 के अपने पत्र संख्या एफ.2-16/2002(पी.एस.) के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों/वि.अ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों में परिचालित किया गया था।

3. विभिन्न विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में लेक्चरर के पद पर नियुक्ति हेतु नेट से छूट :

आयोग ने 2 जुलाई, 2007 और 21 तथा 22 जनवरी, 2008 को हुई अपनी बैठकों में विभिन्न विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में लेक्चरर के पद पर नियुक्ति के लिए नेट से छूट के लिए प्राप्त प्रस्तावों से संबंधित ऐगजम्पशन समिति की सिफारिशों को अनुमोदित किया। इस अवधि के दौरान समय-समय पर ऐगजम्पशन समिति द्वारा निर्धारित आधार पर नेट से छूट लेने वाले अध्यापकों की संख्या 2373 थी।

4. सेवानिवृत्त अध्यापकों के पूर्वनियोजन हेतु मॉडल दिशा निर्देश

आयोग ने 21 तथा 22 जनवरी, 2008 को ही अपनी बैठक में सेवानिवृत्त अध्यापकों के पुनर्नियोजन हेतु दिशानिर्देशों का अनुमोदन किया। इसमें यह संशोधन किया कि सेवानिवृत्त अध्यापकों का पुनर्नियोजन केवल उन नियमित संस्वीकृत पदों के बदले ही किया जा सकता है जिन्हें भरा न जा सका हो और यह सुपर नियूमेरेरी पदों के बदले नहीं किया जा सकता। इन दिशानिर्देशों को आयोग द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2008 के अपने पत्र संख्या एफ.3-1/94 (पी.एस.) (पी.टी.फाईल) द्वारा विश्वविद्यालयों/वि.अ.आ. राज्य सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों को परिचालित किया गया था।

5 सहायक लाइब्रेरियन/कॉलेज लाइब्रेरियन/शारीरिक शिक्षा के सहायक निदेशक/शारीरिक शिक्षा के कॉलेज निदेशक के लिए कैरियर पदोन्नति योजना (सी.ए.एस.)

आयोग ने दिनांक 19.10.2006 के परिपत्र के अनुसरण में दिनांक 12 फरवरी, 2008 के अपने पत्र संख्या एफ. 3-1/94 (पी.एस.) के माध्यम से समविश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों तथा संघशासित प्रदेशों सहित सभी विश्वविद्यालयों को यह सूचित किया कि सहायक निदेशक/शारीरिक शिक्षा के कॉलेज निदेशक के लिए कैरियर पदोन्नति हेतु 3 से 4 सप्ताह की अवधि वाले दो रिक्रेशर पाठ्यक्रम/ग्रीष्मकालीन संस्थानों में भाग लेना अनिवार्य अहर्ता होगा।

6. कॉलेज लाइब्रेरियन तथा प्रलेखन अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु एम.फिल. तथा पी.एचडी. डिग्री धारकों को 'नेट' से छूट

आयोग ने दिनांक 22 सितंबर, 2006 के अपने पत्र के अनुसरण में दिनांक 14 मार्च, 2008 के अपने पत्र संख्या एफ.7-1/2004(पी.एस.) के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों एवं संघशासित प्रदेशों को यह सूचित किया कि चूंकि सहायक विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन, कॉलेज लाइब्रेरियन, प्रलेखन अधिकारी की नियुक्ति के लिए एम.फिल. तथा पी.एचडी. डिग्री प्राप्त करने वाले को नेट से छूट भी लागू होगी।

(i) वि.अ.आ. का अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. सैल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में शिक्षण तथा गैर शिक्षण पदों में अ.ज.जा. तथा अ.पि. व. के लिए आरक्षण नीति प्रभावी कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने के लिए अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. सैल नामक एक सैल की स्थापना की है। आयोग ने वर्ष 2006 के दौरान विश्वविद्यालयों संभावित समविश्वविद्यालयों, कॉलेजों तथा अन्य सहायता अनुदान वाले संस्थानों में सरकार के आरक्षण नीति के कड़े कार्यान्वयन हेतु नये दिशा निर्देश बनाए हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में कार्यरत इन समुदायों के उम्मीदवारों की शिकायतों पर सैल द्वारा तत्परता से ध्यान दिया जा रहा है। विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख के प्रयोजन से वि.अ.आ. द्वारा एक अ. जा/अ.ज.जा./अ.पि.व. संबंधी स्थाई समिति का गठन किया गया है। इस समिति का प्रतिनिधित्व शिक्षा विशेषज्ञों तथा भूतपूर्व कुलपतियों तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। स्थाई समिति तथा उपस्थाई समिति की समय-समय पर बैठक हो सकती है और इसमें विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में आरक्षण तथा पिछली शेष बची रिक्तियों की स्थिति का अनुवीक्षण किया जा सकता है।

1.4 प्रकाशन

वि.अ.आ. की स्थापना से प्रकाशन ब्यूरो विभिन्न प्रकार के प्रकाशन विशेष रूप से वि.अ.आ. की वार्षिक रिपोर्ट, उच्चतर शिक्षा क्षेत्रक में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश, वि.अ.आ. अधिनियम, वि.अ.आ. सम्मेलनों के बारे में रिपोर्टें, वि.अ.आ. न्यूज लैटर्स, समिति की रिपोर्टें/सांख्यिकीय रिपोर्टें/फार्म और अन्य सरकार लेखन-सामग्री मर्दें आदि प्रकाशित करता रहा है। यह प्रकाशित रिपोर्टें/दस्तावेजों को वितरित करके उच्चतर शिक्षा में कार्यरत अथवा जुड़े हुए लोगों की आवश्यकताओं को भी पूरा कर रहा है।

वर्ष 2007-08 के लिए आबंटित रु.10.00 लाख की राशि में से रु.8.52 लाख प्रकाशनों और अन्य सरकारी लेखन-सामग्री मर्दों के प्रकाशन पर व्यय हुए।

वर्ष 2007-08 को मिलाकर 10वीं योजना के दौरान बजट आबंटन, व्यय और प्रकाशनों की संख्या और मुद्रित अन्य मदों की स्थिति नीचे दी गई है :-

क्र.सं. वर्ष	मुद्रित प्रकाशनों और अन्य मदों की कुल संख्या	बजट आबंटन (रु. लाख में)	व्यय (रु. लाख में)
1. 2002-03	45	15.00	11.47
2. 2003-04	67	15.00	12.41
3. 2004-05	51	17.50(15+2.50)	17.38
4. 2005-06	29	15.00	8.49
5. 2006-07	24	10.00	4.63
6. 2007-08	21	10.00	8.52
कुल जोड़	237	82.50	62.90

1.5 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त

आयोग के मुख्य कार्यों में अगले वित्त वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियां तथा व्यय दर्शाते हुए बजट तैयार करना और उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। आयोग की "आयोग की निधि" नामक अपनी एक निधि है। केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग को प्रदान की जाने वाली समस्त राशि आयोग की समस्त प्राप्तियां इस निधि में अंतरित की जाएंगी और आयोग द्वारा की जाने वाली सभी अदायगियां इसी निधि से की जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुसार आयोग को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपनी निधि से विश्वविद्यालयों, कॉलेजों तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं को आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से अनुरक्षण (योजनेतर) तथा विकास (योजनागत) अनुदानों के रूप में निधियां आबंटित एवं संवितरित कर सकता है ताकि उच्च शिक्षा क्षेत्र के स्तरों को बनाए रखा जा सके और उनमें सुधार किया जा सके। वर्ष 2007-08 का बजट विवरण सारणी 1.1 में दिया गया है।

तालिका 1.1 : वर्ष 2007-08 का बजट

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	बजट शीर्ष	योजनागत विकास		योजनेतर नियतन	
		ब. अनु.	सं. अनु.	ब. अनु.	सं. अनु.
1.	सामान्य	2374.00	1805.10	1638.75	1948.87
	जोड़	2374.00	1805.10	1638.75	1948.87

वर्ष 2007-08 के दौरान केन्द्रीय सरकार से प्राप्त योजनागत तथा योजनेतर अनुदानों और विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को जारी किए गए अनुदानों का ब्यौरा सारणी 1.2, 1.3 और 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.2 : वर्ष 2007-08 के दौरान जारी किए गए योजनागत अनुदान

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	बजट शीर्ष	प्राप्त योजनागत अनुदान	प्राप्त योजनेतर अनुदान
1.	सामान्य	1805.10	1948.87
	जोड़	1805.10	1948.87

तालिका 1.3 : वर्ष 2007-08 के दौरान जारी किए गए योजनागत अनुदान

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	संस्थाओं के प्रकार	योजनागत अनुदान	कुल योजनागत अनुदान का प्रतिशत
1.	राज्य विश्वविद्यालय	572.18	30.35
2.	राज्य विश्वविद्यालयों के कॉलेज	483.86	25.67
3.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	623.86	33.10
4.	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र	119.68	6.35
5.	संभावित समविश्वविद्यालय संस्थाएं.	55.75	2.96
6.	विविध	0.68	0.04
7.	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कॉलेज	27.27	1.44
8.	स्थापना	1.67	0.08
	जोड़ (योजनागत)	1884.95	100.00

तालिका 1.4 : वर्ष 2007-08 के दौरान जारी किए गए योजनेतर अनुदान

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	संस्थाओं के प्रकार	योजनेतर अनुदान	कुल योजनेतर अनुदान का प्रतिशत
1.	निम्नलिखित को अनुरक्षण (क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय तथा बी.एच.यू. के कॉलेज (ग) समविश्वविद्यालय संस्थाएं	1311.95 386.41 83.65	69.17 20.37 4.41
2.	शिक्षक एवार्ड, अनुसंधान अध्येतावशक्तियां, छात्रवशक्तियां आदि	51.47	2.71
3.	अंतर्विश्वविद्यालय संस्थाएं/केन्द्र	28.50	1.50
4.	राज्य विश्वविद्यालय	—	—
5.	राज्य विश्वविद्यालयों के लिए विशिष्ट अनुदान	4.38	0.23
6.	विश्वविद्यालयेतर संस्थाएं	10.71	0.56
7.	वि.अ.आ. का स्थापना व्यय	19.67	1.04
	जोड़ (योजनेतर)	1896.74	100.00

1.6 केन्द्रीय तथा समविश्वविद्यालयों के लिए कैंडर समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश से वि.अ.आ. ने एक संयुक्त कैंडर समीक्षा समिति का गठन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पात्रित समविश्वविद्यालयों एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों में गैर शिक्षकों के लिए एक समान स्टाफ पैटर्न के लिए किया। जे.सी.आर.सी. का उद्देश्य एक संपूर्ण विस्तृत सेवा शर्तों के ढांचे को गैर शिक्षक स्टाफ (ग्रुप अ, ब, स एवं द) के लिए तैयार करना है। इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुमोदन पर, विश्वविद्यालयों को अपने नियम/अध्यादेश/समझौता ज्ञापन/उपनियम आदि द्वारा स्थापित संशोधन करने का आग्रह किया जाएगा ताकि सेवा शर्तों का सम्मिलित किया जा सके।

संयुक्त कैंडर समीक्षा समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में इन संस्थानों में विश्वविद्यालय की पद्धति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कई पदों के पदनाम और वेतनमान के औचित्य हेतु सिफारिशें करने, जहां संभव हो अनावश्यक पद को पहचानने और गैर शिक्षक कर्मचारियों (ए.बी.सी. एवं डी.) के वेतनमानों में विद्यमान विसंगतियों/कमियों का समाधान करने के लिए 24 सामान्य कैंडर संरचनाएँ विकसित की हैं। भावी कार्यवाही के रूप में जे.सी.आर.सी. द्वारा विकसित किए अनुसार इन सामान्य कैंडर संरचनाओं की महत्वपूर्ण जांच करने तथा पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए कैंडर भर्ती नियम कार्य की प्रकृति, कैंडर में पदोन्नति के रास्तों जैसी विस्तृत सेवा शर्तों को बनाने के लिए विशेषज्ञों के उप समूहों का गठन किया गया है। उप-समूहों द्वारा इस प्रकार तैयार रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के लिए जे.सी.आर.सी. के पास विचाराधीन है।

पुस्तकालय सेवा संबंधी जे.सी.आर.सी. द्वारा अंतिम रूप दी गई रिपोर्ट आयोग के समक्ष रखी गई थी। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया और यह निष्कर्ष लिया कि इसे विचार हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा जा सकता है। 15 और कैंडरों के संबंध में उप-समूहों द्वारा अंतिम रूप दी गई रिपोर्ट जे.सी.आर.सी. के अधीन विचाराधीन है।

5.0 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नई पहल :

- “ऑपरेशन संकाय रिचार्ज” – विश्वविद्यालयों से शोध एवं शिक्षण संसाधन के विकास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पहल

प्रयोजन

इसका उद्देश्य नये प्रतिभाशाली लोगों को विश्वविद्यालयों के विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जोड़कर शोध के उच्चस्तर को सशक्त करना है ताकि अंतराष्ट्रीय प्रतियोगात्मक स्तरों का शैक्षिक स्वरूप कुछ चयनित विभागों/केन्द्रों में नवीनता लाई जा सके। शामिल होने वाले लोगों का चयन एक राष्ट्रीय प्रतियोगात्मक तरीके से की जाएगी ताकि **लेक्चरार, रीडर प्रोफेसर के पदों पर आसीन किया जा सके। इसकी पहचान को कारगर रखने के लिये प्रत्येक चयनित संकायों के आगे वि.अ.आ. का प्रीफिक्स लगेगा।** यह सुनिश्चित करना होगा ये व्यक्तिगण अद्भुत सृजनकर्ता, उत्साह एवं शोध एवं शिक्षण के प्रति समर्पित होना चाहिए। यह हमारी आवश्यकता है जो वैज्ञानिक शोध कार्य में विलम्ब नहीं होने देगा क्योंकि वर्तमान वर्षों में हमारे विश्वविद्यालयों में काफी गिरावट को दर्शाता है। महत्वपूर्ण रूप से अधिकतर विश्वविद्यालयों ने अधिक लम्बे समय तक संकायों की भर्ती नहीं हो सकी है और इसी कारण से शोधकर्ताओं को एक अधिक पीढ़ी खो जाने के भय से ग्रसित है। संकायों में पदों की कमी के कारण एवं किराये पर संकायों का उपलब्ध करवाना एक महत्वपूर्ण कारण है इस गंभीर समस्या का। अतः संकाय रिचार्ज की पहल एक कारगर प्रणाली देकर विश्वविद्यालयों को एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है जिसमें विज्ञान संबंधित संकायों के संसाधनों को उन्नतिकर इसको प्रोत्साहवर्धक किया जा सके।

- **उद्यम वृत्ति तथा ज्ञान आधारित उद्यम का संवर्धन:** उच्च शिक्षा संस्थाओं को उद्यमवृत्ति तथा ज्ञान आधारित उद्यम का संवर्धन करने के लिये पहल करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इस संदर्भ में, वि.अ.आ. ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.ए.एस.टी.), भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास

बोर्ड (एन.एस.टी.ई.डी.बी.) के साथ साझेदारी में देश में उद्यमवृत्ति, प्रौद्योगिकी, वाणिज्यीकरण, प्रौद्योगिकी व्यवसाय विकास और ज्ञान संसाधन पार्कों के संवर्धन का कार्य शुरू किया है।

इस पहल के एक भाग के रूप में, विश्वविद्यालय अनुदान उद्यमवृत्ति कौशल वाले छात्रों के बीच जागरुकता उत्पन्न करेगा और क्षमता का निर्माण करेगा तथा व्यवस्थित संस्थागत समर्थन के माध्यम से अग्र और पश्च अनुबंधन प्रदान करके उनकी, आकांक्षाओं को वास्तविक उद्यमों में परिवर्तित करेगा। यह हब तथा स्पोक मॉडल के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें विद्यमान उद्यमवृत्ति विकास सैल (ई.डी.सी.) और उद्यमवृत्ति से संबंधित अन्य संस्थाएँ सारे देश में विश्वविद्यालयों/कॉलेजों की कुछ नेटवर्क संस्थाओं से जुड़ी होगी। इसके अधीन अन्य गतिविधियाँ – सामग्री विकास अधिगम, संकाय प्रशिक्षण तथा विकास, उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में पाठ्यचर्या में स्थान प्रदान करना, उद्यमवृत्ति पर ध्यान रखते हुए जागरुकता कैंपों आदि के आयोजन करने की होगी। इस उपागम के जरिए पर्याप्त संख्या में संस्थाओं को सम्मिलित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डी.एस.टी. को त्वरित आधार पर ई.डी.सी. स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) के क्षेत्र में छात्रों को प्रशिक्षण तथा व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के घटक के साथ ईसीसी का नया मॉडल, नासकॉम के साथ साझेदारी और डीएसटी के साथ संयुक्त रूप से समर्पित, विकसित किया जाएगा। यह डीएसटी को उच्च शिक्षा संस्थाओं में नए प्रौद्योगिकी व्यवसाय विकास केन्द्रों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति पार्कों (स्टेटस) को भी स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा। ई-कंटेन्ट विकास के क्षेत्र में विशाल व्यवसाय अवसरों को देखते हुए इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले निजी साझेदारी के साथ कंटेन्ट विकास उद्योग केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। उच्च अधिगम की संस्थाओं के माध्यम से उद्यमवृत्ति का संवर्धन करना ही एक ऐसा उपाय है जिससे पहले से तंग जॉब मार्केट पर दबाव को कम किया जा सकता है और इस देश में बड़ी जनसंख्या के लिए नए अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं।

1.8 वर्ष की मुख्य घटनाएं

● वर्ष 2007–2008 के लिए योजनागत बजट

11वीं योजना परिव्यय, जैसा की मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सूचना दी गई है, 46,449 करोड़ रुपये है। इसमें से मंत्रालय ने योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 2007.08 में 2374 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की है। परन्तु संशोधित अनुमान स्तर पर कम करके इसे 1805.10 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें केन्द्रिय विश्वविद्यालयों के लिए 584.60 करोड़ रुपये, सम-विश्वविद्यालयों के लिए 40.50 करोड़ रुपये तथा राज्य विश्वविद्यालयों के लिए 416.00 करोड़ रुपये शामिल हैं।

● उच्च शिक्षा के विकास पर कुलपतियों का राष्ट्रीय सम्मेलन

मुम्बई विश्वविद्यालय, जाधवपुर विश्वविद्यालय, जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा जामिया मिलिया इस्लामिया में चार क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने के बाद वि.अ.आ. द्वारा नई दिल्ली में 10–11 अक्टूबर 2007 को एक दो दिवसीय “उच्च शिक्षा के विकास पर कुलपतियों के राष्ट्रीय सम्मेलन” का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह द्वारा किया गया और इसमें लगभग 250 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर छः तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया:

- (i) पहुंच तथा विस्तार
- (ii) समानता एवं समावेशन
- (iii) गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता
- (iv) उच्च शिक्षा में निजी भागीदारी और अंतरराष्ट्रीयकरण
- (v) शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुधार
- (vi) वित्तपोषण और वित्तीय क्रियाविधि

इस सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

- इस बात पर सहमति थी कि विस्तार, समावेशन तथा उत्कृष्टता के तीनों उद्देश्य एक दूसरे के आंतरिक और सहायक हैं तथा समान समस्या को तीन आयामों में देखना चाहिए और इनसे जुड़े मुद्दों को एक दूसरे के संदर्भ में एक साथ निपटाना होगा।
- इस बात पर सहमति हुई थी कि उच्च शिक्षा तक पहुंच को 11वीं योजना के अंत तक 20–25 प्रतिशत तक और जी ई आर के लक्ष्य के 15 प्रतिशत तक बढ़ाना होगा। नए संस्थानों की स्थापना तथा विद्यमान संस्थानों की प्रवेश क्षमता को बढ़ाने की दोहरी रणनीति पर भी सहमति व्यक्त की गई।
- कॉलेजों की संख्या को प्रति विश्वविद्यालय कम करके मान्यता प्रणाली का वर्गीकरण, मान्यता को और प्रभावी बनाना, आधारभूत तथा बेहतर कॉलेजों को स्वायत्तता देना तथा विश्वविद्यालय में ही अन्डरग्रेजुएट परीक्षा बोर्ड की स्थापना।
- उच्च शिक्षा में सरकारी निवेश को और अधिक बढ़ाना होगा। सम्मेलन ने उच्च शिक्षा के समावेशित बनाने के लिए व.अ.आ. द्वारा अपनाया दृष्टिकोण तथा रणनीतियों को स्वीकार किया जिसका कारण है कि संस्थानों में तथा प्रवेश क्षमता में अधिक विस्तार से आवश्यक रूप से उच्च शिक्षा समावेशित नहीं बनेगी।
- बेहतर सुसज्जित तथा अधिकार प्राप्त विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित कम अधिकार प्राप्त संस्थानों के साथ नेटवर्क बनाने की आवश्यकता है और इस प्रकार ग्रामीण, पिछड़े तथा वंचित संस्थानों को सर्वोत्तम प्रतिभा और प्रौद्योगिकी प्रदान करने का अवसर दें।
- उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के संबंध में अवसंरचना, व्यवहारिक सुविधाएं तथा मानव संसाधन विशेष रूप से अध्यापकों पर अधिक बल दिया जाएगा।
- शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुधार के मुद्दे पर, सम्मेलन पाठ्यचर्या, परीक्षा तथा मूल्यांकन पद्धति, सेमेस्टर तथा सहमत सर्वोत्तम पाठ्यक्रम, छात्रों की अंतर संस्थागत क्रियाविधि के अद्यतनीकरण पर क्षेत्रीय सम्मेलनों की सिफारिशों से सहमत है।
- जिम्मेदारी सहित स्वायत्तता मार्गनिर्देशक सिद्धान्त होना चाहिए। विनिमायक प्राधिकरणों की बहुलकता विश्वविद्यालय स्वायत्तता के लिए एक चिंता का विषय बन गया है।
- प्रशासन तथा निर्णय लेने के प्रक्रिया के मुद्दे पर सम्मेलन निर्णय लेने वाले निकाय का आकार और संरचना, विकेन्द्रीकरण, विभागों की स्वायत्तता, विश्वविद्यालयों में नेतृत्व आदि में परिवर्तन पर सहमत है।
- शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के संबंध में भाग लेने वाले क्षेत्रीय सम्मेलन की सिफारिशों से सहमत थे और उन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए संगत विनिमायक प्रणाली का सुझाव दिया।
- उच्च शैक्षिक संस्थानों में रैंगिंग को रोकना/इससे निपटना
- **शैक्षिक संस्थानों में रैंगिंग के संबंध में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

पूरे देश के शैक्षिक संस्थानों के छात्रों पर रैंगिंग के बुरे प्रभाव पर बल देते हुए विश्व जागृति मिशन द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर मामले की 16.7.1999 को हुई सुनवाई में विद्वान जजों ने यह निदेश दिया कि यह उचित होगा कि इस मामले में वि.अ.आ. अधिक सक्रिय रूप अपनाए और शिक्षा संस्थानों में रैंगिंग को संकट के संबंध में दिशा निर्देश बनाए।

तदनुसार वि.अ.आ. ने इस मामले में दिशा-निर्देश बनाने के लिए समिति का गठन किया। इस समिति की रिपोर्ट की कड़े अनुपालन हेतु जनवरी 2000 में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को परिचालित किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के शिक्षा संस्थानों में रैंगिंग की रोकथाम करने के लिए बैठकों पर सुझाव देने के लिए सी.बी.आई. के भूतपूर्व निदेशक डॉ. आर.के. राघवन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने भारत के उच्चतम न्यायालय को अपने रिपोर्ट 7.5.2007 को भेज दी है। रिपोर्ट भेजे जाने के बाद उच्चतम न्यायालय ने सभी शैक्षिक संस्थानों में इस समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए विभिन्न संबंध अधिकारियों को निदेश दिया है। तदनुसार वि.अ.आ. ने सभी विश्वविद्यालयों से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है।

विश्वविद्यालयों में रैंगिंग के मुद्दे का अनुविक्षण करने के लिए आयोग ने 21 मई, 2008 को हुई अपनी बैठक में कतिपय पदों के साथ एक अलग सैल स्थापित करने का निर्णय लिया है। नवगठित सैल उच्च शिक्षा संस्थानों में रैंगिंग से संबंधित जानकारी लेने तथा नियमों एवं विनियमों के अनुसार अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार होगा।

● वेतन समीक्षा समिति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 3 सितम्बर 2007 के अपने पत्र के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली के परामर्श से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अध्यापकों के लिए एक वेतन समीक्षा समिति का गठन किया। इस समिति का कार्यकाल 5.9.2007 से एक वर्ष तक का होगा। इसके अतिरिक्त समिति की संरचना इस प्रकार है:

1.	प्रो. जी. के. चट्टा सदस्य, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार अधिवक्ता कमरा नं. 249, विज्ञान भवन शोध मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली-110001	अध्यक्ष
2.	प्रो. अतुल शर्मा (भूतपूर्व कुलपति, राजीव गाँधी विश्वविद्यालय) (भूतपूर्व सलाहकार, वित्त आयोग) 52, कला विहार मयूर विहार फेस-1 ऐस्सर्टेसन नई दिल्ली	सदस्य
3.	प्रो. जी. पद्मानाभन भूतपूर्व निदेशक भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलौर	सदस्य
4.	श्री सुदीप बैनर्जी पी. आर. सी. तथा चांसलर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय 17-बी, श्री ओरबिंदो मार्ग एन.सी.ई.आर.टी. कैम्पस नई दिल्ली-110016	सदस्य

5. प्रो. मनीमाला दास सदस्य
सदस्य, वेतन समीक्षा समिति
अध्यक्ष, बेथुने कॉलेज
181, बिदान सरानी
कोलकाता-700006
6. श्री बी.एस. थपलियाल सदस्य
भूतपूर्व अपर लेखा नियंत्रक
बी-13, सैक्टर-26
नोएडा-201301 (उ.प्र.)

समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

- (क) विश्वविद्यालयों में कॉलेज अध्यापकों, लाइब्रेरियन, शारीरिक शिक्षा, कार्मिक तथा अन्य अकादमिक स्टाफ और विश्वविद्यालय के लिए अनुमोदित वेतनमानों के संशोधन की योजना के अंतर्गत सरकार/वि.अ.आ. के पिछले निर्णय के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और इस प्रक्रिया में इस बात का मूल्यांकन करना कि योग्यताओं, सेवाशर्तों तथा वेतनमान आदि के संबंध में पहने की सिफारिशों का कहाँ तक कार्यान्वयन किया गया है।
- (ख) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अध्यापकों, लाइब्रेरियन, शारीरिक शिक्षा, कार्मिक तथा अन्य अकादमिक स्टाफ के विद्यमान भत्तों तथा सेवा शर्तों की जाँच करना और न्यूनतम योग्यता, कैरियर पदोन्नति के अवसर एवं उन्हें उपलब्ध कुल लाभों (जैसे – सेवानिवृत्ति लाभ, चिकित्सा, आवास सुविधाएं आदि) को ध्यान में रखते हुए संरचना में संशोधन का सुझाव करना।
- (ग) अध्यापन व्यवसाय में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने और बनाये रखने के तरीकों एवं माध्यमों और विश्वविद्यालय पद्धति में अनुसंधान आदि को आगे बढ़ाने के लिए तथा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अध्यापन एवं समकक्ष पदों में कैरियर पदोन्नति पर सिफारिशें देना।
- (घ) पिछली वेतन समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर वेतनमानों का संशोधन होने पर किसी श्रेणी के अकादमिक स्टाफ के लिए कैरियर पदोन्नति अवसर तथा / अथवा वेतन संरचना के मामले में, यदि कोई हो, विसंगतियों के मामलों पर ध्यान देना और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना।

● आयोग के निर्णय, अनुमोदन और संकल्प

- राष्ट्रीय आंकलन और प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.) अथवा राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड (एन.बी.ए.) द्वारा विद्यमान संभावित सम-विश्वविद्यालय संस्थानों को एक वर्ष के अन्दर संभावित सम-विश्वविद्यालय का दर्जा देने के संबंध में अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय से सहमति। ऐसा ना करने पर वि.अ.आ. अधिनियम 1956 की धारा 12 (डी) के साथ धारा 14 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।
- 10वीं योजना की धनराशि तथा विभिन्न घटकों के उपयोग हेतु 31-3-2007 के बाद अतिरिक्त समय का विस्तार/को मंजूरी देने का निर्णय और निम्नानुसार निर्णय लिया गया।
 - (i) उन भवन परियोजनाओं को 1-4-2007 से 21-3-2009 तक दो वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है जिनके लिए अनुदान को 31-3-2007 को या उससे पहले अनुमति ली गई है। इस संबंध में निर्णय विश्वविद्यालयों / सम-विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्रों तथा मास मीडिया केन्द्रों के लिए लागू करना।
 - (ii) संकाय पद के अतिरिक्त पहले से जारी अन्य अनुदानों का 30-9-2007 तक उपयोग किया जा सकता है।

- (iii) 10वीं योजना के संकाय पदों को भरने के लिए समय आगे नहीं बढ़ाया जायेगा।
- (iv) वे योजनाएं जिन्हें 11वीं योजना में जारी रखने का निर्णय लिया गया है, 11वीं योजना के दिशा निदेशों के बनाये जाने तक पुराने दिशा निदेशों के अनुसार चलेगीं।
- (v) वर्ष 2007-08 के लिए बजट अनुमान को मंजूरी मिलने तक योजनाएं 2006-07 के बजट अनुमान के स्तर पर कार्य करेंगी।

- यह संकल्प लिया गया है कि एन.ए.ए.सी. द्वारा कम से कम बी श्रेणी पर प्रत्यापित अथवा एन.बी.ए. द्वारा प्रत्यापित संस्थानों को ही सम-विश्वविद्यालय का अनुदान देने के लिए विचार किया जायेगा। तथापि यह उन मामलों के लिए लागू नहीं होगा जहाँ विशेषज्ञ समितियों ने पहले ही संस्थानों का दौरा कर लिया है अथवा चिकित्सा, डेंटल, नर्सिंग, फिजियोथैरेपी आदि जैसे क्षेत्रों में जहाँ कोई प्रत्यापन प्रणाली नहीं है, जहाँ संबद्ध परिषद् का अनुमोदन पर्याप्त होगा।
- नेट परीक्षा के अंक प्रकट करने पर सहमति जैसा कि केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा आदेश दिया गया है।
- यह निर्णय लिया गया कि अनुदान की स्थिति, उसके प्रयोजन, उसकी मंजूरी की तारीख सहित अनुदान जारी करने की वास्तविक तिथि, जिस तिथि को धनराशि संस्थानों को हस्तांतरित/भेजी गई थी, उसके उपयोग की स्थिति से संबंधित जानकारी वि.अ.आ. वेबसाइट पर डाली जा सकती है और इसी तरह विश्वविद्यालय, कॉलेज तथा आई.यू.सी. आदि को अपने संस्थान से संबंधित ऐसी जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालेंगे। इस प्रयोजन के लिए अध्यक्ष एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। इसी तरह वित्त अधिकारी संबंध संस्थानों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में काम कर सकता है।
- वि.अ.आ. अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत संभावित सम-विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए आवेदन करने वाले संस्थानों के प्रत्यापन से संबंधित मामले पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि (क) बी ग्रेड के साथ एन.ए.ए.सी. प्रत्यापन संभावित सम-विश्वविद्यालय का दर्जा लेने के इच्छुक सामान्य संस्थानों के लिए योग्यता का एक अनिवार्य मानदण्ड बना रहेगा। (ख) इंजीनियरी और प्रबंधन संस्थानों के संबंध में एन.ए.ए.सी. अथवा एन.बी.ए. द्वारा कुल योग्य पाठ्यक्रमों के कम से कम 15 प्रतिशत से बी अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ प्रत्यापन। (ग) एन.ए.ए.सी. को इर संस्थानों का मूल्यांकन करने के लिए अन्य सांविधिक निकायों नामतः एम.सी.आई., डी.सी.आई., आई.एन.सी., पी.सी.आई., एन.सी.टी.ई. आदि के साथ समझौता ज्ञापन करना चाहिए। (घ) डी-नोवा श्रेणी के अंतर्गत (क), (ख) तथा (ग) के अंतर्गत संभावित विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए आवेदन करने वाले संस्थानों के संबंध में एन.ए.ए.सी. अथवा एन.बी.ए. द्वारा प्रत्यापन की शर्त लागू नहीं होगी।
- सशक्त समिति की सिफारिशों की जाँच की और इस प्रकार अनुमोदन दिया (1) "डॉ डी.एस. कोठारी पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप" नामक वि.अ.आ. की योजना को कार्यान्वित करने के लिए पुणे विश्वविद्यालय को नोडल विश्वविद्यालय नामित करना; (2) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए पुणे विश्वविद्यालय में एक राष्ट्रीय समन्वयक की नियुक्ति और (3) प्रथम वर्ष परियोजना को लागू करने के लिए 47.20 लाख रुपये की धनराशि।
- राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेट) में बोडो भाषा शुरू करने से संबंधित मुद्दे पर विचार किया और मंजूरी दी थी। बोडो भाषा को नेट परीक्षा में शामिल किया जा सकता है। यह भी निर्णय लिया गया था कि भारतीय भाषाओं की आठवी अनुसूची में शामिल और नेट परीक्षा में प्रयोग की गई अन्य भारतीय भाषाओं के नामों से संबंधित जानकारी दी जाए।
- अगले तीन वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों/असिस्टेंट लाइब्रेरियन/कॉलेज लाइब्रेरियन/सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा/कॉलेज निदेशक, शारीरिक शिक्षा के कैरियर पदोन्नति योजना के अंतर्गत, नियुक्ति/पदोन्नति के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम में भाग लेने से छूट के मुद्दे पर निर्णय किया और मंजूरी दी कि जैसा कि पहले दिया गया है उन्हें रिफ्रेशर पाठ्यक्रम में भाग लेने से छूट दी जा सकती है।

- अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में रिफ्रेशर पाठ्यक्रम के लिए एन.सी.टी.ई. – वि.अ.आ. सहयोग के मुद्दे पर विचार किया और इस बात पर सहमति की गई कि एन.सी.टी.ई. अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए शैक्षिक स्टाफ कॉलेजों के साथ संयुक्त उद्यम द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला तीन सप्ताह की निर्धारित अवधि वाला एक रिफ्रेशर पाठ्यक्रम का अभिकल्पन कर सकता है।
- जे.आर.एफ./एस.आर.एफ./आर.ए. में सहमत संशोधन इस प्रकार है:

क्रम संख्या	योजना का नाम	जे.आर.एफ. के प्रति वर्ष स्लॉट	1.9.2006 की स्थिति के अनुसार वर्तमान दरे	1.4.2007 से अनुमोदित अध्यापक शिक्षा के संशोधित दर
क	विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में जे.आर.एफ.	1500	10,000—12,000 रु की दर से (जेआरएफ) (एसआरएफ)	12,000—14,000 रु की दर से
ख	इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी में जे.आर.एफ.	50	10,000—13,000 रु की दर से (जेआरएफ) (एसआरएफ)	14,000—15,000 रु की दर से
ग	विदेशी नागरिकों को जे.आर.एफ.	20	10,000—13,000 रु की दर से (जेआरएफ) (एसआरएफ)	12,000—14,000 रु की दर से
	विदेशी नागरिकों को आर.ए.	7	16,000 रु की दर से	कोई परिवर्तन नहीं

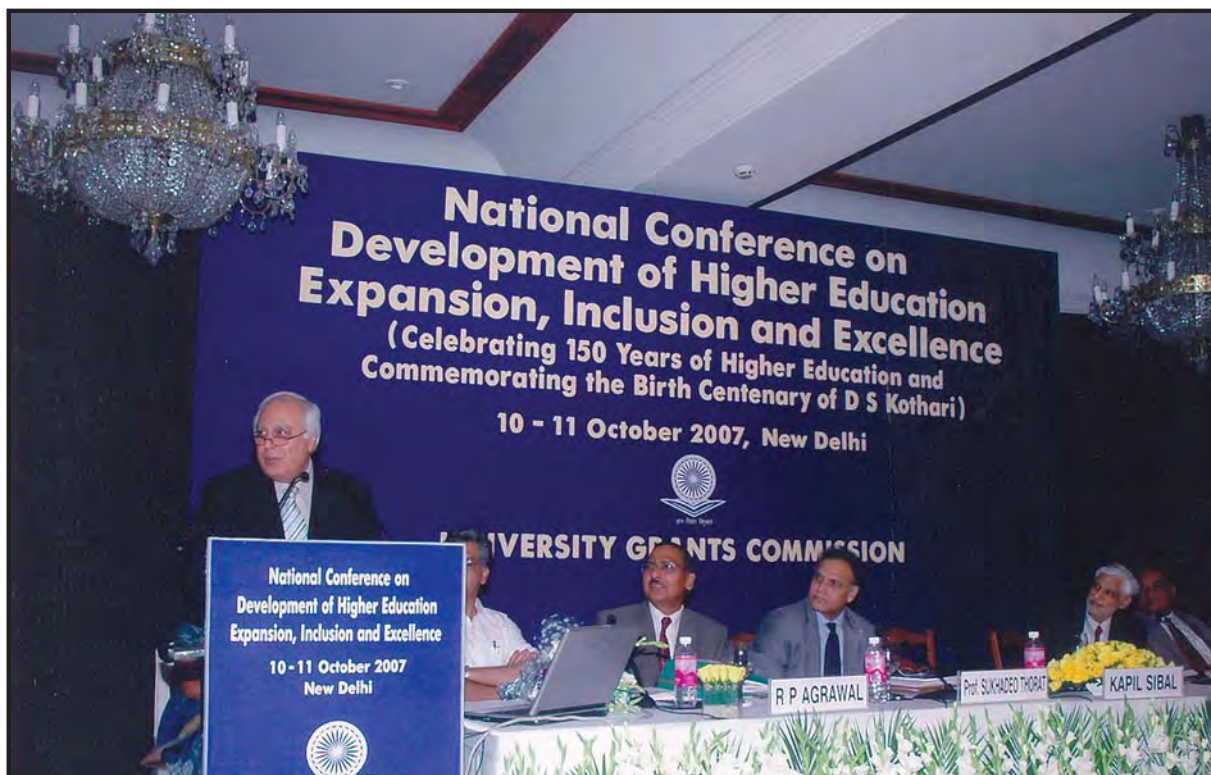
- यह निर्णय लिया गया कि एम.ई./एम.टेक./एम. फार्मा पाठ्यक्रमों के लिए "गेट" योग्यता वाले उम्मीदवार योजना की ए.आई.सी.टी.ई. योजना के साथ दोहरीकरण से बचने के लिए समीक्षा की जा सकती है।
- सेवानिवृत्त अध्यापकों के पुनर्नियोजन हेतु आदर्श दिशा निर्देशों को अनुमोदित किया जिसमें यह सुधार था कि सेवानिवृत्त अध्यापकों का पुनर्नियोजन केवल न भरे गए नियमित संस्वीकृत पदों के बदले ही किया जा सकता है और यह अधिसंख्य पदों के बदले नहीं किया जा सकता।
- वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12 (गगग) के अंतर्गत उच्च शिक्षा नीति में शोध हेतु एक अंतरविश्वविद्यालय केन्द्र की स्थापना को मंजूरी और यह निर्णय लिया गया कि यह प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा जाए। आयोग ने इस आई.यू.सी. के लिए समझौता ज्ञापन तथा उपनियम तैयार करने के लिए अध्यक्ष को प्राधिकृत किया।
- प्रत्यापन के मुद्दों की जांच की और यह निर्णय लिया कि एन.ए.ए.सी. की छः माह की अवधि में सभी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों (इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी, औषधियां, डेंटल, नर्सिंग, अध्यापक शिक्षा आदि) के लिए प्रत्यापन हेतु उपयुक्त प्रणाली का विकास करने का अनुरोध किया जाय। इसका विकास होने के उपरान्त या तो एन.ए.ए.सी. के प्रत्यापन अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद सहित सांविधिक परिषदों द्वारा विकसित प्रत्यापन प्रणाली को वि. अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत संभावित सम-विश्वविद्यालय का दर्जा लेने हेतु आवेदन करने वाले संस्थानों के संबंध में लागू किया जाए। एन.ए.ए.सी. द्वारा प्रत्यापन की ऐसी प्रणाली के विकास में विलम्ब होने पर विद्यमान प्रणाली जारी रहेगी।



10-11 अक्टूबर, 2007 को नई दिल्ली में, भारत में उच्च शिक्षा के 150 वर्षों पर आधारित प्रदर्शनी के उद्घाटन और उच्च शिक्षा के विकास पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर श्री आर.पी. अग्रवाल, शिक्षा सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय; प्रो. सुखदेव थोरात, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग; श्री अर्जुन सिंह, माननीय केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और डॉ. भालचन्द्र मुगेकर, सदस्य, योजना आयोग (बायें से दायें बैठे हुए)



17-18 सितम्बर, 2007 को राष्ट्रीय आंकलन और प्रत्ययन परिषद्, बंगलौर द्वारा आयोजित कार्यक्रम



श्री कपिल सिब्बल माननीय केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और भू विज्ञान मंत्री, 11 अक्टूबर, 2007 को नई दिल्ली में उच्च शिक्षा के विकास पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह पर बोलते हुए; श्री आर.पी. अग्रवाल, शिक्षा सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय; प्रो. सुखदेव थोरात, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग; प्रो. मूलचंद शर्मा, उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और डॉ. आर के चौहान, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (बायें से दायें)



16-21 जुलाई, 2007 को अंतर्विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी केन्द्र, पुणे में नक्षत्र विज्ञान पर भारत-ब्राजील कार्यशाला के प्रतिभागी।

2 उच्च शिक्षा प्रणाली का विकास: कुछ आंकड़े

आयोग को वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 12 (एच) के अंतर्गत भारत तथा अन्य देशों में विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित ऐसे सभी मामलों पर जानकारी एकत्र करने का अधिकार है और धारा 12 (आई) के अंतर्गत यह विश्वविद्यालय को उस विश्वविद्यालय में शुरू की गई विभिन्न शिक्षण शाखाओं में विश्वविद्यालय अथवा अध्ययन की वित्तीय स्थिति से संबंधित अपेक्षित जानकारी, उस विश्वविद्यालय के ऐसी प्रत्येक शिक्षण शाखा के संबंध में शिक्षण तथा परीक्षा के मानकों से संबंधित नियमों एवं विनियमों के साथ भेजने को कह सकता है।

स्वतंत्रता के समय देश में केवल 20 विश्वविद्यालय तथा 500 कॉलेज थे और उच्च शिक्षा पद्धति में छात्रों तथा अध्यापकों की संख्या भी काफी कम थी। परन्तु स्वतंत्रता के बाद इन सभी की संख्याओं में काफी वृद्धि हुई है। अब यह एक दर्ज तथ्य है कि विश्वविद्यालयों की संख्या में 20 गुना तथा कॉलेजों के संख्या में 44 गुना बढ़ोत्तरी हुई है और उच्च शिक्षा की औपचारिक पद्धति में छात्रों का पंजीकरण 45 गुना बढ़ गया है।

2.1 संस्थाएं

नामांकन में इतनी भारी वृद्धि उच्च शिक्षा संस्थाओं, विशेषतः विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की संख्या में वृद्धि के बिना संभव नहीं थी। 10वीं योजना के अंत (31.3.2007) तक देश में 376 विश्वविद्यालय (20 केन्द्रीय, 229 राज्य, 109 सम विश्वविद्यालय आदि) और 20,760 कॉलेज थे। 11वीं योजना के प्रथम वर्ष (2007–08) के अंत तक विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 408 और कॉलेजों की संख्या 22,064 हो गई जिससे विश्वविद्यालयों की संख्या में 8.5 प्रतिशत और कॉलेजों की संख्या में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

तथापि, कॉलेजों की संख्या में बढ़ोतरी राज्यों के मामलों में है जैसा कि परिशिष्ट 7 में दर्शाया गया है। जहाँ तक राज्यों में विश्वविद्यालयों की संख्या का प्रश्न है 42 विश्वविद्यालयों के साथ महाराष्ट्र राज्य सूची में सबसे ऊपर है। उसके नीचे तमिलनाडु (41), उत्तर प्रदेश (36), आंध्र प्रदेश (30) आदि हैं और यह तालिका 2.2 में देखा जा सकता है कि राज्यों में विश्वविद्यालयों की स्थापना समान नहीं है।

तुलनात्मक दृष्टि से तथा 10वीं योजना के अंत के आंकड़ों की तुलना में महाराष्ट्र राज्य में 186 कॉलेजों के साथ सर्वाधिक वृद्धि हुई जिसके बाद आंध्र प्रदेश (180), तमिलनाडु (151), उत्तर प्रदेश (140), कर्नाटक (131) आदि आते हैं। यह भी देखा गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित कुछ राज्यों तथा कुछ संघ शासित क्षेत्रों में कॉलेजों की संख्या में वृद्धि लगभग न के बराबर है।

वर्ष 2007–08 के दौरान 1304 नये कॉलेजों की स्थापना की गई जिससे वर्ष 2006–07 में 20,760 कॉलेजों की तुलना में वर्ष 2007–08 में कॉलेजों की कुल संख्या 22,064 हो गई और इसमें 6.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

15 प्रतिशत के सकल पंजीकरण अनुपात में 11वीं योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नये विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को खोले जाने और विद्यमान प्रत्येक विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश की संख्या में भी बढ़ोतरी किए जाने की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 2007–08 के अंत में वि.अ.आ. अधिनियम 1956 की धारा 2 (च) के अधीन वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेजों की संख्या 6773 थी जबकि गत वर्ष यह संख्या 6352 थी। इन 6773 कॉलेजों में से 691 कॉलेज वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 12 (ख) के अधीन केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

विवरण निम्न प्रकार है:

स्थिति	धारा 2 (च) के अधीन कॉलेजों की संख्या	धारा 2 (च) और 12(ख) के अधीन कॉलेजों की संख्या	धारा 2 (ख) के अधीन कॉलेजों की संख्या जो केन्द्र की सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।
31.3.2007	6352	5661	691
31.3.2008	6773	5819	954

31.3.2008 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 (ख) के अधीन शामिल कॉलेजों की राज्य-वार संख्या निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कॉलेजों की संख्या		जोड़
		2 (च) और 12 (ख)	धारा 12 (ख) के अधीन सम्मिलित नहीं किए गए	
1.	आंध्र प्रदेश	408	33	442
2.	अरुणाचल प्रदेश	06		06
3.	असम	192	25	217
4.	बिहार	296	70	326
5.	छत्तीसगढ़	141	02	143
6.	गोवा	23	03	26
7.	गुजरात	358	16	374
8.	हरियाणा	145	02	141
9.	हिमाचल प्रदेश	48	01	48
10.	जम्मू एवं कश्मीर	46	52	98
11.	झारखंड	85	11	96
12.	कर्नाटक	508	71	579
13.	केरल	218	06	224
14.	मध्य प्रदेश	381	58	439
15.	महाराष्ट्र	800	93	893
16.	मणिपुर	47	07	54
17.	मेघालय	24	07	31
18.	मिजोरम	18	03	21
19.	नागालैंड	12	02	14
20.	उड़ीसा	317	47	364
21.	पंजाब	210	06	216
22.	राजस्थान	208	31	239
23.	सिक्किम	03	—	03
24.	तमिलनाडु	282	52	334
25.	त्रिपुरा	16	—	16
26.	उत्तर प्रदेश	493	384	877
27.	उत्तरांचल	41	04	45
28.	पश्चिम बंगाल	304	04	308
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	02	—	02
30.	चंडीगढ़	18	—	18
31.	दादर और नगर हवेली	—	—	—
32.	दमन एवं द्वीप	01	—	01
33.	दिल्ली	76	04	80
34.	लक्षद्वीप	—	—	—
35.	पांडिचेरी	11	—	11
	जोड़	5819	954	6773

वर्ष 2007-08 के दौरान 408 विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तरीय संस्थाएं थी, जिसमें 242 राज्य, 25 केन्द्रीय, 109 समविश्वविद्यालय, 33 राष्ट्रीय महत्व के संस्थाएं और 5 संस्थाएं राज्य विधान मंडल के अंतर्गत स्थापित शामिल हैं। 242 राज्य विश्वविद्यालयों में से 75 राज्य विश्वविद्यालय और राज्य विधान मंडल अधिनियम के माध्यम से स्थापित 5 में से 2 संस्थाएं वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा (ख) के अधीन केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं **(परिशिष्ट : 1 एवं 2)**। रिपोर्टाधीन वर्ष 2007-08 के दौरान निम्न 13 राज्य विश्वविद्यालय, 11 सम-विश्वविद्यालय, 5 केन्द्रीय विश्वविद्यालय और 20 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। धारा 2 (च) के अधीन वि.अ.आ. की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची में और 20 विश्वविद्यालय एवं 4 समविश्वविद्यालय, वि.अ.आ. की धारा 12 (ख) में जोड़े गए हैं।

वर्ष 2007-08 के दौरान वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 2(ड)के अंतर्गत जोड़े गए विश्वविद्यालय:

आंध्र प्रदेश

1. आदिकवि नन्नाया विश्वविद्यालय, जया कृष्णापुरम, राजामुन्द्री-533105।
2. नालगोंडा विश्वविद्यालय, नालगोंडा।
3. श्री वेंकटेश्वरा वैदिक विश्वविद्यालय, पूरंदारादास काम्पलैक्स, प्रकासम रोड, तिरुपति।
4. श्री वेंकटेश्वरा पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, प्रशासन कार्यालय, क्षेत्रीय लाइब्रेरी बिल्डिंग, तिरुपति-517502।
5. तेलंगाना विश्वविद्यालय, निजामाबाद।
6. योगी वेमाना विश्वविद्यालय, वामनपुरम, कड़पा-516002।

असम

7. कृष्णा कांत हांडिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, लास्ट गेट, दिसपुर, गोवाहाटी-781006।

गुजरात

8. कादी सर्वा विश्वविद्यालय, सर्वा विद्यालय कैम्पस, सैक्टर 15/23, गांधीनगर (प्राइवेट विश्वविद्यालय)।
9. पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, ऐट रायसेन, जिला गांधीनगर-382009 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)।

हरियाणा

10. भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत।

राजस्थान

11. जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जगतपुरा, जयपुर (प्राइवेट विश्वविद्यालय)।

सिक्किम

12. ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ इंटाग्रेटेड लर्निंग इन मनेजमेंट यूनिवर्सिटी, जोरथंग (प्राइवेट विश्वविद्यालय)।

उत्तर प्रदेश

13. डॉ. राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सैक्टर डी-1, एल.डी.-ए, कानपुर रोड स्कीम, लखनऊ।

वर्ष 2007–08 के दौरान वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 12 (ख) के अंतर्गत शामिल किए गए विश्वविद्यालय इस प्रकार हैं:

1. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर, राजस्थान।
2. रेवनशॉ यूनिवर्सिटी, कटक, उड़ीसा।
3. सिद्धू कान्हू मर्मू विश्वविद्यालय, दुमका, झारखंड।
4. द तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई, तमिलनाडु।

साथ ही वर्ष 2007–08 के दौरान वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित 11 संस्थानों को संभावित सम-विश्वविद्यालयों के रूप में अधिसूचित किया गया है:

आंध्र प्रदेश

1. गॉंधी प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान (जी.आई.टी.ए.एम.), गॉंधी नगर कैम्पस, रूसिकोन्डा, विशाखापत्तनम-530045।

हरियाणा

2. महाश्वरषि मार्कण्डेयश्वर एजुकेशन ट्रस्ट, 55, माडल टाऊन, अम्बाला सिटी-134003।

कर्नाटक

3. श्री देवराज उर्स उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी, तमका, कोलार।
4. बी.एल.डी.ई. विश्वविद्यालय, बीजापुर।
5. येनेपोया विश्वविद्यालय, मंगलौर।

पंजाब

6. संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (एस.एल.आई.ई.टी.), लोंगोवाल, जिला संगरूर, पंजाब।

उड़ीसा

7. शिक्षा "ओ" अनुसंधान, 224, धर्मविहार, खण्डागिरि, भुवनेश्वर-751030।

उत्तरांचल

8. एच.आई.एच.टी. विश्वविद्यालय, स्वामी राम नगर, जोली ग्रांट, पी.ओ. डोईवाला, देहरादून।

तमिलनाडु

9. समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, 5107, एल2, सेकन्ड एवेन्यू, प्रथम तल, अन्ना नगर, चेन्नई-600040।
10. पेरियार मनियमामई विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (पी.एम.आई.एस.टी.) पेरियार नगर, वल्लम, तंजावूर-613403।
11. पुनैया रामाजयम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (पी.आर.आई.एस.टी.), यगप्पा चावडी, तंजावूर-614904।

वर्ष 2007 के दौरान केन्द्रीय अधिनियम द्वारा निम्नलिखित पाँच केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं:

आंध्र प्रदेश

1. द इंगलिश एण्ड फारेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, उस्मानिया विश्वविद्यालय कैम्पस, हैदराबाद-500007।

अरुणाचल प्रदेश

2. राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, पी.ओ. डोएमुख, ईटानगर-791112।

मध्य प्रदेश

3. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, अमरकन्टक।

सिक्किम

4. सिक्किम विश्वविद्यालय, सिक्सथ माइल, समदुर, पी.ओ. ताडोंग-737102, गंगटोक।

त्रिपुरा

5. त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यनगर, त्रिपुरा-799130।

वर्ष 2007-08 के दौरान दो विश्वविद्यालयों नामतः राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर तथा सिद्धू कान्हु मर्मू विश्वविद्यालय, दुमका, झारखंड का नाम बदल कर क्रमशः जगतगुरु रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर तथा सिदो कान्हु मर्मू विश्वविद्यालय, दुमका कर दिया गया है।

31.3.2008 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों की प्रकार वार संख्या तालिका 2.1 में दी गई है।

तालिका 2.1: 31.3.2008 को विश्वविद्यालयों / विश्वविद्यालय स्तर संस्थाओं के प्रकार

क्र.सं.	संस्थाओं के प्रकार	धारा 2 (च) या धारा 3 के अंतर्गत संस्थाओं की संख्या	संस्थाओं की संख्या जो वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 12 (ख) के अधीन केन्द्रीय सहायता पाने के पात्र नहीं हैं।
1.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	25	—
2.	राज्य विश्वविद्यालय	242	75
3.	राज्य विधान मंडल की गई अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थाएं	5	2
4.	सम विश्वविद्यालय	103	—
5.	राष्ट्रीय महत्व के संस्थान	33	—
	जोड़	408	77
6.	कॉलेज	22,064	

टिप्पणी:

(क) 242 राज्य विश्वविद्यालय में से 75 विश्वविद्यालयों को वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12 (ख) के अधीन केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित नहीं किया गया है (परिशिष्ट 2)

(ख) राज्य विधानमंडल अधिनियम के अधीन स्थापित की गई पांच संस्थाओं में से दो संस्थाएं वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12 (ख) के अधीन केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। (परिशिष्ट 2)

वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 2 (ड) के अंतर्गत 31.3.2008 तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या तालिका 2.2 में दी गई है।

तालिका 2.2 वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या: 2007-08 (31 मार्च, 2008 तक)

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालय की संख्या						केन्द्रीय सहायता हेतु योग्य नहीं पाया गया
		जोड़	केन्द्रीय	राज्य	सम विश्व-विद्यालय	राष्ट्रीय महत्व	अन्य	
1.	आंध्र प्रदेश	30	3	20	4	1	2	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	1	—	1	—	—	—
3.	असम	8	2	4	—	2	—	1
4.	बिहार	17	—	13	2	1	1	3
5.	छत्तीसगढ़	9	—	8	—	1	—	3
6.	गोवा	1	—	1	—	—	—	—
7.	गुजरात	24	—	21	2	1	—	10
8.	हरियाणा	10	—	6	3	1	—	1
9.	हिमाचल प्रदेश	5	—	4	—	1	—	1
10.	जम्मू एवं कश्मीर	8	—	6	—	1	1	3
11.	झारखंड	7	—	4	2	1	—	—
12.	कर्नाटक	27	—	16	10	1	—	5
13.	केरल	10	—	7	1	2	—	—
14.	मध्य प्रदेश	18	1	14	2	1	—	3
15.	महाराष्ट्र	42	1	19	20	2	—	4
16.	मणिपुर	2	2	—	—	—	—	—
17.	मेघालय	1	1	—	—	—	—	—
18.	मिजोरम	1	1	—	—	—	—	—
19.	नागालैंड	1	1	—	—	—	—	—
20.	उड़ीसा	13	—	10	2	1	—	2
21.	पंजाब	12	—	8	2	2	—	4
22.	राजस्थान	22	—	14	7	1	—	7
23.	सिक्किम	3	1	2	—	—	—	1
24.	तमिलनाडु	41	—	17	21	3	—	5
25.	त्रिपुरा	4	1	2	—	1	—	1
26.	उत्तर प्रदेश	36	4	21	8	2	1	7
27.	उत्तरांचल	12	—	8	3	1	—	5
28.	पश्चिम बंगाल	20	1	15	1	3	—	3
29.	एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली	18	4	1	11	2	—	—
30.	चंडीगढ़	3	—	1	1	1	—	—
31.	पांडिचेरी	1	1	—	—	—	—	—
	जोड़	408	25	242	103	33	5	75

*अन्य: राज्य विधानमंडल अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संस्थान

2.2 छात्र नामांकन

शैक्षिक वर्ष 2007-08 के दौरान विश्वविद्यालयों, कॉलेजों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं सभी स्तरों पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में 123.77 लाख (अंतिम संख्या) छात्र नामांकित थे जबकि गत वर्ष 116.13 लाख छात्र नामांकित थे। इस प्रकार इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में छात्र नामांकन में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गत दो दशकों के दौरान समष्टि स्तर पर छात्रों के नामांकन की प्रवृत्ति **परिशिष्ट : 3** में दर्शायी गई है। 123.77 लाख छात्रों में से 50.25 लाख छात्राएं थी जो कुल संख्या का 40.60 प्रतिशत है। जबकि वर्ष 2007-08 के दौरान राज्यों में नामांकित कुल छात्रों तथा छात्राओं का तुलनात्मक रुझान **परिशिष्ट : 4** में दिया गया है। सटीक संख्या में राज्यों में छात्राओं का कुल नामांकन महाराष्ट्र राज्य में (7.04 लाख) सर्वाधिक था और उसके बाद उत्तर प्रदेश (5.95 लाख), तमिलनाडु (4.34 लाख), आंध्र प्रदेश (4.13 लाख) आदि का प्रतिशतता के हिसाब से केरल (61 प्रतिशत), सर्वाधिक थी और उसके बाद गोवा (56 प्रतिशत), पंजाब (52 प्रतिशत), आदि था जिससे इन राज्यों में उच्च शिक्षा में छात्राओं की प्रधानता का संकेत मिलता है और संघीय क्षेत्रों में अण्डमान एवं निकोबार (57 प्रतिशत), चंडीगढ़ (52 प्रतिशत), पांडिचेरी (51 प्रतिशत) प्रमुख हैं।

स्तरवार नामांकन

शैक्षिक वर्ष 2007-08 में नामांकन स्थिति से ज्ञात होता है कि उच्च शिक्षा प्रणाली में पूर्व स्नातक स्तर पर विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों में अधिसंख्य छात्रों का नामांकन होता है। कालेजों तथा विश्वविद्यालयों — दोनों में मिलाकर इस स्तर पर लगभग 89.15 प्रतिशत छात्र नामांकित होते हैं। मास्टर स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित छात्रों की संख्या 9.26 प्रतिशत थी जबकि बहुत कम छात्र अर्थात् 0.66 प्रतिशत उच्च शिक्षा संस्थाओं में अनुसंधान कार्य कर रहे थे। उसी प्रकार, केवल 0.93 प्रतिशत छात्र डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में नामांकित थे (**परिशिष्ट: 5**)।

उच्च शिक्षा प्रणाली में अधिसंख्य छात्र संबद्ध कालेजों में नामांकित थे। कुल पूर्व-स्नातक छात्रों में से लगभग 90.34 प्रतिशत और स्नातकोत्तर छात्रों में से 66.84 प्रतिशत छात्र संबद्ध कालेजों में थे जबकि छात्र विश्वविद्यालयों और उनके संघटक कालेजों में थे। इसके विपरीत 86.89 प्रतिशत शोध छात्र विश्वविद्यालयों में थे। डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में नामांकन के मामले में विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालयों कालेजों की संख्या संबद्ध कालेजों से अधिक थी। तथापि नामांकित छात्रों की कुल संख्या में से अधिसंख्य छात्र संबंध कालेजों में से थे जहाँ उच्च शिक्षा की नींव रखी जाती है अतः संगतता, पहुँच और समता, गुणवत्ता और उत्कृष्टता के संवर्धन के विशेष संदर्भ में इस क्षेत्र को अधिक वित्त उपलब्ध कराने के आवश्यकता है। यहाँ यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि एक दशक के दौरान स्तरवार छात्र विवरण प्रतिशतता के हिसाब से वस्तुतः अपरिवर्तित रहा है।

संकायवार नामांकन

शैक्षिक वर्ष 2007-08 के दौरान छात्रों का संकायवार वितरण इस प्रकार था:—

छात्रों के कुल नामांकन (123.77 लाख) में से 44.51 प्रतिशत छात्र कला संकाय में थे। उसके बाद विज्ञान में 20.55 प्रतिशत और वाणिज्य/प्रबंध विज्ञान में 18.13 प्रतिशत छात्र थे। इस प्रकार कुल नामांकन में से 83.19 प्रतिशत छात्र कला, विज्ञान और वाणिज्य/प्रबंध विज्ञान में थे जबकि बाकी 16.81 प्रतिशत छात्र व्यावसायिक संकायों में थे। जिनमें से इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में प्रतिशतता सर्वाधिक थी और उसके बाद चिकित्सा पाठ्यक्रम में थी। भारत जैसे देश में जहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा उससे जुड़े व्यवसाय हैं, वहाँ कृषि पाठ्यक्रमों में नामांकन केवल 0.59 प्रतिशत है और पशुचिकित्सा विज्ञान में तो मात्र 0.15 प्रतिशत है। इस प्रकार, इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक नामांकन का अनुपात 1:5 रहा है तथा एक ऐसे नीति परिवर्तन की आवश्यकता है जिसके आधार पर छात्रों के नामांकन में असमानता को कम किया जा सकता हो (**परिशिष्ट : 6**)।

2.3 संकाय संख्या

शैक्षिक वर्ष 2007-08 में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शिक्षकों की कुल संख्या 5.22 लाख थी जबकि गत वर्ष यह संख्या 5.05 लाख थी। 5.22 लाख शिक्षकों में से 84 प्रतिशत शिक्षक कालेजों में हैं और शेष 16 प्रतिशत विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय कालेजों में हैं **(परिशिष्ट: 8 और 9)**।

वर्ष 2007-08 के दौरान संबंध कालेजों तथा विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय कालेजों में प्रतिशतता की दृष्टि से शिक्षकों की वर्गवार स्थिति इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ग	शिक्षकों की कुल संख्या में से			
		संबंध कालेज	यूटी. विश्वविद्यालय टी विभाग/ विश्वविद्यालय कालेज	संबंध कालेज एवं वि.वि.टी. विभाग वि.वि.	पी.पी. कुल संख्या की प्रतिशतता
1.	लेक्चरर	2,23,756	24,625	2,48,381	47.60
2.	वरिष्ठ लेक्चरर	64,686	12,783	7,469	14.84
3.	रीडर और उनके समकक्ष	1,13,527	26,460	1,39,987	26.82
4.	प्रोफेसर और उनके समकक्ष	24,437	17,583	42,020	8.05
5.	अन्य (टी./डी./टीए आदि)	11,983	2,003	13,986	2.68
	जोड़	4,38,389 (84 प्रतिशत)	83,454 (16 प्रतिशत)	5,21,843	100.00

2.4 अनुसंधान डिग्रियाँ

विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त अनुसंधान डिग्रियों (पी.एच.डी.) की संख्या 2005-06 में 18730 से बढ़कर वर्ष 2006-07 में यह 20,131 हो गई। वर्ष 2006-07 के दौरान प्रदत्त कुल डिग्रियों में से कला संकाय में प्रदत्त डिग्रियों की संख्या सर्वाधिक अर्थात् 8257 थी। उसके बाद विज्ञान का स्थान रहा जिसमें 5839 अनुसंधान डिग्रियाँ प्रदान की गईं। कुल प्रदत्त अनुसंधान डिग्रियों में से इन दोनों संकायों में प्रदान की गई अनुसंधान डिग्रियों की संख्या 70 प्रतिशत थी। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई अनुसंधान डिग्रियों की दृष्टि से अनुसंधान क्षेत्रक (अकादमिक) में थोड़ी वर्धमान प्रवृत्ति दिखाई देती है। **(परिशिष्ट: 10)**।

2.5 उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उच्च शिक्षा में नामांकित महिला छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महिला नामांकन 10 प्रतिशत से कम था। वर्ष 2007-08 के दौरान महिला नामांकन बढ़कर 40.60 प्रतिशत हो गया।

विशेषतः गत दो दशक के दौरान महिला नामांकन की गति तेज रही है। सारणी 2.3 में दिए गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि वर्ष 1950-51 से 2007-2008 के दौरान पंजीकृत प्रति सौ पुरुष महिलाओं के नामांकन में लगभग पांच गुना वृद्धि हुई है।

तालिका 2.3: प्रतिशत सौ पुरुष छात्र महिला छात्र नामांकन

वर्ष	कुल महिला नामांकन	प्रति सौ पुरुष महिला नामांकन
1950-51	40	14
2007-08	5025	68

2.6 राज्य स्तर तथा संकाय के अनुसार महिला नामांकन का वितरण

(क) महिला नामांकन का राज्यवार वितरण

राज्य के अनुसार महिला नामांकन का वितरण यह दर्शाता है कि वर्ष 2007-08 के दौरान सभी राज्यों में कुल नामांकन की तुलना में महिलाओं के नामांकन में प्रतिशत वृद्धि लगभग स्थिर रही है। कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में महिला नामांकन की दृष्टि से केरल का स्थान 61.15 प्रतिशत सबसे ऊपर रहा। उसके बाद गोवा (56.33 प्रतिशत), पंजाब (51.93 प्रतिशत) आदि का स्थान रहा। ऐसे 18 राज्य थे जिनमें 40.60 की राष्ट्रीय प्रतिशतता की तुलना में महिलाओं को नामांकन अधिक था। शेष राज्यों में नामांकित महिलाओं की प्रतिशतता राष्ट्रीय स्तर से कम थी। बिहार में सबसे कम केवल 24.58 प्रतिशत महिला नामांकन था। निरपेक्ष संख्या के रूप में महिला छात्रों का नामांकन (7.04 लाख) करने में महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर था और उसके बाद उत्तर प्रदेश (5.95 लाख) आदि का स्थान था **(परिशिष्ट : 4)**।

(ख) संकाय के अनुसार नामांकन का वितरण

वर्ष 2007-08 के दौरान उच्च शिक्षा सूचना प्रणाली में महिला नामांकन का संकायवार वितरण नीचे दिया गया है।

तालिका 2.4: संकाय के अनुसार महिला नामांकन: 2007-08

क्र.सं.	संकाय	महिला नामांकन*	कुल महिला नामांकन का प्रतिशतता
1.	कला	2562219	50.99
2.	विज्ञान	1014034	20.18
3.	वाणिज्य/प्रबंध विज्ञान	827608	16.47
4.	शिक्षा	92961	1.85
5.	इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी	209540	4.17
6.	आयुर्विज्ञान	183410	3.65
7.	कृषि	12059	0.24
8.	पशु चिकित्सा विज्ञान	4019	0.08
9.	विधि	82409	1.64
10.	अन्य	36686	0.73
	जोड़	5024945	100.00

*अनंतिम

तालिका 2.4 में यह दर्शाया गया है कि कला संकाय में महिला नामांकन कुल महिला नामांकन 50.99 प्रतिशत रहा है उसके बाद विज्ञान संकाय (20.18 प्रतिशत) और वाणिज्य संकाय (16.47 प्रतिशत) का स्थान रहा आदि। इस तरह इन तीन गैर-व्यावसायिक संकायों का प्रतिशत 87.64 है। यदि 2006-07 से तुलना की जाए तो वर्ष 2007-2008 के दौरान नामांकित महिलाओं की प्रतिशत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं था। साथ ही, द्विअंकीय प्रतिशत कलाओं, विज्ञान और वाणिज्य/प्रबंध विज्ञान जैसे गैर-व्यावसायिक संकायों में और एककल अंकीय व्यावसायिक संकायों में दर्ज की गई। कृषि, पशु विज्ञान संकाय में महिला नामांकन बहुत कम रहा है।

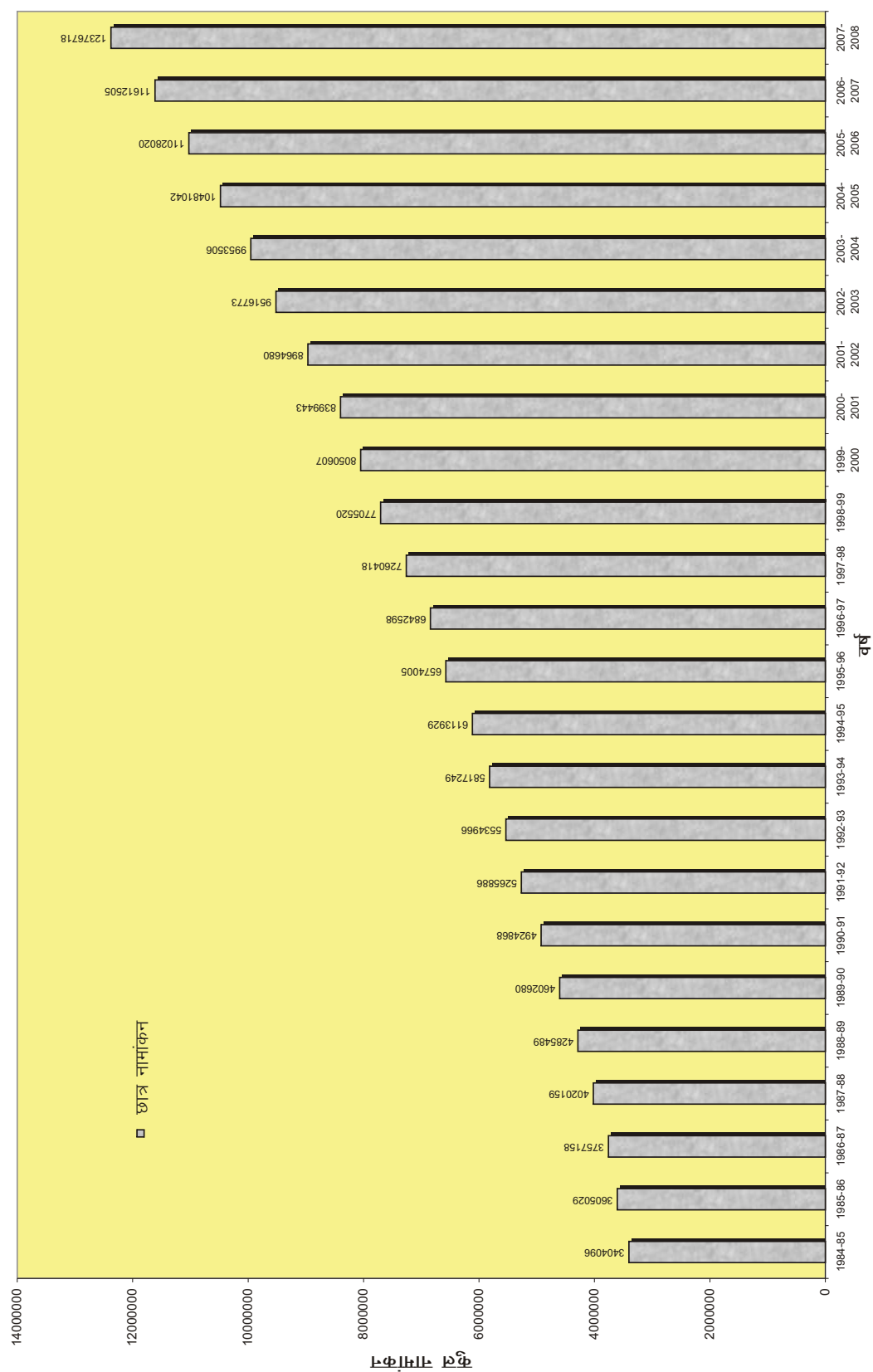
2.7 महिला कालेज

सारणी 2.5 से यह पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 के अंत तक 2200 की तुलना में पिछले दशक अर्थात् 1997–98 से 2007–08 के दौरान 1000 महिला कालेजों की स्थापना हुई है जिसके परिणाम स्वरूप औपचारिक उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 40.60 प्रतिशत हो गया।

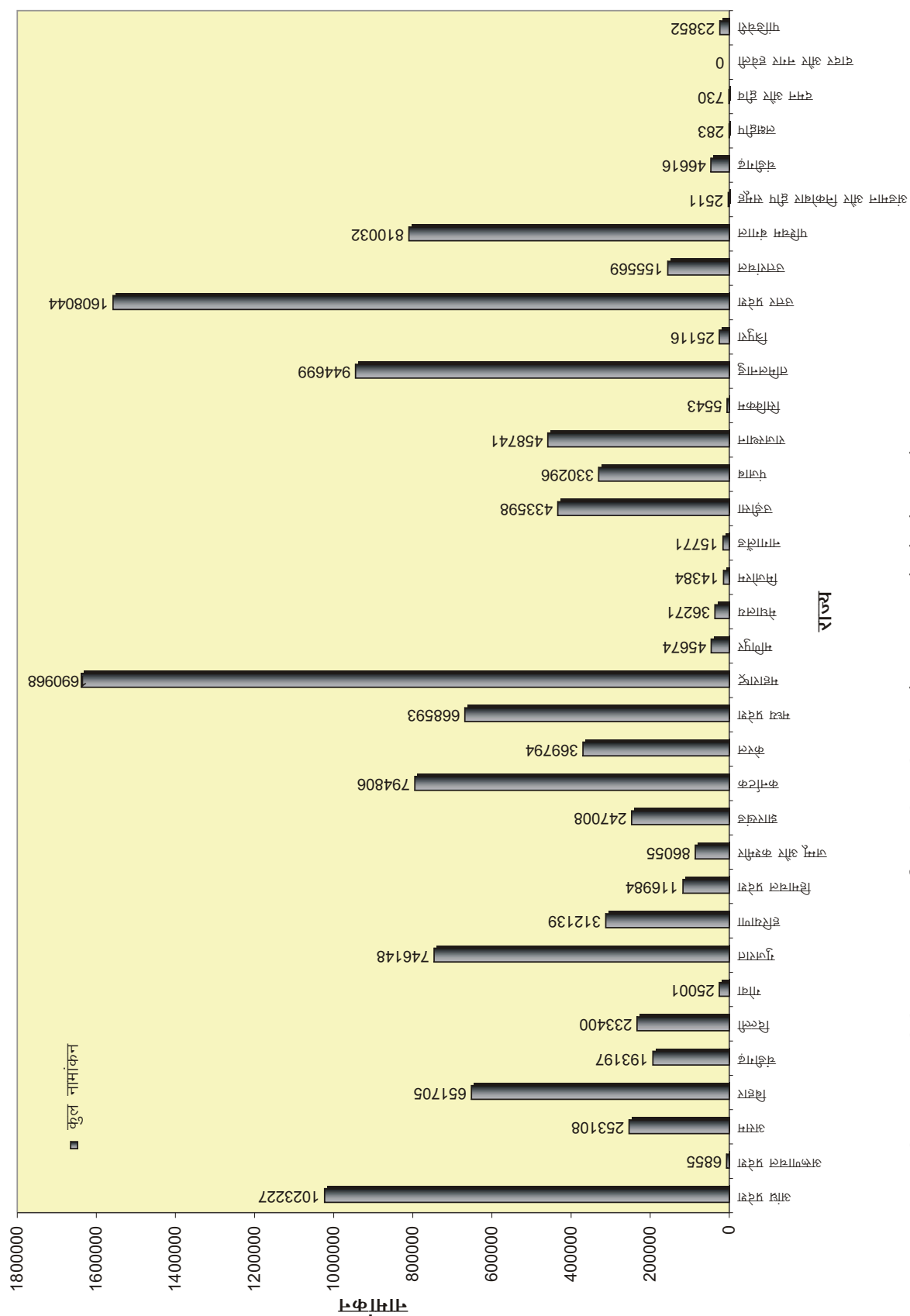
तालिका 2.5: 1997–98 से 2007–08 के दौरान महिला कालेजों की संख्या

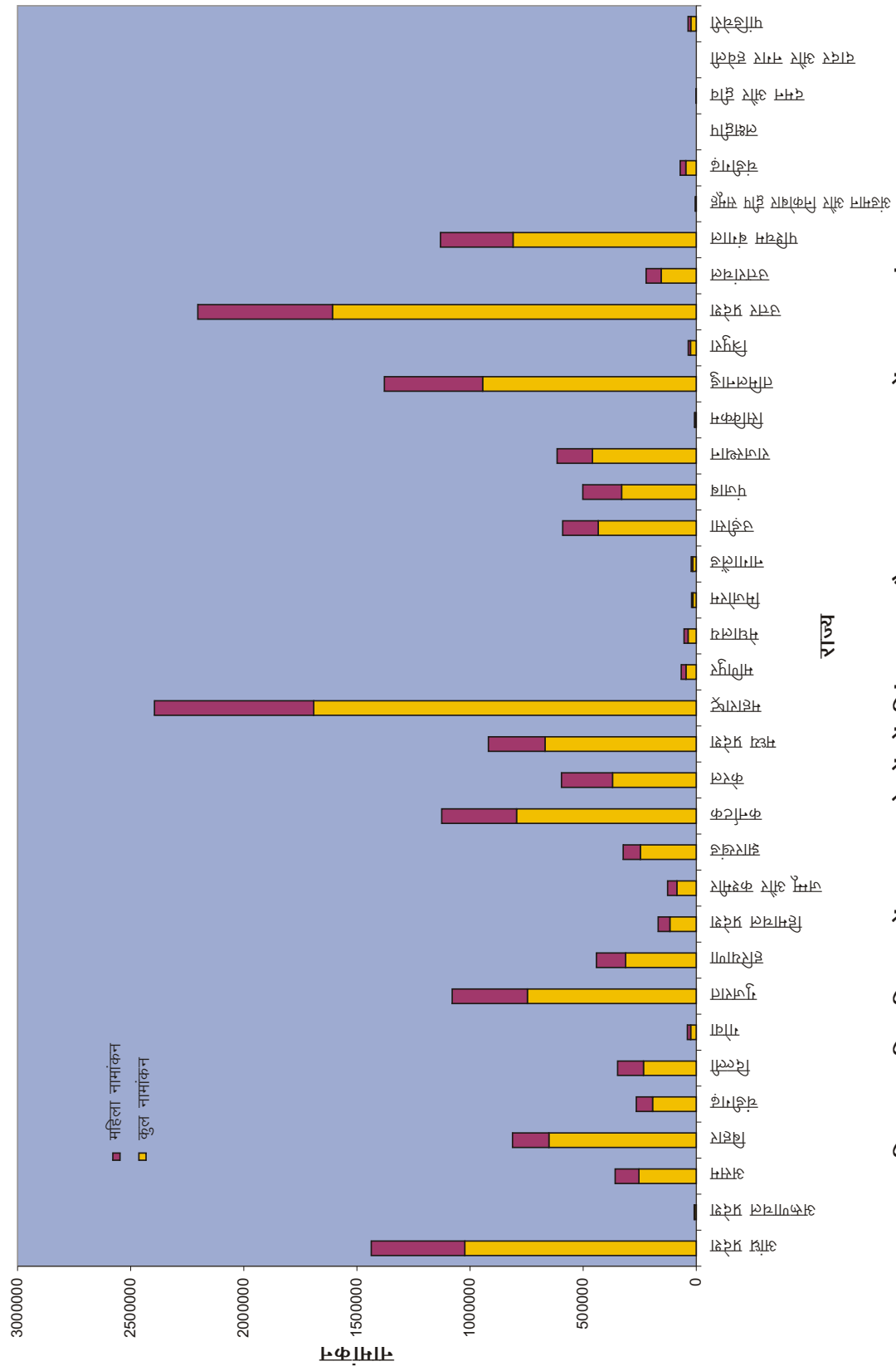
वर्ष	महिला कालेजों की संख्या*
1997–98	1260
1998–99	1359
1999–2000	1503
2000–2001	1578
2001–2002	1756
2002–2003	1824
2003–2004	1871
2004–2005	1977
2005–2006	2071
2006–2007	2166
2007–2008	2260

*अनंतिम

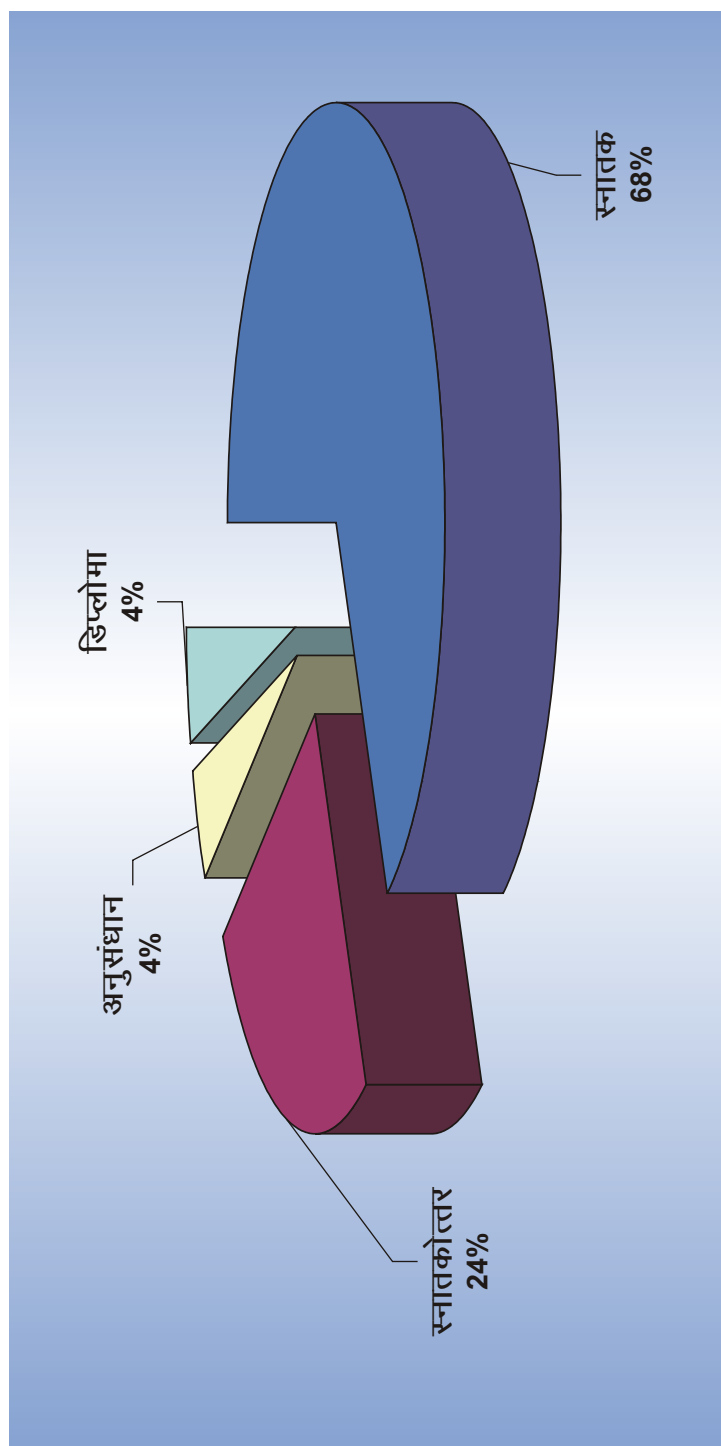


चित्र 1 : परिशिष्ट (III) चार्ट (1) छात्र नामांकन की अखिल भारतीय वृद्धि : 1984-85 से 2007-2008

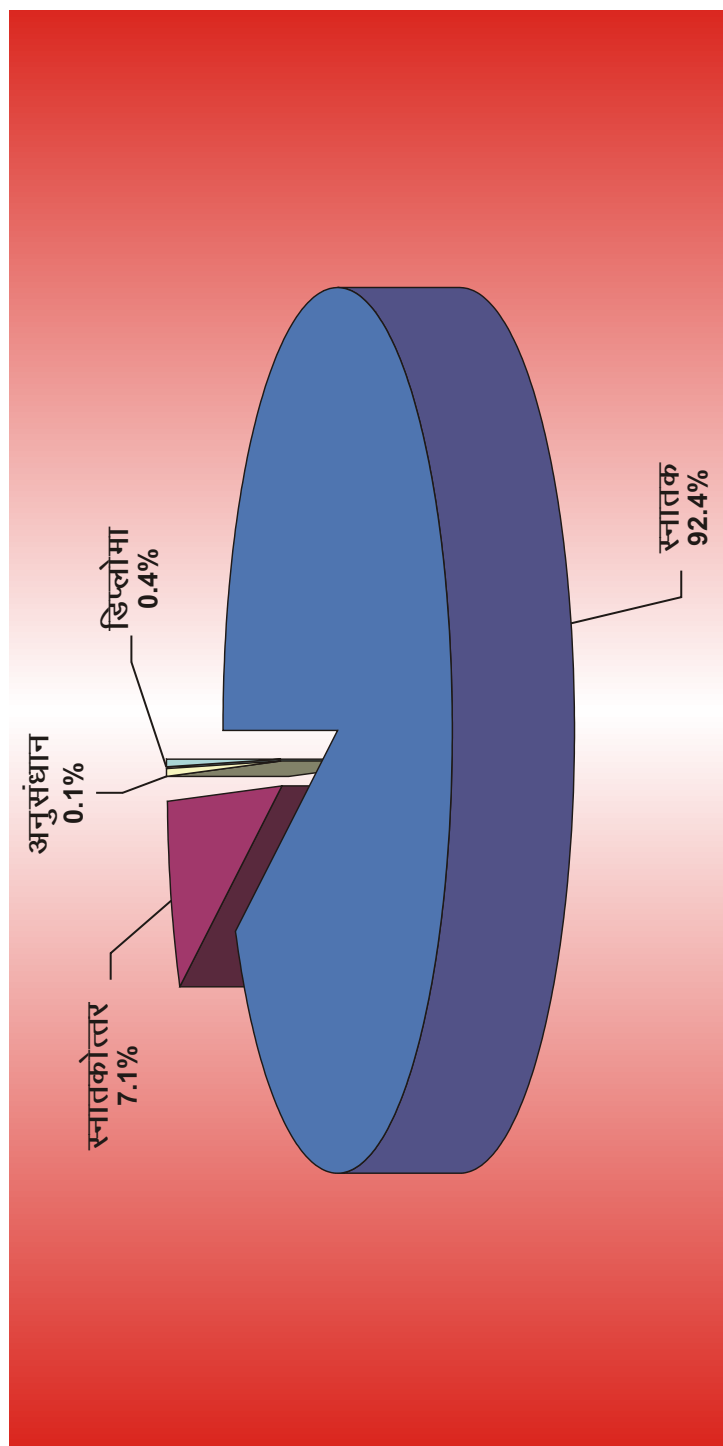




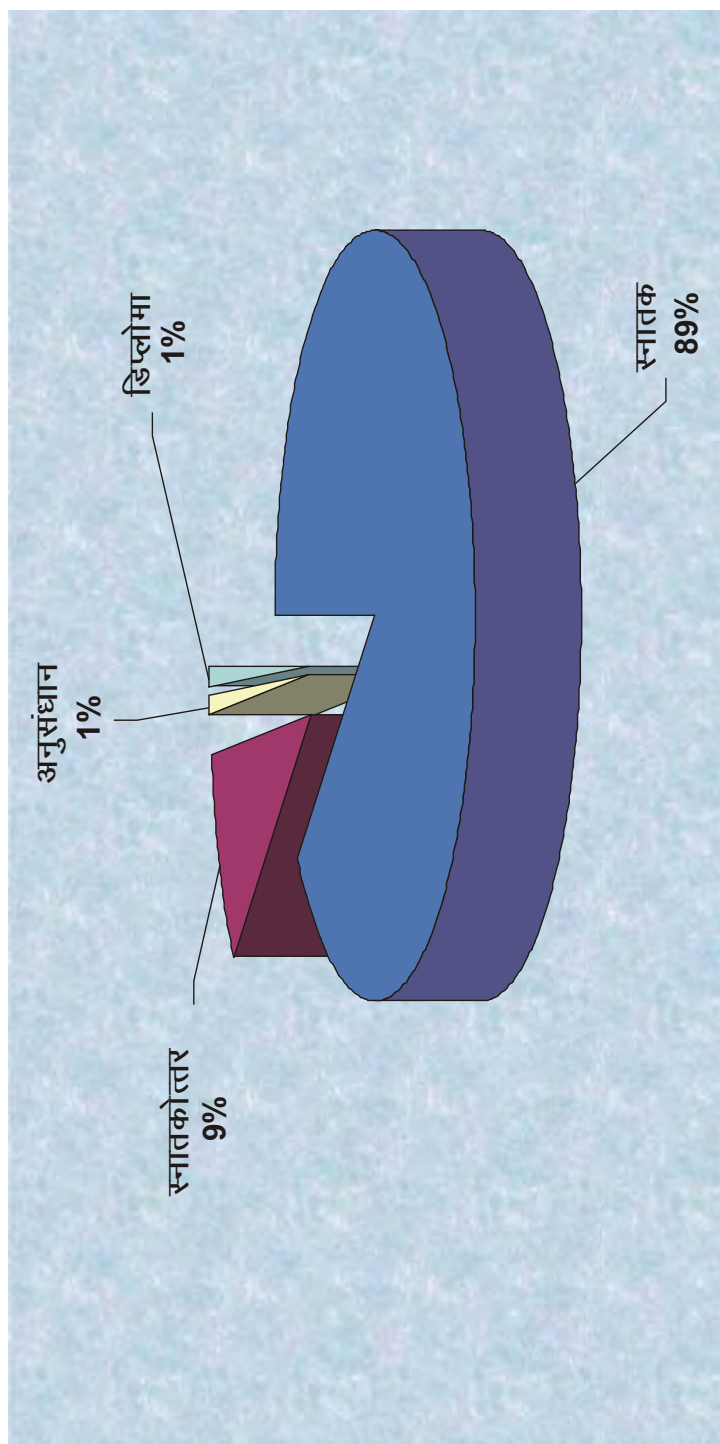
चित्र 3 : विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में लिंग-वार और राज्य-वार छात्रों का नामांकन 2007-2008



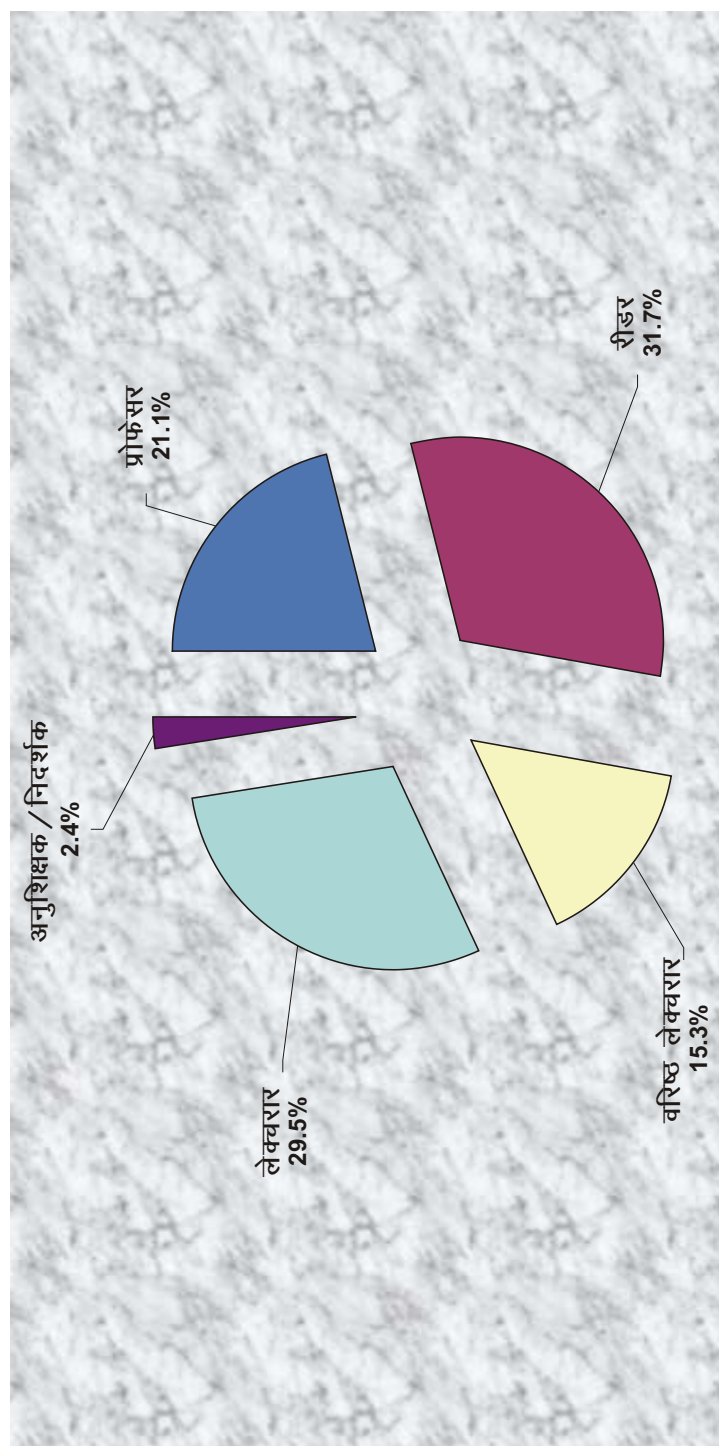
चित्र 4 : स्तर-वार यूटीडी/यूसी में छात्रों का नामांकन 2007-2008



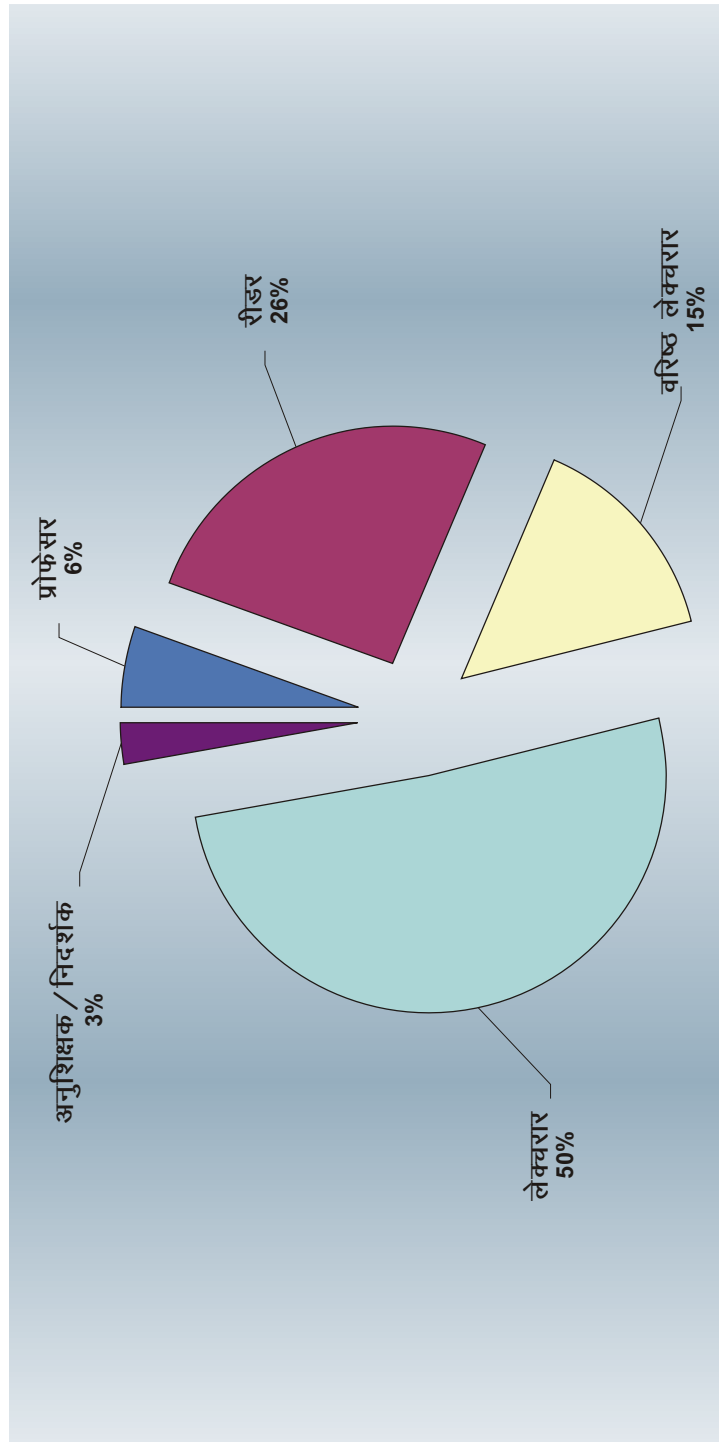
चित्र 5 : स्तर-वार ए.सी. में छात्रों का नामांकन 2007-2008



चित्र 6 : विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में स्तर-वार छात्रों का नामांकन 2007-2008

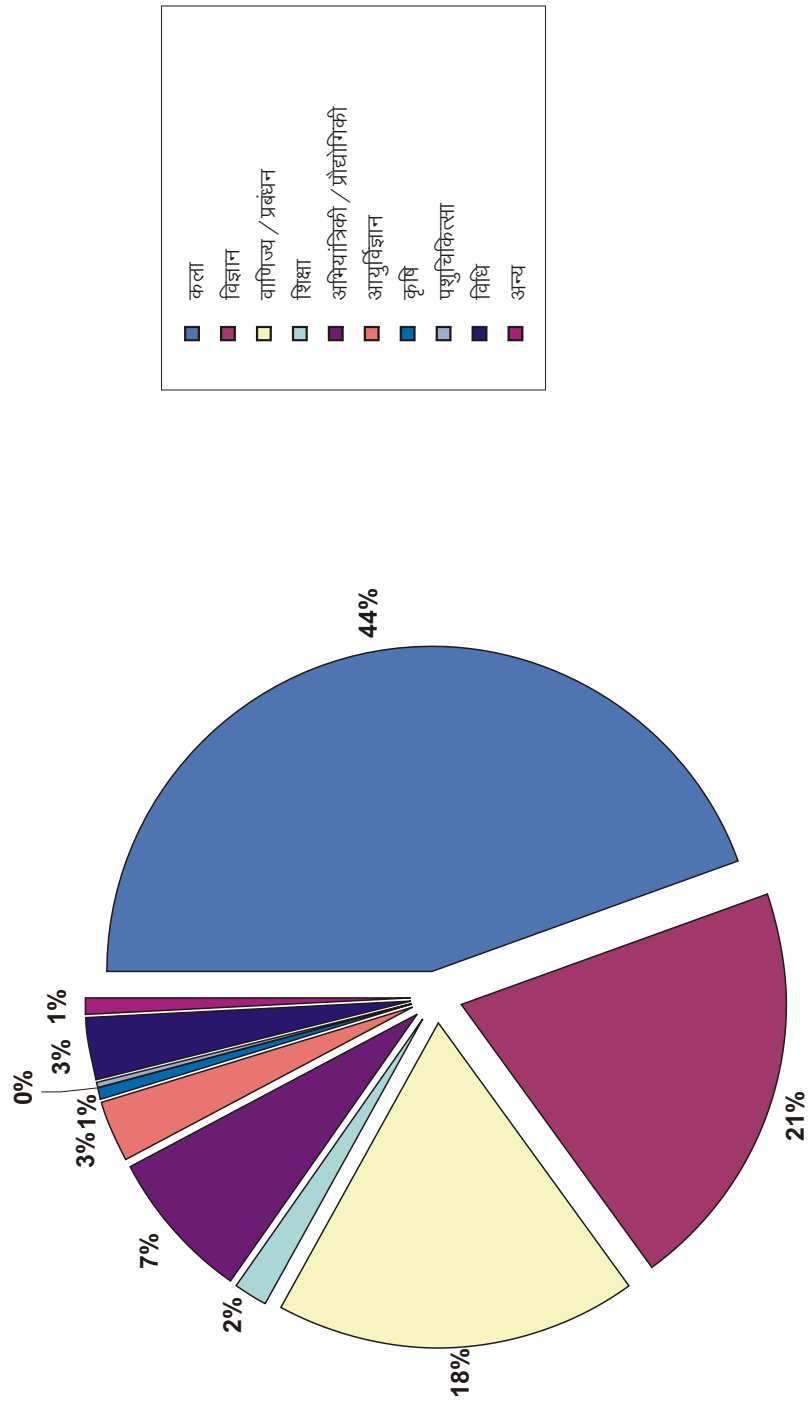


चित्र 7 : शिक्षण स्टाफ ए.सी. 2007-2008



चित्र 8 : शिक्षण स्टाफ यूटीडी / यूसी 2007-2008





चित्र 10 : नामांकन-संकायवार 2007-2008

3 विश्वविद्यालयों को विकास (योजना) तथा अनुरक्षण (गैर-योजना) सहायता

3.1 विश्वविद्यालयों को सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्रीय तथा समविश्वविद्यालयों को योजना (विकास) और गैर-योजना (अनुरक्षण) दोनों अनुदान प्रदान करता है। जबकि राज्य विश्वविद्यालयों को यह सहायता केवल विकास (योजना) के अंतर्गत ही उपलब्ध कराई जा रही है। 11वीं योजना के दौरान किसी एक विश्वविद्यालय को सामान्य योजना विकास अनुदान निर्धारित परिव्यय के आधार पर ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा उन्हें इसकी सूचना दी जाती है। परिव्यय 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2012 की अवधि के लिए चालू रहेंगे। योजना की अवधि भी योजनावधि के अर्थात् 31 मार्च, 2012 के साथ ही समाप्त हो जाएगी। सामान्य विकास अनुदान उन सभी पात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, समविश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों को मुहैया कराया जाता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत शामिल हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों की रूपरेखा और बोर्ड परिव्यय के दायरे में आते हैं।

सामान्य विकास योजना सहायता के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक पात्र विश्वविद्यालय को समग्र विकास के लिए सहायता देगा जिसमें पहुंच बढ़ाना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना, प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करना, गुणवत्ता और उत्कृष्टता में सुधार करना, अपने विश्वविद्यालय के प्रशासन को और अधिक प्रभावशाली बनाना, अधिकाधिक संकाय सुधार कार्यक्रम मुहैया कराना, विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं बढ़ाना, शोध सुविधाएं बढ़ाना और विश्वविद्यालयों की किसी और योजना जैसे पहलुओं को भी शामिल किया जाता है।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 11वीं योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों की अवसंरचना, स्टाफ, उपस्कर, पुस्तकों और पत्रिकाओं, पुस्तकालयों आदि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सामान्य योजना विकास अनुदान के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा सकती है।

(i) अवसंरचना : भवन

नए भवनों के निर्माण तथा पुराने भवन की बड़ी मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। ये भवन अकादमी भवन, पुस्तकालय, प्रशासनिक खंड, स्टाफ क्वार्टर्स, पुरुष छात्रावास, अतिथि गृह आदि कोई भी हो सकते हैं।

(ii) परिसर विकास :

सड़कों का निर्माण करने, विद्युत, जल मुहैया कराने, सीवर की लाईन बिछाने, वृक्षारोपण करने तथा भूमि विकास आदि।

(iii) स्टाफ :

इस शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय सहायता केवल उन शिक्षण, शिक्षणोत्तर तथा तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति के लिए मुहैया कराई जाती है जो लैक्चरार या उससे ऊपर के वेतनमान में हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय/समविश्वविद्यालयों का 100 प्रतिशत निधियन किया जा रहा है और शिक्षणोत्तर स्टाफ का सृजन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए ही किया जा सकता है।

(iv) केन्द्रीय पुस्तकालय :

11वीं योजनावधि में पुस्तकों और पत्रिकाओं के लिए निधियां मुहैया करवाई जा सकती है।

(v) उपस्कर :

प्रयोगशालाओं के लिए उपस्कर, विशेष कार्यालय उपस्कर (फर्नीचर, फिक्सचर तथा कंप्यूटर को छोड़कर) तथा मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स आदि जैसे आधुनिक शिक्षण सहायक उपकरण मुहैया करवाए जा सकते हैं।

(vi) नवोन्मेशी शोध गतिविधियां :

उन अतिरिक्त नियोजित शोध गतिविधियों के लिए निधियां मुहैया करवायी जा सकती हैं जो छोटी-बड़ी शोध परियोजनाओं और विशेष सहायता कार्यक्रमों (एसएपी) के अंतर्गत कवर नहीं की गई हो। किसी ऐसे युगांतकारी नवोन्मेशी शोध के लिए भी निधियां मुहैया करायी जा सकती हैं जिसे विश्वविद्यालय प्रारंभ करने का प्रस्ताव करे और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 11वीं योजना की किसी अन्य योजना के अंतर्गत न आती हो।

(vii) नई विस्तार गतिविधियां तथा पहुंच कार्यक्रम

नई विस्तार गतिविधियां और आउटरीच कार्यक्रम जिनके लिए विश्वविद्यालयों को निधियों की आवश्यकता है।

(viii) विश्वविद्यालय की आईसीटी आवश्यकता

सूचना संप्रेषण तथा प्रौद्योगिकी संबंधी (आईसीटी) आवश्यकता, यदि कोई हो।

(ix) स्वास्थ्य केन्द्र :

औषधालय के रूप में स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जा सकता है। हालांकि आधार भूत सुविधाएं तो मुहैया करवायी जा सकती हैं लेकिन स्टाफ यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) द्वारा मुहैया नहीं करवाया जा सकता।

(x) विद्यार्थी सुविधाएं :

इस प्रकार की सुविधाओं में कैटीन, शुद्ध पेय जल सुविधा, मनोरंजन कक्ष, कॉमन कक्ष, विद्यार्थियों के लिए परामर्श कक्ष आदि शामिल हैं।

(xi) जयंती अनुदान :

25,50,60,75 और सौ वर्ष पूरा करने पर जयंती अनुदान भी मांगा जा सकता है बशर्ते कि 11वीं योजनावधि के दौरान विश्वविद्यालय उक्त जयंती वर्ष पूरा कर रही हो।

विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर स्टाफ के वेतन के लिए तथा प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, भवनों के साथ करों, टेलिफोनों, डाक-व्यय, बिजली बिलों और जैसे अनिवार्य आवर्ती व्ययों को पूरा करने के लिए अनुरक्षण (गैर योजना) सहायता प्रदान करता है।

ऊपरलिखित मदों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता शत-प्रतिशत आधार पर दी जाती है। आयोग ने सभी प्रकार की भवन-परियोजनाओं के लिए शत-प्रतिशत सहायता देने का निश्चय किया है ताकि विश्वविद्यालय अनुबंधित समय में इन परियोजनाओं को पूरा कर सके।

जहाँ तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित समविश्वविद्यालयों का संबंध है उन्हें वित्त पोषण अथवा नवीन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। उन्हें यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो डिग्री वे प्रदान करना चाहते हैं वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित डिग्रियों में शामिल है।

11वीं योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित योजनाओं को सामान्य विकास अनुदान के साथ आमेलित करने का प्रस्ताव करता है। योजनावधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत निधियन के लिए किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक योजना की दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से प्रत्येक योजना के लिए वांछित निधियों को विश्वविद्यालय अलग से दर्शायें:-

1. यात्रा अनुदान
2. सम्मेलन/संगोष्ठी/परिचर्चा/कार्यशालाएं
3. प्रकाशन अनुदान
4. अभ्यागत प्रोफेसर/अभ्यागत अध्येता की नियुक्ति
5. दिवस देखभाल केन्द्र
6. खेलकूद अवसंरचना और उपकरणों के विकास हेतु नई योजना सहित साहसिक खेलकूद
7. पिछड़े/ग्रामीण/दूरस्थ/सीमावर्ती क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान
8. नए विश्वविद्यालयों को विशेष विकास अनुदान तथा पुराने विश्वविद्यालयों के लिए जीर्णोद्धार अनुदान
9. यंत्रों के अनुरक्षण की सुविधा (आईएमएफ)
10. महिला छात्रावासों का निर्माण
11. महिलाओं के लिए आधारभूत सुविधाएं
12. संकाय सुधार कार्यक्रम (एम.फिल./पी.एच.डी. करने के लिए शिक्षक अध्येता)
13. समान अवसर प्रकोष्ठ
14. अनुसूचित जाति/जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग सुविधाएं
15. विश्वविद्यालयों में कैरियर और परामर्श प्रकोष्ठ की स्थापना
16. शारीरिक रूप से अक्षम (निशक्त) व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास अनुदान योजना सहित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत विकास (योजना) और अनुरक्षण (गैर योजना) दोनों ही सहायता मुहैया कराता है। 25 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 22 विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता देता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली तथा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल का निधियन क्रमशः मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय द्वारा सीधे ही किया जा रहा है तथा अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान अगले वित्त वर्ष से मुहैया करवाए जाएंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य विभिन्न विशिष्ट और आमेलित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के भी हकदार हैं जैसे अनाबंटित अनुदान, संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहन, महिला छात्रावास निर्माण, दिवस देखभाल केन्द्र इत्यादि।

• विकास (योजना) सहायता

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, इसके मेडिकल कॉलेजों एवं इनसे जुड़े अस्पतालों के विकास हेतु विकास अनुदान दिया जाता है। विकास सहायता का उद्देश्य न केवल विश्वविद्यालय की विद्यमान आधारभूत संरचना में सुधार करना और उसका समेकन करना भर है अपितु कुछेक अभिज्ञात क्षेत्रों में उत्कृष्टता विकसित करना भी है। अनुदान का उपयोग शिक्षण, शोध और प्रशासन के आधुनिकीकरण के साथ विस्तार करने और शोध गतिविधियों को क्रियान्वित करने में किया जाता है ताकि समाज की अपेक्षाओं को उचित रूप से पूरा करने में विश्वविद्यालय परिवर्तित आवश्यकताओं को पूरा कर सके। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को स्टाफ, भवन, उपस्कर, पुस्तकों और पत्रिकाओं तथा परिसर विकास आदि जैसे उप शीर्ष के अंतर्गत विकास सहायता प्रदान की जा रही हैं।

वर्ष 2007-08 के दौरान इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता योजना सहित विभिन्न योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत 630.35 करोड़ रुपये की योजना (विकास) अनुदान राशि जारी की गई है। विवरण तालिका 3.1 में दिया गया है।

तालिका 3.1 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को विकास (योजना) सहायता : 2007-08

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	प्रदत्त योजनागत सहायता
1	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	24.37
2	असम विश्वविद्यालय	15.33
3	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	63.16
4	डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	11.29
5	जामिया मिलिया इस्लामिया	41.14
6	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	41.31
7	एम०जी० अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	6.58
8	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	29.71
9	मिजोरम विश्वविद्यालय	44.71
10	नागालैंड विश्वविद्यालय	10.72
11	उत्तर-पूर्वी हिल विश्वविद्यालय	33.12
12	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	18.67
13	तेजपुर विश्वविद्यालय	17.46
14	दिल्ली विश्वविद्यालय	60.00
15	हैदराबाद विश्वविद्यालय	36.91
16	विश्वभारती	24.01
17	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	36.08
18	मणिपुर विश्वविद्यालय	50.25
19	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	6.59
20	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	19.49
21	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	9.05
22	सिक्किम विश्वविद्यालय	13.00
23	इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी	17.55
	कुल :	630.35

- सामान्य विकास सहायता योजना के अंतर्गत जारी अनुदान — 469.60 करोड़ रुपये
- सामान्य विकास सहायता योजना के साथ आमेहित योजना के अंतर्गत जारी अनुदान — 112.00 करोड़ रुपये

अनुरक्षण (गैर योजना) सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर स्टाफ के वेतन के लिए तथा प्रयोगविश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, भवनों के साथ करो, टेलीफोनों, डाक व्यय, बिजली बिलों आदि जैसे अनिवार्य आवर्ती व्ययों को पूरा करने के लिए अनुरक्षण (गैर योजना) सहायता प्रदान करता है।

जैसा कि सारणी 3.2 में दर्शाया गया है वर्ष 2007-08 के दौरान 21 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का अनुरक्षण व्यय पूरा करने के लिए 1304.52 करोड़ रुपये की गैर योजना अनुदान राशि जारी की गई है।

तालिका 3.2 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण (गैर योजना) सहायता 2007-08**(रु. करोड़ में)**

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	प्रदत्त गैर-योजना सहायता
1	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	232.65
2	असम विश्वविद्यालय	0.01
3	डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	4.63
4	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	245.40
5	जामिया मिलिया इस्लामिया	117.34
6	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	114.02
7	एम०जी० अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	4.74
8	मिजोरम विश्वविद्यालय	23.59
9	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	7.73
10	नागालैंड विश्वविद्यालय	21.69
11	उत्तर-पूर्वी हिल विश्वविद्यालय	58.45
12	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	25.00
13	तेजपुर विश्वविद्यालय	8.04
14	दिल्ली विश्वविद्यालय	159.51
15	हैदराबाद विश्वविद्यालय	52.12
16	विश्वभारती	62.46
17	मणिपुर विश्वविद्यालय	11.39
18	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	118.46
19	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	10.66
20	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	7.17
21	इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी	19.46
	कुल :	1304.52

- नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण सिक्किम विश्वविद्यालय अनुक्षण अनुदान प्राप्त करने का हकदार नहीं है। उपरोक्त राशि में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साईंसेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) को मुहैया करवाई गई 27.50 करोड़ रुपये की अनुक्षण (गैर योजना) अनुदान भी शामिल है।

उपरोक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साईंसेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) को 22.71 करोड़ रुपये की अनुक्षण (गैर-योजना) अनुदान राशि भी मुहैया करवाई है।

(ख) राज्य विश्वविद्यालय

वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अनुसार 17 जून, 1972 के बाद स्थापित नए राज्य विश्वविद्यालय, केन्द्रीय सरकार, वि.अ.आ. अथवा राज्य सरकार के निधि प्राप्त करने वाले किसी अन्य संगठन से कोई भी अनुदान प्राप्त करने के तब तक पात्र नहीं होंगे जब तक कि आयोग स्वयं विहित मानदंडों एवं प्रक्रिया के अनुसार इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त करने योग्य है। 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में विधान सभाओं द्वारा अधिनियम नियमों के अंतर्गत स्थापित 242 राज्य विश्वविद्यालय वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त थे।

• राज्य विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान

कृषि/मेडिकल विश्वविद्यालयों को छोड़कर फिलहाल 123 राज्य विश्वविद्यालय वि.अ.आ. से सामान्य विकास अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुदानों सहित विकास अनुदान इन पात्र विश्वविद्यालयों को इसलिए प्रदान किए जाते हैं ताकि वे ऐसी आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं प्राप्त कर सकें जो सामान्यतः उन्हें राज्य सरकार अथवा अन्य किसी सहायक निकाय से उपलब्ध न हों। यह सहायता भवन, स्टाफ, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, उपस्कर आदि के लिए दी जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त सामान्य विकास सहायता के बाद भी रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सामान्य विकास सहायता के साथ आमेलित 16 विशिष्ट योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किए गए हैं।

11वीं योजना के पहले वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान सामान्य विकास सहायता योजना के अंतर्गत 83.92 करोड़ रुपये तथा विशिष्ट योजना कार्यक्रम के अंतर्गत 95.76 करोड़ रुपये सहित 572.20 करोड़ रुपये की राशि वाली विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विकास अनुदान को सामान्य विकास सहायता योजना के अंतर्गत आमेलित किया गया है।

वर्ष 2007-08 के दौरान राज्य विश्वविद्यालयों (मेडिकल/कृषि विश्वविद्यालयों को छोड़कर) को जारी अनुदानों का राज्यवार विवरण दर्शाने वाला विवरण तालिका 3.3 में दिया गया है।

तालिका 3.3 राज्य विश्वविद्यालयों को प्रदत्त योजना अनुदान : 2007-08

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या	प्रदत्त योजना अनुदान
1.	आंध्र प्रदेश	12	46.98
2.	असम	03	9.55
3.	बिहार	09	14.45
4.	छत्तीसगढ़	05	8.98
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	01	1.60
6.	गोवा	01	4.04
7.	गुजरात	07	25.78

8.	हरियाणा	04	9.63
9.	हिमाचल प्रदेश	02	4.83
10.	जम्मू और कश्मीर	03	16.10
11.	झारखंड	02	14.01
12.	कर्नाटक	09	27.22
13.	केरल	07	33.02
14.	मध्य प्रदेश	07	29.90
15.	महाराष्ट्र	11	84.49
16.	उड़ीसा	05	15.30
17.	पंजाब	04	19.72
18.	राजस्थान	06	14.43
19.	तमिलनाडु	12	80.88
20.	उत्तर प्रदेश	13	20.42
21.	उत्तरांचल	03	5.22
22.	पश्चिम बंगाल	10	85.65
	जोड़	136	572.20

- सामान्य विकास अनुदान योजना के अंतर्गत जारी अनुदान – 83.92 करोड़ रुपये
- आमेलित योजनाओं के अंतर्गत जारी अनुदान – 75.76 करोड़ रुपये
- जयन्ती अनुदान (25, 50, 75, 100 और 150 वर्ष पूरा करने के लिए)

दसवीं योजना के दिशा निर्देशों के अंतर्गत उन राज्य विश्वविद्यालयों को विकास सहायता के लिए जयन्ती अनुदान देने की व्यवस्था है जो अपने 25, 50, 75, 100 और 150 वर्ष पूरा कर रही हैं यह अनुदान 11वीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय को आबंटित सामान्य विकास अनुदान के अतिरिक्त अलग से दी जाती है। वि.अ.आ. के दिशा निर्देशों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की गई।

रजत जयन्ती अनुदान

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी किया गया अनुदान
1.	विद्यासागर विश्वविद्यालय	37.93
2.	एस.के.डी. विश्वविद्यालय, अनंतपुर	40.00
3.	भारथियार विश्वविद्यालय	9.00
4.	तमिल विश्वविद्यालय	4.00
	कुल	90.93

स्वर्ण जयन्ती अनुदान

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी किया गया अनुदान
1.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	10.00
2.	जाधवपुर विश्वविद्यालय	10.00
	कुल	20.00

• विश्वविद्यालयों द्वारा संसाधन जुटाना

वि.अ.आ. द्वारा विश्वविद्यालय के माध्यम से संसाधन जुटाने की योजना 1995 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय के विकास में समाज की भागीदारी/योगदान द्वारा संसाधन जुटाने के लिए विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करना है तथा विश्वविद्यालय के विकास के लिए समाज से आने वाले संसाधनों के प्रवाह को प्रोत्साहित करना और उसे बढ़ावा देना है। सृजित संसाधनों का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25 लाख रुपये में से जो कम है वही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का योगदान होगा।

वर्ष 2007-08 के दौरान योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के रूप में 84.26 लाख रुपये का अनुदान देकर वि.अ.आ. ने चार राज्य विश्वविद्यालयों को योगदान दिया है। विवरण निम्नवत् है:-

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी की गई राशि
1.	भावनगर विश्वविद्यालय	15.01
2.	मुम्बई विश्वविद्यालय	25.00
3.	बर्दवान विश्वविद्यालय	6.39
4.	जाधवपुर विश्वविद्यालय	30.00
5.	एम.एस. विश्वविद्यालय, बड़ौदा	7.86
	कुल	84.26

विश्वविद्यालयों में अभ्यागत प्रोफेसरों/अध्येताओं सहित अनिर्दिष्ट अनुदान योजना

विश्वविद्यालयों में अभ्यागत प्रोफेसर/अध्येता सहित अनिर्दिष्ट अनुदान योजना 11वीं योजनावधि के दौरान आयोग आमेलित योजनाओं के अंतर्गत सम्मेलन (भारत और विदेश) में भाग लेने के लिए संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं का आयोजन करने, शोध कार्य का प्रकाशन करने, राज्य विश्वविद्यालयों में अभ्यागत प्रोफेसर/अध्येताओं की नियुक्ति करने के लिए सहायता प्रदान करता है। आयोग ने योजना के दिशा निर्देशों को तर्कसंगत बनाया है तथा अनिर्दिष्ट अनुदान के आकार, व्यय की उच्चतम सीमा, दरों और प्रविधियों संबंधी उपबंधों को भी अद्यतन बनाया है।

योजना के अंतर्गत विभिन्न घटक निम्नवत् है :

(क)	यात्रा अनुदान	आबंटन का 40%
(ख)	संगोष्ठियाँ/परिचर्चाएँ आदि	आबंटन का 20%
(ग)	विश्वविद्यालयों को प्रकाशन अनुदान	आबंटन का 20%
(घ)	अभ्यागत प्रोफेसर/अध्येता	आबंटन का 20%

विश्वविद्यालयों को देय वित्तीय सहायता की प्रमात्रा निम्नलिखित मानदण्ड के आधार पर तय होगी।

पूर्ववर्ती वर्ष के 14 अगस्त की स्थिति के अनुसार संकाय सदस्यों की संख्या	प्रति वर्ष वि.अ.आ. का योगदान (रुपये लाख में)
50 तक	4.00
51 से 100 तक	7.00
101 से 300 तक	10.00
300 से उपर	14.00

वर्ष 2007-08 के दौरान योजना के अंतर्गत 36 विश्वविद्यालयों को 2.48 करोड़ रुपये की राशि मुहैया करवाई गई।

● नव स्थापित विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान

11वीं योजना के दौरान वि.अ.आ. ने नव स्थापित विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें उन्हें उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और परिणाम दोनों के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा ताकि अपेक्षित बेहतर शैक्षिक और भौतिक अवसंरचना तैयार हो सके।

इस योजना के तहत प्रदत्त अनुदान का उपयोग अनन्य रूप से पुस्तकालयों, छात्रवासों, स्टाफ क्वार्टर्स, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, कैटीनों, सभागारों, अतिथि गृहों, खेल के मैदानों जैसी पूंजीगत प्रकृति की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए किया जा सकता है। पात्र विश्वविद्यालयों को 11वीं योजना के आबंटन के अतिरिक्त अधिकतम एक करोड़ रुपये की एक मुश्त सहायता अपनी भौतिक अवसंरचना में वृद्धि/सुधार/विस्तार करने के लिए दी जाएगी।

इस नई योजना के अधीन, वे विश्वविद्यालय अनुदान पाने के लिए पात्र होंगे। जो धारा 2(च) के अधीन सम्मिलित किए गए हैं और जो 8वीं योजना के बाद वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अधीन केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र घोषित किए गए हैं।

वर्ष 2007-08 के दौरान 6 राज्य विश्वविद्यालयों को रु.2.40 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की गई है। जिसका विवरण निम्नवत् है।

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी की गई राशि
1.	उत्तर उड़ीसा विश्वविद्यालय	40.00
2.	फकीर मोहन विश्वविद्यालय	40.00
3.	पेरियार विश्वविद्यालय	40.00
4.	एच.एन. विधि विश्वविद्यालय	40.00
5.	बंगाल इंजीनियरिंग एंड साइंस यूनिवर्सिटी	40.00
6.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय	40.00
	कुल	240.00

• पिछड़े क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान

वि.अ.आ. ने यह ध्यान किया है कि महानगरों एवं शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अवस्थित विश्वविद्यालयों और पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित विश्वविद्यालयों में सुस्पष्ट असमानता है। इस प्रकार की असमानताओं को आंशिक रूप से दूर करने के लिए और देश में पिछड़े क्षेत्रों में वर्तमान में विद्यमान उच्च शिक्षा के परिदृश्य में सुधार करने के लिए वि.अ.आ. ने

“पिछड़े क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों के विशेष विकास अनुदान”

नामक एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हिताधिकारी विश्वविद्यालय अपनी उपलब्ध अवसंरचना को सुदृढ़ और अनिवार्य रूप से जरूरी मूल अवसंरचना का निर्माण कर सकेंगे।

इससे यह विश्वविद्यालय एक ऐसे स्तर का निर्माण कर लेंगे जिसमें वे शैक्षिक क्षेत्रों में नवाचार करने योग्य हो जाएंगे और भू-मंडलीकरण की चुनौतियों का सामना कर सकेंगे।

वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 2(ज) और 12(ख) के अधीन समस्त पात्र विश्वविद्यालयों और वस्तुतः पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित (पिछड़े क्षेत्रों की एक विस्तृत सूची योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई है) विश्वविद्यालयों पर इस योजना के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

इस योजना के तहत पात्र विश्वविद्यालयों को 11वीं योजना के अधीन प्रदत्त आबंटन राशि के अतिरिक्त अनुदान की रु. 70.00 लाख की एक मुश्त अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।

इस अनुदान राशि का उपयोग अनन्य रूप से पुस्तकालयों, स्टाफ क्वार्टर्स, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, छात्रवासों, सम्मेलन भवनों आदि जैसी पूंजीगत प्रकृति की अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण/उन्नयन/वृद्धि करने के लिए किया जा सकता है।

वर्ष 2007-08 के दौरान रु.1.22 करोड़ की अनुदान राशि 5 विश्वविद्यालयों को प्रदान की गई है। जिनका विवरण निम्नवत् है:

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी की गई राशि
1.	डा. आर.एम.एल.अवध विश्वविद्यालय	35.00
2.	नागार्जुन विश्वविद्यालय	03.00
3.	उत्तर उड़ीसा विश्वविद्यालय	28.00
4.	विनोबाभावे विश्वविद्यालय	28.00
5.	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय	28.00
	कुल	122.00

• महिला विद्यार्थियों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर स्टाफ के लिए अवसंरचना

विश्वविद्यालयों में महिला विद्यार्थियों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर स्टाफ हेतु अवसंरचना को सृजित करने तथा उसे मजबूत बनाने के लिए सहायता मुहैया कराना।

वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत सभी पात्र विश्वविद्यालयों को इस योजना के अंतर्गत रखा गया है।

उच्चतम सीमा

10.00 लाख रुपये (एक मुश्त अनुदान)

वर्ष 2007-08 के दौरान निम्नलिखित तीन राज्य विश्वविद्यालयों को 18.00 लाख रुपये की अनुदान राशि का भुगतान किया गया था। विवरण निम्नवत् है:-

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी की गई राशि
1.	विद्यासागर विश्वविद्यालय	9.00
2.	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय	4.00
3.	उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय	5.00
	कुल	18.00

• दृष्टिबाधित शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता

योजना के अंतर्गत दृष्टिबाधित स्थाई अध्यापकों को पाठक भत्ता, ब्रेल पुस्तकें, रिकार्ड की हुई सामग्री आदि खरीदने के लिए 12,000/- रुपये प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाता है।

वर्ष 2007-08 के दौरान निम्नलिखित चार राज्य विश्वविद्यालयों को 42,000/- रुपये की अनुदान राशि का भुगतान किया गया था:-

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी की गई राशि
1.	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	6,000 / -
2.	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, भोपाल	12,000 / -
3.	आचार्य नागार्जुना विश्वविद्यालय, गंतूर	18,000 / -
4.	संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	6,000 / -
	कुल	42,000 / -

• दिवस देखभाल केन्द्र के लिए विशेष योजना

योजना के अंतर्गत तीन माह से छः वर्ष तक के ऐसे बच्चों के लिए परिसर में दिवस देखभाल केन्द्र की सुविधा मुहैया कराई गई है। जिनके माता-पिता (विश्वविद्यालय कर्मचारी/विद्यार्थी/शोधार्थी) दिन में घर से दूर रहते हैं।

वर्ष 2007-08 के दौरान केवल दो राज्य विश्वविद्यालयों को 3.50 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया। विवरण निम्नवत् है:-

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी की गई राशि
1.	उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय	3.00
2.	एस.जी.बी. विश्वविद्यालय	0.50
	कुल	3.50

● महिला छात्रावास के निर्माण हेतु विशेष योजना

सुरक्षित वातावरण मुहैया कराकर महिलाओं के नामांकन में वृद्धि करने और मनचाहे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए महिला विद्यार्थियों की गतिशीलता को बढ़ावा देने के मद्देनजर आयोग ने 8वीं योजनावधि के उत्तरार्ध में महिला छात्रावास के निर्माण की एक विशेष योजना प्रारंभ की थी। 10वीं योजनावधि के दौरान भी इस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया।

वर्ष 2007-08 के दौरान महिला छात्रावास के निर्माण हेतु विशेष योजना के अंतर्गत 25 राज्य विश्वविद्यालयों को 845.90 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। वर्ष 2007-08 के दौरान वि.अ.आ. ने महिला छात्रावास के निर्माण हेतु विशेष योजना के अंतर्गत महानगर से इतर शहरों के लिए उच्चतम सीमा 25.00 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये और महानगरों के लिए 2 करोड़ रुपये कर दी गई है।

● संकाय सुधार कार्यक्रम (एफ.आई.पी.)

वि.अ.आ. अधिनियम 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत वि.अ.आ. द्वारा बनाई गई सूची में शामिल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों को एम.फिल. अथवा पी.एच.डी. पूरी करने के लिए 'शिक्षक अध्येतावृत्ति' प्रदान करने के लिए सहायता मुहैया कराना।

उच्चतम सीमा रु.10,000/- प्रतिवर्ष

वर्ष 2007-08 के दौरान पात्र तीन राज्य विश्वविद्यालयों को 1.18 लाख रुपये की अनुदान राशि का भुगतान किया गया। विवरण निम्नवत् है:-

(रुपये लाख में)		
क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी की गई राशि
1.	कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	0.10
2.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय	0.99
3.	मैसूर विश्वविद्यालय	0.72
	कुल	1.81

तकनीकी शिक्षा (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्णयानुसार) हेतु राज्य विश्वविद्यालयों को सहायता : वर्ष 2007-08

(रुपये लाख में)		
1.	जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	320.00
2.	कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1000.00
3.	बंगाल इंजीनियरिंग एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, शिबपुर	1000.00
4.	आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम	1000.00
	कुल	3320.00

• मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालयों का 150वाँ स्मरणोत्सव : 2007-08

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	आवंटन	जारी किया गया
1.	मुम्बई विश्वविद्यालय	30.00	30.00
2.	मद्रास विश्वविद्यालय	30.00	30.00
3.	कलकत्ता विश्वविद्यालय	30.00	30.00
	कुल	90.00	90.00

(ग) सम विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 में यह व्यवस्था है कि विश्वविद्यालय से भिन्न उच्चतर शिक्षा की किसी भी संस्था को जो किसी विशेष क्षेत्र में अति उच्च स्तर का कार्य कर रही हो उसे समविश्वविद्यालय संस्था घोषित किया जा सकता है। ऐसी संस्थाओं को विश्वविद्यालय जैसा अकादमिक दर्जा व विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं तथा ये आम तरह से बहु-संकाययुक्त विश्वविद्यालय बन जाने की अपेक्षा अपनी विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में अपनी गतिविधियां मजबूत कर पाती हैं।

11वीं योजना के पहले वर्ष के दौरान आयोग की सिफारिशों पर वि.अ.आ. अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 11 संस्थाओं को समविश्वविद्यालय अधिसूचित किया है। 31-03-2008 को समविश्वविद्यालयों की कुल संख्या 103 हो गई।

• विकास (योजना) अनुदान

सामान्य विकास योजना के अधीन विकास (योजना) अनुदान 23 समविश्वविद्यालयों को प्रदान किया जा रहा है (परिशिष्ट XI)। विकास सहायता का उपयोग विद्यमान अवसंरचना के समेकन तथा शिक्षण, अनुसंधान और प्रशासन के आधुनिकीकरण के साथ विस्तार तथा क्षेत्र आउटरीच गतिविधियों में किया जा सकता है ताकि समाज की अपेक्षाओं को उचित रूप से पूरा करने में विश्वविद्यालयों की बदलती आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

विकास सहायता के अधीन, वि.अ.आ. प्रत्येक विश्वविद्यालय/संस्था को स्टाफ, उपस्कर, पुस्तकें और पत्रिकाएँ, भवन, परिसर विकास, स्वास्थ्य केन्द्र, छात्र सुविधाओं आदि जैसे मदों के लिए सहायता प्रदान करता है।

सामान्य विकास सहायता के अतिरिक्त वि.अ.आ. समविश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता योजना के साथ आमेलित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत अनिर्दिष्ट अनुदान, पिछड़े क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों को विशेष अनुदान, महिला छात्रावासों का निर्माण, दिवस देखभाल केन्द्र, विश्वविद्यालय की महिला छात्रों, शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ के लिए संसाधन संग्रहण और अवसंरचना जैसे कार्यों के लिए भी वित्तीय सहायता मुहैया करवाता है।

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान विभिन्न योजनागत स्कीमों/कार्यक्रमों के अधीन प्रदत्त सहायता सहित रु.55.74 करोड़ की राशि 45 समविश्वविद्यालयों के विकास व्यय को पूरा करने के लिए दी गई। समविश्वविद्यालयों को प्रदत्त सहायता का विवरण सारणी 3.4 में दिया गया है।

• अनुरक्षण (गैर-योजना) अनुदान

वि.अ.आ. 10 समविश्वविद्यालयों को योजनेतर अनुदान प्रदान कर रहा है। 10 विश्वविद्यालयों में से 8 समविश्वविद्यालय वेतनों तथा भत्तों, सेवानिवृत्ति हित लाभों और वेतनेतर मदों के लिए शत-प्रतिशत गैर योजना अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। वेतनेतर मदों में उपभोक्ता वस्तुएं, बिजली प्रभार, जल प्रभार, संपत्ति कर, गृह कर, आकस्मिकताएं, भवनों का रख-रखाव/मरम्मत और अन्य व्यय सम्मिलित हैं। रजिस्ट्रारों/वित्त अधिकारियों की वि.अ.आ. के प्राधिकारियों के साथ चर्चा के आधार पर बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों को अंतिम रूप देने के समय विश्वविद्यालयों को जारी की जाने वाली अनुदान राशि का निर्धारण किया जाता है।

शेष दो समविश्वविद्यालय, यथा जामिया हमदर्द, नई दिल्ली और श्री चन्द्रशेखेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम सामान्य विकास अनुदान योजना के अंतर्गत 87.20 करोड़ रुपये की निर्धारित अनुरक्षण अनुदान राशि प्राप्त कर रहे हैं और 27 समविश्वविद्यालयों को भी विभिन्न गैर योजना स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत सहायता दी गई है। सारणी 3.5 में समविश्वविद्यालयों को प्रदान की गई सहायता का विवरण दिया गया है।

तालिका 3.4 समविश्वविद्यालय संस्थाओं को प्रदत्त योजना (विकास) सहायता : वर्ष 2007-08

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	प्रदत्त योजना सहायता
1.	अमृता विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	0.06
2.	अविनाशिलिंगम महिला गृह विज्ञान तथा उच्च शिक्षा संस्था, कोयम्बटूर	2.41
3.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली	2.67
4.	एस.एस.एस.आई. ऑफ एम.एल.पी.एम., अनन्तपुर	0.08
5.	भारतीय विद्यापीठ, पुणे	0.20
6.	बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी	3.02
7.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची	3.02
8.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, वस्त्रपुर, अहमदाबाद	0.01
9.	केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ	0.24
10.	दयालबाग शिक्षा संस्थान, आगरा	2.06
11.	दक्कन कॉलेज पी.जी. तथा अनुसंधान संस्थान, पुणे	0.60
12.	गांधीग्राम ग्राम्य संस्थान, गांधीग्राम	3.52
13.	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एवं इकोनोमिक्स, पुणे	0.50
14.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	1.42
15.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	1.34
16.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूर	10.61
17.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, शिमला	0.20

18.	भारतीय खान स्कूल, धनबाद	1.50
19.	जैन विश्वाभारती संस्थान, लाडनूं	1.74
20.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	4.52
21.	एन.आई.समाज कार्य, भुवनेश्वर, उड़ीसा	0.07
22.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	0.50
23.	राष्ट्रीय विधि विद्यालय, बैंगलोर	0.06
24.	मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मणिपाल	0.02
25.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पिलानी	0.01
26.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	0.04
27.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट	0.08
28.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर	0.02
29.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला	0.28
30.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	1.31
31.	श्री सी.एस. विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम	0.98
32.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	1.94
33.	श्री सत्य साई उच्च अधिगम संस्थान, परसनाथी-निलायम	1.30
34.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई	2.11
35.	थापर इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला	1.93
36.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	0.86
37.	वेल्लौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लौर	0.01
38.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	0.01
39.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	0.02
40.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर	0.03
41.	श्री जी.एस.आई. ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साईंस, इन्दौर	0.03
42.	रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द ऐजुकेशनल रीसर्च इंस्टीट्यूट, हावड़ा	3.79
43.	विसवेसरिया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर	0.07
44.	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन ऐजुकेशन, सहारनपुर	0.01
45.	गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सु. महापत्रम, आंध्र प्रदेश	0.10
	कुल	55.74

टिप्पणी : सामान्य विकास सहायता योजना के साथ आमेलित योजनाओं के अंतर्गत समविश्वविद्यालयों के जारी 11.04 करोड़ रुपयों का अनुदान भी शामिल है।

तालिका 3.5; समविश्वविद्यालय संस्थाओं को प्रदत्त गैर योजना (अनुरक्षण) अनुदान : वर्ष 2007–08

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	प्रदत्त योजना सहायता
1.	अविनाशिलिंगम महिला गृह विज्ञान तथा उच्च शिक्षा संस्था, कोयम्बटूर	11.14
2.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली	0.11
3.	जनसंख्या विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई	0.10
4.	बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी	0.26
5.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची	0.03
6.	जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	0.04
7.	दक्कन कॉलेज पी.जी. तथा अनुसंधान संस्थान, पुणे	0.03
8.	दयालबाग शिक्षा संस्थान, आगरा	6.42
9.	गांधीग्राम ग्राम्य संस्थान, गांधीग्राम	13.33
10.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	10.87
11.	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एवं इकोनोमिक्स, पुणे	0.01
12.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	9.04
13.	भारतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली	0.30
14.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूर	0.79
15.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ईगतनगर	0.04
16.	जैन विश्वाभारती संस्थान, लाडनू	0.12
17.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	4.55
18.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एण्ड न्यूरो साइंस, बंगलोर	0.39
19.	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र, गुडगांव	0.09
20.	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	0.01
21.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	7.12
22.	श्री सी.एस. विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम	0.07
23.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	8.31
24.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई	13.78
25.	थापर इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला	0.08
26.	टी.ई.आर.आई. स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज, नई दिल्ली	0.14
27.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	0.03
	कुल	87.20

3.2 समविश्वविद्यालयों की मुख्य विशेषताएं : वर्ष 2007-08

3.2.1 अविनाशिलिंगम् महिला विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)

- बजट आबंटन तथा निष्पादन बजट

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	मद शीर्ष	बजट आबंटन(2007-08)	निष्पादन बजट(2007-08)
1.	वेतन एवं भत्ते	1059.60	1014.62
2.	पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	140.34	128.24
3.	गैर वेतन मदें	260.40	259.54
4.	बहिःप्राव अभिक्रिया संयंत्र हेतु एक मुश्त विशेष सहायता	50.00	राशि 4.3.08 को जारी की गई, कार्य प्रगति पर है
कुल	1510.34	1402.40	

- 31-03-2008 की स्थिति के अनुसार लाभार्थियों की संख्या सहित लक्षित समूह की कवरेज

(i) शिक्षक (केवल महिलाएँ) — अ.जा.—18, अ.ज.जा.—1, अ.पि.व.—173, शा.वि.—4, कुल — 196

(ii) विद्यार्थी (केवल लड़कियाँ) — 5413

वर्ष 2007-08 के दौरान 23 सम्मेलनों/संगोष्ठियों का आयोजन किया गया।

वर्ष 2007-08 के दौरान 27 समारोह का आयोजन हुआ।

स्वर्ण जयन्ती समारोह के समापन पर माननीय राज्यपाल महामहिम श्री सुरजीत सिंह बरनाला ने 29 अप्रैल, 2007 को विश्वविद्यालय का दौरा किया।

वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय स्तर के 58 पत्रों और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 6 पत्रों का प्रकाशन किया गया।

3.2.2 बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी (राजस्थान)

- वर्ष 2007-08 के दौरान बजट आबंटन और उपयोगिता का सारांश

अनुदान (3 से 5 वर्ष की अवधि हेतु)	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	वर्ष 2007-08 के दौरान उपयोग की गई राशि (रु. लाख में)
11वीं योजना (उपस्कर, पुस्तकें और पत्रिकाएँ)	85.11	43.76
11वीं योजना (अनिर्दिष्ट अनुदान सहित 11 आमेलित योजनाएँ)	28.73	13.57
गैर योजना		
वि.अ.आ. की प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएँ	70.83*	21.94
वि.अ.आ., डी.आर.एस.ए.पी (शेषज, रसायन, जैविक विज्ञान, यांत्रिक इंजीनियरी)	145.50*	25.89
वि.अ.आ., अवसंरचना निधि (शेषज, रसायन, जैविक विज्ञान, यांत्रिक इंजीनियरी)	80.00	57.72
वि.अ.आ. महिला अध्ययन केन्द्र	50.00*	7.34
वि.अ.आ. नवोन्मेषी कार्यक्रम (जन स्वास्थ्य निष्णात)	29.00*	2.30
विश्वविद्यालयों में कंप्यूटरों का उन्नयन	29.15*	19.32
महिला छात्रावासों का निर्माण	57.90*	कार्य प्रारंभ हो चुका है

*पूरी राशि जारी नहीं की गई है।

लक्षित समूह की कवरेज

वर्ष के दौरान संस्था के 6582 (1469 लड़कियाँ और 5113 लड़के) विद्यार्थियों तथा संस्थान के 459 संकाय सदस्यों (91 महिलाएँ और 368 पुरुषों) के लिए वि.अ.आ. तथा अन्य निधियन एजेंसियों द्वारा आबंटित निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया।

11वीं योजना

वर्ष 2007-08 के दौरान पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के लिए 25.01 लाख रुपयों तथा उपस्करों के प्रापण हेतु 18.75 लाख रुपये का उपयोग किया गया। वि.अ.आ. की वित्तीय सहायता से खरीदे गए कुछ महत्वपूर्ण उपस्कारों में जैल प्रलेखन प्रणाली, कैथोड किरण दोलनदर्शी, फ्लैश क्रोमैटोग्राफी सिस्टम, मल्टी आऊटपुट पावर सप्लाइज, डिजीटल मल्टीमीटर, स्टैटिक लोड सैल शामिल है। दसवीं योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों का पूरा उपयोग किया गया है।

गैर-योजना

वि.अ.आ. की प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं

वर्ष 2007-08 के दौरान वि.अ.आ. की निम्नलिखित परियोजनाओं का अवलोकन किया गया था:-

1. पी. वायवैक्स द्वारा एपिकाप्लास्ट जीनोम के क्षेत्रों की क्लोनिंग और लक्षण वर्णन।
2. एक विशेष एंटीसायकोटिक एजेंट की तरह बेंजीसोक्जाजोलाईपापेरीडाईन्स और क्विनोजालिनायलपापराजाईन्स की संभावना।
3. माइक्रोबैक्टीरिया के विरुद्ध क्विनोलोन एंटीबैक्टीरियल की संरचना-गतिविधि संबंधों की जांच।
4. चिकित्सीय पौध क्लोरोफाईटम बोरिविलिएनम में उत्पन्न सोमाक्लोनल अंतर के चिकित्सीय और उपचारात्मक लक्षण।
5. लंबी श्रृंखला वाले विभिन्न स्कंधपटों का उपयोग करके क्रोमियम के निष्कर्षण व्यवहार और जाति उद्भवन का अध्ययन तथा विद्युतलेपन सद्यो जल के उपचार में इसका अनुप्रयोग।
6. लोडोनियम वाईलिड्स की परिवर्ती धातु उत्प्रेरित प्रतिक्रिया।
7. भवनों के अंदर ताप विद्युत का आराम पाने के लिए स्थैतिक धूप का अभिकल्प और विकास।
8. सी.एन.एस. विकार के उपचार के लिए नवीनतर जी.ए.बी.ए. सदृश्यों के अभिकल्प और तंत्र।
9. उपयुक्त अवशोषकों का उपयोग करके दूषित जल से धातु आयनों और वायु से उडनशील जैव घटकों को अलग करने हेतु अवशोषण प्रक्रिया का अध्ययन।
10. नोबल क्विनऑक्सालाईन कारबॉक्सामिड्स : अभिकल्प, तंत्र और एंटीडिप्रेसेंट्स ऐंजियोलाईटिक के रूप में न्यूरो फार्माकोलॉजिकल मूल्यांकन तथा प्रेरित नजला तथा उल्टियों युक्त कैंसर कैमोथैरेपी के प्रबंधन में इसके उपयोग का अध्ययन।

एस.ए.पी.-डी.आर.एस.

2004 में डी.आर.एस. में (एस.ए.पी.) में प्रवृत्त शेषण समूह जारी है। रसायन, जीव विज्ञान और यांत्रिक इंजीनियरी समूहों को हाल ही में एस.ए.पी. के अंतर्गत डी.आर.एस. हेतु शामिल किया गया है। वि.अ.आ. उपस्करों, रसायनों/परखनलियों, आकस्मिकताओं, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं और सम्मेलनों/बैठकों आदि के लिए वार्षिक आधार पर शोध और शिक्षण के विकास हेतु पांच वर्षों के लिए निधियां मुहैया कराता है।

अवसंरचना निधि :

वि.अ.आ. ने संस्था के शेषज, रसायन, जीव विज्ञान तथा यांत्रिक इंजीनियरी समूह की मौजूदा अवसंरचना के उन्नयन और अनुरक्षण हेतु सहायता मुहैया कराई है। जिसे समुचित रूप से उपयोग में लाया गया है।

वि.अ.आ. महिला अध्ययन केन्द्र :

बिट्स, पिलानी में वि.अ.आ. प्रायोजित महिला अध्ययन केन्द्र की स्थापना की गई है। इस केन्द्र का उद्देश्य समाज, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय अविष्कारों के माध्यम से महिलाओं और उनके परिवारों का उत्थान करना है। यह केन्द्र इस क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है।

वि.अ.आ. नवान्मेषी कार्यक्रम

वि.अ.आ. ने यूनीफार्मड सर्विसेज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसेज, यू.एस.ए. तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के साथ मिलकर बिट्स में लोक स्वास्थ्य निष्णात कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए निधियां मुहैया कराई है। विद्यार्थियों को पहले बैच ने अगस्त, 2007 में दाखिला लिया था और कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है।

विश्वविद्यालय में कंप्यूटर सेंटर का उन्नयन

वि.अ.आ. ने संकाय सदस्यों, पहली डिग्री और उच्चतर डिग्री के विद्यार्थियों तथा शोधार्थियों को कंप्यूटर अनुप्रयोग के लिए पर्याप्त कंप्यूटिंग सुविधा हेतु निधियां मुहैया करवाई है। वित्त वर्ष के दौरान एक सर्वर सहित कुछ कंप्यूटर, सहायक उपकरण और नेटवर्क उपस्कर खरीदे गए थे।

महिला छात्रावासों का निर्माण

वि.अ.आ. ने शोधार्थियों और अभ्यागत महिला अध्येताओं के लिए महिला छात्रावास के निर्माण हेतु निधियां मुहैया करवाई। प्रस्तावित भवन की योजना पहले ही तैयार हो चुकी है और कार्य प्रारंभ हो चुका है।

अनिर्दिष्ट अनुदान**यात्रा अनुदान**

आमेलित योजनाओं के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सक्रिय योगदान से संस्था भारत और विदेश में सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिक्षकों, विभिन्न समूहों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/क्षेत्रीय संगोष्ठियों/परिचर्चाओं का आयोजन करने के लिए यात्रा अनुदान देता है तथा डॉक्टरल थीसिस सहित सुविज्ञ शोध पत्रों के प्रकाशन के लिए अनुदान देता है। वर्ष के दौरान भारत (62) और विदेश (13) में सम्मेलन में भाग लेने के लिए वि.अ.आ. ने 75 संकाय सदस्यों को प्रायोजित किया। भारत और विदेश के 23 शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और उद्योगपतियों को विभिन्न समूहों द्वारा विशेष शाषण देने और विद्यार्थियों तथा संकाय सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए बुलाया गया।

सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशाला

संस्था ने वर्ष 2007-08 के दौरान 19 संगोष्ठियों/सम्मेलनों/परिचर्चा/कार्यशालाओं का आयोजन किया 4 का आंशिक निधियन वि.अ.आ. के अनिर्दिष्ट अनुदान से किया गया था। अवधि के दौरान 80 से भी ज्यादा विदेशी प्रतिनिधियों ने विभिन्न सम्मेलनों में भाग लिया। अनिर्दिष्ट अनुदान से जिन कार्यक्रमों का निधियन किया गया था उनकी सूची नीचे दी गई है।

1. लोक स्वास्थ्य शिक्षा की चुनौतियों और मुद्दों पर कार्यशाला।
2. बायोचिकित्सा शोध में रसायन-जीव विज्ञान के इंटरफेस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।
3. एम.ई.एम.एस., माईक्रोसेसर, स्मार्ट सामग्रियां, संरचनाएं और प्रणालियों के संबंध में दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन।
4. अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान और पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा।

प्रकाशन

संकाय सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं में कई शोध पत्रों (114) का प्रकाशन कराया है। 120 से भी ज्यादा संकाय सदस्यों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया और 120 शोध पत्रों सहित कुल 256 शोध पत्र

प्रस्तुत किए। वर्ष 2007-08 के दौरान परियोजनाओं से जुड़े विद्यार्थियों द्वारा पहली डिग्री थीसिस और उच्चतर डिग्री परियोजनाओं पर आधारित कुछेक प्रकाशनों का संपादन किया।

उद्योग तथा अकादमी संस्थाओं के साथ गठबंधन

वर्ष के दौरान संस्था ने उद्योगों तथा अकादमी संस्थाओं के साथ 16 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। जिनके साथ गठजोड़ किए गए उनमें शामिल हैं: हैवल पैक्कार्ड, डाबर फार्मा, टाटा कैमिकल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी, यूनिवर्सिटी ऑफ बफैलो, जार्ज मैसन यूनिवर्सिटी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), लुंड यूनिवर्सिटी।

निष्कर्षतः, यह देखा जा सकता है कि शोध के लिए साकारात्मक परिवेश मुहैया कराने तथा शिक्षा के सभी स्तरों पर शोध को अभिन्न घटक के रूप में शामिल करने तथा शिक्षण और शोध हेतु अवसंरचना को बढ़ाने के लिए बिट्स, पिलानी ने अपने संसाधन (वि.अ.आ. सहित विभिन्न निधियन एजेंसियों) जुटाए हैं।

3.2.3 गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पोलिटिक्स एण्ड इकॉनॉमिक्स, पुणे

• रिपोर्ट वर्ष (1.4.2007 से 31.3.2008) के लिए बजट आबंटन और निष्पादन बजट

क्र.सं. ब्यौरे	बजट प्राक्कलन	वास्तविक		वास्तविक व्यय (2007-08)	प्राप्तियां (2007-08)
		व्यय	प्राप्तियाँ		
1. महाराष्ट्र सरकार	22,313,302.40	22,313,302.40	6,308,348.15	6,308,348.15	
2. भारत सरकार/मंत्रालय					
(क) कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र गैर योजना कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र योजना*	7,983,374.93	7,983,374.93	4,052,329.81	4,052,329.81	
(ख) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00	
3. भारतीय रिजर्व बैंक (कायिक निधि)	7,099,254.06	7,099,254.06	4,974,082.76	4,974,082.76	
4. अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था (स्थाई निधि)	918,507.20	918,507.20	924,887.00	924,887.00	
5. योजना और विकास (स्थाई निधि) में चेयर और इकाई	1,604,976.44	1,604,976.44	998,412.61	998,412.61	
6. कमलनयन बजाज चेयर प्रोफेसर (कायिक निधि)	1,106,338.80	1,106,338.80	423,257.88	423,257.88	
7. लोक मामले तथा लोक नीति केन्द्र (पी.आर. दुभावी)	992,720.80	992,720.80	217,825.23	217,825.23	
8. रोकफेलर दृष्टीकरण अनुदान	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
9. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग					
(क) वि.अ.आ. (सीएएसई) (एसएपी)					
(ख) वि.अ.आ. इंफोनेट अनुदान					
(ग) वि.अ.आ. (अनिर्दिष्ट अनुदान)					

- (घ) वि.अ.आ. शोध अवार्ड बी.बी.मोहंती
 (ङ) वि.अ.आ. (विकास अनुदान)
 11वीं योजना राज्य सरकार/संस्था
 (च) वि.अ.आ. (विकास अनुदान)
 10वीं योजना राज्य सरकार/संस्था
 (छ) वि.अ.आ. विशेषज्ञ समिति
 (ज) वि.अ.आ. एसआईएसएसएस
 (झ) वि.अ.आ. कंप्यूटर केन्द्र की स्थापना

10.	आईसीएसएसआर (मार्गदर्शन और परामर्श)	30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00
11.	तदर्थ परियोजनाएं	2,285,433.00	2,285,433.00	922,531.15	922,531.15
12.	महाराष्ट्र सरकार-पुस्तकालय प्रशिक्षु	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
13.	शिक्षण कार्यक्रम	390,000.00	390,000.00	400,000.00	400,000.00
14.	पुस्तकालय	215,000.00	215,000.00	260,000.00	260,000.00
15.	अर्थविज्ञान तथा अन्य प्रकाशन	110,000.00	110,000.00	70,000.00	70,000.00
16.	सारणीयन अनुभाग	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
17.	विविध: संस्था*(व्यय तथा प्राप्तियों कहीं और नहीं दर्शाए गए हैं) अतिरिक्त (*) / कमी(-)				
	कुल	63,949,885.68	63,949,885.68	40,023,088.13	40,023,088.13

• आयोजित संगोष्ठियां और सम्मेलन:

रिपोर्ट वर्ष के दौरान संस्था ने करीबन 17 गोष्ठियों/सम्मेलनों का आयोजन किया।

• संस्था द्वारा प्रकाशित प्रकाशन

(i) कार्य संबंधी पत्र

- संस्करण सं. 11 : रेन्ट ए वोम्ब : सरगिट सलेक्शन, इनवेस्टमेंट इनसेंटिव एण्ड कांटेक्टिंग बाई स्वप्नेन्दु बैनर्जी एण्ड संजय बसु, अप्रैल, 2007.
- संस्करण सं. 12 : एन एनालेसिस ऑफ फरटिलिटी डिफेंशियल्स अमंग कास्ट गुप्स इन आंध्र प्रदेश बाई पी.रमेश अप्रैल, 2007.
- संस्करण सं. 13 : चिल्ड्रन वर्क एक्टिविटी इन ए पीजेंट हाऊसहोल्ड: ऐपिटोम ऑफ नियोक्तासिकल रेशनल्टी और एल्स बाई अरुण महारत्न, सितम्बर, 2007.
- संस्करण सं.14 : यूनियन-ओलिगोपोली बारगेनिंग एण्ड एंट्री डेटरेन्स: ए रिसेंटमेंट ऑफ लिमिटेड प्राइसिंग बाई रूपायन पाल एण्ड बीभस शाह, जनवरी, 2008.

(i) प्रकाशन

वर्ष 2007–08 के दौरान संस्था ने अर्थविज्ञान प्रकाशित किया।

वर्ष 2007–08 के दौरान करीबन 3 शोध अध्ययन पूरे हो गए हैं।

वर्ष 2007–08 के दौरान करीबन 23 शोध अध्ययन/रिपोर्ट पर कार्य चल रहा है।

वर्ष 2007–08 के दौरान अकादमी स्टाफ द्वारा प्रकाशित पुस्तकों और विनिबंध के 39 पत्रों/अध्यायों का प्रकाशन किया है।

वर्ष 2007–08 के दौरान 'काले स्मारक व्याख्यान' और पी.आर. दुभाशी लोक व्याख्यान पर दो व्याख्यान दिए गए।

3.2.4 श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम

- रिपोर्ट वर्ष 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 का बजट आबंटन और निष्पादन बजट।

(लेखापरीक्षा के बिना)

(रुपये लाख में)

बजट आबंटन			निष्पादन बजट		
	भुगतान	प्राप्तियाँ		भुगतान	प्राप्तियाँ
राजस्व शीर्ष	501.24	694.05	राजस्व शीर्ष	722.95	999.36
पूँजी शीर्ष	228.66	151.10	पूँजी शीर्ष	214.79	177.81

- लाभार्थियों की संख्या सहित लक्षित समूह की कवरेज (शिक्षक, विद्यार्थी, महिलाएँ, अ.जा./अ.ज.जा.)

शिक्षक

क्र.सं.	पद	पुरुष	महिलाएँ	अ.जा./अ.ज.जा.	कुल
1.	प्रोफेसर	07	01	—	08
2.	रीडर/सहायक प्रोफेसर	16	02	—	18
3.	लैक्चरार(वरिष्ठ स्केल)	15	04	—	19
4.	लैक्चरार	48	30	02	80

विद्यार्थी

क्र.सं.	स्नातक पाठ्यक्रम	पुरुष	महिला	अ.जा./अ.ज.जा.		जोड़
				पुरुष	महिला	
1.	बी.ई.(सी.एस.ई.)	315	71	3	1	390
2.	बी.ई.(ई.ई.ई.)	164	41	7	1	213
3.	बी.ई.(ई.सी.ई.)	231	60	2	—	299
4.	बी.ई.(एम.ई.)	245	7	5	0	257
5.	बी.टेक.(आई.टी.)	71	34	2	2	109
6.	बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं सर्जरी (बी.ए.एम.एस.)	59	109	3	4	175
7.	बी.एड.	4	71	23	1	99

	स्नातकोत्तर					
1.	एम.बी.ए.	98	43	—	—	141
2.	एम.सी.ए.	220	189	1	1	411
3.	एम.ए.(संस्कृत)	21	9	—	1	31
4.	एम.ए.पुरातत्व	29	17	—	1	47
5.	एम.फिल.(संस्कृत)	4	2	—	—	6
	अंशकालिक					
1.	बी.ई.(ई.ई.ई.)	32	3	4	—	39
2.	बी.ई.(एम.ई.)	52	—	1	—	53

• आयोजित सम्मलेन दौरे पर आने वाले विदेशी प्रतिनिधिमण्डल तथा आयोजित अन्य महत्वपूर्ण समारोह

क्र.सं.	नाम	अवधि	आयोजनकर्ता
1.	“रामायण” पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन	5.6.2007 और 6.6.2007	एससीएसवीएमवी विश्वविद्यालय तथा योगी रामसूरत कुमार रिसर्च फाउण्डेशन, थिरुवन्नामलाई
2.	“माईक्रो एण्ड नैनोटेक्नोलॉजी —एडवांसेज एण्ड इमप्लीकेशन्स” पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	21.3.2008 और 22.3.2008	एससीएसवीएमवी विश्वविद्यालय का इंजीनियरी संकाय
3.	“जीवन मुक्ताज ऑफ भारतयम” पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार	2.2.2008 और 3.2.2008	विश्वविद्यालय तथा योगी रामसूरत कुमार रिसर्च फाउंडेशन, थिरुवन्नामलाई द्वारा संयुक्त रूप से
4.	संस्कृत उत्सव — 2007	13.9.2007	एससीएसवीएमवी विश्वविद्यालय का संस्कृत तथा भारतीय संस्कृति विभाग
5.	शरदआगम — 2007	11.11.2007 और 12.11.2007	एससीएसवीएमवी विश्वविद्यालय का संस्कृत तथा भारतीय संस्कृति विभाग
6.	“ऑटोमैटिक प्रोसेसिंग ऑफ दा नेचुरल लैंग्वेज” पर कार्यशाला	16.2.2008 और 17.2.2008	एससीएसवीएमवी विश्वविद्यालय का संस्कृत तथा भारतीय संस्कृति विभाग
7.	बीआईओएस — 2007	5.10.2007 और 6.10.2007	कंप्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरी विभाग
8.	विद्युत यंत्र — 2008	23.2.2008	इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी विभाग
9.	एपीआजीईई—2008	24.1.2008 और 25.1.2008	इलेक्ट्रिकल एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरी विभाग
10.	विरंचिका—2008	8.2.2008	यांत्रिक इंजीनियरी विभाग
11.	तरुणयम—2008	29.2.2008 और 1.3.2008	विज्ञान एवं मानविकी विभाग
12.	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस—2008	28.2.2008	विज्ञान एवं मानविकी विभाग
13.	एम्प्लायबिलिटी डवलपमेंट प्रोग्राम (सॉफ्ट स्किल डवलपमेंट)	दिसम्बर, 2007 से मार्च, 2008	मानव संसाधन, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग
14.	“कांफिडेंस बिल्डिंग मेजर्स—रिमेडियल क्लासेस फॉर एससी/एसटी एण्ड मायनॉरटी” पर कार्यशाला	26 से 29 मार्च, 2008	मानव संसाधन, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग

● **दौरे पर आने वाले विदेशी प्रतिनिधिमण्डल**

1. 18 जनवरी, 2008 को प्रो. निकोलस स्ट्यूटन के नेतृत्व में हिन्दुवाद विभाग, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के 25 विदेशी प्रतिनिधियों के एक समूह ने विश्वविद्यालय का दौरा किया और अद्वितीय वेदांत पर एक संगोष्ठी में भाग लिया और उसके बाद आपस में चर्चा की।
2. 02 नवम्बर, 2007 को ओ.आर.जी.-डिजाइन लिमिटेड, यू.के. के निदेशक श्री नटराजन सुन्दर ने प्रबंधन विभाग का दौरा किया और एक संगोष्ठी में परिचर्चा की।
3. 05 अक्टूबर, 2007 को यू.एस.ए. के श्री समीर पेनाकलपति ने प्रबंधन विभाग का दौरा किया और संगोष्ठी में परिचर्चा की।

● **प्रकाशनों की सूची**

क्र.सं.	प्रकाशन का नाम	प्रकाशनकर्ता
1.	बी.विश्वनाथन, के.पी.बी. रामकुमार, टी.वी. गोपाल तथा एस.राम मोहन द्वारा संपादित “फैस्टिक्स ऑफ कान्शियशनैस” नामक पुस्तिका	एससीएसवीएमवी विश्वविद्यालय
2.	ग्रंथदीपिका-स्मारिका	संस्कृत तथा भारतीय संस्कृति विभाग
3.	विरंचिका-2008-स्मारिका	यांत्रिक इंजीनियरी विभाग
4.	एपीआजीईई-2008-स्मारिका	इलेक्ट्रिकल एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरी विभाग
5.	विद्युत यंत्र-2008-स्मारिका	इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी विभाग
6.	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस-2008-स्मारिका	विज्ञान एवं मानविकी विभाग
7.	तरुणयम-2008-स्मारिका	विज्ञान एवं मानविकी विभाग
8.	के. वेंकटरमणन तथा के. शिवकुमार द्वारा शैक्षणिक स्थिति, स्वास्थ्य जागरूकता, स्वसहायता समूहों में महिलाओं की भूमिका तथा तमिलनाडू के कांचीपुरम जिले के अन्य घटक-एक अंतर ग्राम विश्लेषण	विकेन्द्रीकृत शासन में युवा-राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्था द्वारा प्रकाशित पंचायती राज अभियान में युवाओं पर राष्ट्रीय परामर्श के संबंध में पत्र
9.	विश्व महाविद्यालय के स्टाफ सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्र	27
10.	राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए शोध पत्र	35

● **कोई अन्य ब्यौरा जो विश्वविद्यालय अन्य को बताना चाहता है।**

विश्वविद्यालय का मिशन हमारी भूमि की गौरवपूर्ण विरासत से उत्पन्न मूल्य प्रणाली से संयोजित अकादमिक मानकों वाली उच्च शिक्षा प्रदान करने की ऐसी पवित्र पद्धति विकसित करना है जो ऊर्चा की प्रक्रिया से गुजर कर आती हो। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजना और विकास पर जोर देना परंपरागत बुद्धिमता और आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मिश्रण का संकेत है जो विद्यार्थी शक्ति के सर्वांगीण हित के लिए उच्चतर शिक्षा को समेकित कार्यक्रमों से जोड़ती है।

3.2.5 श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, अनंतपुर

- रिपोर्ट वर्ष (1.4.2007 से 31.3.2008) का बजट आबंटन और निष्पादन बजट

(रुपये लाख में)

व्यय	बजट प्राक्कलन (2007-08)	वास्तविक (2007-08)	वृद्धि / कमी
वेतन आदि	375.58	385.16	9.58
अन्य आवर्ती व्यय	79.78455.36	78.14463.30	1.647.94
गैर आवर्ती व्यय	222.05	218.64	3.41
	677.41	681.94	4.53
वित्त के स्रोत			
एस.एस.एस. सेन्ट्रल ट्रस्ट	295.00	247.00	48.00
एस.एस.एस. बुक ट्रस्ट	45.00	25.00	20.00
एस.एस.एस. चेरिटेबल ट्रस्ट	—	73.50	73.50
संस्था की आय	190.42	224.96	34.54
वि.अ.आ.	129.62	96.34	33.28
डीएसटी / डीबीटी / आरबीआई / नाबार्ड / आईसीएसएसआर	17.37	15.14	2.23
	677.41	681.94	4.53

- लाभार्थियों (शिक्षकों, विद्यार्थियों, महिला, अ.जा./अ.ज.जा. आदि) की संख्या सहित लक्ष्य समूह की कवरेज।

वर्ष 2007-08 के लिए :

शिक्षक — 136, विद्यार्थी — 1136, महिला — 454, अ.जा./अ.ज.जा. — 24

- आयोजित सम्मेलन, आने वाले विदेशी प्रतिनिधि मण्डल तथा आयोजित अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम, यदि कोई हो।

विभिन्न विषयों पर 7 कार्यशालाओं, 4 अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं, 1 राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन और 1 संगोष्ठी का आयोजन किया गया था जबकि वर्ष 2007-08 के दौरान संकाय द्वारा संगोष्ठियों/सम्मेलनों में 86 पत्र प्रस्तुत किए थे

- प्रकाशित किए गए प्रकाशनों की सूची:

- वर्ष के दौरान संकाय सदस्यों द्वारा संदर्भित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 81 शोध पत्र प्रकाशित किए गए थे।
- रिपोर्ट वर्ष के दौरान विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों पर करीबन 16 शोध परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर था।
- स्नातकोत्तर, एम.बी.ए.ए, एम.बी.ए.(वित्त), एम.टेक. तथा एम.फिल. के विद्यार्थियों ने 142 विद्यार्थी परियोजनाएँ और लघुशोध पत्र जमा कराए थे।

प्रकाशित पुस्तकें :

प्रबंधन के संकाय सदस्यों द्वारा 9, गणित तथा कंप्यूटर के संकाय सदस्यों द्वारा 3, रसायन के 2, जीवविज्ञान के 2 और कॉमर्स के संकाय सदस्यों द्वारा 8 पुस्तकें प्रकाशित की/अध्याय संपादित किए/अपना योगदान दिया।

➤ कोई अन्य ऐसा ब्यौरा जो विश्वविद्यालय अन्य व्यक्तियों को बताना चाहता है।

- विश्वविद्यालय एम.बी.ए./एम.बी.ए.(वित्त) और एम.टैक. जैसे व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भी कोई शुल्क या जमानती धनराशि नहीं लेता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय छात्रावास व्ययों को पूरा करने के लिए जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है।
- अनंतपुर परिसर में मल्टीमीडिया शिक्षण केन्द्र बनाया गया है।
- 22 नवम्बर, 2007 को साईं कुलवंत हाल में श्री सत्य साईं विश्वविद्यालय के 26वें वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति भगवान श्री सत्य साईं ने दीक्षांत समारोह में व्यक्तियों को संबोधित किया।
- 436 विद्यार्थियों ने अपनी डिग्रियां प्राप्त की तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट 21 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिए गए।
- वार्षिक खेलकूद प्रतिस्पर्धा 11 जनवरी, 2008 को प्रारंभ हुई और समापन समारोह 15 जनवरी, 2008 को मनाया गया।
- विभिन्न क्षेत्रों में 10 कार्यशालाओं, 1 सम्मेलन तथा 1 संगोष्ठी का आयोजन हुआ जबकि रिपोर्ट वर्ष के दौरान संकाय सदस्यों ने संगोष्ठियों/सम्मेलनों में 86 पत्र प्रस्तुत किए।
- रिपोर्ट वर्ष के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में करीबन 16 शोध परियोजनाएँ प्रगति पर थी। रिपोर्ट वर्ष के दौरान संकाय सदस्यों द्वारा संदर्भित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 63 शोध पत्रों को प्रकाशित किया गया।
- स्नातकोत्तर, एम.बी.ए., एम.बी.ए.(वित्त), एम.टैक.(कंप्यूटर साईंस) तथा एम.फिल. के विद्यार्थियों द्वारा 142 परियोजनाएँ और लघु शोध पत्र जमा कराए गए।
- संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों ने 13 से 21 अक्टूबर, 2007 तक 7 दिनों की ग्राम सेवा की और पुट्टापार्थी, बुक्कापट्टनम तथा कोथाचेरुनु मंडल के 153 ग्रामों (जिनमें करीबन 2,45,600 व्यक्ति रहते हैं) में कपड़े, भोजन के पैकेट, लेखन सामग्री का वितरण किया।

3.2.4 थापर विश्वविद्यालय, पटियाला

• रिपोर्टाधीन वर्ष 1.4.2007 से 31.3.2008 का बजट आबंटन और निष्पादन बजट

कुल प्राप्त हुई निधियां	—	2031.58 लाख रुपये
व्यय	—	2168.67 लाख रुपये

• लाभार्थियों (शिक्षक, विद्यार्थी, महिला, अ.जा./अ.ज.जा. आदि) की संख्या सहित लक्षित समूह की कवरेज

शिक्षणेत्तर स्टाफ :	अ.जा. —	24,	अ.पि.व./शा.वि. —	2
शिक्षण स्टाफ :	अ.जा. —	5,	अ.पि.व./शांवि. —	4

वर्ष 2007-08 के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा 41 सम्मेलनों का आयोजन किया गया तथा विदेशी प्रतिनिधि मण्डल ने इनका दौरा किया।

- अन्य राष्ट्रों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ करार

- क्रॉम्पटोन ग्रीव्स लिमिटेड, मुम्बई
- यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, कनाडा
- भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून
- आई.बी.एम. इंडिया लिमिटेड, बंगलोर
- एस.टी. माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स
- इंफोसिस, बंगलोर
- इंटेल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बंगलोर
- सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली
- टेक्नो वैक्सकैम, कोलकाता
- के.बी.आर.एल. लिमिटेड, संगरूर
- सी.एस.आई.ओ., चंडीगढ़

वर्ष 2007-08 के दौरान पत्रिकाओं में करीबन 359 शोध प्रकाशन/पत्र प्रकाशित हुए।

3.2.7 भारतीय विद्यापीठ, पुणे

- रिपोर्ट वर्ष (1.4.2007 से 31.3.2008) का बजट आबंटन और निष्पादन बजट

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	आय (रुपये करोड़ में)	व्यय (रुपये करोड़ में)	कमी (रुपये करोड़ में)
2007-08	135.65	191.05	55.40
2008-09 (निष्पादन वर्ष)	178.16	280.40	102.24

लाभार्थियों (शिक्षक, विद्यार्थी, महिलाएँ, अ.जा./अ.ज.जा. आदि) सहित लक्षित समूह की कवरेज

(क) विद्यार्थियों की संख्या

पाठ्यक्रम	कुल	पुरुष	महिला
स्नातक	12353	8523	3830
स्नातकोत्तर	4759	3052	1707

(ख) पाठ्यक्रमों की संख्या

स्नातक	स्नातकोत्तर	डिप्लोमा	प्रमाण-पत्र	दूरस्थ शिक्षण	अन्य	कुल
40	88	28	12	21	43	231

वर्ष 2007-07 के दौरान 127 लाभार्थियों को करीबन 11 छात्रवृत्तियां दी गईं। वर्ष 2007-08 के दौरान 73 सम्मेलनों/कार्यशालाओं/गोष्ठियों (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) का आयोजन किया गया।

वर्ष 2007-08 के दौरान विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ 19 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करार किए गए।

वर्ष 2007-08 के दौरान करीबन 340 शोध पत्रों/पुस्तकों का प्रकाशन किया गया।

3.2.8 केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी

आधुनिक विश्वविद्यालयों हेतु नवोन्मेषी रूपरेखा में शिक्षण की परंपरागत तिब्बती पद्धति के लिए अभिरुचि के साथ तिब्बती अध्ययन में शिक्षा प्रदान करने के लोकाचार से इस संस्थान की स्थापना की गई है जिसमें अध्ययन का समयबद्ध पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षाएँ तथा डिग्री प्रदान करना शामिल हैं।

संस्थान मुख्यतः शोध कार्य करती है और चाहती है कि अपने शिक्षण विभागों के माध्यम से वह विद्यार्थियों को एक उपयुक्त शिक्षित व्यक्ति बना सके ताकि वे संगठन के मूलभूत उद्देश्यों के साथ चलकर शोध तथा प्रत्यवस्थान के कार्यों को समझ पाने योग्य हो सके। इसी उद्देश्य से कोर्सों का पाठ्यक्रम इस प्रकार से तैयार किया गया है ताकि विद्यार्थियों को तिब्बत विज्ञान के परंपरागत विषयों के संबंध में पर्याप्त जानकारी मिल सके और उन्हें ऐसी जानकारी देते समय आधुनिक विषयों तथा शोध प्रणाली से भी भली भांति परिचित कराया जाता है।

• बजट आवंटन (1.4.2007 से 31.3.2008)

1.	भारत सरकार, संस्कृति विभाग अनुदान:	गैर योजना — 452 लाख रुपये
		योजना — 300 लाख रुपये
2.	वि.अ.आ. विकास अनुदान:	योजना विकास स्कीम — 13.07 लाख रुपये
		पुस्तकें और पत्रिकाएँ — 10.50 लाख रुपये

• लाभार्थियों (शिक्षक, विद्यार्थी, महिलाएँ, अ.जा./अ.ज.जा. आदि) की संख्या सहित लक्षित समूह की कवरेज

35 प्रतिशत अ.ज.जा. के छात्र लाभान्वित हुए हैं।

वर्ष के दौरान 6 सम्मेलनों का आयोजन किया गया/विदेशी प्रतिनिधि मण्डल आए।

वर्ष 2007-08 के दौरान 5 प्रकाशन निकाले गए।

3.2.9 दक्कन कॉलेज फॉर पी.जी. एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे

यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाली एक पुरानी शोध संस्थान है जिसकी स्थापना 1938-39 में हुई थी। अकादमिक रूप से यह शोध संस्थान है और यह भाषा विज्ञान, इतिहास तथा पुरातत्व विज्ञान के क्षेत्र में शोध करती है।

इस संस्था के कई कार्यों को भारत और विदेशों में भी उत्कृष्ट शोध के रूप में मान्यता मिल चुकी है उच्चतर शोध होने के कारण इसका लाभ उठाने वाले विद्यार्थियों की संख्या सीमित है।

अंतरण विलेख के अनुसार संस्थान का वित्त पोषण करना राज्य सरकार का दायित्व है। संस्थान को अनुदान राज्य सरकार देती है। इसके अतिरिक्त विशेष परियोजनाओं के लिए संस्थान भारत सरकार और वि.अ.आ. से भी अनुदान प्राप्त करती है।

- रिपोर्ट वर्ष (1.4.2007 से 31.3.2008) का बजट आबंटन और निष्पादन बजट

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	शिक्षक स्टाफ की संख्या	प्रशासनिक स्टाफ की संख्या	शोध छात्रों के संख्या	कुल व्यय	राज्य सरकार से अनुदान	वि.अ.आ. से अनुदान	अन्य प्राप्तियाँ
1.	भाषा विज्ञान शिक्षण संस्थान	21	83	75	250.68	199.86	64.95	15.17

- लाभार्थियों (शिक्षक, विद्यार्थी, महिलाएँ, अ.जा./अ.ज.जा. आदि) की संख्या सहित लक्षित समूह की कवरेज

संकाय को अपने शिक्षण और शोध कार्यों के लिए विभिन्न सुविधाएँ मुहैया करवाई गई :- पुरातत्व विज्ञान तथा भाषा विज्ञान में फील्ड और प्रयोगशाला परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता, पुनश्चर्या/अभिमुखीकरण पाठ्यक्रमों में भाग लेने तथा सम्मेलन अथवा संगोष्ठी में भाग लेने के लिए अनुपस्थित रहने पर अवकाश। पुरातत्व विज्ञान विभाग के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को पुरापादप विज्ञान, पुरावनस्पति विज्ञान, पुरालिपि विज्ञान, पुरातत्व रसायन और जीवाश्म विज्ञान के संबंध में प्रयोगशाला तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया गया था। उन्हें महाराष्ट्र के जुनार के ऐतिहासिक स्थलों पर खुदाई का 6 सप्ताह तक पुरातत्व खुदाई का प्रशिक्षण दिया गया था। विभिन्न पाठ्यक्रमों में महिला और पुरुष छात्रों का नामांकन लगभग बराबर ही रहा। विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के संबंध में नियमों में छूट दी गई थी।

- विद्यार्थी नामांकन

वर्ष 2007-08 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन कराने वाले विद्यार्थी निम्नवत् थे।

पाठ्यक्रम	पुरातत्व विज्ञान	भाषा विज्ञान	कुल
एम.ए. डिग्री	36	13	49
पी.जी. डिप्लोमा	5	कृ.	5
पी.एचडी (31.3.2008 की स्थिति के अनुसार)	60	15	75
	कुल योग		129

वर्ष 2007-08 के दौरान 7 शोध परियोजनाएँ पूरी की गई।

वर्ष 2007-08 के दौरान तीन सम्मेलनों का आयोजन किया गया। विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय का दौरा किया और दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

वर्ष 2007-08 के दौरान 5 प्रकाशन प्रकाशित किए गए।

3.2.10 भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के सामने भगवान दास मार्ग पर स्थित भारतीय विधि संस्थान देश में स्थित एक प्रमुख विधि शोध संस्थान है। प्रारंभ में विधि शोध को बढ़ावा देने और उसका पोषण करने के उद्देश्य से 27 दिसम्बर, 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश इस संस्थान के पदेन अध्यक्ष हैं। वर्ष 2004 में इस संस्थान

को समविश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की प्रक्रिया में संस्थान ने कारपोरेट कानून और प्रबंधन, सायबर कानूनों, बौद्धिक संपदा अधिकारों, कर कानून और श्रम कानून आदि जैसी कानून की विशेषीकृत शाखाओं में पी.एचडी, एल.एम.एम. और स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया।

संस्थान ने कई प्रकाशन निकाले हैं। विधिक प्रकाशनों का आदान-प्रदान करने और एशिया विधिक सूचना तंत्र बनाने की दृष्टि से भारतीय विधि संस्थान ने “कोरिया लेजिस्लेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट” के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत भर में प्रयोक्ताओं के लिए पाठ्यक्रम समग्री को सुलभ बनाने और परंपरागत प्रशिक्षण प्रणाली से आगे जाकर संस्थान ने विकल्प के रूप में आई.पी.आर. पर ऑनलाईन ई-लर्निंग सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की पहल की थी।

वर्ष 2007-08 के दौरान 3 शोध प्रकाशन और 3 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया।

वर्ष 2007-08 के दौरान 7 सम्मेलनों/गोष्ठियों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/अध्ययन का आयोजन किया गया।

• वर्ष 2007-08 हेतु बजटीय आबंटन

वर्ष 2007-08 के लिए अनुमोदित 397.75 लाख रुपये के बजट का पूरा उपयोग कर लिया गया।

3.2.11 जर्नादन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ, विश्वविद्यालय, उदयपुर

वर्ष 2007-08 के दौरान बजट आबंटन 1980.17 लाख रुपये था और केवल 1917.92 लाख रुपये ही प्राप्त हो सके। अतएवं वास्तविक कमी 62.25 लाख रुपये की रही।

वर्ष 2007-08 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या करीबन 1765 तक पहुँच पाई। इस समय विश्वविद्यालय में 146 शिक्षक हैं। कला, वाणिज्य और कंप्यूटर विज्ञान में एम.फिल. प्रोग्राम प्रारंभ करने को विद्यापीठ की प्रमुख उपलब्धि माना जा सकता है। एम.फिल. में कुल 122 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ था।

वि.अ.आ. प्रायोजित महिला अध्ययन केन्द्र उदयपुर के जनजाति बहुल ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न महिला कल्याण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इस क्षेत्र में कई अल्पावधि पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक चलाए गए और ग्रामीण महिलाओं की प्रतिक्रिया बेहद उत्साहवर्द्धक रही। हाल ही में विश्वविद्यालय ने स्लिपरी रॉक यूनिवर्सिटी यू.एन.ए. के साथ एक संकाय विनियम कार्यक्रम संबंधी करार किया है। इसके अतिरिक्त पुरातत्व विभाग और संस्कृति विभाग परियोजना स्तर पर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमनिटीज एण्ड नेचुरल साइंस, क्योटो, जापान से जुड़ा हुआ है। इस समय दोनों संस्थाएं कामनेर, गुजरात में पुरातत्व खुदाई का कार्य कर रही हैं।

जर्नादन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पत्रिकाओं का प्रकाशन नियमित रूप से किया जाता है। वर्ष 2007-08 के दौरान विश्वविद्यालय ने लोकमान्य शिक्षण (शिक्षा संकाय की पत्रिका), शोध पत्रिका (सामाजिक विज्ञान और मानविकी की द्विभाषी पत्रिका), निर्णय (प्रबंधन संकाय की पत्रिका) और समाज शिक्षण (प्रौढ़ एवं समाज शिक्षा की पत्रिका) का प्रकाशन किया।

वर्ष 2007-08 के दौरान इस विश्वविद्यालय संस्थान ने 12 संगोष्ठियों का आयोजन किया जिसमें से 6 राष्ट्रीय स्तर के 5 क्षेत्रीय स्तर के और 1 अंतर्राष्ट्रीय का था। भूगोल विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भूगोल शास्त्रियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें 12 विदेशी प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। इस विश्वविद्यालय संस्थान की एक प्रौढ़ और समाज शिक्षा इकाई है जो जन शिक्षा और विस्तार शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत अपनी गतिविधियां चलाती है। इस विश्वविद्यालय संस्थान का आधारभूत दर्शन शिक्षा के सभी अंगों को एक ही मंच पर लाना है। राजस्थान विद्यापीठ के सतत शिक्षा कार्यक्रमों का जाल 300 गांवों तक फैला हुआ है। इन गांवों में सामुदायिक केन्द्र हैं। ये केन्द्र ग्रामीण जनता के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।

3.2.12 तिलक महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, पुणे

- रिपोर्ट वर्ष (1.4.2007 से 31.3.2008) का बजट आबंटन और निष्पादन बजट

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	मर्दे	बजट आबंटन*	निष्पादन बजट**
1.	पुस्तकें और पत्रिकाएँ	103.54	11.70
2.	उपस्कर	62.35	—
3.	स्टाफ	5.93	—
4.	अन्य: परिसर विकास	23.45	20.26
5.	भवन	246.45	—
	कुल	441.60	31.96

*आबंटन वि.अ.आ. को जमा कराए गए 11वीं योजना विकास प्रस्तावों के आधार पर किए गये हैं।

**आंकड़े वि.अ.आ. से प्राप्त वास्तविक अनुदान दर्शाते हैं।

- लाभार्थियों (शिक्षकों, विद्यार्थियों, महिलाओं, अ.जा./अ.ज.जा. आदि) की संख्या सहित लक्षित समूह की कवरेज

- शिक्षक

पदनाम	मौजूदा संख्या			अ.जा.		अ.ज.जा.		अ.पि.व.		पी.एच. डी.
	पुरुष	महिला	कुल	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	
प्रोफेसर	01	—	1+2*	—	—	—	—	—	—	01
रीडर	01	01	2+2*	—	—	—	—	—	—	02
लैक्चरर(वरिष्ठ वेतनमान)	02	01	02	—	—	—	—	—	—	02
लैक्चरार	40	45	85	03	02	01	01	02	01	10
अनुशिक्षक/ निदर्शक	02	04	06	—	—	—	—	—	—	01
अंशकालिक शिक्षक	139	32	171	—	—	—	—	—	—	—
कुल संख्या	185	83	272	05	02	01	01	02	01	16

* रिक्त पद

- अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. आदि

श्रेणी	पुरुष	महिला	कुल
अनुसूचित जाति	397	241	638
अनुसूचित जनजाति	86	54	140
अन्य पिछड़ा वर्ग	654	415	1069

● प्रकाशन

2007–08 के दौरान संस्कृत तथा भारत अध्ययन विभाग के डा. श्रीपाद भट्ट द्वारा निम्नलिखित प्रकाशनों का लेखन/संपादन किया गया ।

1. कंट्रीब्यूशन ऑफ लोकमान्य तिलक टू इण्डियन स्टडीज (अंग्रेजी)
2. संस्कृति परिचय (मराठी)

3.2.13 राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ, तिरुपति

● परिचय

वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित समविश्वविद्यालय राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ साहित्य, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, अद्वैत, वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत और अगम जैसे शास्त्रीय विषयों पर संस्कृत माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। इन विषयों और इनसे जुड़े विषयों पर परास्नातक, स्नातक, स्नातकोत्तर से लेकर पी.एच.डी. स्तर तक के पाठ्यक्रम कराए जाते हैं। विद्यापीठ का पाठ्यक्रम इस प्रकार से तैयार किया गया है ताकि विद्यार्थियों को कम्प्यूटर विज्ञान, गणित, वेब प्रौद्योगिकी, इतिहास, अंग्रेजी, साहित्य, तेलगु साहित्य, हिन्दी साहित्य, भाषा प्रौद्योगिकी, शोध पद्धति, पाण्डुलिपि विज्ञान और अर्चाकत्व एवं पुरोहित्य, योग और अगम जैसे शास्त्रीय विषयों का ज्ञान भी मुहैया करवाया जाता है और समृद्ध कराया है। यहां शिक्षा विभाग में बी.एड., एम.एड., एम.फिल. और पी.एच.डी. जैसे पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं जो कि मल्टीमीडिया प्रयोगशाला और मनोविज्ञान प्रयोगशाला से भली प्रकार लैस हैं। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री में प्रत्येक तीन वर्ष बाद संशोधन किया जाता है। स्नातकोत्तर स्तर पर सेमिस्टर प्रणाली अपनाई जा रही है। विद्यापीठ में दाखिला लेने वाले सभी विद्यार्थियों को परिसर में ही छात्रावास मुहैया कराए गए हैं। 9 संकाय सदस्यों के पर्यवेक्षण में समेकित आवास मुहैया करवाए गए हैं। आम आदमी को उसकी दहलीज पर संस्कृत भाषा और साहित्य का ज्ञान देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षण केन्द्र प्राक-शास्त्र, शास्त्री, आचार्य पाठ्यक्रम तथा विभिन्न विषयों और स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम करवाता है। अकादमिक और शोध क्षेत्र में उपलब्धियों और संभावनाओं के मद्देनजर वि.अ.आ. ने विश्वविद्यालय की पहचान "परंपरागत शास्त्रों के विषयों में उत्कृष्ट केन्द्र" के रूप में की है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद् (एन.ए.ए.सी.) ने विश्वविद्यालय को ए+ स्तर की मान्यता प्रदान की है।

● रिपोर्ट वर्ष (1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008) का बजट आबंटन और निष्पादन बजट

बजट शीर्ष	आबंटन (लाख रुपये में)	जारी की गई अनुदान राशि (लाख रुपये में)	व्यय (लाख रुपये में)
गैर योजना	756.48	756.48	737.64
11वीं योजना(2007–2012)	65.73	65.73	41.82
कम्प्यूटर सेन्टर का उन्नयन	20.00	20.00	20.00
वि.अ.आ.–वि.स.यो.	11.30	11.30	10.25

● लाभार्थियों की संख्या सहित लक्षित समूह की कवरेज

पदनाम	पुरुष	महिलाएँ	अ.जाति.	अ.ज.जाति	अ.पि.व.
शिक्षक					
प्रोफेसर	19	शून्य	शून्य	शून्य	01
रीडर	13	4	शून्य	शून्य	01
लेक्चरार	18	3	2	शून्य	शून्य
विद्यार्थी	564	311	लड़के – 42 लड़कियाँ–24	लड़के – 16 लड़कियाँ–01	लड़के – 108 लड़कियाँ–80

वर्ष 2007–08 के दौरान 15 सम्मेलन आयोजित किए गए । विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने दौरे किए और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।

वर्ष 2007–08 के दौरान 21 पुस्तकों का प्रकाशन और चार कम्पैक्ट डिस्क का विमोचन किया गया ।

3.2.14 श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली

➤ रिपोर्टाधीन वर्ष (1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008) का बजट आंबटन और निष्पादन बजट

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ को 24.00 लाख रुपये की आन्तरिक प्राप्तियों सहित कुल 853.76 लाख रुपये के बजट की स्वीकृति प्रदान की गई थी । विद्यापीठ ने वि.अ.आ. के बजटीय अनुमोदन के अनुसार वेतन सेवानिवृत्ति हितलाभ, पेंशन तथा गैर-पेंशन शीर्षों के अन्तर्गत व्यय किया । विद्यापीठ ने संबंधित शीर्षों के अन्तर्गत पूरी राशि कर ली है और वित्त वर्ष 2007–08 के अन्त में गैर-योजना शीर्ष के अन्तर्गत कोई राशि बकाया नहीं छोड़ी ।

➤ लाभार्थियों (शिक्षक, विद्यार्थी, महिलाएं, अ.जा./अ.ज.जा. आदि) की संख्या लक्षित समूह की कवरेज

विद्यापीठ जाति और समुदाय में कोई भेदभाव किए बिना सभी को शिक्षा प्रदान कर रही है । 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार शिक्षण और शिक्षणेत्तर स्टाफ की स्थिति निम्नवत् है :-

वर्ग	पुरुष/महिला	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल
प्रोफेसर	पुरुष	13	1	—	—	14
महिला	06	—	—	—	06	
रीडर	पुरुष	15	1	—	—	16
महिला	06	1	—	—	07	
लैक्चरार (व.वेतन.)	पुरुष	17	—	—	—	17
महिला	07	2	—	—	09	
लैक्चरार	पुरुष	13	3	1	—	17
	महिला	01	—	—	—	01

वर्ग	पुरुष/महिला	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल
समूह क	पुरुष	7	—	—	—	7
	महिला	3	—	—	—	3
समूह ख	पुरुष	4	—	—	—	4
	महिला	1	—	—	—	1
समूह ग	पुरुष	14	6	2	4	26
	महिला	7	3	—	2	12
समूह घ	पुरुष	13	7	3	4	27
	महिला	1	1	—	—	2

विद्यापीठ में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों के प्रवेश की स्थिति निम्नवत् है :—

पाठ्यक्रम	पुरुष/महिला	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल
स्नातक (शास्त्री)	पुरुष	78	15	3	13	209
	महिला	13	3	1	3	20
स्नातकोत्तर (आचार्य)	पुरुष	187	18	9	17	231
	महिला	12	2	1	4	19
पी.एच.डी. (विद्या वारिद्धी)	पुरुष	17	1	1	—	19
	महिला	3	1	—	—	4
बी.एड. (शिक्षा विशारद)	पुरुष	82	22	14	7	125
	महिला	37	10	2	6	55
एम.एड. (शिक्षा आचार्य)	पुरुष	16	5	1	2	24
	महिला	1	—	—	—	1

वर्ष 2007–08 के दौरान संस्थान ने पाण्डुलिपि तथा पुरालिपि विज्ञान, मानवाधिकार, मुक्तावली, कार्यशाला, न्याय शास्त्र सदा पर सम्मेलनों/संगोष्ठियों तथा विदूषी विधोतमा समारोह का आयोजन किया ।

वर्ष 2007–08 के दौरान संस्थान ने निम्नलिखित पुस्तकों/शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन किया :—

- (i) संवत् 2065 का विद्यापीठ पंचांग
- (ii) अप्रैल, 2007, जुलाई, 2007 और अक्टूबर, 2007 की शोध प्रभा पत्रिका

3.2.15 जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, लाडनूं

जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय अनेकांत, अहिंसा, सहिष्णुता के उच्च विचारों को व्यवहार में लाने उनका संवर्द्धन और प्रचार करने तथा मानवता के कल्याण के लिए शान्तिपूर्वक सहअस्तित्व बनाए रखने की दिशा में एक प्रयास हैं ।

> रिपोर्ट वर्ष (1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008) का बजट आबंटन और निष्पादन बजट

(क)	वि.अ.आ. से प्राप्त राशि	—	97.98 लाख रुपये
(ख)	विश्वविद्यालय का अपना बजट		
	वर्ष 2007-08 में कुल आय	—	390.32 लाख रुपये
	वर्ष 2007-08 में कुल व्यय	—	355.52 लाख रुपये

> वर्ष 2007-08 हेतु लाभार्थियों की संख्या सहित लक्षित समूह की कवरेज वर्ष 2007-08 के दौरान विश्वविद्यालय में नामांकित विद्यार्थी

क्रम सं.	श्रेणी	लिंग	स्नातकोत्तर	स्नातक	कुल
1.	सभी श्रेणी	पुरुष	79	—	79
		महिलाएं	88	227	315
		कुल	167	227	394
2.	अ.जा. / अ.ज.जा.	पुरुष	09	—	09
		महिलाएं	09	17	26
		कुल	18	17	35

वर्ष 2007-08 के दौरान 18 सम्मेलन/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ।

वर्ष 2007-08 के दौरान 6 प्रकाशन प्रकाशित किए गए । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के एक समाचार पत्र ए.बी.ए. और एक शोध पत्रिका तुलसी प्रजन को तिमाही आधार पर प्रकाशित किया गया ।

वर्ष 2007-08 के दौरान आठ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया ।

3.2.16 टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुम्बई

> रिपोर्ट वर्ष (1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008) का बजट आबंटन और निष्पादन बजट

(क)	वि.अ.आ. से प्राप्त राशि	—	1149.83 लाख रुपये
(ख)	सर दोराबजी टाटा न्यास से प्राप्त राशि	—	10.00 लाख रुपये

(ग) विश्वविद्यालय का अपना बजट :

वर्ष 2007–08 के कुल आय	—	184.04 लाख रुपये
वर्ष 2007–08 में कुल व्यय	—	1301.80 लाख रुपये

➤ **वर्ष 2007–08 हेतु लाभार्थियों की संख्या सहित लक्षित समूह की कवरेज**

वर्ष 2007–08 में 779 विद्यार्थी नामांकित हुए ।

वर्ष 2007–08 के दौरान 67 संकाय सदस्यों द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान 111 संकाय सदस्यों ने 66 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में भाग लिया और 44 पत्र पढ़े तथा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर हुए कार्यक्रमों में उन्होंने 84 पत्र पढ़े ।

वर्ष 2007–08 में संस्थान ने 106 शोध और प्रलेखन परियोजनाओं को पूरा किया जिनमें से 18 परियोजनाएं विद्यालय/केन्द्र से बाहर की थी ।

4 कालेजों को विकास (योजना) और अनुरक्षण (गैर योजना) सहायता

4.1 ग्याहरवीं योजना के दौरान कालेजों के विकास पर जोर

उच्च शिक्षा प्रणाली के स्तर को बनाए रखने, सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने, शिक्षा को उभरते कैरियर पैटर्न से जोड़ने तथा शिक्षा को सुगम बनाने और समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षा के समान अवसर मुहैया कराने के लिए कालेजों का विकास करना एक प्रमुख दायित्व है क्योंकि स्नातक और काफी हद तक स्नातकोत्तर शिक्षा भी मुख्यतः कालेजों ही में प्रदान की जाती हैं। कालेजों को दी जाने वाली विकास सहायता पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संपर्क सुलभता आदि जैसी आधारभूत अवसंरचना का उन्नयन करके सिखाने-सीखने की प्रक्रिया को सहयोग देने की दिशा में केन्द्रित होनी चाहिए। तथापि मौजूदा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार तथा समेकन करने, आधुनिकीकरण के माध्यम से स्तर बढ़ाने, कैरियर की संभावनाओं से जोड़ने के लिए विशेषकर स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को तर्कसंगत बनाने और उनका विविधिकरण करने पर जोर दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा स्थापित कालेज अर्थक्षम नहीं होते और उनमें कम ही विद्यार्थी नामांकित होते हैं तथा समूह में सुविधाओं का आभाव रहता है ताकि विकास आवश्यकता आयोग द्वारा पूरी की जा सके। शैक्षणिक रूप से पिछड़े ऐसे क्षेत्रों में नए कालेजों की स्थापना करना भी ग्याहरवीं योजना के दौरान आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है जहां इनकी पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।

आधारभूत विकास सहायत के अतिरिक्त दसवीं योजना की कई योजनाएं ग्याहरवीं योजना की सामान्य विकास अनुदान योजनाओं के साथ आमेलित कर दी गई हैं। ग्याहरवीं योजना के लिए विकास अनुदान के संबंध में निर्णय करते समय सामान्य विकास अनुदान के अतिरिक्त इन आमेलित योजनाओं के लिए भी आंबटन किया जाएगा। ये योजनाएं हैं :-

- क. पुराने कालेजों की अवसंरचना का जीर्णोद्धार
- ख. नए कालेजों के लिए 'कैचअप' अनुदान
- ग. ग्रामीण/दूरस्थ/सीमा/पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों में स्थित कालेज।
- घ. ऐसे कालेज जहां पर अ.जा./अ.ज.जा. और अल्पसंख्यकों का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक है।
- ङ. कालेजों में पहल करके क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान
- च. कालेजों में दिवस देखभाल केन्द्रों की स्थापना।
- छ. पिछड़े क्षेत्रों में कालेज।
- ज. वि.अ.आ. नेटवर्क संसाधन केन्द्र की स्थापना।
- झ. कालेजों में समान अवसर केन्द्र :-
 - (i) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (गैर क्रीमीलेयर) तथा अल्पसंख्यकों के लिए उपचारात्मक कोचिंग
 - (ii) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (गैर क्रीमीलेयर) तथा अल्पसंख्यकों को नेट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) के लिए कोचिंग
 - (iii) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (गैर क्रीमीलेयर) तथा अल्पसंख्यकों के लिए सेवाओं में शामिल होने के लिए कोचिंग
- ञ. निःशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएं।
- ट. कैरियर और परामर्श प्रकोष्ठ।

ग्याहरवीं योजना के दौरान निम्नलिखित उद्देश्यों से कालेजों को सामान्य विकास अनुदान देने की योजना का कार्यान्वयन किया गया :-

- कालेजों का आधारभूत अवसंरचना को मजबूत बनाने तथा बुक बैंक सहित पुस्तकें और पत्रिकाएं, वैज्ञानिक उपस्कर खरीदने, परिसर का विकास करने तथा शिक्षण सहायता उपकरण और खेलकूद सुविधाओं के लिए अनुदान मुहैया करवाना ।
- मौजूदा भवनों का विस्तार/पुनर्निर्माण करने और नए भवन के निर्माण के लिए सहायता मुहैया करवाना ।
- संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत परिभाषा के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर)/अल्पसंख्यक समुदायों, निःशक्तों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कालेजों को सहायता मुहैया करवाना ।
- अकादमिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को विशेष उपचारात्मक कोचिंग देना ताकि वे आत्मविश्वासी पुरुष या महिला बनकर कालेज से बाहर जाए ।
- क्षेत्रीय असंतुलन और विषमता समाप्त करने के लिए शैक्षणिक रूप से पिछड़े/ग्रामीण/समावर्ती/पर्वतीय/दूरस्थ/जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित कालेजों का विकास ।
- महिलाओं को कॉमन कक्ष और शौचालय जैसी सुविधाएं मुहैया कराना ।
- पुराने कालेजों के जीर्णोद्धार के लिए और नए कालेजों को 'कैचअप अनुदान' प्रदान कराना ।
- निकटवर्ती क्षेत्रों में आउटरीच गतिविधियों, प्रौढ़ और सतत् शिक्षा को बढ़ावा देना ताकि वह पूरा का पूरा क्षेत्र सामूहिक रूप से लाभान्वित हो जहां पर यह कालेज बना हुआ है ।
- क्षमता निर्माण की पहल (नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना और मौजूदा पाठ्यक्रमों की दाखिला क्षमता में विस्तार करना) ।
- कालेजों में, विशेषकर शिक्षकों के लिए आत्मविश्वास पैदा करने की दिशा में पहल करने के लिए सहयोग ।
- आंतरिक परीक्षा प्रणाली में विभिन्न विकल्पों को प्रारम्भ करने को बढ़ावा देना और शिक्षण, शोध, अकादमी उत्कृष्टता और सामाजिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले नवोन्मेषी विचारों को क्रियान्वित करना ।

सहायता केवल उन्हीं कालेजों को प्रदान की जायेगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अर्न्तगत शामिल किए गए हैं और ग्याहरवीं योजनावधि हेतु दिशानिर्देश के अनुसार पात्रता शर्तें पूरी करते हैं ।

4.2 वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कालेज

31 मार्च, 2008 को देश में लगभग 22,064 कालेज थे । जिनमें से केवल 6773 कालेज ही वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं । मान्यता प्राप्त कालेजों में से केवल 5,819 कालेज ऐसे हैं जो वि.अ.आ. अधिनियम 1956 की धारा 12(ख) के अधीन केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं ।

4.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1994 में एक चरणबद्ध ढंग से देश में अपने सात क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर अपने कार्यकरण का विकेन्द्रीकरण कर दिया है ताकि कालेज क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अधीन आसानी से और शीघ्र अनुदान प्राप्त कर सकें तथा उन्हें तुरन्त जारी/कार्यान्वित किया जा सके । बाद में वि.अ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालय तथा उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (एनआरओ), गाजियाबाद को 'उत्तरी क्षेत्र कालेज ब्यूरो' में परिवर्तित कर गाजियाबाद से दिल्ली में 35, फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली में 25-9-2001 से स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची, उनके नाम, स्थिति, स्थापना की तारीख तथा राज्यों की कवरेज का ब्यौरा सहित **परिशिष्ट : XIII** में दी गई हैं ।

ये क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो निम्नलिखित सात योजनाओं/कार्यक्रमों के अधीन संपूर्ण देश के पात्र सभी कालेजों को अनुदान संवितरित कर रहे हैं :—

- कालेजों को विकास सहायता (पूर्व स्नातक/स्नातकोत्तर) ।
- महिला छात्रावासों (होस्टलों) का निर्माण ।
- संकाय सुधार कार्यक्रम (एम.फिल/पी.एच.डी. करने के लिए कालेज शिक्षकों को शिक्षक अध्येतावृत्तियां प्रदान करना)
- शोध स्कीमों की सहायता के लिए शोध निधीयन (कालेज शिक्षकों के लिए लघु शोध परियोजनाएं—मानविकी/सामाजिक विज्ञान तथा विज्ञान) ।
- कालेजों में शोध कार्यशाला/परिसंवाद तथा सम्मेलन ।
- स्वायत्त कालेज (केवल अनुदान जारी करना) ।
- कालेजों के लिए सामान्य विकास अनुदान योजना के साथ आमेलित जिन 15 योजनाओं के लिए अनुदान स्वीकृत किए गए हैं, वे नीचे दी गयी हैं :—
- पुराने कालेजों में अवसंरचना का पुनर्निर्माण ।
- नए कालेजों के लिए 'कैचअप' अनुदान ।
- अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यकों के तुलनात्मक रूप से उच्चतर अनुपात वाले कालेज ।
- पिछड़े क्षेत्रों में कालेज ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कालेज ।
- दूरस्थ/पर्वतीय/सीमावर्ती क्षेत्रों में कालेज ।
- कालेजों में क्षमता निर्माण पहल के लिए विशेष अनुदान ।
- कालेजों में खेलकूद सुविधाएं ।
- वि.अ.आ. नेटवर्क संसाधन केन्द्र की स्थापना ।
- दिवस देखभाल केन्द्र की स्थापना ।
- अ.जा./अ.ज.जा. और अल्पसंख्यकों के लिए उपचारात्मक कोचिंग ।
- अ.जा./अ.ज.जा. और अल्पसंख्यकों को 'नेट' की कोचिंग ।
- अ.जा./अ.ज.जा. और अल्पसंख्यकों को सेवा में प्रवेश के लिए कोचिंग/कक्षाएं ।
- निःशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएं ।

4.4 वि.अ.आ. क्षेत्रीय अधिकारियों/ब्यूरो द्वारा जारी अनुदानों की योजनावार स्थिति ।

1. ग्याहरवीं योजना कालेज विकास योजना

वि.अ.आ. 11वीं योजना के दिशा निर्देशों में विहित शर्तों को पूरा करने वाले पूर्व-स्नातक/स्नातकोत्तर कालेजों के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अधीन सम्मिलित कालेजों को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करता है । योजना के अधीन, कालेजों को बुनियादी अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा पुस्तकों और पत्रिकाओं (पुस्तक बैंक सहित), वैज्ञानिक उपस्कर, स्टाफ, परिसर विकास, विस्तार/नवीकरण, शिक्षण सहायता सामग्री जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करता है जो उचित शिक्षा विद्यमान भवन विस्तार/नवीकरण तथा नए भवनों का निर्माण, विस्तार गतिविधियों, शैक्षिक रूप से कमजोरों के लिए उपचारी अनुशिक्षण आदि के लिए आवश्यक है ।

वर्ष 2007–08 के दौरान कालेजों को जारी अनुदान तथा कालेज विकास योजना के अन्तर्गत कालेजों को आबंटित और जारी ग्याहरवीं योजना विकास योजना का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया हैं ।

कालेजों को आबंटित और प्रदत्त ग्याहरवीं योजना विकास अनुदान

2007–08 के दौरान प्रदत्त अनुदान (राज्यवार)

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/ सं.रा.क्षे.	31.3.2008 को वि.अ.आ. की धारा 2(च) और 12(ख) के अधीन कालेजों की संख्या	कालेज जिनको 2007–08 के दौरान सहायता दी गई	11वीं योजना की कालेज विकास योजना के अधीन कालेजों के लिए अनुमोदित कुल अनुदान (वि.अ.आ. का शेयर)	1.4.07 से 31.3.08 तक प्रदत्त कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	409	292*	##	309.32
2.	अरुणाचल प्रदेश	06	05*	##	3.85
3.	असम	192	173*	##	350.65
4.	बिहार	296	314*	##	333.99
5.	छत्तीसगढ़	141	124*	##	221.75
6.	गोवा	23+1=24	31*	##	0.85
7.	गुजरात	358	1090*	##	587.83
8.	हरियाणा	145+18=163	137*	##	119.90
9.	हिमाचल प्रदेश	48	39*	##	28.81
10.	जम्मू एवं कश्मीर	46	30*	##	336.79
11.	झारखंड	85	80*	##	87.44
12.	कर्नाटक	508	415*	##	377.70
13.	केरल	218	210*	##	252.44
14.	मध्य प्रदेश	381	292*	##	190.03
15.	महाराष्ट्र	800	531*	##	3140.49
16.	मणिपुर	47	43*	##	64.02
17.	मेघालय	24	19*	##	26.69
18.	मिजोरम	18	10*	##	17.13

19.	नागालैंड	12	07*	##	10.20
20.	उड़ीसा	317	289*	##	269.71
21.	पांडिचेरी (अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित)	11+3=14	07*	##	10.61
22.	पंजाब	210	220*	##	118.13
23.	राजस्थान	208	169*	##	326.07
24.	सिक्किम	03	02*	##	3.53
25.	तमिलनाडु	282	198*	##	280.06
26.	त्रिपुरा	16	13*	##	8.76
27.	उत्तर प्रदेश	493	402*	##	423.52
28.	उत्तरांचल	41	23*	##	32.59
29.	पश्चिम बंगाल	384	445*	##	542.11
	जोड़	5744	5610		8475.38

*दसवीं योजना अनुदान के लिए 2007-08 के दौरान सहायता प्राप्त करने वाले कालेज + ग्याहरवीं योजना 'आन अकाउन्ट' अनुदान

##ग्याहरवीं योजना आबंटन का निर्धारण करने के लिए बैठक होनी अभी बाकी है। दसवीं योजना आबंटन के आधार पर 2007-08 के अनुदानों का भुगतान किया गया।

महिला होस्टलों (छात्रावास) का निर्माण

महिलाओं का दर्जा बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कालेजों में महिला होस्टल तथा अन्य आधार संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से आयोग ने वर्ष 2007-08 के दौरान महिला होस्टलों के निर्माण के लिए एक विशेष योजना शुरू की थी जो कालेज वि.अ.आ. के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं/जो कालेज वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12(ख) के अधीन सहायता प्राप्त करने के उपयुक्त हैं, उन्हें इस योजना के अधीन वि.अ.आ. से शत-प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी लेकिन उनकी अधिकतम सीमा इस प्रकार होगी :

महिला नामांकन	गैर महानगरों के संबंध में (रु० लाख में)	महानगरों के संबंध में (रु० लाख में)
(क) 250 तक	60	120.00
(ख) 251-500	80	160.00
(ग) 500 से अधिक	100	200.00

वि.अ.आ. के नियतन/अधिकतम राशि से अधिक किए गए व्यय को संस्थाओं द्वारा अपने संसाधनों द्वारा पूरा करना होगा जिसके लिए संबंधित संस्था स्पष्ट प्रकटन और आश्वासन प्रदान करेगी। दिशानिर्देशों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियतन/अधिकतम राशि से अधिक बढ़ी हुई लागत उपलब्ध नहीं कराएगा।

वर्ष 2007-08 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो द्वारा महिला होस्टलों के निर्माण योजना के अधीन प्रदत्त अनुदानों की स्थिति इस प्रकार है :-

क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो का नाम	2007-08 के दौरान सहायता प्राप्त करने वाले कालेज	01.4.07 से 31.3.08 के दौरान प्रदत्त राशि (रु० लाख में)*
म.क्षे. का. भोपाल	76	2040.16
पू.क्षे. का. कोलकाता	132	3646.85
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	84	1992.52
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	111	3478.14
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	146	3126.17
प.क्षे. का. पुणे	350	3321.38
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	91	1099.66
जोड़	990	18704.88

*चल रही परियोजनाओं सहित

3. संकाय विकास कार्यक्रम

संकाय विकास कार्यक्रम के अधीन, पात्र विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को शिक्षक अध्येतावृत्ति' प्रदान की जाती है ताकि वे एम.फिल./पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त करने के लिए अपने शैक्षिक/शोध कार्य जारी रख सकें ।

इस योजना के अधीन, एवजी शिक्षक के लिए रु 10,000 की राशि आकस्मिकता + वेतन के लिए प्रदान की जाती हैं ।

2007-08 के दौरान वि.अ.आ. क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो द्वारा कार्यक्रम के अधीन निम्न राशि प्रदान की गई :-

क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो का नाम	सहायता प्राप्त कालेज एवं शिक्षक फैलो की संख्या	प्रदत्त राशि (01.4.07 से 31.3.08 तक) (रु० लाख में)
म.क्षे. का. भोपाल	66 / 206	67.25
पू.क्षे. का. कोलकाता	19 / 75	80.00
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	86 / 150	73.02
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	-259*	330.00
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	301 / 1174	572.36
प.क्षे. का. पुणे	51 / 693	211.43
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	57 / 119	86.94
जोड़	580 / 2707	1461.00

*शिक्षक अध्येता के स्थान पर नियुक्त एवजी शिक्षक के वेतन की प्रतिपूर्ति ।

4. शोध योजनाओं (लघु शोध परियोजनाओं) की सहायता के लिए शोध निधियन परिषद्

योजना का उद्देश्य विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय और कालेजों के शिक्षकों के शोध कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करके उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता का संवर्द्धन करना है। पात्र विश्वविद्यालय और कालेजों के शिक्षक लघु शोध परियोजना योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं तथा ग्याहरवीं योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान परियोजनाओं के लिए 1.50 लाख रुपये तथा विज्ञान परियोजनाओं के लिए 2.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

वर्ष 2007-08 के दौरान वि.अ.आ. क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो अनुमोदित लघु शोध परियोजनाओं (मानविकी, सामाजिक विज्ञानों और विज्ञानों) को प्रदत्त अनुदान निम्न प्रकार हैं :-

क्षेत्रीय कार्यालय/ ब्यूरो का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की सं० 2007-08 के दौरान		अनुमोदित प्रस्तावों की सं० 2007-08 के दौरान		01.4.07 से 31.3.08 तक प्रदत्त राशि	
	विज्ञान	सामाजिक विज्ञान	विज्ञान	सामाजिक विज्ञान	विज्ञान	सामाजिक विज्ञान
म.क्षे. का. भोपाल	288	462	152	295	95.91	122.12
पू.क्षे. का. कोलकाता	605	1526	197	86	74.41	143.62
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	213	226	134	172	85.43	128.92
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	301	222	101	71	86.62	43.42
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	423	522	334	388	50.53	67.63
प.क्षे. का. पुणे	461	555	395	448	22.32	180.85
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	240	282	96	172	51.58	61.43
जोड़	2531	3795	1409	1632	466.80	747.99

*चल रही परियोजनाएं शामिल हैं।

5. कालेजों में शोध कार्यशालाओं/परिसंवादों तथा सम्मेलनों का आयोजन

इस योजना के अधीन संस्थाओं को विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/परिसंवादों/शोध तथा सम्मेलनों का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, योजना का उद्देश्य शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अपने ज्ञान, अनुभवों और शोध को शेयर करने के लिए मंच प्रदान करके कालेजों में उच्च मानकों का संवर्द्धन करना है।

इस योजना में सभी पात्र कालेज आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत ₹0 70,000 से 1,50,000 तक की राशि प्रदान की जाती है।

वर्ष 2007-08 के दौरान शोध कार्यशालाओं/परिसंवादों तथा सम्मेलनों की योजना के अधीन कालेजों को वि.अ.आ. क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा अनुमोदित राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्षेत्रीय कार्यालय/ ब्यूरो का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्ताव	2007-08 के दौरान प्रदत्त राशि (रु० लाख में)
म.क्षे. का. भोपाल	298	178	99.59
पू.क्षे. का. कोलकाता	627	451	196.40
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	78	45	55.63
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	303	142	130.05
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	1350	415	112.42
प.क्षे. का. पूणे	562	291	181.67
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	270	184	101.16
जोड़	3488	1906	876.92

*चल रहे मामले भी शामिल हैं ।

6. स्वायत्त कालेज

स्वायत्त कालेजों की योजना का उद्देश्य संबद्ध संरचना से कालेजों को अंसंबद्ध करके पूर्व-स्नातक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है । इस स्कीम के तहत रु 5.00 लाख से रु 12.00 लाख तक की राशि प्रदान की जाती है जिसका निर्धारण संकायों की संख्या पर निर्भर करता है। वर्ष 2007-08 के दौरान स्वायत्त कालेजों को वि.अ.आ. क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा संस्वीकृत राशि की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो का नाम	(01.4.2007 से 31.3.2008 तक) स्वायत्त कालेजों की संख्या जिन्हें सहायता प्रदान की गई	01.4.2007 से 31.3.2008 तक प्रदत्त राशि (रु० लाख में)
म.क्षे. का. भोपाल	20	227.03
पू.क्षे. का. कोलकाता	22	161.80
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	01	7.00
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	109	1070.00
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	23	210.00
प.क्षे. का. पुणे	06	44.98
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	—	—
जोड़	181	1720.81

7. आमेलित योजनाएं

आमेलित योजनाओं के लिए दिशानिर्देश को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। वर्ष 2007-08 के दौरान कालेजों को प्रदत्त "आन अकाउंट" अनुदान निम्नवत् है :-

(क) पुराने कालेजों की अवसंरचना का जीर्णोद्धार

क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो का नाम	2007-08 के दौरान कालेजों को दी गई सहायता	01.4.2007 से 31.3.2008 तक प्रदत्त राशि
म.क्षे. का. भोपाल	—	—
पू.क्षे. का. कोलकाता	—	—
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	—	—
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	—	—
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	—	—
प.क्षे. का. पुणे	—	—
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	—	—
जोड़	—	—

(ख) नए कालेजों के लिए "कैच अप" अनुदान

क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो का नाम	2007-08 के दौरान कालेजों को दी गई सहायता	01.4.2007 से 31.3.2008 तक प्रदत्त राशि (रु0लाख में)
म.क्षे. का. भोपाल	07	9.67
पू.क्षे. का. कोलकाता	09	14.50
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	—	—
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	—	—
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	37	20.64
प.क्षे. का. पुणे	169	95.10
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	07	7.70
जोड़	229	147.61

(ग) कालेज जिनमें से अ.जा./अ.ज.जा. और अल्पसंख्यकों का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक हैं :-

क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो का नाम	2007-08 के दौरान कालेजों को दी गई सहायता	01.4.2007 से 31.3.2008 तक प्रदत्त राशि
म.क्षे. का. भोपाल	—	—
पू.क्षे. का. कोलकाता	—	—
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	—	—
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	—	—
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	—	—
प.क्षे. का. पुणे	—	—
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	—	—
जोड़	—	—

(घ) शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में कालेज

क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो का नाम	2007-08 के दौरान कालेजों को दी गई सहायता	01.4.2007 से 31.3.2008 तक प्रदत्त राशि (रु० लाख में)
म.क्षे. का. भोपाल	29	59.72
पू.क्षे. का. कोलकाता	50	102.93
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	93*	27.82
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	20	49.96
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	35	34.18
प.क्षे. का. पुणे	40	17.70
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	27	47.10
जोड़	294	339.41

*इनमें "कैचअप" अनुदान के लिए सहायता प्राप्त करने वाले नये कालेज भी शामिल हैं ।

(ड़) ग्रामीण क्षेत्रों में कालेज

क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो का नाम	2007-08 के दौरान कालेजों को दी गई सहायता	01.4.2007 से 31.3.2008 तक प्रदत्त राशि (रु० लाख में)
म.क्षे. का. भोपाल	—	—
पू.क्षे. का. कोलकाता	—	—
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	—	—
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	—	—
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	—	—
प.क्षे. का. पुणे	—	—
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	—	—
जोड़	—	—

(च) दूरस्थ/सीमावर्ती/पर्वतीय क्षेत्रों में कालेज

क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो का नाम	2007-08 के दौरान कालेजों को दी गई सहायता	01.4.2007 से 31.3.2008 तक प्रदत्त राशि (रु० लाख में)
म.क्षे. का. भोपाल	—	—
पू.क्षे. का. कोलकाता	—	—
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	—	—
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	—	—
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	—	—
प.क्षे. का. पुणे	—	—
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	—	—
जोड़	—	—

(छ) कालेजों में क्षमता निर्माण पहल के लिए विशेष अनुदान

क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो का नाम	2007-08 के दौरान कालेजों को दी गई सहायता	01.4.2007 से 31.3.2008 तक प्रदत्त राशि (रु० लाख में)
म.क्षे. का. भोपाल	—	—
पू.क्षे. का. कोलकाता	—	—
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	—	—
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	—	—
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	—	—
प.क्षे. का. पुणे	—	—
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	—	—
जोड़	—	—

(ज) कालेजों में खेलकूद सुविधाएं

क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो का नाम	2007-08 के दौरान कालेजों को दी गई सहायता	01.4.2007 से 31.3.2008 तक प्रदत्त राशि (रु० लाख में)
म.क्षे. का. भोपाल	05	1.31
पू.क्षे. का. कोलकाता	—	—
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	—	—
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	—	—
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	15	1.87
प.क्षे. का. पुणे	06	1.55
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	—	—
जोड़	26	4.73

(झ) वि.अ.आ. नेटवर्क संसाधन केन्द्र की स्थापना

क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो का नाम	2007-08 के दौरान कालेजों को दी गई सहायता	01.4.2007 से 31.3.2008 तक प्रदत्त राशि (रु0 लाख में)
म.क्षे. का. भोपाल	06	.55
पू.क्षे. का. कोलकाता	25	18.75
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	—	—
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	—	—
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	04	4.00
प.क्षे. का. पुणे	31	36.85
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	01	0.17
जोड़	67	65.32

(ज) दिवस देखभाल केन्द्रों की स्थापना

क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो का नाम	2007-08 के दौरान कालेजों को दी गई सहायता	01.4.2007 से 31.3.2008 तक प्रदत्त राशि (रु0 लाख में)
म.क्षे. का. भोपाल	—	—
पू.क्षे. का. कोलकाता	—	—
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	—	—
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	—	—
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	—	—
प.क्षे. का. पुणे	—	—
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	—	—
जोड़	—	—

(ट) अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कोचिंग

क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो का नाम	2007-08 के दौरान कालेजों को दी गई सहायता	01.4.2007 से 31.3.2008 तक प्रदत्त राशि (रु० लाख में)
म.क्षे. का. भोपाल	152	1022.64
पू.क्षे. का. कोलकाता	129	615.03
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	08	22.36
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	107	697.46
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	130	495.82
प.क्षे. का. पुणे	10	39.80
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	08	58.00
जोड़	544	2951.11

(ठ) अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु "नेट" की कोचिंग

क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो का नाम	2007-08 के दौरान कालेजों को दी गई सहायता	01.4.2007 से 31.3.2008 तक प्रदत्त राशि (रु० लाख में)
म.क्षे. का. भोपाल	07	60.69
पू.क्षे. का. कोलकाता	06	39.60
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	—	—
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	—	—
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	09	124.56
प.क्षे. का. पुणे	10	19.90
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	08	56.00
जोड़	40	300.75

(इ) अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को सेवा में प्रवेश हेतु कोचिंग कक्षाएं

क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो का नाम	2007-08 के दौरान कालेजों को दी गई सहायता	01.4.2007 से 31.3.2008 तक प्रदत्त राशि (रु० लाख में)
म.क्षे. का. भोपाल	152	1022.64
पू.क्षे. का. कोलकाता	68	326.65
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	01	2.79
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	—	—
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	59	272.56
प.क्षे. का. पुणे	10	35.82
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	18	154.00
जोड़	308	1814.46

(इ) सरकारी/सहायता प्राप्त कालेजों में कार्यरत दृष्टिहीन शिक्षकों (निःशक्त व्यक्तियों के लिए योजना) को रीडर भत्ता

क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो का नाम	2007-08 के दौरान कालेजों को दी गई सहायता	01.4.2007 से 31.3.2008 तक प्रदत्त राशि (रु० लाख में)
म.क्षे. का. भोपाल	05	0.60
पू.क्षे. का. कोलकाता	09	1.75
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	—	—
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	34	5.34
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	11	1.20
प.क्षे. का. पुणे	11	1.32
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	14	3.12
जोड़	84	13.33

(ज) उपस्कर अनुरक्षण केन्द्र

क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो का नाम	2007-08 के दौरान कालेजों को दी गई सहायता	01.4.2007 से 31.3.2008 तक प्रदत्त राशि (रु० लाख में)
म.क्षे. का. भोपाल	—	—
पू.क्षे. का. कोलकाता	—	—
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	—	—
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	—	—
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	—	—
प.क्षे. का. पुणे	—	—
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	—	—
जोड़	—	—

4.5 राज्य कालेजों को योजना अनुदान

तालिका 4.2 : राज्य कालेजों को योजनागत अनुदान : 2007-08

क्र.सं.	राज्य	प्रदत्त अनुदान
1.	आंध्र प्रदेश	39.07
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.52
3.	असम	27.18
4.	बिहार	18.34
5.	छत्तीसगढ़	9.60
6.	गोवा	2.77
7.	गुजरात	12.80
8.	हरियाणा	7.54
9.	हिमाचल प्रदेश	1.50
10.	जम्मू एवं कश्मीर	4.46
11.	झारखंड	4.54

12.	कर्नाटक	44.48
13.	केरल	28.41
14.	मध्य प्रदेश	26.37
15.	महाराष्ट्र	78.12
16.	उड़ीसा	31.63
17.	पंजाब	13.35
18.	राजस्थान	25.21
19.	तमिलनाडु	56.77
20.	त्रिपुरा	0.49
21.	उत्तर प्रदेश	22.32
22.	उत्तरांचल	1.55
23.	पश्चिम बंगाल	26.83
	जोड़	483.85

4.5 दिल्ली के कालेजों तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के घटक कालेजों को अनुदान

दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध दिल्ली में स्थित 53 कालेजों और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चार संबद्ध कालेजों को आयोग क्रमशः 1955-56 तथा 1983-84 से अनुरक्षण (गैर योजना) अनुदान प्रदान कर रहा है। गैर योजना के अलावा, इन कालेजों को योजनागत सहायता भी प्रदान की जाती है।

गैर योजना अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली की कालेजों और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कालेजों को बुनियादी सुविधाओं/अवसंरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गैर योजना अनुदान (अनुरक्षण) दे रहा है। वर्तमान में, 53 कालेजों और 12 छात्रावासों को योजना और गैर योजना दोनों अनुदान प्रदान किए जा रहे हैं और दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुरक्षित 6 कालेजों को केवल योजनागत अनुदान दिया जा रहा है। **(परिशिष्ट XIV)**

53 कालेजों में से वि.अ.आ. 39 कालेजों को 95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान देता है और शेष 5 प्रतिशत शेयर को वे न्यास/दिल्ली प्रशासन से प्राप्त राशि से पूरा करते हैं। 37 कालेजों में से 16 कालेज प्रबंध शेयर दिल्ली प्रशासन से प्राप्त करते हैं और 21 कालेज संबंधित न्यास से प्राप्त करते हैं। शेष 10 सांयकालीन कालेज और 6 विश्वविद्यालय अनुरक्षित कालेज वि.अ.आ. से शत-प्रतिशत सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

किसी कालेज को "विस्तारित कालेज" नामोद्दिष्ट तब किया जाता है जब उसका नामांकन 1500 से अधिक हो जाता है और उसे 100 प्रतिशत के आधार पर भुगतान किया जाता है। तथापि, 1000 तक नामांकन होने पर कालेज को 95 प्रतिशत/100 प्रतिशत अनुदान उसके वर्ग के अनुसार दिया जाता है। 1000 तक आगे नामांकन होने पर 100 प्रतिशत अनुदान प्रदत्त किया जाएगा चाहे कालेज न्यास/दिल्ली प्रशासन के किसी भी वर्ग से संबंधित हो।

ये 53 दिल्ली कालेज, आयोग से प्राप्त अनुरक्षण अनुदान से अपने वेतन और गैर वेतन व्यय को पूरा करते हैं। प्रत्येक कालेज का बजट निर्धारित करने के लिए कालेजों के प्रिंसिपलों के साथ वार्षिक बैठकें की जाती हैं।

आयोग गैर योजना अनुरक्षण अनुदान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चार कालेजों को प्रदान करता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कालेजों को निम्न फार्मूले से सहायता प्रदान की जाती है :

- 95 प्रतिशत निधीयन वि.अ.आ. द्वारा
- 5 प्रतिशत अनुदान कालेज के प्रबंधन द्वारा

2007-08 के दौरान निम्न गैर योजना अनुदान राशि दिल्ली और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कालेजों को प्रदान की गई।

ब्यौरा	आबंटन 2007-08 (करोड़ रुपये में)	प्रदत्त अनुदान (करोड़ रुपये में)
दिल्ली कालेज	380.35	380.34
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कालेज	7.58	5.89
कुल	387.93	386.23

योजना अनुदान

59 दिल्ली कालेजों को पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की खरीद, उपस्करों, उपचारी पाठ्यक्रमों, विस्तार क्रियाकलापों, शैक्षिक सम्मेलनों में शिक्षकों की भागीदारी, भवन परियोजनाओं, छात्रावास सुविधाओं में सुधार, मरम्मत तथा कालेज भवन में नवाचार करने के लिए सामान्य विकास अनुदान (योजना) के अधीन अनुदान प्रदान किया जाता है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान "दृष्टिहीन शिक्षकों को सहायता" योजना के अधीन भी इन कालेजों को अनुदान प्रदान किया गया है।

वर्ष 2007-08 के दौरान, 59 में से 53 कालेजों को योजनागत अनुदान उपयोग प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने के पश्चात् प्रदान किए गए हैं। शेष 6 कालेजों से पिछली अनुदान राशि के उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने पर, इन कालेजों को अनुदान जारी नहीं किया गया है।

2007-08 के दौरान अनुदान जारी करने की स्थिति निम्न प्रकार है :

योजना	वर्ष के लिए आबंटन (रु० करोड़ में)	जारी की गई राशि (रु० करोड़ में)
कालेजों को सामान्य विकास सहायता	7.18	7.18
विशेष योजना के अन्तर्गत महिला छात्रावास	5.00	5.00

5 गुणवत्ता और उत्कृष्टता

5.1 स्वायत्त कालेज

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–1973) में शिक्षा आयोग (1964–66) की सिफारिशों के अनुसार स्वायत्त कालेजों की योजना तैयार की थी।

शिक्षा आयोग (1964–66) ने यह संकेत दिया था कि शिक्षकों की अकादमिक स्वतंत्रता हमारे देश के बौद्धिक वातावरण के विकास के लिए परम आवश्यक है। जब तक ऐसा वातावरण पैदा नहीं होगा तब तक उच्च शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता प्राप्त करना कठिन है। चूंकि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में छात्र, शिक्षक और प्रबंधन साझेदार होते हैं, अतः यह जरूरी है कि उन्हें मुख्य जिम्मेदारी उठाने में सहयोग करना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, शिक्षा आयोग (1964–66) ने कालेज स्वायत्ता की सिफारिश की थी। मूलतः कालेज स्वायत्ता ही आकादमिक उत्कृष्टता उपलब्ध कराने का साधन है।

उद्देश्य तथा मुख्य विशेषताएँ

- अपने अध्ययन पाठ्यक्रम और पाठ्यविवरण निर्धारित एवं विहित करना, स्थानीय जरूरतों के अनुकूल पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन करना तथा उनको पुनः डिजाइन करना।
- राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप प्रवेश निर्धारित करना।
- विद्यार्थी के कार्य के निर्धारण के लिए परीक्षा संचालन की विधियाँ तैयार करना तथा परीक्षा परिणाम की अधिसूचना जारी करना।
- उच्च स्तर प्राप्त करने तथा अधिक क्रियात्मकता के लिए शिक्षा-प्रौद्योगिकी के आधुनिक साधनों का प्रयोग करना।
- उपयोगी व्यवहारों यथा-समाज सेवा, विस्तार गतिविधि, समस्त समाज के लाभ के लिए परियोजनाओं, पड़ोसी कार्यक्रमों आदि को बढ़ावा देना।

सभी कालेज जो वि.अ.आ. अधिनियम द्वारा धारा 2(च) और 12(ख) के अधीन अनुरक्षित सूची में सम्मिलित हैं स्वायत्त स्थिति के लिए पात्र हैं। स्वायत्ता स्थिति प्रारम्भ में छः साल के लिए प्रदान की जाती है।

स्वायत्ता की स्थिति में विस्तार एक संयुक्त समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें प्रत्येक संबंधित विश्वविद्यालयों एवं राज्य सरकार के एक-एक और तीन प्रतिनिधि वि.अ.आ. के होंगे जिनमें से एक समिति के संयोजक होंगे।

इस योजना के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित ढंग से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है :

(क)	केवल पूर्व स्नातक स्तर	
	(अ) कला/विज्ञान/वाणिज्य (केवल एक संकाय)	रु0 5.00 लाख प्र.व.
	(ब) कला/विज्ञान/वाणिज्य (एक से अधिक संकाय)	रु0 7.00 लाख प्र.व.
(ख)	पूर्व स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर दोनों पर	
	(अ) केवल एक संकाय	रु0 6.00 लाख प्र.व.
	(ब) बहु संकाय	रु0 12.00 लाख प्र.व.

उपर्युक्त विवरण के अनुसार कम से कम छः कार्यक्रमों को चलाने वाले उन स्वायत्त कालेजों को वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी जिनमें दो कार्यक्रम स्नातकोत्तर स्तर पर चलाए जा रहे हों ।

स्ववित्त कालेजों के 10 वर्ष पूरे होने के बाद उनकी स्वायत्ता के लिए विचार किया जा सकता है। इनको उसी कार्यविधि का पालन करना होगा, जो अन्य कालेजों पर लागू है । यद्यपि, स्वायत्ता प्रदान करने का आशय यह नहीं है कि वे स्वायत्ता अनुदान के लिए पात्र होंगे ।

क्र.सं.	वर्ष	कालेजों की संख्या	राज्य/विश्वविद्यालयों की संख्या
1.	2005 के वित्तीय वर्ष के अंत तक	204	11 राज्य एवं 44 विश्वविद्यालय
2.	2006 के वित्तीय वर्ष के अंत तक	217	13 राज्य एवं 47 विश्वविद्यालय
3.	2007 के वित्तीय वर्ष के अंत तक	265	15 राज्य एवं 52 विश्वविद्यालय
4.	2008 के वित्तीय वर्ष के अंत तक	281	15 राज्य एवं 55 विश्वविद्यालय

रिपोर्ट वर्ष के दौरान 16 कालेजों को स्वायत्ता प्रदान की गई और 35 स्वायत्त कालेजों की स्वायत्ता सीमा में विस्तार किया गया था ।

वि.अ.आ. के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्वायत्त कालेजों को देय स्वायत्त अनुदान जारी किया जा रहा है । वर्ष 2007–08 के दौरान इन कालेजों को कुल 17.21 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया था ।

आगे, विचारों का विनिमय करने, स्वायत्ता के अन्तर्गत नवोन्मेष और परिवर्तन, प्रशासनिक और वित्तीय मामले, कालेज–विश्वविद्यालय–राज्य सरकार–वि.अ.आ. संबंध आदि की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच मुहैया कराकर स्वायत्ता की अवधारणा के दायरे को व्यापक बनाने के मद्देनजर वि.अ.आ. सम्मेलनों/संगोष्ठियों का आयोजन करता है ।

आयोग देश भर के सभी पात्र कालेजों को स्वायत्ता का दर्जा प्रदान करने के लिए वर्ष में एक बार आवेदन आमंत्रित करता है ।

वर्ष 2007–08 के दौरान स्वायत्ता का दर्जा प्रदान करने के लिए देश भर के कालेजों/विश्वविद्यालयों से आवेदन मांगने संबंधी वि.अ.आ. के विज्ञापन के उत्तर में 114 प्रस्ताव प्राप्त हुए । कालेजों को स्वायत्ता का दर्जा प्रदान करने के लिए कालेजों से प्राप्त प्रस्तावों को शार्टलिस्ट करने के शार्टलिस्टिंग समिति की बैठक का आयोजन 3–4 अप्रैल, 2008 को किया जाएगा । इस बैठक में वि.अ.आ. विशेषज्ञ समिति, कुलपति, राज्य शिक्षा सचिवों, कालेज शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा राज्य परिषद्/उनके नामनिर्दिष्ट सदस्यों के बीच आमने सामने की चर्चा की जाएगी ।

5.2 उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई)

शिक्षण तथा शोध गतिविधियों में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए वि.अ.आ. 'उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान करने के लिए अभिज्ञात विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा है । 9वीं योजना के प्रथम चरण में पांच विश्वविद्यालय, यथा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय और पुणे विश्वविद्यालय की पहचान 2000 में 'श्रेष्ठता की संभाव्यता वाला विश्वविद्यालय' का दर्जा प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों के रूप में की गई थी । दसवीं योजना के दौरान मदुरै कामराज, एनईएचयू, मुम्बई और कलकत्ता का चुनाव किया गया था ।

योजना के अंतर्गत एक योजनावधि के दौरान प्रत्येक विश्वविद्यालय को 30.00 करोड़ रु की राशि मुहैया करवाई जाएगी । इसमें से 30 प्रतिशत (9 करोड़ रु) विश्वविद्यालय द्वारा अभिज्ञात केन्द्रित क्षेत्र पर खर्च किए जाएंगे शेष 70 प्रतिशत

(21 करोड़ रु) विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास पर खर्च किए जाने चाहिए। यू पी ई योजना के अंतर्गत अभिज्ञात सभी विश्वविद्यालयों ने विज्ञान शिक्षा को केन्द्रित क्षेत्र माना है।

यूपीई योजना के अन्तर्गत चुने गए नौ विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक को जो प्रणोद क्षेत्र आबंटित किए गए उनका ब्यौरा निम्नवत् है :

क्र.सं.	योजना जिसमें पहचान की गई	विश्वविद्यालय का नाम	प्रणोद क्षेत्र
1.	IX	मद्रास विश्वविद्यालय	शकीय विज्ञान (हर्बल विज्ञान)
2.	IX	जादवपुर विश्वविद्यालय	मोबाईल अभिकलन तथा संचार
3.	IX	पुणे विश्वविद्यालय	जैव-रसायन शास्त्र तथा जैव प्रौद्योगिकी
4.	IX	हैदराबाद विश्वविद्यालय	इंटरफेस अध्ययन तथा अनुसंधान
5.	IX	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	जेनेटिक्स, जिनोमिक्स तथा जैव-प्रौद्योगिकी
6.	X	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय	जैव विज्ञान में नैनोलाजी
7.	X	नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय	जैव विज्ञान एवं क्षेत्रीय अध्ययन
8.	X	कलकत्ता विश्वविद्यालय	आधुनिक शरीर विज्ञान
9.	X	मुम्बई विश्वविद्यालय	ग्रीन प्रौद्योगिकी

> नौवीं योजना के अंतिम चरण में पांच विश्वविद्यालयों का चुनाव किया गया था परन्तु दसवीं योजना के दौरान कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया था। प्रत्येक विश्वविद्यालय को 30.00 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन/स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

> 10वीं योजना अवधि में चार निम्नलिखित विश्वविद्यालयों का चयन किया गया :

- मदुराई कामराज विश्वविद्यालय
- नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय
- मुम्बई विश्वविद्यालय
- कलकत्ता विश्वविद्यालय

> उपरोक्त प्रत्येक विश्वविद्यालय को पांच वर्ष के लिए 30.00 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया गया है।

> जनवरी, 2006 के दौरान उपरोक्त प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी कार्य योजना का क्रियान्वयन करने के लिए बीज राशि के रूप में 10.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

> इन विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए कार्य की प्रगति की समीक्षा मानीटरिंग समिति द्वारा की जाती है। इन विश्वविद्यालयों को अनुदान की अगली किस्त मानीटरिंग समिति की सिफारिशों के आधार पर जारी की जाएगी।

वर्ष 2007-08 के दौरान इन विश्वविद्यालयों को कुल 10.00 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था।

यूपीई योजना के अन्तर्गत अब तक जारी राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(रुपये करोड में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम 9वीं योजना में चयनित विश्वविद्यालय	कुल अनुमोदित राशि	कुल जारी की गई राशि
1	मद्रास विश्वविद्यालय	30.00	30.00
2	जादवपुर विश्वविद्यालय	30.00	30.00
3	पुणे विश्वविद्यालय	30.00	30.00
4	हैदराबाद विश्वविद्यालय	30.00	30.00
5	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	30.00	30.00
	10वीं योजना में चयनित विश्वविद्यालय		
6	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय	30.00	10.00
7	नार्थ इस्टर्न हिल विश्वविद्यालय	30.00	10.00
8	कलकत्ता विश्वविद्यालय	30.00	10.00
9	मुम्बई विश्वविद्यालय	30.00	10.00

5.3 उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले कालेज

मुख्यतः शिक्षण गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा ऐसी संस्थाओं में अनुसंधान पद्धति शुरू करने में चुनिंदा कालेजों की सहायता के लिए 'उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले कालेज' नामक योजना शुरू की गई है। 10वीं योजना के दौरान, आयोग का इरादा देशभर में कालेजों को अभिज्ञात करने तथा अकादमिक आधार-संरचना में सुधार करने, शिक्षण आधुनिक रीतियों तथा अधिगम और मूल्यांकन में नवाचार अपनाने तथा डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रमों के चयन में लचीला दृष्टिकोण लागू करने के लिए उनकी सहायता करने का है। कालेजों को उनके नामों के साथ 'डिग्री प्रदान करने का दर्जा' भी दिया जाएगा।

अनुदान की सीमा ₹0 35 लाख से ₹0 100 लाख तक प्रति कालेज होगी जो, कालेज के वर्ग पर आधारित होगी। यदि वह मात्र संबंध कालेज होगा तो उसे केवल ₹0 35 लाख प्राप्त होंगे। यदि वह स्वायत्त या प्रत्यापित होगा तो उसे ₹0 60 लाख प्राप्त होंगे। कालेज अगर स्वायत्त तथा प्रत्यापित होगा तो उसे ₹0 100 लाख प्राप्त होंगे। इन कालेजों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और जो कालेज ठीक निष्पादन नहीं कर रहे होंगे तो उन्हें इस संबंध में सुधार करने के लिए नोटिस दिया जाएगा। इसके पश्चात् भी यदि उनके निष्पादन में सुधार नहीं पाया गया तो उन्हें प्रदान की गई 'स्थिति' वापिस ले ली जाएगी। योजना के अधीन प्रत्येक राज्य के लिए नियतांश निर्धारित किया गया है जिसे वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(च) तथा 12(ख) के अधीन राज्य के सम्मिलित किए गए कुल कालेजों की संख्या को ध्यान में रखकर किया गया है।

कालेजों का चयन दो स्तरों पर किया जाता है : प्रथम चरण में मूल विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले श्रेष्ठ कालेजों का चयन करता है और विश्वविद्यालय इस प्रकार के कालेजों के नाम अनुशंसा सहित वि.अ.आ. को भेजते हैं। चयन का दूसरा चरण वि.अ.आ. में पूरा होता है जो कि विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसंधित कालेजों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है।

प्रथम और दूसरे चरण के दौरान प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

फ़ेस	चरण एवं चयनित वर्ग	राज्य/सं.रा.क्षे.	प्रस्तावित करने वाले विश्वविद्यालय	प्रस्तावित कालेजों की संख्या	वि.अ.आ. द्वारा चयनित कालेज
I	2004-05	27	89	239	47
II	2006-07	20	65	333	50
योग		47	154	572	97

वर्ष 2007-08 के दौरान योजना के अन्तर्गत इन कालेजों को 869.80 लाख रुपये की राशि जारी की गयी ।

5.4 विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप)

वर्ष 1963-64 के दौरान वि.अ.आ. ने उच्च अध्ययन केन्द्रों (कैस) के रूप में उनके कार्य तथा उपलब्धियों के आधार पर विश्वविद्यालय के कुछ विभागों को मान्यता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया था जिसका उद्देश्य सक्षम जनशक्ति तथा आवश्यक उपस्करों के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करना था । कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य "उत्कृष्टता की तलाश" को प्रोत्साहित करना था । 1972 के दौरान उच्च अध्ययन तथा गुप शोध को प्रोत्साहित करने के मुख्य उद्देश्य से उच्च अध्ययन केन्द्र (कैस) के सहायक कार्यक्रम के रूप में "विशेष सहायता विभाग" (डी एस ए) नामक एक अन्य कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि अभिज्ञात विभाग एक अथवा दो प्रणोद क्षेत्रों में शोध को मजबूत कर सके । बाद में वर्ष 1977 में एक और कार्यक्रम विभागीय शोध सहायता - (डी.आर.एस.) विशेष सहायता विभाग के लिए एक सहायक कार्यक्रम के रूप में गुप शोध को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से शुरू किया गया । बाद में इन तीनों योजनाओं को आपस में मिला दिया गया और अब इसे विशेष सहायता कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। यह तीन स्तरों - विभागीय शोध सहायता (डी.आर. एस.), "विशेष सहायता विभाग (डी एस ए), उच्च अध्ययन केन्द्र (कैस) पर कार्य करता है । डी.आर.एस. इसका फीडर संवर्ग है ।

विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप) के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् है :

- उन विश्वविद्यालय विभागों की पहचान करना और सहायता देना जो संबद्ध विषयों को मिलाकर शैक्षिक विषयों में गुणवत्ता शिक्षण तथा शोध करने की क्षमता रखते हैं ।
- कार्यक्रम समाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल होने चाहिए और जिनमें समाज और उद्योग की अन्योन्यक्रिया हो ।
- अच्छे शिक्षण के लिए शोध को उत्प्रेरक बनाना और अभिज्ञात प्रणोद क्षेत्रों से संबंधित नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत करना ।
- शोध संगठनों से संपर्क रखना और अपनी विशेषज्ञता को नवाचारी रूप में उपयोग करना ताकि विश्वविद्यालयों में शोध को समर्थन दिया जा सके ।
- शोध के निर्गम का राष्ट्र और समाज के विकास के लिए उपयोग में लाना ।
- नए/व्यापक क्षेत्र/क्षेत्रों की खोज करना और उनका संवर्धन तथा विकास करना ।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत जैवविज्ञानों, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान के विभागों, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों को तीन या चार अभिज्ञात प्रणोद क्षेत्रों में शोध उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तथा विभाग के स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी सहायता दी जाती है। जनशक्ति, उपस्कर, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, विद्यमान भवन के नवीकरण/परिवर्तन तथा उन्नयन कार्यगत व्यय तथा यात्रा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा संसाधन जुटाने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने, योग्य छात्रों को एक दूसरे

के साथ मिलाने तथा ग्रीष्म संस्थान आयोजित करने के लिए भी प्रोत्साहन के रूप में तदनुरूपी अनुदान प्रदान किए जाता हैं। यह अनुदान शत-प्रतिशत आधार पर दिया जाता है।

वित्तीय सहायता केवल मात्र रु0 40 लाख से रु0 100 लाख तक है और यह कार्यक्रम के स्तर तथा विद्याशाखा/विषय पर निर्भर करती है। विभिन्न कार्यक्रमों के लिए तथा विषयों के लिए अधिकतम सीमा इस प्रकार है :

विभिन्न स्तरों पर "सैप" के अन्तर्गत वित्तीय सहायता

(रुपये लाख में)

कार्यक्रम/स्तर	विज्ञान तथा इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी विभाग	गणित, सांख्यिकी, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान
सैप/सीएस	100	60
सैप/डीएसए	75	50
सैप/डीआरएस	50	40

प्रारंभ में विभागों की सहायता पांच वर्ष के लिए की जाती है। विशेषज्ञ समीक्षा समिति की सहायता से तीन या चार वर्ष के बाद विभाग के निष्पादन का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है। ये समितियां विभागों के निष्पादन का मूल्यांकन शोध के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि, शोध प्रकाशन, तैयार की गई जनशक्ति, विकसित शोध संरचना, सृजित सुविधाएं, स्नातकोत्तर शिक्षण की गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि की दृष्टि से करती है। विशेषज्ञ समीक्षा समिति की सिफारिशों पर आयोग द्वारा विचार किया जाता है और इन सिफारिशों के आधार पर विभागों को सहायता उसी स्तर पर अथवा अगले उच्च स्तर पर बढ़ाकर अथवा निचले स्तर तक घटाकर जारी रखी जाती है अथवा बंद भी कर दी जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2007-08 के दौरान विभिन्न विद्या शाखाओं में 596 विभागों को सहायता प्रदान की जिनमें से रिपोर्टाधीन हानि वर्ष के दौरान 114 विभागों की समीक्षा की गयी थी। समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर 21 विभागों को डीएसए से सीएस में उन्नयन किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है :

- नए इन्डिकेशन — शून्य
- उसी स्तर पर बने रहे — 75
- कोटि उच्च की गई — 20 (16 डीएसए से सीएस), (4 डीआरएस से डीएसए)
- बंद किए गए — 19

समीक्षा के बाद सैप के अधीन सहायतार्थ विभागों का विवरण निम्न प्रकार है :

स्तर	मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान	विज्ञान	जैव विज्ञान एवं इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी	जोड़
सीएस	31	34	42	107
डीएसए	53	36	29	118
डीआरएस	151	101	100	352
जोड़	235	171	171	577

वर्ष 2007-08 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मानविकी/सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा जैव विज्ञान एवं इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी विभागों को निम्न वित्तीय सहायता प्रदान की :

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विद्या शाखा	बजट नियतन	प्रदत्त अनुदान
1.	मानविकी/सामाजिक विज्ञान	10.00	11.69
2.	शारीरिक विज्ञान	14.00	14.06
3.	जैव विज्ञान/इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी	14.00	17.25
	जोड़	38.00	43.00*

*तदनुसार आबंटन संशोधित किए गए ।

वि.अ.आ. द्वारा विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप) के अधीन निम्न दो प्रकार के अनुदान प्रदान किए जाते हैं :

- **अनावर्ती** : इस शीर्ष के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुदानों का उपयोग विभाग द्वारा 2 वर्षों के दौरान किया जाना चाहिए । चरण के पूर्ण होने पर समीक्षा के समय पर लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाता है और आगे का अनुदान पिछले चरण के लेखाओं को अंतिम रूप देने के पश्चात जारी किया जाता है ।
- **आवर्ती** : यह अनुदान वार्षिक आधार पर प्रदान किया जाता है। पिछले वर्ष के अनुदान के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही अगले वर्ष की अनुदान राशि जारी की जाती है। इसलिए आवर्ती शीर्ष के तहत कोई बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र नहीं है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा **01.4.2007** को डीआरएस, डीएसए तथा सीएसए के स्तर पर विशेष सहायता कार्यक्रम के अधीन कुल 596 विभागों को सहायता प्रदान की जा रही थी । 31.3.2008 को 577 विभागों की स्थिति निम्नवत् है :

स्तर	विद्याशाखा	वि.अ.आ. द्वारा अनुमोदित सहायता प्रदत्त विभागों की संख्या	
		01.4.2007	31.3.2008
सीएसए	मानविकी/सामाजिक शारीरिक विज्ञानजैव-विज्ञान/ इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी	24 30 37	31 34 42
	जोड़	91	107
डीएसए	मानविकी/सामाजिक शारीरिक विज्ञानजैव-विज्ञान/ इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी	61 39 34	53 36 29
	जोड़	134	118
डीआरएस	मानविकी/सामाजिक शारीरिक विज्ञानजैव-विज्ञान/ इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी	156 110 105	151 101 100
	जोड़	371	352
	कुल जोड़	596	577

बजट नियतन का पर्याप्त विवरण, जारी किए गए अनुदान तथा हिताधिकारी विभागों की संख्या तालिका

5.1(क), 5.2(क) और 5.3(क) तथा विभागों की समीक्षा सारणी 5.1(ख) 5.2(ख) और 5.3(ख) में दिखाई गई है :

तालिका 5.1 :

वर्ष 01.4.2007 से 31.3.2008 के दौरान वर्षवार बजट नियतन की स्थिति, जारी किए गए अनुदान तथा हिताधिकारी विभागों के संख्या : भौतिक विज्ञान

वर्ष	बजट नियतन	जारी किए गए अनुदान	हिताधिकारी विभागों की संख्या
2007–08	14.00 करोड़	14.06 करोड़	115

01.04.2007 को स्थिति विभागों की संख्या :

सीएसएस	:	30
डीएसएस	:	39
डीआरएस	:	110
जोड़	:	179

31.03.2008 को स्थिति विभागों की संख्या :

सीएसएस	:	34
डीएसएस	:	36
डीआरएस	:	101
जोड़	:	171

तालिका 5.2 : वर्ष 01.4.2007 से 31.3.2008 के दौरान वर्षवार बजट नियतन की स्थिति, जारी किए गए अनुदान तथा हिताधिकारी विभागों के संख्या : जैव विज्ञान/इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी

(रु. करोड़ों में)

वर्ष	बजट नियतन	जारी किए गए अनुदान	हिताधिकारी विभागों की संख्या
2007–08	14.00 करोड़	17.25 करोड़	32

01.04.2007 को स्थिति विभागों की संख्या :

सीएएस	:	37
डीएसए	:	34
डीआरएस	:	105
जोड़	:	176

31.03.2008 को स्थिति विभागों की संख्या :

सीएएस	:	42
डीएसए	:	29
डीआरएस	:	100
जोड़	:	171

तालिका 5.3 : वर्ष 01.4.2007 से 31.3.2008 के दौरान वर्षवार बजट नियतन की स्थिति, जारी किए गए अनुदान तथा हिताधिकारी विभागों के संख्या : मानविकी/सामाजिक विज्ञान

(रु. करोड़ों में)

वर्ष	बजट नियतन	जारी किए गए अनुदान	हिताधिकारी विभागों की संख्या
2007-08	11.69 करोड़	11.69 करोड़	226

01.04.2007 को स्थिति विभागों की संख्या :

सीएएस	:	24
डीएसए	:	61
डीआरएस	:	156
जोड़	:	241

31.03.2008 को स्थिति विभागों की संख्या :

सीएएस	:	31
डीएसए	:	53
डीआरएस	:	151 (150 + 1*)
जोड़	:	235

*सैप- अनुभाग से एक विभाग : जनसंख्या अध्ययन विभाग, एस.वी. विश्वविद्यालय, तिरुपति प्राप्त हुआ ।

1.04.2007 से 31.03.2008 के दौरान भौतिक विज्ञान में विभागों की समीक्षा की स्थिति:

वर्ष	कार्यक्रम	1.04.07 के विभागों की कुल सं.	शामिल किए गए	समीक्षित	जारी उसी स्तर पर	उन्नत किए गए	मध्यावधि समीक्षा	बंद किए गए	31.3.08 को विभागों की कुल सं.
2007-08			शून्य	44	31	04 डीएसए से सीएएस 02 (डीआर एस से डीएसए)	शून्य	8 (6 डी आरएस) (1डीएसए) (1डीआरएस सेप-III में स्थानांतरित)	
	एसएपी / सीएएस	30							34
	एसएपी / डीएसए	39							36
	एसएपी / डीआरएस	110							101
	जोड़	179							171

1.04.2007 से 31.03.2008 के दौरान जैव विज्ञान/इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी में विभागों की समीक्षा की स्थिति :

वर्ष	कार्यक्रम स्तर	1.04.07 के विभागों की कुल सं.	शामिल किए गए	समीक्षित	जारी उसी स्तर पर	उन्नत किए गए	मध्यावधि समीक्षा	बंद किए गए	31.3.08 को विभागों की कुल सं.
2007-08			शून्य	35	24	05 (डीएस ए से सीएसएस)	01	डीआर एस:4 डीएसए:1	
	एसएपी / सीएसएस	37							42
	एसएपी / डीएसए	34							29
	एसएपी / डीआरएस	105							100
	जोड़	176							171

तालिका 5.3(ख) :

1.04.2007 से 31.03.2008 के दौरान मानविकी/सामाजिक विज्ञान में विभागों की समीक्षा की स्थिति :

वर्ष	कार्यक्रम स्तर	1.04.07 के विभागों की कुल सं.	शामिल किए गए	समीक्षित	जारी उसी स्तर पर	उन्नत किए गए	मध्यावधि समीक्षा	बंद किए गए	31.3.08 को विभागों की कुल सं.
2007-08			शून्य	35	20	07 (डीएसए से सीएसए) 01 (डी आरएस से डीएसए)	01	डीएसए -2 डीआरएस -5	
	एसएपी / सीएसए	24							31
	एसएपी / डीएसए	61							53
	एसएपी / डीआरएस	156							151 (150+1*)
	जोड़	241							235

* एक विभाग जनसंख्या विभाग, एस.वी.विश्वविद्यालय, तिरुपति सैप-I से प्राप्त हुआ :

5.5 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की आधार-संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सहायता (असिस्ट) और मानविकी एवं सामाजिक विज्ञानों की आधार संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सहायता (अशिस)

वर्ष 1983 में मंत्रिमंडल की विज्ञान सलाहकार समिति (साक), भारत सरकार ने विश्वविद्यालय विभागों के गैर-अधिकारी तंत्र में विश्वविद्यालयों के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लिए आधारीक संरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता महसूस की तथा भारतीय विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में उक्त उद्देश्य से कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अभिज्ञात किया गया। इस प्रकार विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आधार संरचना विकास (स्टिड) योजना शुरू की गई और जब इसने गति पकड़ ली तब यह कार्यक्रम "कोसिस्ट" के नाम से जाना जाने लगा जो कि "विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की आधारीक संरचना को सुदृढ़ करने वाली समिति" का संक्षिप्त नाम है। 10वी योजना के पहले वर्ष के दौरान उपर्युक्त कार्यक्रम को 'असिस्ट' नाम से चलाया जा रहा है।

वर्ष 2004-05 के दौरान आयोग ने यह निर्णय किया कि मानविकी और सामाजिक विज्ञानों की आधार संरचना को भी सुदृढ़ 'असिस्ट' कार्यक्रम के जरिए किया जा सकता है। 'असिस्ट' कार्यक्रम विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी विषयों के लिए हैं जबकि 'अशिस' मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के लिए हैं।

'असिस्ट' तथा 'अशिस' कार्यक्रमों का उद्देश्य अभिज्ञात क्षेत्रों में शोध तथा स्नातकोत्तर शिक्षण में प्राप्त श्रेष्ठता को सतत रूप से बनाए रखने के लिए मूल्यवान प्रमुख उपस्कर, जिन्हें 'सैप' अनुदान या सामान्य विश्वविद्यालय विकास अनुदानों में से अनुमोदित नहीं किया जा सकता, प्राप्त करके अवसंरचना को सुदृढ़ करना ताकि सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण उत्कृष्टता की प्राप्ति में बाधा न आए।

'असिस्ट' तथा 'अशिस' स्तर सहायता केवल उन विभागों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने 'सैप' कार्यक्रम के अधीन डीआरएस (विभागीय अनुसंधान समर्थन) का न्यूनतम स्तर पर कम से कम एक टर्म पूरा कर लिया है और जिसकी समीक्षा

हो गई है और जिसको आगे जारी रखने के लिए सिफारिश की गई है। अंतिम चयन के लिए, संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ दलों से सलाह ली जाती है।

चयनित विभाग (विज्ञान, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी) को असिस्ट कार्यक्रम के अधीन समर्थन के लिए वित्तीय सीमा ₹0 100.00 लाख है और (गणित एवं सांख्यिकी) विभाग के लिए ₹0 60.00 लाख है जो 5 वर्ष की अवधि (केवल एक टर्म) के लिए है। 'अशिस' कार्यक्रम की वित्तीय सीमा 60.00 लाख है। सहायता परिष्कृत तथा आवश्यक उपस्करों के अर्जन, भवन को बढ़ाने/परिवर्तन करने/प्रयोगशाला का नवीकरण करने, पुस्तकें और जर्नल खरीदने, कार्यचालन व्यय करने, संगोष्ठियां आयोजित करने, यात्रा/क्षेत्र यात्राओं आदि के लिए प्रदान की जाती है। सतत् परीवीक्षण, समीक्षा तथा मूल्यांकन योजना का अभिन्न अंग है। 'असिस्ट' और 'अशिस' सहायता प्राप्त विभागों को प्रकार्यात्मक स्वायत्ता प्रदान की गई है। कार्यक्रम की अवधि पांच वर्ष एक पूर्ण टर्म के लिए है। वित्तीय सहायता शत-प्रतिशत आधार पर दी जाती है।

कार्यक्रम के अधीन समर्पित विभागों द्वारा की गई प्रगति, निष्पादन, उपलब्धियों का परीवीक्षण/मूल्यांकन तथा समीक्षा निम्न समितियों द्वारा की जाती है :

- सलाहकार समिति
- मध्य अवधि परीवीक्षण/समीक्षा समिति
- अंतिम अवधि/अंतिम समीक्षा समिति

वि.अ.आ. कार्यक्रम के अधीन निधियों की उपलब्धता को देखते हुए निम्न अतिरिक्त अनुदान सहायता पर भी विचार कर सकता है :

- गारंटी/ वारंटी अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् अनुरक्षण के लिए सहायता दर-ठेका आधार पर कार्यक्रम की शेष अवधि के लिए उपस्कर लागत का 5 प्रतिशत तक दी जा सकती है।
- ग्रीष्म संस्थान और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम : यदि, अकादमिक स्टाफ कालेज से निधियां नहीं हैं तो अतिरिक्त अनुदान के रूप में कार्यक्रम से सहायता प्रदान की जा सकती है।
- छात्रों की संलग्नता (स्नातकोत्तर डिग्री भाग-I तथा पूर्वस्नातक डिग्री भाग-II)
- शोध के लिए अंतराष्ट्रीय सहयोग
- उपरी व्यय : उपरी खर्चों के लिए सहायता विभाग को अनुमोदित कुल आबंटित राशि (अनावर्ती तथा आवर्ती) का 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त सहायता के रूप में दी जाएगी जो अधिकतम ₹0 2.00 लाख या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, के अध्ययनाधीन होगी।

वर्ष 2007-08 के लिए निष्पादन बजट तथा भावी कार्य योजना

क्र.सं.	योजना का नाम और शीर्ष	आबंटन (योजना)	प्राप्त भौतिक लक्ष्य	प्राप्त वित्तीय लक्ष्य	भावी कार्य योजना 10वीं योजना	
					वास्तविक	वित्तीय
1.	असिस्ट एवं अशिस कार्यक्रम (योजना)	1.88 करोड़ रुपये	51 विभाग (कार्यरत)	₹0 1.82 करोड़	**	**

**असिस्ट तथा अशिस योजनाओं के संबंध में 11 और 12 फरवरी, 2008 को आयोजित आयोग की 443वीं बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया गया था :

असिस्ट : अन्य इसी प्रकार की योजनाओं के साथ अतिव्याप्तता को हटाने और इन योजनाओं के साथ समेकित करने के लिए इसे प्रो. एम.एम. शर्मा समिति (गणित और सांख्यिकी सहित) को भेजा जाए ।

अशिस : यह योजना सेप के अन्तर्गत शामिल/आमेलित कर ली गयी और इस योजना के संबंध में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए अध्यक्ष, वि.अ.आ. को प्राधिकृत किया गया ।

कार्यक्रम के देशव्यापी मूल्यांकन से ज्ञात होता है कि शिक्षकों तथा छात्रों दोनों ही में उत्साह तथा प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करने के लिए वैज्ञानिक समुदाय द्वारा इसकी व्यापक सराहना एवं प्रशंसा की गई है। इसके अलावा इस कार्यक्रम के माध्यम से विभागों द्वारा प्राप्त आधारिक सुविधाओं ने विदेशों से भी अधिक निधियां प्राप्त की हैं।

प्रारंभ से अब तक कोसिस्ट (अब असिस्ट) के अन्तर्गत 221 और अशिस के अन्तर्गत 78 विभागों को सहायता दी जा चुकी है।

5.6 राजभाषा (हिन्दी) को बढ़ावा देना

केन्द्रीय सरकार ने 1963 में राजभाषा अधिनियम के द्वारा हिन्दी को भारत की संघ की सरकारी/कामकाजी भाषा घोषित किया और केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों को सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक "राजभाषा सेल" स्थापित करने का निर्देश दिया।

राजभाषा अधिनियम का पालन करते हुए वि.अ.आ. ने शुरू में एक राजभाषा सेल स्थापित किया था जो 1992 में एक पूर्ण राजभाषा अनुभाग बन गया। नीति के अनुसार सेल के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :-

- विश्वविद्यालयों/कॉलेजों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच समन्वयक के रूप में काम करना।
- राजभाषा के प्रयोग के लिए जागरुकता पैदा करना और सरकारी कामकाज में राजभाषा नीति के प्रगामी अनुपालन को तेज करना।
- हिन्दी में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए वि.अ.आ. के पदधारियों को नामित करना और उनको सुविधा प्रदान करना।
- सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करना।
- निबंध प्रतियोगिता, वाद-विवाद, श्रुतलेख हिन्दी टाइपिंग और प्रारूपण/टिप्पण आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित करना।
- प्रतिवर्ष हिन्दी पखवाड़ा (1 से 14 सितम्बर) के दौरान हिन्दी दिवस मनाना।
- वि.अ.आ. के अहिन्दी भाषा के कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अधीन प्रवीण, प्रबोध और प्राज्ञ का प्रशिक्षण देना।

वर्ष 2007-08 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की गईं:

- वि.अ.आ. के कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं:
 - 'क' और 'ख' वर्ग के अधिकारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता
 - 'ग' और 'घ' वर्ग के अधिकारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता
 - 'ग' तथा 'घ' वर्ग के कर्मचारियों के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिता
 - कर्मचारियों के लिए प्रारूपण और टिप्पण प्रतियोगिता
 - कर्मचारियों के लिए हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता

- सरकारी कामकाज में हिन्दी संवर्धन के लिए दो कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- 13 सितम्बर, 2007 को हिन्दी दिवस मनाया गया।
- 1 से 14 सितम्बर, 2007 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया।
- अंग्रेजी में प्राप्त प्रलेखों का वि.अ.आ. द्वारा बनाए गए अनुवादकों के पैनल से हिन्दी में अनुवाद कराया गया।
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं।
- 10 अधिकारियों/कर्मचारियों को 'गहन हिन्दी प्रशिक्षण' के लिए भेजा गया।
- सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अपने अनुसंधान लेखों/एल.एल.बी. प्रवेश परीक्षा हिन्दी में कराने पर भी जोर दिया गया।
- राजभाषा के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदेशों का पालन किया गया।
- वि.अ.आ. ने गैर-हिन्दी भाषी विश्वविद्यालयों को एक लाख रुपये (हिन्दी की पुस्तकें और पत्रिकाएं खरीदने के लिए 50,000/- रुपये और कार्यशाला तथा सेमिनार आयोजित करने के लिए 50,000/- रुपये) का अनुदान दिया।

वित्त वर्ष 2007–08 के दौरान निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई :-

1. नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर (आंध्र प्रदेश)
2. गांधीग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय, गांधीग्राम (तमिलनाडु)
3. नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग (प. बंगाल)
4. मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर
5. कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़
6. मनोमनियम सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तिरुनेलवली
7. मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
8. श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति
9. त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला
10. मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, मदुरई
11. केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम
12. रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता
13. विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर
14. श्री चन्द्रशेखद्रा सरस्वती विश्वविद्यालय, कांचीपुरम
15. द इंग्लिश एंड फोरन लैंग्वेज यूनीवर्सिटी, हैदराबाद
16. कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, बीजापुर

इसके अतिरिक्त, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली को हिन्दी कार्यशाला आयोजित करने के लिए क्रमशः 2 लाख रुपये और 2.45 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।

5.7 यात्रा अनुदान

वि.अ.आ. कॉलेज के शिक्षकों, कुलपतियों तथा आयोग के सदस्यों को विदेश में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अनुसंधान पत्र प्रस्तुत करने के लिए वित्तीय सहायता देता रहा है। यह कार्यक्रम इस उद्देश्य के कारण अस्तित्व में आया कि अध्यापक, विदेशों में उच्चतर शिक्षा की विदेशी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने अनुसंधान पत्र प्रस्तुत कर सकें और वहां उच्चतर शिक्षा की प्रचलित शब्दावली को देखें और अध्ययन करें तथा भारत वापस आने पर वे उसे भारतीय शैक्षिक संस्थाओं में प्रचालित कर सकें। इस सुविधा का लाभ तीन वर्षों में एक बार उठाया जा सकता है। कॉलेज के अध्यापकों के लिए अनुमत्य व्यय के 50 प्रतिशत के बराबर सहायता सीमित है। कुलपतियों और आयोग के सदस्यों के लिए यह शत-प्रतिशत के आधार पर है। वर्ष 2007-08 के दौरान 63 कॉलेज के अध्यापक और 2 कुलपति ने इस सुविधा का लाभ उठाया। 1.20 करोड़ रुपये के कुल बजटीय आबंटन में से अध्यापकों/कुलपतियों की यात्रा पर 95.62 लाख रुपये खर्च किए गए।

यूनेस्को प्रोग्राम : यात्रा अनुदान योजना के अलावा, यात्रा अनुदान प्रकोष्ठ को भी यूनेस्को कार्यक्रमों का कार्य सौंपा गया है जिसके अधीन यूनेस्को द्वारा विभिन्न सदस्य देशों में विदेश में चलाये जा रहे अध्येतावृत्तियाँ/प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित परिपत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से उन्हें भारत में विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में परिचालित करने के लिए प्राप्त हुए हैं।

5.8 द्विपक्षीय और शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार की ओर से भारत और अन्य देशों के बीच उच्च शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 2007-08 में 44 देशों के साथ मिलकर शैक्षिक विनिमय कार्यक्रमों एवं सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों को संचालित किया गया।

वर्ष 2007-08 के दौरान, वि.अ.आ. ने विभिन्न देशों के 115 विदेशी स्कॉलरों शिष्टमंडलों (13 स्कॉलर एवं 102 शिष्टमंडल) की मेजबानी की और भारत की विभिन्न संस्थाओं में उनके कार्यक्रमों के अंतर्गत 72 भारतीय स्कॉलरों को विदेश भेजा गया।

• वि.अ.आ. में विदेशी शिष्टमंडलों के आगमन और सेमिनार आयोजित करने का ब्यौरा :-

- भूटान के एक सदस्यीय शिष्टमंडल ने 18 मई 2007 को वि. अ. आ. का दौरा किया।
- नीदरलैंड के पांच सदस्यीय शिष्टमंडल ने 22 अगस्त, 2007 को वि.अ.आ. का दौरा किया।
- तंजानिया के तीन सदस्यीय शिष्टमंडल ने 5 सितम्बर, 2007 को वि.अ.आ. का दौरा किया।
- स्पेन के पांच सदस्यीय शिष्टमंडल ने 8 अक्टूबर, 2007 को वि.अ.आ. का दौरा किया।
- फिनलैंड के तीन सदस्यीय शिष्टमंडल ने 13 अक्टूबर, 2007 को वि.अ.आ. का दौरा किया।
- जर्मन के पांच सदस्यीय शिष्टमंडल ने 30 अक्टूबर, 2007 को वि.अ.आ. का दौरा किया।
- फिनलैंड के एक सदस्यीय शिष्टमंडल ने 8 नवम्बर, 2007 को वि.अ.आ. का दौरा किया।
- बुल्गारिया के एक सदस्यीय शिष्टमंडल ने 14 नवम्बर, 2007 को वि.अ.आ. का दौरा किया।
- नीदरलैंड के 29 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 26 नवम्बर, 2007 को वि.अ.आ. का दौरा किया।
- थाईलैंड के सात सदस्यीय शिष्टमंडल ने 11 दिसम्बर, 2007 को वि.अ.आ. का दौरा किया।
- श्रीलंका के एक सदस्यीय शिष्टमंडल ने 10 जनवरी, 2008 को वि.अ.आ. का दौरा किया।

- नीदरलैंड के ग्यारह सदस्यीय शिष्टमंडल ने 11 मार्च, 2008 को वि.अ.आ. का दौरा किया।
- ओमान के पंद्रह सदस्यीय शिष्टमंडल ने 25 मार्च, 2008 को वि.अ.आ. का दौरा किया।
- पाकिस्तान के पंद्रह सदस्यीय शिष्टमंडल ने 25 मार्च, 2008 को वि.अ.आ. का दौरा किया।

सभी शिष्टमंडलों ने वि.अ.आ. में आकर उच्च शिक्षा के द्विपक्षीय मामलों, डिग्रियों की मान्यता (जो कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ तय करता है), विश्वविद्यालयों के विभिन्न प्रारूप एवं निधिकरण संस्थाओं को सत्यापन और मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली।

● भारत मारीशस करार

एक चौथे कांसर्टियम करार पर वि.अ.आ. और तृतीय शिक्षा आयोग, मारीशस (2007-2010) के बीच 18 अप्रैल, 2007 द्वारा हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ स्कॉलरों के विनिमय का भी प्रावधान है।

- (क) चौथे कांसर्टियम करार के अंतर्गत वि.अ.आ. ने 12 भारतीय स्कॉलरों को मारीशस का दौरा करने हेतु मनोनीत किया है।
- (ख) चौथे कांसर्टियम करार के अंतर्गत वि.अ.आ. को मारीशस से भारत आने हेतु 28 सदस्यों के नाम मिल गए हैं और 6 नामों की प्रतीक्षा है।

● विदेशी भाषा शिक्षक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहयोगात्मक कार्यक्रम बनाए हुए हैं जिनमें साथ-साथ ही विदेशी भाषाओं के शिक्षण के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषा शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है। उनकी नियुक्ति विश्वविद्यालयों में संबंधित देश के मिशन तथा संबंधित विश्वविद्यालय से परामर्श के साथ की जाती है। विश्वविद्यालय को भाषा शिक्षक प्रदान करते समय सामान्यतः यह सुनिश्चित किया जाता है कि विदेशी भाषा शिक्षण के लिए विश्वविद्यालयों में उचित आधारीक संरचना है।

वर्ष 2007-08 के दौरान, भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 28 विदेशी भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। भाषावार शिक्षकों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

जर्मन-3, फ्रेंच-2, पुर्तगाली-2, स्पेनी-10, हंगेरियाई-1, अफगानी-1, क्रोशियाई-1, बुल्गेरियाई-1, रोमानिया-1, चेक-1, पोलिश-1, चीनी-2 तथा ईरानी-1.

अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां

(क) जर्मन अकादमिक विनिमय सेवा (डीएएडी)

डीएएडी के अध्यक्ष प्रो. थियोडोर बरचेम और वि.अ.आ. के अध्यक्ष प्रो. सुखदेव थोरात के बीच 30.1.2007 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

- (i) **वैज्ञानिक कार्यक्रमों का विनिमय** : इस कार्यक्रम में दोनों देशों के 10 वैज्ञानिकों का मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विनिमय होगा और दोनों देश आपस में मिलकर विशेष विषयों को चुनने का निर्णय लेंगे। विनिमय की अवधि 2 सप्ताह से कम और 4 सप्ताह से अधिक नहीं होगी। इस अवधि में 3 आयोजक संस्थाओं का दौरा किया जा सकता है। प्रत्येक देश को अपने मेहमान वैज्ञानिकों का यात्रा खर्च वहन करना होगा। इसके लिए नाम मांगे गए हैं।
- (ii) **व्यक्तिगत विनिमय कार्यक्रम (पी.पी.पी.-2007)** : जर्मन अकादमिक विनिमय कार्यक्रम (डीएएडी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने नई दिल्ली में स्कॉलरों के वित्तपोषक के माध्यम से वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाने हेतु एक कार्यक्रम बनाया है और यह मुख्यतः मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाओं में सहयोग करेगा। युवा पी.एचडी और डॉक्टर की डिग्री धारक वैज्ञानिकों और स्कॉलरों

पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह कार्यक्रम 2008 में शुरू होगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दो भारतीयों का नाम डीएएडी कार्यक्रम को विचारार्थ भेजा गया है।

(iii) **दक्षिण-एशियाई और भारतीय संस्थान :** जर्मन ने भारतीय वैज्ञानिकों को वर्ष 2007-08 के लिए हैडलबर्ग में दक्षिण-एशियाई संस्थान में काम करने हेतु दो-तीन माह की छात्रवृत्ति हेतु वार्षिक अवार्ड दिया है। वि.अ.आ. ने 4 स्कॉलरों के नाम भेजे हैं और उनमें से 2 स्कॉलरों को दक्षिण-एशियाई संस्थान, हैडलबर्ग ने चुन लिया है।

(ख) भारत-फ्रांस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अधीन 2007-08 हेतु फ्रांस सरकार छात्रवृत्तियां :

फ्रेंच दूतावास प्रतिवर्ष भारतीय नागरिकों को दो छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। फ्रेंच भाषा, साहित्य, संस्कृति और सभ्यता अधिगम के क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए फ्रांस की सरकार ने 2007-08 के दौरान दो स्कॉलरों को फ्रांस सरकार छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थी। जो आवेदक एम.ए.फ्रेंच में 30 वर्ष की आयु के अंदर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं वही इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

• **भारत फ्रांस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अधीन समाज वैज्ञानिक विनिमय कार्यक्रम :**

प्रत्येक वर्ष वि.अ.आ. विश्वविद्यालयों एवं कॉलेज के कुछ शिक्षकों (सामाजिक वैज्ञानिक) को इस योजना के अंतर्गत पेरिस भेजता है। वर्ष 2007-08 में आयोग द्वारा फ्रांस जाने के लिए 12 भारतीय स्कॉलर नामित किए। विनिमय के इस कार्यक्रम में फ्रांस के 7 स्कॉलर भारत आए।

• **‘सार्क’ अध्येतावृत्तियाँ/छात्रवृत्तियाँ :**

वर्ष 2007-08 के दौरान सार्क देशों के सार्क कार्यक्रम के लिए श्रीलंका की प्रजातांत्रिक, सामाजिक संघीय सरकार ने भारत से तीन नामांकन तीन सार्क चेयरों को सूचना प्रौद्योगिकी जैव-प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, रसायन, भौतिकी, गणित एवं अंग्रेजी के क्षेत्रों के लिए आमंत्रित किया है। वि.अ.आ. ने चार भारतीय स्कॉलरों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत नामांकित किया। श्रीलंका पक्ष ने एक सार्क चेयर के लिए एक स्कॉलर के लिए अपनी अनुमति दे दी और स्कॉलर के यात्रा कार्यक्रम का ब्यौरा मांगा है जिसको श्रीलंका के पक्ष को सूचित कर दिया गया है। श्रीलंका सरकार से इस यात्रा कार्यक्रम की स्वीकृति अभी नहीं आयी है।

नेपाल सरकार ने दो सार्क चेयरों के लिए 1 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ग्रामीण विकास एवं 1 एमबीबीएस हेतु सार्क छात्रवृत्तियों के दो नाम वि.अ.आ. से मांगे हैं जिसमें वि.अ.आ. ने दो नामांकन नेपाल सरकार को भेज दिए हैं। नेपाल सरकार से इन चयनों के बारे में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

• **राष्ट्रमंडलीय अकादमिक स्टाफ अध्येतावृत्तियां :**

प्रत्येक वर्ष यू.के. में राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ 80 राष्ट्रमंडलीय अकादमिक स्टाफ अध्येतावृत्तियां प्रदान करता है ताकि भारत में विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में होनहार संकाय सदस्य यू.के. के विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में अनुसंधान कार्य कर सकें।

वर्ष 2007 के दौरान, वि.अ.आ. ने अध्येतावृत्तियों के लिए 81 शिक्षकों की सिफारिश की। इनमें से राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ ने राष्ट्रमंडलीय अकादमिक स्टाफ अध्येतावृत्ति अवार्ड के लिए 26 शिक्षकों का चयन अंतिम रूप से किया।

- **राष्ट्रमंडलीय (स्पिलट साइट) छात्रवृत्तियां :**

वर्ष 2007–08 के दौरान, राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ, यू.के. ने भारत में डॉक्टरल उपाधि के लिए अध्ययन कर रहे कनिष्ठ संकाय या छात्रों के लिए जो यू.के. में एक वर्ष पूर्णकालिक अध्ययन का लाभ उठाना चाहते हैं, 14 राष्ट्रमंडलीय विभाजित स्थल डॉक्टरल छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव किया। वि.अ.आ. ने 14 (3 प्रतीक्षा सूची में) स्कॉलरों को नामित किया और राष्ट्रमंडलीय विभाजित स्थल छात्रवृत्तियों के अधीन राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ, यू.के. ने 8 स्कॉलरों को स्वीकृत किया।

- **स्रोत सामग्री एकत्र करने की योजना के अधीन शिक्षकों को विदेश में दौरा करने के लिए यात्रा अनुदान :**

इस योजना के अधीन आयोग विश्वविद्यालय/कॉलेज शिक्षकों को स्रोत सामग्री एकत्र करने/अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के लिए शत-प्रतिशत यात्रा अनुदान उपलब्ध कराता है। यह सहायता केवल उन्हीं स्कॉलरों को उपलब्ध कराई जाती है जिन्होंने विदेश में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम से कम दो महीने के अनुरक्षण के लिए आश्वासन प्राप्त कर रखा है। वर्ष 2007–08 के दौरान इस योजना के अधीन 7 शिक्षकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

- **इंडो-फिनलैंड सरकार छात्रवृत्तियां :**

फिनलैंड सरकार, फिनलैंड में उच्च शिक्षा संस्था या सार्वजनिक अनुसंधान संस्थान में स्नातकोत्तर अध्ययन, अनुसंधान और शिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करता है।

वर्ष 2007–08 में आयोग ने फिनलैंड जाने के लिए तीन भारतीय स्कॉलरों को नामित किया। उन्होंने सफलतापूर्वक फिनलैंड में अपना कार्य पूरा कर लिया है। भारतीय पक्ष ने दो स्कॉलरों को प्राप्त किया जिनको फिनलैंड सरकार ने वर्ष 2007–08 के लिए नामित किया।

- **इंडो-हंगेरियन ई.ई.पी. लघु-दीर्घ अवधि छात्रवृत्ति :**

वर्ष 2007–08 के दौरान 9 भारतीय स्कॉलरों ने (5 लघु एवं 4 दीर्घ अवधि) हंगेरी में जाकर व्याख्यान एवं अपने विषयों पर विचार-विमर्श करके सफलतापूर्वक कार्य पूरा किया। 14 हंगेरियन स्कॉलरों (7 दीर्घ एवं 7 लघु अवधि) ने भारत में आकर व्याख्यान देने और अपने विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए वि.अ.आ. ने नामित किया। इनका दौरा अभी हंगेरियन सरकार के विचाराधीन है।

वर्ष 2007–08 के दौरान, भारत ने हंगेरियन सरकार द्वारा नामित 7 स्कॉलरों को प्राप्त किया।

- **इंडो-बुलगेरियन सी.ई.पी. :**

बुलगेरियन भाषा और संस्कृति पर आयोजित सेमिनार में वि.अ.आ. ने 3 स्कॉलर को नामित किया जो 30 जुलाई से 18 अगस्त, 2007 के बीच वेलको टरनोवों विश्वविद्यालय और 15 जुलाई से 4 अगस्त, 2007 के बीच सोफिया विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो उच्च शिक्षा के विकास और सदस्य देशों के बीच समन्वय हेतु एस.सी.ओ. है, ने वि.अ.आ. से राय/टिप्पणियां मांगी, वि.अ.आ. ने काफी सोच विचार कर दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद अपनी राय व्यक्त की।

5.9 अकादमिक स्टॉफ कॉलेज (ए.एस.सी.)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.), 1986 में शिक्षकों को प्रेरित करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उल्लिखित संदर्भ के आधार पर वि.अ.आ. ने 1986–87 से देश के उपयुक्त विश्वविद्यालयों में अकादमिक स्टॉफ कॉलेज (ए.एस.सी.) स्थापित करने की योजना की शुरुआत की। इस समय देशभर में 57 ऐसे कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं।

वि.अ.आ. अकादमिक स्टॉफ कॉलेज एक स्वायत्त इकाई के रूप में एक विश्वविद्यालय में स्थापित की जाए और उसे विश्वविद्यालय के भीतर रखा जाए। इसे विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयों और राज्य के भीतर तथा बाहर के अकादमिक संस्थानों में उपलब्ध सभी संभव विद्यमान संसाधनों के अनुसार काम करना होगा।

अकादमिक स्टॉफ कॉलेज का उद्देश्य नव-नियुक्त व्याख्याताओं को निम्न में समर्थ बनाना है :-

- वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामान्य तौर पर शिक्षा और विशेष तौर पर उच्च शिक्षा के महत्व को समझना।
- भारतीय राजनीति, जिसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समानता समाज के मूल सिद्धांत हैं, के विशेष संदर्भ में शिक्षा, अर्थव्यवस्था, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के बीच के संपर्क को समझना।
- उच्च शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कॉलेज/विश्वविद्यालय के स्तर पर शिक्षण कला को समझना तथा उसमें सुधार लाना।
- अपने विशिष्ट विषयों में अद्यतन घटनाक्रमों की पूरी जानकारी रखना।
- समग्र प्रणाली में अध्यापकों की भूमिका तथा किसी कॉलेज/विश्वविद्यालय के संगठन और प्रबंधन को समझना।
- व्यक्तित्व, पहल और सृजनात्मकता के विकास हेतु अवसरों का उपयोग करना, और
- शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में आई.सी.टी. के प्रयोग तथा कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देना।

अकादमिक स्टॉफ कॉलेज के मुख्य कार्य नव-नियुक्त कॉलेज/विश्वविद्यालय के व्याख्याताओं के लिए प्रबोधन कोर्सों को बनाना, आयोजित करना, क्रियान्वयन करना, उनकी निगरानी तथा मूल्यांकन करना, सेवारत अध्यापकों के लिए पुनश्चर्या कोर्स आयोजित करना तथा वरिष्ठ प्रशासकों, विभाग प्रमुखों, प्रधानाचार्यों, अधिकारियों आदि के लिए प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित करना है।

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत व्याख्याताओं को जिन्हें वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत शामिल किया गया है यद्यपि वे धारा 12(ख) के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु फिट नहीं हैं, प्रबोधन कार्यक्रमों और पुनश्चर्या कोर्स में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाए। कॉलेज के अध्यापक जो धारा 2(च) के दायरे में नहीं आते हैं किन्तु जो कम से कम दो वर्ष से किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध है, को कार्यक्रमों/कोर्सों में भाग लेने की अनुमति दी जाए। प्रबोधन कार्यक्रमों के लिए छह वर्ष की लगातार सेवा वाले नव-नियुक्त व्याख्याताओं और उन सभी अध्यापकों जिन्हें उच्च ग्रेड के लिए प्रबोधन की जरूरत है, को अनुमति दी जाए। पुष्टि के लिए उपस्थिति एक शर्त होनी चाहिए और सीनियर स्केल में प्रोन्नति हेतु इस कोर्स को महत्व दिया जाए।

पुनश्चर्या कोर्सों के लिए प्रवेश हेतु प्रबोधन कार्यक्रम में भाग लेना एक पूर्व-शर्त है। साथ ही दोनों कोर्सों के बीच एक वर्ष का न्यूनतम अंतराल होना चाहिए, यद्यपि यदि पर्याप्त संख्या में प्रतिभागी नहीं मिलते हैं या अध्यापकों के लिए कैरियर में प्रोन्नति हेतु पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा करना जरूरी है तो इस शर्त में छूट दी जा सकती है।

प्रबोधन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवा व्याख्याताओं में सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक परिवेश के प्रति जागरूकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता का गुण पैदा करना तथा अपनी सामर्थ्य की पहचान करना है। यह प्रबोधन कार्यक्रम चार सप्ताह की अवधि का होगा जिसमें न्यूनतम 24 कार्य दिवस (रविवार को छोड़कर) और 144 संपर्क घंटे (एक दिन में 6 घंटे) होंगे। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की अवधि 3 सप्ताह होगी तथा न्यूनतम 18 कार्यदिवस की होगी और 1 सप्ताह (रविवार छोड़कर) तथा 108 संपर्क घंटे (एक दिन में 6 घंटे) होंगे। यदि कोई प्रतिभागी किसी कार्यक्रम में अपेक्षित कंट्रेक्ट घंटे पूरा करने में असफल रहता है तो उसे संबंधित ए.एस.सी. के किसी अन्य कार्यक्रम में अपनी कीमत पर बकाया घंटों को पूरा करने की अनुमति होगी।

किसी ऐसे संस्थान, जो कम से कम दो वर्ष के लिए किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो, में तीन शैक्षणिक सत्र में पढ़ाने वाले अंशकालिक/तदर्थ/अस्थाई/कंट्रेक्ट अध्यापकों को अपना कौशल बढ़ाने के लिए प्रबोधन कार्यक्रम/पुनश्चर्या कोर्स में भाग लेने की अनुमति होगी।

प्रत्येक अकादमिक स्टॉफ कॉलेज एक वर्ष में प्रधानाचार्य/प्रमुखों/डीन/ अधिकारियों की एक या दो बैठकें आयोजित करेगा ताकि उन्हें दर्शनशास्त्र और प्रबोधन कार्यक्रमों तथा पुनश्चर्या कोर्सों से परिचित कराया जा सके, अध्यापकों की

तैनाती हेतु राजी किया जा सके, पर्यवेक्षकों के रूप में अपनी नई भूमिकाओं को समझ सके तथा विभिन्न स्तरों पर प्रबंध प्रणाली में समुचित संशोधन के माध्यम से उच्च शिक्षा में सुधार ला सके।

वि.अ.आ., ए.एस.सी. को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ए.एस.सी. को सहायता जारी रखने हेतु उसके कार्यकरण की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। मुख्य सहायता इस प्रकार प्रदान की जाएगी :-

- वेतन — वास्तविक आधार पर
- पुस्तकें — प्रतिवर्ष 1.00 लाख रुपये
- उपकरण — प्रतिवर्ष 1.00 लाख रुपये
- कार्यकरण पर व्यय — प्रतिवर्ष 5.00 लाख रुपये एक मुश्त

इसके अतिरिक्त, विज्ञानेत्तर विषयों में प्रत्येक पुनश्चर्या कोर्स हेतु 30,000/- रुपये, विज्ञान विषयों में प्रत्येक पुनश्चर्या कोर्स हेतु 40,000/- रुपये तथा अतिरिक्त कार्यकरण संबंधी व्यय के रूप में प्रत्येक प्रबोधन कार्यक्रम हेतु 30,000/- रुपये प्रदान किए जाएंगे।

वर्ष 2007-08 के दौरान, 57 अकादमिक स्टॉफ कॉलेज (ए.एस.सी.) और 24 विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञ संस्थानों, जिनकी वि.अ.आ. पुनश्चर्या कोर्स सेंटर (आर.सी.सी.) के रूप में पहचान की गई है, ने पुनश्चर्या कोर्स और प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किए। इस वर्ष हेतु 42.80 करोड़ रुपये का बजट आबंटन किया गया था। इस आबंटन के प्रति विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों को जारी अनुदान की स्थिति, अनुमोदित कोर्सों की अनुमानित संख्या और आयोजित किए गए कोर्सों के आंकड़े तथा 2007-08 के लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(रुपये करोड़ में)

बजट आबंटन	जारी किया गया अनुदान	अनुमोदित कार्यक्रमों / कोर्सों की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों / कोर्सों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
42.80	42.84	194 प्रबोधन कार्यक्रम	150 प्रबोधन कार्यक्रम	20,000 (लगभग)
		637 पुनश्चर्या कोर्स 43 कार्यशालाएं	600 पुनश्चर्या कोर्स 43 कार्यशालाएं	

5.10 अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आई.यू.सी.)

वि.अ.आ. 1984 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12 (गगग) के अंतर्गत विश्वविद्यालय प्रणाली में स्वायत्त निकायों के रूप में अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों (आई.यू.सी.) की स्थापना करता रहा है ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे अनुसंधानकर्ताओं के लाभ के लिए केन्द्रीय रूप से अति आधुनिक उपस्कर तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके जो सामान्यतया लागत कारक के कारण कई विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं होती है। अब तक इसने ऐसे छः केन्द्र (सारणी 8.01) मुख्यतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्थापित किए हैं। नाभिकीय विज्ञान केन्द्र इस प्रकार सन् 1984 में स्थापित किया जाने वाला पहला केन्द्र था। वर्ष 2007-08 में आयोग ने उच्च शिक्षा नीति में अनुसंधान हेतु एक और अंतर्विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। इस नए आई.यू.सी. हेतु नियमावली और उप-नियम बनाए जा रहे हैं। इन अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

- जो विश्वविद्यालय आधार संरचना तथा अन्य निवेशों में भारी पूंजी लगाने में असमर्थ हैं उनके लिए सर्वसामान्य समुन्नत केन्द्रीभूत सुविधाएं/सेवाएं उपलब्ध कराना।
- सारे देश में शिक्षकों तथा अनुसंधानकर्ताओं को सर्वोत्तम विशेषज्ञता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना।
- अनुसंधानकर्ताओं तथा शिक्षण संकायों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य आधुनिक उपस्कर, अत्याधुनिक श्रेष्ठ पुस्तकालय की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शैक्षिक संचार कंसोर्टियम (सी.ई.सी.), नई दिल्ली में मार्गदर्शन एवं समन्वय में विश्वविद्यालयों में स्थापित विभिन्न मीडिया केन्द्रों के माध्यम से एक हजार से भी अधिक शैक्षिक फिल्में अथवा कार्यक्रम तैयार करने में भी सहायक रहा है। देश में प्रथम देशव्यापी कार्यक्रम दूरदर्शन 1 से 15 अगस्त, 1984 में प्रारंभ हुआ। वर्ष 2007-08 में ज्ञानदर्शन व्यास चैनल तथा शिक्षा के अन्य चैनलों पर कक्षा से इतर उच्चतर शिक्षा के प्रसार हेतु 1326 कार्यक्रमों का प्रसारण तैयार किया गया है।

अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की सूची उनके विशिष्ट उद्देश्यों सहित निम्नलिखित सारणी में दी गई है :-

अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र तथा उनके उद्देश्य : 2007-08

क्र.सं.	नाम	स्थापना वर्ष	उद्देश्य
1.	अंतर्विश्वविद्यालय ऐक्सीलरेटर केन्द्र, नई दिल्ली	1984	ऐक्सीलरेटर परक अनुसंधान
2.	अंतर्विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी केन्द्र, पुणे	1988	खगोल विज्ञान में अनुसंधान के लिए अधुनातन यंत्रीकरण
3.	अंतर्विश्वविद्यालय डीआई वैज्ञानिक अनुसंधान कंसोर्टियम, इंदौर	1989	आणविक ऊर्जा विभाग की सुविधाओं का उपयोग
4.	सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र, अहमदाबाद	1991	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों का नेटवर्किंग, वि.अ.आ. इंफोनेट और ई-जर्नल
5.	शैक्षिक संचार का कंसोर्टियम, नई दिल्ली	1993	दूरदर्शन के माध्यम से देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम प्रसारित करना और ई-कंटेंट तथा एडुसेट कार्यक्रम चलाना
6.	राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद् (नॉक), बंगलौर	1994	उच्च अधिगम की निजी तथा सार्वजनिक संस्थाओं का निर्धारण एवं प्रत्यायन करना

वर्ष 2007–08 के दौरान बजट नियतन तथा योजनागत एवं योजनेतर प्रदत्त अनुदान का विवरण निम्न प्रकार है :

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	योजनागत		योजनेतर	
		बजट नियतन	प्रदत्त अनुदान	बजट नियतन	प्रदत्त अनुदान
1.	आईयूसी, नई दिल्ली	1016.37	1016.37	1041.50	1041.50
2.	आईयूसीएए, पुणे	1000.00	1000.00	753.05	753.05
3.	यूजीसीडीई, सीएसआर, इंदौर	751.41	751.41	695.00	695.00
4.	इंपिलबनेट, अहमदाबाद	27.33	27.33	180.00	180.00
5.	नॉक, बंगलौर	400.00	400.00	180.00	180.00
6.	सीईसी/मीडिया केन्द्र	73.75	73.75	1071.00	1071.00
	जोड़	3268.86	3268.86	3920.55	3920.55

• **विभिन्न अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की मुख्य विशेषताएं : 2007–08**

1. **अंतर्विश्वविद्यालय ऐक्सीलरेटर केन्द्र (आईयूसी), नई दिल्ली**

पिछले वर्ष अंतर्विश्वविद्यालय ऐक्सीलरेटर केन्द्र प्रभोक्ताओं को नए उपकरण उपलब्ध हुए। पूरे वर्ष के दौरान केन्द्र में विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के प्रभोक्ताओं ने अत्यधिक संख्या में सुविधाओं का प्रयोग किया। अभी 79 विश्वविद्यालयों के 50 कॉलेजों एवं 49 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के करीब-करीब 325 प्रभोक्ता, इन सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं। केन्द्र में प्रदान की गई प्रयोगात्मक सुविधाओं का प्रयोग न्यूक्लियर भौतिकी, पदार्थ विज्ञान, परमाणु भौतिकी एवं रेडिएशन जैव विज्ञान में पी.एचडी. के लिए कार्यरत संकाय और छात्र कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय होड़ को बनाए रखने के लिए मुख्य ऐक्सीलरेटर सुविधा एवं प्रयोगात्मक उपकरणों को उन्नतिशील करने का लगातार प्रयास किया जाता है।

• **एक्सीलीरेटर एवं संवर्द्धन कार्यक्रम**

इस वर्ष पीलट्रोन एक्सीलीरेटर ने कुछ समस्याओं के साथ सही ढंग से कार्य किया। उक्त अवधि के दौरान समुचित रखरखाव के कारण टाइम के 57.07 प्रतिशत बीम उपयोग के साथ इस मशीन को 95.50 प्रतिशत के उच्च स्तर तक बनाया रखा गया। 10 बी के साथ एक्सीलीरेटर मास स्पकोर्मेट्री (ए.एम.एस.) ने भूवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए अनेक समूहों को आकृष्ट किया। झील और महासागर तलोंद नमूनों के साथ 10 बी मापन किया गया था। 26 ए.आई. के लिए एम. एम.एस. सुविधा का विकास और रसायन प्रयोगशाला के विकास का कार्य चल रहा है। 01 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक की अवधि का एक्सीलीरेटर के संचालनात्मक ब्यौरा निम्नलिखित है:

श्रेणी घंटों की कुल संख्या	—	7270 घंटे
कुल बीम उपयोगिता	—	4149 घंटे
मशीन ब्रेकडाउन	—	0298 घंटे
एक्सीलीरेटर कंडीशनिंग	—	2996 घंटे
बीम परिवर्तन समय	—	0011 घंटे
अनुरक्षण समय सीमा	—	1515 घंटे

पिछले वर्ष के आरंभ में एक्सीलीरेटर टैंक के तापमान के नियमन हेतु टैंक के बाहर एक नया चिलर संस्थापित किया गया था। ये नया चिलर लगभग पूरे वर्ष चला और इस नए चिलर का प्रदर्शन संतोषजनक है।

बीम समय के उपयोग का विवरण 2007–2008 के दौरान निम्नानुसार है—

35 विश्वविद्यालयों के प्रयोक्ता	—	57.4 प्रतिशत
अन्य संस्थाओं से	—	19.1 प्रतिशत
आई.यू.सी. प्रयोक्ता	—	14.7 प्रतिशत
सुविधा परीक्षण	—	8.8 प्रतिशत

विद्यमान 15 यूडी पीलट्रोन एक्सीलीरेटर से आईआन बीम की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सुपरकंडाफटींग लाइनर एक्सीलीरेटर के पहले माड्यूल को शुरू किया गया है। हाल ही में सुपरवंचर (एस.बी.), एक एकल एक्सीलीरेटिंग माड्यूल तथा रीवंचर (आर.बी.) क्रायोस्टेट के साथ लाहनैक के संपूर्ण संचालन का प्रदर्शन किया गया था। रीवंचर क्रायोस्टेट में 3.5 मेगावाट के क्वार्टर वेव रिसोनेटार्न लगाए गए हैं। इनमें से एक रिसोनेटर का निर्माण आई.यू.ए.सी. में तैयार किया गया है। इन दो क्रायोस्टेटों में लगाए जाने वाले अन्य दो लाइनैक क्रायोस्टेटों तथा अपेक्षित 16 रिसोनेटरों की तैयारी के अंतिम चरण में हैं और वर्ष 2008 के अंत तक इन्हें लगा दिया जाएगा।

प्रोटोटाइप रेडियो फ्रीक्वेंसी क्वाड्रूपोल का निर्माण पूरा हो चुका है और आर.एफ. कोल्ड परिक्षण किए जा चुके हैं। ड्रिफ्ट ट्यूब लाइनैक के हिस्सों की संरचना और निर्माण किया जा चुका है। हाई करंट इनजेक्टर के लिए नया बीम हाल III लगभग पूरा हो चुका है और वर्ष 2008 के अंत तक यह काम करना शुरू कर देगा।

● प्रयोगशालाओं को सहायता

सहायता दी जाने वाली प्रयोगशालाओं में लक्षित प्रयोगशाला, वैक्यूम प्रयोगशाला, इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशाला, डाटा सहायक प्रयोगशाला, स्वास्थ्य भौतिकी प्रयोगशाला, कार्यशाला और सिविल, इलेक्ट्रॉनिक तथा मैकनीकल उपकरणों ने प्रयोक्ता सुविधा के एक रूप में उच्च अपटाइम के साथ इस प्रणाली को सुचारु संचालन में उत्कृष्ट योगदान दिया।

● शोध क्रियाकलापों की विशेषताएँ

आई.यू.सी.ए. में इंडियन नेशनल ग्रामा एरे सुविधा (आई.एन.जी.ए.) की शुरुआत नाभिकीय भौतिकी समूह की सबसे बड़ी उपलब्धि है। संपूर्ण चारों कवरेज या रीकॉयल सेपरेटरों एच.वाई.आ.ए. के साथ स्टैण्ड-अलोन मोड पर संचालन हेतु आई.एन.जी.ए. डिटेक्टरों के लिए मैकेनिकल सहायता संरचना के लिए डिजाइन तैयार किया गया है। इसे एरे के दो हॉवों के लिए मोटोराइज्ड प्रिसिशन संचालन के साथ बीम हाल II में लगाया गया है। जनवरी–फरवरी, 2008 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और आंकड़े संग्रहण प्रणाली के इन बीम परीक्षण किए गए थे। आई.एन.जी.ए. के प्रथम चरण के साथ बीम टाइम प्रोजेक्शन के लिए अगस्त, 2007 में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। संचालन के आरंभिक तीन महीनों के दौरान बीम आवंटन हेतु पंद्रह प्रयोगों का चयन किया गया था। इनमें से 10 पूरे हो चुके हैं। अधिकतर प्रयोगों से एकत्रित किए गए आंकड़ों के आरंभिक विश्लेषण से अध्ययन न्यूक्ली की अनेक नई विशेषताएं देखने को मिली हैं।

लाइनैक से बीम हाल II में न्यूट्रॉन एरे बीम लाइन तक एक्सीलीरेटड बीम परिदत्त की गई थी। कम्पलीमेन्टरी विखंडन संविभजन के साथ 16 न्यूट्रॉन डिटेक्टरों के साथ 120 एमईवी पर 16 ओ + 194 पी टी रीएक्शन हेतु विखंडन आयामों का अध्ययन किया गया था।

चरण II बीम हाल प्रयोगों के अतिरिक्त चरण एक बीम हाल में निम्नलिखित प्रयोग भी किए गए थे। (एक) 16 ओ बीम का उपयोग करने हुए अपूर्ण संयोजन रिएक्सन का अध्ययन (दो) कोलोम्ब वैरियर के निकट संयोजन विखंडन रिएक्शन (तीन) संयोजन आयामों में एंट्रेस चैनल प्रभाव और (चार) 68, 70 जेड. एन. पर 40 सी.ए. बहु न्यूट्रॉन अंतरण रिएक्शनों का अन्वेषण। चार्ज पार्टिकल डिटेक्टर एरे का अत्याधिक प्रयोग संयोगवश जीडीए के साथ अपूर्ण संयोजन प्रतिक्रिया के

लिए गति विज्ञान की प्रतिक्रिया के अध्ययन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। पिछले वर्ष आई.यू.सी.ए. में चार्ज पार्टिकल डिटेक्टर ऐसे (सीपीडीए) का सर्वाधिक प्रयोग केन्द्र में संयोगवश जीडीए के साथ अपूर्ण एवं पूर्ण संयोजन प्रतिक्रिया के लिए गति विज्ञान की प्रतिक्रिया के अध्ययन के प्रयोग के लिए किया गया। यह देखा गया है कि 16 ओ + 169 टी एम 90 एमईवी की प्रतिक्रिया में चक्रण (स्पिन) वितरण (ए.एक्स.एन) और (2 ए एक्स एन) चैनल्स संयोगवश ए. पार्टिकल के साथ मिलकर आगे की ओर उत्सर्जित किए गए जो इक्विलिब्रेटड कंपाउंड न्यूक्लियस के साथ देखे गए उस चक्रण वितरण से काफी अलग था।

यार्स्ट बैंड की संख्या को एक प्रवेश चैनल के एंगुलर गतिमात्रा के रूप में समझने के लिए $^{12}\text{सी} + ^{169}\text{टी एम}$ का अध्ययन 55.90 एमईवी की ऊर्जा सीमा के अन्दर किया गया था। उच्च चक्रण $^{129}\text{सी. एस.}^{135}\text{ब.अ.}$ एवं $^{141}\text{न.ड.का}$ अध्ययन जीडीए के साथ किया गया। कुछ प्रयोगों में ध्रुवण नापों के लिए एक क्लोवर डिटेक्टर 90 डिग्री को संयोगवश एच.पी.जी. डिटेक्टर्स के साथ प्रयोग किया।

मास 200 क्षेत्र में विखण्डन के अवरोधों का अध्ययन जारी रहा और गहन रूप से निम्न अवरोधक फ्यूजन की स्थानांतरित भूमिका की संभावनाओं का अध्ययन किया गया। विखण्डन 228 यू. में उत्पादित न्यूट्रॉस के एंगुलर वितरण और शक्ति का अवरोध के समीप 19 एफ. + 209 बी.आई. की प्रतिक्रिया के साथ अध्ययन किया गया। न्यूट्रॉन विविधता के पहले के और बाद के विखण्डन के अंशों और विखण्डन के मास वितरण के अंशों को निकाला गया। अवरोध के समीप कंपाउंड न्यूक्लियस 200 पी.बी. को दो प्रतिक्रियाओं में 16 ओ + 184 डब्ल्यू में उत्पादित किया गया। चेलन के विवरणों का महत्व समीप के अवरोधक विखण्डन हीरे की रेडियोएक्टिव बीम के प्रयोग से हुई वृद्धियों पर अध्ययन किया गया।

जीएसएल के सहयोग से आईयूएसी में कोलोम्ब उत्तेजक उपकरण पर दार्मस्टैंड का एक प्रयोग किया गया और बाद में उसको जीएसएल में अनुवर्तन किया गया। प्रथम चरण में रिकॉएल स्पैक्ट्रोमीटर हायरा का परीक्षण दोनो वैक्यूम मोड एवं गैर भरी बीम के साथ किया गया। आईएनजीए के समुच्च को सम्मिलित करने और उनको स्थापित करने का कार्य निर्माणाधीन है और संभवतः इस वर्ष इसका प्रयोग और स्थापना पूरी हो जाएगी।

एक बड़े शेल मॉडल कार्यक्रम को विकसित किया गया ताकि एसडी शेल क्षेत्र में न्यूक्लियर तत्वों (प्रॉपर्टी) का अध्ययन हो सके। इस प्रोग्राम के प्रयोग से स्पिन में तापमान, टी=0 और टी=9 के व्यवहार का अध्ययन किया गया। जोड़ों (पेयरिंग) मीन. फील्ड थ्योरीज के समान जहां पर एक सीमान्त स्पिन पर आपसी संबंध समाप्त हो जाता है और वर्तमान तरीके से एक पारदर्शक परिवर्तित व्यवहार को देखा जा सकता है।

पदार्थ विज्ञान में किए गए प्रयोगों को विभिन्न प्रकार के पदार्थों पर किया गया, जैसे पॉलिमर्स, मेटल, सेमीकन्डक्टर्स, इन्टरफेज, ऑक्साइड पदार्थ, चुम्बकीय पदार्थ इत्यादि। समस्या इलेक्ट्रॉनिक प्रस्फुटीकरण (स्पूटरिंग), आइन बीम मिश्रण, पदार्थों में ढांचों के निर्माण का न होना, सतह परिष्करणों, पदार्थ परिष्करण, आईओन बीम के साथ इपीटैक्सियल क्रिस्टलीकरण इत्यादि है।

ऑनलाइन इरडा (ई.आर.डी.ए.) का प्रयोग अधिक फैले क्षेत्र में संवेदनशील डिटेक्टर्स की स्थापना द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्पूटरिंग में लिफ और ग्रेफाइट के मापने में किया गया। लिफ में इलेक्ट्रॉनिक स्पूटरिंग की ग्रेड साइज पर निर्भरता साफ देखी गई जिसकी गुणवत्ता की थर्मल स्पाइक मॉडल द्वारा समझाया गया है। आयन बीम मिश्रण प्रयोग की टीआई/एस.आई., एम. ओ./एस.आई. एवं एयू/जीई सिस्टमों पर किए गए। एक्स.आर.डी. पद्धति को पूर्णतया हवा के नैनोपार्टिकल्स आईओन बीम किरणों द्वारा इनके स्व-स्थान विकास को मापना है। आयन बीम बमबार्डमेंट के साथ नैनोस्ट्रक्चर के फोरमेशन को ध्यान दिये जाने वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है और बड़ी संख्या में प्रयोक्ता इस और आकर्षित हो रहे हैं। एन.आई.ओ., ए वन टू ओ थ्री, वाईडब्ल्यू सीओ, फैंरीटीस, फैंरीलैक्ट्रिस, लाईजिक सिलीकेट ग्लास, बोरोसिलीकेट ग्लास, टीएचजीओ 4, एलआईएनबीओ 3, बेंजीमिडाजोल क्रिस्टल, सायोचोलर्स, हाइड्रोक्सीएपेटी, पोलीएनील कम्पोजिट, मेटल पोलीमोर नैनोकम्पोजिट, पोटीमाइड, पोली मैथिलियोफिन इत्यादि में एस.एच.आई. प्रेरित मॉडीफ़ेशनों का अध्ययन किया गया था। एक माइक्रो रमन सैटअप खरीदा गया है और इसे बीम हाल II में स्व-स्थान सुविधा के रूप में संस्थापित किया जा रहा है।

अत्यधिक चार्ज आयनों के अंतर्गत मैथनॉल पर मोलीक्यूलर डिसोसिएशन से बांड पुनर्बंधन और संरेखण के लिए एच³ + आयनों के गठन के सबूत मिले हैं। बीम में डॉपलर टयून्ड स्पैक्ट्रोस्कोपी के लिए इन हाउस में विकसित एक पोजीसन सेन्सिटिव प्रोप्रेशनल काउंटर का परीक्षण किया गया। संशोधित बीम लाइन का उपयोग करते हुए विकिरण जैव विज्ञान संबंधी प्रयोग जारी रखे गए थे।

विकिरण जैव विज्ञान के क्षेत्र के प्रयोगों में अंकुरण, बायोकेमिकल, प्रापर्टीज इत्यादि आयन बीम किरणों द्वारा मस्टर्ड सीड, हार्मोनों के स्तर पर उच्च एलएफटी विकिरण का प्रभाव, कॉटन में प्रोटीन विवरण, ग्लूथाथियोन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में सीएचओ अध्ययन सम्मिलित है।

• संगोष्ठी, कार्यशाला एवं शिक्षण कार्यक्रम

शिक्षण प्रयोगशाला क्रियाकलापों के एक भाग के रूप में गृह निर्मित उपकरणों के साथ भौतिकी और नवोन्मेषी प्रयोगों (फौनिक्स) के संबंध में आईयूसीए में एक सप्ताह की तीन कार्यशालाओं और पूरे भारत में विभिन्न संस्थाओं में पांच कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। इन कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य भौतिकी प्रयोगशाला प्रयोगों और कुछ आंकड़ों के विश्लेषण की तकनीक का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर को आवश्यक इंटरफेसिंग से संकेत प्रदान करता है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विशेषकर एम.एस.सी. (भौतिकी) प्रयोगशाला की संभलाई करने वाले युवाओं को आकर्षित करना है। अनेक एड ऑन कार्डों तथा एक नए मॉड्यूल का निर्माण जिसमें एक चार्ज सेन्सेटिव प्रिमप्लीफायर अंतर्विष्ट हो, शेपिंग एमप्लीफायर और पीक सेसिंग एडीसी जिसे किसी पीसी के समानान्तर पार्ट से जोड़ा जा सके, से सुसज्जित फोनिक्स किट का उन्नयन किया गया है।

केन्द्र द्वारा एक्सीलीरेटर और न्यून स्तर विकिरण सुरक्षा पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। केन्द्र ने हैदराबाद विष्वविद्यालय और भौतिक संस्थान के सहयोग से हैदराबाद विश्वविद्यालय में आयन बीम विश्लेषण के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया था।

इस केन्द्र ने इंडियन क्रायोजेनिक काउंसिल के साथ मिलकर क्रायोजेनिक्स, वैक्यूम और न्यून तापमान मापन के संबंध में एक सघन अध्ययन का भी आयोजन किया था। इस वर्ष नये संभावित प्रयोक्ताओं की पहचान के लिए रायपुर, धारवाड, एन.आई.टी. सिलचर में परिचय कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान स्फिट हैवी लोन्स और एक्सीलीरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ नाभिकीय भौतिकी, सामग्री विज्ञान के बारे में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था और इसमें अनेक नए प्रयोगों के विचार भी उत्पन्न हुए। केन्द्र में विख्यात वैज्ञानिकों द्वारा वर्तमान अनुसंधान के विभिन्न विषयों से संबंधित 32 वक्तव्य भी दिए गए।

बजट :

वर्ष 2007–2008 के लिए योजनागत तथा गैर योजनागत शीर्ष के अंतर्गत क्रमशः 1016–37 लाख रूपया एवं 1041.50 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए थे।

2. इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर ऐस्ट्रोनॉमी एंड ऐस्ट्रोफिजिक्स (आईयूसीए), पुणे

• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1988 में विश्वविद्यालय क्षेत्र में ऐस्ट्रोनॉमी एंड ऐस्ट्रोफिजिक्स में शिक्षण, अनुसंधान और विकास संबंधी क्रियाकलापों का प्रारंभण, संवर्द्धन और प्रोत्साहन में सहायता देने के लिए एक उत्कृष्ट स्वायत्तशासी केन्द्र के रूप में आईयूसीए की स्थापना की गई थी। स्वयं अपने महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्यक्रम चलाने के अतिरिक्त आईयूसीए से एक फील्ड स्टेशन, अनुसंधान केन्द्र के रूप में काम करने तथा भारत और पड़ोसी देशों में ऐस्ट्रोनॉमी एंड ऐस्ट्रोफिजिक्स (ए एंड ए) क्रियाकलापों के लिए सामान्य मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने की भी अपेक्षा की गई थी।

- **मूल अनुसंधान :** वर्ष 2007–2008 के दौरान आईयूसीए के (निदेशक सहित) 17 कोर अकादमिक संकाय सदस्य, 07 पोस्ट डॉक्टोरोल फैलो, 19 रिसर्च स्कालर्स (पीएचडी कर रहे छात्र), वैज्ञानिक/तकनीकी स्टॉफ के 20 सदस्य और 32 कर्मचारियों का प्रशासनिक स्टॉफ है। आईयूसीए के अकादमिक सदस्यों को रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान 13 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके चार सदस्य भारतीय विज्ञान अकादमी के सदस्य हैं इसके एक सदस्य भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का सदस्य है, इसके दो सदस्यों को भटनागर पुरस्कार मिल चुका है और इसके एक सदस्य को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। वर्ष 2007–08 के दौरान निर्दिष्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में इसके 75 अनुसंधान पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। इसके संकाय सदस्य 20 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परियोजनाओं और 20 राष्ट्रीय वित्तपोषित परियोजनाओं में शामिल हैं।

- **एसोसिएटशिप कार्यक्रम** : आईयूसीए के पास विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के संकाय सदस्यों के लिए एक तीन वर्ष वर्षीय विजिटिंग एसोसिएटशिप कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें आईयूसीए में आकर अनुसंधान सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। वर्ष 2007-08 के दौरान आईयूसीए में लगभग 65 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के ऐसे 78 विजिटिंग एसोसिएटशिप आए थे। उन्होंने प्रत्येक वर्ष के दौरान आईयूसीए में औसतन लगभग 120 दिन व्यतीत किए। उक्त अवधि के दौरान उन्होंने निर्दिष्ट राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय जर्नलों में लगभग 85 अनुसंधान पेपर प्रकाशित कराए।
- **आईयूसीए संदर्भ केन्द्र** : आईयूसीए राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय वेधशालाओं के साथ निरीक्षणात्मक ऐस्ट्रोनॉमी में विश्वविद्यालय के प्रयोक्ताओं की सहायता की भी व्यवस्था करता है। आईयूसीए ने छह विश्वविद्यालयों में छह संदर्भ केन्द्रों की स्थापना की है जहां उपर्युक्त केन्द्रों के क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षाविदों को आवश्यक अनुसंधान जर्नलों, ऋण आधार पर पाठ्य पुस्तकें, इत्यादि के लिए इलेक्ट्रॉनिक पहुँच उपलब्ध कराई जाती है।
- **विद्यालय और कार्यशालाएं** : वर्ष 2007-08 के दौरान आईयूसीए ने आईयूसीए में सात कार्यशालाओं/स्कूलों का आयोजन किया था और आईयूसीए ने आईयूसीए से बाहर छह कार्यशालाओं/स्कूलों को प्रायोजित किया था। ए एंड ए में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अध्यापकों के ज्ञान के उन्नयन हेतु आईयूसीए प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष में पुनश्चर्य पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं। (अन्य) वैकल्पिक वर्ष के दौरान आईयूसीए द्वारा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों को ए एंड ए से परिचित कराने के लिए ग्रीष्म स्कूल का भी आयोजन किया जाता है।
- **विश्वविद्यालयों में ऐस्ट्रोनॉमी और ऐस्ट्रोफिजिक्स का न्यूक्लेशन** : आईयूसीए ने माड्यूलर कार्य में ए एंड ए का आदर्श पाठ्यचर्या तैयार किया है जिसे विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनेक विश्वविद्यालय एम.एस.सी. स्तर पर ए एंड ए में विशेष अथवा इलेक्टिव पेपर की पेशकश कर रहे हैं। आईयूसीए की स्थापना से पूर्व ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या 21 थी जो वर्तमान में 40 है। आईयूसीए संकाय के सदस्य पुणे विश्वविद्यालय में एम.एस.सी. (भैतिकी) पाठ्यक्रम में ए एंड ए का वैकल्पिक विषय भी पढा रहे हैं।
- **स्नातक विद्यालय** : आईयूसीए (सी.एस.आई.आर./यूजीसी नेट (जेआरएफ) में अर्हता प्राप्त करने के अतिरिक्त) प्रवेश परीक्षा तथा साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के बाद नियमित आधार पर रिसर्च स्कालरों को दाखिला देता है। आईयूसीए, नेशनल सेन्टर फार रेडियो ऐस्ट्रोफिजिक्स, पुणे के सहयोग से इन रिसर्च स्कॉलरों को अनुसंधान की ओर उन्मुख करने के लिए एक वर्षीय पूर्णकालिक स्नातक विद्यालय पाठ्यक्रम भी चलाता है। प्रत्येक वर्ष औसतन दो रिसर्च स्कॉलर पुणे विश्वविद्यालय के आईयूसीए से पी.एस.डी. की उपाधि पाते हैं और इनमें से अधिकतर पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप के साथ विदेश चले जाते हैं।
- **आईयूसीए दूरबीन** : आईयूसीए ने एक वेधशाला का निर्माण किया है और गिरवाली गाँव में एक 2 मीटर की ऑप्टिकल दूरबीन स्थापित की है जो कि आईयूसीए से लगभग 85 किलोमीटर दूर है। आईयूसीए के सदस्यों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के निरीक्षणों और अन्य संस्थाओं तथा वेधशालाओं के सदस्यों द्वारा इस दूरबीन का उपयोग किया जाता है। आईयूसीए विश्वविद्यालयों की मदद करता है और उन्हें यह भी बताया जाता है कि इसे कैसे पास किया जाता है। वर्ष 2007-08 के दौरान नए ऐस्ट्रोनोमर्स द्वारा 6 से 8 इंच के दूरबीन बनाए गए हैं। दूरबीनों के अतिरिक्त आगंतुकों द्वारा स्वयं बनाओं स्तर पर फोटोमीटरों और सीसीडी डिटेक्टर भी बनाए गए हैं। आईयूसीए ने 11 मीटर की दक्षिण अफ्रीकी बड़ी दूरबीन के निर्माण में भी योगदान दिया है।
- **सार्वजनिक पहुँच कार्यक्रम** : आईयूसीए ने सार्वजनिक पहुँच के लिए विशेष रणनीति भी बनाई है। आईयूसीए का एक माह में दो बार दिए जाने वाले व्याख्यान प्रदर्शन कार्यक्रम विद्यालयों के छात्रों तथा अवर महाविद्यालयों के छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसके अतिरिक्त गर्मियों की छुट्टियों के दौरान विद्यालय के लगभग 150 छात्रों के साथ आईयूसीए के सदस्य एक सप्ताह की परियोजना भी करते हैं। सार्वजनिक पहुँच कार्यक्रम को आईयूसीए के मुक्तांगन विद्या शोधिक (साइंस एक्सप्लोरटोरियम) ने एक नया आयाम दिया है। इसमें युवा छात्र खेलते हुए अपनी कल्पना को साकार करते हैं और मजे से विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करते हैं।
- **परिसर में उपलब्ध सुविधाएं** : आईयूसीए परिसर में पुस्तकालय, इन्स्ट्रुमेन्टेशन प्रयोगशाला, कमप्यूटर केन्द्र, एक आभाशी वेधशाला, शैक्षिक और अनुसंधान नेटवर्क (अरनेट), उच्च क्षमतायुक्त संगणना, रेडियो फिजिक्स प्रयोगशाला इत्यादि की सुविधाएं मौजूद हैं।

- **बजट**

	आर्बेटन	जारी किया गया
क. योजनागत	1000.00 लाख रुपया	1000.00 लाख रुपया
ख. गैर-योजनागत	753.05 लाख रुपया	753.05 लाख रुपया

- **विकास की रणनीति दर्शाते हुए भावी योजनाओं संबंधी कार्रवाई :**

आईयूसीए के पास निकट भविष्य के लिए महत्वपूर्ण नई परियोजनाएँ हैं जिनका नीचे उल्लेख किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इनमें से अनेक परियोजनाएँ सफलतापूर्वक तरीके से पूरी की गई परियोजनाओं के अनुक्रम में प्राप्त हुई हैं।

- **आईयूसीए दूरबीन और वेधशाला हेतु उपकरण:**

आईयूसीए के संकाय सदस्यों और छात्रों तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभागों एवं महाविद्यालयों के साथ-साथ देश और विदेश के अनुसंधान संस्थाओं तथा वेधशालाओं में ऐस्ट्रोमर्स द्वारा आईयूसीए गिरवाली वेधशाला (आई.जी.ओ.) में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। अब आई.जी.ओ. में आईयूसीए दूरबीन भी है जो कि स्वदेश में निर्मित 2 राम वर्ग का अनुसंधान उपकरण है जिसके माध्यम से हमारी आकाशगंगा के साथ-साथ एक्सट्रा-गैलैटिक यूनिवर्स की चीजों को देखा जा सकता है।

सामान्य तौर पर ऐस्ट्रोमर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त आईजीओ प्रशिक्षण के साथ-साथ भारतीय विश्वविद्यालयों से आने वाले निरीक्षणात्मक प्रस्तावों के लिए भी समय देता है। यह दृष्टिकोण बहुत ही सराहनीय है क्योंकि निरीक्षणात्मक प्रस्तावों को ऐस्ट्रोनोंमी समुदाय के साथ-साथ विश्वविद्यालय क्षेत्र भी प्रशंसनीय प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। यह आशा की जाती है कि उपलब्ध नई प्रयोगात्मक सुविधा से और अधिक विश्वविद्यालय विभागों में न्यूक्लियर ऐस्ट्रोनोंमीकल निरीक्षण और उपकरणीय क्रियाकलापों में मदद मिलेगी। अनेक शोधार्थी जो अब तक भारत से बाहर दूरबीनों (अथवा पुरातात्विक आकड़ों) पर निर्भर रहते थे वे इस दूरबीन पर उपलब्ध सुनिश्चित समय का उपयोग करके अपने अन्वेषण को आगे बढ़ा सकते हैं। समय उपलब्ध कराने के अतिरिक्त आईयूसीए इस दूरबीन के साथ व्यापक परीक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को सम्पूर्ण विश्व में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करने तथा उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से निरीक्षणात्मक समय लेने में भी सहायता करता है।

2 राम आईयूसीए दूरबीन के शुरू होने के साथ यह आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न वैज्ञानिक अभिप्रेरणाओं के साथ निरीक्षणों द्वारा सुविधा में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाए। अनुपूरक विद्यमान आईएफओएससी उपकरणों के अतिरिक्त (मद संख्या एक) से (तीन, नीचे) तीन नए उपकरणों का प्रस्ताव किया जाता है। इसके अतिरिक्त द्वितीय मिरर के लिए टिप-टील्ट नियन्त्रण प्रणाली को सम्मिलित करते हुए दूरबीन के कार्यनिष्पादन में उल्लेखनीय सुधार किया जाएगा। इसके आगे फारथीव के लिए उच्च क्षमतायुक्त दक्ष डिटेक्टरों को विकसित करने की योजना है जो भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। कुछ विशेष घटकों के साथ इन उपकरणों की अभिकल्पना और निर्माण यहीं किया जाएगा और इसकी उपप्रणाली को बाहर से खरीदा जाएगा। जब उचित सपझा जाएगा तब भारत और विदेश स्थित अन्य संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों से सहयोग लिया जाएगा।

(i) आईयूसीए 2 राम दूरबीन हेतु एक नीयर आईआर इमेजर/स्पेट्रोग्राफ:

इस इमेजर की खासियत नीयर आई आर बैंड में जे, एच, के, के बैंडों में इमेजिंग तथा स्पेट्रोस्कोपिक क्षमताएं होगी। इन प्रणालियों के प्रति हमारी समझ के लिए आईआर विशेषकर के बैंड में विभिन्न ऐस्ट्रोफिजिकल प्रणाली के निरीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस इमेजर से वर्तमान ऑप्टिकल इमेजर/स्पेट्रोग्राफ की शक्ति में वृद्धि होगी और इससे स्रोतों की मल्टीवेवलेन्थ अध्ययन में भी सहायता मिलेगी। इस उपकरण में डिटेक्टर के रूप में तरल नाइट्रोजन कूल्ड एचजीसीडीटीई 1024 X 1024 एक पी ए होगा।

2डी स्पेट्रोस्कोपी हेतु आईएफओएससी से फाइबर डिवाइस जोड़ना:

एक फाइबर तंत्र का प्रस्ताव है जिससे किसी विस्तारित स्रोत को विभिन्न क्षेत्रों की स्पेट्रोस्कोपी की जा सकेगी। इससे 10" क्षेत्र की उत्तरवर्ती सौ पिक्लस ता स्पेट्रोस्कोपी प्राप्त की जा सकेगी। इस प्रकार आकाश गंगाओं के केन्द्रीय क्षेत्र का अध्ययन किया जा सकता है।

मल्टी बैंड फोटोमीटर

गामा किरण बर्स्ट आफ्टरग्लो, सुपरनोवा, इत्यादि जैसे नश्वर स्रोतों के दो या तीन बैंडों में एक के बाद एक फोटोमैट्री के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाएगा। विभिन्न बैंडों में इन स्रोतों के उत्तरोत्तर अस्थायी व्यवहार का उपयोग ट्रांसाइन्ट सिस्टम की पहचान करने और उनकी प्रकृति में बाधा उत्पन्न करना है।

द्वितीयक मिरर लागत का टिप-टिल्ट नियन्त्रण:

दूरबीन के केन्द्रीय तल में छाया के सब-आरसेक हलचल को सही करने के लिए द्वितीयक मिरर हेतु फास्ट मोशन (20 हर्टज) की नियन्त्रण प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। ये हलचलें दूरबीन और वातावरणीय प्रभावों के प्राथमिक ट्रेकिंग प्रणाली की सीमाओं से उत्पन्न होते हैं। इससे छाया की गुणवत्ता में व्यापक सुधार होगा और इससे 0.1" की संपूर्ण ट्रेकिंग शुद्धता भी मिलेगी।

फार यूवी हेतु उच्च क्यू ई डिटेक्टर्स

फार यूवी (1200-1800ए) में फलक्स होते हैं और क्वांटम कुशलता में वृद्धि और फोटोन संगणना डिटेक्टरों के शोर को कम करने की आवश्यकता है। हालांकि कुछ अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ने ऐसे डिटेक्टर्स विकसित कर लिए हैं लेकिन ये डिटेक्टर्स भारत सहित किसी भी स्थान पर आसानी से नहीं मिल पाते। एस्ट्रोसैट या इसके बाद के अंतरिक्ष मिशनों के लिए ऐसे डिटेक्टर्स के निर्माण की प्रौद्योगिकी का विकास करना बहुत उपयोगी होगा।

• उच्च कार्यनिष्पादन संगणना का सतत विकास

एन बॉडी सिम्यूलेशन, हाइड्रोडाइनामिक्स, कॉस्मिक माइक्रोवैव बैकग्राउंड विकिरण और गुरुत्वबल तरंग आंकड़ों का विश्लेषण, इमेज प्रसंस्करण, इत्यादि जैसी एस्ट्रोनॉमी और रास्ट्रोफिजिक्स के विभिन्न क्षेत्रों के त्वरित गति से हो रहे विकास के कारण संगणनीय क्षमता में वृद्धि की लगातार माँग की जा रही है। बढ़ती हुई चुनौतियों और बढ़ते प्रयोक्ता समूह के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आईयूसीए ने 64 फ़ैट नोड क्लस्टर विकसित करके एचपीसी सुविधाओं में वृद्धि करने की योजना है जिसमें रैम और भंडारण की उच्च स्तर के साथ टेराफ्लॉप लेवल परफारमेंस विकसित करेगा। इसमें एचपीसी के प्रशासन और प्रबंधन हेतु उन्नत सॉफ्टवेयर भी लगाया जाएगा ताकि प्रयोक्ता तीव्रता से संगणना अनुप्रयोग कर सके। इस उन्नत सुविधा के उपयोग के प्रशिक्षण से प्रयोक्ता लगातार लाभान्वित होते रहेंगे ताकि प्रयोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो और विभिन्न किस्मों के अनुप्रयोग हेतु इस प्रणाली का इष्टतम उपयोग किया जा सके।

• कम्प्यूटिंग सुविधाएं, आभाषी वेधशाला – भारत, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी:

आईयूसीए में उपलब्ध कम्प्यूटर सुविधाएं अकादमिक सदस्यों और विश्वविद्यालय विजिटर्स की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करती है। एस्ट्रोफिजिक्स में प्रगतिशील अनुसंधान के लिए फास्ट कम्प्यूटर और कनेक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण है और आईयूसीए निरन्तर उन्नयन के माध्यम से उपलब्ध प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक माँगों को पूरा करने के लिए अपनी कम्प्यूटिंग सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इसमें आधुनिक हार्डवेयर (कम्प्यूटर्स और अधिक डाटा भंडारण प्रणाली) और वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर सम्मिलित है।

आभाषी वेधशाला – भारत (वी ओ-1) परियोजना जिसे भारत और विदेश में अग्रणी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के सहयोग से चलाई जा रही है ये परियोजना अपनी वर्तमान प्रकृति के अनुसार आगामी दो वर्षों के दौरान बड़ी योजना पर कार्य शुरू किया जाएगा।

आधुनिक एस्ट्रोनॉमीकल सुविधाएं बड़ी मात्रा में आकड़ों का उत्पादन करते हैं जिसे विश्लेषण के लिए आईयूसीए के पास अंतरित किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए विश्वसनीय हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। आईयूसीए आवश्यकतानुसार निर्धारित लाइनें और अन्य कनेक्शन प्राप्त करके बढ़ती हुई माँगों को पूरा करता रहेगा।

• बृहत अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमीकल सुविधाओं के साथ सहयोग और समय का बंटवारा:

भारतीय वैज्ञानिकों के पास मध्यम आकार की (जैसे आईयूसीए दूरबीन) सुविधाएं उपलब्ध हैं और इनका बहुत उपयोग किया जा रहा है। नई आईयूसीए दूरबीन को देखने के लिए प्रयोक्ताओं की संख्या बहुत अधिक है और इसमें से लगभग

आधे प्रस्ताव विश्वविद्यालयों से प्राप्त हो रहे हैं। भारत में निरीक्षणात्मक ऐस्ट्रोनोंमी में इस रुचि और वृद्धि को बरकरार रखने के लिए 10 राम दूरबीनों जैसे बड़ी ऐस्ट्रोनोंमीकल सुविधाओं की लम्बे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही है। विभिन्न देशों के प्रमुख संस्थानों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से उक्त वृहत ऐस्ट्रोनोंमीकल सुविधाओं का निर्माण और संचालन किया जाएगा।

आईयूसीए ने अंतरराष्ट्रीय कंसोर्टियम द्वारा संचालित 11 राम दक्षिण अफ्रीकी वृहत दूरबीन (साल्ट) पर समय के बँटवारे के लिए एक समझौता भी किया है। निरीक्षण के प्रयोजनार्थ यह सुविधा शीघ्र शुरू किए जाने की संभावना है और दूसरी पीढ़ी के उपकरणों के लिए योजना बनाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। आईयूसीए साल्ट के साथ निरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी करेगा और आकड़ों के विश्लेषण और अभिलेखीय विकास के साफ्टवेयर के साथ-साथ अगली पीढ़ी के बैक एंड उपकरणों के डिजाइन तथा निर्माण में भी सक्रिय रूप से शामिल होने की योजना बना रहा है।

• अंतरिक्ष ऐस्ट्रोनोंमी :

दूरस्थ इन्फ्रारेड के साथ-साथ अल्ट्रावायलेट से हार्ड एक्सरे बैंडो तक वातावरण द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले बड़े आमेलन के कारण भूआधारित उपकरणों से नहीं किए जा सकते। इन तरंगदैर्घ्य बैंडो में अंतरिक्ष आधारित ऐस्ट्रोनोंमी सुस्थापित विषय बन चुका है और वर्ष 2009 के आसपास भारत का बहु तरंगदैर्घ्य ऐस्ट्रोनोंमी उपग्रह ऐस्ट्रोसेट प्रमोचन की तैयारी के साथ भारत ने इस क्षेत्र में प्रभावी ढंग से प्रवेश किया है। इससे भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अल्ट्रावायलेट और एक्सरे बैंडों में विश्वस्तरीय निरीक्षण की सुविधा प्राप्त होगी। आईयूसीए ऐस्ट्रोसेट से प्राप्त होने वाले आंकड़ों के प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध करने की योजना बनाने के साथ-साथ इसे विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कराने और शोधार्थियों को अपेक्षित प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने की योजना बना रहा है ताकि शोधार्थी इस अत्याधुनिक अनुसंधान अवसर का पूरा फायदा उठा सके।

• सार्वजनिक पहुँच कार्यक्रम – विज्ञान पार्क विकास

आईयूसीए के पास एक सक्रिय सार्वजनिक पहुँच कार्यक्रम भी है जिसका प्रमुख उद्देश्य विद्यालय के छात्रों (विशेषकर गरीब बच्चों) में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, वैज्ञानिक परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रतिभाशाली क्षेत्रों को प्रोत्साहन और सहायता देना, अमच्योर ऐस्ट्रोनोंमी का संवर्द्धन और वर्तमान वैज्ञानिक उपलब्धियों विशेषकर ऐस्ट्रोफिजिक्स से संबंधित उपलब्धियों की महत्ता तथा उत्साह के बारे में आम जनता को जानकारी प्रदान करना है। विज्ञान के रोचक विकास का उल्लेख करने के लिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक पहुँच कार्यक्रम हेतु हाई रेश्यूलेशन सीसीडी इमेंजों के साथ इंटरनेट नियन्त्रित दूरबीनें छोटे मोबाइल प्लेनेटेरिया, जिन्हें अब ग्रामीण विद्यालयों तक ले जाया जा सकता है इत्यादि जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए। आईयूसीए स्थित 40,000 स्क्वियर मीटर का सॉइस पार्क एक महत्वपूर्ण आकर्षण है जिसमें विभिन्न प्रदर्शनीयां लगाई गई हैं। विजिटर्स की रुचि को बनाए रखने तथा विज्ञान की बहुआयामी प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए आईयूसीए की इन प्रदर्शनीयों को नियमित अंतराल पर समयानुकूल परिवर्तन करने की भी योजना है। इस पार्क को एक ऐस्ट्रोनोंमीकल विषय पर सावधानीपूर्वक तैयार किया जाएगा जो कि आईयूसीए के शेष वैज्ञानिक लैंडस्केप गार्डन की तरह होंगे।

• रेडियो ऐस्ट्रोनोंमी हेतु शैक्षणिक और प्रशिक्षण सुविधा :

इस समय भारत में विश्वस्तरीय ऐस्ट्रोनोंमी सुविधाएं मौजूद हैं और आने वाली पीढ़ियों द्वारा इन सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए रेडियो ऐस्ट्रोनोंमी के बारे में विज्ञान/अभियंत्रिकी के छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। विद्यमान सुविधा में मौजूद 2 राम आकार की रेडियो दूरबीन को एक इंटरफिरोमीटर बनाने के लिए इसे इसी प्रकार की दूरबीन से जोड़ा जाएगा। नेशनल सेंटर फार रेडियो ऐस्ट्रोफिजिक्स (एनसीआरए), पुणे के साथ मिलकर आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं में भाग लेने वाले छात्रों द्वारा स्वयं बनाओं प्रकार की रेडियो दूरबीन बनाई जाएगी।

• निरीक्षण करने वाले उपकरण और छोटी दूरबीनें:

आईयूसीए से मिलने वाले छोटी दूरबीनों (लगभग 16 सेन्टीमीटर डाईमीटर) द्वारा स्टीलर भिन्नता के अध्ययन जैसी रोचक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान किए जा सकते हैं। ऐसे अनुसंधान युवा आबजर्वर्स के लिए घड़ी वेधशालाओं के उपयोग करने से पहले महत्वपूर्ण प्रशिक्षण वातावरण सृजित करने हेतु उपयोगी साबित होंगे। आईयूसीए इस महत्वपूर्ण अनुसंधान क्रियाकलाप को बनाए रखने के लिए आधुनिक छोटी दूरबीनें अधिग्रहित करने की भी योजना है।

• जनशक्ति

आईयूसीए ने प्रति वर्ष औसतन लगभग 10 फैलो/पोस्ट डोक्स की संख्या बनाए रखी है। आईयूसीए के पोस्ट डॉक्टरेल कार्यक्रम बहुत ही सफल रहे हैं और ए एंड ए के सभी क्षेत्रों में कोर अकादमिक संकाय की पूर्ण संख्या के अभाव में पोस्ट-डोक्स की भर्ती की जा रही है। उपर्युक्त के मद्देनजर फैलो/पोस्ट-डोक्स की कुल संख्या को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 15 करने की योजना है बशर्ते कि योग्य उम्मीदवार उपलब्ध हों।

• आईयूसीए की अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं/सहयोग

- डी.एस.टी. – भारत-जापान एस एंड टी सहयोग – टामा हेतु गुरुत्वाकर्षण तरंग आकड़ों का विश्लेषण
- डी.एस.टी. – भारत-जापान एस एंड टी सहयोग – अनियमित शेड पार्टीकल्स द्वारा लाइट स्कैटरिंग
- भारत-फ्रांस – सेन्टर फार दि प्रमोशनल ऑफ एडवान्स रिसर्च (आई.एफ.सी.पी.ए.आर.) प्रोजेक्ट संख्या 3504 – लीजा मिशन की भौतिकी और गणितीय मॉडलिंग
- भारत-फ्रांस – सेन्टर फार दि प्रमोशनल ऑफ एडवान्स रिसर्च (आई.एफ.सी.पी.ए.आर.) परियोजना संख्या 3004-3 क्यू.एस.ओ. आमेलन लाइनों के साथ दूरस्थ यूनिवर्स प्रोबिंग
- भारत-फ्रांस – सेन्टर फार दि प्रमोशनल ऑफ एडवान्स रिसर्च (आई.एफ.सी.पी.ए.आर.) परियोजना संख्या 3005-3 सिस्टेमैटिक ईफक्ट इनसीरामबी आफ इएस ए एस सेटलाइट "प्लॉक"
- भारत-यूक्रेन – डार्क एनर्जी मीटर

• सम्मेलन इत्यादि

(क) सम्मेलन/कार्यशालाएं

वर्ष 2007-2008 के दौरान आईयूसीए द्वारा 19 सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

(ख) विदेशी शिष्टमंडल का दौरा :

वर्ष 2007-08 के दौरान यू.के., फ्रांस, कनाडा, यू.एस.ए., रूस, ब्राजील, नीदरलैंड्स, जर्मनी, स्पेन, इटली, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ईरान, इरैक्ट, पोलैंड, चीन, जापान, चीली से 93 विदेशी पर्यटकों ने केन्द्र का दौरा किया।

(ग) प्रकाशन :

इस केन्द्र के संकाय सदस्यों ने वर्ष 2007-08 के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 57 कागजात/लेख/कार्यवाही वृत्तांत प्रकाशित किया है।

• अन्य देशों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौता/सहयोग।

• व्यापक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय सुविधाओं हेतु सहयोग और टाइम भोयरिंग।

मध्यम आकारीय सुविधाएँ (आई.यू.सी.ए.ए. टेलीस्कोप जैसी) भारतीय वैज्ञानिकों को उपलब्ध हैं और जो पहले से ही व्यापक रूप में प्रयोग की जाती हैं। नये आई.यू.सी.ए.ए. टेलीस्कोप की 'आबजर्विंग साइकल' में बहुत अधिक वृद्धि हुई है जिसमें से लगभग आधे प्रस्ताव भारतीय विश्वविद्यालय क्षेत्र से आ रहे हैं। भारत में प्रेक्षणात्मक खगोल विज्ञान के प्रति रुचि बनाए रखने और उसके विकास के लिए बहुत देर से 10 एम. टेलीस्कोप जैसी खगोलीय सुविधाओं तक व्यापक पहुंच की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। इस प्रकार की व्यापक खगोलीय सुविधाओं का सृजन एवं प्रचालन विभिन्न देशों के प्रमुख संस्थानों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से किया जाता है। आई.यू.सी.ए.ए. ने एक अंतर्राष्ट्रीय सहायता संघ द्वारा प्रचालित 11 एम. साउदर्थ अफ्रीकन लार्ज टेलीस्कोप (एस.ए.एल.टी.) पर 'टाइम शेयर' करने हेतु सहयोग की

शुरुआत की है। प्रेक्षणार्थ इस सुविधा को शीघ्र ही खोला जाना है और दूसरी पीढ़ी के उपकरण हेतु आयोजना पहले ही शुरू हो चुकी है। आई.यू.सी.ए. सक्रिय रूप से एस.ए.एल.टी. के साथ इस प्रेक्षण कार्यक्रम में भाग लेगा तथा वह नई पीढ़ी के 'बैकइन्ड' इन्सट्रुमेंट के डिजाइन एवं फेब्रिकेशन तथा साथ ही आंकड़ा विश्लेषण एवं पुरालेख रक्षण हेतु साफ्टवेयर विकास में गंभीरता से कार्य करने की आयोजना भी बना रहा है।

• लाभग्रहियों की संख्या :

करीब 548 शोध छात्रों (अध्यापक और विद्यार्थी) ने इस केन्द्र का दौरा किया और वहां प्राप्त सुविधाओं का उपयोग किया।

• बुलेटिन/पत्रिका :

केन्द्र एक तिमाही बुलेटिन "खगोल" का प्रकाशन करता रहा है जिसमें केन्द्र के सारे कार्यकलापों पर प्रकाश डाला जाता है।

3. यू.जी.सी. – डी.ए.ई. कंसार्टिअम फॉर साईटिफिक रिसर्च, इंदौर

इतिहास :

यू.जी.सी. डी.ए.ई. कंसार्टिअम फॉर साईटिफिक रिसर्च जिसे पहले इंटरयूनिवर्सिटी कंसार्टिअम फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एटामिक इनर्जी फैसिलीटीज (आई.यू.सी. – डी.ए.ई.एफ.) के रूप में जाना जाता था, की स्थापना 1990 में एक समझौता ज्ञापन के आधार पर की गई थी जिसपर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रो. एस. यशपाल और परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. एम.आर. श्रीनिवासन के हस्ताक्षर हुए थे। यू.जी.सी.-डी.ए.ई.-सी.एस.आर. के तीन केन्द्र इंदौर, कोलकाता और मुंबई में हैं तथा इसका मुख्य कार्यालय इंदौर में है। इस संस्थान के कार्यकलाप का क्षेत्र वर्ष 2003 में व्यापक हो गया जब उस समय दो संस्थानों द्वारा एक नये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया तथा उस समय आई.यू.सी.-डी.ए.ई.एफ. का नाम बदलकर यू.जी.सी.-डी.ए.ई.-सी.एस.आर. कर दिया गया। यूजीसी-डीएई-सीएसआर नोड ने अनुपुरम में गत वर्ष कार्य करना शुरू कर दिया।

लक्ष्य :

यूजीसी-डीएई-सीएसआर के मुख्य लक्ष्य विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के शिक्षकों को अतिउन्नत शोध सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा शोध छात्रों को पी.एचडी. के लिए शोध कार्य में सहायता करना है। हमारे द्वारा अपने यहां 'इन-हाउस' उपलब्ध कराई गई तथा डीएई द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं जो अत्यंत मंहगी हैं एवं जिनका प्रचालन एवं अनुरक्षण कठिन है, सामान्यतः विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं हैं।

बजट :

वर्ष 2007-08 के लिए योजना और गैर-योजना शीर्षों के अंतर्गत क्रमशः 751.41 लाख रुपये और 695.00 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध थी।

लक्षित समूह :

पूरे भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अध्यापक और पी.एचडी के छात्र यूजीसी-डीएई-सीएसआर के अल्पकालिक और दीर्घकालिक सहयोग शोध स्कीमों के अंतर्गत डीएई सुविधाओं एवं 'इन हाउस' सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। नीचे रेखा चार्ट पर दिए गए आंकड़े एक समयावधि के अंतर्गत प्रयोक्ताओं की संख्या में वृद्धि को दर्शाते हैं। इस वर्ष लगभग 180 विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लगभग 700 शोधकर्ताओं ने उक्त सुविधाओं का प्रयोग किया। लगभग 20 एम.एससी/एम.फिल विद्यार्थी इस सहायता संघ में अपने परियोजना कार्य पूरे किए।

सम्मेलन आदि :

यूजीसी-डीएई-सीएसआर ने भौतिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे (एक) संघनित पदार्थ शोध में निम्न तापमान और उच्च चुम्बकीय क्षेत्र के अनुप्रयोग (दो) न्यूट्रॉस संघनित पदार्थ की जांच के रूप में (तीन) बीईसीसी पर आयन 'बीम' और मूल एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान में उनके अनुप्रयोग (चार) ट्रांस इलेमेंट रिसर्च (पांच) 'नैनो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम' की विशेषताएं आदि को सम्मिलित करते हुए सात जागरुकता कार्यशालाएं या विचार-विमर्श बैठकों का आयोजन किया।

नई सुविधाएं :

इस वर्ष अनेक नई 'इन हाउस' सुविधाओं की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं (एक) फोकसिंग क्रीस्टल बेस्ड डिफ्रैक्टोमीटर (दो) एसटीएम, एमएफएम और माइक्रो हाल प्रोब मीजरमेंट्स (तीन) डॉयनामिक लाइट स्कैटरिंग सेटअप (चार) एफटीआईआर (20 से 10000 सेमी.) और (पांच) ऐसी सुविधाएं जो निम्न तापमान एवं उच्च चुम्बकीय क्षेत्रों तक पहुंच को सुगम बनाती हैं। मौजूदा एमओकेई और मोस्सबेउर रुपेक्ट्रोस्कोपी सेटअप में जोड़ दी गई हैं, आदि।

प्रकाशन :

यूजीसी-डीई-सीएसआर के वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालयों के विभिन्न प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए शोध कार्य का प्रकाशन नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में किया जाता है और इस वर्ष 184 पत्र प्रकाशित हुए। इसके अतिरिक्त यूजीसी-डीई-सीएसआर वर्ष में दो बार 'सहयोग' नाम की बुलेटिन का तथा संस्था की अकादमी गतिविधियों की एक वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। इन प्रकाशनों के अद्यतन अंक और अन्य सूचनाएं वेबसाइट www.csr.ernet.in से प्राप्त की जा सकती हैं।

4. सूचना और ग्रंथालय नेटवर्क केन्द्र (आई.एन.एफ.एल.आई.बी.एनईटी), अहमदाबाद

• आई.एन.एफ.एल.आई.बी.एनईटी केन्द्र :

सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (आई.एन.एफ.एल.आई.बी.एनईटी) की स्थापना 1996 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के एक स्वतंत्र, स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी) के रूप में की गई थी। इस केन्द्र के प्रमुख कार्यकलाप और सेवाओं के अंतर्गत शैक्षणिक पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों का आटोमेशन, शैक्षिक पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों का केन्द्रीय डाटाबेस सृजित करना, सूचना तक पहुंच एवं उसके अंतरण को बढ़ावा देना, छात्रवृत्ति, अधिगम एवं शैक्षिक प्रयत्नों को सहयोग देना आते हैं। यह केन्द्र विद्वतापूर्ण संप्रेषण को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारत के विश्वविद्यालयों, उच्च अध्ययन संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों के नेटवर्किंग हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

समकालीन शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी के एक गतिशील कारक होने के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों के शैक्षिक समुदाय के लिए दो प्रमुख कार्य शुरू किए थे। पहला कार्य है "यूजीसी-इन्फोनेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम" जो विश्वविद्यालय परिसरों को अत्याधुनिक कैम्पस वाइड नेटवर्क एवं इंटरनेट बैंडविध की नेटवर्किंग प्रदान करता है। दूसरा कार्य है 'यूजीसी-इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसार्टिअम' जो विभिन्न विषयों के चयनित विद्वतापूर्ण इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं एवं डाटाबेस तक पहुंच प्रदान करता है। आई.एन.एफ.एल.आई.बी.एनईटी दोनों कार्यों के कार्यान्वयन एवं निगरानी हेतु जिम्मेदार है।

• लक्ष्य एवं दृष्टि :

अध्यवसाय, नवप्रवर्तन एवं सहयोग के माध्यम से ज्ञान तक प्रभावी एवं कुशल पहुंच के मद्देनजर अद्यतन प्रौद्योगिकी को प्रभावी बनाना, शैक्षिक संस्थानों में लोगों एवं संसाधनों के बीच वास्तविक नेटवर्क बनाना।

सभी शैक्षिक संस्थानों में शैक्षिक समुदाय की विद्वतापूर्ण, विशिष्ट रूप से जांचे गए इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तक त्रुटिहीन, विश्वसनीय एवं सर्वव्यापक पहुंच प्रदान करना जिसमें उन सेवाओं एवं उपकरणों, प्रक्रियाओं एवं अभ्यासों पर बल प्रदान किया जाता है जो इसके प्रभावी प्रयोग को सहयोग देते हैं और इस सूचना के मूल्य में वृद्धि करते हैं।

मूल्य वर्धित सेवाओं से शैक्षिक संस्थानों में आईसीटी अवसंरचना का निर्माण एवं उसे मजबूती प्रदान करना।

सुरक्षित एवं सुगम पहुंच (एक्सेस) प्रबंधन जो प्रयोक्ता को कहीं से और किसी समय इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में सूचना तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, के लिए उपकरणों, प्रविधि एवं प्रक्रिया का विकास करना।

ई-संसाधनों की प्रभावी सुपुर्दगी एवं प्रयोग हेतु रिसोर्स सेलेक्शन गाइड एवं आनलाइन ट्यूटोरियलस का विकास करना। इन संस्थानों द्वारा सृजित शैक्षणिक एवं शोध सामग्री को रखने हेतु प्रत्येक शैक्षिक संस्थानों में ओपेन एक्सेस डिजिटल संग्रहों के सृजन को सुगम बनाना।

- **वास्तविक अवसंरचना :**

सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (आई.एन.एफ.एल.आई.बी.एनईटी) 1992 से ही गुजरात विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है। गुजरात विश्वविद्यालय के आवासीय ब्लॉक के तीन भवनों को आई.एन.एफ.एल.आई.बी.एनईटी. के कार्यालयों एवं प्रयोगशालाओं को चलाने हेतु पट्टे पर लिया गया। गुजरात सरकार ने वर्ष 2006 के दौरान गुजरात के इन्फोसीटी में आई.एन.एफ.एल.आई.बी.एनईटी के स्थाई भवन का निर्माण करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 10,000 वर्ग मीटर (लगभग 2.5 एकड़) का एक भूखंड आबंटित किया है। केन्द्र ने 31 मई, 2007 को इस भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है और केन्द्र को आबंटित भूखंड की चाहारदीवारी का कार्य हाल ही में पूरा हो गया है। वित्तीय वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान इस केन्द्र ने इसके निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया है। यह भूमि इन्फोसीटी, गांधीनगर में विख्यात शैक्षणिक संस्थानों जैसे एनआईडी, डीएआईआईटी और एनआईएफटी के बीच स्थित है। इस केन्द्र ने आई.एन.एफ.एल.आई.बी.एनईटी के संस्थागत भवन का निर्माण करने हेतु एक वास्तुविद नियुक्त किया है जिसका नाम है आर्किटेक्ट एण्ड प्लानर्स, वास्तु शिल्प कंसलटेंट। इस भवन के डिजाइन का कार्य प्रक्रियाधीन है और यह प्रारंभिक चरण में है तथा वैज्ञानिक, प्रशासनिक एवं अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था सहित कार्यालय के आंतरिक ढांचे हेतु सूक्ष्म अध्ययन पर विचार किया जा रहा है। भवन में दी जाने वाली अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं जैसे मनोरंजन सुविधा, कैन्टीन, अल्पाहार गृह, अतिथि गृह, पार्किंग, पेय जल और प्रसाधन सुविधाओं के बारे में अंतिम रूप से क्रियान्वयन करने हेतु विश्लेषण किया जा रहा है।

- **वैज्ञानिक और तकनीकी क्रियाकलाप**

डाटाबेस प्रबंधन :

अपनी स्थापना से ही यह केन्द्र डाटा प्रबंधन कार्यों में लगा हुआ है तथा भारतीय विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकालय संसाधनों की केन्द्रीय सूची बनाने का कार्य शुरू कर दिया था। इन डाटाबेसों में पुस्तकों, क्रमिक पुस्तकों की ग्रन्थ सूची होती है और ये भागीदार विश्वविद्यालयों में उपलब्ध सभी विषयों से होते हैं। इन डाटाबेसों का संग्रहण 142 भागीदार विश्वविद्यालयों से विभिन्न प्रपत्रों में प्राप्त ग्रन्थ सूची रिकॉर्ड एकत्र कर किया जाता है। जिनका एकल केन्द्रीकृत डाटाबेस में विलयन कर दिया जाता है और प्रत्येक रिकॉर्ड में मेजबान विश्वविद्यालयों की सूचना होती है। इन डाटाबेसों तक 'इनहाउस' विकसित किए गए सर्च इंटरफेसेस के माध्यम से <http://www.inflibnet.ac.in> पर निःशुल्क पहुंच (एक्सेस) किया जा सकता है। प्रमुख डाटाबेस और रिकॉर्ड की संख्या तालिका एक में नीचे दी गई है :

तालिका 1 : केन्द्रीय सूचीपत्र की स्थिति :

डाटाबेस का नाम	रिकॉर्ड की संख्या
पुस्तकें	79,98,450
शोध प्रबंध	2,20,206
चालू क्रमिक पुस्तकें	13,881
क्रमिक पुस्तकें (अद्वितीय)	14,500
क्रमिक पुस्तकें (होलिडिंग्स)	50,164
विषय विशेषज्ञ (विश्वविद्यालय)	15,800
विषय विशेषज्ञ (एनआईएसएसएटी)	24,000
शोध परियोजनाएँ	10,000

सॉफ्टवेयर विकास :

यह केन्द्र अपनी कार्यात्मक आवश्यकताओं, दिनप्रतिदिन के क्रियाकलापों और सेवाओं पर आधारित विभिन्न सॉफ्टवेयर के विकास करने में लगा हुआ है। इसके अन्दर के दो समूह नामतः सॉफ्टवेयर अनुसंधान एवं विकास समूह और डाटाबेस अनुसंधान एवं विकास समूह डाटाबेस प्रबन्धन से संबंधित कार्यकलापों हेतु सॉफ्टवेयर विकास के कार्यों में लगे हुए हैं। डाटाबेस अनुसंधान एवं विकास समूह ने क्रियाकलापों एवं दिनप्रतिदिन के कार्यों हेतु सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग एवं यूटिलिटीज का विकास किया है। ये यूटिलिटीज एवं अनुप्रयोग निम्नवत् हैं।

- (क) **डॉटा रिफॉरमेटिंग** : यह विश्वविद्यालयों से प्राप्त ग्रन्थ सूची संबंधी डॉटा के फिल्ड्स एवं उपफिल्ड्स के रिफॉरमेटिंग को सुगम बनाता है जिससे इसे केन्द्रीय ग्रन्थ सूची में भेजा जा सके।
- (ख) **डॉटा एक्सपोर्टिंग** : एस.ओ.यू.एस. सॉफ्टवेयर या केन्द्रीकृत ग्रन्थ सूची से किसी प्रचलित प्रपत्र में डॉटा को एक्सपोर्ट करना।
- (ग) **डुप्लीकेट चेकिंग** : विश्वविद्यालय के रिकॉर्डों के अंतर्गत डुप्लीकेट को रोकना और
- (घ) **डी-डुप्लीकेशन** : केन्द्रीकृत ग्रन्थसूची में दोहरीकरण को रोकना, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हटाना और एकीकृत रिकॉर्ड में हॉलडिंग डिटेल्स को सम्मिलित करना।

इन अनुप्रयोगों एवं यूटिलिटीज को विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं शोध प्रबन्धों के ग्रंथसूची रिकॉर्ड को नये प्रपत्र के रूप में तैयार करने हेतु प्रयोग किया जाता है। जिससे इनका क्रमशः पुस्तकों, पत्रिकाओं और शोध प्रबन्धों के केन्द्रीकृत ग्रंथसूची के रूप में विलय किया जा सके। डाटाबेस अनुसंधान व विकास समूह ग्रंथ सूची रिकॉर्ड को डाटाबेस सर्वर में संवहन करने सहित डाटाबेस प्रबंधन एवं विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। वेब आधारित सर्च एवं ब्राउज के क्षेत्र के अनुसंधान कार्य भी इस अनुसंधान एवं विकास समूह के अंग हैं। विभिन्न ग्रन्थ सूची डाटाबेसों के लिए ऑनलाइन पर उपलब्ध सर्च इंटरफेसेस का विकास इस समूह द्वारा 'इन-हाउस' किया जाता है।

एस.ओ.यू.एस. सॉफ्टवेयर :

इस केन्द्र के सॉफ्टवेयर अनुसंधान एवं विकास समूह ने भारतीय शैक्षणिक पुस्तकालयों के स्वचालन हेतु एक समेकित पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का विकास किया है। इस समूह के समर्पित दल ने एक समेकित पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का डिजाइन एवं विकास किया जो एस.ओ.यू.एस. अर्थात् विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों हेतु सॉफ्टवेयर है। एस.ओ.यू.एस. सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण सी.ए.एल.आई.बी.ई.आर.-2000 के दौरान चेन्नई में जारी किया गया था। एस.ओ.यू.एस. प्रयोक्ताओं और चालू दौर की मांग को देखते हुए एस.ओ.यू.एस. सॉफ्टवेयर के ग्रंथसूची मॉड्यूल का नया संस्करण इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में 28 फरवरी, 2008 को सी.ए.एल.आई.बी.ई.आर.-2008 के दौरान जारी किया गया था।

इस सॉफ्टवेयर की नई ग्रंथसूची मॉड्यूल निशुल्क उपलब्ध है और इसे वेबसाइट <http://www.inflibnet.ac.in/soul/soul.html> से डाउनलोड किया जा सकता है।

इस सॉफ्टवेयर को देश के सरकारी पुस्तकालयों सहित अनेक बड़े एवं छोटे शैक्षिक पुस्तकालयों में 1538 स्थानों पर लगाया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) द्वारा निर्देशित विशेष योजना के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में लगे सॉफ्टवेयर भी शामिल हैं। यह केन्द्र पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है जो नये प्रयोक्ताओं के लिए एस.ओ.यू.एस. की स्थापना एवं क्रियान्वयन से संबंधित प्रशिक्षण देने हेतु डिजाइन किया गया है।

ग्रंथ सूची के स्टैन्डर्ड्स, फॉरमेट्स और प्रॉटोकॉल्स :

ग्रंथ सूची के स्टैन्डर्ड्स और प्रॉटोकॉल्स ग्रंथ सूची और संबंधित सॉफ्टवेयर के मुख्य आधार हैं। स्टैन्डर्ड्स और प्रॉटोकॉल्स क्रियाकलापों के क्रियान्वयन को सही रूप प्रदान करते हैं, पूर्णतः गुणवत्ता एवं संगति प्रदान करते हैं तथा इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि परस्पर प्रचालन, डॉटा अंतरण एवं अदला-बदली को सुगम बनाते हैं।

एक रुप स्टैन्डर्डस एवं प्रॉटोकॉल डॉटा अंतरण, अदला-बदली, अंतरप्रचालन, केन्द्रीकृत ग्रंथ सूची में रिकॉर्ड के विलयन और इससे भी महत्वपूर्ण कि इसके सृजन एवं गुणवत्ता अनुरक्षण हेतु पूर्व आवश्यकताएँ हैं। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि केन्द्रीकृत डॉटाबेस इस केन्द्र का प्रमुख क्रियाकलाप है, केन्द्रीकृत ग्रंथ सूची और एस.ओ. यू.एल. सॉफ्टवेयर में प्रयोग हेतु ग्रंथ सूची स्टैन्डर्ड के रुप में एम.ए.आर.सी. 21 को स्वीकृत करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी। विशेषज्ञ समिति ने एम.ए.आर.सी.-21 ग्रंथ सूची फॉरमेट से कतिपय क्षेत्रों की पहचान की है। तदनुसार, प्रत्येक भागीदार ग्रंथालय को पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर में ग्रंथ सूची डॉटाबेस का सृजन करने हेतु एम.ए.आर.सी.-21 ग्रंथ सूची प्रपत्र का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। ये स्टैन्डर्डस आई.एन.एफ. एल.आई.बी.एन.ई.टी. की वेबसाइट <http://www.inflibnet.ac.in/publication> पर डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध हैं। इस केन्द्र द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देश जैसे 'गाइडलाईस फॉर डाटा कैपचरिंग - ए यूजर मैनुअल' और 'एस.ओ.यू.एल. गाइडलाईस फॉर डाटा कैपचरिंग - यूजर मैनुअल' पुस्तकालयों के लिए ऑनलाईन उपलब्ध है। भागीदार पुस्तकालयों के लिए संस्तुत अन्य स्टैन्डर्डस हैं :

- एंग्लो-अमेरिकन केटालॉगिंग रुल्स 2(समीक्षा)
- लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सबजेक्ट हेडिंग्स

यह केन्द्र एन.आई.एस.ओ. (<http://www.niso.org>) राष्ट्रीय सूचना मानकीकरण संगठन के सदस्य के रुप में उसके क्रियाकलापों में भाग लेता है। एन.आई.एस.ओ. को अमेरिका नेशनल स्टैन्डर्डस इंस्टीट्यूट (ए.एन.एस.आई.) द्वारा एक गैर सरकारी संघ का दर्जा दिया गया है जो डिजिटल परिवेश में सूचना प्रबंधन हेतु तकनीकी स्टैन्डर्डस की पहचान, विकास अनुरक्षण एवं प्रकाशन करता है। एन.आई.एस.ओ. के स्टैन्डर्डस दोनों परम्परागत और नई प्रौद्योगिकियों में सूचना से संबंधित सभी आवश्यकताओं जिसमें पुनःप्राप्ति, पुनःप्रयोग, भण्डारण, मेटाडाटा और संरक्षण भी शामिल हैं में लागू होते हैं। प्रकाशनों, पुस्तकालयों, आई.टी. और मीडिया क्षेत्रों के संगठनों के विभिन्न नेता एन.आई.एस.ओ. के वोटिंग और एलायंस मेम्बर्स के रुप में कार्य करते हैं। एन.आई.एस.ओ. तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की तकनीकी समिति 46 (टी.सी.46) से भी घनिष्ठ रुप से जुड़ा हुआ है। आई.एस.ओ. की टी.सी. 46 समिति निम्नलिखित उपसमितियों का कार्य भी करती है :

- (क) एस.सी. 4 तकनीकी अंतःप्रचालनीयता संबंधी
- (ख) एस.सी. 8 गुणवत्ता-सांख्यिकीय एवं कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी
- (ग) एस.सी. 9 ऑन आइडेन्टिफिकेशन एण्ड डिस्क्रिप्शन
- (घ) एस.सी. 11 ऑन आर्किवल/रिकॉर्डस मैनेजमेंट

यह केन्द्र राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मानकीकरण ब्यूरो (बी.आई.एस.) नई दिल्ली (<http://bis.org.in>) के प्रलेखन एवं प्रबंधन संबंधी तकनीकी समिति एम.एस.डी.5 के साथ भी जुड़ा हुआ है।

● यू.जी.सी. इन्फोनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम :

वर्ष 2002 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी द्वारा यू.जी.सी.-इन्फोनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम शुरू करने के समय से अब तक 149 विश्वविद्यालयों को 256 के.बी.पी.एस. से 2 एम.बी.पी.एस. के इंटरनेट बैंडविथ प्रदान किए गए हैं। जहां ब्रोडबैंड एल.एल./एस.सी.पी.सी./डी.ए.एम.ए./एफ.टी.डी.एम.ए./आर.एफ. प्रयुक्त हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे नेटवर्क की स्थापना एवं अनुरक्षण का कार्य ई.आर.एन.ई.टी. इंडिया द्वारा 'टर्न-की' आधार पर किए जाते हैं। यह यू.जी.सी. इन्फोनेट एक ऑपन आई.पी. प्लेटफॉर्म पर आधारित है जिसमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां जैसे आई.टी. मल्टीकास्ट, टी.सी.पी. स्पूफिंग और अन्य इंटरनेट टूल्स लगे हैं जो पी.सी. या टी.वी. पर संवादात्मक शिक्षा प्रदान करते हैं एवं प्रश्नों का ऑनलाईन उत्तर देना संभव हो पाता है। ऑपन सिस्टम आर्किटेक्चर चालू और भावी प्रयोगों हेतु एक आधार सुनिश्चित करता है।

प्रत्येक भागीदार विश्वविद्यालय ने यूजी.सी., आई.एन.एफ.एल.आई.बी.एन.ई.टी. और ई.आर.एन.ई.टी. के साथ चतुष्पक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संपूर्ण परियोजना का वित्तपोषण पूंजी निवेश के 90 प्रतिशत और आवर्ती वैडविथ प्रभार के शतप्रतिशत के साथ करता है। इस परियोजना के डिजाइन, क्रियान्वयन और प्रचालन को दिशानिर्देश देने एवं निगरानी करने हेतु एक संयुक्त तकनीकी टैरिफ समिति (जेटीटीसी) बनाई गई है जिसका पुनर्नामकरण सेन्ट्रल कनेक्टिविटी मॉनिटरिंग कमेटी (सी.सी.एम.सी.) के रूप में किया गया है। आई.एन.एफ.एल.आई.बी.एन.ई.टी. ई.आर.एन.ई.टी. और विश्वविद्यालयों के बीच निगरानी एवं लाइजनिंग की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ई.आर.एन.ई.टी. का कार्य है आई.एन.एफ.एल.आई.बी.एन.ई.टी. के सहयोग से विश्वविद्यालयों के नेटवर्क एवं सिस्टम प्रशासकों को परिसर के नेटवर्क एवं उपकरणों की व्यवस्था करने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना है। ई.आर.एन.ई.टी. के माध्यम से इस कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को दिया जाने वाला वैडविथ विश्वविद्यालयों की स्थिति एवं तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रकार का 256 के.बी.पी.एस. से 2 एम.बी.पी.एस. के बीच होता है।

• यूजीसी-इन्फोनेट डिजिटल ग्रंथालय कन्सोर्टियम

यूजीसी-इन्फोनेट कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2003 में विश्वविद्यालयों को इंटरनेट से जोड़े जाने के तुरंत बाद यूजीसी-इन्फोनेट डिजिटल ग्रंथालय कन्सोर्टियम का भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डा० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम द्वारा औपचारिक रूप से दिसम्बर, 2003 में उद्घाटन किया गया था। यह कन्सोर्टियम विश्वविद्यालय ग्रंथालयों जोकि श्रृंखलाबद्ध संकटों के कारण अध्येयता पत्रिकाएं खरीदना बंद कर रहे थे जो अध्येयता पत्रिकाओं की अंशदान लागत में बारम्बार एवं निरन्तर वृद्धि को इंगित करता है। यह संकट मुद्रास्फीति की दर से भी तेज गति से पत्रिकाओं की लागत बढ़ने, पत्रिकाओं की संख्या बढ़ने तथा ग्रंथालयों के पास धन की कमी के कारण बढ़ गया।

यह कन्सोर्टियम 5000 से भी अधिक वर्तमान के एवं ऐतिहासिक दस्तावेजों तथा समकक्ष पत्रिकाओं और विभिन्न संकायों में 23 प्रकाशकों एवं एग्रीगेटर्स के नौ सन्दर्भ पुस्तक डाटाबेस तक पहुंच प्रदान करता है। यह कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया था। प्रथम चरण जो वर्ष 2004 में शुरू हुआ था, में यूजीसी के यूजीसी-इन्फोनेट कनेक्टिविटी कार्यक्रम के अन्तर्गत इंटरनेट से जुड़े 50 विश्वविद्यालयों को ई-संसाधनों तक पहुंच प्रदान की गई। दूसरे चरण में वर्ष 2005 में इस कार्यक्रम में 50 विश्वविद्यालय और शामिल किए गए। तब यूजीसी के दायरे में आए 171 में से 120 विश्वविद्यालयों में ई-संसाधनों तक पहुंच प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त कई पब्लिशर्स की ई-पत्रिकाओं तक 25 विश्वविद्यालयों को पहुंच प्रदान की गई। इन ई-स्रोतों में कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव-विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान तथा सांख्यिकी आदि सहित लगभग सभी विषय शामिल हैं। इस कार्यक्रम का पूर्णतः वित्तपोषण यूजीसी तथा क्रियान्वयन आईएनएफएल आईबीएन ईटी केन्द्र द्वारा किया जा रहा है।

ई-स्रोतों के क्रय का लाभ प्रारंभ में उत्कृष्टता की क्षमता वाले महाविद्यालयों (सीपीआई) तथा स्वायत्तशासी महाविद्यालयों को भी प्रदान किया जायेगा। इस कान्सोर्टियम की योजना अपना "सहायक सदस्यता कार्यक्रम" शुरू करने की भी है जिसमें चयनित ई-संसाधनों के लिए निजी विश्वविद्यालयों एवं अन्य अनुसंधान संगठनों को साथ लिया जाएगा।

150 से भी ज्यादा विश्वविद्यालयों को 5000 से भी अधिक अध्येयता पत्रिकाओं तथा 23 प्रमुख प्रकाशकों एवं एग्रीगेटर्स के नौ सन्दर्भ पुस्तक डाटाबेस तक पहुंच प्रदान की जाती है। इसके अलावा उनके नए अंकों तक पहुंच प्रदान करता है तथा अधिकांश पत्रिकाएं वर्ष 1997 से उनके अभिलेखागार में उपलब्ध हैं। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स तथा जेएसटीओआर जैसे कुछ पब्लिशर्स अपने खण्ड-1 से ही पहुंच प्रदान करते हैं।

तालिका 2 : ई-संसाधनों के प्रयोग में कुल औसत वृद्धि

क्रम सं.	प्रकाशक का नाम	2005 में डाउनलोड सं.	2006 में डाउनलोड सं.	2007 में डाउनलोड सं.	2005-06 में वृद्धि प्रतिशत	2006-07 में वृद्धि प्रतिशत	औसत वृद्धि
1.	जेएसटीओआर	53924	121745	616560	125.77	406.44	521.69
2.	आरएसटी	41786	88174	134121	111.01	52.11	110.49
3.	एमराल्ड	18106	38995	48776	115.37	25.08	84.70
4.	ब्लैकवेल	116473	174081	278690	49.46	60.09	69.64
5.	स्प्रिंगर लिंक	190831	273319	443024	43.23	62.09	66.08
6.	आईओपी	81071	124949	134241	54.12	7.44	32.79
7.	सीयूपी	21321	23061	49304	8.16	113.80	65.62
8.	एनुअल रिव्यूज	56504	77034	116800	36.33	51.62	53.36
9.	प्रोजेक्ट म्यूज	26038	46699	46140	79.35	-1.20	38.60
10.	ओयूपी	100316	205213	171973	104.57	-16.20	35.72
11.	एआईपी/एपीएस	243856	292884	329025	20.11	12.34	17.46
12.	एसीएस	422816	478140	560506	13.08	17.23	16.28
13.	एलसेविअर	89585	72964	95770	-18.55	31.26	3.45
14.	नेचर	48499	42939	42894	-11.67	0.13	-5.78
				औसत	36.33	48.92	51.51

नोट : तीन वर्षों के दौरान (2005-07) प्रयोग में औसत वृद्धि 51.51 प्रतिशत रही है।

ई-पत्रिकाओं की सीमा को जानने की दृष्टि से आईएनएफएलआईबीएनईटी केन्द्र ने प्रमुख प्रकाशकों (ग्राफ 1 तथा तालिका-2 में दर्शाए गए हैं) के आंकड़ें एकत्रित कर दर्शाए हैं तथा एक तुलनात्मक अध्ययन किया है। यह देखा गया है कि गत वर्षों में ई-संसाधनों के प्रयोग में काफी अधिक वृद्धि हुई है। भारत में अकादमिक समुदाय अब इस कंसोर्टियम के अन्तर्गत क्रय किए गए ई-संसाधनों का प्रभावी रूप से प्रयोग कर रहा है।

• कंसोर्टियम के माध्यम से अनुसंधान निर्गत और ई-संसाधनों के प्रभाव को मापना

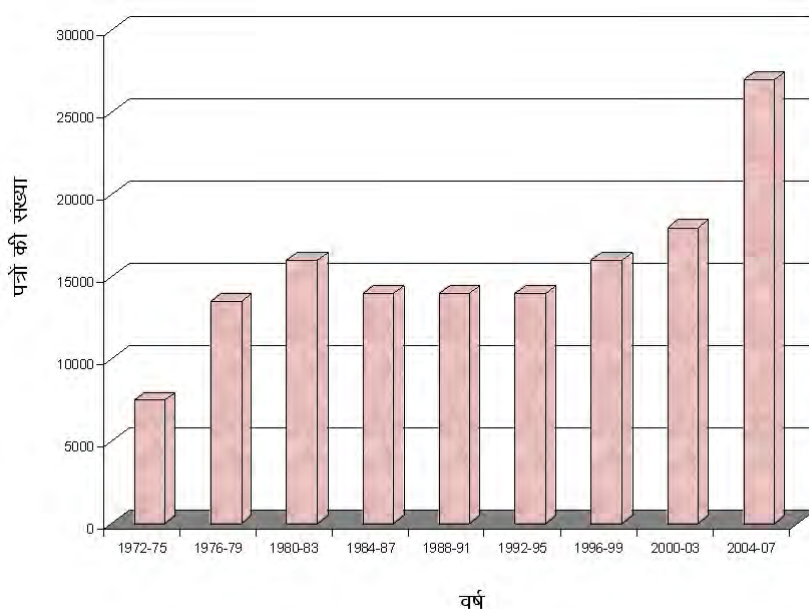
किसी संस्था की अनुसंधान योग्यता, शिक्षण, स्टाफ विकास, पंडित्य और अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों के बीच गुणात्मक अंतर करने के लिए प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। गुणात्मक शब्दों में, किसी संस्था की शोध आउटपुट का माप शोध लेखों, उनके द्वारा प्राप्त प्रशस्तियों, पेटेंटों, अनुदानों, परामर्शों, शोध रिपोर्टों, सम्मानों और पुरस्कारों, शोध विद्यार्थियों की संख्या और विद्यार्थियों को मिले रोजगार आदि से किया जा सकता है। प्राप्त किसी संस्था के शोध प्रकाशनों और प्रशस्ति-पत्रों की संख्या का प्रयोग किसी संस्था के शोध आउटपुट का माप करने में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जो बदले में किसी संस्थान में उपलब्ध संस्थान के प्रभाव को प्रतिबिंबित करती है। विज्ञान प्रशस्ति पत्र सूचकांक (एससीआई) सामाजिक विज्ञान प्रशस्ति पत्र सूचकांक (एसएससी) और कला और मानविकी सूचकांक (एएण्डएचआई) अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त ऐसा डाटाबेस है जो एक फिल्टरिंग तंत्र है क्योंकि ये उनके द्वारा प्राप्त प्रशस्ति पत्रों के आधार पर गुणात्मक शोध आउटपुट का सूचकांक तैयार करते हैं। अतएव किसी संस्थान की गुणात्मक उत्पादकता का पता लगाने के लिए इन सूचकांकों की खोज भी की जा सकती है।

प्रथम चरण के उन 50 विश्वविद्यालयों की गुणात्मक शोध उत्पादकता का यह पता लगाने के लिए एससीआई, एसएससीआई, एएण्डएचआई की खोज की गई थी कि क्या उन्हें कंसोर्टियम के माध्यम से ई-संसाधन तक पहुंचने की सुविधा मिल रही है। चरण एक में 50 विश्वविद्यालयों के लिए इन तीन सूचकांकों में प्रदर्शित स्रोत-संसाधनों की 1972 से 2007 तक चार वर्षों के ब्लॉक में इन उद्देश्यों से जांच की गई थी कि जब

विश्वविद्यालयों को चरण एक में कंसोर्टियम के माध्यम से पूर्ववर्ती उन ब्लाक वर्षों के साथ ई-संसाधनों का मूल्यांकन करना पड़ा था जब कंसोर्टियम के माध्यम से इन संस्थानों को ई-संसाधनों का लाभ नहीं मिल पाता था। चार वर्षों के पूर्ववर्ती सात ब्लाकों अर्थात् 1972-1975 से लेकर 2000-2003 तक के वर्षों की तुलना में वर्ष 2004-07 के दौरान नीचे आकृति में दर्शाए गए आंकड़ों से स्पष्ट है कि शोध पत्रों की संख्या के अनुसार शोध उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

वर्ष 1972 से 2007 तक प्रथम चरण के सभी 50 विश्वविद्यालयों की संचयी शोध आउटपुट में जो वृद्धि हुई है वह ब्लाक वर्ष 1984-87 की तुलना में -6.01 प्रतिशत अलग होकर वर्ष 2002-2003 से 2004-2007 तक के ब्लाक वर्ष में 42.42 प्रतिशत है जैसा कि नीचे आकृति में दर्शाया गया है। यह वह अवधि है जिसमें प्रथम चरण के सभी 50 विश्वविद्यालय कंसोर्टियम के माध्यम ई-संसाधन तक पहुंच का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

गत 43 वर्षों में पत्रों की संख्या में वृद्धि (चार वर्षों के ब्लाक में)



आकृति-2 : चरण-1 एक में विश्वविद्यालयों द्वारा प्रकाशित शोध लेखों की संख्या में वृद्धि

- **प्रवेश उपयोगकर्ताओं (वाक इन यूजर्स) के लिए ई-रिसोर्स तक पहुंच**

केन्द्र में छात्रों तथा अनुसंधानकर्ताओं के उपयोग के लिए समर्पित 15 इंटरनेट-सक्षम पर्सनल कम्प्यूटर हैं जोकि यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम के तहत सब्सक्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तक पहुंच के लिए रखे हुए हैं। ई-रिसोर्सिज के तहत हस्ताक्षरित लाइसेंस करार प्रवेश उपयोगकर्ताओं को ई-रिसोर्सिज तक पहुंच उपलब्ध कराते हैं गुजरात विश्वविद्यालय, इसके सम्बद्ध कालेजों तथा आसपास के विश्वविद्यालयों के कंसोर्शियम के तहत सब्सक्राइब्ड ई-रिसोर्सिज तक पहुंच हेतु छात्रों का स्वागत किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लगभग 1000 उपयोगकर्ता केन्द्र में पधारें।

- **जेसीसीसी / यूजीसी इन्फोनेट के माध्यम से अंतर ग्रंथालय ऋण**

जेसीसीसीसी (जनरल कन्टेंट फॉर कंसोर्शियम) के माध्यम से यूजीसी-इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम के तहत अंतर ग्रंथालय ऋण (आईएलएल) आरंभ करने के लिए इन्फ्लिबिनेट ने अपने आईएलएल केन्द्र के रूप में 22 विश्वविद्यालय चिन्हित किए हैं। जेसीसीसी, यूजीसी-इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम द्वारा सब्सक्राइब्ड सभी जर्नल तथा इन्फ्लिबिनेट केन्द्रों के आईएलएल केन्द्र के रूप में अभिहित 22 विश्वविद्यालयों के ग्रंथालयों द्वारा सब्सक्राइब्ड जर्नल तक लेख स्तर पर पहुंच प्रदान करना है। जेसीसीसी/यूजीसी इन्फोनेट इंटरफेस जो विशेष रूप से आईएलएल गतिविधि के लिए तैयार किया गया है, सीधे उपयोगकर्ता से इन्फ्लिबिनेट केन्द्र अथवा एक आईएलएल केन्द्र, जैसा भी मामला हो, तक विशेष रूप से अर्ध-स्वचालित तरीके से आईएलएल

अनुरोधों का सृजन करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि उपयोगकर्ता को उसके विश्वविद्यालय से संसाधनों तक पहुंचने में परेशानी हो रही हो। जेसीसीसी इंटरफेस निम्नवत् सुविधा प्रदान करता है।

- (क) यूजीसी-इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम के तहत सब्सक्राइब्ड जर्नल की सामग्री को ढूँढना।
- (ख) सभी आईएलएल केन्द्रों द्वारा जर्नलों (प्रिंट तथा ई-जर्नल) से लेखों को ढूँढना।
- (ग) अन्य सदस्य ग्रंथालयों द्वारा सब्सक्राइब्ड जर्नल, अगर वे अपने जर्नलों को जेसीसीसी में सूचीबद्ध करते हैं, तो उनमें से लेखों को ढूँढना।
- (घ) आईएलएल केन्द्र/इन्फ्लीबनेट केन्द्रों को उपयोगकर्ता द्वारा उसके विश्वविद्यालय में पहुंच के दायरे से दूर लेखों के लिए आईएलएल अनुरोध सृजन करना।
- (ङ) अनुरोध की स्थिति का पता लगाना तथा आईएलएल अनुरोधों को पूरा किए जाने की अवस्थिति का पता लगाना।

• सम्मेलन

केन्द्र प्रतिवर्ष 'प्लेनर' तथा 'केलिबर' नाम के दो मुख्य वार्षिक सम्मेलन

आयोजित करता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के तहत, गुवाहाटी विश्वविद्यालय गुवाहाटी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में क्रमशः नवम्बर 2007 तथा फरवरी/मार्च 2008 में 5वीं प्लेनर तथा 15वीं केलिबर आयोजित की गई थी। दो समागमों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

• प्लेनर 2007

इन्फ्लीबनेट केन्द्र अहमदाबाद द्वारा गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी (असम) के सहयोग से 7 तथा 8 दिसम्बर 2007 में गुवाहाटी में "लाइब्रेरी एज ए ग्लोबल इन्फार्मेशन हब: पर्सपेक्टिव एण्ड चैलेजिस" विषय पर 5वाँ प्लेनर (उत्तर पूर्व में लाइब्रेरी स्वचालन तथा नेटवर्किंग का संवर्धन) आयोजित किया गया था। इन्फ्लीबनेट कर्मचारियों, आगन्तुकों, छात्रों, आयोजक समिति तथा इसकी उप समितियों के सदस्यों के अलावा समागम में 274 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधि देश भूटान सहित विभिन्न राज्यों से अनेक प्रतिनिधियों ने समागम में भाग लिया। ग्रंथालय तथा सूचना विज्ञान विभाग एनईएचयू, शिलांग से डॉ० ए० एस० चन्देल ने सम्मेलन के निदेशक की भूमिका निभाई तथा तेजपुर विश्वविद्यालय के पूर्व पुस्तकालयध्यक्ष, श्री एम० एन० बोरा ने सम्मेलन के रापोटियर जनरल की भूमिका निभाई। सम्मेलन के दो उप विषय : नामतः सूचना प्रबंधन तथा सीमाविहीन ग्रंथागार थे।

• अंतराष्ट्रीय केलिबर, 2007

केलिबर केन्द्र द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाने वाली एक अंतराष्ट्रीय संगोष्ठी है। विश्वविद्यालयों के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में केलिबर का आयोजन किया जाता है। लगातार क्रम में 15वीं केलिबर तथा छठी अंतराष्ट्रीय केलिबर, इलाहाबाद में 28, 29 फरवरी तथा 1 मार्च, 2008 को 'फ्राम आटोमेशन टू ट्रांसफारमेशन' विषय पर आयोजित की गई थी।

सम्मेलन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनेट हाल में आयोजित किया गया था। डा. ए.पी. गाखर, विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष ने अंतराष्ट्रीय केलिबर, 2008 के लिए आयोजक सचिव की भूमिका निभाई। आईएनएफएलआईबीएनईटी (इनफलिबनेट) के निदेशक डा. जगदीश अरोड़ा ने यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम तथा कंसोर्टियम के तहत विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराए गए संसाधन के बारे में संक्षेप में सूचना उपलब्ध कराई। आईआईटी, कानपुर के पूर्व पुस्तकालय अध्यक्ष डा. भूषण लाल ने सम्मेलन निदेशक के रूप में भूमिका निभाई। डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के ग्रंथागार एवं सूचना विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डा. यू.सी. शर्मा, सम्मेलन के 'रापोटियर जनरल' की भूमिका निभाई।

1 मार्च, 2008 को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजन हर्षे द्वारा सम्मेलन का समापन किया गया। 'रापोटियर जनरल' डा. यू.सी. शर्मा ने विभिन्न तकनीकी सत्रों के सभापतियों द्वारा सम्मेलन पर की गई सिफारिश व संक्षिप्त

रिपोर्ट प्रस्तुत की। डा. जगदीश अरोड़ा ने केलिबर 2008 आयोजन करने तथा इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आयोजन सचिव का धन्यवाद किया। प्रो. हर्ष ने समापन भाषण दिया। सम्मलेन के आयोजक श्री चन्द्रशेखर तथा आयोजन सचिव, डा. ए. पी. गाखर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सम्मेलन की सिफारिशें निम्नवत् हैं :-

- (1) अनेक बाधाओं के कारण विभिन्न पुस्तकालयों में उत्कृष्टतम पद्धतियाँ लागू करना जटिल और मुष्किल होता है लेकिन यह बेहतर कार्य निष्पादन ही है जो पुस्तकालयों को उत्कृष्टतम पद्धतियों के लिए प्रेरित करता है और उन्हें अग्रिम पंक्ति में बनाये रखता है। इस बारे में यह भी सुझाव दिया गया कि एल.आई. सी. को इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ने की आवश्यकता है, यद्यपि इसे विवेकसम्मत ढंग से किया जाना चाहिए।
- (2) पुस्तकालयों को कंप्यूटरों और डाटा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इसके लिए डिजिटल परीक्षण में उत्कृष्ट पद्धतियाँ अपनानी चाहिए और महत्वपूर्ण आंकड़ों के परीक्षण में उनका उपयोग करना चाहिए।
- (3) यह सिफारिश की जाती है कि देश के सभी नागरिकों के लिए सार्वजनिक सूचना निशुल्क और आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए।
- (4) प्रयोक्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी प्रकार की सूचना और सामग्री तक पहुंच प्रदान करने हेतु पुस्तकालयों के पास संग्रहण विकास नीतियां होनी चाहिए।
- (5) इस इलेक्ट्रॉनिक युग में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पुस्तकालय और सूचना पेशेवरों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना चाहिए है।
- (6) वेब आधारित वातावरण के अनुकूल अपनाए गए मेटाडाटा परम्परागत कैटलॉग का नया नाम है। यह सुझाव दिया गया था कि पुस्तकाध्यक्षों को ई-संसाधनों की विषय सूची हेतु कार्य-पद्धति को अपनाना चाहिए।
- (7) अपने प्रयोक्ताओं को व्यक्तिगत सुविधा सेवाएं प्रदान करने के लिए पुस्तकालयों को वेब 2.0 और वेब 3.0 हेतु पहल करनी चाहिए।
- (8) पुस्तकालयों के कंप्यूटरीकरण हेतु ओपन स्रोत सॉफ्टवेयर और पुस्तकालयों के लिए इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तक पहुंच हेतु ओपन एक्सेस बेहतर समाधान है।
- (9) डिजीटाइजेशन हेतु निर्धारित चयन मानदंड के साथ रणनीति बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षण तथा पहुंच के मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए। डिजीटाइजेशन परियोजना की सफलता के उच्च स्तर को सुनिश्चित रखते हुए सामग्री का मूल्य, सामग्री की स्थिति, सामग्री का उपयोग और सामग्री की विशेषताएं जैसे परम्परागत परीक्षणों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- (10) पुस्तकाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुस्तकालय क्रियाकलापों के लिए एक्सएमएल, ओएआई, एनसीआईपी, एमएआरसी, जेड-39.5 इत्यादि जैसे सॉफ्टवेयर जो उन्होंने खरीदे हैं या स्वयं विकसित किए हैं, को एलआईएस से संबंधित मानदंडों में लागू किया जाना चाहिए।
- (11) यूजीसी-इंफोनेट डिजिटल पुस्तकालय कंसोर्टियम के संबंध में विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों को ई-संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अकादमिक समुदाय को प्रशिक्षित तथा सहायता देने के लिए आईएनएफ एलआईबीएनईटी के साथ प्रयोक्ता जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए।
- (12) पुस्तकाध्यक्षों और पेशेवरों को चाहिए कि वे प्रयोक्ताओं की सूचना संबंधी आवश्यकताओं को समझे और उन्हें बेहतर सेवाएं प्रदान करें। यूजीसी इंफोनेट पुस्तकालयों के राष्ट्रीय नेटवर्क के एक भाग के रूप में प्रयोक्ताओं के साथ-साथ पुस्तकालय के लिए भी एक अतिरिक्त लाभ होगा जहां प्रयोक्ताओं और नेटवर्क ई-संसाधनों के बीच पुस्तकालय एक मुख्य केन्द्र होता है।
- (13) पुस्तकालयों के माध्यम से सभी नागरिकों को उनके जीवनभर सीखने के प्रयासों में वृद्धि करने के लिए प्रयोक्ता-अनुकूल प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

- (14) बदलते परिदृश्य विशेषकर ओपन पहुंच वातावरण में पुस्तकालयों को (आईपीआर) बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी मुद्दों से भली-भांति परिचित होना चाहिए।
- (15) यह सिफारिश की गई है कि शोध प्रयासों के अनुलिपिकरण से बचने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर शोधों/लघु शोध प्रबंधों के डिजीटाइजेशन को प्रोत्साहन देना चाहिए।

- **केन्द्र द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं**

- **ई-संसाधनों के लिए प्रयोक्ता जागरुकता कार्यक्रम**

इंफिलबनेट केन्द्र द्वारा पूरे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय कर्मचारियों, संकाय सदस्यों, छात्रों, शोधार्थियों और पुस्तकालय के पेशेवरों के लाभार्थ व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। इस केन्द्र ने यूजीसी इंफोनेट डिजीटल लाईब्रेरी कंसोर्टियम की शुरुआत से विभिन्न विश्वविद्यालयों में सौ से अधिक जागरुकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये हैं। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जागरुकता पैदा करना और कंसोर्टियम व्यवस्था के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को प्रदत्त ई-संसाधनों के उपयोग के लिए शोधार्थियों को प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित किया गया था और इसमें केन्द्र के दो वैज्ञानिक कर्मचारियों के सहयोग से प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा चयनित समन्वयकों द्वारा समन्वय किया गया था। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रयोक्ता जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

- ई-संसाधन पर प्रयोक्ता जागरुकता कार्यक्रम, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर 29 अक्टूबर, 2007
- ई-संसाधन उपयोगकर्ता जागरुकता प्रशिक्षण कार्यक्रम, विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल, 24-25 जनवरी, 2007
- ई-संसाधन उपयोगकर्ता जागरुकता प्रशिक्षण कार्यक्रम, बड़ोदा एम.एस. विश्वविद्यालय, वड़ोदरा, गुजरात, 29 जनवरी, 2008
- नवोन्मेश प्रौद्योगिक के माध्यम से ग्रंथागर संसाधनों को सुदृढ़ीकरण पर संगोष्ठी, आर.के. पारीख कला और विज्ञान कालेज, पेटलाड़, 29 मार्च, 2008

- **राष्ट्रीय कार्यशाला एवं संगोष्ठी**

केन्द्र ने रिपोर्टधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित पाँच कार्यशालाएँ एवं संगोष्ठियाँ आयोजित की :

- **आईआरटीपीएलए प्रशिक्षण कार्यक्रम**

महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में ऑटोमेशन के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय आवश्यकताओं और भाषा पर जोर देते हुए, क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके अधिसंख्य पुस्तकालयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से आईआरटीपीएलए (पुस्तकालय ऑटोमेशन और नेटवर्किंग के लिए इंफिलबनेट क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम) कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय रहा और सीमित समयावधि में इसमें अधिसंख्य पुस्तकालयों को शामिल किया गया। आईआरटीपीएलए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु इंफिलबनेट विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान हैदराबाद और भोपाल में निम्नलिखित दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

• **17 से 21 दिसम्बर, 2007 को हैदराबाद में आयोजित आईआरटीपीएलए प्रशिक्षण कार्यक्रम**

17 से 21 दिसम्बर, 2007 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में बंकटलाल बद्रुका कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में आईआरटीपीएलए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में विभिन्न महाविद्यालयों के 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया। श्री एच.जी. उस्मानी इस कार्यक्रम के प्रमुख थे। उक्त कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित प्रस्तुतीकरण हुए :-

- (क) इंपिलबनेट क्रियाकलाप, सेवाएं और भावी योजनाएं
- (ख) पुस्तकालय ऑटोमेशन हेतु योजना बनाना : अकादमिक पुस्तकालय
- (ग) इंपिलबनेट केन्द्र में समेकित डाटाबेस
- (घ) एम.ए.आर.सी. 21 ग्रंथसूची मानक : एक परीक्षा
- (ङ.) एस.ओ.यू.एल. एक समीक्षा
- (च) पुस्तकालय और सूचना केन्द्र पर इंटरनेट का प्रभाव
- (छ) विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों की नेटवर्किंग : यूजीसी इंफोनेट
- (ज) नेटवर्किंग और सुरक्षा के मूलतत्व

• **7 से 11 जनवरी, 2008 को भोपाल में आयोजित आईआरटीपीएलए प्रशिक्षण कार्यक्रम**

7 से 11 जनवरी, 2008 को भोपाल, मध्य प्रदेश में सरोजनी नायडू राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पुस्तकालय ऑटोमेशन और हिन्दी भाषा में नेटवर्किंग के लिए केन्द्र के क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईआरटीपीएलए) आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों के 75 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ. शशि राय, प्रधानाचार्य, सरोजनी नायडू राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य श्री एच.जी. उस्मानी ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया और केन्द्र के श्री यात्रिक पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई। डॉ. बी.के. खनूजा, लाइब्रेरियन, स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने इस कार्यक्रम के समन्वयक की भूमिका निभाई।

• **इन्फलीबनेट केन्द्र पर सोल प्रबोधन प्रशिक्षण कार्यक्रम**

इन्फलीबनेट, पाँच दिवसीय प्रबोधन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है जो विशेष रूप से ग्रंथालयों में सोल साफ्टवेयर को कम्प्यूटर में डालने तथा कार्यान्वयन पर नए उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए होता है। जबकि कार्यक्रम के पूर्वाह्न सत्र के दौरान सिद्धान्तों पर लेक्चर तथा उसका निरूपण किया जाता था वहीं अपराह्न सत्र "स्वयं किए जाने वाले" अभ्यास के प्रति समर्पित था। भागीदारों को सभी अपेक्षित सुविधाओं से लैस कम्प्यूटर प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कार्यक्रम की पाठ्यक्रम विषयवस्तु निम्नलिखित विषयों को कवर करने के लिए डिज़ाइन की गई है :

- (i) इन्फलीबनेट गतिविधियाँ तथा वि.अ.आ. - इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कन्सोर्टियम
- (ii) सोल - सारिणी मॉडपूल का परिचय
- (iii) सोल - अधिग्रहण मॉडपूल
- (iv) सोल - परिचालन मॉडपूल
- (v) सोल - सीरियल मॉडपूल
- (vi) सोल - ओपीएसी, प्रशासन एवं बैकअप
- (vii) एमएस-एसक्यूएल एवं सोल को कम्प्यूटर में डालना
- (viii) आईएसएम का उपयोग कर सोल को बहुभावी बनाना

सामान्यतः प्रत्येक संस्थान से केवल दो भागीदारों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। जिससे से एक कम्प्यूटर एवं एक ग्रंथालय पृष्ठभूमि से होना चाहिए। इन्फलीबनेट एक भागीदार को निःशुल्क स्थानीय मेहमान-नवाजी उपलब्ध कराता है। अब तक केन्द्र में इस प्रकार के 57 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान 245 भाग लेने वालों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम (तालिका 11) आयोजित किए गए:

तालिका 11 : इन्फलीबनेट केन्द्र पर आयोजित सोल प्रशिक्षण कार्यक्रम की अनुसूची

प्रशिक्षण क्र. सं.	कार्यक्रम की अवधि	भाग लेने वालों की संख्या
58	23 से 27 अप्रैल, 2007	19
59	28 मई से 1 जून, 2007	20
60	25 से 29 जून, 2007	28
61	20 से 24 अगस्त, 2007	19
62	17 से 21 सितम्बर, 2007	25
63	15 से 19 अक्टूबर, 2007	19
64	26 से 30 नवम्बर, 2007	18
65	28 जनवरी से 1 फरवरी, 2008	22
66	दस से 14 मार्च, 2008	28
67	17 से 21 मार्च, 2008	17
68	24 से 28 मार्च, 2008	28
	जोड़	243

- **पुरस्कार उपाधि तथा सम्मान**

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान इन्फलीबनेट के तीन कर्मचारियों को पुरस्कार, उपाधि और सम्मान प्रदान किए गए ।

- **प्रकाशन**

- **सम्मेलन की कार्यवाहियाँ**

(i) **नेटवर्क से जुड़े विश्व में सूचना और ज्ञान प्रबंधन** : 9 से 10 नवम्बर, 2007 को गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी और इन्फलीबनेट केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा संयुक्त रूप से गुवाहाटी विश्वविद्यालय में हुए प्लेनर की कार्यवाहियाँ (जगदीश अरोड़ा ——— द्वारा संपादित) ——— अहमदाबाद इन्फलीबनेट केन्द्र, 2007, 645 पृष्ठ

(ii) **स्वचालन से परिवर्तन** : 28, 29 फरवरी और 1 मार्च, 2008 को इन्फलीबनेट केन्द्र, अहमदाबाद तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद द्वारा संयुक्त रूप से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आयोजित इंटरनेशनल केलिबर की कार्यवाहियाँ (जगदीश अरोड़ा ——— द्वारा संपादित) ——— अहमदाबाद इन्फलीबनेट केन्द्र, 2006, 725 पृष्ठ

- **अन्य प्रकाशन**

उपरोक्त प्रकाशनों के अलावा, केन्द्र त्रैमासिक न्यूजलेटर व वार्षिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है । इन्फलीबनेट वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों ने विभिन्न पीयर-रिव्यू जर्नल, पत्रिकाओं और न्यूजलेटरों पर अनेक पत्र भी प्रकाशित किए हैं। कर्मचारियों व केन्द्र ने विभिन्न राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं पर अनेक प्रस्तुतियाँ भी की हैं ।

बजटीय आबंटन (योजनागत एवं गैर योजनागत)

वर्ष 2007–08 के दौरान योजनागत तथा गैर योजनागत दोनों के तहत बजटीय आबंटन जारी अनुदान का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(रूपये लाख में)

योजनागत			
क्र.सं.	ब्यौरा	केन्द्र के एफ.सी./जी.बी. द्वारा अनुमोदित बजटीय आबंटन	जारी अनुदान
1.	पूँजीगत मद	40.00	15.00
2.	ई-जरनल कन्सोर्टियम	5900.00	6120.00
3.	यूजीसी इनफोनेट योजना	1925.00	1606.64
4.	स्थायी संस्थागत भवन का निर्माण	750.00	—
	कुल	8615.00	7831.64

गैर-योजनागत			
क्र.सं.	ब्यौरा	बजटीय आबंटन	जारी अनुदान
1.	आवर्ती अनुदान	295.00	180.00
	कुल	295.00	180.00
	कुल अनुदान (योजनागत + गैर-योजनागत)	8910.00	8011.64

5. कन्सोर्टियम फार एजुकेशनल कम्यूनिकेशन (सीईसी), नई दिल्ली

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**

वि.अ.आ. देश में उच्च शिक्षा के शीर्ष निकाय ने उपग्रह एवं विभिन्न उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का देश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपयोग करने की पहल की। वि.अ.आ. ने 1984 में दूरदर्शन राष्ट्रीय नेटवर्क पर देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम आरंभ किया।

- **सीईसी के बारे में**

वर्ष 1983 में वि.अ.आ. ने देशव्यापी कक्षा (सीडब्ल्यूसीआर) गतिविधियों का समन्वय करने के लिए यूजीसी इनसेट टीवी परियोजना की नींव डाली। वर्ष 1993 में वि.अ.आ. ने अधिनियम 12 (सीसीसी) के तहत अंतर-विश्वविद्यालयी केन्द्र के रूप में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ सीईसी का सृजन किया :

- विभिन्न विश्वविद्यालयों में वि.अ.आ. द्वारा स्थापित मीडिया केन्द्रों का समन्वय, सुविधा प्रदान करना तथा उनका समग्र मार्गदर्शन तथा निदेशन करना
- प्रसारित एवं अप्रसारित दोनों माध्यमों द्वारा शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसार
- शैक्षणिक कार्यक्रमों (विशेषकर दृश्य व श्रव्य) तथा संबंधित सहायक सामग्री को तैयार करना तथा उचित सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

- कार्यक्रमों की प्रभावकारिता को इष्टतम बनाने के लिए अनुसंधान
- शैक्षणिक कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए विद्वानों की सक्रिय भागीदारी के लिए एक मंच उपलब्ध कराना ।
- नई प्रौद्योगिकियों/प्रौद्योगिकियों का अध्ययन, संवर्धन एवं उनके साथ प्रयोग करना जो शैक्षणिक संचार की पहुँच/या प्रभावकारिता को बढ़ाएगा ।

इन उद्देश्यों की प्रतिक्रिया में साफ्टवेयर की गुणवत्ता, चयनित कार्यक्रम के प्रसारण हेतु समन्वय, नवोन्मेश को प्रोत्साहन देना सुनिश्चित कर सीईसी केन्द्रों के विकास से समन्वय करता है ।

- **देशव्यापी कक्षा एवं मीडिया केन्द्र**

शैक्षणिक पाठ्यक्रम पर गुणवत्ता युक्त कार्यक्रम तैयार करने के लिए, यूजीसी ने देश के विभिन्न भागों में 17 मीडिया केन्द्र स्थापित किए हैं (मानचित्र देखें) उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकीय नवोन्मेश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा विभिन्न स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए ई-कन्टेंट के विकास के लिए वर्ष 2004 में इन केन्द्रों को शैक्षणिक मल्टीमीडिया केन्द्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया ।



• **वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान प्राप्त अनुदान तथा किया गया व्यय**

सीईसी में वर्ष 2007-08 के दौरान विभिन्न शीर्षों के तहत प्राप्त अनुदान व किये गये व्यय को नीचे दिया गया है :

शीर्ष	प्राप्त अनुदान (रूपये लाख में)	किया गया व्यय (रूपये लाख में)
गैर योजनागत	157.00	169.06
योजनागत (आवर्ती/अनावर्ती)	00.00	41.84
मल्टीमीडिया प्रशिक्षण	00.00	1.62
ई-कन्टेंट	00.00	1.49
एडूसेट	00.00	44.29
24 घंटे का शैक्षणिक चैनल	00.00	30.75
उत्तर पूर्व क्षेत्र	00.00	3.89
योग	157.00	292.94

• **लाभार्थियों की संख्या सहित लक्षित समूहों की कवरेज**

➤ **ई-कन्टेंट/मल्टीमीडिया प्रशिक्षण**

सीईसी शिक्षकों को मल्टीमीडिया तथा ई-कन्टेंट विकास प्रबोधन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 2007-08 में, मदुरई में लेडी डाक कालेज में क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें 25 शिक्षकों ई-कन्टेंट विकास तथा स्वयं पाठ आयोजना हेतु मल्टीमीडिया के उपयोग संबंधी प्रबोधन दिया गया।

➤ **व्यास चैनल**

सीईसी 26 जनवरी, 2004 से 24 घंटे का उच्च शिक्षा व्यास चैनल चलाती है। यह देश के विभिन्न भागों में 17 मीडिया केन्द्रों द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम को प्रसारित करता है। प्रसारण का लक्ष्य शिक्षकों एवं महिलाओं सहित भारत के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में परम्परागत तरीके से शिक्षा ग्रहण कर रहे स्नातक पूर्व छात्र हैं।

➤ **सीईसी टेलीविजन समाचार**

सीईसी प्रसारण अनुसूची को प्रसार करने के उद्देश्य तथा साथ ही निदेशक पटल से निदेशक नीतिगत मामलों पर अपने विचारों को आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से नियमित रूप से मासिक सीईसी टेलीविजन समाचार का प्रकाशन करता है। समाचार पत्र 2000 लोगों, संस्थाओं तथा देश के विभिन्न भागों में नीति-निर्माताओं को भेजा जाता है। समाचार पत्र कार्यक्रमों को उपलब्धता के बारे में तथा एडूसेट अनुसूची सहित नए कार्यक्रमों के बारे में सूचना प्रदान करता है।

➤ **वीडियो प्रतियोगिता**

19वें यूजीसी-सीईसी शैक्षणिक वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा देश के सभी भागों तथा साथ ही एशियन संगठनों द्वारा विभिन्न श्रेणियों में प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गईं। पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रो. सुखदेव थोरात ने

पुरस्कार वितरित किए। सीईसी ने लाईफ टाईम एचीवमेंट अवार्ड जिसे विक्रम साराभाई पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, पुडुचेरी स्थित पुडुचेरी विश्वविद्यालय के संस्कृति एवं सांस्कृतिक संबंध विभाग के निदेशक प्रो. ए. बालासुब्रह्मण्यम् को दिया। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक ट्राफी, एक शाल तथा 1.00 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

➤ एडुसेट

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में छात्रों व शिक्षकों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से सीईसी नियमित रूप से विभिन्न विषयों पर लेक्चरों का आयोजन करता आ रहा है।

● वर्तमान स्थिति

संपूर्ण देश में इंटरनेट आदि सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शैक्षणिक सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए एडुसेट के विस्तार सहित प्रतीयमान (वर्चुअल) विश्वविद्यालय एवं अन्य सुविधाओं की स्थापना के लिए ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

● भावी योजना

राज्यों में नए मीडिया केन्द्र खोलने की योजना बनाई गई है जहाँ से सीईसी को प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे उन क्षेत्रों से संसाधन प्राप्त करने में मदद मिलेगी जिनमें मीडिया केन्द्र नहीं है और उन्हें यूजीसी-सीईसी की राष्ट्रीय धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी।

● विदेशी प्रतिनिधिमंडल

उच्च शिक्षा पर शैक्षणिक सामग्री से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति के उच्च शिक्षा परामर्शदाता ने सीईसी का दौरा किया। उन्होंने ई-कन्टेंट विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यक्रम तैयार करने के क्षेत्र में सहयोग बारे में भी चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने मल्टीमीडिया प्रयोगशाला प्रसारण कक्ष, मीडिया टेप, लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं को भी देखा तथा भावी संदर्भ ग्रहण करने के लिए सूचीपत्र की प्रकाशित तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रति भी साथ ले गए।

● मीडिया पुस्तकालय

सी.ई.सी. मीडिया पुस्तकालय ने मार्च, 2008 तक सभी 17 मल्टीमीडिया अनुसंधान केन्द्रों के प्रारम्भ से कुल 12,153 कार्यक्रमों को अपने संग्रह में प्राप्त किया है। अप्रैल, 2007 से मार्च, 2008 की अवधि हेतु सी.ई.सी. स्थित केन्द्रीय संग्रह ने सत्रह मल्टीमीडिया अनुसंधान केन्द्रों से 1326 कार्यक्रम प्राप्त किए। सी.ई.सी. मीडिया पुस्तकालय में मार्च, 2008 तक बेटाकॉम कैसेट्स पर विभिन्न विषयों पर उपलब्ध एलओआर'स/आरएलओ'स लगभग 627 हैं और मार्च, 2008 तक सीडी और डीवीडी पर उपलब्ध ई-विषयवस्तु सुलभ कार्यक्रम 1092 हैं।

सी.ई.सी. मीडिया पुस्तकालय में स्क्रिप्ट लेखन, संपादन, विपणन और डिजिटल पुस्तकालय व सूचना सेवाएं जैसे चार विषयों में लगभग 85 ई-पाठ्यक्रम कार्यक्रम उपलब्ध हैं। सी.ई.सी. मीडिया पुस्तकालय में मार्च, 2008 तक सात मल्टीमीडिया केन्द्रों द्वारा प्रदान किए गए ई-विषयवस्तु प्रारंभिक परियोजना, लगभग 10 कार्यक्रम हैं।

6. राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रमाणन परिषद (एनएएसी), बंगलुरु

भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अप्रत्याशित गुणात्मक वृद्धि हुई है। शिक्षा प्रदाताओं के प्रकार कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम प्रदान करने की विधि और निधि प्रक्रिया भिन्न है। वस्तुतः संपूर्ण विश्व में इस समय शिक्षा की स्थिति अस्थिर है। ऐसी परिस्थितियों में मानकों और गुणवत्ता में विचलन स्वाभाविक है। संपूर्ण देश में महाविद्यालयों की बेतहाशा वृद्धि के संदर्भ में शिक्षा में मानकों की स्थापना की आवश्यकता के कारण ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई, 1986) और प्रोग्राम फॉर एक्शन (पीओए, 1992) ने ऐसे तंत्र की स्थापना के लिए बल दिया

है जो संस्थानों में स्व-मूल्यांकन तथा बाह्य एजेन्सी द्वारा मूल्यांकन और प्रमाणन को भी प्रोत्साहित करे। हमारी शैक्षिक प्रणाली के लाभों को मजबूत करने और गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने के संदर्भ में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रमाणन परिषद (एनएएसी) की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम है। एनएएसी की स्थापना 1984 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्वायत्त संस्थान के रूप में देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन को प्रमाणन के मूल उद्देश्य के साथ की गई थी। एनएएसी बंगलौर में स्थित है। संपूर्ण विश्व के देशों में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की तलाश एक मुख्य उद्देश्य बनकर उभरी है। उच्च शिक्षण में गुणवत्ता की आवश्यकता को पूरा करने के उपायों में उच्च शिक्षा अनुरक्षण और मानकों में सुधार के लिए बाह्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली एजेन्सियों (ईक्यूए) की स्थापना करना और ऐसी एजेन्सियों की विश्व के अनेक देशों में स्थापना की गई है। यह अंगीकृत किए जाने वाली एक नई अवधारणा है जो संभवतः एक दशक ही पुरानी है। कुछ विकासशील देशों के अतिरिक्त 16 सितम्बर, 1994 को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रमाणन परिषद (एनएएसी) की स्थापना कर भारत उच्च शिक्षा में गुणवत्ता हेतु अंतराष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गया है। इसके प्रभाव का एक सूचक यह है कि आज महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चर्चा हेतु चयनित विषयों के लिए सामान्यतः प्रयुक्त शब्दावली में "गुणवत्ता", "एनएएसी प्रमाणन", "आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी)" है।

उद्देश्य और मुख्य विशेषताएँ

एनएएसी का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, और महाविद्यालयों या इसके एक या अधिक इकाइयों अर्थात् विभाग, स्कूल, संस्थान कार्यक्रम इत्यादि।

मूल्यांकन और प्रमाणन के मुख्य उद्देश्य हैं

- क) उच्च शिक्षा के ग्रेड संस्थान और इनके कार्यक्रम;
- ख) इन संस्थानों में शैक्षणिक माहौल और शिक्षा की गुणवत्ता को प्रवृत्त करना;
- ग) संस्थानों को अपने शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग देना;
- घ) उपरोक्त प्रयोजन हेतु कार्यरत संस्थानों के सभी संदर्भों में आवश्यक परिवर्तन, नवाचारों और सुधारों को बढ़ावा देना।
- ड.) उच्च शिक्षा में नवाचारों, स्व-मूल्यांकन और प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करना।

अपने घोषणापत्र को पूरा करने के लिए एनएएसी:

- क) मूल्यांकन की तकनीकों और रीतियों के आलोक में प्राप्त अनुभवों की आवधिक समीक्षा और संशोधन और इसे अद्यतन करना;
- ख) संबंधित संस्थान के लिए मूल्यांकन और ग्रेडिंग के परिणामों को सुधारात्मक कार्यवाही, सुधार और स्व-सुधार के लिए सही ढंग और उपयुक्त प्रकार में सूचित करना;
- ग) संस्थानों को अपनी प्रक्रियाएं, तकनीकें और स्व-मूल्यांकन हेतु रीतियां विकसित करने के लिए मदद और प्रोत्साहित करना,
- घ) शैक्षिक संस्थानों, कार्यक्रमों इत्यादि की आयोजना और मूल्यांकन में अनुसंधान अध्ययनों को प्रवृत्त करना;
- ड.) उच्च शिक्षा के संस्थानों के पहचान किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करना और संसाधनों के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करना;
- च) एनएएसी समान प्रकृति का कार्य कर रहे भारतीय और विदेशी संस्थानों के साथ संयोजन कर सकती है और निवेदन प्राप्त होने पर विदेशों में उच्च शिक्षा के संस्थानों का मूल्यांकन और प्रमाणन कर सकती है।

एनएएसी अपनी सामान्य परिषद (जीसी) और कार्यकारी परिषद (ईसी) के माध्यम से कार्य करती है जिसमें उच्च शिक्षा तंत्र के विभिन्न समुदायों के शैक्षणिक प्रशासक, नीति निर्माता और वरिष्ठ शिक्षाविद् सम्मिलित होते हैं। यूजीसी का अध्यक्ष ही एनएएसी की महापरिषद का अध्यक्ष होता है और कार्यकारी परिषद् का अध्यक्ष प्रसिद्ध शिक्षाविद् होता है, जिसे महापरिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। निदेशक, एनएएसी का शैक्षणिक और प्रशासनिक अध्यक्ष होता है और जीसी व ईसी दोनों का सदस्य सचिव भी होता है। एनएएसी के कोर स्टाफ को अपने विभिन्न कार्यों को करने में परामर्शदाताओं द्वारा मदद दी जाती है।

रिपोर्टिंग वर्ष (1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008) हेतु बजट आवंटन और निष्पादन बजट

यूजीसी से 7.65 करोड़ रुपये प्राप्ति; 9.70 करोड़ रुपये व्यय; कमी को अपने रिजर्व से पूरा किया गया।

लक्षित समूहों के लाभार्थियों (विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अध्यापकों, विद्यार्थियों, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इत्यादि) का समाहन

एनएएसी के भारत में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं। इन संस्थानों के मूल्यांकन और प्रमाणन हेतु लक्षित समूह हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान 121 महाविद्यालय और 5 विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन और प्रमाणन किया गया।

वर्तमान स्थिति, कार्यक्रम के संदर्भ में लिए गए/परिवर्तन किए गए संगत महत्वपूर्ण निर्णय

एनएएसी की संस्थानों के मूल्यांकन और प्रमाणन की नई विधि को इसकी पूर्व विधि की कुछ समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से तैयार किया गया है और इसकी विश्वसनीयता और प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त अंतर-दल विचलनों में पर्याप्त कटौती के उद्देश्य की परिपक्वता की गई है। नई विधि जो कि प्रयोक्ता सुलभ है, से यह भी आशा है कि यह एनएएसी को अधिक संख्या में संस्थानों के प्रभावी मूल्यांकन में सहयोग देगी।

एनएएसी संस्थानों के मूलस्वरूप में अंतरों की पहचान करती है। तदनुसार निजी मापदण्ड और मुख्य पहलुओं को विभेदक मान दिया जाता है। तीन प्रकार के संस्थानों हेतु मापदण्ड—वार विभेदक मान नीचे तालिका में दिए गए हैं:

क्र.सं.	मापदण्ड	विश्वविद्यालय	स्वायत	संबद्ध / संघटक महाविद्यालय
I	पाठ्यक्रम पहलू	150	100	50
II	शिक्षण—ज्ञानवर्धन और मूल्यांकन	250	350	450
III	अनुसंधान, परामर्शी और विस्तार	200	150	100
IV	आधारभूत अवसंरचना और शिक्षा प्राप्ति संसाधन	100	100	100
V	विद्यार्थी सहायता और प्रगति	100	100	100
VI	प्रशासन और नेतृत्व	100	150	150
VII	नवाचारी प्रक्रियाएं	50	50	50
	कुल योग	1000	1000	1000

अनुसरण की जाने वाली विकास कार्य नीतियों को इंगित करती भावी योजना

आयोजना तर्कपूर्ण कार्यवाही की आवश्यकता है और यह व्यक्तिगत, संस्थान सहित राष्ट्रों के संदर्भ में भी सही है। इसके प्रचालन के पिछले 13 वर्षों के आधार पर और अंशधारकों की भावी उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए एनएएसी ने 1 अप्रैल, 2007 से 11वीं योजना हेतु अपनी कार्ययोजना विकसित और प्रवृत्त की है। एनएएसी की संदर्शी योजना की मुख्य विशेषताएं इन वर्षों के दौरान एनएएसी के विस्तृत और विविध अनुभव का ही परिणाम है।

एनएएसी 11वीं योजना के दौरान मुख्यतः निम्नांकित कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित करेगी:

नई मूल्यांकन और प्रमाणन विधि का विकास करना

उच्च शिक्षा के अंशधारकों के साथ विस्तृत चर्चा के आधार पर एनएएसी ने 1 अप्रैल, 2007 से एक नई मूल्यांकन और प्रमाणन विधि विकसित और लागू की है। इस नई विधि के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित हैं:

- मूल्यांकन और प्रमाणन उपायों में सतत/आवश्यकता आधारित सुधार सुनिश्चित करना;
- इससे पूर्व प्रक्रिया में कार्य विधि की कुछ कमियों को समाप्त करना;
- मूल्यांकन प्रक्रिया और परिणाम की प्रतिबद्धता और विश्वसनीयता को बढ़ाना;
- एनएएसी को बड़ी संख्या में संस्थानों के प्रभावी और कम समय में मूल्यांकन करने के लिए समर्थ बनाना।

इस नई विधि की महत्वपूर्ण विशेषताओं में सम्मिलित हैं

- संबद्ध और संघटक कॉलेज, जो पहली बार मूल्यांकन और प्रमाणन की मांग कर रहे हों उनके मूल्यांकन और प्रमाणन हेतु दो-चरणीय व्यवहार अपनाना

चरण 1 : गुणवत्ता मूल्यांकन हेतु संस्थागत पात्रता (आईईक्यूए) का निर्धारण और

चरण 2 : जिन संस्थानों ने आईईक्यूए दर्जा प्राप्त कर लिया हो उनका मूल्यांकन और प्रमाणन

- मापदण्ड, मुख्य पहलुओं को बेहतर करना और मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देशों के रूप में मूल्यांकन सूचकों का विकास करना।
- संस्थान की मुख्य पहलू—वार और मापदण्ड वार गुणवत्ता विशेषताओं के प्रभावी मापन हेतु मुख्य पहलू—वार विभेदक मान हेतु प्रावधान।
- प्रमाणन प्राप्त संस्थानों हेतु पूर्व नव-बिन्दु मापक के ग्रेडिंग पैटर्न को तीन अक्षर ग्रेड अर्थात् "ए", "बी" और "सी" में परिवर्तन करना और जो प्रमाणन प्राप्त न हों उनको "डी"।
- संस्थान की पूर्व प्रतिशता अंक विधि में सुधार करते हुए इसे चार बिन्दु मापक के संचयी ग्रेड बिन्दु औसत (सीजीपीए) तंत्र में परिवर्तित करना।
- शीर्ष दल रिपोर्ट हेतु विशिष्ट फॉर्मेट का विकास करना, ताकि संस्थागत गुणवत्ता में विशिष्ट और मूल्यांकन निर्णयों के संबंध में विचार प्राप्त किए जा सकें।

बड़ी संख्या में संस्थानों का मूल्यांकन

31 मार्च, 2007 तक एनएएसी ने 140 विश्वविद्यालय स्तरीय संस्थानों और 3492 कॉलेजों का मूल्यांकन किया है। एनएएसी ने विश्व की किसी भी गुणवत्ता मूल्यांकन एजेन्सी की तुलना में सर्वाधिक संस्थानों को समाहित करने की उपलब्धि प्राप्त की है। अंशधारकों द्वारा यह निरंतर महसूस किया जा रहा है कि एनएएसी मूल्यांकन गुणवत्ता

सुधार में विशेष योगदान देता है। इसके बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में देश के संस्थानों का मूल्यांकन और प्रमाणन किया जाना शेष है। ऐसी आशा है कि संबद्ध/संघटक कॉलेजों के दो चरणीय मूल्यांकन द्वारा और राष्ट्रीय एजेन्सियों और राज्य उच्च शिक्षा विभागों के सहयोग से 11वीं योजना अवधि के दौरान देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन किया जा सकेगा। बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन के इस विशालकाय कार्य को पूरा करने के लिए एनएएसी अन्य गुणवत्ता सुनिश्चयन एजेन्सियों के साथ नेटवर्क बना रही है, इसके अतिरिक्त एनएएसी के क्षमता संवर्धन और चयनित एजेन्सियों द्वारा मूल्यांकन के वैधीकरण हेतु भी सशक्त प्रयास किया जा रहे हैं।

आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन तंत्रों का संवर्धन

एनएएसी उच्च शिक्षा संस्थानों में सतत गुणवत्ता संवर्धन को बढ़ावा देने की परिकल्पना आंतरिक और बाह्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली पद्धतियों के संयोजना से करता है। इसका पुरजोर मानना है कि अंततः गुणवत्ता सुनिश्चयन के प्रभावी गुणवत्ता तंत्र अकेले ही किसी भी संस्थान की गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठों के कार्यकरण हेतु विस्तृत दिशानिर्देश और कार्य बिन्दु तैयार किए हैं। अब तक प्रमाणन प्राप्त 50 प्रतिशत से अधिक संस्थानों ने आईक्यूएसी की स्थापना कर ली है। यह परिकल्पना है कि 11वीं योजना के दौरान प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान (प्रमाणन प्राप्त या अन्यथा) एनएएसी द्वारा आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन तंत्रों हेतु तंत्र प्रारंभ करने के लिए सुझावित होगा।

श्रेष्ठ प्रक्रियाओं का प्रसार

एनएएसी श्रेष्ठ प्रक्रियाओं पर प्रकाशनों की एक श्रृंखला इस आशा के साथ निकाल रहा है कि संस्थान एक दूसरे की सफलता और अनुभवों से सीख सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। भारत की संस्थागत विविधता के संदर्भ में संस्थानों को अन्य संस्थानों से श्रेष्ठ प्रक्रियाओं का अनुसरण करना होगा, अपनी एकल स्थिति में इनका अनुकूलन करना होगा और अपनी वर्तमान प्रक्रियाओं में इनका मान जोड़ना होगा। इस कहावत में कुछ सच्चाई है कि "श्रेष्ठ प्रक्रियाएं वे होती हैं जो ऋणित प्रक्रियाएं होती हैं", इसलिए एनएएसी गुणवत्ता सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवहार के रूप में श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को बांटने की वकालत करता है।

प्रशिक्षित गुणवत्ता सुनिश्चयन व्यवसायिकों का विकास

मुख्य समूह संस्थानों की गुणवत्ता के मूल्यांकन में अहम भूमिका निभाता है। यह एक निर्णयात्मक कार्यकलाप है जिसके लिए मूल्यांकन की विशिष्ट क्षमताओं और मापन में अधिक उद्देश्यपरकता की आवश्यकता होती है। एनएएसी प्रचालनों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकनकर्ताओं के व्यवसायिक क्षमता आधारित चयन आवश्यक है। इसलिए एनएएसी प्रशिक्षित गुणवत्ता सुनिश्चयन व्यवसायिकों के पूल को विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित करना प्रस्तावित करता है ताकि अंशधारकों के अधिक विश्वास और एनएएसी के प्रमाणन परिणाम की स्वीकार्यता को सुनिश्चित किया जा सके।

एनएएसी अनुसंधान कार्यकलाप

गुणवत्ता शिक्षा पर केन्द्रित अनुसंधान उच्च शिक्षा की जटिल और विविध वास्तविकताओं की बेहतर समझ में योगदान करता है। अपने गुणवत्ता सुनिश्चयन स्रोत केन्द्र के अंतर्गत एनएएसी ने एक अनुसंधान इकाई की स्थापना की है ताकि गुणवत्ता सुनिश्चयन और अध्ययन के संबंधित क्षेत्रों पर केन्द्रित अनुसंधान किया जा सके। यह एकक एक अन्य महत्वपूर्ण एकक प्रकाशन एकक के साथ मिलकर गुणवत्ता सुनिश्चयन हेतु एनएएसी के अनुसंधान, विकास और संवर्धनात्मक कार्यकलाप के ऊपर ध्यान केन्द्रित करेगा।

एनएएसी का क्षमता निर्माण

उपरोक्त बताए गए कार्यों को करने के लिए एनएएसी के संगठनात्मक ढांचे की पुनःनवीकृत करने की आवश्यकता है। ऐसी आशा है कि अधिक स्वायत्तता, अधिक व्यवसायिक स्टाफ और आईसीटी के आधुनिकतम प्रयोग से एनएएसी की भूमिका नये उत्तरदायित्वों को निभाने में मजबूत होगी। एनएएसी मानव संसाधन विकास

मंत्रालय और यूजीसी द्वारा एनएएसी के लिए नये परिसर की सुविधा के निर्माण के लिए उनका आभार जताती है, जिस कारण अंतरराष्ट्रीय मानकों की पर्याप्त वास्तविक सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। अध्यक्ष, यूजीसी और एनएएसी महापरिषद के अध्यक्ष और एनएएसी कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष ने अपने कुशल नेतृत्व द्वारा 11वीं योजना के लिए एनएएसी कार्ययोजना को तैयार करने और मूल्यांकन और प्रमाणन की नई विधि के विकास में एनएएसी और इसके कार्यकलापों की प्रगति में सही मार्ग दर्शाया है। एनएएसी के संपूर्ण स्टाफ ने भी नई विधियों के विकास में अहम भूमिका निभाई है।

आयोजित सम्मेलन, विदेशी प्रतिनिधिमण्डलों के दौरे और अन्य महत्वपूर्ण आयोजन, यदि कोई हो

1. 5 अप्रैल, 2007 को यूजीसी शैक्षणिक स्टाफ कॉलेजों के निदेशकों हेतु एक दिवसीय ब्रीफिंग सत्र का आयोजन किया गया था। देश के चारों ओर (उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व एवं उत्तर-पूर्व) से यूजीसी शैक्षणिक स्टाफ कॉलेजों के लगभग 23 निदेशकों ने कार्यक्रम में भाग लिया।
2. 10 अप्रैल, 2007 को अध्यापक शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता सुनिश्चयन संबंधी एक दिवसीय अनुकूलन कार्यशाला का आयोजन क्यूएसी (गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ), उच्च शिक्षा विभाग और आईक्यूएसी (आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ) राजकीय महिला महाविद्यालय, श्रीनगर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य एनएएसी द्वारा मूल्यांकन और प्रमाणन हेतु अध्यापक शिक्षा संस्थानों को अनुकूलन प्रदान करना था और इसमें कश्मीर डिवीजन के 50 अध्यापक शिक्षा संस्थानों के 100 से अधिक भागीदारों द्वारा भाग लिया गया।
3. 19 अप्रैल, 2007 को उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल ने गुणवत्ता सुनिश्चयन वर्ष 2007 में अपने कार्यकलापों के भाग के रूप में "क्वालिटी सस्टेंनेस" पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया।
4. 23 और 24 अप्रैल, 2007 को बीएमएस महिला कॉलेज, बंगलौर द्वारा "क्वालिटी सस्टेंनेस एण्ड एनहांसमेंट ऑफ हायर एजुकेशन थ्रू आईक्यूएसी" पर एनएएसी प्रायोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया।
5. 27 अप्रैल, 2007 को एनएएसी द्वारा बंगलूरु में गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठों (क्यूएसी) के अध्यक्षों और उच्च शिक्षा के आयुक्त(तों)/निदेशक(कों) हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लगभग 25 राज्यों ने भाग लिया।
6. 7 मई, 2007 को कूवेम्पू विश्वविद्यालय के आयोजना, निगरानी और मूल्यांकन बोर्ड ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में लगभग 225 विश्वविद्यालय अध्यापकों और अधिकारियों ने भाग लिया। प्रो. वी.एस. प्रसाद, निदेशक, एनएएसी ने कार्यशाला का शुभारंभ किया।
7. 3 से 4 जून, 2007 को उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल में एनएएसी प्रायोजित दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में गुणवत्ता शिक्षा को कायम रखने और संवर्धन हेतु कार्यनीतियां बनाने के अतिरिक्त 11वीं योजना के दौरान राज्य में सभी कॉलेजों के मूल्यांकन और प्रमाणन के लक्ष्य हेतु वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए विभिन्न सरकारी/निजी डिग्री/स्नातकोत्तर कॉलेजों से 60 प्राचार्यों / प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
8. 21 जून, 2007 को गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ (क्यूएसी), उच्च और तकनीकी शिक्षा, मिजोरम ने प्राचार्यों और समन्वयकों हेतु मूल्यांकन और प्रमाणन की नई विधि पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया।
9. 10 अगस्त, 2007 को जीसीईआरटी परिसर, उद्योग भवन, गांधीनगर में गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ, गुजरात की बैठक आयोजित की गई। राज्य के विश्वविद्यालयों से अधिकतर उपकुलपतियों, कुछ रजिस्ट्रारों ने बैठक में भाग लिया।

10. 10 और 11 सितम्बर, 2007 को राजकीय कॉलेज, नेमिना श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में एनएएसी प्रायोजित सेमिनार "उच्च शिक्षा क्षेत्र: गुणवत्ता मूल्य आधारित शिक्षा की उभरती आवश्यकता" का आयोजन किया गया।
11. एनएएसी ने 16 जनवरी, 2007 को अपनी स्थापना के 13 वर्षों को मनाने के लिए अपने स्थापना दिवस को उत्साह और हर्ष से मनाया। समारोह का आयोजन एनएएसी के नवनिर्मित परिसर हॉल में किया गया जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित एनएएसी के शैक्षणिक अधिकारियों और स्टाफ ने इस आयोजन के पलों को आपस में बांटा।
12. 17 और 18 सितम्बर, 2007 को बंगलौर में प्रथम मूल्यांकनकर्ताओं हेतु दो दिवसीय ब्रीफिंग कार्यक्रम, द्वितीय मूल्यांकनकर्ताओं हेतु 21 और 22 नवम्बर, 2008 को बंगलौर में ब्रीफिंग कार्यक्रम और तृतीय मूल्यांकनकर्ताओं हेतु 28-29 जनवरी, 2008 को बंगलौर में ब्रीफिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एनएएसी ने प्रत्येक कार्यक्रम हेतु लगभग 30 मूल्यांकनकर्ताओं को आमंत्रित किया था जिसमें पूर्व और वर्तमान उपकुलपति, संस्थानों के निदेशक, विश्वविद्यालयों के प्राचार्य और वरिष्ठ प्रोफेसर सम्मिलित थे, जो कि देश के चार जोनों (उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर और पूर्वोत्तर) से थे।
13. राजभवन के विशेष प्रयास के अंतर्गत, पटना महिला कॉलेज, पटना में एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बिहार के राज्यपाल महामहिम श्री आर.एस. गवई ने राज्य स्तरीय कोर समिति के गठन के साथ उच्च शिक्षण संस्थाओं में एक गुणवत्ता क्रांति को प्रवृत्त किया।
14. 30 अक्टूबर, 2007 को एनएएसी के संयोजन में नागालैंड सरकार के राज्य गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ द्वारा "एनएएसी द्वारा मूल्यांकन और प्रमाणन की नई विधि" पर कोहिमा में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
15. राजकीय आदर्श विज्ञान कॉलेज (स्वायत्त और एक सीपीई कॉलेज) जबलपुर, मध्यप्रदेश द्वारा 2 और 3 नवम्बर, 2007 को "पुनःप्रमाणन: उच्च शिक्षा में आवधिक गुणवत्ता मूल्यांकन" पर एनएएसी प्रायोजित दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
16. 19 और 20 नवम्बर, 2007 को डीकेडी कॉलेज, डेरागांव, असम द्वारा "पूर्वोत्तर भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में श्रेष्ठ प्रक्रियाएं" पर एनएएसी प्रायोजित राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया।
17. 2-5 दिसम्बर, 2007 को बंगलौर में अध्यापक शिक्षा हेतु गुणवत्ता सुनिश्चयन पर एनएएसी – सीओएल संयुक्त मंच का आयोजन किया गया।
18. 3 और 4 दिसम्बर, 2007 को चौ. साहू व्यवसायिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एसआईबीआईआर), कोल्हापुर द्वारा दो दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। एनएएसी प्रायोजित इस सेमिनार का विषय "उच्च शिक्षा में आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) और गुणवत्ता सर्वर्धन: महाराष्ट्र अनुभव" था।
19. 15-16 दिसम्बर, 2007 को राजकीय जेडीबी बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा, राजस्थान में एनएएसी प्रायोजित "उच्च शिक्षा में सार्वभौमिकीकरण और विशिष्टताओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन" का आयोजन किया गया।
20. उच्च और तकनीकी शिक्षा निदेशालय, अरुणाचल प्रदेश के तत्वाधान में एनएएसी प्रायोजित एक दिवसीय कार्यशाला "एनएएसी द्वारा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के पूर्व और पश्च प्रमाणन" संबन्धी कार्यशाला का ईटानगर में आयोजन किया गया।
21. श्री खंभात ताल्लुका सार्वजनिक केलवानी मण्डल, खंभात ने एनएएसी प्रमाणन संबन्धी एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

22. गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ (क्यूएसी), उच्चतर शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ, इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर मूल्यांकन और प्रमाणन की प्रक्रिया के संबंध में तीन एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
23. गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ (क्यूएसी), उच्चतर शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पांच एक दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन राजस्थान के विभिन्न स्थानों में प्रमाणन कॉलेज के प्रमाणन के पश्चात् सतता और संवर्धन उपायों और मूल्यांकन एवं प्रमाणन की प्रक्रिया से अभी गुजरने वाले कॉलेजों के प्राचार्यों हेतु जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
24. गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ (क्यूएसी), उच्चतर शिक्षा विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा पांच एक दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रमाणन कॉलेजों के प्रमाणन के पश्चात् सतता और संवर्धन उपायों और मूल्यांकन एवं प्रमाणन की प्रक्रिया से अभी गुजरने वाले कॉलेजों के प्राचार्यों हेतु श्रीनगर में तीन और जम्मू में दो जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
25. 8 मार्च, 2008 को कमला नेहरू महिला कॉलेज, फगवाड़ा, पंजाब में एनएएसी प्रायोजित सेमिनार "एनरिकड टीचिंग लर्निंग प्री-रिक्वेस्टड फॉर क्वालिटी एजुकेशन" का आयोजन किया गया।

• अन्य देशों/अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौते/संयोजन

इकाइयां जिनका मूल्यांकन अन्य विनियामक एजेन्सियों के साथ संयोजन में किया जाना है

अब तक एनएएसी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्; भारतीय डेन्टल परिषद् (डीसीआई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए हैं ताकि एनसीटीई और डीसीआई के अंतर्गत/क्षेत्राधिकार में आने वाले संस्थानों द्वारा प्रदान किए जा रहे कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जा सके। इन मामलों में मूल्यांकन और प्रमाणन की प्रक्रिया/विधि/कार्यप्रणाली उक्त एमओयू के अनुसार होगी।

डेन्टल शिक्षा संस्थानों के प्रमाणन संबंधी पहली राष्ट्रीय परामर्शी बैठक 30 अगस्त, 2007 को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रमाणन परिषद् (एनएएसी) परिसर, बंगलौर में हुई थी। बैठक में डा. अनिल कोहली, अध्यक्ष, भारतीय डेन्टल परिषद् (डीसीआई), नई दिल्ली; प्रो. वी.एस. प्रसाद, निदेशक, एनएएसी, बंगलौर (सह-अध्यक्ष); डा. सी. भास्कर राव, उपाध्यक्ष, डीसीआई और प्राचार्य, एसडीएम कॉलेज ऑफ डेन्टल साइंस एण्ड हास्पिटल, धारवाड़ (सदस्य); डा. बी.एच. श्रीपति राव, प्राचार्य, येनेपोया डेन्टल कॉलेज, मंगलौर (डीसी द्वारा नामित सदस्य); डा. उषा मोहन दास, प्राचार्य, वी.एस. डेन्टल कॉलेज, बंगलौर (डीसीआई द्वारा नामित सदस्य); प्रो. ए.के. अग्रवाल, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस, इग्नू, नई दिल्ली (एनएएसी द्वारा नामित सदस्य); डा. एम.एस. श्यामसुन्दर, उपसलाहकार, एनएएसी (सह-संयोजक) और डा. पाल सी सलिन, मीनाक्षी डेन्टल कॉलेज, तमिलनाडु (निमंत्रित)।

प्रकाशनों की सूची

एनएएसी ने शिक्षा तंत्र के विभिन्न वर्गों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में दस्तावेज प्रकाशित किए हैं। एनएएसी द्वारा प्रकाशित साहित्य सरल और प्रयोक्ता-सुलभ है।

नीति प्रयोजनों हेतु महत्वपूर्ण समितियों की संरचना

महापरिषद् (जीसी)

कार्यकारी परिषद् (ईसी)

वित्त समिति (एफसी)

शैक्षणिक सलाहकार समिति (एएसी)

अपील समिति (एसी)

आयोग/एनएएसी के महत्वपूर्ण निर्णय/संकल्प

एनएएसी द्वारा मूल्यांकन एवं प्रमाणन (ए एण्ड ए) हेतु आवेदन करने वाले संस्थानों हेतु पात्रता मापदण्ड

- यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) और 12 (बी) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त या धारा 3 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय, जिन्होंने स्थापना के पांच वर्ष पूरे कर लिए हो या न्यूनतम 2 बैचों ने अपने स्नातक कार्यक्रम पूर्ण कर लिए हों, जो भी पहले हो, (जिन्हें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के रूप में संदर्भित किया जाता है) पात्र हैं। विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन एवं प्रमाणन के प्रयोजनों हेतु इनके स्कूलों, विभागों, केन्द्रों और एककों को संघटक माना जाएगा।
- यूजीसी अधिनियम धारा 3 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय पात्र हैं फिर चाहे स्थापना हुए वर्षों की संख्या कुछ भी हो।
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज/संस्थान/स्वायत्त कॉलेज और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों (जैसा कि ऊपर परिभाषित है) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले संघटक कॉलेज और जिन्होंने स्थापना के पांच वर्ष पूरे कर लिए हो या न्यूनतम दो बैचों ने अपने स्नातक कार्यक्रम पूर्ण कर लिए हों, जो भी पहले हो (क्रमशः मान्यताप्राप्त कॉलेज, मान्यताप्राप्त स्वायत्त कॉलेज और मान्यताप्राप्त संघटक कॉलेजों के रूप में संदर्भित) पात्र हैं।
- व्यवसायिक विनियामक परिषदों के क्षेत्राधिकार में आने वाले संस्थान पात्र हैं यदि वे संबंधित परिषद् द्वारा विधिवत मान्यताप्राप्त हों।
- किसी अन्य संस्थान/एकक (क्रॉस बार्डर और अंतरराष्ट्रीय भारतीय/विदेशी संस्थान/को भी एनएएसी द्वारा मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए लिया जा सकता है, यदि यूजीसी और/या मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निदेशित किया जाए।

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान पुरानी स्कीमों/कार्यक्रमों की समाप्ति और सम्मिलित की गई नई स्कीमें/कार्यक्रम नई विधि में समाहित परिवर्तन

एनएएसी ने संबद्ध/संघटक कॉलेजों हेतु दो चरणीय प्रक्रिया प्रारंभ की है। इच्छा पत्र (एलओआई) की आनलाइन प्रस्तुति के उपरांत संस्थान को निर्धारित आरूप में आनलाइन आवेदन के माध्यम से "गुणवत्ता मूल्यांकन हेतु संस्थान पात्रता" प्राप्त करना आवश्यक है। मुख्य समूह रिपोर्ट हेतु आरूप को सरलीकृत कर दिया गया है। नियमावलियों को नई विधि के अनुसार संशोधित किया गया है। नई विधि के अंतर्गत संस्थानों को प्रत्येक मुख्य पहलू हेतु चार श्रेणियों अर्थात् ए, बी, सी एवं डी के अंतर्गत रखा जाएगा जो क्रमशः बहुत अच्छा, अच्छा, संतोषजनक और असंतोषजनक को इंगित करेगी। मानदण्ड ग्रेड प्वाइंटों का परिकलन मुख्य पहलू ग्रेडों से किया

जाएगा। संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) का परिकलन मानदण्ड ग्रेड प्वाइंट से किया जाएगा/सीजीपीए संस्थागत ग्रेड प्वाइंट औसत को दर्शाता है।

संस्थागत संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) की रेन्ज	अक्षर ग्रेड	निष्पादन ब्यौरा
3.01 – 4.00	ए	बहुत अच्छा (प्रमाणित)
2.01 – 3.00	बी	अच्छा (प्रमाणित)
1.51 – 2.00	सी	संतोषजनक (प्रमाणित)
<=1.50	डी	असंतोषजनक (प्रमाणित नहीं)

सीजीपीए तंत्र के लाभ

- अक्षर ग्रेड का अंकीय ग्रेड प्वाइंटों में परिवर्तन (संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत में संपूर्ण स्कोर);
- गुणात्मक मापन ग्रेड प्वाइंटों में परिवर्तित;
- स्कोर को सामान्य करने की अधिक संभावनाएं;
- अत्यधिक अनुमानों को न्यूनतम किया जा सकेगा;
- दो अक्षर ग्रेडों के बीच एक-प्वाइंट अंतर, जिसमें दो अनुवर्ती अक्षर ग्रेडों को दिए गए 100 प्वाइंट के कारण मापन में सराहनीय सर्तकता;
- सापेक्षिक मूल्यांकन अधिक सटीक होगा, क्योंकि विचलनों और मानक विपणनों में कमी होगी;
- अंतर-मूल्य समूह विचलनों को काफी कम कर दिया जाएगा;
- किसी अन्य अवस्था पर समयोजन हेतु कम संभावना होगी और इसलिए मुख्य समूह का निर्णय अधिक ठीक होगा।

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव/अपर सचिव/वित्तीय सलाहकार/संयुक्त सचिव द्वारा किए गए विदेश दौरों के प्रयोजन और परिणाम

प्रो. वी.एस. प्रसाद, निदेशक, एनएएसी ने उद्योग-शिक्षाविद बातचीत पर एजूकोन-2007 में भाग लिया जिसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) द्वारा 31 अगस्त – 2 दिसम्बर, 2007 को क्वालालामपुर, मलेशिया में आयोजित किया गया था।

प्रो. वी.एस. प्रसाद, निदेशक, एनएएसी ने 5-8 नवम्बर, 2007 के दौरान एक विशेषज्ञ और बाह्य मूल्यांकन दल के अध्यक्ष के रूप में लेखापरीक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और टरशियरी शिक्षा परिषद (टीईसी) की गुणवत्ता लेखापरीक्षा, मॉरीशस में भाग लिया।

कोई अन्य सामग्री जो ब्यूरो/प्रभाग प्रमुख रिपोर्ट में सम्मिलित करना चाहते हों।

डॉ. एल.एस. श्यामसुन्दर और डॉ. के. रामा, उप सलाहकार एनएएसी ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन “गुणवत्ता सुनिश्चयन, बदलता परिदृश्य, इतिहास से अनुभव और भावी कार्यनीतियां” में 2-5 अप्रैल, 2007 को शेराटन सेन्टर, क्वीन्स स्ट्रीट, टोरंटो, आंटारियो, कनाडा में भाग लिया जिसका आयोजन उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चयन एजेन्सियों हेतु अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क (आईएनक्यूएएचई) द्वारा और आतिथ्य माध्यमिक शिक्षा पूर्व गुणवत्ता सुनिश्चयन बोर्ड (पीईक्यूएबी), आंटेरियो, कनाडा द्वारा किया गया था। डॉ. एल.एस. श्यामसुन्दर ने 3 अप्रैल को पहली प्रस्तुति “भारत में गुणवत्ता सुनिश्चयन हेतु माहौल के निर्माण हेतु कार्यनीतियों” पर दी और

दूसरी प्रस्तुति 4 अप्रैल, 2007 को "गुणवत्ता सुनिश्चियन और मास उच्च शिक्षा: अनुभवों से सीख" पर दी जिसके वे डॉ. जगन्नाथ पाटील, उपसलाहाकार, एनएएसी के साथ सह-लेखक हैं। डॉ. के रामा ने 3 अप्रैल, 2007 को "आंतरिक गुणवत्ता तंत्र के माध्यम से श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन हेतु एकरूपीय व्यवहार श्रेष्ठ प्रक्रिया विनिर्देशन व्यवहार" पर प्रस्तुति दी, जिसे उन्होंने डॉ. सुजाता शानभाग, सहायक सलाहाकार, एनएएसी के साथ संयुक्त रूप से तैयार किया है।

श्री बी.एस. पोन्मूधीरज, सहायक सलाहाकार, एनएएसी ने 30-31 मई, 2007 के दौरान एशिया पसिफिक गुणवत्ता नेटवर्क (एपीक्यूएन) द्वारा ढाका, बंगलादेया में उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुनिश्चियन हेतु मापनों के विकास संबंधी अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

डॉ. रामा, उप सलाहाकार, एनएएसी ने विशेषज्ञ के रूप में 5-8 अगस्त, 2007 को युगांडा में एक डीईटीए सम्मेलन में भाग लिया।

डॉ. रामा, उप सलाहाकार, एनएएसी ने 14-17 अगस्त, 2007 को विशेषज्ञ के रूप में श्रीलंका में सुदूर उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चियन हेतु निष्पादन सूचकों संबंधी कार्यशाला में भाग लिया।

डॉ. जगन्नाथ पाटील, उप सलाहाकार, एनएएसी ने आस्ट्रेलिया सरकार द्वारा स्थापित एंडेवर इंडिया एक्ज्यूटिव एवार्ड प्राप्त किया है और बी.एस. मधुकर, उप सचिव ने एंडेवर एक्ज्यूटिव एवार्ड, 2007 में प्राप्त किया। एंडेवर इंडिया एक्ज्यूटिव एवार्ड, एंडेवर प्रोग्राम के भाग हैं जिनकी स्थापना 2003 में अंतरराष्ट्रीय अध्ययन, अनुसंधान या व्यवसायिक विकास करने के लिए विश्व के अत्यधिक सफल व्यक्तियों को सहायता करने के लिए की गई थी। कार्यक्रम का लक्ष्य व्यक्तियों और संस्थानों के बीच आपसी समझ और सम्मान का विकास और संयोजन को बढ़ावा देना है। माननीय जूली बिशप, एम.पी., आस्ट्रेलिया के शिक्षा, विज्ञान और प्रशिक्षण मंत्री ने इस सम्मानित पुरस्कार को प्राप्त करने पर बधाई संदेश भेजा है। पुरस्कार के भाग के रूप में डॉ. जगन्नाथ पाटील और श्री मधुकर ने एनएएसी के आस्ट्रेलिया समकक्ष आस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय गुणवत्ता एजेन्सी (एयूक्यूए) का दौरा किया और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चियन में विशेषता के आदान-प्रदान हेतु आस्ट्रेलिया में प्रमाणित विश्वविद्यालयों का लगभग 3 माह जून/जुलाई, 2007 से सितम्बर, 2007 का चयन किया।

15 अगस्त, 2007 को भारत के 61वें स्वतंत्रता दिवस को एनएएसी के नए परिसर बंगलौर में पारंपरिक उत्साह और हर्ष के साथ मनाया गया। प्रो. वी.एस. प्रसाद, निदेशक, एनएएसी ने एनएएसी परिसर में एनएएसी स्टॉफ और उनके परिवार के सदस्यों के सामने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

5 नवम्बर, 2007 को "2007 मूल्यांकन संस्थान" सम्मेलन में मधुकर बी.एस., उप सलाहाकार, एनएएसी द्वारा "मूल्यांकन और प्रमाणन में भारतीय अनुभव का एक दशक" शीर्षक पर पत्र प्रस्तुत किया। यह सम्मेलन एक वार्षिक आयोजन है जिसे इण्डियाना-पुरडुई विश्वविद्यालय, इण्डियन पोलिस, यूएसए द्वारा आयोजित किया गया और इसमें विश्व के अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

डॉ. जगन्नाथ पाटील, उप सलाहाकार, एनएएसी को प्रमाणन मूल्यांकन और व्यवसायिक अर्हता परिषद, हांग कांग (एचकेसीएएवीक्यू) द्वारा हांग कांग में एक कार्यशाला का आयोजन करने हेतु आमंत्रित किया गया था। एपीक्यूएन के परियोजना समूह नेता के रूप में डॉ. पाटील ने केसीएएवीक्यू द्वारा आतिथ्य और एपीक्यूएन द्वारा प्रायोजित कार्यशाला का आयोजन 11 दिसम्बर, 2007 को किया। डॉ. पाटील ने गुणवत्ता क्षेत्र में विद्यार्थी भागीदारी के विश्वव्यापी अनुभवों पर एक अच्छी प्रस्तुति दी और एनएएसी व एपीक्यूएन की एसपीक्यूए परियोजना द्वारा किए गए मुख्य कार्यों को इंगित किया।

श्री गणेश हेगड़े, सहायक सलाहाकार, एनएएसी, ने 19-22 फरवरी, 2008 के दौरान एशिया पसिफिक में गुणवत्ता सुनिश्चियन का भविष्य-विविधता में सहयोग, टोक्यो, जापान में आयोजित एशिया पसिफिक क्वालिटी नेटवर्क (एपीक्यूएन) में 21 फरवरी, 2008 को "गुणवत्ता सुनिश्चियन एजेन्सियां - भारतीय अनुभव" शीर्षक पत्र प्रस्तुत किया।

डॉ. जगन्नाथ पाटील, उप सलाहाकार, एनएएसी को 19-22 फरवरी, 2008 को टोक्यो, जापान में आयोजित "एशिया पसिफिक गुणवत्ता सुनिश्चयन का भविष्य: विविधता में सहयोग" पर एशिया पसिफिक गुणवत्ता सुनिश्चय नेटवर्क में गुणवत्ता सुनिश्चयन में विद्यार्थी भागीदारी पर एपीक्यूएन परियोजना समूह के नेता के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्हें 18 फरवरी, 2008 को एशिया पसिफिक क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चयन विशेषज्ञ संबंधी ब्रिसबेन सम्मेलन कार्यशाला में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया और उन्होंने ऐसी एक समांतर कार्यशाला की अध्यक्षता भी की। बोर्ड एपीक्यूएन के सदस्य के रूप में उन्होंने 19 और 20 फरवरी, 2008 को हुई वार्षिक महासभा में भाग लिया। एपीक्यूएन के कार्य को दर्शाने के लिए उनके द्वारा तैयार वेबसाइट www.student4quality.org का उद्घाटन उपाध्यक्ष, एपीक्यूएन द्वारा किया गया।

डॉ. एम.एस. श्यामसुन्दर, उप सलाहाकार एनएएसी ने 5-7 मार्च, 2008 को ब्रिटिश काउंसिल, चैन्ने द्वारा आयोजित गुणवत्ता सुनिश्चयन सम्मेलन में "संयोजनात्मक प्रावधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करना: एनएएसी की संदर्शी योजना" संबंधी पत्र प्रस्तुत किया और इसमें भाग लिया।

5.11 नए क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों सहित नवाचारी कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों / कॉलेजों में विभिन्न क्षेत्रों और शैक्षिक, राष्ट्रीय और वैश्विक कार्यकलापों में शिक्षण, अनुसंधान, शैक्षणिक उत्कृष्टता समाज का विकास और संगत कार्यकलापों को प्रभावित करने के लिए बेहतर सुझावों और नवाचारी प्रस्तावों को सम्मिलित करना और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों सहित स्नातक होने के उपरांत दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा और स्नातकोत्तर होने के उपरांत एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा विशिष्ट पाठ्यक्रमों को अंतर विषय और उभरते क्षेत्रों में सहायता प्रदान करना।

आयोग द्वारा नए उभरते क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों सहित नवाचारी कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, पांच वर्षीय अधिकतम अवधि हेतु स्टाफ (वास्तविक आधार पर) के लिए वित्तीय सीमा 50 लाख रुपये है।

यूजीसी दिशानिर्देशों के आधार पर विश्वविद्यालय से नए प्रस्ताव आमंत्रित करती है। प्रस्तावों की विषय विशेषज्ञ समितियों/समूहों द्वारा छंटनी की जाती है। इसके उपरांत यूजीसी द्वारा गठित संबंधित विषय विशेषज्ञ समिति के समक्ष छंटनी किए गए विश्वविद्यालयों / विभागों के विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति के उपरांत अंतिम चयन किया जाता है। संबंधित विषय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को यूजीसी द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

उभरते हुए नए क्षेत्रों सहित नवाचारी कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वीकृत विभागों की निगरानी/मूल्यांकन और प्रगति, निष्पादन, उपलब्धियों की समीक्षा निम्नांकित समितियों द्वारा की जाती है:-

1. विभागीय समिति
2. मध्यावधि निगरानी/समीक्षा समिति
3. अंतिम समीक्षा समिति

वर्ष 2002 में कार्यक्रम के कार्यान्वयन से लेकर अब तक 315 विभागों की मदद की गई है।

वर्ष 2007-08 के दौरान आवंटन, वास्तविक एवं प्राप्त किए गए वित्तीय लक्ष्यों को नीचे दिया गया है :-

क्र.सं.	योजना का नाम	आवंटन	वास्तविक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	11वीं योजना भावी कार्य योजना	
					वास्तविक	वित्तीय
1.	3.12 शीर्ष नवाचारी कार्यक्रम अंतःशास्त्रीय और उदीयमान क्षेत्रों में शिक्षण तथा अनुसंधान	26.30 करोड रु.	65	26.30	200 करोड रु.	75.00 करोड रु.

5.12 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र

अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चुने हुए विश्वविद्यालयों में चार राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र भी स्थापित किए हुए हैं जिनकी नियमित रूप से सहायता भी की जाती है। ये केन्द्र निम्नलिखित हैं:

- **वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रुमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यू.आर.आई.सी.), मुम्बई**

यह केन्द्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मुम्बई विश्वविद्यालय के अधीन सन् 1978 में इस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था कि यूनिवर्सिटी साइंस इंस्ट्रुमेंटेशन सेंटर (यू.एस.आई.सी.) के स्टाफ और एडवांस अध्ययन कार्यक्रमों जैसे विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और उद्योगों इत्यादि से अध्यापकों, अनुसंधान कार्यकर्ताओं को उपकरणों के प्रयोग और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जा सके। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए शत-प्रतिशत धनराशि योजना दर योजना के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जा रही है। 1981 से (यू.एस. आई.सी.) शासी परिषद् के साथ पंजीकृत सोसायटी के रूप में कार्य कर रहा है मुम्बई विश्वविद्यालय के उपकुलपति इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं।

- **एम.एस.टी. रडार अनुप्रयोग, एस.वी. विश्वविद्यालय, तिरुपति**

मध्य पर्यावरणीय गति विज्ञान में अग्रिम अनुसंधान के लिए रडार सुविधा की संभावना के बारे में वैज्ञानिक जागरूकता सृजित करने और एमएसटी रडार सुविधा का प्रयोग करने के लिए बुद्धिमान और युवा अनुसंधानकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए एमएसटी रडार अनुप्रयोगों के लिए यूजीसी-एसवीयू सेंटर की भौतिक विभाग, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति में स्थापना की गई थी। यूजीसी-एसवीसी सेंटर भारत में विश्वविद्यालय प्रणाली के लिए वैज्ञानिक जानकारी के आदान-प्रदान हेतु साझे प्लेटफार्म के रूप में काम करता है और यह केन्द्र पर्यावरणीय विज्ञानों के क्षेत्र में एमएसटी रडार से संबंधित अध्ययनों के संदर्भ में भारतीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत विज्ञानियों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए सुगम्य है।

केन्द्र प्रयोक्ता विज्ञानियों को प्रयोगों को तैयार करने और ऑफलाइन डेटा प्रोसेसिंग सुविधाओं से सहायता देता रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएआरएल), जिसे पहले एमएसटी रडार फैसिलिटी कहा जाता था, में कई विश्वविद्यालयों के अध्यापकों और अनुसंधान विद्वानों को प्रयोग करने के लिए रिप्रिंट उपलब्ध कराया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और एस.पी. विश्वविद्यालय के करारनामे के अनुसार यहां एक प्रोजेक्ट सलाहकार समिति होगी, जो अपना कार्य एमएसटी रडार की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में करेगी। वि.अ.आ. केन्द्र के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अवसंरचना सुविधाएं एवं आगन्तुक कार्यक्रम हेतु अनुदान प्रदान करता आ रहा है।

- **अंतर्विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान केन्द्र, भारती उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला**

अंतर्विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना भारती उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएस), शिमला तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तथा संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के साथ ही जनवरी 1991 में हुई थी। अपने स्थापना के 43 वर्षों से भी अधिक समय में छात्रवृत्ति की दुनिया में अनुसंधान अनुधावन एवं विद्वतापूर्ण चिंतन मनन में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। इसकी 30 से 35 विद्वानों के समुदाय की एक निवासी समुदाय है जिनमें से प्रत्येक अपने स्वयं के अनुसंधान में जुटा है परन्तु वहीं वे समुदाय के अकादमिक जीवन में सक्रियतापूर्वक भाग लेते हैं। संपूर्ण देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों एसोसियेशन ऑफ इंटरयूनिवर्सिटी सेंटर से इस समुदाय में लोगों को भर्ती किया जाता है तथा प्रायः बिना किसी अपवाद के वे अपने इस अल्प ठहराव को अत्यंत प्रेरक पाते हैं। केन्द्र के अकादमिक कार्यक्रम के तीन मूलभूत घटक हैं (1) एसोसियेटशिप की स्कीम (2) देश के विभिन्न भागों में अनुसंधान संगोष्ठियों का आयोजन करना, और (3) शिमला संस्थान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर अध्ययन सप्ताह आयोजित करना। वर्ष 2007-08 के दौरान योजना के लिए 35.00 लाख रुपये का आवंटन किया गया था तथा 33.95 लाख रुपये जारी किए गए थे।

- **क्रिस्टल संवर्द्धन केन्द्र, अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई**

केन्द्र की स्थापना 1982 में अन्ना विश्वविद्यालय क्रिस्टल संवर्द्धन एवं अभिलक्षणन के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी :-

- (क) प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिक महत्व के क्रिस्टल संवर्द्धन एवं अभिलक्षणन की सुविधाएं विकसित करना।
- (ख) जरूरतमंद उद्योगों तथा प्रयोगशाला अनुसंधान के बीच अंतर कम करना।
- (ग) अनुसंधान के लिए भारत के विभिन्न संस्थानों को विशेष क्रिस्टल की आवश्यकता पूरी करना।

वर्ष 2007-08 के दौरान उक्त 4 केन्द्रों के लिए बजट आवंटन और जारी किए गए योजनागत अनुदान

क्र.सं.	राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र	बजट आवंटन (रु. लाख में)	प्रदत्त अनुदान (रु. लाख में)
1.	डब्ल्यूआरआईसी, मुम्बई	183.75	183.75
2.	एमएसटी रेडार केन्द्र, तिरुपति	6.25	6.25
3.	आईयूसीएचएसएस, आईआईएस, शिमला	35.00	33.95
4.	क्रिस्टल विकास केन्द्र, चिन्नेई	25.00	24.60
	कुल	250.00	248.55

- **राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र की मुख्य गतिविधियां**

1. **पश्चिमी क्षेत्रीय यंत्रीकरण केन्द्र, मुम्बई**

- **कार्यक्रमों/योजनाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**

वेस्ट्रन रीजनल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यूआरआईसी), मुम्बई, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा स्थापित चार राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों में से एक है।

यह वि.अ.आ. द्वारा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में यूनिवर्सिटी साईंस इंस्ट्रूमेंटेशन केन्द्र (यूएसआईसी) स्थापित करने के वि.अ.आ. के बृहद कार्यक्रम के भाग के रूप में आरंभ हुआ। रीजनल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटरों (आरआईसी) की परिकल्पना, विश्वविद्यालय प्रणाली में यूएसआईसी के सहायक संसंधान केन्द्रों के रूप में तथा इंस्ट्रूमेंटेशन में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी इसलिए, इस महत्वपूर्ण वि.अ.आ. कार्यक्रम के पहले चरण में पश्चिमी और दक्षिणी आरआईसी की स्थापना की गई थी। तथापि, दक्षिणी आरआईसी का इसके मुख्य संस्थान के साथ विलय करने के बाद डब्ल्यूआरआईसी एकमात्र ऐसा संस्थान बन गया जिसने व्यापक रूप से देश के विभिन्न यूएसआईसी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को उनके इंस्ट्रूमेंटेशन कार्यक्रमों में सहायता दी जिसके परिणामस्वरूप अब डब्ल्यूआरआईसी को अब वि.अ.आ. द्वारा राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र के रूप में माना जाता है।

डब्ल्यूआरआईसी, जिसकी स्थापना 1977 में मुम्बई विश्वविद्यालय के विद्यानगरी कैम्पस में की गई थी एक स्वायत्त संस्थान है जिसे वि.अ.आ. द्वारा शतप्रतिशत आधार पर वित्तपोषित किया जाता है। 1981 से डब्ल्यूआरआईसी एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में कार्य कर रहा है। जिसकी शासी परिषद् का पदेन अध्यक्ष मुम्बई विश्वविद्यालय का उपकुलपति होता है।

● उद्देश्य एवं मुख्य विशेषताएं :

1. भारतीय विश्वविद्यालयों में इंस्ट्रुमेंटेशन के लिए आवश्यक सुविधाओं का सृजन करना।
2. प्रौद्योगिकीय संस्कृति का विकास करना।
3. इंस्ट्रुमेंटेशन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करना।
4. इंस्ट्रुमेंटेशन के क्षेत्र में अग्रणी बनना।
5. शिक्षण एवं अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने के लिए नए शिक्षा उपकरण डिजाइन व विकास करना।
6. इंस्ट्रुमेंटेशन एवं यंत्र मरम्मत एवं रखरखाव में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
7. शिक्षा, अनुसंधान और उद्योगों के लिए इंस्ट्रुमेंटेशन में अनुसंधान और विकास करना।

केन्द्र की मुख्य गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु अकादमिक समुदायों, आयोग एवं विश्वविद्यालय प्रयोगशालाओं, उद्योगों तथा उच्च शिक्षा के संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित अवसंरचना के माध्यम से सेवाएं प्रदान है। पिछले 31 वर्षों से केन्द्र की गतिविधियों का समग्र प्रभाव इंस्ट्रुमेंटेशन में संगत अनुसंधान और विकास, अनुरक्षण, परीक्षण तथा मापन सेवाएं प्रदान कर भारतीय विश्वविद्यालयों में पर्याप्त, स्वसहायता प्रदान करने वाले अवसंरचना सृजन करने में वि. अ.आ. के प्रयासों को आगे बढ़ाता रहा है।

● रिपोर्टाधीन वर्ष (2007-08) के लिए बजटीय आवंटन एवं निष्पादन बजट

वि.अ.आ. द्वारा सस्वीकृत एवं जारी किए गए अनुदानों तथा 1.04.2007 से 31.03.2008 तक केन्द्र द्वारा किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण :

क्र.सं.	वि.अ.आ. सस्वीकृत पत्र सं. एवं दिनांक	प्राप्त राशि (रुपये में)	किया गया व्यय (रुपये में)	टिप्पणियां
1.	एफ.12-2/2002 (आईयूसी) दिनांक 31.05.2007	23,00,000.00	1,49,54,923.00	इसमें वाहन के लिए प्रदत्त 4,97,634.00 रुपये के अग्रिम शामिल हैं।
2.	एफ.12-2/2002 (आईयूसी) दिनांक 31.05.2007	25,00,000.00		
3.	एफ.12-2/2002(आईयूसी) दिनांक 31.05.2007	50,00,000.00		
4.	एफ.12-2/2002(आईयूसी) दिनांक 31.05.2007	25,75,000.00		
	कुल :	1,23,75,000.00	1,49,54,923.00	25,79,923.00 रुपये का अधिक व्यय हुआ है।
5.	एफ.12-2/2002 (आईयूसी) दिनांक 31.05.2007(विशेष उपस्कर के लिए 50.00 लाख रुपये तथा ग्रंथालय के लिए 10.00 लाख रुपये)	60,00,000.00	48,99,741.00	खरीदे गए मुख्य उपस्करों की सूची नीचे दी गई है।
	कुल :	1,83,75,000.00	1,98,54,664.00	

• वर्ष 2007-08 के दौरान खरीदे गए मुख्य उपकरणों की सूची :

1.	तापमान मानक तथा अंशांकन यंत्र फ्लूक यूएसए मॉडल ब्लैक 1560
2.	प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, मॉडल 5626, मॉडल फ्लूक, यूएसए
3.	एस. टाईप थर्मोकपल, मॉडल 5650, मेक : फ्लूक यूएसए
4.	वेरिअन केरी - 50 यूवी-विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर
5.	वेरिअन एफटीआईआर
6.	इंटेल कोर 2 ड्यू एचपी डेस्कटॉप (15)
7.	पी IV डेस्कटॉप (20)
8.	प्रो/ईकैड/कैम साफ्टवेयर

• लाभार्थियों की संख्या सहित लक्षित समूह की कवरेज (विश्वविद्यालय, कॉलेज, शिक्षक, छात्र, महिला, अ.जा./अ.ज.जा. आदि)

• तकनीकी सेवाएं

• प्रयोगशाला इलेक्ट्रॉनिक यंत्र :

वर्ष 2007-08 के दौरान कुल 222 यंत्र जैसे रेगुलेटिड पावर सप्लाय, सिग्नल जनरेटर, डीएमएम, सीआरओ, पीएच मीटर, क्लोरोमीटर आदि की मरम्मत की गई थी तथा संबंधित कॉलेजों/संस्थानों/मुम्बई विष्वविद्यालय के विभागों को सौंपे गए। इससे कॉलेजों/संस्थानों/विष्वविद्यालय के विभागों को उनकी प्रयोगशालाओं को अधिक कार्यकुशलता पूर्वक चलाने में मदद मिली।

वर्ष 2007-08 के दौरान 25 यंत्रों की मरम्मत की गई। इसके अतिरिक्त टीआईएफआर में डीसीएमपीएमएस अनुभाग के कार्ल जीस अनुसंधान ग्रेड सूक्ष्मदर्शी की मरम्मत की गई।

वर्ष 2007-08 के दौरान निम्नलिखित अनुरक्षण कैंप लगाए गए :

क्र. सं.	कॉलेज का नाम	विश्वविद्यालय	यंत्र जिसकी मरम्मत की गई	अवधि	मरम्मत किए गए यंत्रों की संख्या
1.	मिथीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स, चौहान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मुम्बई	मुम्बई	प्रयोगशाला सूक्ष्मदर्शी	18-20 अक्टूबर, 2007	32
2.	सोमैया कॉलेज	मुम्बई	प्रयोगशाला सूक्ष्मदर्शी	7-8 फरवरी, 2008	20
				कुल	52

पुनः इससे संबंधित संगठनों को अत्यंत लाभ पहुंचा।

आप्टिकल एण्ड ग्लास-ब्लोईंग अनुभाग में वर्ष 2007-08 के दौरान निम्नलिखित मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य किए गए :

कॉलेज/विभाग/संगठन	कार्य का प्रकार
दयसाधना कॉलेज	— तुलन की मरम्मत
रसायन विज्ञान विभाग, मुम्बई विश्वविद्यालय	— वेक्यूम पम्प की मरम्मत
रसायन विज्ञान विभाग, मुम्बई विश्वविद्यालय	— कॉलम की मरम्मत (संख्या में कुल 2)
यूआईसीटी, मटुंगा	— दर्पण पर परत चढ़ाना
स्प्रिनीटेक सर्विसेज	— पिरानी गेज का अंशांकन
पर्कीन एल्मर	— एमसीटी डिटेक्टर का अंशांकन (संख्या में कुल 2)
पर्कीन एल्मर	— एमसीटी डिटेक्टर का अंशांकन

परीक्षण एवं अंशांकन

डब्ल्यू.आर.आई.सी. के विभिन्न प्रकार के अंशांकन मानक उपस्कर हैं जिसे शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी संगठनों तथा उद्योगों से अनेक यंत्रों के अंशांकन के लिए उपयोग किया जाता है। इस वर्ष हमने मैसर्स फ्लूक, यूएसए से अत्याधुनिक मानक एवं अंशांकन यंत्र के काले मॉडल 1560 को जोड़ा है। वर्ष 2007-08 की अवधि के दौरान अंशांकन के लिए प्राप्त 424 यंत्रों में से 358 यंत्रों का अंशांकन किया गया, 37 यंत्रों की मरम्मत की गई तथा उनका अंशांकन किया गया तथा 29 यंत्र उपयोगकर्ताओं को वापिस किए गए क्योंकि उनकी मरम्मत नहीं हो सकती थी। कुल 61 उद्योगों जिसमें एक नये उद्योग, एसटीजी आंध्र प्रदेश ने हमारी अंशांकन सेवाओं का लाभ उठाया।

अत्याधुनिक इंस्ट्रुमेंटेशन

डब्ल्यू.आर.आई.सी. के पास अनेक अत्याधुनिक विश्लेषण करने वाले यंत्र हैं जो विश्वविद्यालय तथा कॉलेज शिक्षकों तथा अनुसंधान छात्रों को उनकी पी.एचडी., एम.फिल. और एम.एस.सी. डिग्री के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। केन्द्र में उपलब्ध यूवी-विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर, एचपीएलसी, एफटीआईआर, एएएस, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग कर इन अनुसंधानकर्ता छात्रों एवं शिक्षकों ने 190 से अधिक विभिन्न प्रकार के नमूनों का उपयोग किया।

वर्ष 2007-08 के दौरान 8 छात्रों को लाभ पहुंचा है।

कम्प्यूटर अनुरक्षण सुविधा

पिछले कुछ वर्षों के दौरान डब्ल्यू.आर.आई.सी. ने कम्प्यूटर अनुरक्षण गतिविधि आरंभ की थी जिसके तहत मुम्बई विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के डेस्कटॉप, मॉनीटर तथा प्रिंटर का रखरखाव या तो वार्षिक अनुरक्षण ठेके के आधार पर किया जाता है अथवा बुलावे के आधार पर किया जाता है। कुल 82 कम्प्यूटर तथा 50 प्रिंटर एएमसी के तहत हैं। इससे विश्वविद्यालय के विभागों को उनकी कम्प्यूटर सुविधाओं को ठीक-ठाक करने में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिली है। इस वर्ष 16 विभागों ने इन सेवाओं का लाभ उठाया है।

प्रशिक्षण और शिक्षा

प्रयोगशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम

विज्ञान विभागों में विश्वविद्यालय व कॉलेज शिक्षकों, अनुसंधान स्कॉलर तथा प्रयोगशाला तकनीशियनों के लिए विभिन्न विषयों पर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। डब्ल्यू.आर.आई.सी. ने अपने विश्लेषण तकनीकों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के 30 छात्रों को अत्याधुनिक विश्लेषण उपस्करों में प्रयोगशाला प्रयोगों को करने के लिए गरवारे इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एजुकेशन एण्ड डेवलपमेंट को भी सहायता दी। मुम्बई विश्वविद्यालय के मूलभूत

विज्ञान में उत्कृष्टता के आणविक ऊर्जा केन्द्र (यूएम-डीआई-सीबीएस) ने इस वर्ष समेकित विज्ञान निष्णांत पाठ्यक्रम आरंभ किया। डब्ल्यूआरआईसी ने प्रथम सत्रार्थ सिद्धांत एवं भौतिकी प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक अवसंरचना, श्रमशक्ति एवं अन्य सहायता प्रदान कर यूएम-डीआई-सीबीएस की मदद की। इससे इस पाठ्यक्रम के लिए नामांकित 21 छात्रों को बहुत लाभ पहुंचा है। वर्ष 2007-08 के दौरान, सात कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं तथा इन प्रयोगशालाओं में 205 छात्र/स्टॉफ ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया है।

कैड/कैम – सीएनसी-प्रशिक्षण :

प्रशिक्षण कार्यक्रम में यांत्रिक इंजीनियरी स्नातक एवं अन्य तकनीकी छात्रों के लिए आई – डीईएस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर कैड/कैम तथा सीएनसी में 8 सप्ताह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शामिल है। साथ ही छात्रों को कैड/कैम के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। इस अवधि के लिए 22 छात्रों ने प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पूर्ण किया।

छात्रों द्वारा तैयार की गई परियोजनाएं तथा प्रशिक्षण

प्रशिक्षण गतिविधि के भाग के रूप में डब्ल्यूआरआईसी ने हमेशा विश्वविद्यालय, सामान्य विज्ञान और अभियांत्रिकी कॉलेजों के छात्रों को उनके चालू कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस वर्ष 3 शैक्षणिक संस्थानों से 24 छात्रों (11 पुरुष तथा 13 महिला) ने डब्ल्यूआरआईसी के तकनीकी स्टाफ के विशेषज्ञतापूर्ण मार्गदर्शन के तहत अनेक परियोजना कार्य पूर्ण किए।

ग्रंथालय

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, ग्रंथालय में 38 पुस्तकें जोड़ी गई (जिनकी कीमत लगभग 1,11,000/- रुपये थी) जिससे कुल स्टाफ 4408 हो गया। इसके साथ-साथ ग्रंथालय तीन भारतीय जनरल क्रय करता रहा। डब्ल्यूआरआईसी स्टाफ के अतिरिक्त शैक्षणिक संस्थानों तथा उद्योग जगत से 34 व्यक्तियों (14 पुरुष तथा 20 महिलाओं) ने ग्रंथालय की सुविधा का लाभ उठाया। डब्ल्यूआरआईसी स्टाफ के लाभ के लिए यूजीसी द्वारा क्रय ई-जनरल तक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए यूजीसी इन्प्लीबनेट के साथ प्रयास किए जा रहे हैं।

कार्यक्रम की वर्तमान अवस्थिति लिए गए संगत महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय/किए गए परिवर्तन

अनुसंधान डिजाइन एवं विकास परियोजनाएं

इस वर्ष इंस्ट्रुमेंटेशन में डब्ल्यूआरआईसी तथा भाषा आणविक अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) तथा सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च सेंटर मुम्बई, समीर के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां आरंभ की गई हैं। जैसा कि विगत में भी होता आया है, डब्ल्यूआरआईसी नए इंस्ट्रुमेंटेशन प्रणाली के विकास में उद्योगों के साथ बातचीत जारी रखी। इस यंत्र के यांत्रिक डिजाइन को अब पूरा कर लिया गया है और अब विकासधीन एवं निर्माण चरण में है।

इंफ्रारेड स्रोत का उपयोग कर फलों व सब्जियों को अनुकूलतम रूप से शुष्क बनाने का डिजाइन एवं विकास यंत्र प्रणाली की विशिष्टताओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है और पुर्जों के क्रय को पूरा कर लिया है।

बीएआरसी में अनुरक्षण कार्य

इस वर्ष बीएआरसी के साथ सहयोग से दो मुख्य अनुरक्षण क्रियाकलाप किए गए :-

1. लेजर एवं प्लाजमा प्रौद्योगिकी विभाग में पहला कार्य 5105 एनएम (हरी) प्लसिंग तथा 578.0 एनएम(पीली) के तरंग दैर्ध्य पर 18 पावर कॉपर वेपर लेजर सिस्टम (सीवीएलएस) को बनाए रखना।
2. दूसरी अनुरक्षण परियोजना भारत में बने/विनिर्मित प्रयोगशाला यंत्र जैसे एचवी विद्युत आपूर्तियां, प्लस जनरेटर, सीआरओ, बाक्स कार एवरेजर, डाटा एक्वीजीशन सिस्टम, वेक्यूम कंट्रोल तथा मेजरमेंट यूनिट्स स्टेपर मोटर ड्राइवर आदि का बीएआरसी की एल एण्ड पीटीडी प्रयोगशालाओं में ब्रेकडाउन मरम्मत करना। यह कार्य बीएआरसी वैज्ञानिकों की संतुष्टि पर किया तथा वर्ष 2008-09 के लिए इसका नवीकरण किया गया।
3. यू-वी-विजिवल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग कर सोलर सेंसरों के लिए कैरेक्टराईजेशन तकनीक का विकास।

उद्योग द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं

- 1 टोटल इनवर्ड ऑफ सेफ्टी मास्क के लिए जांच प्रणाली का विकास।

वर्ष 2007-08 के दौरान वि.अ.आ. द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं:

1. पेराफिन ऑयल ऐरोसोल का उपयोग कर सुरक्षा मास्क तथा एयर फिल्टर के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए पीसी आधारित प्रणाली का डिजाइन और विकास।

इस परियोजना पर कार्य प्रगति पर है :

2. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए माइक्रोकंट्रोलर आधारित कंटीन्यूअस पेसिव मोशन (सीपीएम) मशीन का डिजाइन और विकास।

माइक्रोकंट्रोलर एवं एम्बेडेड प्रणाली हेतु प्रशिक्षण प्रयोगशाला

वि.अ.आ. से प्राप्त अनुदान से निम्नलिखित उपस्करों की खरीद कर माइक्रोकंट्रोलर एवं एम्बेडेड प्रणाली प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उन्नयन किया गया है :-

- (i) मैसर्स आईजेवाईए इलेक्ट्रॉनिक्स, बंगलूरु से दस 8952 माइक्रोकंट्रोलर किट।
- (ii) मैसर्स एडीएम, मुम्बई से सीपीएलडी (9572) एफपीजीएन (35) क्रम की दो किट।
- (iii) लिनिक्स आधारित फीनिक्स शैक्षणिक किट विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के प्रशिक्षण छात्रों एवं शिक्षकों के लिए माइक्रोकंट्रोलर एवं एम्बेडेड प्रणाली में अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है तथा इसे शीघ्र आरंभ कर दिया जाएगा।

कैड-कैम के लिए प्रशिक्षण प्रयोगशाला

डब्ल्यूआरआईसी में आयोजित की गई कैड-कैम प्रयोगशाला, आईडिया सॉफ्टवेयर पर आधारित थी, जो अब अप्रचलित हो गया है। इस वर्ष वि.अ.आ. द्वारा इसके उपस्कर बजट शीर्ष के तहत चिन्हित राशि से प्रो-ई-वाइल्ड लाईफ सॉफ्टवेयर का अद्यतन अंक तथा 12 पीआईवी डेस्कटॉप मशीनें खरीदी गई हैं। 10 उपयोगकर्ता लासेंसों के साथ प्रो-ई सॉफ्टवेयर को अब पीआईवी सर्वर मशीन पर अपलोड कर दिया गया है जो इन 10 पीसी से लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) से जुड़े हैं। बीएआरसी एवं उद्योगों से विशेषज्ञों की मदद से अब एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है।

- अपनाए जाने वाली विकास रणनीतियों को दर्शाते हुए भावी कार्ययोजना।
- शिक्षकों, छात्रों एवं उद्योग कर्मियों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम कैड-कैम, एम्बेडेड सिस्टम, एनालेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मरम्मत एवं रखरखाव।
- यंत्रों के मरम्मत और अनुरक्षण में उच्च डिप्लोमा।

- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम – इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रुमेंटेशन एण्ड कम्प्यूटर अभियांत्रिकी में एम.ई.।
- डब्ल्यूआरआईसी के परीक्षण एवं अंशांकन कार्यक्रम के लिए एनएबीएल से प्रत्यायित करना।
- कैड/कैम/सीएनसी प्रयोगशाला का उन्नयन करना
- माइक्रोकंट्रोलर प्रयोगशाला का उन्नयन – एआरएम, पीआईसी माइक्रोकंट्रोलर।
- परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला का उन्नयन।
- बायो-मेडिकल इंस्ट्रुमेंटेशन के लिए परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला।
- **आयोजित किए गए सम्मेलन, विदेशी प्रतिनिधिमण्डल जिन्होंने दौरा किया तथा आयोजित किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम**

वर्ष 2007-08 के दौरान निम्नवत विषयों पर कुल पांच सम्मेलन आयोजित किए गए।

1. “माइक्रोकंट्रोलर एण्ड एम्बेडेड सिस्टम” पर श्री शिरिश जोशी, एडीएम, मुम्बई द्वारा 12 जुलाई, 2007 को।
2. “प्रो./ई. कैड-कैम सॉफ्टवेयर” : पर मैसर्स सॉफ्टसेल टेक्नोलॉजी लि., मुम्बई के श्री वी. कृष्णामूर्ति द्वारा 23 जुलाई 2007 को।
3. “एम्बेडेड सिस्टम” पर मैसर्स विजन इंडिया प्रोडक्ट, मुम्बई पर अंशुमन द्वारा 25 जुलाई 2007 को।
4. “वीएलएसआई” पर माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड वीएलएसआई डिजाइन डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पुणे के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, श्री मनीष पाटिल द्वारा 27 अगस्त 2007 को।
5. “स्केनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप एस.ए. पोर्टेबिल टूल फॉर नैनोटेक्नोलॉजी” पर सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज इन मेटेरियल साइंस एण्ड सालिड स्टेट फिजिक्स, भौतिकी विभाग, पुणे विश्वविद्यालय, पुणे के डॉ. सी.वी. धर्माधिकारी द्वारा।

- अन्य देशों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौता/सहयोग।
- निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए डब्ल्यूआरआईसी और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) के बीच समझौता।

1. बीएआरसी तथा तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र पीआरईएफआरई पर दो स्पेक्ट्रोग्राफ के लिए इलेक्ट्रो-आप्टो-मेकेनिकल सिस्टम का डिजाइन विकास तथा निर्माण।
2. बीएआरसी में लेजर एवं प्लाजा प्रौद्योगिकी विभाग में 18 उच्च शक्ति कॉपर वेपर लेजर सिस्टम (सीवीएलएस) का रखरखाव।
3. भारत में बने/विनिर्मित प्रयोगशाला यंत्रों का रखरखाव और ब्रेकडाउन मरम्मत

- डब्ल्यूआरआईसी तथा मैसर्स विश्वेश्वरा एंटरप्राइजेज, नवी मुम्बई के लिए निम्नलिखित परियोजना के संबंध में समझौता।

1. सुरक्षा मास्क के टोटल इनवर्ड लीकेज का परीक्षण हेतु परीक्षण प्रणाली का विकास

- अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौता

दर-एस-सलाम प्रौद्योगिकी संस्थान, तन्जानिया में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एण्ड मेकाट्रॉनिक्स में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से नई दिल्ली में जुलाई 2007 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, द्वारा आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रतीक्षित है।

केन्द्र संकाय ने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में पांच लेख/पत्र प्रकाशित किए हैं।

- **कोई अन्य सामग्री जिसे ब्यूरो/प्रभाग प्रमुख द्वारा रिपोर्ट में सम्मिलित करना उचित समझा जाता है।**

पिछले वर्ष डब्ल्यूआरआईसी में कई नए क्रियाकलाप आरंभ किए गए। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर), होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र (एचबीसीएसई), सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई (समीर), तथा शैक्षणिक संस्थान यथा मुम्बई विश्वविद्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, सेंटर फॉर एक्सीलेन्स इन बेसिक साइंस (यूएम-डीआई-सीबीएस), देश में अनेक कॉलेजों तथा उद्योगों के साथ नई संयुक्त परियोजनाएं आरंभ की गई हैं।

एक मुख्य परियोजना जिसे 4 माह की अल्पावधि में पूरा किया गया था वह बीएआरसी तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र में दो पुराने बृहद्काय स्फटिक स्पेक्ट्रोमीटर का उन्नयन करना शामिल था। पुरानी अप्रचलित फोटोग्राफिक प्लेटों के स्थान पर डब्ल्यूआरआईसी द्वारा डिजाइन किए गए दो आप्टो-इलेक्ट्रो-मेकेनिकल सिस्टम लगा दिए गए हैं और अब स्पेक्ट्रल चित्र को डेस्कटॉप/लैपटॉप पर संरक्षित किया जा सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना सिस्टम डेवलेपमेंट फॉर टेस्टिंग इनवर्ड लीकेज ऑफ सेपटी मास्क को मैसर्स विश्वेश्वरा एंटरप्राइजेज, नवी मुम्बई के सहयोग से पूरा किया गया तथा यह खेल में कंपनी के संयंत्र में इस पर गहन मूल्यांकन चल रहा है।

डब्ल्यूआरआईसी विश्वविद्यालय विभागों तथा कॉलेजों को उनके प्रयोगशाला यंत्रों की मरम्मत तथा अनुरक्षण में मदद करता रहा है तथा पिछले वर्ष तक यह कार्यकलाप चल रहा था। इससे कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय के विभागों में विज्ञान प्रयोगशालाओं में उपस्करों को जल्द ठीक करके छात्रों और शिक्षकों को उनके स्नातक पूर्व तथा स्नातकोत्तर प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों में मुश्किलों का कम सामना करना पड़ता है। इसके नेमी कार्यक्रम के अतिरिक्त बीएआरसी ने डब्ल्यूआरआईसी को लेजर तथा प्लाजमा डिविजन में 18 उच्च शक्ति कॉपर वेपर लेजर प्रणाली के रखरखाव का कार्य सौंपा है। यह कार्य बीएआरसी वैज्ञानिकों की संतुष्टि के अनुसार किया गया तथा इनकी उन्होंने सराहना की। डब्ल्यूआरआईसी ने बीएआरसी को आयन एक्स्ट्रेक्शन प्रयोगशाला में अनेक प्रयोगशाला यंत्रों की मरम्मत और अनुरक्षण में मदद की।

पिछले वर्ष देश में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों के लिए इंस्ट्रुमेंटेशन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के अतिरिक्त, डब्ल्यूआरआईसी ने गरवारे इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एजुकेशन एण्ड डेवलेपमेंट को विश्लेषण तकनीकों में दो वर्ष की स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने में भी मदद की। यूएम-डीआई-सीबीएस को उनके समेकित एमएससी पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उन्हें प्रयोगशाला तथा लेक्चर सुविधाएं प्रदान कर यूएम-डीआई-सीबीएस के साथ बृहद् बातचीत आरंभ की गई थी। एचबीसीएसई के सहयोग से नेशनल साइंस इंस्ट्रुमेंटेशन इनीशियेटिव प्रोग्राम के तहत 'डिजाइनिंग न्यू फिजिकल एक्सपेरिमेंट' पर एक परियोजना प्रस्तुत की गई थी।

पिछले वर्ष कैड-कैम तथा एम्बेडेड सिस्टमस के तहत मौजूदा प्रयोगशालाओं का उन्नयन किया गया था। 20 छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए कैड-कैम प्रयोगशाला को नवीनतम प्रो.-ई वाईल्ड लाईफ सॉफ्टवेयर तथा 10 डेस्कटॉप पीसी की खरीद कर उन्नयन किया गया। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों के सहयोग से एक नया 3-4 महीने की अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। 20 छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए नवीनतम 8051, एआरपी, पीआईसी माइक्रोकंट्रोलर किट तथा कील सॉफ्टवेयर एवं 10 डेस्कटॉप कंप्यूटर की खरीद कर एम्बेडेड सिस्टम प्रयोगशाला का उन्नयन किया गया था। इस क्षेत्र में विशेषज्ञ की मदद से 1-4 सप्ताह की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का डिजाइन तैयार किया जा रहा है। उद्योगों व शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से माइक्रोकंट्रोलर आधारित इंस्ट्रुमेंटेशन में विकास गतिविधियों के लिए भी प्रयोगशाला का उपयोग किया जाएगा। उच्च वोल्टेज प्रोब (मॉडल फ्लूक, यूएसए) तथा अंशांकन एवं मापन उपस्कर (मॉडल फ्लूक, यूएसए) को जोड़कर मानकीकृत एवं अंशांकित प्रयोगशाला का भी उन्नयन किया गया था।

कंप्यूटर अनुरक्षण, विश्लेषण यंत्रों, 20 अभियांत्रिकी कार्यशाला, सीएनसी मशीनों, ग्लास ब्लोईंग शॉप, वेक्यूम लेबोरेटरी तथा ग्रंथालय की अन्य सुविधाएं विश्वविद्यालयों तथा कॉलेज शिक्षकों एवं अनुसंधान स्कॉलरों की मदद करते रहे हैं।

2 यूजीसी – एसवीयू एमएसटी रडार अनुप्रयोग केन्द्र, तिरुपति

• केन्द्र के उद्देश्य:

निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ यूजीसी-एसवीयू सेंटर वैज्ञानिक जानकारी के आदान-प्रदान के लिए भारत में विश्वविद्यालय प्रणाली के लिए साझा प्लेटफार्म का काम करता है :

यूजीसी-एसवीयू केन्द्र भारतीय विश्वविद्यालयों में पर्यावरणीय विज्ञान, खास तौर पर एमएसटी रडार से संबद्ध अध्ययनों एवं लिडार संबंधित अध्ययन क्षेत्रों के संदर्भ में विज्ञानियों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए अभिगम्य है। केन्द्र अनुसंधान कार्य करने के लिए अनुसंधान और मूलभूत परिकलन एवं अन्य सहायता हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है। यह वायुमण्डलीय भौतिकी के मुख्य क्षेत्रों में अनेक चुनौतिपूर्ण कार्य में स्नातकोत्तर छात्रों तथा अनुसंधान फेलो के प्रशिक्षण में मदद करता है तथा साथ ही इन सुविधाओं के संबंध में विशेष संदर्भ के साथ एमएसटी रडार, लिडार तथा अन्य कोलोक्टेबल यंत्र सुविधाओं का उपयोग कर वायुमण्डलीय डायनेमिक्स तथा ढांचों के क्षेत्र में प्रयोगात्मक कार्यक्रम में समन्वय करने में मदद करता है। यह केन्द्र वायुमण्डलीय विज्ञान के क्षेत्र में दौरे करने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाता है, ताकि भारतीय वायुमण्डलीय वैज्ञानिक समुदाय इस प्रकार से समन्वय से लाभान्वित हों। वि.अ.आ.-एसवीयू केन्द्र वातावरण विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों, विशेषकर एमएसटी रडार और कोलोक्टेड सुविधाओं से प्राप्त संसाधित आंकड़े के बृहद खण्ड में बृहद राष्ट्रीय डाटा बैंक/अभिलेख का रखरखाव करता है। केन्द्र भारतीय अक्षांतर के ऊपर मध्य वायुमण्डल के लिए सृजन और मॉडल का उन्नयन करने में मदद करता है। इस प्रकार मॉडल तथा आंकड़े आईएमडी तथा अन्य संबंधित राष्ट्रीय संगठनों के लिए भविष्यवाणी तथा पूर्वानुमान करने में मदद करता है। भौतिकी विभाग द्वारा विकसित वायुमण्डलीय विज्ञान के वर्तमान ढांचे के साथ केन्द्र के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वि.अ.आ. आवर्ती व्यय तथा आगन्तुक कार्यक्रमों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निधियाँ उपलब्ध कराता है।

• वर्ष 2007–08 के दौरान केन्द्र की गतिविधियाँ

• आयोजित की गई कार्यशाला, विचार-गोष्ठी (स्कूल), सम्मेलन

वि.अ.आ.-एमएसटी रडार एप्लीकेशन के लिए एसवीयू केन्द्र, एस.वी. विश्वविद्यालय, तिरुपति एवं नेशनल वायुमण्डलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएआरएल) गदन्की द्वारा संयुक्त रूप से 25–29 मार्च, 2008 को एटमासफिरिक रडार एवं लिडार पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। उक्त विचार गोष्ठी में विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों से 40 उपयोगकर्ता वैज्ञानिकों ने भाग लिया। यह विचार गोष्ठी मुख्यतः वायुमण्डलीय विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले संकाय एवं अनुसंधान स्कॉलरों पर केन्द्रित थी। विशिष्ट वैज्ञानिक जैसे श्री एस.राघवन, डीडीजीएम(सेवानिवृत्त), इंडियन मेटिरियोलॉजिकल सोसायटी, चिन्नेई के फेलो, डॉ. एम. सत्यानारायण, आगंतुक प्रोफेसर, केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम, डॉ. जी. विश्वनाथम, इमेरिटस वैज्ञानिक, इसरो – बेंगलूरु मुख्यालय, प्रो. रजनीकांत, भौतिकी प्रोफेसर, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू ने वायुमण्डलीय विज्ञान से संबंधित विभिन्न अनुसंधान विषयों पर भाषण दिया।

वर्ष 2007–08 के दौरान 17 वैज्ञानिकों ने केन्द्र का दौरा किया।

वर्ष 2007–08 के दौरान अनुसंधान छात्रों को पी.एचडी. की उपाधि प्रदान की गई।

केन्द्र के कुछ वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित विषयों पर लेख प्रकाशित किए।

- उष्णकटिबंधीय स्टेशनों पर इनर्शिया ग्रेवैटी वेब क्लाइमेटोलॉजी का एमएसटी रडार तथा रेडियोऑड आबजरवेशन : स्रोत, एम. वेंकटरमण, ए. नरेन्द्र बाबू, वी.वी.एम. जगन्नाड राव, एस. विजय भास्कर राव तथा डी. नारायण राव, **भू-भौतिकी अनुसंधान जर्नल**, खण्ड 113, D07109, doi, 10.1029/2007 JD 008986, 2008.
- हसन, भारत के लिए प्रयोगात्मक आँकड़ों एवं सिमुलेशन का उपयोग कर केयू बैंड रेन अटेन्यूशन की भविष्यवाणी, एस. विजय भास्कर राव, डी. नारायण राव, आईजेसीएसएनएस, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंप्यूटर साइंस एण्ड नेटवर्क सिक्योरिटी, खण्ड 8, सं.4, अप्रैल, 2008। गदन्की (13.5° उ., 79.2° पू) पर ग्रीष्मकालीन मानसून का आरंभ निचली वायुमण्डलीय वायु प्रोफाईलर (एलएडब्ल्यूपी) का उपयोग कर अध्ययन करना, भू-भौतिकी अनुसंधान भाषण 34, L22803, doi : 10.1029/2007 GL031592, 2007।
- वी.वी.एम. जगन्नाथ राव, एम. राजारमण, एम. वेंकट रत्नम, डी.एन. राव और एस.बी.वी. राव। भारतीय एमएसटी रडार का उपयोग करते हुए लो लेटिट्यूड मीजोस्फेरिक ईकोज का जलवायु विज्ञान, जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च, लैड एल 22803 doi : 10.1029/2007 GL031592, 2007।
- जी. किशोर कुमार, एम. वेंकटरत्नम, ए.के. पात्रा, वी.वी.एम. जे. राव, एस.वी.बी. राव, डी.एन. राव।
- इंडियन एम.एस.टी. रडार का उपयोग करते हुए वर्ष 1997–98 के दौरान पाया गया एनाम्लस विंड सर्कूलेशन, जर्नल ऑफ एप्लाइड मीटीरयोलॉजी एण्ड क्लाइमेटोलॉजी, खण्ड 46(1), पृष्ठ 112–119, 2007, वी. वी.एन. जगन्नाथ राव, ए. नरेन्द्र बाबू, एस.वी.वी. राव और डी.एन. राव
- सम्मेलनों में प्रकाशन
- 24–28, जुलाई, 2007 के दौरान आईआईएससी बंगलूरु में 'सेलीब्रेटिंग द मानसून ' 2007' नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।
- भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की लाक्षणिक विशेषताएँ – भारतीय एमएसटी रडार का उपयोग करते हुए एक सांख्यिकी अध्ययन।
- तमिलनाडु के कोयम्बटूर इरोड तथा नीलगिरी जिलों में मानसून और वार्षिक वृष्टि में संबंध।
- एरोसोल – रसायन शास्त्र – जलवायु संबंध पर अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा, 20–22 नवम्बर, 2007, पीआरएल, अहमदाबाद
- तिरुपति पर एमओडीआईएस का उपयोग करते हुए एओडी का मौसमी विभिन्नता
- 20–22 फरवरी, 2008 को योगी वरमन विश्वविद्यालय, काडप्पा में "फ्रंटियर ऑफ एटमास्फीयरिक फिजीक्स एण्ड टेक्नोलॉजी" पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला।
- इंडियन एमएसटी रडार का उपयोग करते हुए गुरुत्व तरंग लक्षण एवं स्रोत तंत्र।
- गदन्की (13.5° उ., 79.20° पू) पर उष्णकटिबंधीय क्षोभमण्डल में गुरुत्व तरंगों ग्रेवैटी वेब के वर्टिकल वेब लैथ स्पेक्ट्रा का दीर्घकालीन एमएसटी रडार प्रेक्षण : मॉडल स्पेक्ट्रा के साथ तुलना।
- भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के सक्रिय एवं अंतराल के चरणों के दौरान वातावरण आवर्तन: गदन्की (13.5° उ. , 79.2° पू) में एमएसटी रडार का उपयोग कर एक अध्ययन किया जाना।
- 26–29 फरवरी, 2008 के दौरान ऊटी में आयोजित 15वीं राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान परिचर्चा।

- भारतीय एमएसटी रडार का उपयोग वर्ष 2002 और 2003 के दौरान गदन्की के ऊपर ग्रीष्मकालीन मानसून हवा के आवर्तन के प्रेक्षण के लिए किया गया था।
- तमिलनाडु के कुडालोर, थिरुवरुर तथा नगाई जिलों में वर्षण की विशेषताएँ।
- एमओडीआईएस आँकड़े का उपयोग कर दक्षिणी भारत पर बादल जलवायु विज्ञान का अध्ययन।
- विंड प्रोफाइलर एवं रेडियोसोड माप का उपयोग कर स्लांट पाथ एटेन्यूएशन के लिए प्रभावी वर्षा ऊँचाई सांख्यिकी।
- तीव्र रेडियोसोन्ड ध्वनियों का उपयोग कर उष्णकटिबंधीय स्टेशन के ऊपर पाई गई जड़त्व-गुरुत्व तरंग विशेषता।
- प्रायोगिक निश्कर्षों के आधार पर ई-रीजन क्वासी पीरीयाडिक ईकोज की उत्पत्ति से निपटने के लिए प्रस्तावित एक संयुक्त तंत्र।
- गदन्की वीएचएफ रडार का उपयोग कर लो लेटिट्यूड मीजोस्फेरिक डायनामिक अध्ययन।
- भारतीय क्षेत्र के लिए इनसेट के.यू. तथा के.ए. बैंड उपग्रह फ्रीक्वेंसी का उपयोग कर वर्षा क्षीणन अध्ययन का परिणाम।
- गदन्की (13.5° उ., 79.2° पू.) पर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून (आईएसएम) का आरंभ : लो एटमासफीयरिक विंड प्रोफाइलर का उपयोग कर अध्ययन।
- एस.ए.बी.ई.आर. का उपयोग कर लो लेटिट्यूड मिडल एटमासफीयर का तापीय ढांचा।

3. क्रिस्टल विकास केन्द्र : अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई

केन्द्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

क्रिस्टल विकास तथा लक्षण-वर्णन के क्षेत्र में अनुसंधान रुचि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1982 में अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा क्रिस्टल विकास केन्द्र की स्थापना की गई थी। सुविख्यात एवं मेहनतकश संकाय एवं अनुसंधानकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी तथा योगदान के चलते केन्द्र को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1990 में क्रिस्टल विकास के लिए सीसीजी : यूएजी-एयू संकाय के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

केन्द्र के उद्देश्य

केन्द्र का उद्देश्य अनुसंधान गतिविधियों का लगातार उन्नयन करना तथा क्रिस्टल विकास एवं केरेक्ट्राइजेशन संबंधी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में योगदान करना है।

केन्द्र ने राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेन्सियों जैसे डीएसटी, डीआई, डीआरडीओ, यूजीसी, आईएसआरओ, एमएनईएस, डीओई, बीआरएनएस, आईयूएसी, सीएसआईआर तमिलनाडु सरकार आदि द्वारा समर्थित अनेक मुख्य राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया है। केन्द्र का उद्देश्य आगन्तुक कार्यक्रम के तहत संपूर्ण देश में अनुसंधानकर्ताओं के अनुसंधान हितों को बढ़ावा देना है।

केन्द्र लगातार अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सतत रूप से अनेक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/कार्यशालाएँ/पुनश्चर्या कार्यक्रम/संगोष्ठियों तथा परिचर्चा आयोजित करता आ रहा है। केन्द्र द्वारा कुछ औद्योगिक परामर्शदात्री कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

• रिपोर्टाधीन वर्ष के लिए बजटीय आबंटन एवं निष्पादन बजट

क्र.सं.	वि.अ.आ. संदर्भ सं. एवं तिथि	योजना के तहत	वि.अ.आ. द्वारा जारी राशि	उपयोग की गई राशि	शेष
1.	सं.एफ.32-2/90 (आईयूसी) दिनांक जून, 2007	10वीं योजना अंतिम किश्त	2,64,614.00 रुपये	2,64,614.00 रुपये	शून्य
2.	सं.एफ.32-2/90 (आईयूसी) दिनांक मई, 2007	11वीं योजना अंतिम किश्त	6,25,000.00 रुपये	6,25,000.00 रुपये	शून्य
3.	सं.एफ.32-2/90 (आईयूसी) दिनांक 27 मार्च, 2008	11वीं योजना दूसरी किश्त	15,70,525.00 रुपये	16,40,000.00 रुपये	25 लाख रुपये की सस्वीकृत राशि के तहत वि.अ.आ. द्वारा 3,04,475/ रुपये की शेष राशि जारी की जानी है।

वर्ष 2007-08 के दौरान आगन्तुक कार्यक्रम के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों से सोलह आगन्तुकों ने केन्द्र का दौरा किया।

वर्ष 2007-08 के दौरान कुल 11,20,000 अमरीकी डॉलर की लागत से एम.ओ.सी.वी.डी. के उपस्करों की खरीद की गई।

वर्ष 2007-08 के दौरान 5 संकाय सदस्यों ने 23 राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों तथा साथ ही 10 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाषण दिए, प्रस्तुतिकरण किया तथा भाग लिया।

डीएसटी, आईयूसी, एआईसीटीई, यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों में अनुमोदित चालू परियोजनाएँ (कुल 13) चल रही हैं :-

1. बोरेट आधारित एकल क्रिस्टल के विकास तथा लक्षण वर्णन एवं एसएचजी एलीमेंट का निर्माण।
2. II-VI नैनोक्रिस्टलाइन थिन फिल्म तथा मिल I-III-VI₂ केलकोपाईराइट पर उच्च ऊर्जा किरणन अध्ययन।
3. स्विफ्ट हेवी आयन बीम का उपयोग कर धातु/सेमीकंडक्टर पर नैनोस्ट्रक्चर निर्माण एवं उनका विकास एवं लक्षण वर्णन।
4. नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जीएन (GaN) एवं नाइट्राईड मिश्र धातु तंत्र।
5. सेमीकंडक्टर नैनोस्ट्रक्चर
6. उच्च नान लीनीयर यंत्रों के लिए स्टायकियोमीट्रिक लीथियम नायोबेट एकल क्रिस्टल।
7. नैनोस्ट्रक्चर्ड आप्टो इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों को तैयार किया जाना उनका विकास एवं लक्षण वर्णन।
8. फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन यंत्रों के लिए बाईमेटेलिक थायोसायनेट क्रिस्टल का विकास एवं लक्षण वर्णन।
9. हाईड्रोआक्सीपेटाईट एवं उनके जैविक निष्पादन पर किरणन का प्रभाव।
10. अस्थि एवं दंत प्रतिस्थापन सामग्री तथा दवा सुपुर्दगी तंत्र तैयार करने के लिए नैनोक्रिस्टलाइन कैल्शियम फास्फेट के संश्लेषण पर अन्वेषण।

11. इन्फ्रारेड डिटेक्टर एप्लीकेशन के लिए InSb और InAs एपीटेक्शियल परतों की मिश्र धातु का विकास और लक्षण वर्णन।
12. कोलोसल मेगनेटों रेजिस्टेस (सीएमआर) एकल क्रिस्टल पर हैवी आयन किरणन प्रभाव।
13. धारिता एवं चालन पर आधारित जीव रसायन अभिलक्षणों के लिए सेंसर इस्ट्रूमेंटेशन :

वर्ष 2007-08 के दौरान डीआई तमिलनाडु सरकार, यूरोपियन संघ, आईयूएसी तथा वि.अ.आ. द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा किया गया है :

1. डापोड पम्पड ठोसावस्था लेजर अनुप्रयोग के लिए डबल टंगस्टेट के लेजर एलेमेंट का विकास

प्रायोजक : आणविक ऊर्जा विभाग, अनुसंधान और नाभिकीय विज्ञान बोर्ड

(डीआई: बीआरएनएस)

2. ईयू-एशिया लिंक कार्यक्रम : यूरोपीय संघ प्रायोजक

3. तमिलनाडू सरकार की भाग- II योजना : राज्य द्वारा आरंभ की गई राष्ट्रीय सुविधा।

प्रायोजक : तमिलनाडू सरकार

4. सेमीकंडेक्टर यांत्रिक ढांचों पर विकिरण संसूचक तथा किरणन अध्ययन।

प्रायोजक : इंटर-यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेशन सेंटर (आईयूएसी)

5. जीएन मिश्र धातु का विकास एवं विशेषताएँ तथा यूवी संसूचकों का निर्माण।

प्रायोजक : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)

- विभिन्न वित्तपोषण एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित परियोजनाओं को संस्वीकृत किया गया है :-

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक	जांचकर्ता	एजेंसी	राशि रुपये में	अवधि
1.	नैनोक्रिस्टेलाइन थिन फिल्मस एवं I-III-VI ₂ केलकोपायराइट पर उच्च ऊर्जा किरणन अध्ययन	डॉ. आर. धाना शेखरन	इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर, नई दिल्ली	3,33,000 / -	2007-2010
2.	धारिता एवं चालन पर आधारित जीव रसायन अभिलक्षणों के लिए सेंसर इस्ट्रूमेंटेशन	प्रो. जे. कुमार और डॉ. के. संकरन	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली	13,55,000 / -	2007-2009

वर्ष 2007-08 के दौरान केन्द्र के संकाय सदस्यों द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में 33 अनुसंधान पत्र/लेख छप चुके हैं।

वर्ष 2007-08 के दौरान 8 अनुसंधान छात्रों ने पी.एचडी उपाधि अर्जित की।

4. अंतर्विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान केन्द्र

• भूमिका

अंतर्विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान केन्द्र का अस्तित्व जनवरी, 1991 में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आईआईएस के एक करारनामों पर हस्ताक्षर से प्रारंभ हुआ। अपने 42 वर्षों में संस्थान शोध करने और जीवन को अध्ययनशील एवं चिन्तनमय बनाकर एक अद्वितीय वातावरण का सृजन किया है। इसका एक आवासीय अध्ययनशील समुदाय है जिसमें 30 फेलों हैं, जो अपने-अपने शोध में व्यस्त हैं और समुदाय की विद्वतापूर्ण गतिविधियों में भाग लेते हैं। अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र के एसोसिएट्स देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में से लिए जाते हैं और अपने लघु कार्यालय में वे अपने अनुभव प्रोत्साहक पाते हैं।

केन्द्र के अकादमिक कार्यक्रम के तीन घटक हैं (अ) एसोसिएटशिप योजना (ब) देश के विभिन्न भागों में शोध सेमिनारों का आयोजन करना तथा (स) शिमला स्थित संस्थान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयक समस्याओं पर साप्ताहिक अध्ययन को आयोजित करना।

• एसोसिएटशिप :

वि.अ.आ. द्वारा आईयूसी के कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी तथा जुलाई 2008 से आईयूसी कार्यक्रम पुनः आरंभ किया गया था। वर्ष 2007-08 के दौरान समस्त भारत से आए 40 विश्वविद्यालय तथा कॉलेज शिक्षकों ने संस्थान में एक माह के एसोसिएटशिप का लाभ उठाया। अब तक जो भी एसोसियेट संस्थान में आए उन्होंने दौरा करने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए अपनी रिपोर्टों में संस्थान की भूरी-भूरी प्रशंसा की है। उनमें से अधिकांश: इस बात से सहमत हैं कि संपूर्ण देश में इससे बेहतर ग्रंथागार सुविधा हो ही नहीं सकती है तथा संस्थान के अकादमिक गतिविधियों में भाग लेना उनके लिए विशेष महत्व रखता है इससे जब वे अपने विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में जाएंगे तो वे अपने आपको बहुत भाग्यशाली समझेंगे। एसोसिएट ने इस अवधि का उपयोग (क) अध्ययन को पूरा करने में किया जिससे वे पिछले कुछ समय से जुड़े हैं (ख) वाचस्पति शोध की समीक्षा करने (ग) संस्थान के ग्रंथागार में अध्ययन करने और (घ) संस्थान के फेलो तथा भारत साथ ही विदेशों से आए विशिष्ट फेलों के साथ बातचीत करने में बिताया। साथ ही एसोसियेटों ने संस्थान में नियमित रूप से होने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में भी भाग लिया।

• अध्ययन सप्ताह :

केन्द्र द्वारा आयोजित अध्ययन सप्ताह विशिष्ट विद्वानों को साथ लाने का कार्य करता है जो किसी विषय, जिसका पर्याप्त वर्तमान अकादमिक एवं व्यावहारिक महत्व है, पर वाद-विवाद करते हुए एक सप्ताह का समय व्यतित करते हैं। अध्ययन सप्ताह में भागीदार वे विद्वान होते हैं जिनका उस विषय, जिस पर प्रश्नाधीन अध्ययन सप्ताह समर्पित है, पर पहले ही पर्याप्त योगदान रहा है। तथापि, वर्ष 2007-08 के दौरान अध्ययन सप्ताह का आयोजन नहीं किया जा सका क्योंकि नए अकादमिक कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए कोई पूर्णकालिक निदेशक नहीं था।

• अनुसंधान संगोष्ठियां :

1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 के दौरान निम्नवत संगोष्ठियों का आयोजन किया गया :-

- “रोजगार सृजन के विशेष संदर्भ में विकास को समावेशी बनाना” विषय पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सहयोग से 28-29 जून, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।
- “गरीबी को हटाने के संदर्भ में विकास को समावेशी बनाने” विषय पर इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुम्बई के सहयोग से 2-3 अगस्त, 2007 को मुम्बई में आयोजित की गई।

- “विविधता का प्रबंधन भारत में निर्वाचन प्रणाली तथा प्रक्रिया” को संघीय अध्ययन केन्द्र जामिया हमदर्द, नई दिल्ली में 8–9 फरवरी, 2008 के दौरान आयोजित किया गया।
- “विविधता उपचार : समकालीन भारत में पारंपरिक औषधियाँ” को दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीतिक शास्त्र विभाग के सहयोग से 15–16 मार्च, 2008 को आई.आई.ए.एस., शिमला में आयोजित किया गया था।
- **आई.यू.सी.एसोसिएट द्वारा साप्ताहिक परिसंवाद :**
आई.यू.सी.एसोसिएट द्वारा साप्ताहिक परिसंवाद का नियमित रूप से आयोजन करना संस्थान का एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। संस्थान के मेलों के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य एवं अन्य विद्वानों ने संस्थान के इन परिसंवादों में भाग लिया। वर्ष 2007–08 के दौरान आई.यू.सी. के 40 एसोसिएट ने आई.आई.ए.एस. में अपने अनुसंधान कार्य के आधार पर परिसंवाद में योगदान दिया।
- **ग्रन्थागार :**
अंतर्विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान केन्द्र (आई.यू.सी.) के तहत वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान संस्थान के ग्रंथालय ने कोई व्यय नहीं किया।
- **आई.यू.सी. जर्नल :**
कला एवं सामाजिक विज्ञान में अध्ययन खण्ड XII सं.1, खण्ड XIII सं.2 विषय पर आई.यू.सी. के दो अंक वर्ष 2007–08 के दौरान प्रकाशनाधीन है।
- **प्राधिकारी**
इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के निदेशक, केन्द्र के भी निदेशक हैं। उन्होंने दिसम्बर 2007 में कार्यभार संभाला। केन्द्र की एक अकादमिक समिति है जिसके अध्यक्ष निदेशक हैं जो अकादमिक मामलों पर इसे परामर्श देते हैं। समिति में देश के विभिन्न भागों से अकादमिक हस्तियां शामिल हैं जो विभिन्न विषयों का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा समिति की बैठक वर्ष में एक बार होती है। केन्द्र का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय, समन्वय समिति है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष इसके सभापति होते हैं तथा आई.आई.ए.एस. के निदेशक इसके उपसभापति होते हैं।
- **लेखा :**
वर्ष 2006–07 के दौरान वि.अ.आ. द्वारा 22.70 लाख रुपये का अनुदान जारी किया गया था तथा 01.04.2007 के अनुसार संस्थान के अग्रशेष में 12.30 लाख रुपये शेष थे।

5.13 विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभावना वाले केन्द्र

11वीं योजना अवधि के दौरान यू.पी.ई. पर स्थाई समिति ने 12 और विश्वविद्यालयों को यू.पी.ई. दर्जा दिए जाने की सिफारिश की। तथापि, 21 मार्च, 2002 को हुई आयोग की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उन्हें संगत क्षेत्रों में उत्कृष्टता की संभावना वाले केन्द्र कहा जाए। उन्हें एक मुश्त आधार पर सहायता दी गई तथा बाद में यू.पी.ई. दर्जे के तहत आवेदन करने को कहा गया।

केन्द्रों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विशिष्टता का क्षेत्र जिसका विकास किया जाना है	एक मुश्त सहायता के रूप में जारी सहायता (रुपये करोड़ में)
1	पंजाब विश्वविद्यालय	जीव चिकित्सा विज्ञान	5.00
2	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय	क्रीडा विज्ञान	5.00
3	कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	लेजर एवं आप्टो इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	5.00
4	मदुरई कामराज विश्वविद्यालय	जीनोम विज्ञान	5.00
5	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	हिमालय अध्ययन	5.00
6	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	अनुप्रयुक्त पालीमर	5.00
7	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	व्यवहार संज्ञानात्मक विज्ञान	5.00
8	कर्नाटक विश्वविद्यालय	पालीमर रसायन शास्त्र	5.00
9	अन्ना विश्वविद्यालय	पर्यावरणीय विश्वविद्यालय	5.00
10	अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (जिसे वर्तमान में राजीव गांधी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है)	जैव विविधता	3.00
11	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	परम्परागत शास्त्र	3.00
12	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	ई-प्रबंधन अध्ययन	3.00

उक्त केन्द्रों ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही कार्य करना आरंभ किया। उपरोक्त सभी केन्द्रों की विशेषज्ञ समिति की मदद से समीक्षा की जा रही है ताकि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उन्हें जारी रखने या बंद करने के संबंध में निर्णय लिया जा सके।

वर्ष 2007-08 के दौरान, निम्नलिखित केन्द्रों की समीक्षा की गई है।

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विकसित किए जाने हेतु विशेषज्ञता के क्षेत्र	एक मुश्त सहायता के रूप में जारी अनुदान (रुपये करोड़ में)	टिप्पणियाँ
1	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	अनुप्रयुक्त पालीमर	5.00	11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र को जारी रखने के विस्तृत प्रस्ताव मंगाए गए हैं।
2	कर्नाटक विश्वविद्यालय	अनुप्रयुक्त रसायन शास्त्र	5.00	समीक्षा समिति की सिफारिशों पर केन्द्र को बंद कर दिया गया है।

5.14 नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना (9वीं योजना के दौरान स्थापित)

उदारीकरण, भूमंडलीकरण की दृष्टि से बदलते आर्थिक परिदृश्य तथा उभरती हुई नई आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता युक्त उत्पादों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 2001 के दौरान विश्वविद्यालय प्रणाली के अंदर विज्ञान तथा मानविकी में विभिन्न अंतः शास्त्रीय क्षेत्रों में अध्ययन तथा अनुसंधान में 'उत्कृष्टता के नवीन केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना' नामक नई योजना शुरू की है।

वर्ष 2001-02 के दौरान आयोग ने विश्वविद्यालय प्रणाली के तहत केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित केन्द्रों के प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं :

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्र / संस्थान
1	2	3
1	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	मानव जीनोम अध्ययन तथा अनुसंधान केंद्र की स्थापना
2	संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	बायोमेडीकल मेगनेटिक रेजोनेंस अनुदान केन्द्र की स्थापना
3	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा रक्षा विश्लेषण संस्थान की स्थापना
4	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	मैसूर विश्वविद्यालय के प्राच्य अनुसंधान केन्द्र में राष्ट्रीय विज्ञान इतिहास केन्द्र की स्थापना
5*	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में आनुवांशिकी यूनिट का उन्नयन करते हुए अनुप्रयुक्त मान आनुवांशिकी केन्द्र की स्थापना

इन केन्द्रों की समीक्षा एक समीक्षा समिति द्वारा की जा रही है ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि क्या 11वीं योजना के दौरान जारी रखा जाए या बंद कर दिया जाये।

वर्ष 2007-08 के दौरान सेंटर फॉर ह्यूमेन जीनोम स्टडीज एण्ड रिसर्च, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ की समीक्षा की गई।

5.15 वृत्ति (कैरियर) उन्नति योजना (कैस) के अधीन रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए वि. अ.आ. पर्यवेक्षक की नियुक्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत में कार्यरत समस्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में 'कैस' के अधीन रीडर से प्रोफेसर की पदोन्नति की चयन प्रक्रिया का परिवीक्षण वि.अ.आ. पर्यवेक्षक की नियुक्ति करके कर रहा है। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है ताकि विश्वविद्यालय इस प्रयोजन के लिए बनाई गई क्रियाविधि का पूर्णरूप से पालन करें। रिपोर्टाधीन वर्ष 2007-08 के दौरान वृत्ति उन्नति योजना के तहत रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति की चयन प्रक्रिया की देखरेख के लिए वि.अ.आ. द्वारा 310 यू.जी.सी. पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई।

5.16 बौद्धिक सम्पदा अधिकार के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना तथा पेटेंटों की सुविधा प्रदान करना

विश्वविद्यालय तंत्र नए ज्ञान के सृजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्व में विश्वविद्यालयों में सृजित ज्ञान का जनता द्वारा उपयोग किया जाता था। स्कालरली जरनलों में प्रकाशन ही मानदण्ड था। अब ज्ञान आर्थिक

शक्ति का नई मुद्रा का रूप है। यह प्राथमिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का स्रोत है, विश्वविद्यालय जोश-खरोश के साथ अपने ज्ञान आधार की रक्षा करते हैं। संरक्षित ज्ञान से आर्थिक प्राप्तियां नए ज्ञान के सृजन को प्रोत्साहित करती हैं तथा नवोन्मेष को ऊर्जा देते हैं। विश्वविद्यालयों के माध्यम से ज्ञान के सृजन के प्रतिमानों में बदलाव हुआ है। संपूर्ण विश्व में निजी स्वामित्व के साथ ही नए ज्ञान को बौद्धिक सम्पदा (आई.पी.) के रूप में संरक्षित करने का रुझान है। आई.पी. के अनेक प्रकार हैं जैसे पेटेंट, डिजाईन, ट्रेडमार्क, कापीराइट, भौगोलिक सूचक, इंटीग्रेटेड सर्किट तथा व्यापार गोपनीयता। अब, वैश्विक तथा राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर बौद्धिक संपदा के फलस्वरूप अधिकारों के सुरक्षित बनाने के लिए ढांचा मौजूद है।

अब यह महत्वपूर्ण है कि उच्च शैक्षणिक संस्थान अपने बौद्धिक संपदा अधिकार को उचित रूप से संरक्षित रखें। यह एक नया विकास है, अधिकांश विश्वविद्यालयों के पास अपने अनुसंधानकर्ताओं को उनके आई.पी.आर. को संरक्षित करने हेतु सक्षम बनाने की विशेषज्ञता तथा प्रक्रियाएँ मौजूद नहीं हैं। इसलिए जागरूकता पैदा करके एक सक्षमकारी नीतिगत वातावरण तैयार किए जाने, उचित ढांचा तथा प्रक्रियाएँ उपलब्ध कराने तथा अनुसंधानकर्ताओं को उनके आई.पी.आर. को संरक्षित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। यूजीसी की यह पहल, विभिन्न ऐजेंसियों की मौजूदा पहल/चालू गतिविधियों के साथ सामंजस्य से चलेगी तथा इसका पेटेंट/कापीराइट कार्यालयों के साथ सुदृढ़ संबंध होगा। विश्वविद्यालय तंत्र द्वारा आई.पी.आर. जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए तथा आई.पी.आर. सुरक्षण एवं प्रबंधन सुविधा प्रदान करने के लिए वि.अ.आ. ने आई.पी.आर. पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। आई.पी.आर. से संबंधित विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञ समिति द्वारा चर्चा एवं विचार किया गया तथा चुनिंदा विश्वविद्यालयों में नए आई.पी.आर. केन्द्र स्थापित करने के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

5.17 विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना (पी.आई.एच.ई.ए.डी.)

विदेशों में भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना वि.अ.आ. द्वारा भारतीय कॉलेजों में बहुसंस्कृति का वातावरण तैयार करने के एक साधन के रूप में हमारी शिक्षा की गुणवत्ता का संवर्धन करने की रणनीति के रूप में देखा जाता है। जिससे विविधता तथा अंतराष्ट्रीय सदाशयता को बढ़ावा मिलता है। लागत कारक हमारे पक्ष में होने के कारण बड़ी संख्या में अंतराष्ट्रीय छात्रों के भारत में आने की संभावना है। इसके लिए भारत की उच्च शिक्षा को एक उचित रणनीति तथा कार्ययोजना के साथ विशिष्ट ब्रांड के रूप में उभारने की आवश्यकता है।

इसमें चार विशिष्ट कदम उठाने की आवश्यकता होगी :

1. एक विशिष्ट देश के संदर्भ में कैसी शिक्षा होनी चाहिए तथा हम उन्हें कैसी शिक्षा दे सकते हैं। इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए देश के अनुरूप एक रणनीति बनाना।
2. अंतराष्ट्रीय छात्रों को भरोसेमंद तथा अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना प्रसार तथा संवर्धन और भारतीय शिक्षा की विलक्षणता पर ध्यान देने के लिए संचार रणनीति तैयार करना।
3. दाखिले एवं वीजा इत्यादि प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाकर उनमें सामंजस्य स्थापित करना।
4. यहां पहले से ही रह रहे छात्रों को अच्छा अनुभव हो इसके लिए उनकी आशाओं पर खरा उतरना।

पी.आई.एच.ई.ए.डी. पहल के अंतर्गत वि.अ.आ. अंतराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय रूप से समस्त कार्यक्रम तथा विदेश में कार्यक्रम प्रदान करने के लिए भारतीय संस्थानों को बढ़ावा देने पर बल दे रहा है। वि.अ.आ. ने पी.आई.एच.ई.ए.डी. पहल पर परामर्श देने तथा इसे बल देने के लिए एक स्थाई समिति (एस.सी.) का गठन किया है।

पी.आई.एच.ई.ए.डी. पहल के तहत वि.अ.आ. ने विकासशील देशों के छात्रों के लिए भारत केन्द्रित अल्पकालीन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मई, 2004 में सं.रा.अ. में बाल्टीमोर, मार्यलैण्ड में आयोजित एनएएफएसए सम्मेलन में भाग लिया। वि.अ.आ. ने जून, 2004 में विकासशील देशों से नियमित कार्यक्रमों में छात्रों को आकर्षित करने के उद्देश्य से फिक्की की सहायता से पूर्वी अफ्रीका (इथोपिया, तन्जानिया, केन्या) में शिक्षा मेलों का आयोजन किया। इसी क्रम में वि.अ.आ. शिष्टमण्डल ने पुनः वर्ष 2006-07 के दौरान अमेरिका, संयुक्त राज्य

अमेरिका के सियेटल में तथा वर्ष 2007-08 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन, डीसी में आयोजित एनएएफएसए सम्मलेन में भाग लिया। यह कार्यक्रम न केवल बहुत सफल रहे परन्तु विदेशों में भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने में वि.अ.आ. को अमूल्य अनुभव भी प्राप्त हुआ। इस अनुभव के आधार पर वि.अ.आ. द्वारा अनेक गतिविधियां तथा कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है।

5.18 यंत्रीकरण अनुरक्षण सुविधाएँ (आई एम एफ)

वि.अ.आ. उन विश्वविद्यालयों, स्वायत्त कॉलेजों और कॉलेजों को स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान कर रहा है जिन्होंने सभी स्तरों पर विज्ञान शिक्षा में सुधार करने के प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए यंत्र अनुरक्षण सुविधाओं (आई एम एफ) के यूनितों की स्थापना की है। इस योजना के अधीन वि.अ.आ. अनिवार्य उपकरणों/उपस्करों, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की मरम्मत और अनुरक्षण के अलावा अर्हता प्राप्त स्टाफ के लिए सहायता देता है जो संस्था में ऐसे यंत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के पूल के आकार पर निर्धारित कार्यभार के अनुसार दी जाती है। आयोग इस योजना के अधीन सेवा प्रदान करने में कार्यकुशलता बनाए रखते हुए जहां तक संभव हो अधिक से अधिक संख्या में संस्थाओं को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता को पहचानता है। आई एम एफ एक दूसरे से और वि.अ.आ. के कार्यकाल से नेटवर्क से जुड़े होंगे ताकि अनुभव और विचारों के आदान-प्रदान के अतिरिक्त योजना का सूक्ष्म अनुवीक्षण किया जा सके।

यंत्रीकरण अनुरक्षण सुविधा (आई एम एफ) के निम्नवत उद्देश्य हैं :-

- (i) विश्वविद्यालयों, स्वायत्त कॉलेजों, स्नातकोत्तर कॉलेजों को उनके वैज्ञानिक यंत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के लिए अनिवार्य सहायक अवसंरचना के रूप में कार्यकुशल तथा कार्यक्षमता अवसंरचना को यंत्र अनुरक्षण सुविधा के रूप में स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- (ii) वैज्ञानिक यंत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिए विकास आगत के रूप में पर्याप्त संसाधनों को तैनात करना तथा औजार/यंत्र की खरीद करना।
- (iii) वैज्ञानिक यंत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण तथा प्रलेखन के माध्यम से कार्यक्षमता को बढ़ाना।
- (iv) सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर देश भर में स्थापित इकाईयों को एक दूसरे के साथ जोड़ना ताकि वे एक दूसरे के अनुभव तथा विचारों को एक दूसरे से बांटकर अपने निष्पादन को सुधार सकें।
- (v) उपयोगकर्ताओं जैसे छात्रों, शिक्षकों आदि के प्रति इसकी प्रभावकारिता तथा उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के कार्यकरण की निगरानी करना।

सभी विश्वविद्यालय, संस्थान जो समविश्वविद्यालय है तथा कॉलेज जो स्नातकोत्तर विज्ञान पाठ्यक्रम चलाते हैं तथा जो वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) तथा 12(ख) के तहत आते हैं, वे सभी इस योजना के तहत अपने संस्थानों में आई एम एफ स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

योजना का सामान्य विकास अनुदान योजना के साथ विलय कर दिया गया है।

वर्ष 2007-08 के दौरान इस योजना के तहत कुल 112.23 लाख रुपये के कुल अनुदान जारी किए गए हैं।

5.19 अनुसंधान तथा शिक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा

वि.अ.आ. मानविकी (इनमें भारतीय भाषाएँ एवं कुछ विदेशी भाषाएँ भी शामिल हैं), सामाजिक विज्ञानों कंप्यूटर विज्ञान तथा अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, न्यायालयिक विज्ञान तथा पर्यावरणीय विज्ञानों में व्यवसाय तथा अनुसंधान में प्रवेशार्थियों के लिए न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए लेक्चरारशिप एवं कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) की पात्रता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित करता है। देश में फैले 66 केन्द्रों और 77 विषयों (प्रथम पेपर छोड़कर) में नेट आयोजित किया जाता है। जैसाकि तालिका – VI में दिया गया है, विज्ञान के पांच मुख्य विषयों के लिए

परीक्षा सी.एस.आई.आर. और वि.अ.आ. द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाती है। जो उम्मीदवार अनुसंधान करना चाहते हैं उनके लिए कनिष्ठ अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) अधिकतम पांच वर्ष के लिए उपलब्ध होती है। वे उम्मीदवार जो वि.अ.आ. नेट में जे.आर.एफ. के लिए उत्तीर्ण हो जाते हैं, अनुसंधान को वि.अ.आ. की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और संस्थानों में जारी रख सकते हैं।

जे.आर.एफ. एवार्ड की परीक्षा 1984 से तथा लेक्चरार के लिये पात्रता परीक्षा भारत सरकार के अध्यादेश 22 जुलाई 1988 के आदेशानुसार 1989 से प्रारंभ हुई। परीक्षाएँ जो इंजीनियरिंग विषयों से संबंधित हैं उनको जेआरएफ नेट परीक्षाएँ दिसम्बर 1990 से लेकर 1995 तक वि.अ.आ. – सीएसआईआर ने संयुक्त रूप से आयोजित की।

जेआरएफ एवं लेक्चरार पात्रता हेतु पंजीकृत, परीक्षा में बैठे एवं पात्र पाए गए अभ्यर्थी को नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका—। कुल अभ्यर्थियों का विवरण जो 2007–08 के दौरान पंजीकृत हुए, परीक्षा में बैठे और उत्तीर्ण हुए लेक्चरार पात्रता एवं जेआरएफ :-

वि.अ.आ.—नेट		पंजीकृत	परीक्षा में बैठे		उत्तीर्ण	
			संख्या	पंजीकृत का प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
जून, 2007	लेक्चरारशिप (जे.आर.एफ. सहित)	121223	91734	75.67	5793	6.32
	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.सहित)	75954	59443	78.26	448	0.75
दिसम्बर, 2007	लेक्चरारशिप (जे.आर.एफ.सहित)	135023	104867	77.67	5931	5.66
	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.सहित)	83794	67524	80.58	448	0.66

लेक्चरशिप पात्रता तथा जे.आर.एफ. के अंतिम दो परीक्षाओं के लिए श्रेणी वार, लिंग वार, सह उपश्रेणी वार, परीक्षा में बैठे तथा परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को तालिका II से तालिका V में दिया गया है। तालिका VI कोर विज्ञान विषयों को दर्शाता है जिसमें सीआईएसआर द्वारा संयुक्त सीएसआईआर—यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित की गई थी और तालिका VII, संयुक्त यूजीसी—सीएसआईआर नेट के माध्यम से जेआरएफ एवं लेक्चरारशिप पात्रता के लिए पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या को दर्शाती है। नेट सेंटर तथा नेट विषय को क्रमशः परिशिष्ट—I और II में दिया गया है।

तालिका-11 : वि.अ.आ. नेट के लिए लेक्चरारशिप पात्रता (सम्मिलित जेआरएफ) जून, 2007 के अभ्यर्थियों का निष्पादन

वि.अ. आ. -नेट	श्रेणी		पुरुष			महिला			जोड़		
			परीक्षा दी	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण% (प्रतिशत परीक्षा देने वालों से)	परीक्षा दी	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण% (प्रतिशत परीक्षा देने वालों से)	परीक्षा दी	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण% (प्रतिशत परीक्षा देने वालों से)
जून, 2007	सामान्य	विकलांग	433	26	6.00	211	11	5.21	644	37	5.75
		जोड़ का प्रतिशत	2.56	3.23		0.84	0.81		1.54	1.71	
		नेत्रहीन	92	13	14.13	61	8	13.11	153	21	13.73
		जोड़ का प्रतिशत	0.54	1.62		0.24	0.59		0.37	0.97	
		अन्य	16401	765	4.66	24718	1338	5.41	41119	2103	5.11
		जोड़ का प्रतिशत	96.90	95.15		98.91	98.60		98.10	97.32	
		जोड़	16926	804		24990	1357		41916	2161	
	अन्य पिछड़ वर्ग	विकलांग	351	19	5.41	110	2	1.82	461	21	4.56
		जोड़ का प्रतिशत	2.38	3.63		1.02	0.56		1.80	2.39	
		नेत्रहीन	60	8	13.33	23	0	0.00	83	8	9.64
		जोड़ का प्रतिशत	0.41	1.53		0.21	0.00		0.32	0.91	
		अन्य	14351	497	3.46	10682	352	3.30	25033	849	3.39
		जोड़ का प्रतिशत	97.22	94.85		98.77	99.44		97.87	96.70	
		जोड़	14762	524	3.55	10815	354	3.27	25577	878	3.43
	अ.जा.	विकलांग	143	14	9.79	31	5	16.13	174	19	10.92
		जोड़ का प्रतिशत	1.25	1.08		0.45	0.61		0.95	0.90	
		नेत्रहीन	28	6	21.43	11	0	0.00	39	6	15.38
		जोड़ का प्रतिशत	0.24	0.46		0.16	0.00		0.21	0.28	
		अन्य	11306	1273	11.26	6805	809	11.89	18111	2082	11.50
		जोड़ का प्रतिशत	98.51	98.45		99.39	99.39		98.84	98.81	
		जोड़	11477	1293	11.27	6847	814	11.89	18324	2107	11.50
	अ.ज.जा.	विकलांग	41	5	12.20	10	1	10.00	51	6	11.76
		जोड़ का प्रतिशत	1.24	1.26		0.38	0.40		0.86	0.93	
		नेत्रहीन	5	1	20.00	1	0	0.00	6	1	16.67
		जोड़ का प्रतिशत	0.15	0.25		0.04	0.00		0.10	0.15	
		अन्य	3268	390	11.93	2592	250	9.65	5860	640	10.92
		जोड़ का प्रतिशत	98.61	98.48		99.58	99.60		99.04	98.92	
		जोड़	3314	396	11.95	2603	251	9.64	5917	647	10.93
	कुल मिलाकर	विकलांग	968	64	6.61	362	19	5.25	1330	83	6.24
		जोड़ का प्रतिशत	2.08	2.12		0.80	0.68		1.45	1.43	
		नेत्रहीन	185	28	15.14	96	8	8.33	281	36	12.81
		जोड़ का प्रतिशत	0.40	0.93		0.21	0.29		0.31	0.62	
		अन्य	45326	2925	6.45	44797	2749	6.14	90123	5674	6.30
		जोड़ का प्रतिशत	97.52	96.95		98.99	99.03		98.24	97.95	
		जोड़	46479	3017	6.49	45255	2776	6.13	91734	5793	6.31

तालिका-III : वि.अ.आ. नेट के लिए लेक्चररशिप पात्रता (जेआरएफ सहित) हेतु दिसम्बर, 2007 के दौरान अभ्यर्थियों का निष्पादन

वि.अ. आ. -नेट	श्रेणी		पुरुष			महिला			जोड़		
			परीक्षा दी	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण% (प्रतिशत परीक्षा देने वालों से)	परीक्षा दी	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण% (प्रतिशत परीक्षा देने वालों से)	परीक्षा दी	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण% (प्रतिशत परीक्षा देने वालों से)
दिसम्बर 2007	सामान्य	विकलांग	506	28	5.53	212	13	6.13	718	41	5.71
		जोड़ का प्रतिशत	2.64	3.45		0.74	0.94		1.50	1.86	
		नेत्रहीन	107	7	6.54	51	5	9.80	158	12	7.59
		जोड़ का प्रतिशत	0.56	0.86		0.18	0.36		0.33	0.55	
		अन्य	18584	777	4.18	28459	1370	4.81	47043	2147	4.56
		जोड़ का प्रतिशत	96.81	95.69		99.08	98.70		98.17	97.59	
		जोड़	19197	812	4.23	28722	1388	4.83	47919	2200	4.59
	अन्य पिछड़ वर्ग	विकलांग	422	11	2.61	106	4	3.77	528	15	2.84
		जोड़ का प्रतिशत	2.56	2.20		0.81	0.99		1.78	1.66	
		नेत्रहीन	87	9	10.34	16	1	6.25	103	10	9.71
		जोड़ का प्रतिशत	0.53	1.80		0.12	0.25		0.35	1.11	
		अन्य	15972	480	3.01	13003	399	3.07	28975	879	3.03
		जोड़ का प्रतिशत	96.91	96.00		99.07	98.76		97.87	97.23	
		जोड़	16481	500	3.03	13125	404	3.08	29606	904	3.05
	अ.जा.	विकलांग	170	16	9.41	54	3	5.56	224	19	8.48
		जोड़ का प्रतिशत	1.34	1.24		0.67	0.34		1.08	0.87	
		नेत्रहीन	32	5	15.63	13	2	15.38	45	7	15.56
		जोड़ का प्रतिशत	0.25	0.39		0.16	0.22		0.22	0.32	
		अन्य	12471	1273	10.21	7943	890	11.20	20414	2163	10.60
		जोड़ का प्रतिशत	98.41	98.38		99.16	99.44		98.70	98.81	
		जोड़	12673	1294	10.21	8010	895	11.17	20683	2189	10.58
	अ.ज.जा.	विकलांग	35	2	5.71	14	0	0.00	49	2	4.08
		जोड़ का प्रतिशत	0.95	0.54		0.47	0.00		0.74	0.31	
		नेत्रहीन	2	0	0.00	3	0	0.00	5	0	0.00
		जोड़ का प्रतिशत	0.05	0.00		0.10	0.00		0.08	0.00	
		अन्य	3648	365	10.01	2957	271	9.16	6605	636	9.63
		जोड़ का प्रतिशत	99.00	99.46		99.43	100.00		99.19	99.69	
		जोड़	3685	367	9.96	2974	271	9.11	6659	638	9.58
	कुल मिलाकर	विकलांग	1133	57	5.03	386	20	5.18	1519	77	5.07
		जोड़ का प्रतिशत	2.18	1.92		0.73	0.68		1.45	1.30	
		नेत्रहीन	228	21	9.21	83	8	9.64	311	29	9.32
		जोड़ का प्रतिशत	0.44	0.71		0.16	0.27		0.30	0.49	
		अन्य	50675	2895	5.71	52362	2930	5.60	103037	5825	5.65
		जोड़ का प्रतिशत	97.38	97.38		99.11	99.05		98.25	98.21	
		जोड़	52036	2973	5.71	52831	2958	5.60	104867	5931	5.66

तालिका-IV : कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के लिए जून, 2007 में हुई वि.अ.आ. नेट की परीक्षा में अभ्यर्थियों का निष्पादन

वि.अ. आ. -नेट	श्रेणी		पुरुष			महिला			जोड़		
			परीक्षा दी	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण% (प्रतिशत परीक्षा देने वालों से)	परीक्षा दी	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण% (प्रतिशत परीक्षा देने वालों से)	परीक्षा दी	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण% (प्रतिशत परीक्षा देने वालों से)
जून, 2007	सामान्य	विकलांग जोड़ का प्रतिशत	269 2.73	1 1.25	0.37	137 0.84	3 1.96	2.19	406 1.55	4 1.72	0.99
		नेत्रहीन जोड़ का प्रतिशत	60 0.61	3 3.75	5.00	30 0.18	0 0.00	0.00	90 0.34	3 1.29	3.33
		अन्य जोड़ का प्रतिशत	9541 96.67	76 95.00	0.80	16079 98.97	150 98.04	0.93	25620 98.10	226 97.00	0.88
		जोड़	9870	80	0.81	16246	153	0.94	26116	233	0.89
	अन्य पिछड़ वर्ग	विकलांग जोड़ का प्रतिशत	236 2.29	5 7.04	2.12	69 15.00	0 0.00	0.00	305 1.76	5 5.21	1.64
		नेत्रहीन जोड़ का प्रतिशत	43 0.42	3 4.23	6.98	15 0.21	0 0.00	0.00	58 0.33	3 3.13	5.17
		अन्य जोड़ का प्रतिशत	10028 97.29	63 88.73	0.63	6933 98.80	25 100.00	0.36	16961 97.90	88 91.67	0.52
		जोड़	10307	71	0.69	7017	25	0.36	17324	96	0.55
	अ.जा.	विकलांग जोड़ का प्रतिशत	91 1.18	1 2.08	1.10	22 0.50	0 0.00	0.00	113 0.93	1 1.12	0.88
		नेत्रहीन जोड़ का प्रतिशत	23 0.30	0 0.00	0.00	10 0.23	0 0.00	0.00	33 0.27	0 0.00	0.00
		अन्य जोड़ का प्रतिशत	7613 98.52	47 97.92	0.62	4364 99.27	41 100.00	0.94	11977 98.80	88 98.88	0.73
		जोड़	7727	48	0.62	4396	41	0.93	12123	89	0.73
	अ.ज.जा.	विकलांग जोड़ का प्रतिशत	27 1.21	1 4.55	3.70	5 0.30	0 0.00	0.00	32 0.82	1 3.33	3.13
		नेत्रहीन जोड़ का प्रतिशत	3 0.13	0 0.00	0.00	1 0.06	0 0.00	—	4 0.10	0 0.00	0.00
		अन्य जोड़ का प्रतिशत	2196 98.65	21 95.45	0.96	1648 99.64	8 100.00	0.49	3844 99.07	29 96.67	0.75
		जोड़	2226	22	0.99	1654	8	0.48	3880	30	0.77
	कुल मिलाकर	विकलांग जोड़ का प्रतिशत	623 2.07	8 3.62	1.28	233 0.79	3 1.32	1.29	856 1.44	11 2.46	1.29
		नेत्रहीन जोड़ का प्रतिशत	129 0.43	6 2.71	4.65	56 0.19	0 0.00	0.00	185 0.31	6 1.34	3.24
		अन्य जोड़ का प्रतिशत	29378 97.50	207 93.67	0.70	29024 99.01	224 98.68	0.77	58402 98.25	431 96.21	0.74
		जोड़	30130	221	0.73	29313	227	0.77	59443	448	0.75

तालिका-V : कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के लिए दिसम्बर, 2007 में हुई वि.अ.आ. नेट की परीक्षा में अभ्यर्थियों का निष्पादन

वि.अ. आ. -नेट	श्रेणी		पुरुष			महिला			जोड़		
			परीक्षा दी	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण% (प्रतिशत परीक्षा देने वालों से)	परीक्षा दी	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण% (प्रतिशत परीक्षा देने वालों से)	परीक्षा दी	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण% (प्रतिशत परीक्षा देने वालों से)
जून, 2007	सामान्य	विकलांग जोड़ का प्रतिशत	321 2.89	4 4.21	1.25	142 0.76	4 2.60	2.82	463 1.55	8 3.21	1.73
		नेत्रहीन जोड़ का प्रतिशत	63 0.57	1 1.05	1.59	33 0.18	0 0.00	0.00	96 0.32	1 0.40	1.04
		अन्य जोड़ का प्रतिशत	10719 96.54	90 94.74	0.84	18565 99.07	150 97.40	0.81	29284 98.13	240 96.39	0.82
		जोड़	11103	95	0.86	18740	154	0.82	29843	249	0.83
	अन्य पिछड़ वर्ग	विकलांग जोड़ का प्रतिशत	303 2.71	4 8.00	1.32	72 0.85	0 0.00	0.00	375 1.91	4 5.26	1.07
		नेत्रहीन जोड़ का प्रतिशत	64 0.57	1 2.00	1.56	12 0.14	0 0.00	0.00	76 0.39	1 1.32	1.32
		अन्य जोड़ का प्रतिशत	10823 96.72	45 90.00	0.42	8379 99.01	26 100.00	0.31	19202 97.71	71 93.42	0.37
		जोड़	11190	50	0.45	8463	26	0.31	19653	76	0.39
	अ.जा.	विकलांग जोड़ का प्रतिशत	120 1.43	0 0.00	0.00	37 0.72	0 0.00	0.00	157 1.16	0 0.00	0.00
		नेत्रहीन जोड़ का प्रतिशत	17 0.20	0 0.00	0.00	9 0.17	0 0.00	0.00	26 0.19	0 0.00	0.00
		अन्य जोड़ का प्रतिशत	8254 98.37	62 100.00	0.75	5102 99.11	27 100.00	0.53	13356 98.65	89 100.00	0.67
		जोड़	8391	62	0.74	5148	27	0.52	13539	89	0.66
	अ.ज.जा.	विकलांग जोड़ का प्रतिशत	23 0.91	0 0.00	0.00	7 0.36	0 0.00	0.00	30 0.67	0 0.00	0.00
		नेत्रहीन जोड़ का प्रतिशत	1 0.04	0 0.00	0.00	1 0.05	0 0.00	0.00	2 0.04	0 0.00	0.00
		अन्य जोड़ का प्रतिशत	2516 99.06	21 100.00	0.83	1941 99.59	13 100.00	0.67	4457 99.29	34 100.00	0.76
		जोड़	2540	21	0.83	1949	13	0.67	4489	34	0.76
	कुल मिलाकर	विकलांग जोड़ का प्रतिशत	767 2.31	8 3.51	1.04	258 0.75	4 1.82	1.55	1025 1.52	12 2.68	1.17
		नेत्रहीन जोड़ का प्रतिशत	145 0.44	2 0.88	1.38	55 0.16	0 0.00	0.00	200 0.30	2 0.45	1.00
		अन्य जोड़ का प्रतिशत	32312 97.25	218 95.61	0.67	33987 99.09	216 98.18	0.64	66299 98.19	434 96.88	0.65
		जोड़	33224	228	0.69	34300	220	0.64	67524	448	0.66

तालिका-VI : सी.एस.आई.आर. – वि.अ.आ. नेट के अंतर्गत कवर किए विज्ञान के विषयों की सूची :

क्र.सं.	विषय
1.	रसायन विज्ञान
2.	पृथ्वी, वायुमण्डलीय समुद्र तथा ग्रह विज्ञान
3.	जीवन विज्ञान
4.	गणितीय विज्ञान
5.	भौतिकी विज्ञान

तालिका-VII : संयुक्त सी.एस.आई.आर. – वि.अ.आ. नेट के उम्मीदवारों का निष्पादन :

संयुक्त सी.एस.आई.आर. – वि.अ.आ. नेट	निम्नलिखित के लिए पात्र उम्मीदवारों की संख्या			
	वि.अ.आ.– जे.आर.एफ.	सी.एस.आई.आर. –जे.आर.एफ.	केवल लेक्चररशिप	लेक्चररशिप (जे.आर.एफ. सहित)
जून, 2007	300	1144	1046	2490
दिसम्बर, 2007	300	1307	1218	2825

वर्ष 2007-08 के दौरान वि.अ.आ.-नेट परीक्षा आयोजित करने के लिए 4.62 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था। इसमें नेट ब्यूरो दिल्ली व नेट कार्यालय, पुणे में गोपनीय कार्यशाला आयोजित करने पर हुआ व्यय शामिल नहीं है।

नेट समीक्षा समिति

1989 में नेट की स्थापना के बाद नेट की कोई भी बृहद समीक्षा वि.अ.आ. या केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं हुई है। अतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने नेट समीक्षा समिति का गठन प्रोफेसर बालचन्द्र मुंगेर, सदस्य योजना आयोग, भारत सरकार, सचिव, वि.अ.आ. संयोजक एवं सचिव, नेट अनुभाग, मेम्बर सैक्रेटरी की अध्यक्षता में किया ताकि नेट उपयोगिता, प्रभावकारिता एवं निरन्तरता पर विचार कर सके।

समिति ने इस उद्देश्य से समाज के विभिन्न भागों से अपने-अपने विचार नेट उन्नति एवं नेट-अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों, कुलपतियों, शिक्षण समुदाय के वरिष्ठ प्रोफेसरों, रीडर्स एवं लैक्चररों से एवं शैक्षिक प्रशासकों से मांगे। वि.अ.आ. की वेबसाइट पर उपर्युक्त प्रश्नावली लोड कर दी गई और साथ ही पत्राचार के माध्यम से प्रचार किया गया है। छात्रों, शिक्षकों, कुलपतियों के विचारों को जानने के लिए क्षेत्रीय सम्मेलनों का भी आयोजन किया गया। नेट-पेपर निर्माताओं एवं मूल्यांकनकर्ताओं से कई बार बैठकें कर उन्हें भी आमंत्रित किया गया था।

ऐसा महसूस किया गया कि जब तक समिति कोई अंतिम निर्णय पर पहुंचे, वि.अ.आ. इच्छुक शिक्षकों को समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर, कुछ राहत दे सके। इसके परिणामस्वरूप वि.अ.आ. ने अपनी अधिसूचना एफ. नं.1-1/2002(पीएस).छूट, दिनांक 14 जून, 2006 द्वारा निम्नलिखित नियमों को तुरन्त लागू किया :-

“लैक्चरार की नियुक्ति के लिए “नेट हमेशा ही एक अनिवार्य आवश्यकता रहेगी। फिर भी संबंधित विषयों में धारक अभ्यर्थी, जो पीएचडी हैं उन्हें स्नातकोत्तर और स्नातक पूर्व स्तर के शिक्षण के लिए नेट से छूट है। संबद्ध विषयों में एम.फिल. पाने वाले अभ्यर्थी को भी नेट से छूट केवल स्नातक पूर्व स्तर तक शिक्षण के लिए ही है।”

नेट समीक्षा की अंतिम रिपोर्ट वि.अ.आ. द्वारा अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। जिसे माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को प्रस्तुत किया गया था, वह आयोग के समक्ष सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

राज्य पात्रता परीक्षा (एस ई टी)

भारत सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना दिनांक 22.7.1988 के जरिए दिए गए अध्यादेश के अनुसार, राज्य सरकारों के अनुरोध पर वि.अ.आ. ने राज्य सरकार की **राज्य पात्रता परीक्षा(एस.ई.टी.)**, जिन्हें पहले एस.एल.ई.टी. कहा जाता था, आयोजित करने की अनुमति दे दी जिससे उन्हें विधिवत् वि.अ.आ. द्वारा नियत अवधि के लिए मान्यता दी गई। एस.ई.टी. का पैटर्न भी वि.अ.आ. द्वारा संचालित नेट परीक्षा जैसा है।

कुछ राज्यों के लैक्चरारशिप की पात्रता के लिए अपनी परीक्षा आयोजित करने की प्रतिक्रिया में वि.अ.आ. ने अब तक केवल लैक्चरारशिप के लिए एस.ई.टी. के आयोजन के लिए निम्नलिखित राज्यों/समूहों को मान्यता देने की मंजूरी दी है। एस.ई.टी. अभिकरणों के निष्पादन की वि.अ.आ. द्वारा आवधिक तौर पर विशेषज्ञों की सहायता से पुनरीक्षा की जाती है और उनके प्रत्यायन का निर्धारित अवधि के लिए नवीकरण किया जाता है। वि.अ.आ. नेट ब्यूरो के प्रमुख सेट अभिकरणों की विषय संचालन और आधुनिकीकरण समितियों के, स्थायी सदस्य होते हैं, जिनका गठन परीक्षाओं के आयोजित करने और परिणामों को घोषित करने के समग्र पर्यवेक्षक के लिए किया जाता है।

जिन उम्मीदवारों ने राज्य पात्रता परीक्षा (सेट), जिसका वि.अ.आ. द्वारा लैक्चरारशिप के लिए 1 जून, 2002 से पूर्व प्रत्यायन किया हो, को नेट परीक्षा में बैठने से छूट दे दी जाती है। **1 जून, 2002 में या उसके बाद होने के लिए सुनिश्चित सेट में पास होने वाले उम्मीदवार राज्य से संबंधित केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में लैक्चरार के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे जहां से उन्होंने अपना सेट पास किया होगा।** तथापि, ऐसे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र भी होंगे, यदि वे ऐसा चाहें तो।

सेट की परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यय को संबंधित राज्यों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

वर्ष 2007-08 के दौरान निम्नलिखित राज्यों/समूहों ने सफलतापूर्वक एस.ई.टी. की परीक्षा आयोजित की :-

- (i) जम्मू और कश्मीर
- (ii) हिमाचल प्रदेश
- (iii) महाराष्ट्र और गोवा
- (iv) उत्तर पूर्व राज्य (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं)

5.20 यूजीसी स्वामी प्रणवानंद सरस्वती पुरस्कार, यूजीसी राष्ट्रीय हरिओम आश्रम न्यास पुरस्कार तथा यूजीसी वेद व्यास संस्कृत पुरस्कार

• यूजीसी नेशनल प्रणवानन्द सरस्वती पुरस्कार

स्वामी प्रणवानंद सरस्वती अवार्ड, निदेशक योग सोसाइटीज, अमरीका द्वारा दिए गए 5.00 लाख रुपये के दान की सहायता में, वि.अ.आ. ने निम्नलिखित पुरस्कार प्रारंभ किए हैं जो कि वर्ष 1985 से आगे उत्कृष्ट विद्वतापूर्ण/वैज्ञानिक कार्य जिससे मानव ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान हुआ है और समस्याओं पर नए तरीके से प्रकाश डाला है, हर वर्ष दिए जा रहे हैं। प्रत्येक पुरस्कार में 50,000 रुपये दिए जाते हैं जिसमें वि.अ.आ. का

40,000 रुपये का भाग शामिल हैं। पुरस्कार पांच क्षेत्रों में दिए जाते हैं अर्थात् शिक्षा, अर्थशास्त्र, पर्यावरणीय विज्ञान और पारिस्थितिकीय विज्ञान, राजनीतिक शासन, समाज विज्ञान। इन पुरस्कारों के लिए विश्वविद्यालय प्रणाली में कार्य करने वाले भारतीय या वे जो उन विश्वविद्यालयों या संस्थानों से संबद्ध हैं जिन्हें अनुसंधान/अग्रिम अध्ययन के लिए मान्यता प्राप्त है, पात्र हैं/भारतीय विद्वानों द्वारा इन अवार्डों के लिए किए गए योगदान पर जीवन में एक बार ही विचार किया जाएगा।

वर्ष 2007–08 के दौरान कोई पुरस्कार नहीं दिए गए।

- **यूजीसी नेशनल हरिओम आश्रम न्यास पुरस्कार**

हरिओम आश्रम न्यास, नदियाद द्वारा दिए दान की सहायता से वि.अ.आ. ने इन पुरस्कारों को शुरू किया है जो हर वर्ष उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को वर्ष 1974 के बाद से दिए जाते हैं। अब प्रत्येक पुरस्कार में 50,000 रुपये दिए जाते हैं जिसमें वि.अ.आ. का 40,000 रुपये का हिस्सा शामिल है।

वर्ष 2007–08 के दौरान कोई पुरस्कार नहीं दिए गए।

- **यूजीसी वेद व्यास राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार**

वर्ष 2000 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संस्कृत में गुणवत्ता शिक्षण/अनुसंधान के संवर्द्धन के लिए और उत्कृष्ट अध्यापक का पता लगाने और उसे मान्यता देने के लिए और शिक्षण अनुसंधान/नवाचारों/नए कार्यक्रमों तथा संस्कृत भाषा के संवर्द्धन के लिए वि.अ.आ. वेद व्यास राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार शुरू किया है। यह पुरस्कार वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार है और इसमें 1,00,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र शामिल है। वि.अ.आ. के क्षेत्राधिकार वाले सभी अध्यापक जो संस्कृत विभाग में स्नातकोत्तर/स्नातक पूर्व अध्यापन कार्य में संलग्न हैं, इसके लिए पात्र हैं।

यह पुरस्कार संस्कृत शिक्षकों को उनके शिक्षा शोध में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है जिन्होंने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने में पर्याप्त योगदान दिया है।

वर्ष 2007–08 के दौरान कोई पुरस्कार नहीं दिए गए।

6 अनुसंधान को प्रोत्साहन देना

6.1 शिक्षकों के लिए अनुसंधान परियोजनाएँ :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बृहद एवं लघु कला, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य, शुद्ध विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, शेषज, चिकित्सा, कृषि विज्ञान आदि उभरते हुए क्षेत्रों में शिक्षा एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्नशील है जैसे स्वास्थ्य, वृद्धावस्था विज्ञान, पर्यावरण, जैव-प्रौद्योगिकी, नैनो-प्रौद्योगिकी, दबाव प्रबंधन, विश्व व्यापार संगठन तथा अर्थव्यवस्था, विज्ञान इतिहास, एशियन दर्शन शास्त्र तथा विषय विशेषज्ञों द्वारा पहचाने गए अनेक अन्य क्षेत्रों पर दिए जाने की आवश्यकता है जो एक विशिष्ट विषय से संबंधित नहीं हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय और कालेजों में अनुसंधान कार्यक्रम को समर्थन प्रदान कर उच्च शिक्षा में अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देना है।

वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत विश्वविद्यालय और कॉलेजों में नियमित/स्थायी, सेवानिवृत्त/कार्यरत शिक्षक ही इसके लिए पात्र हैं। अनुसंधान परियोजना को एक शिक्षक या शिक्षकों के एक समूह द्वारा आरंभ किया जा सकता है। उप-कुलाधिपति, प्रधानाचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष के अलावा शारीरिक शिक्षा के शिक्षक भी इस योजना में भाग लेने हेतु पात्र हैं। किसी भी एक समय कार्यरत या सेवानिवृत्त शिक्षक के पास वि.अ.आ. की केवल परियोजना/स्कीम होनी चाहिए। 70 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक भी योजना में भाग ले सकते हैं। सेवानिवृत्त शिक्षकों के मामले में उस विभाग का सह-अन्वेषक (नियमित शिक्षक) होना आवश्यक है जहां परियोजना कार्य किया जाना है।

आयोग उन कॉलेज व विश्वविद्यालय के शिक्षकों विशेष कर लैक्चरारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है जो किसी स्वीकृत पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण में शिक्षण कार्य के साथ लघु अनुसंधान परियोजना या डॉक्टोरेट उपाधि के लिए कार्य कर रहे हैं। लघु अनुसंधान परियोजना के लिए सेवानिवृत्त शिक्षक पात्र नहीं हैं।

अनुसंधान परियोजना के लिए दी जाने वाली सहायता निम्नवत है :

- अभियांत्रिकी एवं तकनीकी प्रौद्योगिकी, चिकित्सा शेषज, कृषि आदि सहित विज्ञान में मुख्य अनुसंधान परियोजना 12.00 लाख रुपये
- मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य, कला, विधि तथा संबद्ध विषयों में मुख्य अनुसंधान परियोजना 10.00 लाख रुपये
- विज्ञान में लघु अनुसंधान परियोजना 2.00 लाख रुपये
- मानविकी और सामाजिक विज्ञान में लघु अनुसंधान परियोजना 1.50 लाख रुपये

वि.अ.आ. द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता पुस्तकों एवं जर्नल, अनुसंधान कर्मियों, भाड़े पर ली गई सेवाओं, आकस्मिताओं, रसायन तथा उपभोज्य मदों, यात्रा तथा फील्ड कार्य तथा किसी अन्य विशेष आवश्यकता के लिए है तथापि, अनुसंधान कर्मियों के लिए सहायता को लघु अनुसंधान परियोजना में प्रदान नहीं किया जाएगा।

वि.अ.आ., परियोजना अवधि के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान स्टाफ को सहायता प्रदान करने हेतु शामिल करने के लिए अनुमोदित कर सकता है। अनुसंधान कर्मचारी, अनुसंधान परियोजना पर मुख्य अन्वेषक के साथ पूर्णकालिक अवधि के लिए कार्य करेगा।

• पोस्ट डॉक्टरल फैलो (पी.डी.एफ)

45 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, जिसके पास डॉक्टोरेट की उपाधि है अथवा संबंधित क्षेत्र में उसके द्वारा प्रकाशित अनुसंधान कार्य हैं, वह पी.डी.एफ. के रूप में संलग्न हो सकता है। पी.डी.एफ. की परिलब्धियाँ 12,000/- रुपये प्रति माह (निश्चित) है जिसमें मकान किराया भत्ता भी शामिल होगा।

- **परियोजना एसोसियेट (पी.ए.)**

नेट-जे.आर.एफ./लैक्चरारशिप तथा सलेट परीक्षा उत्तीर्ण किए गए अभ्यर्थी को परियोजना फैलो के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। पी.एच.डी./एम.फिल. उपाधि धारकों, एम.ई./एम.टेक./एम.कॉम. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी परियोजना एसोसियेट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्ति के समय अभ्यर्थी की आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। परिलब्धियाँ 10,000 रुपये प्रति माह तथा मकान किराया भत्ता होगा।

- **परियोजना फैलो (पी.एफ.)**

परियोजना फैलो को 8000 रुपये प्रति माह + मकान किराया भत्ता के समेकित वेतन पर नियुक्त किया जा सकता है। परियोजना फैलो के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थी नियुक्त किए जाने के समय की आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए तथा कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी की निष्णांत उपाधि होनी चाहिए (अ.जा./अ.ज.जा./शा.वि. के मामले में 50 प्रतिशत) अथवा बी.ई./बी.टेक. एवं एम.बी.बी.एस. उपाधि प्राप्त व्यक्ति भी पी.एफ. के रूप में पात्र हैं।

सेवानिवृत्त शिक्षकों को 12,000/- रुपये प्रति माह की दर से मानदेय दिया जा सकता है। अगर मुख्य अन्वेषक की परियोजना अवधि के मध्य में 70 वर्ष की आयु हो जाती है और कुछ काम किया जाना शेष हो तो मुख्य अन्वेषक को शेष अवधि के लिए कार्य बिना मानदेय के पूरा करना चाहिए। अगर परियोजना अवधि के बीच में कोई शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है तो एक शपथ पत्र, जिसपर उसकी जन्म तिथि, सेवानिवृत्त की तिथि दी गई हो और यह बताया गया हो कि वह कहीं भी नियोजित नहीं है अथवा वह किसी अन्य सरकारी/गैर-सरकारी संगठन से कोई मानदेय प्राप्त नहीं कर रहा है, दिया जाना चाहिए तथा 'ओथ कमीशनर' द्वारा सत्यापित किया गया हो विभाग के डीन तथा संस्थान के प्रमुख जिस पर साक्षी हो।

वि.अ.आ. मामला आधार पर परियोजना के लिए मूलभूत रूप से आवंटित निधियों के पुनर्विनियोजन पर विचार कर सकता है। अनावर्ती से आवर्ती का पुनर्विनियोजन अनुमेय नहीं है। मुख्य अन्वेषक प्रत्येक शीर्ष (केवल आवर्ती) के तहत आवंटित अनुदान का 20 प्रतिशत तक पुनर्विनियोजित कर सकता है। अध्येतावृत्ति के लिए अनुदान को पुनर्विनियोजित नहीं किया जा सकता है।

मानविकी, सामाजिक विज्ञान आदि के लिए बृहद अनुसंधान परियोजना की अवधि 24 माह तथा विज्ञान तथा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी के लिए छह माह के समय विस्तार के साथ 36 माह होगी। समय विस्तार केवल विशेष परिस्थितियों में दिया जाएगा तथा यह बिना किसी वित्तीय सहायता के होगा। समय विस्तार के दौरान सेवानिवृत्त शिक्षकों को मानदेय तथा अनुसंधान कर्मियों के लिए अध्येतावृत्ति नहीं दी जाएगी। लघु अनुसंधान परियोजना की अवधि तीन माह के समय विस्तार के साथ 18 माह होगी। परियोजना के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि संस्थान द्वारा निधियों की प्राप्ति की तिथि अथवा आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होगी।

प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के आठ सप्ताह के भीतर किए गए कार्य की प्रगति की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को आयोग को प्रस्तुत करना होगा। वि.अ.आ. विश्वविद्यालय की चल रही सभी बृहद परियोजनाओं की मध्यावधि समीक्षा बैठक मुख्यालय तथा कॉलेजों के संबंध में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाएगा जिन्होंने डेढ़ वर्ष या दो वर्ष की अवधि पूरी कर ली है। मुख्य अन्वेषक को एक विशेषज्ञ समिति के समक्ष किए जा रहे कार्य के प्रस्तुतिकरण हेतु बुलाया जाएगा। मध्यावधि समीक्षा पर हुआ व्यय परियोजना निधियों से किया जाएगा।

वि.अ.आ. की मध्यावधि मूल्यांकन समिति परियोजना को जारी रखने पर विचार करेगी। अगर परियोजना का मुख्य अन्वेषक मध्यावधि समीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं होता है तो समिति सामान्य परिस्थितियों में परियोजना को रद्द कर सकता है तथा पी.आई. द्वारा वि.अ.आ. को संपूर्ण राशि लौटानी होगी।

बृहत और लघु (केवल विश्वविद्यालय के लिए लघु) परियोजनाओं के लिए वि.अ.आ. द्वारा अनुमोदित, बजट आबंटित और विनियुक्त अनुदानों की रिपोर्टाधीन वर्ष में संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र.सं.	संकाय	वर्ष 2007-08 के दौरान बजट आबंटन (रुपये करोड़ में)	वर्ष 2007-08 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	संस्तुत की गई परियोजनाओं की संख्या	जारी अनुदान (रुपये करोड़ में)	महिला अन्वेषकों की संख्या
1.	शेषज एवं आयुर्विज्ञान सहित विज्ञान, अभियांत्रिकी सहित लघु एवं दीर्घ परियोजना	37.00	दीर्घ-1057 लघु-111	दीर्घ-407 लघु-82	35.80	109
2.	कला, समाज विज्ञान एवं भाषाएँ	13.98	दीर्घ-981 लघु-125	दीर्घ-393 लघु-92	13.98	57

नोट : वि.अ.आ. ने 3041 लघु अनुसंधान परियोजनाओं (1409 विज्ञान में और 1632 कला एवं समाजविज्ञान में) को अनुमोदित किया। वर्ष 2007-08 के दौरान 12.15 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया।

6.2 शिक्षकों को अनुसंधान पुरस्कार

अनुसंधान पुरस्कार की योजना विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के स्थाई शिक्षकों को विशेषता के अपने-अपने क्षेत्र में अनुसंधान कार्य में तीन वर्ष की पूरी अवधि बिताने का अवसर प्रदान करती है और इसके लिए उन शिक्षण का कोई दायित्व नहीं होता है जिन शिक्षकों के पास डॉक्टरेट की डिग्री है। जिन्होंने अनुसंधान में उत्कृष्टता प्रदर्शित की है उन पर पुरस्कार के लिए विचार किया जाता है।

100 स्लाट के लिए यह चयन विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी के सभी विषयों में प्रत्येक एक वर्ष छोड़कर एक वर्ष किए जाते हैं। वि.अ.आ. चुने हुए अनुसंधान अवार्डियों को अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए वेतन व अनुसंधान अनुदान उपलब्ध कराता है।

अब, आयोग ने इस योजना को आशोधित कर दिया है और आवेदक की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अ.जा./अ.ज.जा./महिलाओं व शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों पर 50 वर्ष तक की आयु तक विचार किया जाएगा। यह अवार्ड केवल दो वर्ष की अवधि के लिए होते हैं। आयोग ने अनुसंधानकर्ताओं के आकस्मिक व्यय हेतु मानविकी, भाषाओं तथा सामाजिक विज्ञान के लिए अनुसंधान अनुदान को बदलकर 2.00 लाख रुपये तथा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए 3.00 लाख रुपये कर दिया गया है।

वर्ष 2007-08 के दौरान 5.61 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

6.3 इमेरिटस अध्येतावृत्तियाँ

इमेरिटस अध्येतावृत्तियाँ योजना को वि.अ.आ. की धारा 12(च) तथा 12(ख) के तहत अनुमोदित विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है, जो पूर्व के वर्षों के दौरान अनुसंधान तथा शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यू.जी.सी. अधिनियम के तहत सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके संबंधित विशिष्टता के क्षेत्र में सक्रिय अनुसंधान जारी रखने का अवसर प्रदान करना है।

लक्षित समूह भली भांति शिक्षा प्राप्त एवं अनुभव प्राप्त सेवानिवृत्त अथवा छह माह के भीतर सेवानिवृत्त होने की संभावना वाले मान्यताप्राप्त संस्थानों के शिक्षक हैं। इस अध्येतावृत्ति के लिए पात्रता को शिक्षक द्वारा उसके सेवाकाल में

अनुसंधान की गुणवत्ता तथा शिक्षक द्वारा प्रकाशित कार्य में योगदान के आधार पर आंका जाता है। अवार्डी (सेवानिवृत्त) इस योजना के तहत 70 वर्ष की आयु तक अथवा दो वर्ष (जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है) जो भी पहले हो, के भीतर सुस्थापित समयाबद्ध कार्ययोजना के तहत कार्य कर सकता है। अध्येतावृत्ति का पैटर्न निम्नवत् है :-

- विज्ञान विषयों के लिए स्लाट की संख्या : 100 (प्रत्येक एक वर्ष छोड़कर)
- मानविकी/सामाजिक विज्ञान तथा भाषाओं के लिए स्लाटों की संख्या : 100 (प्रत्येक एक वर्ष छोड़कर)
- कुल : 200
- मानदेय : दो वर्षों तक 20,000 रुपये प्रति माह (जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता)
- आकस्मिता अनुदान (अव्यपगत) : 50,000 रुपये प्रति वर्ष

आकस्मिता अनुदान को सचिव सहायता, जो कि अनुसंधान परियोजना से जुड़े स्थानों की देश के भीतर यात्रा, लेखन सामग्री, डाक सामग्री, उपभोज्य, पुस्तकें तथा जर्नल एवं उपस्करों के लिए उपयोग किया जा सकता है। अवार्डी के अनुमोदित अनुसंधान कार्य के साथ जुड़े स्थानों पर वर्ष में एक बार विदेश यात्रा की अनुमति है जोकि उस संस्थान जहां परियोजना कार्य किया जा रहा है उसकी पूर्व अनुमति तथा वि.अ.आ. की अनापत्ति के अधीन है। इमेरिटस फैलो को आवास के अलावा विश्वविद्यालय संकाय के सदस्यों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं सहित अन्य सुविधाओं के हकदार होंगे।

6.4 अनुसंधान कार्यशालाएं, संगोष्ठियां तथा सम्मेलन

वि.अ.आ. राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर अनुसंधान कार्यशालाएं, संगोष्ठियां तथा सम्मेलन आदि कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं को उनके ज्ञान अनुभव तथा अनुसंधान को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु सुविधाएं प्रदान कर कॉलेजों में उच्च स्तरों को बढ़ावा देना है।

अध्येतावृत्ति को अनुसंधान की नकल, असंतोषजनक कार्य तथा बाद में अभ्यर्थी की अपात्रता का पता लगने पर रद्द किया जा सकता है। वर्ष 2007–08 के दौरान 2.75 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

स्कीम का मूलभूत उद्देश्य ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों से अकादमिशियनों तथा विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। यह अकादमी तथा साथ ही अनुसंधान संस्थानों से जुड़े भागीदारों के विषयों के संबंध में गहराई से विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करता है तथा उनके ज्ञान को अद्यतन करता है।

अनुसंधान कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/परिचर्चा/सम्मेलनों को आयोजित करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के 40 कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, भारतीय विज्ञान कांग्रेस तथा (ii) इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस का आयोजन करने के लिए आंध्र विश्वविद्यालय तथा एस.एन.डी.टी. विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस तथा इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस को वित्तीय सहायता क्रमशः 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तथा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।

आयोग ने अनुसंधान कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/परिचर्चा तथा सम्मेलन आदि की स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए दिल्ली कॉलेजों से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।

कॉलेजों से प्राप्त प्रस्ताव	40
स्वीकृत कॉलेजों से प्राप्त प्रस्ताव	40
भारतीय विज्ञान कांग्रेस तथा (ii) इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव	2

वि.अ.आ., मुख्यालय द्वारा सम्मेलन/कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के लिए पात्र कॉलेजों के 1.50 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के समक्ष, 1.09 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। वि.अ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों ने वर्ष 2007-08 के दौरान अनुसंधान संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के लिए 1906 प्रस्तावों को अनुमोदित किया तथा 8.77 करोड़ रुपये जारी किए।

6.5 विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) तथा अनुसंधान एसोशियेटशिप (आर.ए.)

भारतीय विश्वविद्यालयों में विज्ञान, कला तथा सामाजिक विज्ञान संकायों में एम.फिल./पी.एच.डी. करने के इच्छुक विदेशी नागरिकों से प्राप्त आवेदनों के विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन के आधार पर, वि.अ.आ. प्रत्येक वर्ष कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के लिए 20 अभ्यर्थियों का चुनाव करता है। अध्येतावृत्ति चार वर्ष की अवधि के लिए होती है (जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है)। अध्येतावृत्ति का पैटर्न निम्नवत है:-

कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.)

फैलोशिप	@ प्रथम दो वर्षों के लिए 10,000 रुपये प्रति माह की दर से @ शेष अवधि के लिए 14,000 रुपये प्रति माह की दर से
आकस्मिकता	@ प्रथम दो वर्ष मानविकी एवं समाज विज्ञान के लिए 10,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से @ विज्ञान के लिए 12,000 प्रतिवर्ष की दर से @ मानविकी एवं समाज विज्ञान हेतु शेष अवधि के लिए 20,500 रुपये प्रतिवर्ष की दर से @ विज्ञान हेतु शेष अवधि के लिए 25,000 प्रतिवर्ष की दर से
विभागीय सहायक/विकलांग भत्ता एवं आवास भत्ता	@ प्रत्येक जे.आर.एफ. 3000/- रुपये प्रतिवर्ष सहायता की दर से @ प्रत्येक जे.आर.एफ. 1000/- रुपये प्रतिवर्ष सहायता की दर से संस्थान के संबंधित नियमों के अनुसार

अनुसंधान एसोशियेटशिप (आर.ए.)

भारतीय विश्वविद्यालयों में विज्ञान, कला तथा सामाजिक विज्ञान संकायों में वाचस्पति उपरांत अनुसंधान जारी रखने के इच्छुक विदेशी नागरिकों से प्राप्त आवेदनों के विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन के आधार पर वि.अ.आ. अनुसंधान अध्येतावृत्ति के लिए सात अभ्यर्थियों का चयन करता है (निर्धारित अध्येतावृत्ति)। अध्येतावृत्ति चार वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी (जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है)।

फैलोशिप	चार वर्षों के लिए 16,000 रुपये प्रति माह (निश्चित)
आकस्मिकता	चार वर्षों के लिए 30,000 रुपये प्रति वर्ष (निश्चित)
विभागीय सहायता	10 प्रतिशत एसोशियेटशिप आमंत्रित करने वाली संस्था को आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए
आवास भत्ता	संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था नियमानुसार

6.6 भारतीय राष्ट्रियों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां

(क) विज्ञान, मानविकी और समाज विज्ञान में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां

जे.आर.एफ. योजना का उद्देश्य है कि विद्वानों को अनुसंधान करने के लिए अवसर प्रदान किया जाए ताकि विज्ञान, मानविकी और सामान्य विज्ञान में, भाषा और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में एम.फिल. और पी.एचडी. की उपाधियाँ मिलें। वि.अ.आ. उन अभ्यर्थियों को जे.आर.एफ. अवार्ड देता है जो वि.अ.आ./नेट और वि.अ.आ./सी.एस.आई.आर. की संयुक्त राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास करते हैं।

अध्येतावृत्तियों का पैटर्न निम्नवत् है :-

फैलोशिप	@ प्रथम दो वर्षों के लिए रु. 12,000/- प्रति माह की दर से @ शेष अवधि के लिए रु. 14,000/- प्रति माह की दर से	जे.आर.एफ. एस.आर.एफ.
आकस्मिकता(अ)	@ प्रथम दो वर्षों के लिए रु. 10,000/- प्रति वर्ष की दर से @ शेष अवधि के लिए रु. 20,500/- प्रति वर्ष की दर से	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान
आकस्मिकता(ब)	@ प्रथम दो वर्षों के लिए रु. 12,000/- प्रति वर्ष की दर से @ शेष अवधि के लिए रु. 25,000/- प्रति वर्ष की दर से	विज्ञान
विभागीय सहायता	@ 3,000/- रुपये प्रतिवर्ष प्रति छात्र की दर से आमंत्रित करने वाले संस्था को आधारभूत संरचना प्रदान करने हेतु	
सहायक/रीडर सहायता	@ शारीरिक विकलांग एवं नेत्रहीन अभ्यर्थी के लिए 2,000/- रुपये की दर से	
आवास भत्ता	@ विश्वविद्यालय/संस्थाओं के नियमानुसार	

इन फैलोशिपों (जे.आर.एफ. और एस.आर.एफ.) को 1 अप्रैल, 2007 से बढ़ा दिया गया है। वर्ष 2007-08 के दौरान रु. 38.41 करोड़ का व्यय किया गया।

इसके अतिरिक्त गैर-विश्वविद्यालयी संस्थाओं के व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान 13.59 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

(ख) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां (जेआरएफ)

वि.अ.आ. प्रति वर्ष इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अग्रिम अध्ययन और अनुसंधान के लिए 50 अनुसंधान अध्येतावृत्तियां पी.एचडी. करने के लिए प्रदान करता है। इन अध्येतावृत्तियों की अवधि 5 वर्षों की होती है (जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता है)।

अध्येतावृत्तियों का पैटर्न निम्नवत् है :-

फैलोशिप	@ प्रथम दो वर्षों के लिए रु.10,000/- प्रति माह की दर से @ शेष अवधि के लिए रु.13,000/- की दर से
आकस्मिकता	@ प्रथम दो वर्षों के लिए रु.12,000/- प्रति वर्ष की दर से @ शेष अवधि के लिए रु.25,000/- प्रति वर्ष की दर से
विभागीय सहायता	@ आमंत्रित करने वाली संस्था को आधारभूत संरचना प्रदान उपलब्ध कराने के लिए प्रति छात्र रु.3000/- प्रति वर्ष की दर से
सहायक/रीडर सहायता	@ शारीरिक विकलांग एवं नेत्रहीन अभ्यर्थी के लिए रु. 2,000/- प्रतिवर्ष की दर से
आवास भत्ता	@ विश्वविद्यालय/संस्थाओं के नियमानुसार

वर्ष 2007-08 के दौरान रु.13.39 करोड़ का व्यय किया गया।

6.7 अ.जा./अ.ज.जा. के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अ.जा. एवं अ.ज.जा. के लिए 2000 स्लॉट प्रतिवर्ष अर्थात् 1333 अ.जा. श्रेणी तथा 667 अ.ज.जा. श्रेणी के लिए राजीव गांधी नेशनल अध्येतावृत्ति योजना कार्यान्वित करने का कार्य वि.अ.आ. को सौंपा है तथा इसके लिए वित्तपोषण भी किया है।

योजना के उद्देश्य

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक असमानता को न्यूनतम करने के लिए अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को वि.अ.आ. 2000 राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां देता है ताकि वे उन्नत अध्ययन और अनुसंधान कार्य कर सकें और विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान, भाषा और इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी समेत, एम.फिल./पी.एचडी. कर सकें।

अध्येतावृत्ति का पैटर्न निम्नवत् है :-

मानविकी विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में अध्येतावृत्ति	प्रथम दो वर्षों के लिए रु. 12,000/- प्रति माह की दर से शेष अवधि के लिए रु. 14,000/- प्रति माह की दर से	आर.जी.एन.जे.आर.एफ. आर.जी.एन.एस.आर.एफ.
अभियांत्रिकी व प्रौद्योगिकी में अध्येतावृत्ति	प्रथम दो वर्षों के लिए रु. 14,000/- प्रति माह की दर से शेष अवधि के लिए रु. 15,000/- प्रति माह की दर से	आर.जी.एन.जे.आर.एफ. आर.जी.एन.एस.आर.एफ.
आकस्मिकता(क)	प्रथम दो वर्षों के लिए रु. 10,000/- प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए रु. 20,500/- प्रति वर्ष की दर से	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान
आकस्मिकता(ख)	प्रथम दो वर्षों के लिए रु. 12,000/- प्रतिवर्ष की दर से अवधि के लिए रु. 25,000/- प्रतिवर्ष की दर से	विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी
विभागीय सहायता	शोधकर्ताओं को आधारभूत संरचना प्रदान करने हेतु आमंत्रित करने वाली संस्थाओं को रु.3000/- प्रति वर्ष प्रति छात्र की दर से	सभी विषयों के लिए
सहायक/रीडर सहायता	शारीरिक विकलांग तथा नेत्रहीन अभ्यर्थियों के लिए रु. 2,000/- प्रति माह की दर से	सभी विषयों के लिए
आवास भत्ता	विश्वविद्यालय/संस्थाओं के नियमानुसार	सभी विषयों के लिए

वर्ष 2007-08 के दौरान योजना स्कीम से इतर अ.जा. के अभ्यर्थियों के लिए 63.17 करोड़ रुपये तथा अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों के लिए 26.37 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

6.8 अ.जा./अ.ज.जा. के लिए डॉक्टरल उपरांत अध्येतावृत्ति

वि.अ.आ. ने अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों के लिए डॉक्टरल उपरांत अध्येतावृत्ति आरंभ की है जिन्होंने वाचस्पति की उपाधि अर्जित कर ली है तथा जिन्होंने अनुसंधान कार्य प्रकाशित किया है।

अध्येतावृत्ति का पैटर्न निम्नवत् है :-

स्लॉट की संख्या – प्रतिवर्ष 100 (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए)

- अध्येतावृत्ति 5 वर्षों के लिए रु. 12,000 प्रति माह की दर से
- आकस्मिकता 5 वर्षों के लिए रु. 30,000 प्रतिवर्ष की दर से
- विभागीय सहायता अनुसंधान करवाने वाली संस्था को पी.जी. फैलोशिप की 10 प्रतिशत की दर से
- सहायक/रीडर सहायता रु. 2000/- प्रतिमाह (शारीरिक विकलांग एवं नेत्रहीन अभ्यर्थियों के लिए निश्चित)
- आवास भत्ता विश्वविद्यालय/संस्था के नियमानुसार

वर्ष 2007-08 के दौरान गैर योजनागत स्कीम के तहत पिछले वर्ष चुने गए अभ्यर्थियों को शेष अध्येतावृत्ति राशि उपलब्ध कराने के लिए 3.98 लाख रुपये व्यय किए गए। वर्ष 2007-08 के दौरान नये चयन नहीं किए जा सके।

6.9 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति

योजना को समाज के वंचित वर्गों के उम्मीदवारों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए और अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन का अवसर देने के लिए आरंभ की गई है।

अध्येतावृत्ति पैटर्न निम्नवत् है :-

स्लॉट की संख्या	—	1000 प्रति वर्ष (अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के लिए)
एम.टेक. छात्र	—	रु. 5,000 प्रतिमाह
आकस्मिकता	—	रु. 15,000 प्रतिमाह
एम. फार्मसी/एम. प्रबंधन	—	रु. 3,000 प्रतिमाह
आकस्मिकता	—	रु. 10,000 प्रतिमाह
आवास भत्ता	—	विश्वविद्यालय/संस्थाओं के नियमानुसार

गैर-योजनागत स्कीम के तहत शेष छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान 3.25 लाख रुपये का व्यय किया गया है तथा वर्ष 2007-08 के दौरान नये चयन नहीं किए जा सके।

6.10 अनुसंधान वैज्ञानिक

अनुसंधान वैज्ञानिकों की योजना मूलतः 1983 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य विदेश में काम कर रहे भारतीय मूल के मेधावी वैज्ञानिकों को आकर्षित करना तथा विज्ञान, इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञानों में उच्च गुणवत्तायुक्त अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए असाधारण योग्यता वाले व्यक्तियों को तीन स्तरों में अवसर प्रदान करना है :-

1. लेक्चरर अनुसंधान वैज्ञानिक "ए"
2. रीडर अनुसंधान वैज्ञानिक "बी"
3. प्रोफेसर अनुसंधान वैज्ञानिक "सी"

अभी 74 अनुसंधान वैज्ञानिक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान उनके वेतन और आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए इस पर रु. 3.74 करोड़ का व्यय किया गया।

6.11 महिला अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति

पी.एचडी. उपाधि प्राप्त बेरोजगार महिलाएं जो अंशकालीन आधार पर भाषा एवं विज्ञान सहित मानविकी, सामाजिक विज्ञान में पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान जारी रखना चाहती हैं, उनके लिए अंशकालीन अनुसंधान अध्येतावृत्ति की योजना है।

अध्येतावृत्ति राशि निम्नवत् है :-

- रु. 6,000 प्रतिमाह (नये पी.एचडी. उपाधि धारकों के लिए)
- रु. 8,000 प्रतिमाह (पांच वर्ष का अनुसंधान अनुभव प्राप्त छात्रों के लिए)
- रु. 10,000 प्रतिवर्ष (आकस्मिकता) आवास भत्ता अनुमेय नहीं है

अब आयोग ने इस योजना को संशोधित कर दिया है तथा इसका नाम “महिला अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति” रखा है। स्कीम के 100 स्लॉट प्रतिवर्ष हैं।

वर्ष 2007-08 के दौरान महिला पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति/एसोसियेटशिप के लिए 64.86 लाख रुपये का व्यय किया गया।

6.12 अभियांत्रिकी निष्णांत/प्रौद्योगिकी निष्णांत/भेषज विज्ञान निष्णांत के गेट अर्हता प्राप्त छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति

इस योजना का उद्देश्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययन जारी रखने के लिए स्नातक छात्रों को मदद देना है।

छात्रवृत्ति का पैटर्न निम्नवत् है :-

अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/भेषज विज्ञान निष्णांत (60 प्रतिशत या अधिक)	रु.5,000 प्रतिमाह की दर से
छात्रवृत्ति (60 प्रतिशत या कम)	रु.1,000 प्रतिमाह की दर से
आकस्मिकता	रु.5,000 प्रतिमाह की दर से

गैर-योजनागत स्कीम के तहत वर्ष 2007-08 के दौरान 7.08 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

6.13 स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी एक मात्र बालिका छात्रवृत्ति योजना एवं स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति योजना विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर प्रथम स्थान पर

(i) इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर एक मात्र बालिका छात्रवृत्ति

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वि.अ.आ. ने स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी एक मात्र बालिका छात्रवृत्ति योजना को प्रारंभ किया जिसका उद्देश्य विशेष रूप से अपने परिवार की केवल एक मात्र बच्ची को सभी स्तरों पर बालिका शिक्षा की प्रत्यक्ष लागत की प्रतिपूर्ति करना है।

योजना का उद्देश्य एक मात्र बालिका संतान को गैर-पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर शिक्षा में सहायता देना छोटे परिवार के मानकों को पालन कराना है।

एक मात्र बालिका संतान जिसने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी स्नातकोत्तर कॉलेज में निष्णांत पाठ्यक्रम के नियमित, पूर्णकालिक प्रथम वर्ष में दाखिला लिया है तथा वह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के समय उनकी आयु 30 वर्ष है, इसकी पात्र हैं। दूरस्थ शिक्षण पद्धति के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को इस योजना में कवर नहीं किया है। छात्रवृत्ति का पैटर्न निम्नवत् है :-

- (क) स्लॉट की संख्या — 1200 प्रतिवर्ष
- (ख) छात्रवृत्ति की अवधि — 2 वर्ष
- (ग) छात्रवृत्ति की दर — प्रतिमाह रु. 2,000 (20 माह तक)

कोई भी छात्र जो वि.अ.आ. की पूर्व अनुमति के बिना अध्ययन बंद कर देते हैं उन्हें संपूर्ण राशि वि.अ.आ. को लौटानी होगी तथा संबंधित संस्थान इसके लिए उत्तरदायी होगा। इस छात्रवृत्ति को पाने वाला छात्र किसी अन्य छात्रवृत्ति को स्वीकार करने से विवर्जित नहीं किया जाएगा।

निम्नलिखित किसी भी मामले में वि.अ.आ. किसी भी छात्र की छात्रवृत्ति समाप्त कर सकता है :

- विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान द्वारा संसूचित छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र का दुर्व्यवहार, यदि कोई हो तो।
- असंतोषजनक प्रगति रिपोर्ट अर्थात् यदि निष्णांत कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में अभ्यर्थी 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करता है।
- यदि बाद में अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है तो उस पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी तथा उसे संपूर्ण छात्रवृत्ति लौटानी होगी।

इस गैर-योजनागत स्कीम के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान 1.48 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

(ii) स्नातक पूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान लाने पर स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति

हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण की आवश्यकता को पहचानते हुए तथा युवा एवं प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा में दाखिला लेने हेतु आकर्षित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्नातक पूर्व स्तर पर सामान्य एवं ऑनर्स दोनों ही पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति आरंभ की है। छात्रवृत्ति दो वर्ष तक मान्य है ताकि स्नातक पूर्व स्तर पर प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्रथम स्थान पाने वाले छात्र अपनी निष्णांत उपाधि जारी रख सकें।

योजना के उद्देश्य है :

- प्रतिभा को बढ़ावा देना।
- स्नातक पूर्व स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करना ताकि वे स्नातकोत्तर अध्ययन जारी रखें।
- स्नातक पूर्व स्तर पर सामान्य तथा ऑनर्स स्तर के मूलभूत विषयों में अध्ययन को बढ़ावा देना (इस योजना में पेशेवर पाठ्यक्रम शामिल नहीं हैं)।
- संपूर्ण देश में कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में अकादमिक उत्कृष्टता तैयार करना।

सामान्य पाठ्यक्रम में, स्नातक पूर्व स्तर पर प्रथम तथा द्वितीय स्थान पाने वाले छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। ऑनर्स पाठ्यक्रम में, चाहे मुख्य या महत्वपूर्ण विषय हो, केवल प्रथम स्थान पाने वाले छात्रवृत्ति पाने के पात्र हैं। पुरस्कार पाने वाले छात्रों को स्नातक पूर्व स्तर पर अपने मेरिट स्थिति तथा स्नातक उपरांत पाठ्यक्रमों में भर्ती करना होगा। स्नातक पूर्व स्तर पर छात्रवृत्ति न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही दी जाएगी। यह स्कीम उन छात्रों पर लागू होगी जिन्होंने पूर्णकालिक नियमित निष्णांत डिग्री पाठ्यक्रम में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी स्नातकोत्तर कॉलेज में दाखिला लिया हो तथा छात्रवृत्ति केवल पहली स्नातकोत्तर डिग्री के छात्रों के लिए ही है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में छात्रों के लिए दाखिले के समय 30 वर्ष आयु है। इस स्कीम के तहत दूरस्थ शिक्षा पद्धति कवर नहीं है। पहले अकादमिक वर्ष के लिए छात्रवृत्तियों की कुल संख्या सामान्य पाठ्यक्रम के लिए 1800 प्रतिवर्ष तथा ऑनर्स पाठ्यक्रम के लिए 575 है। इस छात्रवृत्ति की अवधि केवल दो वर्ष की है। किसी भी परिस्थिति में इस छात्रवृत्ति की अवधि को दो वर्ष के बाद नहीं बढ़ाया जाएगा। केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों/कॉलेजों से प्रथम स्थान पाने वाले छात्रों पर विचार किया जाएगा जहां स्नातक पूर्व स्तर पर सामान्य पाठ्यक्रम की परीक्षा में कम से कम 1000 छात्र परीक्षा में बैठे हों तथा ऑनर्स पाठ्यक्रम में कम से कम 100 छात्र बैठे हों। स्वायत्त कॉलेजों द्वारा दी गई डिग्री को प्रत्यक्ष रूप से कवर नहीं किया गया। परन्तु इन्हें मान्यता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय में शामिल किया जाना चाहिए तथा एक सामान्य रैंकिंग दर्शायी जानी चाहिए।

वि.अ.आ. द्वारा उन सभी पात्र विश्वविद्यालयों/संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जो कि यूजीसी अधिनियम की धारा 2(घ) और 12(ख) के तहत आते हैं। प्रत्येक छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र को दो वर्षों तक प्रतिमाह 2000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी (प्रतिवर्ष 10 माह)। जिन छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी गई है उन्हें कोई अन्य छात्रवृत्ति स्वीकार करने से रोका नहीं जाएगा। कोई भी छात्र जो बिना वि.अ.आ. की पूर्व अनुमति के अध्ययन बंद कर देता है तो उसे संपूर्ण राशि वापिस करनी होगी तथा संबंधित संस्थान इसके लिए उत्तरदायी होगा।

इस योजना के तहत दो वर्षों से आगे समय सीमा बढ़ाए जाने की अनुमति नहीं है। निम्नवत् में से किसी मामले में वि.अ.आ. छात्रवृत्ति को समाप्त कर सकता है :-

- यदि विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता छात्र के दुर्व्यवहार के बारे में सूचित किया जाता है।
- असंतोषजनक प्रगति रिपोर्ट अर्थात् यदि अभ्यार्थी निष्णांत कार्यक्रम के पहले वर्ष में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करता है।
- बाद में अपात्र पाए गए अभ्यार्थियों को दण्डात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा तथा उन्हें संपूर्ण छात्रवृत्ति राशि को लौटाना होगा।

वर्ष 2007-08 के दौरान इस गैर-योजनागत स्कीम के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 3.11 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

6.14 विज्ञान में मेधावी छात्रों के लिये अनुसंधान अध्येतावृत्ति

• प्रस्तावना

वि.अ.आ. की विज्ञान में अनुसंधान अध्येतावृत्ति मेधावी छात्रों हेतु योजना उन छात्रों के लिये खुली है जिन्होंने विज्ञान में पीएचडी के लिये वि.अ.आ. के क्षमता वाले उत्कृष्ट विश्वविद्यालय/क्षमता वाले उत्कृष्ट केन्द्रों, एडवांस्ड अध्ययन केन्द्रों एवं विशेष सहायता प्राप्त विभागों में पंजीकरण करवा लिया है।

• उद्देश्य

मेधावी छात्रों को विज्ञान में उच्च अध्ययन एवं शोध के लिये पीएचडी डिग्री के लिये अवसर प्रदान करना इस आर.एफ. एस.एम.एस. का उद्देश्य है।

• पात्रता

वि.अ.आ. द्वारा इंडिपेंडेंट क्षमता वाली उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों/क्षमता वाले उत्कृष्ट केन्द्रों, एडवांस अध्ययन केन्द्रों एवं विशेष सहायता प्राप्त विभागों में जिन मेधावी छात्रों ने विज्ञान में पीएचडी के लिये पंजीकरण करवा लिया है।

• योजना के अंतर्गत सहायता का प्रारूप

आर.एफ.एस.एम.एस. योजना के अंतर्गत अध्येतावृत्ति की अवधि 2 वर्षों की है। इस अवधि के समाप्त हो जाने के बाद फेलो के कार्य का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक विशेष समिति द्वारा किया जाता है। यदि शोध कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो उनके कार्यकाल की अवधि तीन वर्षों के लिये बढ़ा दी जाती है। यदि उनका 2 वर्षों का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उनको एक अतिरिक्त वर्ष कार्य में सुधार के लिये दिया जाता है। ऐसे मामलों में इसके कार्यों का मूल्यांकन पुनः तीन वर्षों के बाद किया जाता है यदि सुधार पाया जाता है तो फेलो को 2 वर्ष और शोध करने के लिये मिल जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत इस प्रकार कुल अध्येतावृत्ति अवधि 5 वर्ष की है जिसकी सीमा अवधि और बढ़ाई नहीं जा सकती है।

अध्येतावृत्ति	रु.8000 प्रतिमाह की दर से
आकस्मिक (कन्टेजेन्सी)	रु.6000 प्रतिवर्ष की दर से

किन्हीं विशेष परिस्थितियों में शोध फेलो को छुट्टियां वि.अ.आ. बिना फेलोशिप के एक वर्ष के लिये एवार्ड के संपूर्ण अवधि के दौरान देता है जबकि वे शिक्षण कार्य अस्थाई आधार पर उसी शहर में स्वीकार करते हैं। अन्य परिस्थिति में छुट्टियां बिना फेलोशिप के 3 माह से अधिक अवधि के लिये एवार्ड की अवधि के दौरान अध्यक्ष एवं संस्थानों की सिफारिशों के आधार पर दी जा सकती है। वि.अ.आ. अनुमोदन के लिए शोध फेलो को विश्वविद्यालय/संस्थाओं/कॉलेजों के माध्यम से काफी पहले छुट्टियों के लिये प्रार्थना पत्र देना पड़ता है।

केवल वही छात्र पात्र हैं जिन्होंने विज्ञान के विषयों में पीएचडी के लिये किसी वि.अ.आ. द्वारा पहचाने गये उत्कृष्ट क्षमता वाले एवं विशेष सहायता प्राप्त विभागों (एसएपी) में पंजीकरण करवा लिया है। उनको उन्हीं पहचाने गए विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में शोध अध्ययेतावृत्ति के लिए आवेदन करना होगा। दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित संस्था चयन करेगी। विश्वविद्यालय शोध फेलो का चयन योजना के अंतर्गत पात्र छात्रों में से करता है। एक चयन समिति की प्रक्रिया द्वारा जिसका गठन निम्नलिखित है :-

- अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

विश्वविद्यालय/संस्था फेलो को अपने विकास अनुदान में से जिसे वि.अ.आ. एक मुश्त में भुगतान करता है ताकि फेलो का किसी भी विलम्ब से कोई कष्ट न हो सके। अध्ययेताछात्रवृत्ति की दूसरी किश्त विश्वविद्यालय/संस्थाओं को तभी जारी की जाती है जब कि वे पूर्ण उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं व्यय का ब्यौरा पिछली वि.अ.आ. द्वारा दी गई अनुदान को दे दिया जाये।

• योजना में प्रगति की निगरानी की प्रक्रिया

शोध फेलो की कार्यक्षमता की निगरानी शोध गार्ड/सुपरवाइजर द्वारा की जाती है जिसको वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के रूप में विश्वविद्यालय वि.अ.आ. को प्रेषित करती है।

एवार्ड के प्रथम 2 वर्षों को पूरा कर लेने के बाद, फेलो विभाग/विश्वविद्यालय में आवेदन करता है ताकि वे कार्य जारी रख सकें। इसके लिए तीन सदस्यों की समिति का गठन संस्था करती है जिसमें सुपरवाइजर विभागाध्यक्ष, एवं एक बाहरी विषय विशेषज्ञ होता है जो शोध कार्य का मूल्यांकन करता है। समिति की सिफारिशों के आधार पर फेलो को आगे कार्य करने की अनुमति मिल जाती है।

संबंधित विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि वे फेलो के कार्य को निरंतर निगरानी करें। ये कोई भी पद को स्वीकार या उस पर आसीन नहीं हो सकते हैं चाहे वह आमदनी का हो या वेतन, वृत्ति का हो। पूरी अवधि के दौरान वि.अ.आ. द्वारा अध्येतावृत्ति विश्वविद्यालय की सिफारिशों पर समाप्त भी की जा सकती है। परन्तु वि.अ.आ. का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा। फेलोशिप की अवधि 5 वर्ष की है जो ज्वानिंग डेट से लागू होगी। जो आगे तभी चल पायेगी जब उसका शोध कार्य संतोषजनक हो या पीएचडी जमा कर दी हो, जिसका समय पहले का हो। 5 वर्ष की अवधि के बाद विस्तार नहीं हो सकता है। उसके बाद फेलोशिप समाप्त हो जाती है। इसके बाद कोई दावा इस संबंध में गैर कानूनी होगा।

• अन्य शर्तें

शोध फेलो, गार्ड/विभागीय हैड की सहमति से विश्वविद्यालय संस्थाओं के अकादमिक कार्यों में मदद कर सकता है जिसमें ट्यूटोरियल, परीक्षा पत्रों का मूल्यांकन, प्रयोगशाला में प्रदर्शन, फील्डवर्क का पर्यवेक्षण, पुस्तकालय गतिविधियाँ जैसे ग्रुप सेमिनारों, सिपोजियां आदि गतिविधियों में भाग ले सकें बशर्ते इससे शोध कार्य में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इन गतिविधियों को करने के लिए कुल समय 10 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक न हो।

• एवार्ड का निरस्तीकरण

फेलोशिप को निरस्त किया जा सकता है उन परिस्थितियों में जबकि

- अशोभनीय आचरण
- निम्नवत से संबंधित किसी परीक्षा में असंतोषजनक शोधकार्य की प्रगति
- एम.फिल./पी.एचडी.: अथवा
- यदि वे बाद में कभी अपात्र पाये गये

वर्ष 2007-08 के दौरान 8000 रुपये प्रतिमाह की दर से कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति तथा प्रत्येक विज्ञान विभाग (एसएपी के सीएस/डीएस) को 6000 रुपये प्रतिमाह का आकस्मिक अनुदान दिया गया है तथा चयनित विभागों में कार्य कर रहे फेलो को कुल 4.50 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया।

6.15 वर्ष 2007-08 के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूआईसीटी, मुंबई के पूर्व निदेशक प्रो. एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान को पुनर्जीवित करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया। यूआईसीटी,

मुम्बई के पूर्व अध्यक्ष प्रो. एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता में कार्यबल की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए एक शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया। कार्यबल की सिफारिशों पर कार्यवाही करने के लिए लगभग प्रत्येक माह शक्तिप्राप्त समिति की बैठक आयोजित की जाती है। अद्यतन स्थिति इस प्रकार है :—

1. वि.अ.आ. के एस.ए.पी. स्तर के विज्ञान विभाग सीएसएस/डीएसए को 6000 रुपये प्रति वर्ष के आकस्मिक अनुदान सहित 8000 रुपये प्रति माह की 397 कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति दी गई और अब तक कुल 4.50 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया।
2. स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम में अनुसंधान घटक को सम्मिलित करने हेतु आवश्यक विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, सुरक्षा उपस्कर, प्रयोगशाला, कार्य करने वाले मेज के संदर्भ में अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विज्ञान, जैव विज्ञान, कृषि विज्ञान तथा अभियांत्रिकी विज्ञान में 195 डीआरएस विभागों हेतु 20 लाख रुपये संस्वीकृत किए गए हैं।
3. अवसंरचनात्मक विकास के लिए विभागों को जारी अनुदान के व्यय सहित 133 विभागों के निष्पादन के निर्धारण पश्चात् तथा विभागों के प्रस्ताव के आधार पर समिति ने सिफारिश की कि 30 लाख रुपये की दूसरी किश्त वि. अ.आ. द्वारा अनुमोदित डीएसएस/सीएसएस के एसएपी विभागों को जारी कर दी जाए। तदनुसार 76 विभागों को 22.80 करोड़ रुपये का कुल अनुदान संस्वीकृत किया गया।
4. सभी राज्य शिक्षा सचिवों से शिक्षकों की एक समान सेवानिवृत्ति आयु को अंगीकार करने का अनुरोध किया गया है।
5. वि.अ.आ. के अध्यक्ष और सीएसआईआर के महानिदेशक की सह-अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया ताकि सहयोग कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालयों और सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के बीच औपचारिक संपर्क बनाए जा सके। समिति की पहली बैठक 5.2.2008 को आयोजित की गई थी।
6. प्रचालन संकाय अनुसंधान आरंभ किया जा रहा है, जिसके तहत 1000 संकाय पदों का सृजन किया जा रहा है जिन्हें वैश्विक प्रचार के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर भरा जाएगा।
7. वर्ष 2007–08 के लिए प्रो. एम.एम. शर्मा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए 205 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। 205 करोड़ रुपये की आबंटित राशि में से अब तक 157 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है।
8. शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों पर वि.अ.आ. सैप कार्यक्रमों के अंतर्गत सीएसएस आरडीएसए विभागों से वि. अ.आ. नेटवर्किंग/ग्रीष्म-शीतकालीन विद्यालय केन्द्रों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। समिति द्वारा सूचीबद्ध किए गए विभागों को प्रस्तुतिकरण हेतु बुलाया गया। पांच विभाग अर्थात् जैव विज्ञान विभाग, ज.ने.वि., रसायन विज्ञान विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय, रेडियो फिजिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, कोलकाता विश्वविद्यालय, जैव विज्ञान विभाग, मदुरई कामराज विश्वविद्यालय और मैटिरियल इंजीनियरिंग विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को नेटवर्किंग रिसोर्स सेंटर के रूप में चुना गया है। अन्य विषयों में नेटवर्किंग रिसोर्स सेंटरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 45 करोड़ रुपये की कुल नियत की गई राशि में से 22.50 करोड़ रुपये की राशि पहले ही चुने हुए पांच विभागों को जारी कर दी गई है।
9. शक्ति प्राप्त समिति द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सैप विभागों के अलावा अन्य विभागों को भी सहायता दी गई है। गैर-सैप विभागों द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए राज्य, केन्द्रीय एवं समविश्वविद्यालयों को पत्र भेजे गए हैं। 4.1.2008 और 5.2.2008 को शक्ति प्राप्त समिति की बैठक में प्राप्त सूचना को रखा गया। समिति ने पिछले पांच वर्षों के दौरान संकाय पदों एवं दी गई पी.एचडी. उपाधि एवं प्रकाशनों के आधार पर अवसंरचनात्मक अनुदान और अध्येतावृत्ति देने की सिफारिश की है। अब तक 16.15 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है।

10. समिति ने सिफारिश की है कि सभी विज्ञान निष्णांत कार्यक्रमों को पुनः इस प्रकार तैयार किया जाए ताकि उनमें अनुसंधान का घटक भी शामिल हो।
11. समिति का यह मत था कि सीएसएस विभागों के बीच क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए ताकि इसके बारे में समिति के सदस्य शक्ति प्राप्त समिति के विचार व प्रत्याशाओं से इन विभागों को अवगत करा सके।
12. डी.एस. कोठारी पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति के लिए दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया जा चुका है। इस स्कीम को प्रचलन में लाने के लिए वि.अ.आ. और पुणे विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस योजना के तहत वर्ष भर में 500 पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। प्रोफेसर ग्रेड के अनुरोध पर शक्तिप्राप्त समिति ने वि.अ.आ. डी.एस. कोठारी पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप के लिए अनुमोदित 47.25 लाख रुपये के समग्र बजट के तहत निधियों का पुनर्विनियोजन किया। वि.अ.आ. की पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए पुणे विश्वविद्यालय में वि.अ.आ. प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए 23.60 लाख रुपये (अनुमोदित राशि का 50 प्रतिशत) की राशि जारी की जा चुकी है।
13. उत्कृष्टता क्षमता वाले 97 कॉलेजों के 700 विज्ञान विभागों में से प्रत्येक को 5 लाख रुपये का अनुदान जारी किया जा चुका है और कॉलेजों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 168 स्वायत्त कॉलेजों में से प्रत्येक को 10 लाख रुपये का अनुदान जारी किया जा चुका है।

6.16 पोस्ट डॉक्टोरियल डी.एस.कोठारी अध्येतावृत्ति

प्रस्तावना

युवक शोधकर्ताओं के शैक्षिक पेशे के प्रोत्साहन के लिये पोस्ट डॉक्टोरियल डी.एस. कोठारी अध्येतावृत्ति एक सराहनीय कदम है। यह एक पारगमन चरण है जबकि शोध स्तर पर अत्यधिक सुपरवाइजर द्वारा मार्गदर्शक शोध छात्रों के विपरीत अकादमिक क्षेत्र में स्वतंत्र शोधकर्ताओं के नेतृत्व उभर कर आया है। एक पोस्ट डॉक्टोरल की भावना नई समताओं एवं बृहत ज्ञानसीमा के अवसर को प्राप्त करते हुए एक नये मंच को प्रदान करता है जिसमें विभिन्न क्रास डिस्ट्रीनियरी विषयों का पारगमन होता है। विभिन्न देशों का अनुभव यह दर्शाता है कि विश्वविद्यालय संकाय में एक वर्ष या दो वर्ष की पोस्ट डॉक्टोरियल प्रशिक्षण वाले छात्रों को उत्तम माना जाता है और यही सामान्यतः वांछनीय आवश्यकता के रूप में माना जाता है। पोस्ट डॉक्टोरियल प्रशिक्षण के लिये स्वतंत्र शोध का मार्गदर्शन करना एक अनिवार्य तत्व है। भारत में सर्वोत्तम माप की संस्थायें जो शोध को महत्व देती हैं इसकी प्रक्रिया का अनुपालन करती हैं परन्तु यह बृहत रूप व्याप्त नहीं है। विश्व में शोध समुदायों को नेतृत्व देने के लिए सामान्यतः पोस्ट डॉक्टोरियल फेलो के अच्छे परिणाम होते हैं। हमारे देश में पोस्ट डॉक्टोरियल शोध संस्कृति अभी तक पकड़ में नहीं आई है एवं केवल कुछ चुने हुए स्थानों में कहीं-कहीं क्रियाशील है। यह विडम्बना है कि भारत के अग्रणी संस्थाओं में विशेषतः बेसिक विज्ञान के क्षेत्र में पोस्ट डॉक्टोरियल पदों को विदेशों में पाने में प्राथमिकता देते हैं। देश के अंदर एक पी.एच.डी. की स्थिति को गलत तरीके से केवल एक पढ़ाई के अवसर के रूप में देखा जाता है जो केवल नियमित नियुक्ति को खोजते रहते हैं। हमारी उच्च शिक्षा पद्धति जो आने वाले वर्षों में तीव्रता एवं व्यापक रूप से विस्तृत होगी और कई नये आने वाले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थाओं में एक क्षमतापूर्ण संकाय में पीडीएफ अनुभव अति महत्वपूर्ण माना जायेगा। इस प्रकार से स्वदेश विकसित पीडीएफ कार्यक्रमों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रशिक्षण रहित संकायों की कमियों को दूर कर सकेगा। इस पृष्ठभूमि में, वि. अ.आ. ने एक पहल की ताकि पीडीएफ देश के विख्यात वैज्ञानिक के नाम पर स्थापित कर एवं महत्वपूर्ण एवं समयानुसार कार्य किया जो महसूस की गई शून्यता को भर सकेगा। अन्य एजेन्सियों जैसे वि.अ.आ./सीएसआईआर/डीएसटी/डीबीटी एवं अन्य चुनी गई संस्थाओं में पीडीएफ एवार्ड की योजनाएँ जिसे शोध एसोशिएटशिप (आरए) चल रही है। मेरिट पर आधारित शोध योजना जो संस्थाओं द्वारा निधिबद्ध हैं वहां भी पीडीएफ की व्यवस्था है। फिर भी परिस्थिति संतोषजनक नहीं है और अवसर न केवल कम हैं परन्तु योजनाओं का इष्टतम तरीके से निर्मित नहीं किया गया है। यह स्थिति परिवर्तन मांगती है। यह अति आवश्यक है कि पीडीएफ योजना को एक लचीले तरीके से चलाया जाए और इस पर हमारे विश्वविद्यालय पद्धति में होने वाली वास्तविक प्रचलित सच्चाइयों के आधार पर निर्णय किया जाये। इस संदर्भ में शोध कार्य की गुणवत्ता का कोई स्पष्ट 'बैंच मार्क' परिभाषित नहीं है। पोस्ट डॉक्टोरियल करने की इच्छा वाले नये शोधकर्ताओं

को अवसर प्रदान करता है ताकि वे पीएचडी स्तर पर शोध की कमियों को दूर कर सकें और अनुसंधान के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में नये आयाम की खोज कर सकें। कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रक्रिया प्रस्तावित की जाती है :

प्रक्रियाएं

- (अ) जिस प्रकार से पीएचडी की एवार्ड एक खुली प्रक्रिया है और इसके जमा करने की निश्चित अंतिम तिथि नहीं होती है उसी प्रकार पीडीएफ की चयन प्रक्रिया आवश्यकतानुसार पूरे वर्ष के दौरान चलती रहती है। इसकी कोई अंतिम तिथि नहीं होती है। वि.अ.आ. की वेबसाइट पर अन्य संस्थाओं एवं संबद्ध विश्वविद्यालयों में इसका विज्ञापन किया जाता है।
- (ब) आवेदन पत्र वेबसाइट से निकाले गये फार्म पर ऑनलाइन प्रक्रिया से जमा होता है।
- (स) एक स्थाई (मूल) समकक्ष समूह इन आवेदनों को वेबसाइट पर देखता है और ग्रेडिंग ऑन लाइन पर करता है। समकक्ष समूह से ग्रेडिंग प्राप्त होने के बाद इस समूह के अध्यक्ष अपना अंतिम निर्णय लेते हैं क्योंकि यह पदोन्नति की योजना है। अतः पोस्ट डोक्टोरियल शोध संस्कृति, एवं समीक्षा की प्रक्रिया के दौरान यह ध्यान रखा जाता है। चयन किये गये शोध छात्रों का योगदान पीएचडी स्तर का एक उचित सम्मिश्रण का हो और संस्था एवं उसका परामर्शदाता एक प्रख्यात व्यावसायिक स्तर का हो जहां पोस्ट डॉक्टोरियल शोध की जाने वाली हो। सामान्यतः अभ्यर्थियों को दूसरे संस्थाओं में और नये शोध क्षेत्रों में शोध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- (द) व्यक्तिगत आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद चयन की प्रक्रिया 6 सप्ताह के अंदर समाप्त हो जानी चाहिए। पूरी प्रक्रिया एक पेपर रहित प्रक्रिया है और उतना समय लेती है जो एक पाण्डुलिपि के मूल्यांकन में एक अन्तर्राष्ट्रीय जरनल के छपने में लगता है।
- (य) इन पीडीएफ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होना आवश्यक है और इनको विश्व के अन्य देशों से आए प्रमुख विकासशील एवं पड़ोसी देशों के शोध छात्रों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।
- (र) प्रत्येक वर्ष में ऐसे एवार्डों की संख्या 500 है जिसकी संख्या 1000 एवार्ड तक किया जा सकता है।

पात्रता और अवधि

अभ्यर्थी जिन्होंने पीएचडी प्राप्त कर ली है या जमा करा दी है, वे आवेदन देने के पात्र हैं। चयन होने के पश्चात पीएचडी धारकों को पीएच.डी. सीधे एवार्ड कर दी जायेगी और जो पीएचडी धारक नहीं है उनको 'ब्रिजिंग फेलोशिप' दी जाएगी। उस समय तक जब तक पीएचडी एवार्ड नहीं हो जाती है (कम स्टाईपेन्ड पर) फेलोशिप वार्षिक आधार पर दी जायेगी जिसमें नवीकरण/निरस्तीकरण परामर्शदाता ग्रुप के अवलोकन के पश्चात् होता है। पीडीएफ एवार्ड की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की है। एवार्ड को पाने के लिए अभ्यर्थी परामर्शदाता द्वारा एक शपथनामा देना होगा जिसमें उनको उस स्थान पर चयनतम अवधि 6 माह तक रहना होगा।

वजीफा

इन एवार्डों का वजीफा रु.18,000 – 22,000 प्रतिमाह होगा जिसमें वार्षिक वृद्धि रु.1,000/– प्रतिमाह की होगी। "ब्रिजिंग फेलोशिप" का वजीफा रु.16,000/– प्रतिमाह का है।

पीडीएफ एवार्ड का आकस्मिक अनुदान रु. 50,000/– प्रति वर्ष का होगा।

टिप्पणी : चूंकि यह योजना इलेक्ट्रॉनिकली रूप से कार्य करने के लिए तैयार की गई है अतः समस्त प्रक्रिया की निगरानी एक समर्पित अधिकारी/और या वरिष्ठ अकादमिक अधिकारी द्वारा की जायेगी और इसका प्रचालन कार्य ए.पी.ओ. (आवेदन प्रक्रिया बाह्य स्रोत) द्वारा किया जा सकता है।

7 लिंग एवं सामाजिक समानता

7.1 विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रकोष्ठों की स्थापना

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की पहचान भारतीय समाज में एक सर्वाधिक दलित/उत्पीड़ित वर्ग के रूप में की गई है। स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में उनके हितों की रक्षा करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधीन विभिन्न सेवाओं में उनको आरक्षण उपलब्ध कराके उनके हितों की रक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य इन जातियों के कुछ लोगों को मात्र रोजगार उपलब्ध कराना और उसके माध्यम से सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व में वृद्धि करना ही नहीं है बल्कि इनके सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर में भी सुधार करना है ताकि वे समाज की मुख्य धारा में अपना उचित स्थान बना सकें। संविधानिक उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है और राज्य स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

आयोग ने विश्वविद्यालयों में वर्ष 1983 में अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ स्थापित करने की योजना शुरू की थी जिसके उद्देश्य इस प्रकार थे :

- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अ.जा./अ.ज.जा. की आरक्षण नीति तथा भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रमों का कारगर कार्यान्वयन तथा परिवीक्षण सुनिश्चित करना।
- दाखिलों, शिक्षण तथा शिक्षणेतर पदों पर नियुक्तियों आदि के लिए नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में आँकड़े एकत्र करना और ऐसी अनुवर्ती कार्यवाही करना जिससे निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिल सकती हो।
- ऐसे अनुवर्ती उपाय करना जो इस प्रयोजनार्थ निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। स्टाफ पदों के लिए सहायता, अ.जा./अ.ज.जा. सेलों की स्थापना के प्रथम पांच वर्षों के लिए या जिस योजना अवधि के दौरान सेल की स्थापना हुई उसकी समाप्ति पर शत-प्रतिशत वास्तविक व्यय के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है।

योजना को अधिक गति प्रदान करने के लिए, अ.जा./अ.ज.जा. पर वि.अ.आ. की स्थाई समिति की 14 से 16 नवम्बर 2007 को बैठक हुई जिसमें विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सके तथा विनिर्धारित अवधि के पश्चात् भी अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठों को चालू रखे जाने की सिफारिश की। समिति ने यह भी सिफारिश की कि वि.अ.आ. द्वारा वित्तपोषित केन्द्रीय विश्वविद्यालय और समविश्वविद्यालय, गैर-योजनागत व्यय से पूरा कर सकते हैं। राज्य विश्वविद्यालय जिन्होंने आवृत्ति अनुदानों के दायित्व के पूरा करने के लिए राज्य सरकारों का अनुमोदन प्राप्त किया है, वे योजना अवधि के पूरा होने पर राज्य वित्त की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, वे अनावृत्ति व्यय के लिए वि.अ.आ. निधियाँ प्राप्त करेंगे। यदि अनावृत्ति व्यय के उत्तरदायित्व को राज्य सरकार द्वारा नहीं उठाया जाता है तो राज्य विश्वविद्यालय आवृत्ति व्यय को पूरा करने के लिए उन्हें उपलब्ध कराए गए विकास अनुदान का उपयोग कर अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ के कार्यक्रम को जारी रख सकते हैं।

31 मार्च 2008 तक आयोग ने विश्वविद्यालयों में 122 अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठों की स्थापना की है तथा रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान 6.50 लाख रुपये का व्यय किया।

7.2 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग (सुसम्पन्न भाग को छोड़कर)/अल्पसंख्यकों के लिए अनुशिक्षण योजनाएँ :

आयोग विभिन्न स्कीमों के माध्यम से समाज के शोषित वर्ग के सामाजिक-आर्थिक उन्नयन तथा सामाजिक समानता की दिशा में योगदान कर रहा है। इन वर्गों का कल्याण तथा विकास हमारे लोकतांत्रिक समाज की सुदृढ़ता तथा सफलता के महत्वपूर्ण संकेत हैं। यह विश्वविद्यालयों को (i) स्नातकोत्तर व स्नातकपूर्व स्तर पर उपचारी अनुशिक्षण हेतु (ii) सेवा में प्रवेश के लिए अनुशिक्षण प्रदान कर (iii) अ.जा., अ.ज.जा. तथा अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए नेट अनुशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। आयोग ने इन स्कीमों का विश्वविद्यालयों की सामान्य विकास सहायता के साथ विलय करने का निर्णय लिया है तथा इस घटक के लिए अनुदान सामान्य विकास सहायता की सीमा के अतिरिक्त होगा।

योजना के उद्देश्य :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर और स्नातक पूर्व स्तर पर उपचारी अनुशिक्षण हेतु योजना।

निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ स्नातक पूर्व तथा/अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर उपचारी अनुशिक्षण आरंभ किया जाएगा :-

- (1) विभिन्न विषयों में छात्रों के अकादमिक कौशल एवं भाषा वैज्ञानिक दक्षता में सुधार करना।
- (2) बुनियादी विषयों के ज्ञान स्तर को ऊंचा उठाना ताकि अगले अकादमिक कार्य के लिए मजबूत आधार उपलब्ध कराया जा सके।
- (3) उन विषयों में जिनमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक तकनीकें तथा प्रयोगशाला कार्य शामिल होता है, छात्रों के ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्तियों को सुदृढ़ करना ताकि इस कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध कराए गए अनावश्यक मार्ग दर्शन एवं प्रशिक्षण के आधार पर छात्र उच्च अध्ययन दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए आवश्यक स्तर तक पहुंच सके तथा असफल होने या अध्ययन बीच में छोड़ देने की दर को कम किया जा सके।
- (4) क्षमता विस्तार हेतु उन छात्रों को कैरियर (वृत्ति) मार्गदर्शन हेतु मनोवैज्ञानिक परामर्श देना जिन्हें इस प्रकार के परामर्श की आवश्यकता है।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवा में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण योजना

सेवा में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण योजना को निम्नलिखित उद्देश्य के साथ आयोजित किया जाएगा :-

- (1) केन्द्रीय सेवाओं, राज्य सेवाओं में क, ख और ग समूह की सेवाओं तथा निजी क्षेत्र में समान स्तर के पदों पर लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने के लिए छात्रों को तैयार करना।
- (2) भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य लोक सेवाओं, बैंक में भर्ती आदि सेवाओं में चयन हेतु आयोजित परीक्षा विशिष्ट परीक्षा के लिए छात्रों का प्रबोधन करना।
- (3) किसी विशिष्ट प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करना।
- (4) विश्वविद्यालय/कॉलेज अपने प्रचालन क्षेत्र में विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए रोजगार सूचना प्रकोष्ठ का विकास कर सकते हैं।

(ग) लेक्चरशिप के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) या राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.) की तैयारी करने हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों के लिए अनुशिक्षण योजना।

योजना का मुख्य उद्देश्य नेट या सेट परीक्षा देने के लिए अ.जा./अ.ज.जा. तथा अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों को तैयार करना है ताकि विश्वविद्यालय तंत्र में लेक्चरर हेतु चयन के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध हो सके।

स्कीम के तहत उपलब्ध वित्तीय सहायता की प्रकृति

योजना के तहत वित्तीय सहायता उन विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को उपलब्ध है जो यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2(च) के तहत आते हैं तथा धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। वे संस्थान जहां पर्याप्त संख्या में अ.जा./अ.ज.जा. तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र हैं उनपर वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जाएगा। आर्थिक रूप से गरीब घरों के सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी इस प्रकार की अनुशिक्षण कक्षाएँ करने की अनुमति दी जा सकती है। इन सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से संबंधित संस्थान द्वारा निर्धारित नाममात्र शुल्क भी लिया जा सकता है। अगर पर्याप्त संख्या में अ.जा./अ.ज.जा. और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र उपलब्ध न हों तो अन्य पिछड़ा वर्ग तथा गरीब सामान्य श्रेणी के छात्रों का प्रतिशत 40 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

निम्नलिखित मदों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है :-

अनावर्ती अनुदान : 11वीं योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित मदों के लिए प्रत्येक योजना के लिए 5.00 लाख रुपये तक एक मुश्त अनुदान :

- पुस्तकें व जरनल
- श्रव्य-दृश्य तथा शिक्षण में सहायक सामग्री
- प्रिंटर के साथ कंप्यूटर
- फोटोकॉपी मशीन
- जनरेटर या इन्वर्टर
- भाषा ग्रंथालय
- कोई अन्य

आवर्ती अनुदान : निम्नलिखित मदों पर व्यय हेतु प्रत्येक स्कीम हेतु कॉलेजों के लिए 5.00 लाख रुपये तथा विश्वविद्यालयों के लिए 7.00 लाख रुपये।

- प्रति माह 2000/- की दर से संयोजक को मानदेय
- शिक्षकों तथा विद्वानों को पारिश्रमिक
- रुपये 6000/- प्रति माह की दर से कंप्यूटर ज्ञान सहित अंशकालीन स्टाफ (ढेकागत आधार पर)।
- रुपये 1000/- प्रति माह की दर से अंशकालीन चपरासी/अटेंडेंट
- रुपये 50,000/- प्रति वर्ष - आकस्मिता

निगरानी :

(क) प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में, कार्यक्रम का संयोजक रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य के माध्यम से प्रत्येक अभ्यर्थी के निष्पादन को दर्शाते हुए एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। मूल्यांकन रिपोर्ट निम्नलिखित बिन्दुओं पर आधारित होनी चाहिए :-

- (i) जिस अवधि के लिए अनुशिक्षण आयोजित किया गया था, कक्षाएँ/कक्षा की अवधि तथा अभ्यर्थी जिन्होंने वास्तव में कार्यक्रम में भाग लिया।
- (ii) अभ्यर्थियों की संख्या जो वास्तव में परीक्षा में बैठे।
- (iii) प्रत्येक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संख्या तथा योजना के कार्यान्वयन में विश्वविद्यालय द्वारा झेली जा रही समस्याएँ।
- (iv) विषय जिनमें उन्हें पढ़ाया गया, शिक्षक का नाम और उनके विषय।
- (v) संयोजक की समग्र टिप्पणियाँ।

(ख) सभी योजनाओं के निष्पादन की निगरानी वि.अ.आ. स्थाई समिति द्वारा उपसमितियाँ बना कर केन्द्रों के दौरे के माध्यम से की जाएगी।

परामर्शदात्री समिति :

विश्वविद्यालय एक परामर्शदात्री समिति का गठन करेगा। उपकुलाधिपति परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष होगा तथा पांच सदस्य होंगे जिनमें अ.ज./अ.ज.जा. तथा अल्पसंख्यक समुदायों से प्रोफेसर के स्तर का कम से कम एक सदस्य होगा। कार्यक्रम का संयोजक परामर्शदात्री समिति का सदस्य सचिव होगा। यह आशा की जाती है कि परामर्शदात्री समिति की बैठक एक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

7.3 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर स्थाई समिति, स्कीमों का अनुवीक्षण और स्थाई समिति की उप समिति की क्षेत्रीय स्तर की बैठकों का आयोजन

विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति के कारगर कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2007 में अ.जा./अ.ज.जा. पर एक स्थाई समिति गठित की। इस समिति में अकादमिक विशेषज्ञों, पूर्व कुलपतियों तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होता है।

समीक्षा समिति बैठकें/कार्यशालाएँ

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान पुणे विश्वविद्यालय, पुणे में 25 से 27 मई, 2007 को एक क्षेत्रीय स्तर की कार्यशाला/समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई थी।

इन बैठकों का प्रयोजन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हित लाभ के लिए चालू अनुशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करना, अ.जा./अ.ज.जा. सैलों की गतिविधियों की समीक्षा करना तथा समन्वयकों की जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करना था ताकि अ.जा./अ.ज.जा. के हित लाभ के लिए अनुशिक्षण कक्षाओं की योजनाओं का उचित क्रियान्वयन किया जा सके।

7.4 समान अवसर प्रकोष्ठ (ईओ.सी.) की स्थापना

भारत विविधता का देश है। यह विभिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृतियों का केन्द्र है। तथापि, सामाजिक स्तरीकरण का अत्यंत संस्थापित तंत्र भारतीय समाज की विशेषता है। इन सामाजिक असमानताओं ने अ.जा., अ.ज.जा., महिलाओं, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को भौतिक वस्तुओं, संस्कृति तथा शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच में बाधाएँ उत्पन्न की हैं।

चूंकि उच्च शिक्षा सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त करने का एक माध्यम है। वि.अ.आ. भारत सरकार की नीतियों को लागू कर तथा सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए वंचित वर्गों के अनेक कार्यक्रमों तथा स्कीमों को आगे बढ़ाकर पहुंच, समानता तथा निष्पक्षता की राष्ट्रीय चिंताओं को दूर करता आ रहा है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की आवश्यकताओं तथा बाध्यताओं के प्रति अधिक प्रतिक्रियात्मक बनाने के लिए वि.अ.आ. ने वंचित वर्गों के लिए नीतियों व कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करने तथा अकादमिक, वित्तीय, सामाजिक एवं अन्य मामलों में मार्गदर्शन तथा परामर्श प्रदान करने के लिए अवसर प्रकोष्ठ बनाने की योजना बनाई है। 11वीं योजना (2007-2012) के दौरान यह प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय/कॉलेजों को उच्च शिक्षा में अ.जा./अ.ज.जा. द्वारा झेली जा रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील भी बनाएगा। यह अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (असम्पन्न वर्ग को छोड़कर)/अल्पसंख्यकों के अनुशिक्षण हेतु विशिष्ट योजनाएँ चलाएगा ताकि उनके रोजगार प्राप्त करने तथा सफलता प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके। इस योजना के तहत समान अवसर प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए एक मुश्त 2.00 लाख रुपये का अनुदान दिया जा सकता है।

7.5 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर वर्गों के लिए अनुशिक्षण कक्षाएँ

आयोग ने 1983 में अल्पसंख्यकों के लिए अनुशिक्षण कक्षाओं की योजना शुरू की और प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसरण के माध्यम से इस योजना को सुदृढ़ किया गया। योजना का उद्देश्य अनुशिक्षण कार्यक्रम चलाना था जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को विभिन्न स्तरों पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि के अंतर्गत नौकरियों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए तैयार करना था। यह भी विचार किया गया था कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की अनुशिक्षण कक्षाओं में आयुर्विज्ञान और इंजीनियरी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षाओं और टेस्टों को भी शामिल किया जाएगा।

यह स्कीम योजना दर योजना के आधार पर संचालित की जाती है। शुरु में किसी नए केन्द्र को तीन वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। तीन वर्षों के प्रथम चरण की समाप्ति पर, अल्पसंख्यक अनुशिक्षण केन्द्रों के समीक्षा स्थाई समिति द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के कल्याण के बारे में की जाएगी। यदि केन्द्र का निष्पादन संतोषजनक पाया जाता है तो केन्द्र के दूसरे चरण के लिए अनुमति दी जाएगी।

वि.अ.आ. विभिन्न विशेष योजनाओं के माध्यम से समाज के अल्प-सुविधा प्राप्त वर्गों की सामाजिक समानता और सामाजिक आर्थिक उन्नति में योगदान कर रहा है।

10वीं योजना के दौरान, वि.अ.आ. ने इस योजना के कार्यक्षेत्र का विस्तार करके इसे निम्न योजनाओं में विभाजित कर दिया है :

- (क) विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में अल्प-संख्यक समुदायों के छात्रों के लिए पूर्व-स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर उपचारी अनुशिक्षण कक्षाएँ।
- (ख) नौकरियों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में अल्प संख्यक समुदायों के छात्रों के लिए अनुशिक्षण कक्षाएँ।
- (ग) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) की तैयारी करने के लिए अल्प-संख्यक समुदायों के छात्रों के लिए पूर्व-स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर उपचारी अनुशिक्षण कक्षाएँ।

11वीं योजना से उपरोक्त योजनाओं का कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य विकास अनुदान योजना के साथ विलय कर दिया गया है।

(क) विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए पूर्व-स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर उपचारी अनुशिक्षण कक्षाएँ

आयोग ने, वित्तीय वर्ष 2004-05 से समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए पूर्व-स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 'उपचारी अनुशिक्षण' नामक नई योजना शुरु की है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं :

- विभिन्न विषयों में छात्रों के अकादमिक कौशल एवं भाषा वैज्ञानिक दक्षता में सुधार करना।
- बुनियादी विषयों के ज्ञान स्तर को ऊँचा उठाना ताकि अगले अकादमिक कार्य के लिए मजबूत आधार उपलब्ध कराया जा सके।
- उन विषयों में जिनमें परिमाणात्मक एवं गुणात्मक तकनीकें तथा प्रयोगशाला कार्य शामिल होता है, छात्रों के ज्ञान, कौशल अभिवृत्तियों को सुदृढ़ करना ताकि इस कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध कराए गए आवश्यक मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के आधार पर छात्र उच्च अध्ययन दक्षतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए आवश्यक स्तर पर पहुँच सके।

11वीं योजना से उपरोक्त योजनाओं का कॉलेजों और विश्वविद्यालय के लिए सामान्य विकास अनुदान योजना के साथ विलय कर दिया गया है

वि.अ.आ. 10वीं योजना तक 9 विश्वविद्यालय एवं 208 कॉलेजों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा था। वर्ष 2007-08 के दौरान वि.अ.आ. ने 20.94 लाख रुपये के कुल अनुदान जारी किए/वितरित किए।

(ख) नौकरियों में प्रवेश पाने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों हेतु अनुशिक्षण कक्षाएँ :

इस अनुशिक्षण स्कीम का मूलभूत उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए तैयार करना जो उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं तथा राज्य/प्रांतीय सेवाओं में 'ख', 'ग' और 'घ' समूह के लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में मददगार साबित होगा।

वि.अ.आ., 10वीं योजना तक नौकरियों में प्रवेश पाने के लिए अनुशिक्षण कक्षाओं की योजना को लागू करने के लिए 19 कॉलेजों तथा 162 कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा था। वर्ष 2007–08 के दौरान वि.अ.आ. संबंधित कॉलेजों/विश्वविद्यालयों को कुल 4.40 लाख रुपये का अनुदान जारी किया गया/प्रतिपूर्ति की गई।

(ग) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) की तैयारी के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुशिक्षण कक्षाएँ

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2004–05 से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) की तैयारी करने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए अनुशिक्षण कक्षाओं की नई योजना शुरू की है। अनुशिक्षण कक्षाएँ चयनित विश्वविद्यालयों में आयोजित की जाती हैं जिनके लिए शत-प्रतिशत अनुदान वि.अ.आ. उपलब्ध कराता है। वि.अ.आ. प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केन्द्र आबंटित करने का प्रयास करेगा जो 'नेट' अनुशिक्षण का उत्तरदायित्व लेगा और जिनके पास यह कार्य करने के लिए पर्याप्त संकाय सदस्य तैयार हैं। अनुशिक्षण केन्द्रों में कक्षाएँ चलाने के लिए मानदेय आधार पर शिक्षकों को रखा जाएगा। अनुशिक्षण केन्द्रों में स्थाई आधार पर स्टाफ नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है।

19 विश्वविद्यालयों में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2007–08 के दौरान वि.अ.आ. द्वारा कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

7.6 अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए स्थाई समिति एवं समीक्षा समिति बैठक/कार्यशालाएँ

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए स्थाई समिति अल्पसंख्यकों के लिए चल रही योजनाओं का नियमित रूप से अनुवीक्षण और समीक्षा करती है। समिति की वर्ष में एक या दो बार बैठक होती है। समिति ने सिफारिश की है कि वि.अ.आ. को प्रत्येक वर्ष देश के उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में 4–5 क्षेत्रीय स्तरीय समीक्षा समिति/कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए। प्रत्येक ऐसी समिति में स्थाई समिति के 3–4 सदस्य और वि.अ.आ. का एक अधिकारी होगा। वर्ष 2007–08 के दौरान कोई भी कार्यशाला का आयोजन न हो सका क्योंकि इन योजनाओं को कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के विकास अनुदान के साथ विलय कर दिया गया था।

वि.अ.आ. ने यह निर्णय लिया है कि वर्ष 2007–08 के दौरान विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के संयोजकों के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी ताकि वर्ष 2006–07 के दौरान अनुमोदित इस योजना का कार्यान्वयन हो सके।

10.09.2007 को आयोग के सदस्य तथा पांडिचेरी विश्वविद्यालय के उपकुलाधिपति प्रो. जे.ए.के. तरीन की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी उपसमिति की बैठक आयोजित हुई। समिति ने उपघटकों को 11वीं योजना के दिशानिर्देशों में शामिल करने की सिफारिश की। वि.अ.आ. ने अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं की संख्या में वृद्धि कर दी है।

7.7 विशेष शिक्षा में शिक्षक तैयार करना (टी.ई.पी.एस.ई.) तथा विशेष जरूरतमंद (अपंग व्यक्तियों) व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा (एच.ई.पी.एस.एन.)

निशक्ता अधिनियम, 1995 यह इंगित करता है कि निशक्त व्यक्तियों की सभी स्तरों पर शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) निशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए देश के विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में चलाई जा रही विशेष शिक्षा गतिविधियों को सहायता प्रदान करता आया है।

वि.अ.आ. ने 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टीईपीएसई तथा एचईपीएसएन योजना आरंभ की थी जो 10वीं योजना तक चलती रही। इस स्कीम को 11वीं योजना में जारी रखा गया है। एचईपीएसएन/टीईपीएसई योजना के विशेष उद्देश्य निम्नवत है :-

- उच्च शिक्षा संस्थाओं में अपंग व्यक्तियों को समान शिक्षा अवसर और अनुभव उपलब्ध कराना।
- भारत के विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक तैयार करने के कार्यक्रमों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहित करना।

- अपंग व्यक्तियों की विशेष शैक्षिक जरूरतों के लिए उच्च शिक्षा के कार्यकर्ताओं में जागरुकता उत्पन्न करना।
- उच्च शिक्षा संस्थाओं को सुविधाओं से लैस करना ताकि अपंग व्यक्ति उनका लाभ उठा सकें।
- अपंग व्यक्तियों को उचित आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि वे उच्च शिक्षा में अधिक समय तक टिके रहें।
- शिक्षित अपंग स्नातकों को सार्वजनिक के साथ-साथ निजी क्षेत्र में उद्यमों में उचित नौकरी दिलाने के लिए प्रयत्न करना।
- अपंग व्यक्तियों की उच्च शिक्षा से संबंधित समस्त विद्यमान और भावी विद्यमान तथा नीतियों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करना।
- विशेष जरूरतमंद लोगों का उच्च शिक्षा के प्रति क्षमता विकास।
- रिपोर्टधीन वर्ष में, वि.अ.आ. ने इन योजनाओं के अधीन सहायता प्रदान करने के लिए 49 और नई संस्थाओं की पहचान की है और वर्ष 2006-07 के दौरान रु. 73.08 लाख की अनुदान राशि प्रदान की गई।

वर्ष 2007-08 के दौरान विश्वविद्यालयों/संस्थानों को 27.64 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की गई है। कार्य की प्रगति तथा व्यय के विवरण की प्राप्ति पर 10वीं योजना की वचनबद्धता के रूप में लगभग 2.00 करोड़ रुपये की राशि विश्वविद्यालयों/संस्थानों को सस्वीकृत की जानी है।

7.8 महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना

महिलाओं को अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने से संबंधित यह योजना 1986 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को सहायता उपलब्ध कराना है। महिला अध्ययनों के केन्द्रों के लिए अनुसंधान करना, पाठ्यचर्या का विकास करना और प्रशिक्षण आयोजित करना, स्त्री-पुरुष समानता के क्षेत्रों में विस्तार कार्य करना, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, लड़कियों की शिक्षा, जनसंख्या मुद्दों, मानवाधिकार तथा सामाजिक शोषण आदि के संबंध में कार्य करना आवश्यक है। इन गतिविधियों से केवल यह आशा ही नहीं की जाती है कि सामाजिक जागरुकता पैदा होगी और परिवर्तन आएगा बल्कि यह भी आशा की जाती है कि उनसे अकादमिक विकास भी होगा। महिला अध्ययन केन्द्रों ने निम्नलिखित कार्यकलापों की सूचना दी है :

- **शिक्षण** : महिला प्रशिक्षण पुस्तिका के लिए पाठ्यचर्या विकास और सामग्री का उन्नयन, महिलाओं के मुद्दों पर संक्षिप्त मोनोग्राफ।
- **अनुसंधान** : महिलाओं के मुद्दों पर अनुसंधान परियोजनाएँ।
- **विस्तार** : न्यूजलैटर (समाचार), उपबोधन तथा सहायता साधन, परिवार उपबोधन केन्द्र, साक्षरता मिशन, समुदाय विकास सर्वेक्षण, महिलाओं से संबंधित समस्याओं पर वीडियो तैयार करने के लिए दृश्य-श्रव्य यूनिट को सहायता।

इस योजना के अंतर्गत कुल मिलाकर 67 महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/कॉलेजों में हो चुकी है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को उनकी गतिविधियों के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान 5.00 करोड़ रुपये के बजटीय आबंटन के समक्ष 5.12 करोड़ रुपये जारी किए गए।

महिला अध्ययन योजना की 10वीं मार्ग दर्शिका के अनुसार प्रत्येक विश्वविद्यालय/संस्थान के अध्ययन केन्द्र को 10.00 लाख (आवर्ती अनुदान) प्रत्येक वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी एवं 20 लाख अनावर्ती अनुदान में दी जायेगी जबकि कॉलेजों को 5.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष आवर्ती अनुदान एवं 2.00 लाख रुपये अनावर्ती राशि दी जाएगी। इन केन्द्रों की योजना अवधि के साथ समाप्त हो जायेगी। इस योजना के दिशानिर्देशों की समीक्षा की जा रही है तथा 11वीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु अंतिम रूप दिया जा रहा है।

7.9 कॉलेजों के लिए महिला छात्रावास

विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में होस्टल और आधारिक संरचनात्मक सुविधाएँ प्रदान करने, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराते हुए महिलाओं के नामांकन में वृद्धि करने और महिलाओं की स्थिति को बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से 10वीं योजना अवधि में एक विशेष योजना 'महिला होस्टल निर्माण' शुरू की गई है। इस योजना में वित्तीय सहायता

प्राप्त करने के पात्र वे विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं जो वि.अ.आ. के क्षेत्र में आते हैं और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के अधीन सहायता प्राप्त करने के योग्य हैं। इस योजना के अंतर्गत वि.अ.आ. की वित्तीय सहायता शत-प्रतिशत आधार पर नीचे दी गई उच्चतम सीमा के अधीन है :

महिला नामांकन	जो महानगरों में स्थित नहीं हैं उनके संबंध में राशि (रुपये लाख में)	महानगर शहरों के संबंध में राशि (रुपये लाख में)
(क) 250 तक	60.00	120.00
(ख) 251 से 500 तक	80.00	160.00
(ग) 500 से अधिक	100.00	200.00

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आबंटन/उच्चतम सीमा के अतिरिक्त होने वाली व्यय को संस्थाओं को अपने संसाधनों से पूरा करना होगा जिसके लिए संबंधित संस्था को स्पष्ट सूचना और आश्वासन देना होगा।

दिशानिर्देशों के तहत वि.अ.आ. आबंटन/उच्चतम सीमा के अतिरिक्त लागत में किसी भी प्रकार की वृद्धि का उपबंध नहीं करता है।

वर्ष 2007-08 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्षेत्रीय कार्यालय/ ब्यूरो का नाम	वर्ष 2007-08 के दौरान कॉलेज जिन्हें सहायता दी गई	1.4.2007 से 31.3.2008 के दौरान प्रदत्त राशि (रुपये लाख में)*
सी.आर.ओ., भोपाल	76	2040.16
ई.आर.ओ., कोलकाता	132	3646.85
एन.ई.आर.ओ., गुवाहाटी	84	1992.52
एस.ई.आर.ओ., हैदराबाद	111	3478.14
एस.डब्ल्यू.आर.ओ., बंगलूरु	146	3126.17
डब्ल्यू.आर.ओ., पुणे	350	3321.38
एन.आर.सी.बी., नई दिल्ली	91	1099.66
कुल	990	18704.88

***चालू परियोजनाओं सहित**

रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान महिलाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु वि.अ.आ. मुख्यालय द्वारा दिल्ली के कॉलेजों के लिए 500.00 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

8 प्रासंगिकता एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा

8.1 शिक्षा को वृत्ति उन्मुखी बनाना

शिक्षा को वृत्ति उन्मुखी बनाने की एक आषाधित योजना के अंतर्गत 8वीं योजना (1994-95) के दौरान स्नातक पूर्व स्तर पर आरंभ किए गए व्यावसायिक कार्यक्रम को 2003-04 में पुनः तैयार किया गया है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो स्नातक इन पाठ्यक्रमों को पूरा करते हैं उन्हें सामान्य रूप से मजदूरी क्षेत्र में विशिष्ट रूप से स्वरोजगार के क्षेत्र में लाभकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए ज्ञान, कौशल तथा रुझान पैदा किया जाए जिससे निष्णात उपाधि के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों पर बोझ को कम किया जा सके। यह पाठ्यक्रम औपचारिक रूप से चलाए जा रहे कला, वाणिज्य तथा विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रमों के समकक्ष चलाए जाते हैं। यह पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/उच्च डिप्लोमा के रूप में होते हैं जो छात्र औपचारिक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. उपाधियों के साथ-साथ कर सकते हैं।

चलाए जा रहे पाठ्यक्रम अंतर्विषय प्रकृति के होते हैं। छात्र को विविध विषयों को चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह आवश्यक नहीं होता कि यह उसके मुख्य विषय से ही संबंधित हो। उदाहरण के लिए विज्ञान का छात्र साथ-साथ 'ईवेंट मैनेजमेंट' में पाठ्यक्रम जारी रख सकता है तथा कला पृष्ठभूमि से छात्र विज्ञान पत्रकारिता में पाठ्यक्रम जारी रख सकता है।

वि.अ.आ. द्वारा इस योजना के तहत चुने गए संस्थानों को मानविकी तथा वाणिज्य विषयों में पांच वर्षों के लिए 5.00 लाख एक मुश्त राशि तथा विज्ञान विषय के लिए पांच वर्षों के लिए 7.00 लाख रुपये एक मुश्त 'बीज राशि' के रूप में सहायता दी जाती है। इस राशि को पुस्तकों, जर्नल, प्रयोगशाला, उपस्करों, सुविधाओं के विस्तार तथा अतिथि शिक्षक को पारिश्रमिक के भुगतान के लिए किया जा सकता है। कॉलेजों/विश्वविद्यालयों को मानविकी, वाणिज्य तथा विज्ञान तीनों विषयों में कम से कम तीन पाठ्यक्रम चुनने होते हैं। शिक्षकों/स्टाफ के सदस्यों के अलावा, प्रशिक्षण देने वाले एवं पेशेवर संस्थाओं, शिक्षकों एवं उत्पादन करने वाले प्रतिष्ठानों से शिक्षकों को इन विषयों को पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। विषय में विशेषज्ञ व्यक्ति को भी अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा दे सकते हैं।

वि.अ.आ. ने पाठ्यक्रमों की कोई सूची उपलब्ध नहीं करवाई है। यह विश्वविद्यालयों/कॉलेजों पर छोड़ दिया गया है कि वे 'आवश्यकता आधारित' वृत्ति उन्मुखी/अंतर्विषय पाठ्यक्रम की पहचान करें।

वर्ष 2007-08 के दौरान योजना के तहत वि.अ.आ. को वित्तीय सहायता के लिए विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से 910 प्रस्ताव प्राप्त हुए। सूचीबद्ध संस्थानों के प्रधानाचार्य/रजिस्ट्रारों को विशेषज्ञ समिति के साथ आमने-सामने बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया। इन बैठकों को क्षेत्रवार : (1) यूजीसी कार्यालय, 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (2) यूजीसी कार्यालय, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद (3) यूजीसी कार्यालय, केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल (4) यूजीसी कार्यालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता (5) यूजीसी कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे में आयोजित किया गया। वि.अ.आ. ने अकादमिक वर्ष 2008-09 से आरंभ होने वाले वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों के लिए चयन समिति की मदद से 691 कॉलेजों, 10 राज्य विश्वविद्यालयों तथा 4 समविश्वविद्यालयों का चयन किया।

वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए योजना के तहत 45 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया गया था, विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 36.99 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी थी। इसके अलावा 10वीं योजना के दायित्व के रूप में वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों के लिए 3.64 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई थी।

8.2 क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 45 अभिज्ञात केन्द्रों में "क्षेत्र अध्ययन केन्द्र" के रूप में (10वीं योजना तक परियोजना रूप में 9 अध्ययन केन्द्र) सहायता उपलब्ध करा रहा है ताकि संबंधित क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक मामलों का अध्ययन शुरू किया जा सके और तुलनात्मक ढांचे के अंतर्गत अंतः शास्त्रीय अनुसंधान तथा शिक्षण विकास किया जा सके। उन देशों और क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिनके साथ घनिष्ठ एवं सीधा संबंध है।

31 मार्च, 2008 की स्थितिनुसार आयोग ने विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित 45 केन्द्रों को सहायता उपलब्ध कराई है :

1.	आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर	सार्क अध्ययन केन्द्र
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	नेपाल संबंधी अध्ययन केन्द्र
3.	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता	1. दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन केन्द्र 2. पाकिस्तान और पश्चिमी एशियाई अध्ययन कार्यक्रम
4.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	1. पूर्वी एशियाई अध्ययन केन्द्र 2. केनिडियन अध्ययन केन्द्र
5.	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा	लेटिन और अमेरिकी अध्ययन केन्द्र
6.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	भारतीय डायसपोरा
7.	जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	फेडरल अध्ययन केन्द्र
8.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	तीसरे विश्व संबंधी अध्ययन केन्द्र
9.	जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	1. रूसी, मध्य एशिया तथा पूर्वी यूरोपीय अध्ययन केन्द्र 2. पश्चिम एशियाई तथा अफ्रीकी अध्ययन (खाड़ी) 3. दक्षिणी, मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशियाई और दक्षिण पश्चिम पेसिफिक अध्ययन केन्द्र—केन्द्रीय एशियन अध्ययन कार्यक्रम केन्द्र
10.	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	मध्य एशियाई अध्ययन केन्द्र
11.	केरल विश्वविद्यालय, तिरुवंतपुरम	कनाडियन अध्ययन केन्द्र
12.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	दक्षिणी एवं दक्षिणी-पूर्वी एशियाई अध्ययन केन्द्र
13.	एम.एस.बडौदा विश्वविद्यालय, बडौदा	कनाडियन अध्ययन केन्द्र
14.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	मणिपुरी अध्ययन केन्द्र
15.	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई	1. अफ्रीकी अध्ययन केन्द्र 2. मध्य यूरोशियाई अध्ययन केन्द्र
16.	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग	हिमालय अध्ययन केन्द्र
17.	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	हिंद महासागर अध्ययन केन्द्र
18.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	दक्षिण एशियाई अध्ययन केन्द्र
19.	एस.वी. विश्वविद्यालय, तिरुपति	दक्षिण-पूर्वी एशियाई और पेसिफिक अध्ययन केन्द्र
20.	एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई	कनाडियन अध्ययन केन्द्र
21.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	अप्रवासी अध्ययन हेतु कार्यक्रम
22.	कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट	हिंद महासागर अध्ययन हेतु कार्यक्रम
23.	एच.नार्थ गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	भारतीय डायसपोरा तथा सांस्कृतिक अध्ययन हेतु कार्यक्रम
24.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	मध्य एशियाई अध्ययन हेतु कार्यक्रम
25.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी	दक्षिण एशियाई अध्ययन हेतु कार्यक्रम

10वीं योजना तक परियोजना के रूप में क्षेत्र अध्ययन केन्द्र

1.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	अफ्रीका अध्ययन केन्द्र
2.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़	बांग्लादेश और म्यांमार अध्ययन केन्द्र
3.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	1. पाकिस्तान के संबंध में अध्ययन केन्द्र 2. यूरोपीय अध्ययन कार्यक्रम 3. फैंकोफोन सब सहारन अध्ययन केन्द्र
4.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	सामरिक तथा क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र
5.	कुवेम्पू विश्वविद्यालय, कुवेम्पू	दक्षिण एशियाई अध्ययन केन्द्र
6.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	म्यांमारियाई अध्ययन केन्द्र
7.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, गुजरात	भारतीय डायसपोरा अध्ययन केन्द्र
8.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	पाकिस्तानी अध्ययन केन्द्र

पांच वर्ष अवधि के लिए परियोजना के रूप में नये अध्ययन केन्द्र

1.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	दक्षिण एशिया पाकिस्तान-अफगानिस्तान अध्ययन केन्द्र
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	केन्द्रीय एशियन अध्ययन केन्द्र
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	विकासशील देशों पर अनुसंधान केन्द्र
4.	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता	चीन एवं पड़ोसी देशों पर अध्ययन केन्द्र
5.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड अध्ययन केन्द्र

वर्ष 2007-08 के लिए बजटीय स्थिति

वर्ष	क्षेत्र अध्ययन केन्द्र के लिए आबंटन	व्यय	लाभार्थियों की संख्या
2007-08	2.00 करोड़ रुपये	1.88 करोड़ रुपये	45

8.3 सामाजिक बर्हिषेण और अंतर्वेषन के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना

सामाजिक बर्हिषेण समाज में तनाव, हिंसा तथा विघटन पैदा करता है बल्कि असमानता तथा वचन की स्थिति का भी सृजन करता है। भारत में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां तथा धार्मिक अल्पसंख्यक, विकास का लाभ प्राप्त करने के मामले में उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि जानबूझकर उन्हें इससे अलग रखा जा रहा है। सामाजिक बर्हिषेण एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जिसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक दुष्परिणाम होते हैं। बृहत आर्थिक नीतियों जैसे गरीबी, बेरोजगारी तथा अनैच्छिक प्रवास के परिणामस्वरूप, पीड़ित आर्थिक सांस्कृतिक तथा राजनीतिक गतिविधियों से अलग-थलग पड़ जाता है।

केन्द्रों को स्थापित करने की आवश्यकता

भारतीय परिदृश्य में इस प्रकार के प्रधान ढांचों का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण है जहां संस्थागत असमानता और भेदभाव हमारे समाज की एक व्यापक विशेषता है। उच्च शिक्षा के संस्थानों को इस मुद्दे का समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। प्रथम स्थान जहां बर्हिषेण का अध्ययन किया जा सकता है, उसे समझा जा सकता है तथा इसकी सर्वप्रथम मीमांसा की जा सकती है, वह है हमारे विश्वविद्यालय, जो हमारे समाज के पथ-प्रदर्शक हो सकते हैं और उन्हें पथ-प्रदर्शक होना भी चाहिए। इसलिए वि.अ.आ. ने सामाजिक बर्हिषेण जिसका सिद्धांतगत, नीतिगत महत्व है, के मुद्दे पर अनुसंधान को

सहायता देने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालयों में इन विषयों पर अध्ययन के लिए अनेक शिक्षा सहअनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य है।

वर्ष 2007–08 के दौरान, इन केन्द्रों की आवश्यकता और उद्देश्य को मददेनजर रखते हुए आयोग ने विश्वविद्यालयों से सामाजिक बहिर्वेशन और अंतर्वेशन नीति के अध्ययन के लिए केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। 75 विश्वविद्यालयों/समविश्वविद्यालयों ने अपने विश्वविद्यालय में केन्द्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजा। विशेषज्ञ समिति ने 11 से 13 मार्च, 2008 तक हुई अपनी बैठक में प्रस्तुतिकरण तथा उत्तरवर्ती चर्चा के आधार पर 22 विश्वविद्यालयों/समविश्वविद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए बहिर्वेशन और अंतर्वेशन नीति के अध्ययन हेतु केन्द्र की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

वर्ष 2006–07 के दौरान स्थापित किए गए केन्द्र

1. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुम्बई
2. आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापटनम
3. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़
4. शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर
5. मंगलोर विश्वविद्यालय, मंगलोर
6. कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता
7. नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय, बंगलोर
8. भारतीदासान विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली
9. मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
10. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
11. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर
12. पटना विश्वविद्यालय, पटना
13. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

वर्ष 2007–08 के दौरान स्थापित किए गए केन्द्र

14. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
15. एस.के. विश्वविद्यालय, अनंतपुरम
16. गोवा विश्वविद्यालय, गोवा
17. बंगलोर विश्वविद्यालय, बंगलोर
18. दक्षिणी गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत
19. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट
20. जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

21. कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलोजी, कोचीन
22. गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पोलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, पुणे
23. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
24. मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर
25. सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर
26. उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
27. पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी
28. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
29. त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला
30. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
31. मनोन्मनियम सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तिरुनेलवेली
32. गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गांधीग्राम
33. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर
34. जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
35. एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई

वर्ष 2007-08 के दौरान इन संस्थानों को इनकी स्थापना के उद्देश्य के लिए 8.80 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई।

8.4 भारतीय युग-प्रवर्तक सामाजिक चिंतकों पर विशेष अध्ययन

भारतीय युग-प्रवर्तक सामाजिक चिंतकों पर विशेष अध्ययन योजना वि.अ.आ. द्वारा वर्ष 1983 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत वि.अ.आ. शत-प्रतिशत आधार पर विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थाओं के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए विशेष अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करने के लिए सहायता उपलब्ध कराता है ताकि शिक्षकों और छात्रों को महान चिंतकों और सामाजिक नेताओं/सुधारकों के विचारों और कार्यों से अवगत कराया जा सके।

विभिन्न संस्थानों से प्राप्त 101 प्रस्तावों में से नये ईपीओसीएच केन्द्रों को अनुमोदन प्रदान करने/चयन के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। मार्च 2008 को हुई समिति की बैठक में 48 नये ईपीओसीएच को अनुमोदन प्रदान किया है। 11 गांधी अध्ययन केन्द्र, 15 अम्बेडकर अध्ययन केन्द्र, 2 अरबिंदो अध्ययन केन्द्र, 12 बौद्ध अध्ययन केन्द्र तथा 8 नेहरू अध्ययन केन्द्र।

आजतक इस योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों में 191 अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। (जिसमें 48 नये केन्द्र शामिल हैं)। (61 गांधी अध्ययन केन्द्र, 55 अम्बेडकर अध्ययन केन्द्र, 6 अरबिंदो अध्ययन केन्द्र, 1 कृपा नारायण अध्ययन केन्द्र, 2 स्वामी विवेकानन्द अध्ययन केन्द्र, 2 जाकिर हुसैन अध्ययन केन्द्र, 3 गुरु नानक देव अध्ययन केन्द्र, 1 इंदिरा गांधी अध्ययन केन्द्र, 32 बौद्ध अध्ययन केन्द्र तथा 28 नेहरू अध्ययन केन्द्र)।

वर्ष 2007-08 के दौरान, 10वीं योजना के दौरान स्थापित केन्द्रों को उनके क्रियाकलाप हेतु कुल 4.30 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया। 11वीं योजना के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित किया जा रहा है।

8.5 प्रौढ़, अनुवर्ती शिक्षा तथा विस्तार एवं क्षेत्र प्रसार (एसीईई एण्ड एफओ)

देश से निरक्षरता दूर करने के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के दायित्व को पूरा करने के लिए वि.अ.आ. ने 1978 से उच्च शिक्षा प्रणाली में विभिन्न कार्यक्रम यथा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (एनएईपी-1978 से 1983), प्रौढ़, अनुवर्ती शिक्षा कार्यक्रम (एसीईपी-1983 से 1990), भारत सरकार 16/20 सूत्री कार्यक्रम (1983 से 1989), क्षेत्र आधारित उपागम कार्यक्रम (एबीएपी-1989 से 1992), पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम (टीएलसीपी-1982 से 1997) तथा 9वीं योजना के प्रौढ़, अनुवर्ती शिक्षा तथा विस्तार एवं क्षेत्र प्रसार के कार्यक्रम (एसीईई और एफओ-1997 से 2002) कार्यान्वित कर रहा है जिनमें समय-समय पर विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों/विभागों को सम्मिलित किया जाता है। बदले में छात्रों और शिक्षकों को शामिल करते हुए इन संस्थाओं ने साक्षरता, साक्षरोत्तर, अनुवर्ती शिक्षा, जनता के लिए विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, कानून साक्षरता तथा प्रौद्योगिकी अंतरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

वर्ष 2005-06 और उसके बाद प्रौढ़, अनुवर्ती शिक्षा तथा विस्तार एवं क्षेत्र प्रसार कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित तीन दृष्टिकोणों की पद्धतियों की परिकल्पना की गई :-

- अनुवर्ती शिक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जिन्होंने विश्वविद्यालय की शिक्षा का लाभ प्राप्त किया हो किन्तु जिन्हें या तो अपना ज्ञान या कौशल अद्यतन बनाने के लिए लौटने की जरूरत हो या नवीन कौशल प्राप्त करने हों। इनमें उद्योग और सेवाओं के दल/भाग लेने वाले सम्मिलित हो सकते हैं। यह पाठ्यक्रम अल्पकालिक या सर्टिफिकेट/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के तौर पर हो सकते हैं। ये पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए हो सकते हैं जो पहले ही सेवारत हैं या जो बेरोजगार हैं ताकि वे अपनी रोजगार योग्यता में सुधार कर सकें।
- प्रौढ़ तथा विस्तार शिक्षा में अल्पकालिक ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल होने चाहिए जिनका लक्ष्य ऐसे लोग होने चाहिए जो सामान्यतः विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रवेश न कर सकते हो। ये पाठ्यक्रम कौशल आधारित हो सकते हैं जैसे धन अर्जित करने का कौशल, उद्यमशीलता का विकास, पारिवारिक जीवन शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा या सामाजिक मुद्दों से संबंधित यथा परा-विधिक प्रशिक्षण और आधारित कार्यकर्ताओं/सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए विभिन्न प्रकार से प्रशिक्षण।
- समुदाय-संपर्क गतिविधियों में समाज तक पहुंचने का दायित्व होना चाहिए भले ही विशेष लाभ से वंचित लोग हों यथा, बंधुआ मजदूर, बाल-श्रमिक, गली के बच्चे अथवा संगठन हों जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या नगर की गंदी बस्तियों अथवा गांव जैसे भूगोलीय समुदाय के नगरपालिका/जिला परिषद् स्कूल।

10वीं योजना अवधि के दौरान, वि.अ.आ. ने 'ई-लर्निंग सेंटर', छात्र परामर्श/नियोजन/वृत्ति मार्गदर्शन केन्द्र आरंभ किए तथा विभागों को उनकी गतिविधियों तथा उपलब्धि के आधार पर उपस्कर उपलब्ध कराए।

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान भारतीय विश्वविद्यालयों में 86 केन्द्र कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालयों को कुल 36.06 लाख रुपये का अनुदान जारी किया जा चुका है। 11वीं योजना में कार्यान्वयन हेतु स्कीम के दिशानिर्देशों की समीक्षा की जा रही है तथा उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है।

8.6 जनसंख्या तथा विकास शिक्षा पर यू.जी.सी.-यू.एन.एफ.पी.ए. परियोजना

वि.अ.आ. 1983 से विश्वविद्यालय प्रणाली में जनसंख्या तथा विकास शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को सहायता प्रदान कर रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों के युवकों तथा उनके माध्यम से समुदाय को इस योग्य बनाना है ताकि वे जीवन की गुणवत्ता, लिंग समानता, प्रजनन स्वास्थ्य, एड्स, समाज

तथा राष्ट्र पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव आदि से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट रूप से समझ सकें। चूंकि यूएनएफपीए की अनुदान सहायता बंद कर दी गई थी, वि.अ.आ. अपने ही बलबूते पर प्रौढ़, अनुवर्ती शिक्षा और विस्तार एवं क्षेत्र प्रसार के केन्द्रों के माध्यम से जनसंख्या शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम को चला रहा है।

वर्ष 2007-08 के दौरान केन्द्रों को जनसंख्या शिक्षा क्रियाकलापों के लिए 74.18 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

8.7 मानवाधिकार एवं नैतिक शिक्षा (एच.आर.वी.ई.)

वर्ष 1985 में वि.अ.आ. ने शिक्षा के सभी स्तरों पर मानवाधिकारों की शिक्षा एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए एक रूपरेखा तैयार की। इस रूपरेखा में मानवाधिकारों, मौजूदा पाठ्यक्रम के पुर्नगठन के लिए तथा नए पाठ्यक्रम आरंभ करने तथा बुनियादी पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव अंतर्विष्ट है। यह पेशेवर और गैर-पेशेवर दोनों ही शिक्षा हेतु स्नातक पूर्व, स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर पर सभी संकायों के लिए था। वि.अ.आ. 9वीं योजना से ही विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में मानवाधिकारों और कर्तव्य को बढ़ावा देता आ रहा है और उनका समर्थन करता आ रहा है योजना के दो घटक हैं :-

- मानव अधिकार और कर्तव्य शिक्षा
- नैतिकता तथा मानव मूल्यों का संवर्धन

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है :-

(क) मानव अधिकार और कर्तव्य शिक्षा

- (1) समाज तथा शैक्षिक संस्थाओं के बीच अन्योन्यक्रिया का विकास किया जा सके।
- (2) नागरिकों को संवेदनशील बनाना ताकि मानव अधिकारों के मूल्यों को कार्यान्वित किया जा सके।
- (3) अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सके।
- (4) मानव अधिकारों तथा शिक्षा मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि के आपसी संबंधों के बारे में अनुसंधान अध्ययनों को प्रोत्साहित किया जा सके।

(ख) नैतिकता और मानव मूल्यों का संवर्धन

- (1) मूल्यों के प्रति जागरुकता, दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता पैदा करना ताकि शिक्षा के जरिए जीवन की गुणता में सुधार और सामाजिक तथा मानव कल्याण को बढ़ाया जा सके।
- (2) शिक्षकों तथा छात्रों के लिए बहिर्विद्यालय व्याख्यानों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं एवं अभिविन्यास कार्यक्रमों जैसे मूल्यों तथा संस्कृति के बारे में शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार कार्यक्रमों से संबंधित अकादमिक तथा अन्य गतिविधियों को शुरु करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को प्रोत्साहित करना।
- (3) मूल्यों से संबंधित पुस्तकों, पुस्तिकाओं, पत्रिकाओं, शिक्षण सामग्रियों, वीडियो सीडी और फिल्मों को मिलाकर अपेक्षित सामग्री को तैयार और प्रकाशित करने के विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करना।

वर्ष 2007-08 के दौरान वि.अ.आ. को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों/कॉलेजों से 45 प्रस्ताव प्राप्त हुए। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर इन 45 प्रस्तावों में से 30 प्रस्तावों (विश्वविद्यालयों से 7 प्रस्ताव तथा कॉलेजों से 23 प्रस्ताव) को वि.अ.आ. द्वारा अनुमोदित किया है।

इस योजना के तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वर्ष 2007-08 के लिए 1.00 करोड़ रुपये के बजटीय आबंटन के समक्ष कुल 98.20 करोड़ रुपये के अनुदान जारी किए गए।

11वीं योजना में कार्यान्वयन हेतु मौजूदा योजना के दिशानिर्देशों की समीक्षा की जा रही है।

9 सूचना संचार प्रौद्योगिकियों का समेकन

9.1 विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर केन्द्रों को स्थापित करना/उन्नयन करना

वि.अ.आ. संचार और सूचना प्रौद्योगिकियों (आई.सी.टी.) में विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए अनेक आम और विशेष योजनाओं के माध्यम से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की मदद कर रहा है। तदनुसार, 1970 से यह विश्वविद्यालयों को (क) अनुसंधान और प्रशिक्षण (ख) प्रत्येक क्षेत्र/विषय में कंप्यूटर अनुप्रयोग (ग) एम.सी.ए./एम.एस.सी. (कंप्यूटर विज्ञान) प्रोग्राम एवं कतिपय विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर कंप्यूटर अनुप्रयोग पत्रों के विकास हेतु सहायता देने के लिए कंप्यूटर केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता देता आ रहा है।

आई.सी.टी. में नवीनतम विकास को मददेनजर रखते हुए, मौजूदा कंप्यूटर केन्द्रों के और अधिक उद्भव तथा भूमिका एवं कार्यकरण में पर्याप्त परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता थी तथा उनकी ऐतिहासिक स्थिति तथा भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए उनकी तैयारी के आधार उनके पृथक संभावित मॉडल होने चाहिए थे। तदनुसार, वि.अ.आ. ने इस योजना को संशोधित कर दिया।

इस योजना के तहत प्रशासन, वित्त, विश्वविद्यालयों में दाखिले इत्यादि से संबंधित कार्य के अतिरिक्त शिक्षा, अनुसंधान, अन्य संबंधित गतिविधियों के विकास के लिए केन्द्रीय सुविधा के रूप में कंप्यूटर केन्द्र स्थापित करने हेतु वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) अथवा 3 के तहत समविश्वविद्यालयों सहित सभी पात्र विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

विश्वविद्यालय जहां कोई कंप्यूटर केन्द्र नहीं हैं अथवा वि.अ.आ. की सहायता के बिना 2–3 वर्षों की अवधि के भीतर कंप्यूटर केन्द्र का ढांचा तैयार है उसके लिए सहायता की अधिकतम सीमा निम्नवत् होगी।

अनावर्ती : 70.00 लाख रुपये

आवर्ती : वास्तविक

कंप्यूटर केन्द्र जिन्होंने योजना के तहत पहली बार सहायता के बाद 5 वर्षों से अधिक समय पूरा कर लिया है उनके लिए सहायता की अधिकतम सीमा निम्नवत् है :-

अनावर्ती : 50.00 लाख रुपये

विश्वविद्यालयों से प्राप्त सभी प्रस्तावों की आयोग द्वारा बनाई गई एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की जाएगी।

योजना के तहत वर्ष 2007–08 के लिए 100 लाख रुपये के आवंटन के समक्ष 19 विश्वविद्यालयों को कुल 73.77 लाख रुपये का अनुदान जारी किया गया है।

9.2 वि.अ.आ. — इंफोनेट इंटरनेट संपर्क

भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा वर्ष 2002 में यूजीसी-इंफोनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी आरंभ किए जाने से लेकर आज तक 149 विश्वविद्यालयों को ब्रॉडबैंड एलएल/एससीपीसी/डीएमए/एफटीडीएमए/आरएफ ओपन नेटवर्क आर्किटेक्चर का उपयोग कर 256 केबीपीएस से 2 एमबीपीएस बैंडविड्थ का इंटरनेट प्रदान किया जा चुका है। कार्यक्रम के तहत संपूर्ण नेटवर्क को स्थापित करने तथा रखरखाव का कार्य ईरनेट इंडिया द्वारा टर्नकी आधार पर किया गया था। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियाँ आईपी मल्टीकास्ट का उपयोग कर टीसीपी स्पूफिंग तथा अन्य इंटरनेट उपकरण जो कंप्यूटर व टेलीविजन पर अन्योन्यक्रिया शिक्षा प्रदान करता है, प्रश्नों की ऑन लाईन प्रतिक्रिया हेतु समर्थकारी बनाकर, यूजीसी-इंफोनेट आईपी प्लेटफार्म आधारित है। ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर वर्तमान एवं भावी अनुप्रयोगों के लिए सहायता सुनिश्चित करता है।

प्रत्येक भागीदार विश्वविद्यालय ने यूजीसी, इंफिलबनेट और ईरनेट के साथ चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। संपूर्ण परियोजना को यूजीसी द्वारा 90 प्रतिशत पूंजीगत निवेश तथा शत-प्रतिशत अनावर्ती बैडविडथ प्रभार के साथ वित्तपोषित किया गया है। एक संयुक्त तकनीकी प्रशुल्क समिति (जेटीटीसी) जिसे अब सेंट्रल कनेक्टिविटी, मॉनीटरिंग कमेटी (सीसीएमसी) के नाम से जाना जाता है इसमें देश के जाने माने विशेषज्ञ शामिल हैं। इसकी स्थापना परियोजना के डिजाइन, कार्यान्वयन व प्रचालन को दिशा देने व उसकी निगरानी करने के लिए की गई है। इंफिलबनेट, इंटरनेट व विश्वविद्यालयों के बीच में संपर्क व अनुवीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईरनेट, इंफिलबनेट के सहयोग से कैंपस नेटवर्क व उपस्कर के प्रबंध हेतु विश्वविद्यालयों के नेटवर्क व सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को प्रशिक्षण देता है।

इंटरनेट के माध्यम से कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालयों को प्रदान की गई बैडविडथ, विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर 256 केबीपीएस से 2 एमबीपीएस के बीच है। केन्द्र अर्थात् इंफिलबनेट के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान कुल 16.13 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है।

9.3 यूजीसी-इंफोनेट डिजीटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम

यूजीसी इंफोनेट कार्यक्रम के तहत वर्ष 2003 में विश्वविद्यालयों को इंटरनेट संपर्क उपलब्ध कराने के तुरंत बाद ही भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा औपचारिक रूप से दिसम्बर, 2003 में उद्घाटन के साथ ही यूजीसी-इंफोनेट डिजीटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम आरंभ किया गया था। कंसोर्शियम उन ग्रंथालयों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ जिन्होंने 'सिरियल क्राईसिस' के कारण, जिसका अर्थ है स्कालरली जरनल के लगातार बढ़ते मूल्य के चलते, 'स्कालरली जरनल' को क्रय करना बंद कर दिया था। यह संकट महंगाई के मुकाबले जरनल के मूल्य में बढ़ोतरी जरनल की संख्या में वृद्धि तथा ग्रंथालयों के पास उपलब्ध निधियों की कमी के कारण उत्पन्न हुआ।

यह कंसोर्शियम वर्तमान एवं अभिलेख रूप में 5000 से अधिक मुख्य एवं पी.आर.-रिव्यूड जर्नल तथा 23 प्रकाशकों एवं संग्रहकों के माध्यम से विभिन्न विषयों में 9 ग्रंथसूची डाटाबेस तक पहुंच उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया गया है। वर्ष 2004 में आरंभ हुए पहले चरण में, 50 विश्वविद्यालयों को ई-रिसोर्स तक पहुंच उपलब्ध कराई गई जिनके पास यूजीसी के यूजीसी-इंफोनेट कनेक्टिविटी कार्यक्रम के तहत इंटरनेट कनेक्टिविटी थी। दूसरे चरण में, वर्ष 2005 में 50 और विश्वविद्यालयों को कार्यक्रम में जोड़ दिया गया। अब तक, यूजीसी के तहत आने वाले 171 में से 120 विश्वविद्यालयों को क्रय किए हुए ई-रिसोर्सिज तक विशिष्ट पहुंच उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त कुछ प्रकाशकों से 25 विश्वविद्यालय ई-जर्नल तक पहुंच प्राप्त कर रहे हैं। यह ई-रिसोर्सिज भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, गणित तथा सांख्यिकी आदि शामिल है। यह कार्यक्रम वि.अ.आ. द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित है तथा इंफिलबनेट केन्द्र द्वारा निष्पादित किया जाता है।

ई-रिसोर्सिज के क्रय का लाभ कॉलेजों को भी दिया जाएगा, पहले पहल, कॉलेज फॉर पोटेंशियल विद एक्सेलेंस (सीपीई) तथा स्वायत्त कॉलेजों को सुविधा प्रदान की जाएगी। कंसोर्शियम 'ऐसोसियेटेड मेम्बरशिप प्रोग्राम' भी आरंभ करने की योजना बना रहा है जिसमें निजी विश्वविद्यालय तथा अन्य अनुसंधान संगठनों को चयनित ई-रिसोर्सिज के लिए कंसोर्शियम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

23 मुख्य प्रकाशकों एवं संग्रहकों से 5000 स्कालरली जर्नल तथा 9 ग्रंथसूची डाटाबेस तक विशिष्ट पहुंच 150 विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान मुद्दों तक उनकी पहुंच के अलावा अधिकांश जनरल 1997 के बाद से अभिलेख के रूप में संयोजित रूप में उपलब्ध हैं। कुछ प्रकाशक जैसे अमरीकन केमिकल सोसायटी, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स तथा जेएसटीओआर खण्ड-1 से पहुंच सुनिश्चित कराते हैं।

तालिका : ई-रिसोर्स के उपयोग में कुल औसत वृद्धि

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	प्रकाशक का नाम	2005 में डाउनलोड की संख्या	2006 में डाउनलोड की संख्या	2007 में डाउनलोड की संख्या	2005–06 में वृद्धि	2006–07 में वृद्धि	औसत वृद्धि
1.	जे.एस.टी.ओ.आर.	53924	121745	616560	125.77	406.44	521.69
2.	आर.एस.सी.	41786	88174	134121	111.01	52.11	110.49
3.	एमराल्ड	18106	38995	48776	115.37	25.08	84.70
4.	ब्लैकवेल	116473	174081	278690	49.46	60.09	69.64
5.	स्प्रिंगर लिंक	190831	273319	443024	43.23	62.09	66.08
6.	आई.ओ.पी.	81071	124949	134241	54.12	7.44	32.79
7.	सी.यू.पी.	21321	23061	49304	8.16	113.80	65.62
8.	वार्षिक समीक्षाएं	56504	77034	116800	36.33	51.62	53.36
9.	विचाराधीन परियोजनाएं	26038	46699	46140	79.35	−1.20	38.60
10.	ओ.यू.पी.	100316	205213	171973	104.57	−16.20	35.72
11.	ए.आई.पी. / ए.पी.एस.	243856	292884	329025	20.11	12.34	17.46
12.	ए.सी.एस.	422816	478140	560506	13.08	17.23	16.28
13.	एल्सवियर	89585	72964	95770	−18.55	31.26	3.45
14.	प्रकृति	48499	42839	42894	−11.67	0.13	−5.78
				औसत :	36.33	48.92	51.51

नोट : तीन वर्षों (2005–2007) के दौरान उपयोग में औसत वृद्धि 51.51 है।

ई-जर्नल के उपयोग को मापने के लिए इन्फ्लिबनेट (INFLIBNET) केन्द्र ने मुख्य प्रकाशकों से उपयोग के आंकड़ों का संकलन किया है। (जैसा कि ऊपर तालिका में दिया गया है) तथा एक तुलनात्मक अध्ययन किया है। यह पाया गया कि इन वर्षों के दौरान ई-संसाधनों के उपयोग में पर्याप्त वृद्धि हुई। भारत में अकादमिक समुदाय अब कंसोर्शियम के तहत प्रदत्त ई-संसाधनों का प्रभावशाली से उपयोग कर रहा है।

वर्ष 2007–08 के दौरान, विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में डिजीटल भण्डार के उद्देश्य से 30.00 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है।

10 संचालन और कार्यक्षमता में सुधार

10.1 संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहन

उच्च शिक्षा को सहायता देने के लिए हमारी परम्परा को पुनर्जीवित करने तथा विश्वविद्यालयों के विकास में समाज की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भी 'संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहन' नामक योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है :-

- समाज द्वारा विश्वविद्यालयों के विकास में भागीदारी कर विश्वविद्यालयों को संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहित करना।
- विश्वविद्यालय के विकास में समाज की भागीदारी के लिए एक प्रक्रिया का विकास करना।
- विश्वविद्यालय के विकास के लिए समाज से आने वाले संसाधनों के प्रवाह को प्रोत्साहित करना तथा बढ़ाना।
- राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण विषयों पर भुगतान के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा न केवल उद्योगों बल्कि सरकार एवं अन्य निकायों तथा जनसाधारण को परामर्श प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- विश्वविद्यालय जो समाज को उनकी विकास गतिविधियों में शामिल करते हैं उन्हें प्रोत्साहन देना।

• पात्रता :

इस योजना के तहत निम्नलिखित विश्वविद्यालय/संस्थान अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं :-

- केन्द्रीय विश्वविद्यालय
- विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) में सम्मिलित हैं तथा वि.अ.आ. का योजनागत अथवा गैर-योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।
- संस्थान जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 3 के तहत समविश्वविद्यालय माना गया है तथा वि.अ.आ. से योजनागत और/गैर-योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।
- वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12(गगग) के तहत स्थापित किए गए अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र।

• सहायता की प्रकृति

शिक्षा के तेजी से बदलते परिदृश्य में, अगर विश्वविद्यालयों को विकास के साथ कदम के साथ कदम मिलाना है, उन्हें अपने संसाधन आधार को बृहद बनाना होगा तथा उच्च शिक्षा में सोसायटी की भागीदारी सुनिश्चित कर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यापक बनाने के प्रयास करने चाहिए। विश्वविद्यालय भारतीय नागरिकों अथवा अनिवासी भारतीयों, भूतपूर्व छात्र संघों, सार्वजनिक और परिवार संघों, उद्योगों/व्यापार घटकों, सहकारी समितियों, पेशेवर संघों, कर्मचारियों के संघ/संगठनों, निगमों/पंचायतें/सांसदों/विधायकों/पार्षद निधियों द्वारा भागीदारी/अंशधारित/परामर्श के माध्यम। इस प्रकार के बाध्य संसाधनों को जुटा सकती है।

विश्वविद्यालय, सोसायटी की भागीदारी के लिए चिन्हित निम्नलिखित मदों पर स्कीम के तहत जुटाए गए संसाधनों से एक कायिक निधि का सृजन कर सकते हैं :

- भवनों का निर्माण (कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, छात्रावास, क्लिनिक आदि)
- मौजूदा पुराने भवनों का पुनरुद्धार
- उपस्करों का क्रय
- छात्र/कर्मचारियों को सुविधाएँ (जलपान गृह, क्रीड़ा स्थल, व्यायामशाला आदि)
- पुस्तकों तथा जरनलों का क्रय।

- संस्थागत गतिविधियों के लिए कायिक निधि का विकास।
- छात्रावास के लिए कायिक निधि का विकास।
- परियोजनाओं के प्रत्यक्ष वित्तपोषण अथवा कायिक निधि के विकास के माध्यम से विस्तार गतिविधियों, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं, अनुसंधान का विकास।
- अध्यक्षों के पदों का सृजन।
- अनुसंधान तथा विस्तार कार्य सहित नवोन्मेष तथा अकादमिक कार्यक्रम।
- वि.अ.आ. को पहले से ही संसूचित कोई मद/परियोजना।

वि.अ.आ. द्वारा दिया गया अंशदान अधिकतम 50 लाख रु. प्रतिवर्ष की सीमा के अध्याधीन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कुल अंशदान का 25 प्रतिशत भाग होगा।

वर्ष 2007–08 के दौरान वि.अ.आ. के भाग के रूप में पात्र विश्वविद्यालयों को 70.54 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।

10.2 उच्च शिक्षा तथा वि.अ.आ. कार्यालयों का ई-गवर्नेंस

सरकार को जवाबदेह, पारदर्शी, कम भ्रष्ट और प्रभावी बनाने के लिए सूचना तथा सुपुर्दगी तंत्र में सुधार, निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लोगों द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) का उपयोग करना ई-गवर्नेंस है।

वि.अ.आ. के अनुरोध पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी), हैदराबाद – जो कि उपर्युक्त ढांचा तथा मानकों का विकास कर, उच्च स्तर की परामर्शदात्री सेवाएँ प्रदान कर तथा राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित करने वाला ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्टता का संस्थान है जिसमें 24 मार्च, 2006 को “वि.अ.आ. में ई-गवर्नेंस” पर एक प्रस्तुति दी है। एनआईएसजी दल का वि.अ.आ. के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई विस्तृत चर्चा के अनुपालन में, वि.अ.आ. को परामर्शदात्री सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए एक विस्तृत वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आयोग ने प्रस्ताव की जांच की तथा एनआईएसजी, हैदराबाद को बंद करने का अनुमोदन प्रदान किया।

एनआईएसजी को बंद करने के बाद, कमीशन ने ई-गवर्नेंस के साथ नई प्रक्रिया चालू की तथा परामर्शदाता हेतु चयन के लिए राष्ट्रीय समाचार पत्रों में 2.12.2006 को प्रचार के माध्यम से ईओआई आमंत्रित की। इस उद्देश्य के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति ने निबंधन और शर्तों तथा न्यूनतम बोली के आधार पर मैसर्स हेसलफ्री साल्युशन प्रा.लि. का चयन किया। परामर्शदाता के परामर्श पर 23.2.2007 को राष्ट्रीय दैनिकों में विज्ञापनों के माध्यम से आरएफपी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए ईओआई मंगवाये। 9 में से पूर्व में अर्हता प्राप्त 6 फर्मों को 2.3.2007 को आरपीएफ जारी किया गया है। तकनीकी बोलियों के आधार पर, दो फर्म यथा टीसीएस तथा विप्रो को उनकी वित्तीय बोलियों पर विचार करने के लिए चयन किया है। विशेषज्ञ समिति ने उनकी वित्तीय बोलियों पर विचार किया तथा दो फर्मों के साथ चर्चा की। वर्ष 2007–08 के दौरान प्रशासनिक व्यय के रूप में 57.14 लाख रुपये व्यय किए गए।

10.3 वि.अ.आ. के अधीन विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के अकादमिक प्रशासकों का प्रशिक्षण

वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी विकास के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। पढ़ाई और समानता के प्रश्न के अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों से विदेशी शैक्षणिक उपबंधों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए लागत कम करने तथा गुणवत्ता में सुधार करने को कहा गया है। अकादमिक प्रशासकों को इन चुनौतियों का सामना करना होगा तथा अपने छात्रों को विश्वस्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वि.अ.आ. का विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में प्रशासकों तथा वरिष्ठ कर्मचारियों, अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए ढांचागत प्रणाली का सृजन कर तथा विकास के अवसरों को उपलब्ध करा कर अकादमिक प्रशासन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के बृहद उद्देश्य को अंगीकार कर इस मुद्दे से निपटने का प्रस्ताव है। इसके लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। वर्ष 2007–08 के दौरान, प्रशासकों/अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 2.25 लाख रुपये का व्यय किया है।

परिशिष्टों की सूची – 2007–08

I	भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों तथा समविश्वविद्यालय संस्थाओं और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की सूची : राज्यवार (31.3.2008 की स्थितिनुसार)
II	उन विश्वविद्यालयों की सूची जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अधीन केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं (31.03.2008 की स्थितिनुसार)
III	छात्र नामांकन में अखिल भारतीय सर्वाङ्ग : 1984–85 से 2007–08
IV	विश्वविद्यालयों और कालेजों में राज्यवार छात्र नामांकन : 2007–08
V	स्तरवार छात्र नामांकन : विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/विश्वविद्यालय कालेज तथा संबद्ध कालेज : 2007–08
VI	छात्र नामांकन : संकायवार : 2007–08
VII	वर्ष 2007–08 के दौरान कालेजों की राज्यवार संख्या और 2003–04 से 2007–08 के दौरान कालेजों की संख्या में वृद्धि
VIII	विश्वविद्यालय विभागों और विश्वविद्यालय कालेजों में पदनामों के अनुसार शिक्षण स्टाफ की संख्या और वितरण : 2007–08
IX	संबद्ध कालेजों में पदनामों के अनुसार शिक्षण स्टाफ की संख्या और वितरण : 2007–08
X	2005–06 और 2006–07 के दौरान प्रदत्त डॉक्टरेट की डिग्रियों की संकायवार संख्या
XI	उन समविश्वविद्यालयों की सूची जिन्हें योजनागत (विकास) सहायता उपलब्ध कराई जा रही है : 2007–08
XII	उन समविश्वविद्यालयों की सूची जिन्हें गैर-योजनागत (अनुरक्षण) सहायता उपलब्ध कराई जा रही है : 2007–08
XIII	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची (31.3.2008 की स्थितिनुसार)
XIV	उन दिल्ली कालेजों और छात्रावासों तथा बी.एच.यू. कालेजों की सूची जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे हैं : 2007–08
XV	स्वायत्त कालेजों की सूची : राज्य सह शिक्षा विश्वविद्यालय-वार : (31.3.2008 की स्थितिनुसार)
XVI	अकादमिक स्टाफ कालेजों की सूची : 2007–08
XVII	यू.जी.सी. नेट परीक्षा के लिए विषयों की सूची : 2007–08
XVIII	यू.जी.सी. नेट परीक्षा के लिए केन्द्रों की सूची : 2007–08
XIX	वर्ष 2007–08 के दौरान गैर-योजनागत अनुदान के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों और कालेजों को प्रदत्त अनुदान को दर्शाने वाला विवरण (मुख्य शीर्षवार)
XX	वर्ष 2007–08 के दौरान सामान्य योजना, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी और खण्ड-III के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों और कालेजों को प्रदत्त अनुदान को दर्शाने वाला विवरण (मुख्य शीर्षवार)

परिशिष्ट – I

भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों तथा समविश्वविद्यालय संस्थाओं और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की सूची : राज्यवार
(31.3.2008 की स्थितिनुसार)

(क) विश्वविद्यालय

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्राप्ति वर्ष
	आंध्र प्रदेश	
1.	आचार्य एन.जी.रंगा कृषि	1964
2.	आचार्य नागार्जुन	1976
3.	आंध्र	1926
4.	आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय	1986
5.	आदिकवि नान्या	2007
6.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त	1982
7.	द्रविडयन	1997
8.	हैदराबाद*	1974
9.	जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकीय	1972
10.	ककातिया	1976
11.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू*	1997
12.	राष्ट्रीय विधिक अध्ययन तथा अनुसंधान अकादमी	1999
13.	नालगोण्डा	2007
14.	उस्मानिया	1918
15.	पेट्टी श्रीरामुलू तेलुगु	1985
16.	श्री कृष्णदेवराय	1981
17.	श्री पद्मावती महिला	1983
18.	श्री वेंकटेश्वर वैदिक	2007
19.	श्री वेंकटेश्वर पशुचिकित्सा	2007
20.	श्री वेंकटेश्वर	1954
21.	तेलंगाना	2007
22.	अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा*	1973
23.	योगी वामन	2007
	अरुणाचल प्रदेश	
24.	राजीव गांधी*	1985
	असम	
25.	असम कृषि	1968
26.	असम*	1994
27.	डिब्रूगढ़	1965
28.	गुवाहाटी	1948

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्राप्ति वर्ष
29.	कृष्णकांत हांडिक राज्य मुक्त	2007
30.	तेजपुर*	1994
	बिहार	
31.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर, बिहार	1952
32.	भूपेन्द्र नारायण मंडल	1993
33.	चाणक्य राष्ट्रीय विधिक	2006
34.	जय प्रकाश	1995
35.	के.एस. दरभंगा संस्कृत	1961
36.	ललित नारायण मिथिला	1972
37.	मगध	1962
38.	मौलाना मजहारुलहक अरबी तथा फारसी	2004
39.	नालंदा मुक्त	1995
40.	पटना	1917
41.	राजेंद्र कृषि	1970
42.	टी.एम. भागलपुर	1960
43.	वीर कुंवर सिंह	1994
	छत्तीसगढ़	
44.	छत्तसीगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी	2005
45.	गुरु घासीदास	1983
46.	हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि	2003
47.	इंदिरा गांधी कृषि	1987
48.	इंदिरा कला संगीत	1956
49.	कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय	2005
50.	पं. रविशंकर शुक्ल	1964
51.	पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त)	2005
	गोवा	
52.	गोवा	1985
	गुजरात	
53.	भावनगर	1978
54.	पर्यावरण योजना एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र	2006
55.	धर्म सिंह देसाई	2005
56.	धीरू भाई अम्बानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संस्थान**	2004
57.	डा० बाबासाहेब अम्बेडकर मुक्त	1995
58.	गणपत**	2006
59.	गुजरात कृषि	1950
60.	गुजरात	1972
61.	गुजरात आयुर्वेद	1968

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्राप्ति वर्ष
62.	गुजरात तकनीकी	2007
63.	गुजरात राष्ट्रीय	2006
64.	हेमचंद्र आचार्य नार्थ गुजरात	1986
65.	क्रांतिगुरु श्यामजी वर्मा कच्छ	2003
66.	कड़ी सर्व विश्वविद्यालय **	2007
67.	महाराजा सायाजीराव बड़ोदा विश्वविद्यालय	1949
68.	निरमा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय **	2004
69.	पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम**	2007
70.	सरदार पटेल	1955
71.	सौराष्ट्र	1955
72.	साउथ गुजरात	1965
73.	श्री सोमनाथ संस्कृत	2005
	हरियाणा	
74.	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय	2007
75.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि	1970
76.	चौधरी देवीलाल	1995
77.	गुरु जम्बेश्वर	2003
78.	कुरुक्षेत्र	1956
79.	महर्षि दयानन्द	1976
	हिमाचल प्रदेश	
80.	डॉ. वाई.एस.परमार उद्यान कृषि एवं वाणिकी विश्वविद्यालय	1986
81.	हिमाचल प्रदेश	1970
82.	चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि	1978
83.	जे.पी. सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय **	2002
	जम्मू और कश्मीर	
84.	बाबा गुलाम शाह बादशाह	2004
85.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1982
86.	श्री माता वैष्णो देवी	2004
87.	कश्मीर विश्वविद्यालय	1949
88.	जम्मू विश्वविद्यालय	1969
89.	इस्लामिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	2006
	झारखंड	
90.	बिरसा कृषि	1980
91.	रांची	1960
92.	सिद्धू कन्हू	1992
93.	विनोबा भावे	1993

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्राप्ति वर्ष
	कर्नाटक	
94.	बंगलूरु	1964
95.	गुलबर्ग	1980
96.	कन्नड़	1992
97.	कर्नाटक	1949
98.	कर्नाटक राज्य मुक्त	1996
99.	कर्नाटक राज्य महिला	2003
100.	कर्नाटक पशु चिकित्सा एवं मीन उद्योग विज्ञान	2004
101.	कुवेम्पु	1987
102.	मंगलौर	1980
103.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया	1992
104.	राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय	1994
105.	तुम्कुर	2005
106.	मैसूर विश्वविद्यालय	1916
107.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलुरु	1964
108.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	1986
109.	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी	1999
	केरल	
110.	कालीकट	1968
111.	कोचीन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1971
112.	कन्नूर	1997
113.	केरल कृषि	1972
114.	केरल	1937
115.	महात्मा गांधी	1983
116.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय	1994
	मध्य प्रदेश	
117.	अवधेश प्रताप सिंह	1968
118.	बरकतुल्ला	1970
119.	देवी अहिल्या	1964
120.	डा० हरिसिंह गौड़	1946
121.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय*	2007
122.	जवाहर लाल नेहरू कृषि	1964
123.	जीवाजी	1964
124.	एम.जी. ग्रोमोदय	1993
125.	एम.पी. भोज (मुक्त)	1995
126.	महर्षि महेश योगी वैदिक	1998
127.	माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और राष्ट्रीय जनसंचार विश्वविद्यालय	1993

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्राप्ति वर्ष
128.	राष्ट्रीय विधि संस्थान	1999
129.	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी	2000
130.	रानी दुर्गावती	1957
131.	विक्रम	1957
	महाराष्ट्र	
132.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा	1958
133.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी	1992
134.	डॉ. पंजाबराय देशमुख कृषि	1969
135.	कवि कुलगुरु कालीदास संस्कृत	1999
136.	कोंकण कृषि विद्यापीठ	2005
137.	महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य उद्योग विज्ञान	2002
138.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय *	2000
139.	महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय हिन्दी*	1997
140.	महात्मा फूले कृषि	1968
141.	मराठवाड़ा कृषि	1983
142.	मुंबई विश्वविद्यालय	2005
143.	नार्थ महाराष्ट्र	1991
144.	पुणे	2005
145.	संत गाडगे बाबा अमरावती	2005
146.	शिवाजी	1962
147.	श्रीमती नत्थीबाई दामोदर ठाकरसे महिला	1951
148.	शोलापुर	2004
149.	स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा	1995
150.	राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर	2005
151.	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त	1990
	मणिपुर	
152.	केन्द्रीय कृषि*	1993
153.	मणिपुर*	1980
	मेघालय	
154.	नार्थ ईस्टर्न हिल*	1973
	मिजोरम	
155.	मिजोरम विश्वविद्यालय *	2001
	नागालैंड	
156.	नागालैंड*	1995
	उड़ीसा	
157.	बरहामपुर	1967
158.	बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	2003

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्राप्ति वर्ष
159.	फकीर मोहन	1999
160.	नार्थ उड़ीसा	1999
161.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1962
162.	रावेनशाह विश्वविद्यालय	2006
163.	सम्बलपुर	1967
164.	श्री जगन्नाथ संस्कृत	1981
165.	उत्कल	1943
166.	उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय	1999
	पंजाब	
167.	बाबा फरीद स्वास्थ्य तथा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय	2002
168.	गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान	2006
169.	गुरुनानक देव	1969
170.	लवली प्रोफेशनल**	2006
171.	पंजाब कृषि	1962
172.	पंजाब तकनीकी	1998
173.	पंजाबी	1962
174.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	2006
	राजस्थान	
175.	जगदगुरु रामानन्दाचार्य संस्कृत	
176.	जय नारायण व्यास	1962
177.	कोटा मुक्त	1987
178.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	2000
179.	महर्षि दयानन्द सरस्वती	1987
180.	मोहनलाल सुखाड़िया	1962
181.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	2003
182.	राजस्थान कृषि	1987
183.	राजस्थान आयुर्वेद	2003
184.	राजस्थान तकनीकी	
185.	राजस्थान संस्कृत	2003
186.	राजस्थान विश्वविद्यालय	1947
187.	बीकानेर विश्वविद्यालय	2003
188.	कोटा विश्वविद्यालय	2003
189.	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय	2006
	सिक्किम	
190.	सिक्किम—मणिपाल स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा प्रौद्योगिकीय विज्ञान विश्वविद्यालय	1998
191.	ईस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मेनेजमेंट**	2007
192.	सिक्किम	2007

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्राप्ति वर्ष
	तमिलनाडु	
193.	अलगप्पा	1985
194.	अन्ना	1978
195.	अन्नामलाई	1929
196.	भरतियर	1982
197.	भारतीदासान	1982
198.	मद्रास	2005
199.	मदुरै कामराज	1965
200.	मनोनमनियन सुंदरनार	1992
201.	मदर टेरेसा महिला	1984
202.	पेरियार	1998
203.	तमिलनाडु मुक्त	2005
204.	तमिल	1981
205.	तमिलनाडु कृषि	1971
206.	तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर विधि	1998
207.	तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल	1989
208.	तमिलनाडु पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान	1990
209.	तिरुवेल्लूवर विश्वविद्यालय	2003
	त्रिपुरा	
210.	त्रिपुरा*	1987
211.	भारतीय चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषण संस्थान**	2006
	उत्तर प्रदेश	
212.	अलीगढ़ मुस्लिम*	1921
213.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर*	1996
214.	बनारस हिन्दू*	1916
215.	चौधरी चरण सिंह	1965
216.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1974
217.	छत्रपति साहू जी महाराज, कानपुर	1965
218.	दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर	1957
219.	डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध	2005
220.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर	1927
221.	डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि	2007
222.	इंटेग्रल**	2004
223.	जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग**	2002
224.	किंग जार्ज मेडिकल	2003
225.	एम.जे.पी. रुहेलखंड	1975
226.	महात्मा गांधी काशी	1974

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्राप्ति वर्ष
227.	एन.डी. कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1974
228.	संपूर्णानंद संस्कृत	1958
229.	सरदार वल्लभ भाई कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	2006
230.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय *	1887
231.	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय	1975
232.	लखनऊ विश्वविद्यालय	1921
233.	उत्तर प्रदेश तकनीकी	2001
234.	यू.पी.किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय	2004
235.	यू.पी. राजर्षि टंडन मुक्त	2005
236.	वी.बी.एस. पूर्वांचल	1987
	उत्तरांचल	
237.	देव संस्कृति विश्वविद्यालय	2005
238.	जी.बी.पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1960
239.	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल	1973
240.	भारतीय चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषण संस्थान (आईसीएफएआई)**	2005
241.	कुमाऊं	1973
242.	पेट्रोलियम तथा उर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय	2004
243.	दून विश्वविद्यालय	2006
244.	उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय	2006
	पश्चिम बंगाल	
245.	विधानचंद्र कृषि	1974
246.	जादवपुर	1955
247.	नेताजी सुभाष मुक्त	1997
248.	रवीन्द्र भारती	1962
249.	बंगाल इंजीनियरी तथा विज्ञान	2004
250.	पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय	2004
251.	पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय	2004
252.	बर्दवान विश्वविद्यालय	1960
253.	कोलकाता विश्वविद्यालय	1857
254.	कल्याणी विश्वविद्यालय	1960
255.	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय	1962
256.	उत्तर बंग कृषि	2001
257.	विद्यासागर	1981
258.	विश्व भारती*	1951
259.	पश्चिम बंगाल पशु तथा मत्स्य उद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय	1995
260.	पश्चिम बंगाल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	2001

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्राप्ति वर्ष
	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	
261.	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ	1998
262.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त*	1985
263.	जामिया मिलिया इस्लामिया*	1988
264.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय *	1968
265.	दिल्ली विश्वविद्यालय *	1922
	चंडीगढ़	
266.	पंजाब विश्वविद्यालय	1947
	पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	
267.	पांडिचेरी *	1985

* केन्द्रीय विश्वविद्यालय

**निजी विश्वविद्यालय

(ख) राज्य विधान अधिनियम के अधीन स्थापित की गई संस्थाएं

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/मान्यता प्राप्ति वर्ष
	आंध्र प्रदेश	
1.	निजाम चिकित्सा विज्ञान संस्थान	1990
2.	श्री वेंकटेश्वर चिकित्सा विज्ञान संस्थान	1995
	बिहार	
3.	इंदिरा गांधी चिकित्सा विज्ञान संस्थान	1992
4.	शेर-ए-कश्मीर चिकित्सा विज्ञान संस्थान	1990
	उत्तर प्रदेश	
5.	संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान	1983

(ग) समविश्वविद्यालय संस्थाएं

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्राप्ति वर्ष
	आंध्र प्रदेश	
1.	गांधी प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान (जीआईटीएम)	2007
2.	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान	2001
3.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	1987
4.	श्री सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान	1981
	अरुणाचल प्रदेश	
5.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान	2005
	बिहार	
6.	बिहार योग भारती	2000
7.	नव नालंदा महाविहार	2006
	गुजरात	
8.	गुजरात विद्यापीठ	1963
9.	सुमनदीप विद्यापीठ	2007
	हरियाणा	
10.	महर्षि मारकण्डेश्वर	
11.	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान	2002
12.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	1989
	झारखंड	
13.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान	1986
14.	भारतीय खान स्कूल	1968
	कर्नाटक	
15.	बी.एल.डी.ई. विश्वविद्यालय	2008
16.	भारतीय विज्ञान संस्थान	1985
17.	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान	2005
18.	जवाहरलाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र	2002
19.	के.एल.ई. उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी	2006
20.	मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी	1993
21.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान संस्थान	1994
22.	श्री देवराज उर्स उच्च शिक्षा और अनुसंधान अकादमी	2007
23.	स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान	2002
24.	येनेपोया विश्वविद्यालय	2008
	केरल	
25.	केरल कलामण्डलम्	2006
	मध्य प्रदेश	
26.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान	2001
27.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	1995

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्राप्ति वर्ष
	महाराष्ट्र	
28.	भारती विद्यापीठ	1996
29.	केन्द्रीय मस्त्य उद्योग शिक्षा संस्थान	1989
30.	डी०वाई० पाटिल शिक्षा सोसाईटी	2005
31.	दत्ता मेघे चिकित्सा विज्ञान संस्थान	2005
32.	दक्कन स्नातकोत्तर कालेज एवं अनुसंधान संस्थान	1990
33.	डॉ० डी०वाई० पाटिल विद्यापीठ	2003
34.	गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान	1993
35.	होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान	2005
36.	इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान	1996
37.	शस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान	1999
38.	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान	1985
39.	कृष्णा आयुर्विज्ञान संस्थान	2005
40.	एम०जी०एम० स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान	2006
41.	नरसी मोनजी प्रबंध अध्ययन संस्थान	2003
42.	पद्मश्री डॉ० डी०वाई० पाटिल विद्यापीठ	2002
43.	प्रवर आयुर्विज्ञान संस्थान	2003
44.	सिमबायोसिस अंतराष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र	2002
45.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च	2002
46.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान	1964
47.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ	1987
	उड़ीसा	
48.	कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान	2002
49.	शिक्षा 'ओ' अनुसंधान	2007
	पंजाब	
50.	संत लॉगोवाल अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान (एसएलआईटी)	2007
51.	थापर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	1985
	राजस्थान	
52.	वनस्थली विद्यापीठ	1983
53.	बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान	1964
54.	उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान	2002
55.	जैन विश्वभारती संस्थान	1991
56.	जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ	1987
57.	एल.एन.एम. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान	2006
58.	मोदी शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान	2004
	तमिलनाडु	
59.	अमृत विश्व विद्यापीठम	2003

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्राप्ति वर्ष
60.	मैरीटार्म शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी	2007
61.	आरुलमिगू कालसलिंगम इंजीनियरिंग कालेज	2006
62.	श्री अविनाशीलिंगम् महिला गृह विज्ञान एवं उच्च शिक्षा संस्थान	1988
63.	भारत उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान	2002
64.	चिन्नई गणित संस्थान	2006
65.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान	1976
66.	कालासालिंगम अनुसंधान और उच्च शिक्षा अकादमी	1988
67.	कारुण्य प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान	2004
68.	एम.जी.आर. शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान	2003
69.	मीनाक्षी उच्च शिक्षा और अनुसंधान अकादमी	2004
70.	पेरियर मनियमई विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान	2007
71.	पोन्नईया रामाजयम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान	2008
72.	एस.आ.एम. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	2002
73.	सत्यभामा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान	2001
74.	सविता मेडिकल तथा तकनीकी विज्ञान संस्थान	2005
75.	शन्मुघा कला, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान अकादमी	2001
76.	श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वमहाविद्यालय	1993
77.	श्री रामचंद्र चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान	1994
78.	वेल्लौर प्रौद्योगिकी संस्थान	2001
79.	विनायक मिशन अनुसंधान प्रतिष्ठान	2001
	उत्तर प्रदेश	
80.	इलाहाबाद कृषि संस्थान	2000
81.	भटखंडे संगीत संस्थान	2000
82.	केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान	1988
83.	दयालबाग शिक्षा संस्थान	1981
84.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान	2000
85.	भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान	1983
86.	जे.पी. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान	2004
87.	शोबित इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	2006
	उत्तरांचल	
88.	वन अनुसंधान संस्थान	1991
89.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय	1962
90.	एच.आई.एच.टी. विश्वविद्यालय	2007
	पश्चिम बंगाल	
91.	रामाकृष्णा मिशन विवेकानन्द शैक्षणिक एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट	2005
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	
92.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	1958

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्राप्ति वर्ष
93.	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान	2002
94.	भारतीय विधि संस्थान	2004
95.	जामिया हमदर्द	1989
96.	कला, इतिहास, संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान राष्ट्रीय म्यूजियम संस्थान	1989
97.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय	2005
98.	शिक्षा योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	2006
99.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	2002
100.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय	1979
101.	श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	1987
102.	टेरी उच्च अध्ययन स्कूल	1999
	चंडीगढ़	
103.	पंजाब इंजीनियरिंग कालेज	2003

(घ) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्राप्ति वर्ष
	आंध्र प्रदेश	
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	2002
	असम	
2.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	1994
3.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	2002
	बिहार	
4.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना	2002
	छत्तीसगढ़	
5.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर	2002
	गुजरात	
6.	सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	2002
	हरियाणा	
7.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र	2002
	हिमाचल प्रदेश	
8.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर	2002
	जम्मू और कश्मीर	
9.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर	2002
	झारखंड	
10.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर	2002
	कर्नाटक	
11.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरथकल	2002
	केरल	
12.	श्री चित्र तिरुनल आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतमपुरम	1980
13.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट	2002
	मध्य प्रदेश	
14.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल	2002
	महाराष्ट्र	
15.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई	1958
16.	विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर	2002
	उड़ीसा	
17.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला	2004
	पंजाब	
18.	स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	1967
19.	डॉ. बी.आर.अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर	2002

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता प्राप्ति वर्ष
	राजस्थान	
20.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर	2002
	तमिलनाडु	
21.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, चैन्नेई	1964
22.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चैन्नेई	1959
23.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली	2003
	त्रिपुरा	
24.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला	2002
	उत्तर प्रदेश	
25.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	1957
26.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	2002
	उत्तरांचल	
27.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	2001
	पश्चिम बंगाल	
28.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	1951
29.	भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता	1959
30.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, द्विगपुर	2003
	चंडीगढ़	
31.	फार्मास्यूटीकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली	1998
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	
32.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	1956
33.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	1961

परिशिष्ट- II

उन विश्वविद्यालयों की सूची जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अधीन केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं (31.03.2008 की स्थितिनुसार)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम
	आंध्र प्रदेश
1.	आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
2.	नालगोण्डा विश्वविद्यालय
3.	श्री वेंकटेश्वर वैदिक
4.	श्री वेंकटेश्वर पशु चिकित्सा
5.	तेलंगाना
6.	योगी रमन्ना
	बिहार
7.	मौलाना मजहरुल हक अरबी तथा फारसी
8.	चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
9.	नालन्दा मुक्त
	छत्तीसगढ़
10.	पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त)
11.	कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय
12.	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी
	गुजरात
13.	पर्यावरण योजना एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
14.	डॉ. बाबा साहिब अम्बेडकर मुक्त
15.	धीरुभाई अंबानी सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी संस्थान
16.	धर्मसिंह देसाई विश्वविद्यालय
17.	गणपत विश्वविद्यालय
18.	गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
19.	क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण कच्छ
20.	निरमा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
21.	श्री सोमनाथ संस्कृत
	हिमाचल प्रदेश
22.	जे.पी. सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
	हरियाणा
23.	चौ० देवीलाल
	जम्मू और कश्मीर
24.	बाबा गुलाम शाह बादशाह
25.	इस्लामिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम
26.	श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय
	कर्नाटक
27.	कर्नाटक राज्य मुक्त
28.	कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु एवं मत्स्य विज्ञान
29.	राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
30.	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय
31.	तुम्कूर
	मध्य प्रदेश
32.	माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता
33.	महर्षि महेश योगी वैदिक
34.	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी
	महाराष्ट्र
35.	कविकुल गुरु कालीदास संस्कृत
36.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
37.	महाराष्ट्र पशु एवं मीन उद्योग विज्ञान
38.	सोलापुर
	उड़ीसा
39.	उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय
40.	बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
	पंजाब
41.	पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय
42.	बाबा फरीद स्वास्थ्य तथा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
43.	लवली व्यवसायिक विश्वविद्यालय
44.	गुरु अंगददेव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय
45.	राजीव गांधी विधिक विश्वविद्यालय
	राजस्थान
46.	जगद्गुरु रामानन्दरैया संस्कृत
47.	महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय
48.	बीकानेर विश्वविद्यालय
49.	कोटा विश्वविद्यालय
50.	राजस्थान आयुर्वेद
51.	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
52.	राजस्थान तकनीकी
	सिक्किम
53.	सिक्किम मणिपाल स्वास्थ्य, आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय
	तमिलनाडु
54.	अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नेई

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम
55.	अन्ना विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर
56.	अन्ना विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली
57.	तिरुवेल्लूवर
58.	तमिलनाडु मुक्त
	त्रिपुरा
59.	भारतीय चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषण संस्थान
	उत्तर प्रदेश
60.	डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधिक
61.	उत्तर प्रदेश तकनीकी
62.	इन्टीग्रल
63.	किंग जार्ज मेडिकल
64.	सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय
65.	यू.पी. किंग जार्ज
66.	यू.पी.राजश्री टंडन मुक्त
	उत्तरांचल
67.	देव संस्कृति
68.	दून विश्वविद्यालय
69.	पेट्रोलियम तथा उर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय
70.	भारतीय चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषण संस्थान (आईसीएफएआई)
71.	उत्तरांचल संस्कृत
	पश्चिम बंगाल
72.	पश्चिम बंगाल पशु तथा मत्स्य उद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय
73.	नेताजी सुभाष मुक्त
74.	उत्तरबंग कृषि
75.	पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

परिशिष्ट- III
छात्र नामांकन में अखिल भारतीय वृद्धि
1984-85 से 2007-08

वर्ष	कुल नामांकनगत	वर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशत
1984-85	34,04,096	96,447	2.9
1985-86	36,05,029	2,00,933	5.9
1986-87	37,57,158	1,52,129	4.2
1987-88	40,20,159	2,63,001	7.0
1988-89	42,85,489	2,65,330	6.6
1989-90	46,02,680	3,17,191	7.4
1990-91	49,24,868	3,22,188	7.0
1991-92	52,65,886	3,41,018	6.9
1992-93	55,34,966	2,69,080	5.1
1993-94	58,17,249	2,82,283	5.1
1994-95	61,13,929	2,96,680	5.1
1995-96	65,74,005	4,60,076	7.5
1996-97	68,42,598	2,68,593	4.1
1997-98	72,60,418	4,17,820	6.1
1998-99	77,05,520	4,45,102	6.1
1999-2000	80,50,607	3,45,087	4.5
2000-2001	83,99,443	3,48,836	4.3
2001-2002	89,64,680	5,65,237	6.7
2002-2003	95,16,773	5,52,093	6.2
2003-2004	99,53,506	4,36,733	4.6
2004-2005	104,81,042	5,27,536	5.3
2005-2006	110,28,020	5,46,978	5.2
2006-2007	116,12,505	5,84,485	5.3
2007-2008*	123,76,718	7,64,213	6.6

*अनंतिम

परिशिष्ट— IV

विश्वविद्यालयों और कालेजों में राज्यवार छात्र नामांकन* 2007–08

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल नामांकन	महिलाओं का नामांकन	महिलाओं की प्रतिशतता
1.	आंध्र प्रदेश	1023227	413076	40.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	6855	2073	30.24
3.	असम	253108	105293	41.60
4.	बिहार	651705	160190	24.58
5.	छत्तीसगढ़	193197	71927	37.23
6.	दिल्ली	233400	114506	49.06
7.	गोवा	25001	14083	56.33
8.	गुजरात	746148	333005	44.63
9.	हरियाणा	312139	129475	41.48
10.	हिमाचल प्रदेश	116984	51473	44.00
11.	जम्मू और कश्मीर	86055	40480	47.04
12.	झारखंड	247008	75831	30.70
13.	कर्नाटक	794806	330341	41.56
14.	केरल	369794	226167	61.16
15.	मध्य प्रदेश	668593	249887	37.37
16.	महाराष्ट्र	1690968	703722	41.62
17.	मणिपुर	45674	20678	45.27
18.	मेघालय	36271	17539	48.36
19.	मिजोरम	14384	6593	45.84
20.	नागालैंड	15771	6316	40.05
21.	उड़ीसा	433598	156572	36.11
22.	पंजाब	330296	171524	51.93
23.	राजस्थान	458741	156614	34.14
24.	सिक्किम	5543	2317	41.80
25.	तमिलनाडु	944699	433994	45.94
26.	त्रिपुरा	25116	10382	41.34
27.	उत्तर प्रदेश	1608044	595397	37.03
28.	उत्तरांचल	155569	66277	42.60
29.	पश्चिम बंगाल	810032	320611	39.58
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2511	1425	56.75

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल नामांकन	महिलाओं का नामांकन	महिलाओं की प्रतिशतता
31.	चंडीगढ़	46616	24482	52.52
32.	लक्षद्वीप	283	99	34.98
33.	दमन और द्वीप	730	344	47.12
34.	दादर और नागर हवेली	0	0	0.00
35.	पांडिचेरी	23852	12252	51.37
	जोड़	1236718	5024945	40.60

*अनंतिम

परिशिष्ट— V

स्तरवार छात्र नामांकन* : विश्वविद्यालय शिक्षण
विभाग/विश्वविद्यालय कालेज तथा संबद्ध कालेज 2007–08

क्र.सं.	स्तर	विश्वविद्यालय विभाग/ विश्वविद्यालय कालेज	संबद्ध कालेज	जोड़ (कुल जोड़ का प्रतिशत)	संबद्ध कालेज (में प्रतिशत)
1.	स्नातक	1065969	9967997	11033966(89.15)	90.34
2.	स्नातकोत्तर	380001	765939	1145940(9.26)	66.84
3.	अनुसंधान	71489	10788	82277(0.66)	13.11
4.	डिप्लोमा/प्रमाण पत्र	71383	43152	114535(0.93)	37.68
	कुल जोड़	1588842	10787876	12376718	87.16

*अनंतिम

परिशिष्ट—VI

छात्र नामांकन : संकायवार* : 2007—08

क्र.सं.	संकाय	कुल नामांकन	कुल नामांकन का प्रतिशत
1.	कला	5508877	44.51
2.	विज्ञान	2543416	20.55
3.	वाणिज्य / प्रबंधन	2243899	18.13
4.	शिक्षा	188126	1.52
5.	अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी	914639	7.39
6.	चिकित्सा	404719	3.27
7.	कृषि	73023	0.59
8.	पशु चिकित्सा विज्ञान	19802	0.16
9.	विधि	379965	3.07
10.	अन्य	100252	0.81
	जोड़	12376718	100.00

*अनंतिम

परिशिष्ट- VII

वर्ष 2007-08 के दौरान कालेजों की राज्यवार संख्या और
अवधि 2003-04 से 2007-08 के दौरान कालेजों की संख्या में वृद्धि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04 (यू.सी. + ए.सी.)	2004-05 (यू.सी. + ए.सी.)	2005-06* (यू.सी. + ए.सी.)	2006-07* (यू.सी. + ए.सी.)	2007-08* (यू.सी. + ए.सी.)	2003-04 से 2007-08 के दौरान वृद्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	आंध्र प्रदेश	2109	2296	2469	2651	2831	722
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	10	10	10	10	0
3.	असम	398	401	427	438	452	54
4.	बिहार	635	640	655	663	673	38
5.	छत्तीसगढ़	296	338	356	390	420	124
6.	गोवा	44	46	47	49	50	6
7.	गुजरात	807	815	852	911	934	127
8.	हरियाणा	296	301	317	326	336	40
9.	हिमाचल प्रदेश	120	135	189	217	252	132
10.	जम्मू और कश्मीर	154	168	207	229	256	102
11.	झारखंड	175	182	185	191	196	21
12.	कर्नाटक	1777	1865	2038	2154	2285	508
13.	केरल	583	667	695	792	848	265
14.	मध्य प्रदेश	975	1116	1175	1289	1389	414
15.	महाराष्ट्र	2508	2598	2880	3034	3220	712
16.	मणिपुर	72	72	73	73	74	2
17.	मेघालय	58	58	58	58	58	0
18.	मिजोरम	31	31	31	31	31	0
19.	नागालैंड	43	45	49	52	55	12
20.	उड़ीसा	824	835	852	865	879	55
21.	पंजाब	407	468	499	550	596	189
22.	राजस्थान	504	636	711	824	928	424
23.	सिक्किम	9	9	9	9	9	0
24.	तमिलनाडु	1048	1242	1361	1517	1668	620
25.	त्रिपुरा	22	22	25	26	28	6
26.	उत्तर प्रदेश	1765	2037	2045	2229	2369	604
27.	उत्तरांचल	222	226	242	250	260	38
28.	पश्चिम बंगाल	592	603	643	664	689	97

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04 (यू.सी. + ए.सी.)	2004-05 (यू.सी. + ए.सी.)	2005-06* (यू.सी. + ए.सी.)	2006-07* (यू.सी. + ए.सी.)	2007-08* (यू.सी. + ए.सी.)	2003-04 से 2007-08 के दौरान वृद्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	4	4	4	4	0
30.	चंडीगढ़	23	23	23	23	23	0
31.	लक्षद्वीप	1	1	1	1	1	0
32.	दमन और द्वीप	3	3	3	3	3	0
33.	दिल्ली	191	191	191	201	201	10
34.	दादर और नागर हवेली	—	—	—	—	—	—
35.	पांडिचेरी	36	36	36	36	36	0
	जोड़	16742	18120	19348	20760	22064	5320

*अनंतिम यू.सी. : विश्वविद्यालय कालेज, ए.सी. : संबद्ध कालेज।

परिशिष्ट— VIII

विश्वविद्यालय विभागों** और विश्वविद्यालय कालेजों में पदनामों के अनुसार शिक्षण स्टाफ की संख्या और वितरण : 2007-08

वर्ष	प्रोफेसर*	रीडर	वरिष्ठ लेक्चरार	लेक्चरार	अनुशिक्षक/ निर्देशक	जोड़
2007-2008	17583 (21.07)	26460 (31.70)	12783 (15.32)	24625 (29.51)	2003 (2.40)	83454 (100.00)

* इनमें प्राचार्य और वे वरिष्ठ शिक्षक शामिल हैं जो प्रोफेसरों के समकक्ष हैं।

** अनंतिम

टिप्पणी : (क) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल स्टाफ के काडरों की संख्या दर्शाते हैं। (ख) लेक्चरारों में अंशकालिक शिक्षक/शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक शामिल हैं।

परिशिष्ट— IX

संबद्ध कालेजों में पदनामों के अनुसार शिक्षण स्टाफ की संख्या और वितरण** : 2007-08

वर्ष	प्रोफेसर*	रीडर (लेक्चरार चयन वेतनमान)	वरिष्ठ लेक्चरार	लेक्चरार	अनुशिक्षक/ निर्देशक	जोड़
2007-2008	24437 (5.60)	113527 (25.90)	64686 (14.70)	223750 (51.10)	11983 (2.70)	438389 (100.00)

*इनमें प्राचार्य और वे वरिष्ठ शिक्षक शामिल हैं जो प्रोफेसरों के समकक्ष हैं।

**अनंतिम

टिप्पणी : (क) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल स्टाफ के काडरों की संख्या दर्शाते हैं। (ख) लेक्चरारों में अंशकालिक शिक्षक/शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक शामिल हैं।

परिशिष्ट- X

वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान प्रदत्त
डॉक्टरेट की डिग्रियों की संकायवार संख्या

संकाय	प्रदत्त डाक्टरेट की डिग्रियों की संकायवार संख्या	
	2005-2006	2006-2007**
कला	7605	8257
विज्ञान	5625	5839
वाणिज्य/प्रबंधन	1115	1402
शिक्षा	599	659
अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी	1058	1079
चिकित्सा	438	454
कृषि	1119	1125
पशु चिकित्सा विज्ञान	180	185
विधि	182	175
अन्य *	809	956
जोड़	18730	20131

* अन्य में संगीत/ललित कला, पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, पत्रकारिता, सामाजिक कार्य आदि शामिल हैं ।

****अनंतिम**

परिशिष्ट – XI

**उन समविश्वविद्यालयों की सूची जिन्हें योजनागत (विकास)
सहायता उपलब्ध कराई जा रही है : 2007-08**

1.	महिलाओं के लिए अविनाशीलिंगम् गृह विज्ञान तथा उच्च शिक्षा संस्थान, कोयम्बटूर
2.	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली (राजस्थान)
3.	केन्द्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी (उ.प्र.)
4.	दयालबाग शिक्षा संस्थान, आगरा (उ0प्र0)
5.	दक्कन कालेज स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान संस्थान, पुणे (महाराष्ट्र)
6.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम (तमिलनाडु)
7.	गोखले राजनीति तथा अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे (महाराष्ट्र)
8.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद (गुजरात)
9.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार (उत्तरांचल)
10.	भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली
11.	जैन विश्व भारतीय संस्थान, लाडनूं (राजस्थान)
12.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली
13.	राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर (राजस्थान)
14.	रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थान, पश्चिम बंगाल
15.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति (आं0प्र0)
16.	श्री चन्द्रशेखर सरस्वती विश्वमहाविद्यालय, कांचीपुरम (तमिलनाडु)
17.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
18.	श्री सत्य साईं उच्च शिक्षा संस्थान, अनन्तपुर (आं0प्र0)
19.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई (महाराष्ट्र)
20.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे (महाराष्ट्र)
21.	थापर इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला (पंजाब)
22.	बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, रांची (छत्तीसगढ़)
23.	बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, पिलानी (राजस्थान)

परिशिष्ट – XII

**उन विश्वविद्यालयों की सूची जिन्हें गैर योजनागत (अनुरक्षण)
सहायता उपलब्ध कराई जा रही है : 2007–08**

1.	महिलाओं के लिए अविनाशीलिंगम् गृह विज्ञान तथा उच्च शिक्षा संस्थान, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
2.	दयालबाग शिक्षा संस्थान, आगरा (उ०प्र०)
3.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम (तमिलनाडु)
4.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद (गुजरात)
5.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तरांचल)
6.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली
7.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति (आ०प्र०)
8.	श्री चन्द्रशेखर सरस्वती विश्वमहाविद्यालय, कांचीपुरम (तमिलनाडु)
9.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
10.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई (महाराष्ट्र)

परिशिष्ट – XIII

**31.03.2008 की स्थिति अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची**

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	स्थान	स्थापना की तिथि	क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (एसइआरओ)	हैदराबाद	28.09.1994	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआरओ)	पुणे	11.11.1994	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीप
3.	मध्य क्षेत्रीय कार्यालय(सीआरओ)	भोपाल	01.12.1994	मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़
4.	उत्तर, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (एनईआरओ)	गुवाहाटी	01.04.1995	असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड
5.	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ)	कोलकाता	03.09.1996	पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम
6.	दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (एसडब्ल्यूआरओ)	बंगलूरु	25.04.1999	कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप
7.	उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय ब्यूरो (एसइआरओ)	दिल्ली	25.09.2001	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उ०प्र०, उत्तरांचल

परिशिष्ट – XIV

दिल्ली के कालेजों और होस्टलों तथा बीएचयू कालेजों की सूची जिन्हें
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त हो रहा है : 2007–08

(क) यू.जी.सी से सहायता प्राप्त करने वाले दिल्ली के कालेजों की सूची

क्र.सं.	1. दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित कालेज
	(वि.अ.आ. द्वारा शतप्रतिशत अनुरक्षण अनुदान दिया जाता है)
1.	कालेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज
2.	रामलाल आनन्द कालेज (दिवसीय)
3.	दयाल सिंह कालेज (दिवसीय)
4.	करोड़ीमल कालेज*
5.	मिरांडा हाउस*
6.	देशबन्धु कालेज (दिवसीय)*
	2. सांध्य कालीन कालेज
	(वि.अ.आ. द्वारा शतप्रतिशत अनुरक्षण अनुदान दिया जाता है)
7.	दयाल सिंह कालेज (सांध्य)
8.	देशबन्धु कालेज (सांध्य)
9.	मोतीलाल नेहरू कालेज (सांध्य)
10.	पी0जी0डी0ए0वी0 कालेज (सांध्य)
11.	रामलाल आनन्द कालेज (सांध्य)
12.	शहीद भगत सिंह कालेज (सांध्य)
13.	श्याम लाल कालेज (सांध्य)
14.	सत्यवती सह-शिक्षा कालेज (सांध्य)
15.	श्री अरविन्द कालेज (सांध्य)
16.	जाकिर हुसैन कालेज (सांध्य)–(न्यास)
	3. दिल्ली प्रशासन के कालेज
	(95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान वि.अ.आ. द्वारा और 5 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान दिल्ली प्रशासन द्वारा दिया जाता है)
17.	भारती कालेज
18.	दिल्ली कला एवं वाणिज्य कालेज
19.	विवेकानन्द कालेज
20.	गार्गी कालेज*
21.	कालिन्दी कालेज*
22.	कमला नेहरू कालेज*
23.	लक्ष्मी बाई कालेज*

24.	मैत्रेयी कालेज*
25.	मोतीलाल नेहरू कालेज (दिवसीय)*
26.	राजधानी कालेज*
27.	सत्यवती सह-शिक्षा कालेज (दिवसीय) *
28.	शहीद भगत सिंह कालेज (दिवसीय) *
29.	शिवाजी कालेज (दिवसीय)*
30.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी कालेज फार वूमन*
31.	श्री अरविन्द कालेज (दिवसीय) *
32.	स्वामी श्रद्धानन्द कालेज*
	*शतप्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे विस्तारित कालेज
	4. न्यास कालेज
	(यू.जी.सी द्वारा 95 प्रतिशत और 5 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान न्यास द्वारा दिया जाता है)
33.	गुरु गोविन्द सिंह वाणिज्य कालेज
34.	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकॉनॉमिक्स
35.	लेडी इर्विन कालेज
36.	श्रीराम वाणिज्य कालेज
37.	सेंट स्टीफन कालेज
38.	जाकिर हुसैन कालेज (दिवसीय)
39.	आत्माराम सनातन धर्म कालेज*
40.	दौलतराम कालेज*
41.	हंसराज कालेज*
42.	हिन्दू कालेज*
43.	इंद्रप्रस्थ कालेज*
44.	जानकी देवी महाविद्यालय*
45.	जीसस एंड मैरी कालेज*
46.	लेडी श्रीराम कालेज फॉर वूमन*
47.	माता सुन्दरी कालेज फॉर वूमन*
48.	पी0जी0डी0ए0वी0 कालेज (दिवसीय)*
49.	रामजस कालेज*
50.	श्याम लाल कालेज (दिवसीय)*
51.	एस0जी0टी0बी0 खालसा कालेज
52.	गुरुनानक देव खालसा कालेज
53.	श्री वेंकटेश्वर कालेज*
	*शतप्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे विस्तारित कालेज

(ख) वि.अ.आ. द्वारा सहायता प्राप्त कर रहे दिल्ली कालेजों के छात्रावासों की सूची

1.	दौलत राम कालेज
2.	हंसराज कालेज
3.	हिन्दू कालेज
4.	इन्द्रप्रस्थ कालेज फॉर वूमन
5.	करोड़ीमल कालेज
6.	लेडी श्रीराम कालेज फॉर वूमन
7.	लेडी इर्विन कालेज
8.	मिरांडा हाउस
9.	रामजस कालेज
10.	सेंट स्टीफन कालेज
11.	श्रीराम कालेज ऑफ कामर्स
12.	ज़ाकिर हुसैन कालेज (दिवसीय)

(ग) यू.जी.सी से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले बी०एच०यू० कालेजों की सूची

1.	वसन्ता कन्या महाविद्यालय, कामाच्छा वाराणसी (उ०प्र०)
2.	वसन्ता कालेज फॉर वूमन, राजघाट फोर्ट, वाराणसी (उ०प्र०)
3.	आर्य महिला डिग्री कालेज, वाराणसी (उ०प्र०)
4.	डी०ए०वी० डिग्री कालेज, वाराणसी (उ०प्र०)

(घ) उन कालेजों की सूची जो यू.जी.सी से केवल योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं

1.	आचार्य नरेन्द्र देव कालेज (दिल्ली प्रशासन)
2.	भगिनी निवेदिता कालेज (दिल्ली प्रशासन)
3.	भास्कराचार्य कालेज ऑफ एप्लाइड साइंस (दिल्ली प्रशासन)
4.	केशव महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
5.	शहीद राजगुरु कालेज ऑफ एप्लाइड साइंस फॉर वूमेन (दिल्ली प्रशासन)
6.	महाराजा अग्रसेन कालेज (दिल्ली प्रशासन)

परिशिष्ट – XV

स्वायत्त कालेजों की सूची : राज्यवार
(31.03.2008 की स्थिति अनुसार)

राज्य	विश्वविद्यालय	कालेजों की संख्या
आंध्र प्रदेश	आंध्र विश्वविद्यालय	14
	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय	12
	काकातिया विश्वविद्यालय	02
	उस्मानिया विश्वविद्यालय	13
	श्री कृष्णादेवराय विश्वविद्यालय	05
छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	04
	पं० रविशंकर विश्वविद्यालय	06
गुजरात	भावनगर विश्वविद्यालय	01
हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	05
झारखंड	रांची विश्वविद्यालय	01
कर्नाटक	बंगलूरु विश्वविद्यालय	10
	गुलबर्गा विश्वविद्यालय	03
	मैसूर विश्वविद्यालय	06
	मंगलौर विश्वविद्यालय	07
	कर्नाटक विश्वविद्यालय	03
	कुवेम्पू विश्वविद्यालय	03
	विश्वेश्वरैया विश्वविद्यालय	02
मध्य प्रदेश	ए०पी० सिंह विश्वविद्यालय	04
	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय	04
	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	07
	डा० हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय	03
	जीवाजी विश्वविद्यालय	03
	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	06
	विक्रम विश्वविद्यालय	02
महाराष्ट्र	एस०एन०डी०टी० महिला विश्वविद्यालय	01
	डा० बाबा साहिब अम्बेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय	01
	शिवाजी विश्वविद्यालय	02
	पुणे विश्वविद्यालय	02
	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय	01
	मुम्बई विश्वविद्यालय	01
	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय	02

राज्य	विश्वविद्यालय	कालेजों की संख्या
नागालैण्ड	नागालैण्ड विश्वविद्यालय	01
उड़ीसा	बेरहामपुर विश्वविद्यालय	06
	सम्बलपुर विश्वविद्यालय	04
	उत्कल विश्वविद्यालय	12
	नार्थ उड़ीसा विश्वविद्यालय	02
	फकीर मोहन विश्वविद्यालय	02
	बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	01
पुडुचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	02
राजस्थान	राजस्थान विश्वविद्यालय	02
तमिलनाडु	भरतियार विश्वविद्यालय	16
	भारतीदासान विश्वविद्यालय	18
	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय	02
	मद्रास विश्वविद्यालय	27
	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	16
	मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय	07
	पेरियार विश्वविद्यालय	03
	अलगप्पा विश्वविद्यालय	01
	अन्ना विश्वविद्यालय	07
	तिरुवल्लूर विश्वविद्यालय	05
	तमिलनाडु राज्य शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विश्वविद्यालय	01
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	01
	उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय	01
	पूर्वांचल विश्वविद्यालय	02
पश्चिम बंगाल	कोलकाता विश्वविद्यालय	01
	जोड़	281

टिप्पणी : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र : 15

विश्वविद्यालय : 55

कालेज : 281

परिशिष्ट – XVI

अकादमिक स्टॉफ कालेजों की सूची : 2007–08

1)	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
2)	आंध्र विश्वविद्यालय
3)	बी.आर.अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय
4)	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
5)	बंगलूरु विश्वविद्यालय
6)	भारतीयार विश्वविद्यालय
7)	भारतीदासान विश्वविद्यालय
8)	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय
9)	डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय
10)	डॉ० हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय
11)	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
12)	गोवा विश्वविद्यालय
13)	डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय
14)	गुजरात विश्वविद्यालय
15)	गुरुनानक देव विश्वविद्यालय
16)	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
17)	जादवपुर विश्वविद्यालय
18)	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय
19)	जामिया मिलिया इस्लामिया
20)	जम्मू विश्वविद्यालय
21)	जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
22)	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
23)	कर्नाटक विश्वविद्यालय
24)	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय
25)	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान
26)	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय
27)	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय
28)	नागपुर विश्वविद्यालय
29)	उस्मानिया विश्वविद्यालय
30)	पटना विश्वविद्यालय

31)	पांडिचेरी विश्वविद्यालय
32)	पंजाब विश्वविद्यालय
33)	राजस्थान विश्वविद्यालय
34)	रांची विश्वविद्यालय
35)	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय
36)	सम्बलपुर विश्वविद्यालय
37)	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय
38)	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय
39)	हैदराबाद विश्वविद्यालय
40)	इलाहाबाद विश्वविद्यालय
41)	बर्दवान विश्वविद्यालय
42)	कोलकाता विश्वविद्यालय
43)	कालीकट विश्वविद्यालय
44)	दिल्ली विश्वविद्यालय
45)	कश्मीर विश्वविद्यालय
46)	केरल विश्वविद्यालय
47)	लखनऊ विश्वविद्यालय
48)	मद्रास विश्वविद्यालय
49)	मुम्बई विश्वविद्यालय
50)	मैसूर विश्वविद्यालय
51)	पुणे विश्वविद्यालय
52)	उत्कल विश्वविद्यालय
53)	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय
54)	नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय
55)	मणिपुर विश्वविद्यालय
56)	कुमाऊं विश्वविद्यालय
57)	पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय

परिशिष्ट – XVII

यू.जी.सी. नेट परीक्षा के लिए विषयों की सूची : 2007–08

विषय कोड	विषय का नाम
01	अर्थशास्त्र
02	राजनीति शास्त्र
03	दर्शन
04	मनोविज्ञान
05	समाजशास्त्र
06	इतिहास
07	नृ-विज्ञान
08	वाणिज्य
09	शिक्षा
10	सामाजिक कार्य
11	रक्षा तथा रणनीतिक अध्ययन
12	गृह विज्ञान
14	लोक प्रशासन
15	जनसंख्या अध्ययन
16	संगीत
17	प्रबंधन
18	मैथिली
19	बंगला
20	हिन्दी
21	कन्नड़
22	मलयालम
23	उड़ीया
24	पंजाबी
25	संस्कृत
26	तमिल
27	तेलूगू
28	उर्दू
29	अरबी
30	अंग्रेजी

विषय कोड	विषय का नाम
31	भाषा विज्ञान
32	चीनी
33	डोगरी
34	नेपाली
35	मणिपुरी
36	असमिया
37	गुजराती
38	मराठी
39	फ्रेंच
40	स्पेनिश
41	रशियन
42	फारसी
43	राजस्थानी
44	जर्मन
45	जापानी
46	प्रौढ़ शिक्षा/अनुवर्ती शिक्षा/एन्ड्रोगी/अनौपचारिक शिक्षा
47	शारीरिक शिक्षा
49	अरबी संस्कृति तथा इस्लामिक अध्ययन
50	भारतीय संस्कृति
55	श्रमिक कल्याण/कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/श्रमिक तथा सामाजिक कल्याण/मानव संसाधन प्रबंधन
58	विधि
59	पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान
60	बौद्ध, जैन, गांधी तथा शान्ति अध्ययन
62	धर्म का तुलनात्मक अध्ययन
63	जन-संचार तथा पत्रकारिता
65	प्रदर्शन कला-नृत्य/नाटक/रंगमंच
66	संग्रहालय विज्ञान तथा संरक्षण
67	पुरातत्व विज्ञान
68	अपराध विज्ञान
70	जनजातीय तथा क्षेत्रीय भाषा/साहित्य
71	लोक साहित्य

विषय कोड	विषय का नाम
72	तुलनात्मक साहित्य
73	संस्कृत पारम्परिक विषय (इनमें ज्योतिष/सिद्धान्त ज्योतिष/नव व्याकरण/व्याकरण/मीमांसा/नव्य न्याय/सांख्य योग/तुलनात्मक दर्शन/शुक्ल यजुर्वेद/माधव वेदान्त/धर्मशास्त्र/साहित्य/पुराण/इतिहास/आगम/अद्वैत वैदान्त शामिल हैं।)
74	महिला अध्ययन
79	दृश्य कला (इनमें चित्रकारी और चित्रकला/मूर्तिकला/ग्राफिक्स/अनुप्रयुक्त कला/कला का इतिहास शामिल है)
80	भूगोल
81	सामाजिक आयुर्विज्ञान और समुदाय स्वास्थ्य
82	अपराध विज्ञान
83	पाली
84	कश्मीरी
85	कोंकणी
87	कम्प्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग
88	इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान
89	पर्यावरण विज्ञान
90	अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्र अध्ययन
91	प्राकृत
92	मानव अधिकार तथा कर्तव्य
93	पर्यटन प्रशासन तथा प्रबंधन

परिशिष्ट – XVIII

भारत में यू0जी0सी0 नेट परीक्षा के लिए केन्द्रों की सूची : 2007–2008

केन्द्र कोड	केन्द्रों के नाम
01	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़-202002
02	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद-211002
03	आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम-530003
04	अरुणाचल विश्वविद्यालय, ईटानगर-791112
05	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005
06	बैंगलोर विश्वविद्यालय, बंगलुरु-560056
07	एम.पी. भोज मुक्त विश्वविद्यालय, शिवाजी नगर, भोपाल-462 016
08	बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर-760007
09	भरतियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर-641046
10	भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली-620024
11	बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान-713104
12	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता-700073
13	कालीकट विश्वविद्यालय, कोजीकोड-673635
14	चौ0 चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ-250005
15	छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर-208024
16	कोचीन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोची-682022
17	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली-110025
18	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर-452001
19	डा0बी.एस.ए. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद-431004
20	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी-781014
21	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा-403203
22	दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273009
23	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद-380009
24	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा-585106
25	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर-143005
26	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-171005
27	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू(तवी)-180006
28	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर-342001

केन्द्र कोड	केन्द्रों के नाम
29	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर-474011
30	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़-580003
31	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर-190006
32	केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम-695034
33	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र-132119
34	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ-226007
35	एम.एस.बड़ोदा विश्वविद्यालय, बड़ोदरा-390002
36	मद्रास विश्वविद्यालय, चैन्नई-600005
37	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै-625021
38	मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर-574199
39	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल-795003
40	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर-313001
41	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई-400032
42	नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर-522510
43	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर-440001
44	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग-734450
45	नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय, शिलांग-793022
46	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500007
47	पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर-492010
48	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़-160014
49	पटना विश्वविद्यालय, पटना-800005
50	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे-411007
51	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर-302004
52	रांची विश्वविद्यालय, रांची-834008
53	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर-482001
54	एच०एन०बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर-246174
55	सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर-768019
56	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट-360005
57	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति-517502
58	तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर-812007
59	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला-799004

केन्द्र कोड	केन्द्रों के नाम
60	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर-751004
61	डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा-282004
62	महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर-305009
63	मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम पो.बा. नं. 190, आईजवाल-796012
64	नागालैंड विश्वविद्यालय, पो.बा. नं. 341, लुमानी कोहिमा-797001
65	जवाहरलाल नेहरू राजकीय विश्वविद्यालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर-744104
66	डा० अवधेश प्रताप सिंह, रीवा-486003

परिशिष्ट – XIX

वर्ष 2007-08 (मुख्य शीर्षवार) गैर-योजनागत अनुदान के तहत

विश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय / संस्थान / समविश्वविद्यालय	अनुसंधान वैज्ञानिक	अ.जा. / अ.ज.जा. / पीटीआर / एडब्ल्यू / जेआरएफ के लिए पोस्ट डॉक्टरल अथ यैतावृत्ति	अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी के तहत अथ यैतावृत्ति / एमई / एम.टेक एवं अ.जा. / अ.ज.जा. के लिए पेशेवर पाठ्यक्रमों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	अच्छा स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	एकमात्र बालिका संतान के लिए इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	गैर-विश्वविद्यालयी / संस्थानों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति	ईएमएम आरसी एवं सीईसी	अंतर्विश्व विद्यालय केन्द्र	विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ब्लॉक अनुदान	समविश्वविद्यालयों के लिए ब्लॉक अनुदान	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए ब्लॉक अनुदान	कुल
		02(i)	02(ii) to 02(iv)	02(v) to 02(vii)	02 (viii)	02 (ix)	03	04	05	06	07	09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय												
1	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	—	51.74	20.49	—	—	—	—	—	—	—	23192.33	23264.56
2	असम विश्वविद्यालय, सिलचर	—	—	—	—	0.80	—	—	—	—	—	—	0.80
3	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	1.63	103.46	212.12	—	1.60	—	—	—	—	—	24221.36	24540.17
4	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	99.35	373.98	—	—	9.20	—	—	—	—	—	15468.34	15950.87
5	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	—	—	—	—	—	—	82.50	—	—	—	462.54	462.54
6	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	18.43	11.49	1.52	—	0.80	—	—	—	—	—	5180.18	5212.42
7	जामिया मीलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	—	41.20	—	—	—	—	—	—	—	—	11609.95	11733.65
8	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	10.98	464.68	1.11	—	—	—	—	—	—	—	10925.34	11402.11
9	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, कर्घा	—	3.84	—	—	—	—	—	—	—	—	470.00	473.84
10	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	773.48	773.48
11	मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम	—	4.40	—	—	—	—	—	—	—	—	2354.82	2359.22
12	नार्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग	—	85.08	—	—	—	—	—	—	—	—	5759.80	5844.88
13	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा	—	6.68	—	—	—	—	—	—	—	—	2162.25	2168.93
14	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	—	13.60	—	—	—	—	—	—	—	—	2486.33	2499.93
15	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	—	10.06	—	—	—	—	—	—	—	—	794.22	804.28
16	विश्व भारती, शांतिनिकेतन	—	38.32	—	—	—	—	—	—	—	—	6207.82	6246.14
17	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	32.42	150.00	23.54	—	—	—	—	—	—	—	11640.09	11846.05
18	मणिपुर विश्वविद्यालय	—	—	—	—	—	—	44.32	—	—	—	1095.01	1139.33
19	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	—	0.38	—	—	—	—	—	—	—	—	1066.08	1066.46
20	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	717.00	717.00
21	द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज, हैदराबाद	—	12.80	—	—	—	—	75.00	—	—	—	1858.44	1946.24
	कुल योग	162.81	1371.71	258.78	—	12.40	—	201.82	—	—	—	128445.38	130452.90
	समविश्वविद्यालय												
1	अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस फॉर हायर एजुकेशन वूमेंस, कोयम्बटूर	—	0.63	—	—	—	—	—	—	—	1113.48	—	1114.11
2	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली	—	10.09	—	—	0.40	—	—	—	—	—	—	10.49
3	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस, पिलानी	—	—	25.69	—	—	—	—	—	—	—	—	25.69
4	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा	—	—	2.34	—	0.40	—	—	—	—	—	—	2.74
5	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा	—	1.53	—	—	—	—	—	—	—	640.21	—	641.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	देकॉन कॉलेज पीजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे	—	2.81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.81
7	गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गांधीग्राम	—	28.72	—	—	2.40	—	—	—	—	1301.90	—	1333.02
8	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पोलीटिक्स एण्ड इकॉनोमिक्स, पुणे	—	—	—	—	1.20	—	—	—	—	—	—	1.20
9	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	—	0.68	—	—	—	—	—	—	—	1086.40	—	1087.08
10	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	—	3.02	—	—	—	—	—	—	—	901.39	—	904.41
11	इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली	—	30.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.22
12	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस, बंगलूरु	18.41	60.95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.36
13	इंडियन वेटेरीनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर	—	3.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.88
14	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साईंस मुम्बई	—	10.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.18
15	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	—	22.34	32.69	—	—	—	—	—	—	400.00	—	455.03
16	जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट, लाडनूं नागौर	—	12.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.10
17	जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	—	4.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.35
18	नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, (हरियाणा)	—	9.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.66
19	नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल	—	1.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.35
20	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साईंस, बंगलूरु	—	39.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.15
21	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	—	4.63	—	—	—	—	—	—	—	707.11	—	711.74
22	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वविद्यालय, कांचीपुरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.00	—	7.00
23	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	—	1.40	—	—	—	—	—	—	—	829.76	—	831.16
24	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईंस, देवनार, मुम्बई	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1377.58	—	1377.58
25	टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज, नई दिल्ली	—	14.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.00
26	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ भवन, पुणे	—	3.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.10
27	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी	—	—	—	—	—	—	—	—	7.48	—	—	7.48
	कुल	18.41	264.79	60.72	—	4.40	—	—	—	7.48	8364.83	—	8720.63
	आंध्र प्रदेश												
1	आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर	4.42	10.30	66.99	—	5.20	—	—	—	—	—	—	86.91
2	जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी, हैदराबाद	—	1.44	35.83	—	—	—	—	—	—	—	—	37.27
3	ककातिया विश्वविद्यालय, वारंगल	—	2.45	38.54	—	—	—	—	—	—	—	—	40.99
4	नागार्जुना विश्वविद्यालय, गुंटूर	—	—	—	—	2.80	—	—	—	—	—	—	2.80
5	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	—	20.00	34.77	—	—	—	40.00	—	—	—	—	94.77
6	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति	—	2.88	1.34	—	—	—	—	—	—	—	—	4.22
7	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति	—	1.97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.97
8	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोरमेशन, हैदराबाद	7.37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.37
	कुल	11.79	39.04	117.47	—	8.00	—	40.00	—	—	—	—	276.30
	असम												
1	डिब्रुगढ़ विश्वविद्यालय	—	3.55	—	—	0.40	—	—	—	—	—	—	3.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	छत्तीसगढ़												
1	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	—	—	—	—	0.80	—	—	—	—	—	—	0.80
2	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़	—	1.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.31
3	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	—	9.63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.63
	कुल	—	10.94	—	—	0.80	—	—	—	—	—	—	11.74
	दिल्ली												
1	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली	—	6.22	—	—	0.40	—	—	—	—	—	—	6.62
	गुजरात												
1	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	—	—	—	—	0.40	—	75.00	—	—	—	—	75.40
2	एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा, वडोदरा	—	33.53	1.11	—	—	—	—	—	—	—	—	34.64
	कुल	—	33.53	1.11	—	0.40	—	75.00	—	—	—	—	110.04
	गोवा												
	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा	—	1.33	—	—	0.40	—	—	—	—	—	—	1.73
	कुल	—	1.33	—	—	0.40	—	—	—	—	—	—	1.73
	हरियाणा												
1	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	7.10	10.90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.00
2	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	—	36.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.78
3	गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	—	13.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.10
	कुल	7.10	60.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.88
	हिमाचल प्रदेश												
1	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	—	54.89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.89
	जम्मू												
1	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	—	47.67	—	—	—	—	72.33	—	—	—	—	120.00
	कुल	—	47.67	—	—	—	—	72.33	—	—	—	—	120.00
	झारखंड												
1	रांची विश्वविद्यालय	—	37.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.25
	कुल	—	37.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.25
	कर्नाटक												
1	बंगलूरु विश्वविद्यालय, बंगलूरु	—	—	22.00	—	6.00	—	—	—	—	—	—	28.00
2	कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी	—	3.39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.39
3	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़	—	4.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40
4	कुवेम्पु विश्वविद्यालय, शिमोगा	—	4.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.12
5	मंगलोर विश्वविद्यालय, मंगलोर	—	7.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.22
6	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	—	33.58	—	—	—	—	26.25	—	—	—	—	59.83
7	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, बंगलूरु	—	—	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	0.25
8	कर्नाटक स्टेट वूमेंस विश्वविद्यालय, बीजापुर	—	1.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.33
	कुल	—	54.04	22.25	—	6.00	—	26.25	—	—	—	—	108.54
	केरल												
1	कालीकट विश्वविद्यालय, कोजीकोड	—	40.00	—	—	63.60	—	21.25	—	—	—	—	124.85
2	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, कोच्ची	—	36.07	17.43	—	2.00	—	—	—	—	—	—	55.50
3	केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम	9.31	68.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.35
4	कन्नौर विश्वविद्यालय, कन्नौर	—	1.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.38
5	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालडी	—	5.79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.79
	कुल	9.31	151.28	17.43	—	65.60	—	21.25	—	—	—	—	264.87
	मध्य प्रदेश												
1	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	—	3.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.78
2	बर्कतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	—	—	—	—	0.40	—	—	—	—	—	—	0.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, सागर	—	—	—	—	—	—	90.00	—	—	—	—	90.00
4	डॉ. एच.एस.गौड़ विश्वविद्यालय, सागर	—	15.00	14.12	—	—	—	36.00	—	—	—	—	65.12
5	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	—	29.21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.21
6	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	—	0.89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.89
	कुल	—	48.88	14.12	—	0.40	—	126.00	—	—	—	—	189.40
	महाराष्ट्र												
1	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई	7.70	—	76.15	—	—	—	—	—	—	—	—	83.85
2	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	—	—	—	—	0.40	—	—	—	—	—	—	0.40
3	आर.टी.एम. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	—	57.79	18.34	—	—	—	—	—	—	—	—	76.13
4	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	0.25	42.71	—	—	—	—	75.00	—	—	—	—	117.96
5	एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई	—	18.15	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	21.15
6	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	4.57	10.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.91
7	एस.आर.टी.एम. विश्वविद्यालय, नान्देड	—	1.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.44
	कुल	12.52	130.43	97.49	—	0.40	—	75.00	—	—	—	—	315.84
	उड़ीसा												
1	बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर	—	2.54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.54
2	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	—	4.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.48
3	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर	—	—	—	—	0.40	—	—	—	—	—	—	0.40
4	रावेन्शाह विश्वविद्यालय, कटक	—	1.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.69
	कुल	—	8.71	—	—	0.40	—	—	—	—	—	—	9.11
	पंजाब												
1	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	—	99.48	1.58	—	0.80	—	—	—	—	—	—	101.86
2	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	—	397.62	12.18	—	—	—	—	—	—	—	—	409.80
3	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	17.24	1.44	—	—	—	—	12.50	—	—	—	—	31.18
	कुल	17.24	498.54	13.76	—	0.80	—	12.50	—	—	—	—	542.84
	राजस्थान												
1	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	—	—	—	—	—	—	65.00	—	—	—	—	65.00
2	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	—	2.58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.58
3	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	—	95.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.34
4	महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	—	8.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.69
	कुल	—	106.61	—	—	—	—	65.00	—	—	—	—	171.61
	तमिलनाडु												
1	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराकुडी	—	10.08	—	—	2.00	—	—	—	—	—	—	12.08
2	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	—	—	3.26	—	0.80	—	45.00	—	430.51	—	—	479.57
3	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर	—	5.03	—	—	1.78	—	—	—	—	—	—	6.81
4	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	—	1.33	—	—	21.60	—	—	—	—	—	—	22.93
5	भारथीदासन विश्वविद्यालय	—	—	—	—	10.40	—	—	—	—	—	—	10.40
6	मद्रास विश्वविद्यालय, चिन्नेई	9.62	121.95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131.57
7	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै	3.87	46.64	—	—	—	—	12.50	—	—	—	—	63.01
8	मनोनमनियम सुन्दरनार विश्वविद्यालय	—	1.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.74
9	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोड्डुकनाल	—	1.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.09
10	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	—	5.26	1.62	—	—	—	—	—	—	—	—	6.88
11	पेरियार विश्वविद्यालय, सालेम	—	4.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40
	कुल	13.49	197.52	4.88	—	36.58	—	57.50	—	430.51	—	—	740.48
	उत्तर प्रदेश												
1	चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	10.91	20.82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.73
2	सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर	—	—	—	—	4.00	—	—	—	—	—	—	4.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	4.86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.86
4	डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	—	3.45	—	—	0.40	—	—	—	—	—	—	3.85
5	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	10.90	39.58	—	—	0.40	—	—	—	—	—	—	50.88
6	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	—	9.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.75
7	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	6.11	147.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153.59
	कुल	32.78	221.08	—	—	4.80	—	—	—	—	—	—	258.66
	उत्तरांचल												
1	जी.बी. पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	—	13.85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.85
2	कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल	5.95	4.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.68
3	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय	—	5.49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.49
	कुल	5.95	24.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.02
	पश्चिम बंगाल												
1	बिधनचन्द्रा कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर	—	—	—	—	0.80	—	—	—	—	—	—	0.80
2	बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड साईंस यूनिवर्सिटी शिवपुर, हावड़ा	—	1.35	3.18	—	—	—	—	—	—	—	—	4.53
3	बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान	—	9.34	—	—	3.60	—	—	—	—	—	—	12.94
4	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता	4.86	63.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.24
5	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	44.92	58.57	168.92	—	—	—	—	—	—	—	—	272.41
6	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी	—	23.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.69
7	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय	—	22.59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.59
8	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर	—	3.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.25
	कुल	49.78	182.17	172.10	—	4.40	—	—	—	—	—	—	408.45
	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र												
1	कंसोर्शियम फॉर एजुकेशन कॉन्स्यूनिक्शन, नई दिल्ली	—	—	—	—	—	—	203.49	—	—	—	—	203.49
2	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनामि एण्ड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे	—	—	—	—	—	—	—	963.05	—	—	—	963.05
3	इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर, नई दिल्ली	—	2.76	—	—	—	—	—	831.50	—	—	—	831.50
4	एन.ए.ए.सी. राजाजी नगर, बंगलूरु	—	—	—	—	—	—	—	180.00	—	—	—	180.00
5	इंफिलबनेट सेंटर, अहमदाबाद	—	—	—	—	—	—	—	180.00	—	—	—	180.00
6	यूजीसी-डीएई कंसोर्शियम फॉर साईंटीफिक रिसर्च, इंदौर	—	—	—	—	—	—	—	695.00	—	—	—	695.00
	कुल	—	2.76	—	—	—	—	203.49	2849.55	—	—	—	3055.80
	राष्ट्रीय महत्व के संस्थान												
1	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.20
2	नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रोफोरेट्री, झांसी	2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.00
3	मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, भोपाल	—	—	0.75	—	—	—	—	—	—	—	—	0.75
	कुल	2.20	—	0.75	—	—	—	—	—	—	—	—	2.95
	महायोग :	343.38	3574.41	840.86	—	147.38	—	976.14	2849.55	437.99	8364.83	128445.38	145979.92

परिशिष्ट – XIX (जारी)
वर्ष 2007-08 के दौरान गैर-योजनागत अनुदान के अंतर्गत
महाविद्यालयों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार)

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय / संस्थाएं / समविश्वविद्यालय	अनुसंधान वैज्ञानिक 02 (i)	अनुसंधान अध्येतावृत्ति / एसोसिएटशिप 02 (ii) to 02 (iv)	अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के तहत अध्येतावृत्ति / छात्रवृत्ति 02 (v) to 02 (vii)	एकमात्र बालिका संतान के लिए इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति 02 (ix)	ई.एम.एम. आर.सी. एवं सी.ई.सी. 04	दिल्ली कॉलेजों को ब्लाक अनुदान 08 (i)	बी.एच.यू. कॉलेजों को ब्लाक अनुदान 08 (ii)	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को ब्लाक अनुदान 09 (ii)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय									
1	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	—	—	—	—	—	—	588.58	—	588.58
2	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	6.78	21.78	2.60	—	—	38052.37	—	2750	40833.53
3	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी	—	1.86	—	—	—	—	—	—	1.86
	कुल	6.78	23.64	2.60	—	—	38052.37	588.58	2750	41423.97
	राज्य विश्वविद्यालय									
	बिहार									
1	बाबा साहेब बी.आर.ए. विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	—	0.89	—	—	—	—	—	—	0.89
	कुल	—	0.89	—	—	—	—	—	—	0.89
	छत्तीसगढ़									
1	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	—	7.25	—	—	—	—	—	—	7.25
2	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	2.00	1.11	—	—	—	—	—	—	3.11
	कुल	2.00	8.36	—	—	—	—	—	—	10.36
	झारखंड									
1	रांची विश्वविद्यालय, रांची	—	0.89	—	—	—	—	—	—	0.89
	कुल	—	0.89	—	—	—	—	—	—	0.89
	कर्नाटक									
1	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, बेलगाम	—	—	2.50	—	—	—	—	—	2.50
	कुल	—	—	2.50	—	—	—	—	—	2.50
	केरल									
1	कन्नूर विश्वविद्यालय	—	0.02	—	—	—	—	—	—	0.02
2	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	—	5.57	—	—	—	—	—	—	5.57
	कुल	—	5.59	—	—	—	—	—	—	5.59
	मध्य प्रदेश									
1	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	3.99	—	—	—	—	—	—	—	3.99
2	जीवाजी विश्वविद्यालय	—	1.28	—	—	—	—	—	—	1.28
	कुल	3.99	1.28	—	—	—	—	—	—	5.27
	महाराष्ट्र									
1	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई	—	4.46	—	—	—	—	—	—	4.46
2	नार्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगांव	—	1.40	—	—	—	—	—	—	1.40
3	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	—	1.94	—	—	—	—	—	—	1.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	एस.जी.बी. अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती	—	1.87	—	—	—	—	—	—	1.87
	कुल	—	9.67	—	—	—	—	—	—	9.67
	पंजाब									
1	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	—	1.66	—	—	—	—	—	—	1.66
	कुल	—	1.66	—	—	—	—	—	—	1.66
	राजस्थान									
1	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	—	30.99	—	—	—	—	—	—	30.99
2	महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	—	11.08	—	—	—	—	—	—	11.08
3	कोटा विश्वविद्यालय	—	5.03	—	—	—	—	—	—	5.03
4	बीकानेर विश्वविद्यालय	—	16.40	—	—	—	—	—	—	16.40
	कुल	—	63.50	—	—	—	—	—	—	63.50
	तमिलनाडु									
1	मद्रास विश्वविद्यालय, चिन्नेई	—	18.85	—	—	—	—	—	—	18.85
2	मनोनमनियम सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तिरुनेलवेल्ली	2.00	—	—	—	—	—	—	—	2.00
3	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय	—	2.21	—	—	—	—	—	—	2.21
	कुल	2.00	21.06	—	—	—	—	—	—	23.06
	उत्तर प्रदेश									
1	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी	—	1.09	—	—	—	—	—	—	1.09
2	चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	2.86	21.60	—	—	—	—	—	—	24.46
3	डॉ. आर.एम.एल. अवध विश्वविद्यालय	—	1.95	—	—	—	—	—	—	1.95
4	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	11.71	5.11	—	—	—	—	—	—	16.82
5	चौ. साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर	—	9.22	—	—	—	—	—	—	9.22
6	वी.बी.एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	—	8.73	—	—	—	—	—	—	8.73
7	रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली	—	12.95	—	—	—	—	—	—	12.95
	कुल	14.57	60.65	—	—	—	—	—	—	75.22
	पश्चिम बंगाल									
1	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता	—	9.10	—	—	95.00	—	—	—	104.10
	कुल	—	9.10	—	—	95.00	—	—	—	104.10
	महायोग	29.34	206.29	5.10	—	95.00	38052.37	588.58	2750.00	41726.68

सारांश (गैर-योजनागत) 2007-08

(रुपये लाख में)

विवरण	अनुसंधान वैज्ञानिक	अ.जा./अ.ज. जा./शा.वि. /आर.ए. डब्ल्यू/जे. आर.एफ. के लिए पोस्ट डॉक्टोरल अथवा योतावृत्ति परांत	अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी/स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत अथवा योतावृत्ति	अच्छा स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	एकमात्र बालिका संतान के लिए इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	गैर-विविध छात्रों/संस्थानों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपत्ति	ईएमएमआरसी एवं सीईसी	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र	विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ब्लॉक अनुदान समविश्वविद्यालयों के लिए ब्लॉक अनुदान	दिल्ली के कॉलेजों के लिए ब्लॉक अनुदान	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए ब्लॉक अनुदान	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए ब्लॉक अनुदान	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए ब्लॉक अनुदान	कुल
	02(i)	02(ii) to 02(iv)	02 (v) to 02 (vii)	02 (viii)	02 (ix)	3	4	5	6	7	8 (i)	8(ii)	9	
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	162.81	1371.71	258.78	0	12.40	0	201.82	0	0	0	0	0	128445.38	130452.90
समविश्वविद्यालय	18.41	264.79	60.72	0	4.40	0	0	0	7.48	8364.83	0	0	0	8720.63
अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र	0	2.76	0	0	0	0	203.49	2849.55	0	0	0	0	0	3055.80
राज्य विश्वविद्यालय	159.96	1935.15	520.61	0	130.58	570.83	0	430.51	0	0	0	0	0	3747.64
राष्ट्रीय महत्व के संस्थान	2.20	0	0.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.95
कुल विश्वविद्यालय	343.38	3574.41	840.86	0	147.38	0	976.14	2849.55	437.99	8364.83	0	0	128445.38	145979.92
कॉलेज														
दिल्ली कॉलेज	6.78	21.78	2.60	0	0	0	0	0	0	0	38052.37	0	2750.00	40833.53
बी एच यू कॉलेज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588.58	0	588.58
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	1.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.86
राज्य कॉलेज	22.356	182.65	2.50	0	0	0	95.00	0	0	0	0	0	0	302.51
कुल कॉलेज	29.34	206.29	5.10	0	0	0	95.00	0	0	0	38052.37	588.58	2750.00	41726.68
कुलयोग (विश्वविद्यालय और कॉलेज)	372.72	3780.70	845.96	0	147.38	0	1071.14	2849.55	437.99	8364.83	38052.37	588.58	131195.38	187706.60
विश्वविद्यालयेतर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
स्थापना के माध्यम से	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
क्षेत्रीय केन्द्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग	372.72	3780.70	845.96	0	147.38	0	1071.14	2849.55	437.99	8364.83	38052.37	588.58	131195.38	187706.60

परिशिष्ट-XX

[illegible]

[illegible]

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
21	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली	मु.	0	0	0	2.40	0	0	0	0	0	2.40
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मेनेजमेंट, ग्वालियर	मु.	0	0	0	0	0	0	3.56	0	0	3.56
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	मु.	406.18	0	21.50	22.24	2.00	0	0	0	0	451.92
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट, लाडनूं	मु.	63.19	0	3.14	5.84	5.00	0	54.83	0	42.26	174.26
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर	मु.	0	0	50.00	0	0	0	0	0	0	50.00
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन, मणिपाल	मु.	0	0	0	1.70	0	0	0	0	0	1.70
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	मु.	62.63	0	41.78	0	0	3.97	0	0	22.74	131.12
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर	मु.	0	0	0	2.60	0	0	0	0	0	2.60
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राऊरकेला	मु.	0	3.00	0	25.03	0	0	0	0	0	28.03
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट	मु.	0	0	0	8.56	0	0	0	0	0	8.56
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पिलानी	मु.	0	0	0	0.78	0	0	0	0	0	0.78
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क, भुवनेश्वर	मु.	0	0	0	0	7.05	0	0	0	0	7.05
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	भारतीय विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय विधि विद्यालय	मु.	0	0	0	0	0	6.52	0	0	0	6.52
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	मु.	0	0	0	3.98	0	0	0	0	0	3.98
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट, वस्त्रपुर अहमदाबाद	मु.	0	0	0.23	0	0	0	0	0	0	0.23
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	मु.	0	0	0.45	0	0	0	0	0	0	0.45
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज	मु.	0	0	20.00	0	0	0	0	0	0	20.00
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वविद्यालय, कांचीपुरम	मु.	51.11	0	1.00	0	0	7.75	0	0	38.00	97.86
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	मु.	54.09	10.00	15.73	12.42	5.00	0.02	0	0	97.30	194.56
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग प्रसाधिनियलियम	मु.	116.34	0	1.99	0	0	0	0	0	11.52	129.85
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईंस, देवनार, मुम्बई	मु.	208.76	0	0	0	0	1.91	0	0	0	210.67
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	श्री जी.एस.आई. ऑफ टैक. एण्ड साईंस, इंदौर	मु.	0	0	0	2.71	0	0	0	0	0	2.71
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
43	एस.एस.एस.आई. ऑफ एमएलपीएम, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	मु.	0	0	0	7.99	0	0	0	0	0	7.99
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	मु.	81.96	0	0	3.73	0	0	0	0	0	85.69
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, पटियाला	मु.	160.13	0	0	2.32	0	0	0	0	30.30	192.75
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हावड़ा	मु.	379.00	0	0	0	0	0	0	0	0	379.00
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेल्लोर, तमिलनाडु	मु.	0	0	0	0.78	0	0	0	0	0	0.78
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	विश्वेश्वरिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल, नागपुर	मु.	0	0	0	6.96	0	0	0	0	0	6.96
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	मु.	3925.59	63.11	673.64	278.96	136.07	33.73	59.10	0.00	403.89	5574.09
	कुल	क्षे.क.	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
	महायोग		3925.59	63.11	673.94	278.96	136.07	33.73	59.10	0.00	403.89	5574.39
	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र											
1	कंसोर्शियम फॉर एजुकेशन कम्यूनिकेशन नई दिल्ली	मु.	0	0	23.75	0	0	0	0	0	760.00	783.75
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे	मु.	0	0	1000.00	0	0	0	0	0	0	1000.00
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर, नई दिल्ली	मु.	0	0	1016.38	0	0	0	0	0	0	1016.38
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	एन.ए.ए.सी. राजाजी नगर, बंगलूरु	मु.	0	0	400.00	0	0	0	0	0	184.79	584.79
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	इंपिलबनेट सेंटर, अहमदाबाद	मु.	0	0	15.00	0	0	4606.64	0	0	3210.00	7831.64
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	यूजीसी-डीई कंसोर्शियम फॉर सांईटीफिक रिसर्च, इंदौर	मु.	0	0	751.41	0.46	0	0	0	0	0	751.87
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	0	0	3206.54	0	0	4606.64	0	0	4155.05	11968.43
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग :		0	0	3206.54	0.46	0	4606.64	0	0	4155.05	11968.43
	राज्य विश्वविद्यालय											
	आंध्र प्रदेश											
1	द्रविडियन विश्वविद्यालय	मु.	51.25	0	0	5.92	0	0	0	0	21.80	78.97
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर	मु.	1428.59	24.84	211.24	85.78	12.01	0	0	0	3.06	1765.52
		क्षे.क.	0	0	0.50	0	0	0	0	0	0	0.50
3	ए.एन.जी. रंगा एग्रीकल्चरल विश्वविद्यालय, हैदराबाद	मु.	37.05	3.11	0	0	0	0	0	0	0	40.16
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	जवाहरलाल नेहरू प्रौ. विश्वविद्यालय, हैदराबाद	मु.	196.56	0	74.00	44.10	0	0	0	0	10.30	324.96
		क्षे.क.	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0.05
5	ककातिया विश्वविद्यालय, वारंगल	मु.	189.48	0	22.94	12.98	5.50	0	0	0	5.80	236.70
		क्षे.क.	0	0	0.30	0	0	0	0	0	0	0.30
6	नागार्जुना विश्वविद्यालय, गुंटूर	मु.	109.76	0	9.30	6.06	6.35	0	0	0	0	131.47
		क्षे.क.	0	0	1.45	0	0	0	0	0	0	1.45
7	नेशनल अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ	मु.	57.66	4.00	0	2.81	0	0	0	0	26.73	91.20

[illegible]

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
4	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़	मु.	45.00	0	0	0	3.00	0	0	0	0	48.00
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	मु.	187.65	0	69.00	7.77	0	0	0	0	0	264.42
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	418.66	0	77.97	7.77	3.00	0	0	0	390.17	897.57
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग :		418.66	0	77.97	7.77	3.00	0	0	0	390.17	897.57
	दिल्ली											
1	गुरु गोबिन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	मु.	113.06	0	0	19.27	0	0	0	0	27.50	159.83
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	113.06	0	0	19.27	0	0	0	0	27.50	159.83
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग :		113.06	0	0	19.27	0	0	0	0	27.50	159.83
	गुजरात											
1	भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर	मु.	141.04	0	0.40	0.42	0	0	15.01	0	0	156.87
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	मु.	186.56	0	144.65	2.89	0	0	0	0	46.18	380.28
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा, वडोदरा(कच्छ)	मु.	524.88	0	153.45	78.66	11.35	0	2.25	0	37.56	808.15
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	नॉर्थ गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन	मु.	59.24	0	0	0.72	3.00	0	0	0	28.52	91.48
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ	मु.	346.62	0	72.31	83.81	0	5.86	0	0	2.81	511.41
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट	मु.	218.56	0	54.73	12.73	40.28	2.99	0	0	39.00	368.29
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	साउथ गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत	मु.	204.06	0	0	11.44	40.00	0	0	0	6.52	262.02
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	1680.96	0	425.54	190.67	94.63	8.85	17.26	0	160.59	2578.50
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग :		1680.96	0	425.54	190.67	094.63	8.85	17.26	0	160.59	2578.50
	गोवा											
1	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा	मु.	257.25	0	54.54	8.52	53.35	0	0	0	30.00	403.66
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	257.25	0	54.54	8.52	53.35	0	0	0	30.00	403.66
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग :		257.25	0	54.54	8.52	53.35	0	0	0	30.00	403.66
	हरियाणा											
1	चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	मु.	0	18.77	0	7.40	0	0	0	0	5.00	12.40
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	मु.	147.54	0	148.50	18.86	11.05	0	0	0	10.30	355.02
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	मु.	286.57	0	5.67	29.23	0	0	0	0	67.00	388.47
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	मु.	119.59	0	14.40	72.49	0.40	0	0	0	0.10	206.98
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	553.70	18.77	168.57	127.98	11.45	0	0	0	82.40	962.87
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग :		553.70	18.77	168.57	127.98	11.45	0	0	0	82.40	962.87
	हिमाचल प्रदेश											
1	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	मु.	202.35	0	230.60	28.16	7.75	0	0	0	0	468.86
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आईआईटी एडवांस स्टडीज, शिमला	मु.	0	0	13.95	0	0	0	0	0	0	13.95
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	202.35	0	244.55	28.16	7.75	0	0	0	0	482.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग :		202.35	0	244.55	28.16	7.75	0	0	0	482.81
	जम्मू और कश्मीर										
1	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	मु.	1081.85	4.00	94.57	15.92	40.00	0	0	5.00	1241.34
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	मु.	177.26	1.00	88.10	20.23	4.40	0	0	53.67	344.66
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	00	0
3	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और मु. प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर	0	0	3.83	0	0	0	0	20.00	23.83	
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	1259.11	5.00	182.67	39.98	44.40	0	0	78.67	1609.83
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0	0	00	0	0	0	00
	महायोग :		1259.11	5.00	182.67	39.98	44.40	0	0	78.67	1609.83
	झारखंड										
1	रांची विश्वविद्यालय, रांची	मु.	1021.14	0	85.00	11.88	0	0	0	124.80	1242.82
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग	मु.	130.09	0	0	0	0	0	0	28.00	158.09
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	1151.23	0	85.00	11.88	0	0	0	152.80	1400.91
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग :		1151.23	0	85.00	11.88	0	0	0	152.80	1400.91
	कर्नाटक										
1	बंगलूरु विश्वविद्यालय, बंगलूरु	मु.	319.88	0	85.00	51.34	40.00	0	0	0	496.22
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा	मु.	120.55	0	8.80	22.29	0	0	0	3.83	155.47
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी	मु.	125.47	17.35	6.46	5.85	0	0	0	10.15	165.28
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़		317.45	0	65.79	34.48	4.35	0	0	0	422.07
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	कर्नाटक स्टेट वूमैन विश्वविद्यालय, बीजापुर	मु.	78.53	0	1.00	0	0	0	0	0	79.53
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	कुवैम्पु विश्वविद्यालय, शिमोगा	मु.	203.52	0	17.17	23.18	2.15	3.70	0	38.12	287.84
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	मंगलोर विश्वविद्यालय, मंगलोर	मु.	254.43	20.06	40.75	25.86	0	4.61	0	46.54	392.25
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	मु.	300.43	0	165.15	39.22	40.00	0	0	103.96	648.76
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलूरु	मु.	71.30	0	0	0	0	0	0	0	71.30
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	कृषि तथा विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलूरु	मु.	0	0	0	0	0	0	0	3.41	3.41
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	1791.56	37.41	390.12	202.22	86.50	8.31	0	206.01	2722.13
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग :		1791.56	37.41	390.12	202.22	86.50	8.31	0	206.01	2722.13

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, थिरसूर	मु.	179.84	0	0	12.43	0	0	0	0	4.88	197.15
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालडी	मु.	31.06	0	49.90	6.90	0	0	0	0	49.08	136.94
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	2391.87	0	524.84	98.20	47.50	0	0	0	239.04	3301.45
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0.42	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग :		2391.87	0	525.26	98.20	47.50	0	0	0	239.04	3301.87
	मध्य प्रदेश											
1	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	मु.	143.94	0	0	2.91	0	0	0	0	16.88	163.73
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	बर्कतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	मु.	171.62	0	2.31	6.86	0	0	0	0	23.41	204.20
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	राष्ट्रीय विधि संस्थान, भोपाल	मु.	326.70	0	0	0.97	3.04	0	0	0	0	330.71
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	एम.पी. भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल	मु.	0	0	0.23	0	0	0	0	0	65.00	65.23
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	एम जी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, भोपाल	मु.	141.03	0	0	0	0	0	0	0	48.37	189.40
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, सागर	मु.	126.53	0	119.95	20.73	0	0	0	0	137.75	404.96
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	डॉ. हरि सिंह गौड विश्वविद्यालय, सागर	मु.	786.35	0	102.95	53.16	7.00	0	0	0	0	949.46
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	मु.	0	0	29.03	25.50	3.50	0	0	0	0	58.03
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, भोपाल	मु.	142.30	0	0	0	0	0	0	0	0	142.30
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	मु.	178.99	0	60.00	18.78	0	0	0	0	0	257.77
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	मु.	179.19	0	0.55	2.19	42.24	0	0	0	0.16	224.33
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	2196.65	0	315.02	131.10	55.78	0	0	0	291.57	2990.12
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग :		2196.65	0	315.02	131.10	55.78	0	0	0	291.57	2990.12
	महाराष्ट्र											
1	एस.जी.बी. अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती	मु.	122.51	3.00	0	23.69	1.32	0	0	0	53.80	204.32
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई	मु.	4500.89	0	359.91	47.40	12.85	0	0	0	85.20	5006.25
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	मु.	205.89	0	123.40	10.34	11.70	0	0	0	0	351.33
		क्षे.क.	0	0	0.10	0	0	0	0	0	0	0.10
4	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर तकनीकी विश्वविद्यालय, लोनेरे	मु.	0	0	0	80.96	0	0	0	0	0	80.96
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	आर.टी.एम. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	मु.	176.39	4.98	139.77	20.77	0	0	0	0	10.01	351.92
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	नार्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगांव	मु.	137.72	0	4.97	24.78	0	0	0	0	2.24	169.71
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	मु.	246.10	23.67	1095.49	45.74	0.50	0	0	0	42.02	1453.52
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई	मु.	228.59	13.45	38.20	31.87	40.00	0	0	0	0	352.11
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	मु.	209.47	0	45.75	53.88	10.07	5.00	0	0	9.18	333.35

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	स्वामी आर.टी.एम. विश्वविद्यालय, नान्देड	मु.	127.44	0	0.02	7.76	3.44	3.00	0	0	0	141.66
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय	मु.	0	0	0	0	0	0	0	0	4.00	4.00
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	5955.00	45.10	1807.51	347.19	79.88	8.00	0	0	206.45	8449.13
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0.10	0	0	0	0	0	0	0.10
	महायोग :		5955.00	45.10	1807.61	347.19	79.88	8.00	0	0	206.45	8449.23
	उड़ीसा											
1	बहरामपुर विश्वविद्यालय, बहरामपुर	मु.	171.42	0	10.30	0.45	0	0	0	0	4.52	186.69
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर	मु.	55.88	0	0	5.97	0	0	0	0	45.12	106.97
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	रेवेन्सॉ विश्वविद्यालय, कटक	मु.	40.00	0	0	3.56	0	0	0	0	68.00	111.56
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर	मु.	234.04	0	143.10	8.69	40.00	0	0	0	71.56	497.47
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी	मु.	95.24	0	0	0	0	0	0	0	0	95.24
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	नार्थ उड़ीसा विश्वविद्यालय, बारीपाड़ा	मु.	29.57	0	0	0	0	0	0	0	0	29.57
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	मु.	262.88	0	168.51	17.44	48.01	0	0	0	5.40	502.24
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	889.03	0	321.99	36.11	88.01	0	0	0	194.60	1529.74
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग :		889.03	0	321.99	36.11	88.01	0	0	0	194.60	1529.74
	पंजाब											
1	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	मु.	257.84	0	180.99	81.47	7.90	0	0	0	64.46	592.66
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	मु.	272.70	1.00	224.10	119.28	0	0	0	0	9.20	626.28
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	मु.	0	0	0	6.07	0	0	0	0	0	6.07
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	मु.	557.94	0	26.19	35.46	7.31	0	0	0	120.04	746.94
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	1088.48	1.00	431.28	242.28	15.21	0	0	0	193.70	1971.95
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग :		1088.48	1.00	431.28	242.28	15.21	0	0	0	193.70	1971.95
	राजस्थान											
1	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	मु.	222.99	14.91	63.70	51.12	0.15	0	0	0	80.10	432.97
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	जे.आर.एन. राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	मु.	0	26.35	1.88	0	0	0	0	0	0	28.23
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	मु.	134.08	0	22.69	22.38	0	0	0	0	0	179.15
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	मु.	108.72	0	75.00	1.04	0.56	4.00	0	0	0	189.32
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मु.	279.16	0	51.16	138.05	50.85	0	0	0	0	519.22
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	मु.	0	0	94.45	0	0	0	0	0	0	94.45
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	744.95	41.26	308.88	212.59	51.56	4.00	0	0	80.10	1443.34
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग :		744.95	41.26	308.88	212.59	51.56	4.00	0	0	80.10	1443.34
	तमिलनाडु											

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
1	अलगापा विश्वविद्यालय, कराकुडी	मु.	295.27	4.00	41.82	9.04	0	0	0	0	0	350.13
		क्षे.क.	0	0	0.43	0	0	0	0	0	0	0.43
2	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	मु.	555.57	0	66.34	9.74	0	0	0	0	63.51	695.16
		क्षे.क.	0	0	0.10	0	0	0	0	0	0	0.10
3	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर	मु.	353.47	0	90.19	118.08	0.24	0	0	0	9.93	571.91
		क्षे.क.	0	0	0.37	0	0	0	0	0	0	0.37
4	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	मु.	241.19	0	115.19	36.68	0	0	0	0	42.00	435.06
		क्षे.क.	0	0	0.10	0	0	0	0	0	0	0.10
5	भारथीदासन विश्वविद्यालयतिरुचिरापल्ली	मु.	163.71	4.00	159.36	80.50	0	0	0	0	33.15	440.72
		क्षे.क.	0	0	0.10	0	0	0	0	0	0	0.10
6	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	मु.	3359.00	0	269.43	119.12	12.04	0	0	0	7.63	3767.22
		क्षे.क.	0	0	0.50	0	0	0	0	0	0	0.50
7	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै	मु.	813.62	0	348.72	13.73	1.60	0	0	0	52.39	1230.06
		क्षे.क.	0	0	2.69	0	0	0	0	0	0	2.69
8	मनोनमनियम सुन्दरनार विश्वविद्यालय तिरुनेलवेल्ली	मु.	155.71	0	32.55	25.31	40.50	0	0	0	0	254.07
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडयकनाल	मु.	70.26	20.00	0	0.60	0.50	0	0	0	0	91.36
		क्षे.क.	0	0	2.34	0	0	0	0	0	0	2.34
10	तमिलनाडु विश्वविद्यालय,तनजवुर	मु.	102.13	0	0	17.23	0.50	0	0	0	11.78	131.64
		क्षे.क.	0	0	0.10	0	0	0	0	0	0	0.10
11	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	मु.	0	0	0	15.72	0	0	0	0	0	15.72
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	पेरियार विश्वविद्यालय, सलेम	मु.	31.06	0	0	19.03	0	0	0	0	48.00	98.09
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	6140.99	28.00	1123.60	464.78	55.38	0	0	0	268.39	8081.14
	कुल :	क्षे.क.	0	0	6.73	0	0	0	0	0	0	6.73
	महायोग :		6140.99	28.00	1130.33	464.78	55.38	0	0	0	268.39	8087.87
	त्रिपुरा											
1	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	मु.	37.15	0	1.00	8.07	40.00	0	0	0	0	86.22
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	37.15	0	1.00	8.07	40.00	0	0	0	0	86.22
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग :		37.15	0	1.00	8.07	40.00	0	0	0	0	86.22
	उत्तर प्रदेश											
1	बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झांसी	मु.	87.36	0	12.05	1.62	0	0	0	0	0	101.03
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	मु.	159.00	0	4.43	18.26	0	0	0	0	0	181.69
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	मु.	141.13	0	1.55	14.28	0	0	0	0	35.00	191.96
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	मु.	76.48	0	0	0	0	0	0	0	0	76.48
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	मु.	166.95	0	109.83	52.60	0.40	0	0	0	0	329.78
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर	मु.	78.23	0	0	0.64	0	0	0	0	0	78.87
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	जगद्गुरु राममद्रचार्य विकलांग विश्वविद्यालय	मु.	88.29	0	0	0	0	0	0	0	0,80	89.09
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	एम जी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	मु.	82.70	0	0	13.49	0	0	0	0	63,90	160.09
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	मु.	268.52	0	154.78	66.25	5.85	0	0	0	10,93	506.33
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	10.93	0

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
10	बी बी एस पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	मु.	87.36	0	0	15.40	0	0	0	0	45.00	147.76
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	एम.जे.पी रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	मु.	80.86	0	0	0.53	0	0	0	0	0	81.39
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	एस संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	मु.	77.65	0	3.26	11.97	5.00	0	0	0	0.12	98.00
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	1394.53	0	285.90	195.04	11.25	0	0	0	155.75	2042.47
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग :		1394.53	0	285.90	195.04	11.25	0	0	0	155.75	2042.47
	उत्तरांचल/उत्तराखंड											
1	एच एन बी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर	मु.	186.18	0	10.22	13.05	7.99	10.29	0	0	5.93	233.66
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल	मु.	189.21	0	54.93	38.49	0	0.21	0	0	0	282.63
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	जी.बी. पंत कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर	मु.	0	0	2.90	0	0	0	0	0	2.50	5.40
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	375.39	0	65.15	54.44	7.99	10.29	0	0	8.43	521.69
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग :		375.39	0	65.15	54.44	7.99	10.29	0	0	8.43	521.69
	पश्चिम बंगाल											
1	पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता	मु.	0	0	0	0.60	0	0	0	0	0	0.60
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड साइंस यूनिवर्सिटी	मु.	1185.60	0	0	17.85	0	0	0	0	3.15	1206.60
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	बिधान चन्द्रा कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर	मु.	0	0	0	0.24	0	0	0	0	0	0.24
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान	मु.	295.63	0	120.38	23.69	0	0	0	0	41.10	480.71
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता	मु.	3718.04	0	312.44	132.82	34.61	0	0	0	0	4197.91
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	मु.	1001.43	23.88	307.86	113.73	0	0	0	0	52.32	1499.22
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी	मु.	212.20	0	0	15.79	0	0	0	0	4.30	232.29
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय दार्जलिंग	मु.	282.54	25.46	83.42	23.87	12.35	0	0	0	1.30	428.94
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	रबिन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता	मु.	157.25	4.00	7.47	4.27	0	0	0	0	41.55	214.54
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	पश्चिम बंगाल पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता	मु.	0	0	0	0.35	0	0	0	0	0	0.35
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर	मु.	217.80	0	1.00	36.79	0	0	0	0	47.72	303.31
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	7070.49	53.34	832.57	369.91	46.96	0	0	0	191.44	8564.71
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग :		7070.49	53.34	832.57	369.91	46.96	0	0	0	191.44	8564.71
	महायोग :	मु	103005.73	472.38	11432.26	4179.99	1311.19	73.18	76.36	0	4617.96	125169.05
	महायोग :	क्षे.क.	0	0	10.92	0	0	0	0	0	0	10.92
	कुल :		103005.73	472.38	11443.18	4179.99	1311.19	73.18	76.36	0	4617.96	125179.97

परिशिष्ट XX (जारी)
वर्ष 2007-08 के दौरान सामान्य योजना के अंतर्गत
कॉलेजों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार)

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	विश्वविद्यालय	सेक्टर-1	सेक्टर-2	सेक्टर-3	सेक्टर-4	सेक्टर-5	सेक्टर-6	सेक्टर-7	सेक्टर-8	सेक्टर-9	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय										
1	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	मु.	54.38	0	15.64	24.31	0	0	0	1.21	95.54
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	असम विश्वविद्यालय, सिलचर	मु.	0	0	0.84	4.79	27.00	0	0	0	32.63
		क्षे.क.	26.72	76.84	0	8.66	0	0	0	0	112.22
3	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	मु.	4.44	0	0.24	4.39	15.00	0	0	0	24.07
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	मु.	825.52	500.00	94.73	203.94	25.0	0	0.49	7.18	1656.86
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर	मु.	55.00	0	8.41	11.68	16.64	0	0	22.75	114.48
		क्षे.क.	77.98	129.74	0	33.67	0	0	0	0	241.39
6	मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम	मु.	0	0	0.26	0	7.00	0	0	0	7.26
		क्षे.क.	17.23	10.00	0	6.03	0	0	0	0	33.26
7	नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलॉंग	मु.	55.00	0	0.53	3.14	0	0	0	2.75	61.42
		क्षे.क.	26.94	131.90	0	9.87	0	0	0	0	168.71
8	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा	मु.	10.00	0	0	7.00	0	0	0	0	17.00
		क्षे.क.	10.20	60.00	7.00	3.27	0	0	0	0	80.47
9	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी	मु.	20.00	0	0	2.81	7.00	0	0	0	29.81
		क्षे.क.	35.92	0	13.00	2.83	0	0	0	0	51.75
	कुल	मु.	1024.34	500.00	120.65	262.06	97.64	0	0.49	0	2039.07
	कुल	क्षे.क.	194.99	408.48	20.00	64.33	0	0	0	0	687.80
	महायोग		1219.33	908.48	140.65	326.39	97.64	0	0.49	0	2726.87
	राज्य विश्वविद्यालय										
	आंध्र प्रदेश										
1	आंध्र विश्वविद्यालय, वालटेयर	मु.	125.00	0	54.65	34.96	76.80	0	0	2.90	294.31
		क्षे.क.	66.91	326.93	74.56	18.70	0	0	0	0	487.10
2	ककातिया विश्वविद्यालय, वारांगल	मु.	40.00	0	22.56	2.33	0	2.95	0	0	67.84
		क्षे.क.	53.13	161.37	0	21.09	0	0	0	0	235.59
3	नागार्जुना विश्वविद्यालय, गुंटूर	मु.	125.00	0	16.07	16.50	106.28	0	0	0	263.85
		क्षे.क.	97.66	428.95	93.89	23.87	0	0	0	0	644.37
4	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	मु.	280.00	0	111.62	18.87	46.40	0	0	6.18	463.07
		क्षे.क.	187.04	318.99	118.99	24.81	0	0	0	0	649.83
5	श्री कृष्णा देवारिया विश्वविद्यालय, अन्तपुर	मु.	30.00	0	20.60	0	0	0	0	0	50.60
		क्षे.क.	37.79	92.16	13.99	2.72	0	0	0	0	146.66
6	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति	मु.	60.00	0	29.45	11.01	0.21	0	0	0	100.67
		क्षे.क.	138.73	356.67	0.52	7.12	0	0	0	0	503.04
	कुल :	मु.	660.00	0	254.95	83.67	229.69	2.95	0	9.08	1240.34
	कुल :	क्षे.क.	581.26	1685.07	301.95	98.31	0	0	0	0	2666.59
	महायोग :		1241.26	1685.07	556.90	181.98	229.69	2.95	0	9.08	3906.93
	अरुणाचल प्रदेश										
1	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर	मु.	0	0	0	0.16	0	0	0	0	0.16
		क्षे.क.	6.84	35.00	0	10.05	0	0	0	0	51.89
	कुल :	मु.	0	0	0	0.16	0	0	0	0	0.16
	कुल :	क्षे.क.	6.84	35.00	0	10.05	0	0	0	0	51.89
	महायोग :		6.84	35.00	0	10.21	0	0	0	0	52.05

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
	असम											
1	डिब्रुगढ़ विश्वविद्यालय	मु.	45.00	0	90.80	23.25	84.85	0	0	0	13.81	257.71
		क्षे.क.	206.17	569.13	0	64.81	0	0	0	0	0	840.11
2	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	मु.	75.00	0	114.99	29.77	89.06	0	0	0	6.95	315.77
		क्षे.क.	226.55	949.90	0	127.94	0	0	0	0	0	1304.39
	कुल :	मु.	120.00	0	205.79	53.02	173.91	0	0	0	20.76	573.48
	कुल :	क्षे.क.	432.72	1519.03	0	192.75	0	0	0	0	0	2144.50
	महायोग :		552.72	1519.03	205.79	245.77	173.91	0	0	0	20.76	2717.98
	बिहार											
1	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	मु.	0	0	36.05	3.99	34.00	0	0	0	0	74.04
		क्षे.क.	167.00	118.26	0	6.27	0	0	0	0	0	291.53
2	बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	मु.	0	0	0	4.62	0.16	0	0	0	0	4.78
		क्षे.क.	46.27	119.70	0	1.79	0	0	0	0	0	167.86
3	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	मु.	0	0	0.75	0	0	0	0	0	0	0.75
		क्षे.क.	101.56	62.56	0	7.16	0	0	0	0	0	171.28
4	के.एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	मु.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		क्षे.क.	6.55	0	0	0	0	0	0	0	0	6.55
5	एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	मु.	0	0	0.35	7.45	30.61	0	0	0	1.92	40.33
		क्षे.क.	175.22	198.43	0	4.15	0	0	0	0	0	377.80
6	पटना विश्वविद्यालय, पटना	मु.	25.00	0	36.82	0	0.04	0	0	0	0	61.86
		क्षे.क.	6.00	0	0	3.48	0	0	0	0	0	9.48
7	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया	मु.	60.00	0	0.67	21.52	40.00	0	0	0	22.74	144.93
		क्षे.क.	97.20	110.00	0	18.95	0	0	0	0	0	226.15
8	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	मु.	0	0	0	0	0.79	0	0	0	0	0.79
		क्षे.क.	61.18	122.00	0	2.41	0	0	0	0	0	185.59
9	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आराह	मु.	0	0	0	3.81	0	0	0	0	0	3.81
		क्षे.क.	27.20	37.00	0	2.75	0	0	0	0	0	66.97
	कुल :	मु.	85.00	0	74.64	41.39	105.60	0	0	0	24.66	331.29
	कुल :	क्षे.क.	688.18	768.07	0	46.96	0	0	0	0	0	1503.21
	महायोग :		773.18	768.07	74.64	88.35	105.60	0	0	0	24.66	1834.50
	छत्तीसगढ़											
1	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	मु.	30.00	0	0	0	36.00	0	0	0	3.12	69.12
		क्षे.क.	175.34	37.50	18.92	14.62	0	0	0	0	0	246.38
2	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, रायपुर	मु.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		क्षे.क.	9.14	0	0	1.72	0	0	0	0	0	10.86
3	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	मु.	80.00	0	15.78	14.20	17.00	0	0	0	8.38	135.36
		क्षे.क.	207.35	193.80	64.90	32.17	0	0	0	0	0	498.22
	कुल :	मु.	110.00	0	15.78	14.20	53.00	0	0	0	11.50	204.48
	कुल :	क्षे.क.	391.83	231.30	83.82	48.51	0	0	0	0	0	755.46
	महायोग :		501.83	231.30	99.60	62.71	53.00	0	0	0	11.50	959.94
	गुजरात											
1	भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर	मु.	10.00	0	0	0	5.00	0	0	0	0	15.00
		क्षे.क.	14.28	28.70	8.21	0.73	0	0	0	0	0	51.92
2	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	मु.	55.00	0	3.51	10.92	25.64	0	0	0	10.04	105.11
		क्षे.क.	175.66	62.94	5.66	20.87	0	0	0	0	0	265.13
3	एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा, वडोदरा (कच्छ)	मु.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		क्षे.क.	8.45	0	0	1.52	0	0	0	0	0	9.97
4	नॉर्थ गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन	मु.	0	0	0	0	34.06	0	0	0	4.92	38.98
		क्षे.क.	127.33	122.06	0.03	11.68	0	0	0	0	0	261.10
5	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ	मु.	0	0	0.44	12.57	0.05	0	0	0	0	13.06
		क्षे.क.	15.82	26.86	0	9.70	0	0	0	0	0	52.38
6	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय,	मु.	0	0	12.92	0	0.16	0	0	0	2.75	15.83
		क्षे.क.	119.33	176.12	0	9.67	0	0	0	0	0	305.12

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
7	साउथ गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत	मु.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		क्षे.क.	75.86	67.89	0.73	1.66	0	0	0	0	0	146.14
	कुल :	मु.	65.00	0	16.87	23.49	64.91	0	0	0	17.71	187.98
	कुल :	क्षे.क.	536.73	484.57	14.63	55.83	0	0	0	0	0	1091.76
	महायोग :		601.73	484.57	31.50	79.32	64.91	0	0	0	17.71	1279.74
	गोवा											
1	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा	मु.	35.00	0	134.70	5.03	32.24	0	0	0	0	206.97
		क्षे.क.	18.75	32.00	5.58	13.81	0	0	0	0	0	70.14
	कुल :	मु.	35.00	0	134.70	5.03	32.24	0	0	0	0	206.97
	कुल :	क्षे.क.	18.75	32.00	5.58	13.81	0	0	0	0	0	70.14
	महायोग :		53.75	32.00	140.28	18.84	32.24	0	0	0	0	277.11
	हरियाणा											
1	चौ. देवी लाल विश्वविद्यालय	मु.	32.89	50.00	0.63	4.33	31.00	0	0	0	4.82	123.67
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	मु.	155.13	93.06	82.34	28.24	157.30	0	0	0	11.04	527.11
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	मु.	48.65	22.50	2.75	4.59	20.00	0	0	0	4.86	103.35
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	236.67	165.56	85.72	37.16	208.30	0	0	0	20.72	754.13
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग :		236.67	165.56	85.72	37.16	208.30	0	0	0	20.72	754.13
	हिमाचल प्रदेश											
1	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	मु.	78.54	30.00	31.55	9.50	0	0	0	0	0	149.59
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	78.54	30.00	31.55	9.50	0	0	0	0	0	149.59
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग :		78.54	30.00	31.55	9.50	0	0	0	0	0	149.59
	जम्मू और कश्मीर											
1	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	मु.	159.99	7.00	1.20	0.53	0	0	0	0	0	168.72
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	मु.	175.98	51.99	8.20	2.89	38.00	0	0	0	0	277.06
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0
	कुल :	मु.	335.97	58.99	9.40	3.42	38.00	0	0	0	0	445.78
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00
	महायोग :		335.97	58.99	9.40	3.42	38.00	0	0	0	0	445.78
	झारखंड											
1	रांची विश्वविद्यालय, रांची	मु.	80.00	0	9.36	17.36	12.34	0	0	0	8.36	127.42
		क्षे.क.	68.21	110.00	0	7.70	0	0	0	0	0	185.91
2	सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय, दुम्का	मु.	0	0	0	0	5.28	0	0	0	0	5.28
		क्षे.क.	5.48	0	0	0.33	0	0	0	0	0	5.81
3	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग	मु.	0	0	0	0	0.32	0	0	0	0	0.32
		क्षे.क.	33.66	92.62	0	2.62	0	0	0	0	0	128.90
	कुल :	मु.	80.00	0	9.36	17.36	17.94	0	0	0	8.36	133.02
	कुल :	क्षे.क.	107.35	202.62	0	10.65	0	0	0	0	0	320.62
	महायोग :		187.35	202.62	9.36	28.01	17.94	0	0	0	8.36	453.64
	कर्नाटक											
1	बंगलूरु विश्वविद्यालय, बंगलूरु	मु.	175.00	4.00	66.56	27.14	36.22	0	0	0	0.50	309.42
		क्षे.क.	165.80	138.00	223.19	27.59	0	0	0	0	0	554.58
2	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा	मु.	50.00	0	0	0	5.85	0	0	0	1.01	56.86
		क्षे.क.	107.25	381.75	92.80	5.55	0	0	0	0	0	587.35
3	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़	मु.	35.00	0	0.22	0	0	0	0	0	46.21	81.43
		क्षे.क.	222.44	867.75	33.92	31.90	0	0	0	0	0	1156.01
4	कर्नाटक स्टेट वूमन्स विश्वविद्यालय, बीजापुर		0	0	24.00	20.90	75.02	0	0	0	0	119.92
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	कुवेम्पु विश्वविद्यालय, शिमोगा	मु.	30.00	0	0	2.97	14.00	0	0	0	1.92	48.89
		क्षे.क.	121.61	122.00	102.74	13.01	0	0	0	0	0	359.86

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
6	मंगलोर विश्वविद्यालय, मंगलोर	मु.	90.00	0	37.29	2.34	40.85	0	0	0	0	170.48
		क्षे.क.	72.88	99.00	56.30	19.07	0	0	0	0	0	247.25
7	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	मु.	20.00	0	33.99	6.49	33.88	0	0	0	0	94.36
		क्षे.क.	65.23	495.00	57.21	10.50	0	0	0	0	0	627.94
8	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलूरु	मु.	0	0	1.22	0	0	0	0	0	0	1.22
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	विश्वेश्वरिया तकनीकी विश्वविद्यालय, बेलगाम	मु.	20.00	0	0	12.44	0	0	0	0	0	32.44
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	420.00	4.00	163.28	72.28	205.82	0	0	0	49.64	915.02
	कुल :	क्षे.क.	755.21	2104.00	566.16	107.62	0	0	0	0	0	3532.99
	महायोग :		1175.21	2108.00	729.44	179.90	205.82	0	0	0	49.64	4448.01
	केरल											
1	कालीकट विश्वविद्यालय, कोजीकोड़	मु.	35.00	0	154.54	31.28	12.46	0	0	0	14.81	248.09
		क्षे.क.	159.98	315.65	39.34	32.93	0	0	0	0	0	547.90
2	कन्नूर विश्वविद्यालय	मु.	0	0	2.95	3.33	15.00	0	0	0	0	21.28
		क्षे.क.	65.60	204.92	80.49	11.86	0	0	0	0	0	362.87
3	केरल विश्वविद्यालय, थिरुवनंतपुरम	मु.	25.00	0	30.84	73.16	29.12	0	0	0	19.00	177.12
		क्षे.क.	123.02	131.25	56.92	36.95	0	0	0	0	0	348.14
4	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, थ्रिसूर	मु.	110.00	0	38.43	72.17	133.91	0	0	0	3.82	358.33
		क्षे.क.	326.64	370.35	39.45	41.22	0	0	0	0	0	777.66
	कुल :	मु.	170.00	0	226.76	179.94	190.49	0	0	0	37.63	804.82
	कुल :	क्षे.क.	675.24	1022.17	216.20	122.96	0	0	0	0	0	2036.57
	महायोग :		845.24	1022.17	442.96	302.90	190.49	0	0	0	37.63	2841.39
	मध्य प्रदेश											
1	अवध प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रेवा	मु.	30.00	0	0	0	8.75	0	0	0	0	38.75
		क्षे.क.	266.64	110.00	0	7.54	0	0	0	0	0	384.18
2	बर्कतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	मु.	20.00	7.00	2.31	32.30	6.96	0	0	0	0.96	69.53
		क्षे.क.	180.82	95.19	39.64	37.28	0	0	0	0	0	352.93
3	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, सागर	मु.	30.00	0	0.19	8.10	7.00	0	0	0	0	45.29
		क्षे.क.	156.59	224.75	23.95	12.86	0	0	0	0	0	418.15
4	डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर	मु.	0	0	0	0	24.00	0	0	0	0	24.00
		क्षे.क.	117.32	123.62	29.60	11.45	0	0	0	0	0	281.99
5	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	मु.	0	0	0.44	5.40	0	0	0	0	0	5.84
		क्षे.क.	139.56	146.50	22.29	25.07	0	0	0	0	0	333.42
6	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	मु.	85.00	0	37.44	16.73	9.00	0	0	0	0	148.96
		क्षे.क.	183.62	129.96	23.80	35.89	0	0	0	0	0	373.27
7	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	मु.	10.00	0	0.40	1.56	0	0	0	0	0	11.96
		क्षे.क.	95.35	37.54	0.30	16.03	0	0	0	0	0	149.22
	कुल :	मु.	175.00	7.00	40.78	64.09	55.71	0	0	0	0.96	343.54
	कुल :	क्षे.क.	1139.90	867.56	139.58	146.12	0	0	0	0	0.96	2293.16
	महायोग :		1314.90	874.56	180.36	210.21	55.71	0	0	0	0.96	2636.70
	महाराष्ट्र											
1	एस.जी.बी. अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती	मु.	95.00	0	120.01	4.55	288.94	0	0	0	88.08	596.58
		क्षे.क.	152.55	414.45	51.34	58.37	0	0	0	0	0	676.71
2	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई	मु.	160.00	0	76.68	44.69	8.30	0	0	0	43.72	333.39
		क्षे.क.	208.39	58.90	44.72	59.69	0	0	0	0	0	371.70
3	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	मु.	60.00	0	36.64	37.02	79.36	0	0	0	10.88	223.90
		क्षे.क.	133.82	247.33	2.47	48.57	0	0	0	0	0	432.19
4	आर.टी.एम. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	मु.	50.00	0	103.41	35.63	235.39	0	0	0	19.49	443.92
		क्षे.क.	213.60	328.11	13.43	83.72	0	0	0	0	0	638.86
5	नार्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगांव	मु.	155.00	0	18.20	27.01	55.16	0	0	0	51.96	307.33
		क्षे.क.	73.28	222.25	0.72	47.59	0	0	0	0	0	343.84

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
6	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	मु.	130.00	0	31.68	46.75	185.54	0	0	0	8.41	402.38
		क्षे.क.	284.64	675.40	64.29	88.95	0	0	0	0	0	1113.28
7	सोलापुर विश्वविद्यालय	मु.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		क्षे.क.	1.45	20.33	2.63	13.14	0	0	0	0	0	37.55
8	एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुंबई	मु.	0	0	0	1.24	5.85	0	0	0	0	7.09
		क्षे.क.	29.88	0.70	6.31	10.52	0	0	0	0	0	47.41
9	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	मु.	0	0	45.75	18.24	183.15	0	0	0	11.70	258.84
		क्षे.क.	243.34	588.83	42.49	62.05	0	0	0	0	0	936.71
10	स्वामी आर.टी.एम. विश्वविद्यालय, नान्देड	मु.	150.00	0	0.48	10.43	31.59	0	0	0	12.28	204.78
		क्षे.क.	136.26	248.50	7.86	43.51	0	0	0	0	0	436.13
	कुल :	मु.	800.00	0	432.85	225.56	1073.28	0	0	0	246.52	2778.21
	कुल :	क्षे.क.	1477.21	2804.80	236.26	516.11	0	0	0	0	0	5034.38
	महायोग :		2277.21	2804.80	669.11	741.67	1073.28	0	0	0	246.52	7812.59
	उड़ीसा											
1	बहरामपुर विश्वविद्यालय, बहरामपुर	मु.	75.00	0	0	3.64	24.80	0	0	0	6.61	110.05
		क्षे.क.	56.02	0	48.68	10.79	0	0	0	0	0	115.49
2	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर	मु.	20.00	0	15.00	0	14.26	0	0	0	7.00	56.26
		क्षे.क.	37.22	412.70	21.60	30.34	0	0	0	0	0	501.86
3	सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर	मु.	45.00	0	62.00	4.67	17.91	0	0	0	3.12	132.70
		क्षे.क.	146.50	84.90	24.36	15.89	0	0	0	0	0	271.65
4	नार्थ उड़ीसा विश्वविद्यालय, बारीपाड़ा	मु.	20.00	0	0	4.11	7.00	0	0	0	0	31.11
		क्षे.क.	40.49	34.76	8.00	14.53	0	0	0	0	0	97.78
5	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	मु.	100.00	11.99	31.60	21.72	75.00	0	0	0	19.11	259.42
		क्षे.क.	237.61	1187.68	84.65	76.64	0	0	0	0	0	1586.58
	कुल :	मु.	260.00	11.99	108.60	34.14	138.97	0	0	0	35.84	589.54
	कुल :	क्षे.क.	517.84	1720.04	187.29	148.19	0	0	0	0	0	2573.36
	महायोग :		777.84	1732.03	295.89	182.33	138.97	0	0	0	35.84	3162.90
	पंजाब											
1	बाबा फरीद विश्वविद्यालय	मु.	0	0	0	0.86	0	0	0	0	0	0.86
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	मु.	185.42	90.00	29.57	19.58	159.05	0	0	0	9.53	493.15
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	मु.	210.97	159.00	165.33	50.06	55.77	0	0	0	40.21	681.34
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	मु.	59.96	6.00	1.69	7.58	69.00	0	0	0	15.21	159.44
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	456.35	255.00	196.59	78.08	283.82	0	0	0	64.95	1334.79
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग :		456.35	255.00	196.59	78.08	283.82	0	0	0	64.95	1334.79
	राजस्थान											
1	कोटा विश्वविद्यालय	मु.	0	0	1.13	10.34	5.16	0	0	0	2.68	19.31
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर	मु.	40.00	0	9.37	5.28	73.00	0	0	0	0	127.65
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	मु.	0	0	0	3.55	6.04	0	0	0	0	9.59
		क्षे.क.	15.38	33.27	0	1.43	0	0	0	0	0	50.08
4	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	मु.	0	0	0	6.56	12.84	0	0	0	7.00	26.40
		क्षे.क.	135.73	67.50	5.69	13.88	0	0	0	0	0	222.80
5	महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	मु.	0	0	0.38	5.21	45.00	0	0	0	0	50.59
		क्षे.क.	407.62	362.24	32.69	64.63	0	0	0	0	0	867.18
6	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	मु.	50.00	0	39.67	25.86	107.75	0	0	0	4.45	227.73
		क्षे.क.	366.15	478.29	32.48	43.06	0	0	0	0	0	919.98
	कुल :	मु.	90.00	0	50.55	56.80	249.79	0	0	0	14.13	461.27
	कुल :	क्षे.क.	924.88	941.30	70.86	123.00	0	0	0	0	0	2060.04
	महायोग :		1014.88	941.30	121.41	179.80	249.79	0	0	0	14.13	2521.31

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
	तमिलनाडु											
1	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराकुडी	मु.	10.00	0	0	4.68	15.00	0	0	0	2.04	31.72
		क्षे.क.	0.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.42
2	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	मु.	10.00	0	1.27	3.84	7.00	0	0	0	2.75	24.86
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	मु.	235.00	0	0.77	77.05	109.68	4.16	0	0	12.88	436.54
		क्षे.क.	71.78	120.00	178.59	30.36	0	0	0	0	0	400.73
4	भारथीदासन विश्वविद्यालय तिरुचिरापल्ली	मु.	155.00	0	38.41	30.33	47.00	0	0	0	7.46	278.20
		क्षे.क.	122.75	296.01	173.96	31.80	0	0	0	0	0	624.52
5	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	मु.	245.00	0.14	3.12	48.39	50.16	0	0	0	9.60	356.41
		क्षे.क.	263.84	689.78	291.76	31.60	0	0	0	0	0	1376.98
6	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै	मु.	210.00	3.00	94.00	51.99	91.34	0	0	0	12.39	462.72
		क्षे.क.	197.80	373.78	310.84	32.47	0	0	0	0	0	914.89
7	मनोनमनियम सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तिरुनेलवेल्ली	मु.	80.00	0	74.53	42.29	46.27	0	0	0	3.42	246.51
		क्षे.क.	56.57	309.91	138.39	27.48	0	0	0	0	0	532.35
8	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडयकनाल	मु.	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.00
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	एम.जी.आर. एजुकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई	मु.	0	0	0.39	0	0	0	0	0	0	0.39
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल विश्वविद्यालय, चेन्नई	मु.	0	0	0.58	0	0	0	0	0	0	0.58
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर	मु.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		क्षे.क.	1.52	0	0	0	0	0	0	0	0	1.52
12	पेरियार विश्वविद्यालय, सालेम	मु.	10.00	0	0	0	12.20	0	0	0	1.92	24.12
		क्षे.क.	20.90	3.60	20.59	5.24	0	0	0	0	0	50.33
	कुल :	मु.	965.00	3.14	213.07	258.57	378.65	4.16	0	0	52.46	1875.05
	कुल :	क्षे.क.	735.58	1793.08	1114.13	158.95	0	0	0	0	0	3801.74
	महायोग :		1700.58	1796.22	1327.20	417.52	378.65	4.16	0	0	52.46	5676.79
	त्रिपुरा											
1	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	मु.	0	0	0	0	5.00	0	0	0	0	5.00
		क्षे.क.	8.76	30.00	0	5.69	0	0	0	0	0	44.45
	कुल :	मु.	0	0	0	0	5.00	0	0	0	0	5.00
	कुल :	क्षे.क.	8.76	30.00	0	5.69	0	0	0	0	0	44.45
	महायोग :		8.76	30.0	0	5.69	5.00	0	0	0	0	49.45
	उत्तर प्रदेश											
1	बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झांसी	मु.	23.43	12.50	0	5.04	17.00	0	0	0	3.18	61.15
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	मु.	141.25	0	29.52	67.01	28.00	0	0	0	0	265.78
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	मु.	138.08	0	0	0	0	0	0	0	0.15	138.23
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	मु.	71.25	112.50	24.03	21.49	22.85	0	0	0	8.41	260.53
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	मु.	0	87.40	66.65	14.25	32.85	0	0	0	0	201.15
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	मु.	70.77	52.50	0	16.65	61.35	0	0	0	12.30	213.57
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	सी.एच.जीएम विश्वविद्यालय, कानपुर	मु.	166.92	22.00	107.47	104.60	30.48	0	0	0	27.53	459.00
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
8	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	मु.	20.13	47.50	2.18	9.73	7.05	0	0	0	0.07	86.66
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	मु.	106.16	76.50	6.14	46.56	10.85	0	0	0	7.91	254.12
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	मु.	31.57	12.50	0.25	37.21	20.85	0	0	0	11.03	113.41
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	श्री सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	मु.	50.19	73.00	1.75	2.43	50.85	0	0	0	0	178.22
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	819.75	496.40	237.99	324.97	282.13	0	0	0	70.58	2231.82
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग :		819.75	496.40	237.99	324.97	282.13	0	0	0	70.58	2231.82
	उत्तरांचल											
1	एच एन बी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर	मु.	55.08	20.00	10.91	25.00	5.00	0	0	0	10.00	125.99
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल	मु.	12.51	0	0	11.12	0	0	0	0	5.63	29.26
		क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल :	मु.	67.59	20.00	10.91	36.12	5.00	0	0	0	15.63	155.25
	कुल :	क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग :		67.59	20.00	10.91	36.12	5.00	0	0	0	15.63	155.25
	पश्चिम बंगाल											
1	बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान	मु.	0	0	0	3.34	51.40	0	0	0	4.33	59.07
		क्षे.क.	244.26	250.25	1.06	41.24	0	0	0	0	0	536.81
2	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता	मु.	125.10	0	26.02	65.19	47.19	0	0	0	50.70	314.20
		क्षे.क.	293.37	223.88	44.51	106.18	0	0	0	0	0	667.94
3	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	मु.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		क्षे.क.	1.66	0	0	0.40	0	0	0	0	0	2.06
4	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी	मु.	0	0	0	0	5.16	0	0	0	0	5.16
		क्षे.क.	95.01	100.21	0	15.26	0	0	0	0	0	210.48
5	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जलिग	मु.	0	0	0.35	3.96	15.76	0	0	0	1.11	21.18
		क्षे.क.	285.72	66.76	2.15	23.09	0	0	0	0	0	377.72
6	रबिन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता	मु.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		क्षे.क.	0.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6
7	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर	मु.	0	0	0	4.25	10.22	0	0	0	7.00	21.47
		क्षे.क.	122.01	315.03	6.78	22.47	0	0	0	0	0	466.29
	कुल :	मु.	125.10	0	26.37	76.74	129.73	0	0	0	63.14	421.08
	कुल :	क्षे.क.	1042.63	956.13	54.50	208.64	0	0	0	0	0	2261.90
	महायोग :		1167.73	956.13	80.87	285.37	129.73	0	0	0	63.14	2682.98
	महायोग :	मु.	7179.31	1552.08	2667.16	1957.74	4019.63	7.11	0.49	0	798.16	18181.69
	महायोग :	क्षे.क.	10235.90	17605.22	3010.96	2078.48	0	0	0	0	0	32930.56
	कुल :		17415.21	19157.30	5678.12	4036.22	4019.63	7.11	0.49	0	798.16	51112.25

सारांश (योजनागत) वर्ष 2007-08

(रुपये लाख में)

		सेक्टर-1 पूर्ण योग में वृद्धि	सेक्टर-2 अंशधारिता	सेक्टर-3 गुणवत्ता और उत्कृष्टता	सेक्टर-4 अनुसंधान परियोजनाएँ	सेक्टर-5 संगतता एवं मूल्याधारित शिक्षा	सेक्टर-6 आईसीटी समेकन	सेक्टर-7 शासन एवं कार्यक्षमता सुधार	सेक्टर-8 नई योजनाएँ	सेक्टर-9 10वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताएँ	सेक्टर-10 एवं 11 अ. जा./अ.ज. जा. के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्यतावृत्ति	कुल
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विश्वविद्यालय												
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	मु.	58726.30	82.80	2043.20	606.94	337.03	0	0	0	589.53	0	62385.80
	क्षे.क.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सम विश्वविद्यालय	मु.	3925.59	63.11	673.64	278.96	136.07	33.73	59.10	0	403.89	0	5574.09
	क्षे.क.	0	0	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0.30
राज्य विश्वविद्यालय	मु.	40353.84	326.47	8715.42	3293.63	838.09	39.45	17.26	0	3624.54	0	57208.70
	क्षे.क.	0	0	10.62	0	0	0	0	0	0	0	10.62
अंतर्विश्वविद्यालय	मु.	0	0	3206.54	0.46	0	4606.64	0	0	4155.05	0	11968.69
विश्वविद्यालयेतर संस्थान	मु.	0	0	0	0	0	0	68.12	0	0	0	68.12
कुल	मु.	103005.73	472.38	14638.80	4179.99	1311.19	4679.82	144.48	0	8773.01	8442.00	145647.40
	क्षे.क.	0	0	10.92	0	0	0	0	0	0	0	10.92
महायोग विश्वविद्यालय कॉलेज		103005.73	472.38	14649.72	4179.99	1311.19	4679.82	144.48	0	8773.01	8442.00	145658.32
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	मु.	1024.34	500.00	120.65	262.06	97.64	0	0.49	0	33.89	0	2039.07
	क्षे.क.	194.99	408.48	20.00	64.33	0	0	0	0	0	0	687.80
राज्य विश्वविद्यालय	मु.	6154.97	1052.08	2546.51	1695.68	3921.99	7.11	0.49	0	764.27	0	16143.10
	क्षे.क.	10040.91	17196.74	2990.96	2014.15	0	0	0	0	0	0	32242.76
विश्वविद्यालयेतर संस्थान	मु.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	मु.	7179.31	1552.08	2667.16	1957.74	4019.63	7.11	0.49	0	798.16	513.28	18694.96
	क्षे.क.	10235.90	17605.22	3010.96	2078.48	0	0	0	0	0	0	32930.56
महायोग कॉलेज		17415.21	19157.30	5678.12	4036.22	4019.63	7.11	0.49	0	798.16	513.28	51625.52
कुल जोड़ विश्वविद्यालय और कॉलेज		120420.94	19629.68	20327.84	8216.21	5330.82	4686.93	144.97	0	9571.17	8955.28	197283.84
स्थापना		0	0	18.14	27.31	67.68	0	53.58	0	0	0	166.71
कुल जोड़		120420.94	19629.68	20345.98	8243.52	5398.50	4686.93	198.55	0	9571.17	8955.28	197450.55

